ekuuh; Mh ,uñ mikè;k;] U;k;efr

दीपक महतो

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.B.) No. 424 of 2004. Decided on 9th July, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 624 वर्ष 2002/ विचारण सं॰ 81 वर्ष 2003 में ए॰ जे॰ सी॰ (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ VIII) द्वारा पारित दिनांक 24.2.2004 के निर्णय एवं दिनांक 28.2.2004 के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—बलात्कार–दोषसिद्धि–मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करती है–अभियोक्त्री घटना की तिथि पर 16 वर्ष से अधिक आयु की थी और सहमत पक्ष बतायी जाती है–अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं अतिश्योक्ति से पीड़ित है–दोषसिद्धि अपास्त की गयी–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 8 से 10)

(ख) दांडिक विधि–प्राथमिकी–प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब मात्र आवश्यकत: अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं है–प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब कारित करने वाली अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं और वे परिस्थितियाँ पुलिस को मामला रिपोर्ट करने की तुलना में संबंधित मामलों के तथ्यों में अधिक महत्व की हो सकती हैं। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–AIR 2010 SC 392; (2013) 9 SCC 113; 2002 (3) JCR 90 (Jhr); 2003 (3) East. Cr. Cases 1958 (Pat)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ajay Kumar Trivedi, For the Appellant; Mr. Ravi Prakash, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 624 वर्ष 2002/विचारण सं॰ 81 वर्ष 2003 में ए॰ जे॰ सी॰ (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ VIII), राँची द्वारा पारित दिनांक 24.2.2004 के निर्णय एवं दिनांक 28.2.2004 के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और उसे सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और आगे 10,000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना का भुगतान करने के व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। यह निर्देश भी दिया गया है कि यदि जुर्माना राशि प्राप्त की जाती है, अभियोक्त्री को मुआवजा के रूप में 5,000/- रुपया दिया जा सकता है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 13.9.2001 को सूचक ने प्रभारी–अधिकारी, काँके पुलिस थाना को संबोधित करते हुए उसमें यह अभिकथन करते हुए लिखित रिपोर्ट दर्ज किया कि वह अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ प्रेम करने लगी जब वे विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे और अभियुक्त ने उसको विवाह करने का आश्वासन देकर उसके साथ वर्ष 1997 से यौन संबंध स्थापित किया। आगे यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त सूचक का करियर एवं प्रतिष्ठा बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा था जिस कारण उसने अपने माता-पिता को घटना नहीं बताया था।

दिनांक 22.8.2001 को सूचक को अभियुक्त द्वारा मोती महतो के मकई के खेत में ले जाया गया था जहाँ बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। बलात्कार करने के बाद, अभियुक्त दीपक महतो ने उसे किसी को घटना नहीं बताने की धमकी दी अन्यथा उसे परिणाम भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी एवं उसके साथ विवाह करने के वादा पर विचार करते हुए उसने घटना रिपोर्ट नहीं किया था।

अभियोक्त्री द्वारा दर्ज लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त दीपक महतो (अपीलार्थी) के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन दिनांक 13.8.2001 को राँची के पुलिस थाना केस सं॰ 81/2001 दर्ज किया गया था। सम्यक अन्वेषण के बाद, आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और दिनांक 13.1.2003 को आरोप विरचित किया गया था। चूँकि अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया था, उसका विचारण किया गया था।

3. अभियोजन ने अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 9), डॉ॰ रागिनी मिंज (अ॰ सा॰ 11) अभियोक्त्री/सूचक (अ॰ सा॰ 4), अभियोक्त्री के पिता, चाचा एवं माता (क्रमशः अ॰ सा॰ 1, 2 और 3) सहित कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया है। लिखित रिपोर्ट, औपचारिक प्राथमिकी एवं मेडिकल रिपोर्ट का प्रदर्श चिन्हित किया गया है।

विचारण के क्रम में, अभियोजन अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा लिखे गए प्रेम पत्रों को प्रस्तुत किया है जिसे प्रदर्श चिन्हित किया गया है। अपीलार्थी ने भी परिवाद मामला सं॰ 629/2001 में पारित दिनांक 13.9.2001 के आदेश को यह दर्शाने के लिए सिद्ध किया है कि उसने सुरेश महतो एवं अन्य के विरुद्ध परिवाद मामला दर्ज किया था। साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर (एफ॰ टी॰ सी॰ VIII), राँची ने अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया, अतः यह अपील की गयी है।

4. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अभियोक्त्री सहमत पक्ष थी और यौन संबंध का आनन्द ले रही थी। प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण सूचक द्वारा अपने लिखित बयान में नहीं दिया गया है। दिनेश्वर महतो (अ॰ सा॰ 1), सुमेश्वर महतो (अ॰ सा॰ 2), लालो देवी (अ॰ सा॰ 3) क्रमशः अभियोक्त्री के पिता, चाचा एवं माता) ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में भिन्न विवरण दिया है। इन गवाहों के अभिसाक्ष्य के अनुसार, दिनांक 22.8.2001 को दीपक कुमार (अपीलार्थी) अभियोक्त्री को मोती लाल के मकई के खेत में ले गया था जहाँ उसे बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। बबलू एवं सुरेश द्वारा घटना देखी गयी थी जिन्होंने दीपक (अपीलार्थी) को पकड़ लिया और मुक्का-तमाचा से उस पर प्रहार किया। घटनास्थल पर एकत्रित लोगों को घटना के बारे में पता चला था। पंचायती की गयी थी जिसमें अपीलार्थी से अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का अनुरोध किया गया था किंतु अपीलार्थी ने इनकार कर दिया और तत्पश्चात मामला पुलिस को सूचित किया गया था और प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलंब के पीछे यही कारण था। ये गवाह यह कहने की सीमा तक गए हैं कि अभियुक्त को घटनास्थल पर पकड़ा गया था और उसे किसी बिट्टू की दुकान पर लाया गया था जहाँ लोग जमा हुए थे। यह निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 1, 2 और 3 द्वारा किए गए प्रतिवाद के समर्थन में बबलू एवं सुरेश का परीक्षण नहीं किया गया है। परिवार के सदस्यों के सिवाए कोई गाँव वाला अभियोक्त्री के पिता द्वारा बनाए गए अभियोजन मामला के समर्थन में आगे नहीं आया है। अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल पर अपराध में फँसानेवाली कोई वस्तु नहीं पाया था। डॉ॰ रागिनी मिंज (अ॰ सा॰ 11) ने प्रदर्श 5/1 के रूप में मेडिकल रिपोर्ट सिद्ध किया है। डॉक्टर के मत के अनुसार, पीड़िता के परीक्षण के समय पर बलात्कार का सकारात्मक साक्ष्य नहीं पाया गया था। योनि स्राव के परीक्षण में जीवित या मृत वीर्य नहीं पाया गया है। प्रदर्श 5/1 के अनुसार, अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच निर्धारित की गयी थी। यह प्रतिवाद किया गया था कि उच्चतर पक्ष पर निर्धारित आयु पर विचार किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है, अभियोक्त्री 16 वर्ष से अधिक आयु की थी और वह सहमत पक्ष थी और इसलिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध नहीं बनता है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान अभियोक्त्री (अ॰ सा॰ 4) के बयान की ओर भी आकृष्ट किया है। उसने कथन किया है कि उसका अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसे प्रेम पत्र

लिख रहा था। उसने अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा लिखे गए प्रेम पत्रों को भी प्रस्तुत किया है जिन्हें प्रदर्श 2 से 2/18 चिन्हित किया गया है। उसने कथन किया है कि अभियुक्त उसको धमकी देकर बलात्कार करता था। दिनांक 22.8.2001 को सायं 6 बजे जब वह बिट्टू के दुकान से सामान खरीदने जा रही थी, अभियुक्त अचानक सामने आया, जबरन उसको मोती लाल के मकई के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बबलू महतो एवं सुरेश महतो द्वारा घटना देखी गयी थी जिन्होंने अभियुक्त को पकड़ा और उसे सूचक के घर ले गए जहाँ पंचायती की गयी थी जिसमें अभियुक्त के माता-पिता को बुलाया गया था किंतु वे उपस्थित नहीं हुए थे।

अभियोजन ने अभिलेख पर तथ्य लाया है कि बबलू एवं सुरेश ने घटना देखा था, उन्होंने अभियुक्त को पकड़ा था और उसे सूचक के घर ले गए थे, किंतु ये तथ्य लिखित रिपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। अभियोक्त्री ने घटना की केवल एक तिथि अर्थात् दिनांक 22.8.2001 दिया है और उसने कोई पूर्व तिथि या घटनास्थल नहीं दिया है जब एवं जहाँ उसे अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। अभियोक्त्री का साक्ष्य न तो संगत है और न ही विश्वास उत्पन्न करता है और उसने न्यायालय में नयी कहानी विकसित किया है जो उसके माता-पिता द्वारा सुझायी गयी प्रतीत होती है और इसलिए अभियोक्त्री के ऐसे विरोधाभासी बयान पर दोषसिद्धि संपोषित नहीं की जा सकती है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 2010 SC Page 392 (सुनील बनाम हरियाणा राज्य); 2013 (9) SCC Page 113 (कैनी रंजन बनाम केरल राज्य); AIR 2007 SC Page 155 (रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य); 2002 (3) JCR 90 (Jhr) (मंजर इमाम बनाम बिहार राज्य); 2003 (3) East Cr. Cases 1958 (Pat) (कुर्बान मियाँ उर्फ मोः कुर्बान बनाम बिहार राज्य); 2004 (1) East Cr. Cases 152 (सुभाष दास बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड); 2003 (3) East Cr. Cases 2079 (Pat.) (महेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य); 2003 (3) East Cr. Cases 135 (Jhr.) (दीनदयाल केवट बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड); 2002 (3) East Cr. Cases 101 (Jhr.) (जिलो तिग्गा बनाम बिहार राज्य);** और **2000 (3) East Cr. Cases 1987 (निमाह चंद्र साह बनाम बिहार राज्य एवं सदृश मामलों)** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

अंत में यह निवेदन किया गया था कि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त इन समस्त पहलूओं पर विचार करने में विफल रहे हैं और अपीलार्थी को केवल इस आधार पर दोषी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की थी और, इसलिए, उसकी सहमति विधि की दृष्टि में सहमति नहीं है। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त के निष्कर्ष अत्यन्त गलत हैं और इसलिए अपास्त किए जाने के दायी हैं।

7. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोक्त्री ने पूर्णतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसे अनेक अवसरों पर, अंत में दिनांक 22.8.2001 को अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। वह बलात्कार की कारिता के समय पर 16 वर्ष से कम आयु की थी। पीड़िता के पिता, चाचा, माता एवं कजिन भाई ने अभियोजन मामले की संपुष्टि की है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान बलात्कार का सकारात्मक संकेत इसलिए नहीं पाया गया था क्योंकि 23 दिनों के विलंब के बाद अभियोक्त्री का परीक्षण किया गया था और ऐसी परिस्थितियों ने अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विचार किया जाना है। उसने पूर्णतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है जो अः साः 1, 2 और 3 के साक्ष्य से समर्थन पाता है। विद्वान एः जेः सीः ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. दिए गए तर्कों के आधार पर विचार एवं चर्चा के लिए निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं:

<u>प्रथम बिंदु प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब है।</u>

यह सत्य है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब मात्र अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने में स्पष्टीकृत अथवा अस्पष्टीकृत विलंब पर प्रत्येक निजी मामले में प्रचलित तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचार किया जाना है और प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलंब के स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है किंतु तथ्य बना रहता है कि विलंब से दर्ज की गयी प्राथमिकी अभियोजन मामले को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा चर्चा एवं विनिश्चित किया जाने वाला प्रासंगिक तथ्य निश्चय ही है। साक्ष्य की संपूर्णता के आलोक में तथ्य के न्यायालय को विचार करना होगा कि क्या प्राथमिकी दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन मामले को विपरीत रूप से प्रभावित करता है और यह साक्ष्य के अधिमूल्यन पर निर्भर करता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ विलंब स्पष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है। प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में भी अभिलेख पर सामने आने वाली परिस्थितियाँ हो सकती है जो विलंब का युक्तियुक्त कारण देती हैं और इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब कारित करने वाली अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं और वे परिस्थितियाँ पुलिस को मामला रिपोर्ट करने की तुलना में संबंधित मामले के तथ्यों में अधिक महत्व की हो सकती हैं। विशेषत: यौन प्रहार के मामले में अभियोक्त्री अनेक बार सोच सकती हैं कि घटना प्रकट की जाए या नहीं। बलात्कार किए जाने के बाद शारीरिक उपहति के अतिरिक्त पीड़िता सदमा एवं मानसिक वेदना से पीड़ित होती है। उसे अपनी प्रतिष्ठा एवं भावी जीवन के बारे में सोचना होगा और सामान्यत: वह कलंक के साथ अपना भावी जीवन बिताना नहीं चाहती है। किंतु तब ऐसे मामले हैं जहाँ अनुभव किया गया है कि प्रतिशोध लेने के लिए बलात्कार का झूठा अभिकथन किया जाता है, कभी-कभार संपत्ति विवाद के मामलों में और कभी कभार अन्य कारणों से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों ने यौन प्रहार के अनेक मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य प्रभावमुक्त, संगत एवं विश्वासोत्पादक है, एकमात्र उसके परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है।

इस पृष्ठभूमि के अधीन मैंने वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण किया है।

पीड़िता (सूचक) के अनुसार, वह अपीलार्थी से प्रेम करने लगी थी जब वह कक्षा V में अध्ययन कर रही थी और उसने अभियुक्त को अपने साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी थी। प्राथमिकी में उसने कथन किया था कि अभियुक्त उसको धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता था और यही कारण था कि उसने किसी को घटना नहीं बताया था। जो अभिलेख पर उपलब्ध है, वह यह है कि दिनांक 22.8.2001 को जब वह कुछ सामान खरीदने निकट के दुकान जा रही थी, उसे अपीलार्थी द्वारा बीच रास्ते में रोका गया था, जो उसे मोती महतो के मकई के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसे घटना किसी को नहीं बताने की धमकी दी गयी थी और यही कारण था कि उसने किसी को घटना नहीं बताया था।

अन्य अभियोजन गवाह जो कोई और नहीं बल्कि सूचक के पिता, चाचा एवं माता हैं ने कहा है कि बबलू एवं सुरेश द्वारा घटना देखी गयी थी जिन्होंने अभियुक्त को पकड़ा था और उसे गाँव लाए थे जहाँ पंचायती की गयी थी। विचारण के दौरान पीड़िता (सूचक) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। गाँववाले एवं अन्य लोग जो घटना स्थल पर जमा हुए थे को घटना की जानकारी हुई। यदि ऐसा था, कोई कारण नहीं था कि क्यों नहीं घटना के दिन ही मामले को पुलिस को रिपोर्ट किया गया था। मामला पुलिस को 23 दिन बाद अर्थात् दिनांक 13.9.2001 को रिपोर्ट किया गया था और अभियोक्त्री ने प्राथमिकी दर्ज

करने में विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इसलिए, प्रचलित परिस्थितियों में अभियोक्त्री द्वारा दर्ज सूचना संदेह के घेरे में है। बचाव पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री के माता-पिता अपीलार्थी को उसके साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब उसने इनकार किया, झूठे अभिकथन के साथ यह मामला दर्ज किया गया था।

अत:, स्थिति बनी रहती है कि सूचक ने अपने लिखित रिपोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के विरुद्ध स्पष्टीकरण नहीं दिया था बल्कि बाद में नयी कहानी बनाकर अभियोजन कुछ स्पष्टीकरण के साथ आया है जिसे मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

द्वितीय बिंदु विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा विकसित की गयी कथा है।

अ॰ सा॰ 1, 2, 3 और 8 ने कथन किया है कि पीड़िता और अपीलार्थी को सुरेश एवं बबलू द्वारा पकड़ा गया था जिन्होंने अपीलार्थी पर प्रहार किया और उसे गाँव लाए और सूचक ने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को घटना प्रकट किया। अभियोजन मामले का यह महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिकी में पूरी तरह गायब है जिसे और किसी द्वारा नहीं बल्कि स्वयं अभियोक्त्री द्वारा दर्ज किया गया था। अभियोजन ने इन दोनों महत्वपूर्ण गवाहों अर्थात् बबलू एवं सुरेश को रोक लिया है और वे अभियोक्त्री के माता पिता द्वारा दी गयी कहानी का समर्थन करने आगे नहीं आए हैं। केवल यही नहीं, 13 गवाहों में से अ॰ सा॰ 5, 6, 7, 10, 12 और 13 जो गाँववाले हैं ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और पक्षद्रोही हो गए थे। चूँकि बबलू एवं सुरेश का परीक्षण नहीं किया गया था, अ॰ सा॰ 1, 2 और 3 का साक्ष्य असंपुष्ट बना रहा और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

तीसरा बिंदु मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 5/1) है जिसे डॉ॰ रागिनी मिंज (अ॰ सा॰ 11) द्वारा सिद्ध किया गया है।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 14.9.2001 को पीड़िता का परीक्षण किया गया था और डॉक्टर ने बलात्कार का सकारात्मक संकेत नहीं पाया था। हाल के संभोग का साक्ष्य नहीं हो सकता था क्योंकि घटना के लगभग 24 दिन बाद डॉक्टर द्वारा अभियोक्त्री का परीक्षण किया गया था। योनि के ऊपर कुछ लालिमा एवं सूजन था। उसके गुप्तांग पर किसी दूसरे का बाल नहीं पाया गया था। उसके गुप्तांग में धब्बा नहीं पाया गया था। जघन केश का मिलन नहीं था। बलात्कार की कारिता के बिंदु पर डॉक्टर का मत निश्चयात्मक नहीं है। अत: मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है।

चतुर्थ एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु अभियोक्त्री का साक्ष्य है।

लिखित रिपोर्ट में, उसने कथन किया है कि उसका वर्ष 1997 से अभियुक्त के साथ यौन संबंध था और उसका उसके साथ प्रेम प्रसंग था। अभियुक्त भी उसको विवाह करने का आश्वासन दे रहा था और कभी कभार उसको धमकी दे रहा था। पुन: उसने दो विरोधाभासी बयान दिया है। समय के एक बिंदु पर वह स्वीकार करती है कि उसका अपीलार्थी के साथ प्रेमप्रसंग था और उसने उसके साथ विवाह करने का आश्वासन उसे दिया था और यौन संबंध स्थापित किया था किंतु पुन: वह कहती है कि उसको धमकी दी गयी थी और तब अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। उसने घटना की किसी तिथि अथवा घटना स्थल को प्रकट नहीं किया था कि कब और कहाँ उसे घटना जो अभिकथित रूप से दिनांक 22.8.2001 को हुई थी के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। उसने अपने लिखित रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया था कि अभियुक्त को उसके साथ घटनास्थल पर सुरेश और बबलू द्वारा पकड़ा गया था। यह कहानी साक्ष्य के क्रम में उसके माता-पिता के प्रभाव के अधीन विकसित की गयी है। इस चरण

पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घटना जो दिनांक 22.8.2001 को हुई बबलू एवं सुरेश द्वारा देखी गयी थी जिन्होंने उनको पकड़ा था और उनको गाँव लाया था और घटना उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को बतायी गयी थी। अभियोक्त्री नहीं कहती थी कि उसने कभी शोर किया जब अपीलार्थी उसके साथ संभोग करने के लिए उसे मोतीलाल के मकई के खेत में ले गया था।

यदि प्राथमिकी में अभिकथित घटना दिनांक 22.8.2001 को हुई थी और उसी तिथि पर गाँववालों को बतायी गयी थी, अभियोजन यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि क्यों अभियोक्त्री एवं उसके माता–पिता 23 दिनों तक चुप रहे। पीड़िता ने अभिकथित रूप से अपीलार्थी द्वारा उसको लिखे गए प्रेम पत्र को प्रस्तुत किया था और उन प्रेम पत्रों को प्रदर्श चिन्हित किया गया है। उन पत्रों के विषयवस्तु के पठन पर यह प्रकट होगा कि अभियोक्त्री का किसी अन्य लड़के के साथ भी कुछ संबंध था जिस पर इन पत्रों को लिखने वाला आपत्ति कर रहा था और उस कारण कुछ समय से उनके बीच का संबंध कटु हो गया था। यह अभियोजन मामले का एक अन्य पहलू है जो पीड़िता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वह पूरी निष्पक्षता के साथ नहीं आयी है और इस प्रकार पीड़िता का बयान महत्वहीन है एवं विश्वास योग्य नहीं हैं जो दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने के लिए पर्याप्त हो।

पाँचवाँ बिंदु पीड़िता की आयु है जिसके आधार पर विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है। पीड़िता एवं उसके माता–पिता के बयान के अनुसार, वह स्थानीय विद्यालय की छात्रा थी किंतु उसकी आयु सिद्ध करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा उसके जन्मतिथि को प्रकट करने वाला प्रवेश रजिस्टर अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अभियोक्त्री ने किसी घटना की तिथि अथवा घटना स्थल को प्रकट नहीं किया है जब रिपोर्ट की गयी घटना की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक 22.8.2001 के पूर्व अपीलार्थी द्वारा उसे बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। डॉक्टर ने दिनांक 14.9.2001 को पीड़िता की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच होने का मत दिया है। अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियाँ और अभियोक्त्री का स्वीकरण सुझाता है कि यदि अभियोक्त्री और अपीलार्थी के बीच यौन संबंध था, यह सहमति से था। यदि डॉक्टर द्वारा दिया गया आयु का उच्चतर पक्ष लिया जाता है, अभियोक्त्री घटना की तिथि पर 16 वर्ष से अधिक आयु की थी। इस अवसर पर मैं पुनः अपना संप्रेक्षण अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य संदेहमुक्त नहीं है और महत्वपूर्ण विरोधाभासों एवं अतिशयोक्ति से पीड़ित है। यदि स्वयं पीड़िता का साक्ष्य विश्वासयोग्य नहीं है; उसकी आयु कि क्या वह 16 वर्ष की आयु से कम या ज्यादा थी का कोई महत्व नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है। परिस्थितियों के अधीन, दोषसिद्धि संपोषित नहीं की जा सकती है।

9. पहले के पैराग्राफों में इस न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण **AIR 2010 SC Page 392 (सुनील बनाम हरियाणा राज्य); 2013 (9) SCC Page 113 (कैनी रंजन बनाम केरल राज्य); AIR 2007 SC Page 155 (रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य); 2002 (3) JCR-90 (Jhr.) (मंजर इमाम बनाम बिहार राज्य)** और **2003 (3) East Cr. Cases 1958 (Pat) (कुर्बान मियाँ उर्फ मो॰ कुर्बान बनाम बिहार राज्य)** एवं अन्य मामलों में निर्णय से कमोबेश समर्थन पाता है।

10. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में, सत्र विचारण सं॰ 624 वर्ष 2002/विचारण सं॰ 81 वर्ष 2003 में ए॰ जे॰ सी॰ (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ VIII) द्वारा पारित दिनांक 24.2.2004 का निर्णय एवं दिनांक 28.2.2004 का दोषसिद्धि का आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो जमानत पर है को जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है।

तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

मनोवर अंसारी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 729 of 2013. Decided on 4th August, 2014.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007—नियम 12—किशोर का दावा—याची के पिता ने कथन किया है कि याची की जन्मतिथि दिनांक 5.8.1994 है—चूँकि कागजातों एवं विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टि के संबंध में संदेह है, अवर न्यायालय को मेडिकल बोर्ड गठित करके याची की आयु के संबंध में मेडिकल मत इप्सित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—Mr. Rajesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Suchendra Prasad, For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन जाँच सं॰ 1 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 5.6.2013 के आदेश/निर्णय के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा याची द्वारा स्वयं को किशोर घोषित करवाने के लिए दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची को किशोर घोषित करवाने के लिए अवर न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी क्योंकि वह घटना की अभिकथित तिथि पर अर्थात् दिनांक 25.5.2011 को लगभग 17 वर्ष की आयु का था और जामिया शाहगंजपीर विद्यालय, भागलपुर द्वारा जारी विद्यालय प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि दिनांक 5.8.1994 के रूप में उल्लिखित की गयी है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 (संक्षेप में जे॰ जे॰ नियमावली) का नियम 12 विहित करता है कि किशोर की आयु विनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा जाँच संचालित किया जाना है; प्रथमत:, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, पर विचार करना होगा; उसकी अनुपस्थिति में (प्ले स्कूल से भिन्न) विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसकी अनुपस्थिति में निगम द्वारा अथवा किसी अन्य प्रमाणपत्रित प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए और यदि दस्तावेज के संबंध में संदेह है, तब सम्यक रूप से गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मत इप्सित किया जा सकता है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य का अधिमूल्यन नहीं किया है कि कि जाँच के दौरान ई॰ डब्ल्यू॰ 2, जामिया शाहगंजपीर विद्यालय, भागलपुर के प्राचार्य ने अभिसाक्ष्य दिया था कि रजिस्टर में याची की आयु दिनांक 5.8.1994 के रूप में उल्लिखित की गयी है और इ॰ डब्ल्यू॰ 3 याची के पिता ने भी कथन किया था कि याची की जन्मतिथि दिनांक 5.8.1994 है; कि जामिया शाहगंज पीर विद्यालय भागलपुर के प्रवेश रजिस्टर से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें याची की जन्मतिथि दिनांक 5.8.1994 के रूप में उल्लिखित की गयी है। इस प्रकार, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद है कि याची घटना की तिथि पर अर्थात् दिनांक 25.5.2011 को लगभग 17 वर्ष की आयु का था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यदि अवर न्यायालय दस्तावेजों पर

विश्वास नहीं करता था, तब निगम 12 (3) (b) के प्रावधान के निबंधनानुसार मेडिकल मत इप्सित करने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि उक्त मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है और जाँच के दौरान यह दर्शाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उक्त मदरसा समक्ष प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त था, अतः, विद्वान अवर न्यायालय ने तद्नुसार सही प्रकार से याची की प्रार्थना अस्वीकार किया है।

6. आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि याची के पिता ने कथन किया है कि याची की आयु दिनांक 5.8.1994 है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 का नियम 12 (3) किशोर की आयु विनिश्चित करने के लिए जाँच की प्रक्रिया अनुबंधित करता है जो निम्नलिखित है:–

^^12. (3) fofèk dk mYy?ku dju oky fdlh ckyd ;k fd'kksj l lcfèkr çR;d ekeys e] U;k;ky; }kjk ;k ckM }kjk ;k ;FkkfLFkfr dfefV }kjk fuEufyf[kr pht çkIr djd lk{; dh bllk djd vk; fuèkkj.k tkp djk; tk;xh&

(a) (i) ;fn miyCèk gk efVdy'ku ;k led{k çek.k i= rFkk bldh vuifLFkfr e

(ii) igyh ckj ço'k fy, x, fo|ky; ¼ly Ldy l fHkUu½ l tUefrfFk çek.k i=] rFkk bldh vuifLFkfr e

(iii) fuxe ;k uxjikfydk çkfèkdkj ;k ipk;r }kjk fn;k x;k tUe çek.k i=

*(b) rFkk dyo [kM (a) d (i), (ii) ;k (iii) dh vuifLFkfr e] lE;d :i l xfBr efMdy ckM l fpfdRlh; er çkIr fd;k tk;xk] tk fd'kksj ;k ckyd dh vk; fuèkkfjr djxkA lVhd fuèkkj.k u fd; tkus dh n'kk e] U;k;ky; ;k ckM ;k ;FkkfLFkfr dfefV mud }kjk vfHkfyf[kr fd, tkus oky dkj.kk l vxj vko';d le>] ,d o"k dh ekftus d Hkhrj fuEurj i{k ij mldk@mldh vk; ij fopkj djd ckyd ;k fd'kksj dk ykHk n ldxk] rFkk ,l ekey e vkn'k ikfjr djr g, ,l lk{; tk miyCèk gk ;k fpfdRlh; er ;FkkfLFkfr] ij fopkj dju d ckn mldh vk; d lcèk e fu"d"k vfHkfyf[kr djxk rFkk [kM (a), (i), (ii) rFkk (iii) e fofufn"V dkb lk{; ;k bldh vuifLFkfr e [kM (b) fofèk dk mYy?ku dju oky ,l ckyd ;k fd'kksj d lcèk e vk; dk fu'pk;d çek.k gkxkA***

यह भी पता चलता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने ई॰ डब्ल्यू॰ 2 प्राचार्य पर अविश्वास किया है क्योंकि प्राचार्य ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. चूँकि कागजात एवं प्रविष्टि के संबंध में संदेह है, विद्वान अवर न्यायालय को मेडिकल बोर्ड गठित करके याची की आयु के संबंध में मेडिकल मत इप्सित करने का निर्देश दिया जाता है। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सह–सिविल सर्जन को इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर याची की आयु विनिश्चित करने का निर्देश देंगे।

8. उक्त निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ वर्तमान आवेदन एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

9. इस आदेश की प्रति फैक्स द्वारा संसूचित की जाए यदि याची द्वारा व्यय जमा किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

गोल्ड मोहर फूड्स एन्ड फीड्स लिमिटेड एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 817 of 2007. Decided on 30th July, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 418—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल–कंपनी द्वारा अपराध–कंपनी के निदेशकों का दायित्व–किसी व्यक्ति को छल का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए यह दर्शाना आवश्यक है कि वादा करते समय पर उसका कपटपूर्ण अथवा गैर ईमानदार आशय था–बाद में वादा पूरा करने में विफलता मात्र, आरंभ में ही ऐसा सदोषपूर्ण आशय, जब वादा किया गया था, उपधारित नहीं किया जा सकता है–पक्षों के बीच व्यवसायिक संव्यवहार था–परिवादी याचीगण का वितरक था और पक्षों के बीच व्यवसाय सुगमतापूर्वक चल रहा था, सिवाए इस अभिकथन के कि नवंबर, 2003 में और फरवरी तथा मार्च, 2005 के माह में भी निम्नस्तरीय, बेकार एवं जहरीले फीड्स की आपूर्ति कंपनी द्वारा की गयी थी जिस कारण परिवादी धनीय हानि से पीड़ित हुआ–यदि याचीगण के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने के लिए वह मुख्य वाद हेतुक था, इसे स्वयं वर्ष 2003 में अथवा वर्ष 2005 में दाखिल किया जाना चाहिए था किंतु उन अवधियों के दौरान न्यायालयों में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी–परिवाद एन॰ आई॰ एक्ट की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए याचीगण से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु के साथ द्वेषपूर्वक दाखिल किया गया है–दोनों पक्षों के बीच धनीय दावा के संबंध में विवाद है जो भी मुख्यतः सिविल प्रकृति का विवाद बनाता है–भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान नहीं होने के कारण याचीगण को उनके विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष अभिकथन जो संपूर्ण परिवाद याचिका में नहीं है की अनुपस्थिति में कंपनी द्वारा अभिकथित रूप से किए गए किसी अपराध के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है–याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया एवं न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–इस प्रकार, इसे अभिखंडित करने के लिए यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का सुयोग्य मामला है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित।

(पैराएँ 16 से 19)

निर्णयज विधि.–(2008) 5 SCC 668; (2013) 6 SCC 740; 1992 Supp (1) SCC 335; 2000 (3) Supreme 13; (2012) 3 SCC 132—Referred; (2006) 6 SCC 736—Applied.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Rajesh Kumar, P.A.S. Pati, For the Petitioners; M/s Mukesh Kumar, For the State; M/s Rahul Kumar, For the Opp. Party No.2.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—याचीगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान सुने गए।

2. याचीगण परिवाद मामला सं॰ 1451 वर्ष 2006 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी श्री आर॰ एस॰ मिश्रा द्वारा पारित दिनांक 11.5.2007 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 418 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है और उनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया गया है। याचीगण ने उक्त परिवाद मामले में उनके विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. यह कथन किया जा सकता है कि पहले दिनांक 16.8.2010 के आदेश द्वारा इस आवेदन को अवर न्यायालय में विचारण का सामना करने के लिए उपस्थित होने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। किंतु उक्त आदेश तकनीकी आधार पर और न कि गुणागुण पर पारित किया गया था जिसे याचीगण द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एस॰ एल॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 9077 वर्ष 2011 से उद्भूत होने वाली दांडिक अपील सं॰ 1009 वर्ष 2014 में चुनौती दी गयी थी। उसमें पारित दिनांक 29.4.2014 के आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.8.2010 के आदेश को अपास्त कर दिया है और इस न्यायालय को गुणागुण पर मामला विनिश्चित करने के लिए कहा है। इस प्रकार, यह आवेदन पुनः मेरे समक्ष विचाराधीन है।

4. याचीगण के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला सं॰ 1451 वर्ष 2006 दाखिल किया गया था। याची सं॰ 1 जानवरों के भोजन निर्माण के काम में लगी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है। याची सं॰ 2, 3 और 4 को उक्त कंपनी में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में वर्णित किया गया है जबकि याची सं॰ 5 को परिवाद याचिका में कंपनी के बिजनेस हेड के रूप में वर्णित किया गया है। किंतु, इस आवेदन में याची सं॰ 2 और 3 द्वारा इसे विवादित किया गया है और यह कथन किया गया है कि वे केवल कंपनी के अंशकालिक निदेशक हैं और वे कंपनी की दैनिक व्यवसाय गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

5. परिवाद याचिका में यह कथन किया गया है कि परिवादी फर्म पॉल्ट्री बिजनेस के काम में लगी हुई थी जिसकी शाखाएँ हजारीबाग, जमशेदपुर एवं धनबाद में थी। अभियुक्त कंपनी वितरक खोज रही थी और वे परिवादी के पास आए और परिवादी को कैश एन्ड कैरी आधार पर वितरक बनने का प्रस्ताव दिया। यह अभिकथित किया गया है कि कंपनी के तत्कालीन विक्रय अधिकारी अर्थात् श्री बी॰ पात्रा ने परिवादी को सूचित किया कि यद्यपि कंपनी कोई नगद प्रतिभूति/बैंक गारंटी, आदि नहीं चाहती थी, किंतु वे इच्छुक थे कि परिवादी वितरक बनने के लिए प्रतिभूति के रूप में कम से कम तीन रिक्त आदिनांकित चेक जमा करे जिन्हें तद्नुसार दिनांक 13.7.2000 को कंपनी को सौंपा गया था और कंपनी ने इसे प्राप्त किया था। तत्पश्चात् परिवादी को कंपनी के वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था और कंपनी के साथ व्यवसाय सुगमतापूर्वक एवं किसी पक्ष की ओर से किसी विवाद के बिना चल रहा था सिवाए इसके कि परिवादी द्वारा चेक मांगा गया था किंतु उन्हें वापस लौटाया नहीं गया था। यह अभिकथित किया गया है कि नवंबर, 2003 में कंपनी द्वारा गलत आपूर्ति की गयी थी जिससे चूजों में मृत्यु तथा अविकास कारित हुआ जो उपयोगकर्ताओं के लिए विनाशकारी एवं हानिकारक सिद्ध हुई। परिवाद पर कंपनी ने डॉक्टर के साथ पोल्ट्री फार्मों का दौरा किया और उन्होंने परिवादी द्वारा वहन की गयी 38,00,000/- रुपयों की हानि को अभिस्वीकृत किया और इसे समायोजित करना स्वीकार किया किंतु क्षतिपूर्ति नहीं की गयी थी। यह

अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात् कंपनी ने कठोर रुख दर्शाया और देर से और कभी–कभार कम आपूर्ति भेजने लगा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि फरवरी और मार्च माह में अभियुक्त ने पुनः परिवादी को खराब एवं जहरीला परेषण भेजा जिसके परिणामस्वरुप परिवादी 1,20,00,000/- रुपयों की हानि से पीड़ित हुआ और पुनः कंपनी परिवादी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ। परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है कि मई, 2005 तक परिवादी को अभियुक्त कंपनी के विरुद्ध 1,58,00,000/- रुपयों का स्वीकृत दावा था जिस पर कंपनी एक बार में 38,00,000/- रुपयों का भुगतान करने और एक वर्ष की अवधि के भीतर अवधिकालिक तरीके से 1,20,00,000/- रुपयों का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। चूँकि कंपनी ने परिवादी को क्षतिपूर्ति नहीं किया था, परिवादी जून, 2005 के बाद अभियुक्त के साथ व्यवसाय रोकने के लिए मजबूर हो गया था। परिवाद याचिका में आगे यह कथन किया गया है कि परिवादी ने बार–बार कंपनी से तीन चेकों को लौटाने का अनुरोध किया जिन्हें प्रतिभूति के रूप में दिया गया था, किंतु इन्हें वापस नहीं किया गया था और अंततः परिवादी ने कंपनी से दिनांक 21.8.2006 का कानूनी नोटिस प्राप्त किया जिसमें उसे सूचित किया गया था कि 1,38,99,900/- रुपयों की राशि के दो चेकों का अनादर कर दिया गया था। यह अभिकथित करते हुए कि अभियुक्त परिवादी के 1,58,00,000/- रुपयों के मूल्य के दावा की ऋणी थी और केवल अपने दायित्वों से बचने के लिए और अपने विरुद्ध दावा को शांत करने के लिए परिवादी के साथ छल करने के लिए चेकों को राशि भरने के बाद बैंक में जमा किया गया था और दिनांक 10.7.2006 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 406, 467, 468, 469 और 120B के अधीन अपराधों के लिए कंपनी एवं इसके पदधारियों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया था।

6. परिवादी के स्वत्वधारी का बयान सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज किया गया था और जाँच के चरण पर भी तीन गवाहों का बयान दर्ज किया गया था जिनके आधार पर कंपनी एवं इसके पदधारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 418 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया था और अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.5.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा समन जारी करने का निर्देश दिया गया था।

7. दांडिक अपील सं॰ 1009 वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.4.2014 का आदेश भी दर्शाता है कि याची कंपनी ने परिवादी के विरुद्ध बंगलोर के सक्षम न्यायालय में पी॰ सी॰ आर॰ सं॰ 18585 वर्ष 2008 दाखिल किया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के न्यायालय को अंतरित किया गया था। वर्तमान परिवादी ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विरुद्ध कंपनी द्वारा परिवाद मामला उन चेकों के अनादर के कारण एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दाखिल किया गया था। पी॰ सी॰ आर॰ सं॰ 18585 वर्ष 2006 में परिवाद याचिका अभिलेख पर लायी गयी है जो दर्शाती है कि इसे दिनांक 12.10.2006 को दाखिल किया गया था जबकि वर्तमान परिवाद मामला परिवादी विरोधी पक्षकर सं॰ 2 द्वारा दिनांक 17.10.2006 को दाखिल किया गया था अर्थात् बंगलोर में परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विरुद्ध एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद मामला दाखिल किए जाने के काफी नजदीक।

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतः अवैध है, क्योंकि परिवाद याचिका स्पष्टतः दर्शाएगी कि पक्षों के बीच व्यवसायिक संव्यवहार था और भले ही परिवाद याचिका में किए गए संपूर्ण अभिकथनों को उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है, यह प्रकट है कि पक्षों के बीच विवाद शुद्धतः सिविल प्रकृति का है क्योंकि दोनों पक्षों का मुख्यतः एक–दूसरे के विरुद्ध धनीय दावा है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण के विरुद्ध

कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है और याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी स्थिति में याची सं॰ 2 से 5 जो कंपनी के निदेशकगण एवं पदधारी हैं के विरुद्ध कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुख्य व्यक्ति अर्थात् तत्कालीन विक्रय अधिकारी श्री बी॰ पात्रा जिसके साथ परिवादी ब्यौहार कर रहा था को वर्तमान मामले में पक्ष नहीं बनाया गया है और अपराध, यदि हो, केवल कंपनी और श्री बी॰ पात्रा के विरुद्ध बनाया जा सकता है और न कि याची सं॰ 2 से 5 के विरुद्ध क्योंकि भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा केवल एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए परिवादी के विरुद्ध दाखिल मामले के विरोध के रूप में अंतरस्थ एवं द्वेषपूर्ण हेतु के साथ परिवाद दाखिल किया गया है और इस आधार पर भी परिवाद अभिखंडित किए जाने योग्य है।

9. अपने प्रतिवाद के समर्थन में कि भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान नहीं होने के नाते याची सं॰ 2 से 5 के विरुद्ध अपराध नहीं बनाया जा सकता है, विद्वान अधिवक्ता ने **मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2008)5 SCC 668,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"13. tgk nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 200 ;k èkkjk 156 (3) d fucèkuku lkj nkf[ky ifjokn ;kfpdk ij vfèkdkfjrk dk ç;kx fd;k tkrk g] nMkfèkdkjh dk viu food dk bLreky dju dh vko';drk gA* ***nM lfgrk diuh d çcèk fun'kd vFkok fun'kdk dh vkj l çfrufèkd nkf;Ro lc) dju d fy, dkbZ çkoèkku vrfo"V ugh djrh g tc diuh vfHk;Dr gA*** *fo}ku nMkfèkdkjh Lo; l Igh ç'u iNu e foQy jg vFkkr fd D;k ifjokn ;kfpdk] Hky gh bl T;k dk R;k Lohdkj fd;k tk, vkj bldh li.krk e Igh ekuk tk,] bl fu"d"k dh vkj y tk,xh fd oreku çR;FkhZx.k 0;fDrxr :i l fdlh vijkèk d nk;h FkA* ***çcèk fun'kd ,o fun'kd dk çfrufèkd nkf;Ro mnHkr gkxk c'krZ lfofèk e ml fufeZk dkbZ çkoèkku fo|eku gA lfofèk;k dk fufooknrk ,l çfrufèkd nkf;Rok dk fu;r dju okyk çkoèkku vrfo"V djuk gkxkA mDr ç;ktu l Hkh] vè;if{kr vfHkdFku djuk ifjoknh dh vkj l ckè;dkjh g tk çfrufèkd nkf;Ro xfBr dju oky çkoèkku vkÑ"V djxkA***
> *(tkj fn;k x;k)*

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **चंद्रन रत्नास्वामी बनाम के॰ सी॰ पलानीसामी एवं अन्य, (2013)6 SCC 740,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें कंपनी की अचल आस्तियों को अंतरित करने के संबंध में पक्षों के बीच संयुक्त जोखिम करार से उद्भूत विवाद था जिसे अंतत: कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा और अपील में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया गया था किंतु प्रत्यर्थी आर्थिक अपराध विंग के पास गया, जिसने परिवाद ग्रहण करने से इनकार कर दिया और तत्पश्चात उसने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद दाखिल किया, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रकृति के थे, जिन्हें अंतत: सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कंपनी लॉ बोर्ड और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया था, और दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए, न्याय के उद्देश्य से ऐसी कार्यवाही अभिखंडित कर दी जानी चाहिए (पैराग्राफ 57, 59 और 60)। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य एवं**

अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 Supp (1) SCC 335, में निर्णय सहित अपने पूर्व निर्णयों को विचार में लिया था जिसमें मामलों की कतिपय कोटियों को संगणित किया गया था जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय का उद्देश्य सुरक्षित करने के लिए प्राथमिकी अथवा परिवाद को अभिखंडित करने के लिए किया जा सकता था जो निम्नलिखित हैं:–

"102 (1) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku] Hky gh mUg T;k dk R;k Lohdkj fd;k tkrk g vkj mudh li.krk e Lohdkj fd;k tkrk g] çFke n"V;k dkb vijkèk xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

xxx xxx xxx

*(7) tgk nkfMd dk;okgh Li"V :i l vlnHkkoi.k g vkj@vFkok tgk vfHk;Dr l çfr'kkèk yu d fy, vkj futh n'euh d dkj.k mldk viekfur dju dh nf"V l vrjLFk gr d lkFk }"kiod lfLFkr dh x;h gA***

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे **हृदय रंजन प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, 2000 (3) Supreme 13,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में 'छल' की परिभाषा स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"15. ç'u fofuf'pr djr g, ;g è;ku e j[kuk gkxk fd lfonk d Hkx ek= vkj Ny d vijkèk d chp lLi"V fHkUurk gA ;g mRij.k d le; vfHk;Dr d bjkn ij fuHkj djrk g ftl mld i'pkrorh vkpj.k }kjk tkpk tk ldrk g fdr ;g i'pkrorh vkpj.k ,dek= ijh{kk ugh gA ***lfonk dk Hkx ek= Ny d fy, nkfMd vfHk;ktu mnHkr ugh dj ldrk g tc rd l0;ogkj d vkjHk e gh vFkr ml le; tc vijkèk fd;k tkrk crk;k tkrk g] diVi.k vFkok xjbekunkj vk'k; n'kk;k ugh tkuk gA vrk] vk'k; vijkèk dk lkj gA fdlh 0;fDr dk Ny d vijkèk dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;g n'kkuk vko';d g fd mldk oknk dju d le; ij diVi.k vFkok xj bekunkj vk'k; FkkA ckn e oknk ijk dju e mldh foQyrk ek= l vkjHk e gh tc mlu oknk fd;k Fkk ,lk lnk"ki.k vk'k; mièkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA***

16. mij xkj fd, x, fl)krk dh dlkVh ij tkp tku ij----------ekeyk gfj;k.kk jkT; ,o vU; cuke Hktuyky ,o vU; (Åij) e lxf.kr ekeyk dh çFke dkfV e vkrk g vkj bl çdkj ble U;k;ky; dk gLr{ki vi{k.kh; gA ifjokn e fd, x, çdFkuk dk li.krk e iBu dju ij vkj vfHkdFkuk dk lR; Lohdkj djr g,] ***l0;ogkj d fy, ckrphr d vkjHk e gh vfHk;Dr dh vkj l vk'k;i.k çopuk d vo;ok dk u rk ifjokn e vfHk0;Dr :i l dfFkr fd;k x;k g vkj u gh l>k;k x;k gA---------,lh fLFkfr e vfHk;Dr d fo#) nkfMd dk;okgh tkjh j[kuk gekj lfopkfjr nf"Vdk.k e U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;lx gtxkA mPp U;k;ky; blh vkèkkj ij ifjokn ,o vkjHk dh x;h dk;okgh vfHk[kfMr dju l budkj dju e lgh ugh FkkA***** *(tkj fn;k x;k)*

12. इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षों के बीच मुख्यत: सिविल विवाद होने के नाते जिसमें दोनों पक्षों का एक–दूसरे के विरुद्ध धनीय दावा है, और इस तथ्य की दृष्टि में भी कि याची सं॰ 2 से 5 के विरुद्ध प्रतिनिधिक दायित्व नहीं है और संव्यवहार के आरंभ में कपटपूर्ण आशय नहीं होने के चलते और इस तथ्य की दृष्टि में कि एन॰ आई॰ एक्ट की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए याचीगण से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु के साथ द्वेषपूर्वक परिवाद दाखिल किया गया है, अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध है और याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए यह सुयोग्य मामला है।

13. समानांतर स्तंभ में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने और परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है, क्योंकि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथन और सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज परिवादी के बयान और जाँच के चरण पर दर्ज किए गए गवाहों के बयान के आधार पर याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण का कपटपूर्ण आशय था जिस कारण परिवादी को भारी नुकसान कारित करते हुए परिवादी को निम्नस्तरीय फीड्स भेजा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने **भारतीय तेल निगम बनाम एन॰ ई॰ पी॰ सी॰ इंडिया लि॰ एवं अन्य, (2006)6 SCC 736,** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास किया है जिसमें भी दो कंपनियों के बीच व्यवसायिक संव्यवहार था। मामले के तथ्यों में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *"15. bl ekey d rF;k ij vkr g,] fu"kIng ;g lR; g fd vkbO vkO lhO u viu fgrk dh lj{kk dju d fy, vkj cdk;k jkf'k oly dju d fy, vud flfoy dk;okgh vkjHk fd;k gA---------; ÑR; n'kkr g fd fofèk e flfoy mipkj miyCèk Fk vkj g rFkk Hkkjrh; ry fuxe u ,l mipkj dk voyEc fy;k gA ij mlI ;g fu"d"k ugh fudyrk g fd nkfMd fofèk mipkj oftr g vFkok vkbO vkO lhO dk ,lk mipkj bfllr dju l jkdk x;k gA***

14. विद्वान अधिवक्ता द्वारा **ली॰ कुन ही, अध्यक्ष, सैमसंग कॉरपोरेशन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012)3 SCC 132,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें भी उस मामले के तथ्यों में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *"73. ....gekjk lfopkfjr er g fd leu dju oky vkn'k d vèkhu vuè;kr çÑfr d vijkèkk e flfoy nkf;Ro d lkFk nkfMd nkf;Ro gk ldrk gA* ***Ny d ÑR; }kjk i{k dk ftl pht l ofpr fd;k x;k g] flfoy dkjokb d ekè;e l mldk nkok fd;k tk ldrk gA Ny d ÑR; l lkeu vku oky çopuk d :i e budkj ij vkèkkfjr ogh opu nkfMd nkf;Ro Hkh vkÑ"V djxkA nkfMd vfHk;ktu d Øe e] ifjoknh vfHk;Dr dh dkjokb d fy, ikjLifjd vurk"k bfllr ugh dj ldrk gA*** *tlk oreku ekey e g] fnukd 1.2.2001 d fofue; i= d vèkhu çfrQy dk nkok nkfMd dk;okgh e ugh fd;k tk ldrk g ftl vurk"k d fy, mipkj doy flfoy okn d ekè;e l gkxkA* ***vr% gekj fy, ;g Lohdkj djuk lHko ugh g fd pfd fnukd 1.12.2001 d djkj d vfHkdfFkr Hkx ij vkèkkfjr ifjoknh tO lhO bO dlyVUlh }kjk flfoy nkok mBk;k x;k***

g] bl nM lfgrk d vèkhu vfHk;Dr }kjk fd, x, vfHkdfFkr vijkèkk d fy, 'kkfLr ifj.kkek d fy, dk;okgh vkjHk dju l jkdk tk ldrk gA

*74. lnk"krk (;fn gk gh) doy fopkj.k U;k;ky; d le{k ijLij fojkèkh i{kk }kjk lk{; fn, tku d ckn lkeu vk,xhA oreku ekM ij ,dek= fu"d"k ft l fudkyu dh vko';drk g] ;g g fd vihykFkhx.k dh vkj l çpkfjr vfre fuonu d vkèkkj ij Hkh bl pj.k ij leu dju oky vkn'k dk vfHk[kfMr djuk lHko ugh gA----------** (tkj fn;k x;k)*

15. इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए यह निवेदन किया गया है कि भले ही पक्षों के बीच सिविल विवाद हो सकते हैं, किंतु उनके विरुद्ध अभिकथनों के आधार पर याचीगण के विरुद्ध छल का दांडिक अपराध भी बनता है और परिवादी विरोधी पक्षकार सं० 2 को दांडिक मामले में अग्रसर होने से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रकृति का भी है। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में भी विचारण में साक्ष्य दिए जाने के बाद याचीगण की सदोषता सामने आएगी।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामले में स्वीकृत रूप से पक्षों के बीच व्यवसायिक संव्यवहार था। परिवादी याचीगण का वितरक था और पक्षों के बीच व्यवसाय सुगमतापूर्वक चल रहा था सिवाए इस अभिकथन के कि नवंबर, 2003 में और फरवरी एवं मार्च, 2005 में भी कंपनी द्वारा अभिकथित रूप से निम्नस्तरीय, खराब एवं जहरीले फीड्स की आपूर्ति की गयी थी जिस कारण परिवादी धनीय हानि से पीड़ित हुआ था। यदि वह याचीगण के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने के लिए मुख्य वाद हेतुक था, इसे स्वयं वर्ष 2003 में अथवा वर्ष 2005 में ही दाखिल किया जाना चाहिए था किंतु उन अवधियों के दौरान न्यायालय में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। केवल एन० आई० अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए याची कंपनी द्वारा आरंभ की गयी कार्रवाई नोटिस परिवादी द्वारा प्राप्त करने के बाद और वस्तुत: दिनांक 12.10.2006 को बंगलोर के सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किए जाने के बाद परिवादी विरोधी पक्षकार सं० 2 द्वारा दिनांक 17.10.2006 को वर्तमान परिवाद दाखिल किया गया था। परिवादी की यह कार्रवाई स्पष्टत: दर्शाती है कि एन० आई० एक्ट की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए याचीगण से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु के साथ द्वेषपूर्वक परिवाद दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों को संपूर्णता में स्वीकार भी किया जाता है, यह स्पष्टत: दर्शाती है कि परिवादी याचीगण के विरुद्ध 1,58,00,000/- रुपयों का दावा कर रहा है जबकि परिवादी के विरुद्ध याचीगण का दावा 1,38,99,990/- रुपयों का है और दोनों पक्षों के बीच इन धनीय दावा के संबंध में विवाद है जो मुख्यत: सिविल प्रकृति का विवाद बनाता है और इस मामले के तथ्यों में यह प्रकट है कि मुख्यत: इस विवाद के लिए याचीगण के विरुद्ध वर्तमान परिवाद दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मैं याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि इस तथ्य की दृष्टि में कि यह नहीं कहा जा सकता है कि संव्यवहार के आरंभ में ही याचीगण की ओर से कोई कपटपूर्ण आशय था क्योंकि पक्षों के बीच व्यवसाय सुगमतापूर्वक चल रहा था किंतु विवाद केवल व्यवसाय के क्रम में उद्भूत हुआ, याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 418 के अधीन अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है। यह सुनिश्चित है कि किसी व्यक्ति को छल का दोषी अभिनिर्धारित

करने के लिए यह दर्शाना आवश्यक है कि वादा करने के समय पर उसका कपटपूर्ण अथवा गैरईमानदार आशय था। बाद में वादा पूरा करने में विफलता मात्र से आरंभ में ही ऐसे सदोषपूर्ण आशय, जब वादा किया गया था, उपधारित नहीं किया जा सकता है। विधि भी समान रूप से सुनिश्चित है कि भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान नहीं होने के नाते याची सं॰ 2 से 5 को उनके विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष अभिकथन की अनुपस्थिति में, जो संपूर्ण परिवाद याचिका में नहीं है, कंपनी द्वारा अभिकथित रूप से किए गए किसी अपराध का दोषी नहीं पाया जा सकता है।

17. मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, इस मामले के तथ्य याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से पूर्णत: आच्छादित हैं। **भारतीय तेल निगम के मामले (ऊपर)** में भी, जिस पर विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"13. ;|fi bl fook|d ij] 'k) r% flfoy fooknk dk nkfMd ekeyk e lifjofrr dju dh 0;olkf;d lfdy e c<rh çofÙk dk è;ku e yuk vko';d gA ;g Li"Vr% bl çpfyr èkkj.kk d dkj.k g fd flfoy fofèk mipkj vR;fèkd le; yr g vkj nunkjk@ØfMVjk d fgr dh lj{kk i;kIr :i l ugh djr gA ,l çofr vud ikfjokfjd fooknk e Hkh n[kh tk ldrh g tk vlèkk;] :i l fookgk@ifjokjk d VVu dh vkj y tkrh gA ;g èkkj.kk Hkh g fd ;fn fdlh 0;fDr dk fdlh çdkj l nkfMd vfHk;ktu e my>k fn;k tkrk g] rjUr lekèkku dh lHkkouk gkrh gA flfoy fooknk ,o nkok dk nkfMd vfHk;ktu d ekè;e l ncko ndj ly>ku d fdlh ç;kl dh funk dh tkuh pkfg, vkj bl fu#Rlkfgr djuk pkfg,A----------***

18. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, मैं पाता हूँ और अभिनिर्धारित करता हूँ कि पक्षों के बीच विवाद प्रथम दृष्टया एवं मुख्यत: सिविल प्रकृति का है जिसमें दोनों पक्षों का एक–दूसरे के विरुद्ध धनीय दावा है। मैं यह भी पाता हूँ कि संव्यवहार के आरंभ में कोई कपटपूर्ण आशय नहीं हो सकता था क्योंकि अनेक वर्षों से पक्षों के बीच सुगम व्यवसायिक संव्यवहार चल रहा था और केवल व्यवसाय के क्रम में विवाद उद्भूत हुआ। भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान नहीं होने के नाते, उनके विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष अभिकथन जो संपूर्ण परिवाद याचिका में नहीं है की अनुपस्थिति में याची सं॰ 2 से 5 के विरुद्ध अपराध नहीं बनाया जा सकता है। इनके अतिरिक्त, परिवाद एन॰ आई॰ एक्ट की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए याचीगण से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु के साथ द्वेषपूर्वक दाखिल किया गया प्रतीत होता है। तद्नुसार, याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का और न्यायालय की प्रक्रिया का भी घोर दुरुपयोग है और इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, यह इसे अभिखंडित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के लिए सुयोग्य मामला है।

19. तद्नुसार, परिवाद मामला सं॰ 1451 वर्ष 2006 में श्री आर॰ एस॰ मिश्रा, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 11.5.2007 का आक्षेपित आदेश और उक्त परिवाद मामला में याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही भी एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती है। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

सुरेन्द्र प्रसाद ठाकुर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 394 of 2014. Decided on 16th May, 2014.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धारा 53—सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान का दायित्व–दिनांक 15.11.2000 के पहले सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का दायित्व बिहार राज्य का होगा–याची ने अपने पेंशन की निर्मुक्ति के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया है–संचित जी॰ पी॰ एफ॰ पर ब्याज का दावा करने वाली रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 14 से 16)

निर्णयज विधि.–2006 (2) JCR 418 (Jhr); 2002 (1) JLJR 491; 2006 (4) JLJR 245; 2006 (3) JLJR 287; 2006 (2) JLJR 516; 2006 (1) PLJR 420—Discussed.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mr. Rajesh Shankar, For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश एवं श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–अप्रिल, 1997 और दिनांक 18.8.2013 की अवधि के बीच संचित जी॰ पी॰ एफ॰ की राशि पर सांविधिक दर पर ब्याज के भुगतान का दावा करते हुए याची इसके भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण पर परमादेश रिट जारी किए जाने के लिए इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची ने दिनांक 16.4.1975 को मुंसिफ के रूप में बिहार न्यायिक सेवा में पदग्रहण किया और उसे बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (b) (ii) के अधीन दिनांक 12.9.1996 के आदेश द्वारा सेवा से अनिवार्यत: सेवा निवृत्त कर दिया गया था। उसने अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 10110 वर्ष 1996 के तहत रिट याचिका दाखिल किया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.1998 को रिट याचिका खारिज कर दी गयी थी और विशेष अनुमति याचिका एस॰ एल॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 16164 वर्ष 1998 भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.1998 को खारिज कर दी गयी थी। इस बीच, ट्रेन यात्रा के दौरान, याची दिनांक 23.9.1998 को अपना संपूर्ण सेवा अभिलेख और जी॰ पी॰ एफ॰ कागजात खो बैठा और उसने जी॰ आर॰ पी॰ चित्तरंजन में दिनांक 23.9.1998 की स्टेशन डायरी प्रविष्टि सं॰ 477 वर्ष 1998 के तहत चोरी रिपोर्ट दर्ज किया। उसके द्वारा समस्त प्रासंगिक कागजातों को संग्रहित किए जाने के बाद याची सितंबर, 2004 में जी॰ पी॰ एफ॰ राशि की अंतिम निकासी के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू के पास आया और दिनांक 25.9.2004 के पत्र के तहत झारखंड उच्च न्यायालय को उसका आवेदन अग्रसारित किया गया था। चूँकि झारखंड उच्च न्यायालय के सृजन के पहले याची को सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उसका आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू को वापस भेजा गया था जिन्होंने इसे दिनांक 27.1.2005 के पत्र के तहत पटना उच्च न्यायालय को अग्रसारित किया। यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात याची पूर्वोक्त दावा के लिए पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास गया किंतु यह परिणामहीन रहा और इसलिए, उसने जी॰ पी॰ एफ॰ राशि का भुगतान उसको किए जाने के लिए पटना उच्च न्यायालय को स्मरण पत्र जारी करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू को दिनांक 7.8.2010 का पत्र लिखा। दिनांक 29.8.2011 के पत्र के तहत याची को संसूचित किया गया था कि चूँकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू का दिनांक 27.1.2005 का पत्र उच्च न्यायालय में प्राप्त नहीं किया गया है, उसे जी॰ पी॰ एफ॰ संचय की अंतिम निकासी के लिए नया आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। किंतु उसके पहले, झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने दिनांक 15.4.2011

के पत्र के तहत याची को सूचित किया कि झारखंड सरकार द्वारा उसकी पेंशन लाभों का भुगतान किया जाएगा और तद्नुसार, इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को भेजने के लिए उसके पेंशन कागजातों को दिनांक 29.11.2010 के पत्र के तहत झारखंड उच्च न्यायालय से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज को अग्रसारित किया गया था। तत्पश्चात्, याची ने इसे संबंधित प्राधिकारी, राँची को अग्रसारित करने के अनुरोध के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू के कार्यालय में जी॰ पी॰ एफ॰ राशि के भुगतान के लिए कागजातों को दाखिल किया। झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार–जनरल ने दिनांक 24.8.2011 के पत्र के तहत पुनः पेंशन कागजातों (डुप्लीकेट में) और जी॰ पी॰ एफ॰ निकासी आवेदन (ट्रिप्लीकेट में) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू को इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को अग्रसारित करने के लिए अग्रसारित किया। झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पुनः याची के पेंशन एवं सेवा निवृत्ति पश्चात लाभों से संबंधित मामले पर विचार करने के अनुरोध के साथ प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को दिनांक 21.12.2012 का पत्र लिखा। और अंत में, दिनांक 23.1.2013 के पत्र के तहत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने जी॰ पी॰ एफ॰ की अंतिम निकासी के लिए अनुमोदन प्रदान किया और तद्नुसार, जिला भविष्य निधि अधिकारी, डालटेनगंज (पलामू) ने दिनांक 19.8.2013 को 390908/- रुपयों की राशि के लिए आवश्यक भुगतान पर्ची जारी किया। तत्पश्चात्, याची ने जिला भविष्य निधि अधिकारी, डालटेनगंज के माध्यम से उपायुक्त, डालटेनगंज को संबोधित दिनांक 18.9.2013 एवं 7.11.2013 के पत्र के तहत अप्रील, 1997 से 18.8.2013 तक 390908/- रुपयों की राशि पर ब्याज के भुगतान का दावा किया। इन तथ्यों में, याची जी॰ पी॰ एफ॰ राशि पर ब्याज का भुगतान इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन ने निवेदन किया कि चूँकि जी॰ पी॰ एफ॰ की राशि अप्रिल, 1997 से दिनांक 18.8.2013 तक प्रत्यर्थीगण के पास पड़ी हुई थी, याची उक्त अवधि के लिए 390908/- रुपयों की राशि पर ब्याज के भुगतान का हकदार है। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7391 वर्ष 2006 में दिनांक 7.5.2007 के आदेश पर एवं डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4557 वर्ष 2000 में दिनांक 4.12.2001 के आदेश पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि 16 वर्ष का अत्यधिक विलंब हुआ है जिसके बाद याची को जी॰ पी॰ एफ॰ राशि का भुगतान किया गया था, वह उक्त अवधि के लिए ब्याज का हकदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा अभिलेख को फिर से बनाने के बाद उसने सितंबर, 2004 में जी॰ पी॰ एफ॰ की अंतिम निकासी के लिए आवेदन दिया किंतु प्रत्यर्थीगण की ओर से ढिलाई के कारण अंतिम भुगतान केवल दिनांक 19.8.2013 को किया जा सका था और इसलिए, जी॰ पी॰ एफ॰ राशि पर सांविधिक ब्याज याची को भुगतेय होगा। याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया: 2006 (4) JLJR 245; 2002 (1) JLJR 491; 2006 (3) JLJR 287; 2006 (2) JLJR 516; **2006 (2) JCR 418 (Jhr.);** 2008 (3) JLJR 149.

4. श्री राजेश शंकर, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता, ने याची के दावा का प्रतिरोध किया और निवेदन किया कि याची की ओर से अत्यधिक विलंब एवं ढिलाई हुई है और केवल इस आधार पर रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है। यह निवेदन किया गया है कि याची, जिसे बिहार न्यायिक सेवा से दिनांक 12.9.1996 को सेवा से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया था, झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका पोषित नहीं कर सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि झारखंड राज्य द्वारा याची को उसकी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया है, बिहार पुनर्गठन

अधिनियम, 2000 की धारा 53 सह-पठित अनुसूची VIII के अधीन सांविधिक प्रावधान की दृष्टि में, नियत तिथि अर्थात् दिनांक 15.11.2000 के पहले अधिवर्षित होने वाले कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का दायित्व बिहार राज्य का होगा और इसलिए, याची अधिकार बतौर प्रत्यर्थी झारखंड राज्य से ब्याज के भुगतान का दावा नहीं कर सकता है भले ही यह पाया गया है कि जी॰ पी॰ एफ॰ राशि पर ब्याज उसको भुगतेय है।

5. हमने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. स्वीकृत रूप से, याची ने दिनांक 16.4.1975 को मुंसिफ के रूप में बिहार न्यायिक सेवा में पदग्रहण किया और उसे दिनांक 12.9.1996 को पटना उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसरण में सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया था। उस समय जब याची ने सेवा ग्रहण किया और उस समय भी जब उसे सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया था, याची पटना उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत कार्यरत था और वह बिहार राज्य का कर्मचारी था। याची, जब वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में पलामू में पदस्थापित था, स्थान जो अब झारखंड उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है, को दिनांक 12.9.1996 को सेवा से अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किया गया था और वह सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 10110 वर्ष 1996 में पटना उच्च न्यायालय, पटना पीठ के सम्मुख आया था, यद्यपि उस समय पटना उच्च न्यायालय का राँची में सर्किट पीठ था।

7. सितंबर, 2004 में, याची ने जी॰ पी॰ एफ॰ संचय की अंतिम निकासी के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू को आवेदन दिया और इसे दिनांक 27.1.2005 के पत्र के तहत पटना उच्च न्यायालय को अग्रसारित किया गया था और तत्पश्चात् याची को पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल से संपर्क करता हुआ कहा गया है। किंतु, जब कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, याची ने पटना उच्च न्यायालय को स्मरण पत्र जारी किए जाने के लिए दिनांक 7.8.2010 के पत्र के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू से पुन: अनुरोध किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याची जागरुक था कि उसके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान बिहार राज्य द्वारा किया जाएगा। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में दायित्व पर धारा 53 के अधीन विचार किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *"53. **i'ku-**&i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e fcgkj d fo|eku jkT; dk nkf;Ro bl vfèkfu;e dh vkBoh vulph e vrfo"V çkoèkku d vu#i fcgkj ,o >kj[kM d mÙkjthoh jkT;k d chp lØkr gkxk vFkok çHkkftr fd;k tk,xkA***

8. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की आठवीं अनुसूची निम्नलिखित है:-

> *i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHk d çHkktu d lcèk e nkf;rk dk çHkktu*
>
> *(1) ijk 3 e of.kr fd; x; lek;ktuk d vè;èkhu] çR;d mÙkjorh jkT; fu;r fnu d igy LohÑr i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk dk Hkxrku viu&viu dk"kkxkj l djxA*
>
> *(2) mDr lek;ktuk d vè;èkhu] fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e lokjr vfèkdkfj;k d i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d Hkxrku dh nkf;rk fcgkj jkT; dh gkxh] tk fu;r fnu d igy lokfuoÙk gkr g ;k lokfuofÙk dh r;kjh djr g, vodk'k ij tkr g] ij ftud i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d nko fu;r fnu d Bhd igy cdk;k gA*

(3) mDr lek;k tuk d vè;èkhu] l{ke çkfèkdkjh }kjk , l i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk dh etjh mu ekeyk e nh tk ldxh ftue mud dk;ky; >kj[k.M jkT; dk vfèkdkfjrk d vrxr vkr gA

(4) fu;r fnu l çkjHk gku rFkk ml foÙkh; o"k d 31 ekp dk lekIr gku okyh vofèk d lcèk e rFkk çR;d i'pkrorh foÙkh; o"k d lcèk e ijk 1 rFkk 2 e fufn"V i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e mÙkjorh jkT;k e fd;k x;k dy Hkxrku rFkk i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk d lEcUèk e fo|eku fcgkj jkT; dh nkf;rk 0;Dr dju okyh dy jkf'k dk çHkk tu çR;d mÙkjorh jkT; d depkfj;k dh l[;k d vuikr e fd;k tk;xk rFkk viu cdk; l vfèkd dk Hkxrku dju oky çR;d mÙkjorh jkT; dh vfrjd jkf'k dh çfrifr mÙkjorh jkT; ;k de jkf'k dk Hkxrku dju oky jkT; }kjk dh tk;xhA

(5) fu;r fnu l igy LohÑr rFkk fo|eku jkT; d {k=kfèkdkj d ckgj fudkl h dh x;h i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e fo|eku fcgkj jkT; dh nkf;rk ijk 3 d vu:i fd; tku oky lek;k tu d vè;èkhu Hkxrku dju dh nkf;rk fo|eku fcgkj jkT; dh gkxh ekuk , lk i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHk ijk 1 d vèkhu fcgkj jkT; e fdl h dk"kkxkj e fudkl h dh x;h gkA

(6) fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e fu;r fnu d Bhd igy lokjr rFkk ml frfFk ;k ml d mijkr lokfuoÙk gku oky fdl h vfèkdkjh d i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e nkf;rk ml i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHkk d lcèk e nkf;rk ml i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHk çnku dju oky mÙkjorh jkT; dh gkxh ij fo|eku fcgkj jkT; d dk;dyki d lcèk e fu;r fnu d igy , l vfèkdkjh dh lok d dkj.k n; i'ku rFkk vU; lokfuofÙk ykHk oky Hkkx dk foHkk tu mÙkjorh jkT;k d chp tul[;k d vuikr e fd;k tk;xk rFkk i'ku ,o vU; lok fuofÙk çnku dju okyh ljdkj bl nkf;rk d viu Hkkx dk mÙkjorh jkT; l çkIr dju dh gdnkj gkxhA

(7) i'ku rFkk vU; lok fuofÙk ykHkk dk bl vulph dk fd; x; fdl h lnHk dk vFk i'ku rFkk lokfuofÙk ykHkk d y?kÑr eY; dk 'kkfey dju oky lnHk d rkj ij yxk;k tk,xkA

9. ''अखिलेश्वर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, 2006 (2) JCR 418 (Jhr.) में, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए करार की दृष्टि में और उनके दायित्वों के अंतिम लेखा/समायोजन के अध्यधीन परस्पर बोर्डों को उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जो उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए थे। यह निर्णय भी उस बिंदु पर प्राधिकार नहीं है कि यदि कर्मचारी नियत दिन के पहले उस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ है जो अब झारखंड राज्य के क्षेत्र के अधीन आता है, कर्मचारी को समस्त सेवा निवृत्ति देयों का भुगतान करना झारखंड राज्य का दायित्व है।

10. ''भारती प्रसाद ठाकुर बनाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका,'' 2002 (1) JLJR 491, में जहाँ तक बिहार राज्य और झारखंड राज्य के दायित्व का संबंध था, मामले को खुला छोड़ते

हुए, क्योंकि गोड्डा महाविद्यालय जो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के अधीन आता है और जो अब झारखंड राज्य के क्षेत्र के अधीन आता है, रिट याची के पेंशन का भुगतान करने का निर्देश झारखंड राज्य एवं सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय को दिया गया था।

11. ''**महेश मिस्त्री बनाम राँची विश्वविद्यालय, राँची, रजिस्ट्रार के माध्यम से एवं अन्य,**'' 2006 (4) JLJR 245, का मामला ''**भारती प्रसाद ठाकुर बनाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका**'' **(ऊपर)** में निर्णय की दृष्टि में विनिश्चित किया गया था।

12. ''**रामवतार प्रसाद गुप्ता बनाम झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची एवं अन्य,**'' 2006 (3) JLJR 287, में इस न्यायालय ने उस प्राधिकारी, जो वेतन का भुगतान किया करता था और जो पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम था, को तब भी जब यह बिहार राज्य था, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरुप समायोजन के अध्यधीन कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयों को मंजूर करने और इसका भुगतान करने का निर्देश दिया।

13. ''**दामोदर कुमार ओझा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,**'' 2006 (2) JLJR 516, में याची, जो तत्कालीन बिहार राज्य के स्टेट ट्रेडिंग डिविजन, चतरा दक्षिण, चतरा में फोरेस्टर के रूप में कार्यरत था, के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया, ''किंतु फिर भी प्रश्न यह है कि आठवीं अनुसूची के खंड 2 द्वारा अनाच्छादित मामलों में संबंधित खजाना की राशि का भुगतान कौन करेगा, सामान्यत: यह बिहार राज्य है।''

14. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अधिकतर निर्णयों में, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन सांविधिक प्रावधानों पर न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। ''**भारती प्रसाद ठाकुर बनाम सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका**'' **(ऊपर)** में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्टत: पैरा 10 में घोषित किया कि विवाद्यक खुला छोड़ दिया गया है।'' **अखिलेश्वर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड**'' **(ऊपर)** में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 6.1.2004 के पत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों और जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ एवं बी॰ एस॰ ई॰ बी॰ के बीच दिनांक 27.12.2003 के करार पर विचार करने पर उनके दायित्वों के अंतिम लेखा/समायोजन के अध्यधीन और वाद सं॰ 1 वर्ष 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन भी अब उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश शंकर ने **मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ मोलन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2006 (1) PLJR 420, में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसके अधीन भी न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन सांविधिक प्रावधान की दृष्टि में दिनांक 15.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का दायित्व बिहार राज्य का होगा।

15. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, याची, जिसे दिनांक 12.9.1996 के प्रभाव से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, पहली बार सितंबर 2004 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू के पास आया। यद्यपि दिनांक 27.1.2005 के पत्र के तहत याची का आवेदन पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अग्रसारित किया गया था, याची पुन: जी॰ पी॰ एफ॰ राशि की निकासी के लिए पटना उच्च न्यायालय को स्मरण पत्र भेजने का अनुरोध उनसे करते हुए दिनांक 7.8.2010 के पत्र के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू के पास आया। दिनांक 29.8.2011 की संसूचना के तहत याची को

पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ट्रिप्लीकेट में जी॰ पी॰ एफ॰ संचय की अंतिम निकासी के लिए नया आवेदन भेजने का निर्देश दिया गया था। किंतु अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों से यह प्रकट है कि याची ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया था। पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 15.4.2011 के पत्र से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि याची दिनांक 7.8.2010 के पत्र के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू के पास गया था, वह पुनः दिनांक 31.1.2011 के पत्र के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के पास गया। दिनांक 31.1.2011 के पत्र की प्रति अभिलेख पर मौजूद नहीं है और न ही याची ने प्रकट किया है कि किन परिस्थितियों में वह उस समय पर जब जी॰ पी॰ एफ॰ राशि की अंतिम निकासी के लिए उसका आवेदन पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विचार किए जाने के लिए लंबित था, दिनांक 31.1.2011 के पत्र के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के पास गया था। दिनांक 15.4.2011 के पत्र से आगे प्रतीत होता है कि याची ने अपने पेंशन, आदि की निर्मुक्ति के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया था और इसे दिनांक 29.11.2010 के पत्र के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू को अग्रसारित किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की दिनांक 24.8.2011 की संसूचना से यह प्रतीत होता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पलामू ने पुनः दिनांक 2.8.2011 के निर्देश के तहत याची के जी॰ पी॰ एफ॰ निकासी आवेदन को लौटा दिया था। दिनांक 2.8.2011 के पत्र की प्रति भी याची द्वारा अभिलेख पर नहीं लायी गयी है और इस प्रकार उक्त पत्र का विषय वस्तु वर्तमान कार्यवाही में प्रकट नहीं किया गया है। यह प्रतीत होता है कि विशेष कार्य अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने दिनांक 27.6.2012 का पत्र लिखा था जिसका निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, झारखंड सरकार को दिनांक 21.12.2012 के पत्र में किया गया है जिसकी प्रति याची को भी अग्रसारित की गयी थी किंतु याची द्वारा दिनांक 27.6.2012 के पत्र को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। पूर्वोक्त से यह प्रकट है कि याची ने दिनांक 29.11.2010, 2.8.2011 और 27.6.2012 के पत्रों को दबाया है। उन पत्रों का विषय वस्तु प्रकट कर सकता था कि क्या याची सद्भावपूर्वक एवं तत्परता से झारखंड राज्य के प्राधिकारियों के समक्ष जी॰ पी॰ एफ॰ राशि की अंतिम निकासी के लिए अपना दावा अग्रसर कर रहा था। तथ्यों के उक्त विवरण से हम पाते हैं कि याची की ओर से घोर ढिलाई हुई है।

16. हम अप्रिल, 1997 से दिनांक 18.9.2013 तक जी॰ पी॰ एफ॰ संचय पर ब्याज का दावा करने वाली रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (दोनों में)

cuke

सुप्रीम देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰), धनबाद (160 में)

ए॰ टी॰–देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰) एवं अन्य (159 में)

L.P.A. Nos. 160 with 159 of 2014. Decied on 9th May, 2014.

(क) शब्द एवं मुहावरे–स्थगन–शब्द स्थगन को जो अर्थ दिया गया है वह कई स्थितियों में शब्द यथास्थिति के अर्थ के संपाती होगा। (पैरा 13)

(ख) झारखंड उच्च न्यायालय केस फ्लो प्रबंधन नियमावली, 2006—पैराग्राफ सं॰ V—अपील–2006 नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रावधान है जो रिटों सहित मूल अधिकारिता के मामलों में एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेश से अपील की अनुमति देता है। (पैरा 37)

(ग) लेटर्स पेटेन्ट अपील–पोषणीयता–तथ्यों के उसी एवं समरुप संवर्ग पर दांडिक मामला और विशेष विधि के अधीन मामला संस्थित किया जा सकता है–वापस लेने के लिए आवेदन और एल॰ पी॰ ए॰ दोनों रिट याचिकाओं से उद्भूत हुए हैं और विभिन्न आधारों को उठाते हुए दोनों को दाखिल किया गया है–दोनों कार्यवाहियाँ स्वतंत्र रूप से पोषणीय हैं। (पैरा 46)

निर्णयज विधि.–(2011)5 SCC 142; (2007)6 SCC 120; (1998)1 SCC 500; (2003)2 SCC 111; (1987)1 SCC 213; 1901 AC 495—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s M.L. Verma, Anupam Lal Das, Indrajit Sinha. (in both), For the Appellants; M/s Ajit Kumar Sinha, Ajit Kumar (in 160), Anil Kumar Sinha, Mukesh Kumar Sinha (in 159), For the Respondents.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश एवं श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 526 वर्ष 2014 और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 533 वर्ष 2014 में ''यथास्थिति'' प्रदान करने वाले दिनांक 5.3.2014 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने इन लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को दाखिल किया है।

2. दोनों मामलों में, अधिवक्ताओं श्री इंद्रजीत सिन्हा एवं श्री अनुपम लाल दास की सहायता से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एल॰ वर्मा ने अपीलार्थी की ओर से तर्क किया। श्री अजित कुमार, अधिवक्ता की सहायता से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 160 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व किया और श्री मुकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता की सहायता से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 159 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थीगण की ओर से निवेदन किया। दिनांक 21.4.2014 को मामला ग्रहण के लिए सूचीबद्ध किया गया था जब पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि रिट याचिकाएँ दिनांक 23.4.2014 को सूचीबद्ध की गयी थी, वे संयुक्त रूप से रिट याचिकाओं को पहले सुनने का अनुरोध विद्वान एकल न्यायाधीश से करेंगे और इसलिए, मामला दिनांक 29.4.2014 के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 29.4.2014 को पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि दिनांक 23.4.2014 को, यद्यपि मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और पक्षों द्वारा दाखिल आवेदनों पर आदेश पारित किया गया है, रिट याचिकाएँ अंतिम रूप से नहीं सुनी जा सकी थी और इसे सुने जाने के लिए दिनांक 13.5.2014 को रखा गया है। अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आग्रह किया कि मामले में अत्यावश्यकता है, इस न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को अंतिम रूप से सुना और विनिश्चित किया जा सकता है और इसलिए मामला दिनांक 30.4.2014 और दिनांक 1.5.2014 को सुना गया था।

तथ्य:

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 160 वर्ष 2014

3. रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 526 वर्ष 2014 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबंधक (सिविल) द्वारा जारी निर्देश सं॰ BCCL/CED/GM (C)/Debar-3/2013-14/1264 में अंतर्विष्ट दिनांक 27.11.2013 के आदेश, जहाँ तक यह रिट याची को आच्छादित करता है जो मेसर्स देव मल्टीकॉम, प्रा॰ लि॰ के साथ संयुक्त वेन्चर है, के अभिखंडन के लिए सुप्रीम देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰) द्वारा दाखिल की गयी थी। दिनांक 20-21.9.2013 के निर्देश सं॰ BCCL/CED/TC/NIT-37/2013-14/967 में

अंतर्विष्ट निविदा नोटिस की कीमत बोली खोलने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए और रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अध्यधीन चालू निविदाओं में भाग लेने की अनुमति रिट याची को देने के लिए आगे प्रार्थना की गयी थी। फर्मों अर्थात् मेसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि॰ और मेसर्स देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ ने स्वयं का प्रतिष्ठित कंपनी होने का दावा करते हुए दिनांक 30.10.2013 के संयुक्त वेन्चर करार के माध्यम से सुप्रीम देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰) के नाम एवं शैली में संयुक्त वेन्चर निर्मित किया। जगजीवन नगर, सी॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ओ॰ कॉलोनी में बहुमंजिला (G + 8) बी॰ टाइप, सी॰ टाइप और डी॰ टाइप क्वार्टरों के निर्माण के लिए 3,45,62,82,879.10/- रुपयों के मूल्यांकित लागत पर, जिसे बाद में दिनांक 2.11.2013 के भूल सुधार के तहत 349,20,06,739.20/- रुपयों तक पुनरीक्षित किया गया था, दिनांक 20-21.9.2013 के निर्देश सं॰ BCCL/(CED)/TC/NIT-37/2013-14/967 के तहत निविदा नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी संयुक्त बेन्चर ने अपनी बोली दाखिल किया। दिनांक 15.11.2013 को समस्त भागीदारों अर्थात् (i) इंदु इफ्रास्ट्रक्चर लि॰, (ii) के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ और (iii) सुप्रीम देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰) की टेक्निकल बोली खोली गयी थी और इंदु इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निकल बोली अस्वीकार कर दी गयी थी। अन्य भागीदारों अर्थात् के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ और सुप्रीम देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰), वर्तमान प्रत्यर्थी, को अर्हित पाया गया था। किंतु, प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर की कीमत बोली नहीं खोली गयी थी और के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ की एकल बोली स्वीकार की गयी थी यद्यपि प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर द्वारा उद्धृत कीमत बोली के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ द्वारा उद्धृत कीमत की तुलना में काफी कम थी। प्रत्यर्थी संयुक्त वेंचर की कीमत बोली नहीं खोलने का निर्णय लेने के पहले प्रत्यर्थी संयुक्त कंपनी को न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही अवसर दिया गया था। यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की कार्रवाई बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को अनेक करोड़ों की हानि कारित करेगी और अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की कार्रवाई विधि में द्वेष से प्रेरित होने के अतिरिक्त अनुचित, अन्यायोचित एवं मनमानी है।

<u>एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 159 वर्ष 2014</u>

4. मेसर्स अविनाश ट्रांसपोर्ट एवं मेसर्स देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ द्वारा दिनांक 31.8.2013 का संयुक्त वेन्चर करार निष्पादित करके ए॰ टी॰ देव पी॰ एल॰ (जे॰ वी॰) के नाम एवं शैली में संयुक्त वेन्चर निर्मित किया गया था। कुसुंडा क्षेत्र के धासन कोलियरी, पैच के॰ के V/VI/VII/VIII सीम्स से कोयला हटाने, ओवरबर्डन और निष्कासन तथा परिवहन के लिए एच॰ ई॰ एम॰ एम॰ को भाड़ा पर लेने के काम के लिए दिनांक 31.7.2013 के निर्देश सं॰ BCCL/GM (CMC)/F-HEMM-OS/2013/1093 के तहत निविदा नोटिस अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा जारी की गयी थी। उक्त काम का संविदा मूल्य 24, 53, 96, 368/- रुपया है। प्रत्यर्थी संयुक्त वेंचर ने अपनी बोली दाखिल किया और दिनांक 7.9.2013 को टेक्निकल बोली खोली गयी थी जिसमें प्रत्यर्थी को अर्हित घोषित किया गया था। दिनांक 28.11.2013 के पत्र के तहत प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि निविदा का कीमत भाग (भाग II) दिनांक 2.12.2013 को प्रात: 11 बजे खोला जाएगा। यद्यपि, कीमत बोली दिनांक 23.12.2013 को खोली गयी थी, प्रत्यर्थी की कीमत बोली नहीं खोली गयी थी और किसी धनसार इंजीनियरिंग जिसने भी बोली दाखिल करके भाग लिया था को न्यूनतम (एल॰ आई॰) घोषित किया गया था यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत कीमत उक्त धनसार इंजीनियरिंग द्वारा उद्धृत कीमत की तुलना में दो करोड़ बीस लाख रुपया कम है। प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर की कीमत बोली नहीं खोलने का निर्णय लेने के पहले प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर को न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही अवसर दिया गया था। यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की कार्रवाई अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को अनेक करोड़ की हानि कारित करेगी और अपीलार्थी की कार्रवाई अनुचित, अन्यायोचित एवं मनमानी है। अत: प्रत्यर्थी दिनांक 27.11.2013 के आदेश, जहाँ तक यह रिट याची, स्वतंत्र संयुक्त वेन्चर को आच्छादित एवं सम्मिलित करता है, को चुनौती देते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 533 वर्ष 2014 में इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ। रिट याची ने आगे दिनांक 31.7.2013 के निर्देश सं॰ BCCL/GM (CMC)/F-HEMM-OS/2013/1093 वाले निविदा नोटिस सं॰

134 के संबंध में याची की कीमत बोली खोलने के लिए निर्देश के लिए और रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अध्यधीन चालू निविदा विषय में भाग लेने के लिए याची को अनुमति देने के लिए प्रार्थना किया।

निवेदन:

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एल॰ वर्मा ने निवेदन किया कि मामले में ''यथास्थिति'' प्रदान करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 5.3.2014 का आदेश अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के बहुमूल्य अधिकारों को प्रभावित करता है। संविदात्मक मामले में, न्यायालय को मामले में अंतर्ग्रस्त लोकहित को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति जो न्यायालय के समक्ष पक्ष को कारित की जा सकती है का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले की तरह निविदा मामलों में, जो सारवान लोकहित अंतर्ग्रस्त करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश ''यथास्थिति'' का आदेश प्रदान करने में सही नहीं है जिसे सुनवाई की पश्चातवर्ती तिथियों तक बढ़ाया गया है और जीवित रखा गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जहाँ तक प्रशासनिक कार्रवाई/आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध है, रिट न्यायालय की अधिकारिता केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करने तक सीमित है और न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण का परीक्षण नहीं किया जा सकता है और चूँकि ऐसा है, विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 5.3.2014 के आदेश के तहत ''यथा स्थिति'' का आदेश प्रदान करने में सही नहीं हैं।

6. मेसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि॰ और मेसर्स देव मल्टी कॉम प्रा॰ लि॰ के बीच दिनांक 30.10.2013 के संयुक्त वेन्चर करार को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संयुक्त वेन्चर निविदा का पंचाट प्राप्त करने के लिए छद्मावरण है जिसे देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ को इस कारण से अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता था क्योंकि दिनांक 27.11.2013 के आदेश द्वारा उक्त कंपनी को किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित कर दिया गया है। दिनांक 30.10.2013 के संयुक्त वेन्चर करार में यह उपदर्शित किया गया है कि देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ का संयुक्त वेन्चर में 60% हिस्सा होगा और यह अग्रणी भागीदार है। यह इंगित किया गया है कि संयुक्त वेन्चर अर्थात् गोपालका देव संयुक्त वेन्चर ने दिनांक 23.4.2013 के एन॰ आई॰ टी॰ निर्देश सं॰ BCCL/CED/TC/NIT-8/2013-14/66 के तहत जारी निविदा नोटिस में भाग लिया और अभिलेख के सत्यापन पर यह पाया गया था कि मेसर्स शशि कांत गोपालका ने कूटरचित दस्तावेज दाखिल किया था। दिनांक 27-29.7.2013 के पत्र के तहत गोपालका देव संयुक्त वेन्चर को कपटपूर्वक संविदा प्राप्त करने के लिए कूटरचित एवं नकली प्रमाण पत्रों/प्रत्यय पत्रों का उपयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 27.11.2013 के आदेश द्वारा मेसर्स देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ और मेसर्स शशिकांत गोपालका को तीन वर्षों की अवधि के लिए बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की किसी निविदा में भाग लेने से वर्जित कर दिया गया था। दोनों उक्त संयुक्त वेन्चर साझीदारों को बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की किसी अन्य लंबित निविदा में भाग लेने से भी वर्जित कर दिया गया था चाहे वे व्यक्तिगत हैसियत में अथवा किसी अन्य पार्टनर/संयुक्त वेन्चर के साथ भाग ले रहे हो। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 122 वर्ष 2014 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 119 वर्ष 2014 में दिनांक 3.4.2014 के आदेश पर और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में दिनांक 27.1.2014 के आदेश पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में विवाद्यक इस न्यायालय के उक्त निर्णयों द्वारा पूरी तरह आच्छादित हैं।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि दोनों लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं में उनके द्वारा दिनांक 27.1.2014 के आदेश का दमन किया गया था और तात्विक तथ्य का दमन करके न्यायालय से दिनांक 5.3.2014 का ''यथा स्थिति'' का आदेश प्राप्त किया गया है और

इसलिए, दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने का दायी है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अंत में आग्रह किया है कि दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि रिट न्यायालय के समक्ष रिट याचीगण के सफल होने की स्थिति में उन्हें उपयुक्त रूप से धनीय क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने **(1999)1 SCC 492; (2014)3 SCC 493; (2012)11 SCC 257; (2005)8 SCC 438; (1981)4 SCC 8; (2007)14 SCC 517;** और **(2010)6 SCC 303** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया।

8. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 160 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलें पोषणीय नहीं हैं। दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा, न तो रिट न्यायालय के समक्ष आई॰ ए॰ सं॰ 952 वर्ष 2014 में कार्यवाही समाप्त की गयी है और न ही पक्षों का अधिकार विनिश्चित किया गया है। चूँकि ''यथास्थिति'' प्रदान करने वाला आक्षेपित आदेश ''निर्णय'' की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें अंतिमता की कमी है, पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट का खंड 10 आकृष्ट नहीं होता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 122 वर्ष 2014 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 119 वर्ष 2014 में दिनांक 3.4.2014 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि दिनांक 3.4.2014 के आदेश में एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 195 वर्ष 2011 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर विचार नहीं किया गया है और **''मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि॰ एवं अन्य बनाम चुनीलाल नंदा एवं अन्य, (2006)5 SCC 399** और **''सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एन्ड डिजाइन इंस्टिच्यूट लि॰ बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2001)2 SCC 588,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

9. यह निवेदन किया गया है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.1.2014 को उद्घोषित किया गया था और रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) 526 वर्ष 2014 दिनांक 29.1.2014 को दाखिल की गयी थी और उस समय तक एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में दिनांक 27.1.2014 के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, अतः उक्त आदेश की प्रति को रिट याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया था। यद्यपि रिट याचिका में मेसर्स देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 की दाखिली प्रकट की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था, तात्विक तथ्य का दमन करके न्यायालय से ''यथास्थिति'' का आदेश प्राप्त करने का अभिकथन सही नहीं है। अपीलार्थी की ओर से असद्भाव अभिकथित करते हुए यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ एक कंपनी अर्थात् के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी (जे॰ वी॰) पर कृपा करना चाहता है जो प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर की अनुपस्थिति में एकमात्र निविदादाता बन गयी। कंपनी अर्थात् यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि॰ के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी (जे॰ वी॰) का अग्रणी पार्टनर, दिनांक 27.5.2013 के आदेश के तहत कर्नाटक ऊर्जा निगम लि॰ द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और इसने दिनांक 20-21.9.2013 की निविदा नोटिस में अपनी बोली दाखिल करते हुए शपथ पत्र पर झूठा वचन दिया। के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी (जे॰ वी॰) के अग्रणी पार्टनर यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि॰ को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश को अनदेखा करते हुए और एकल बोली के मामलों में निविदा पंचाट नहीं करने के लिए केंद्रीय निगरानी आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने एकल कीमत बोली खोलने का निर्णय किया और उक्त कंपनी को संविदा पंचाट किया।

10. अपीलार्थी की ओर से असद्भावपूर्ण कार्रवाई के उदाहरणों का विवरण देते हुए यह निवेदन किया गया है कि आरंभ में महाप्रबंधक (सिविल) द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे बाद में दिनांक 20.3.2014 को हस्ताक्षरित दिनांक 19.3.2014 के आदेश के तहत वापस ले लिया गया था और उसी

दिन अध्यक्ष ने इस आधार पर कि देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ गोपालका दवे संयुक्त वेन्चर का पार्टनर था जिसे कूटरचित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27.11.2013 के आदेश द्वारा वर्जित कर दिया गया है, प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर का वर्जित किया जाना अभिपुष्ट करते हुए दिनांक 20.3.2014 का एक अन्य आदेश पारित किया। यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दांडिक अवमान आरंभ किया जाना इप्सित करते हुए याचिका दाखिल की गयी है और उक्त कार्यवाही में अध्यक्ष ने मानवीय गलती का अभिवचन करते हुए क्षमा याचना किया। अंत में यह निवेदन किया गया है कि चूँकि अपीलार्थी ने दिनांक 12.3.2014 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए पहले ही आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 दाखिल किया है और केवल दिनांक 5.3.2014 का यथास्थिति का आरंभिक आदेश वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में आक्षेपित किया गया है, यह न्यायालय वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को ग्रहण नहीं करे। आगे यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को दिनांक 5.3.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है और दिनांक 9.4.2014 और दिनांक 23.4.2014 को रिट न्यायालय द्वारा पारित पश्चातवर्ती आदेशों को चुनौती नहीं दी गयी है, अत: लेटर्स पेटेन्ट अपील खारिज किए जाने योग्य है।

चर्चा:

संदर्भ: लेटर्स पेटेन्ट अपील की पोषणीयता

11. प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 160 वर्ष 2014 में) के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि दिनांक 5.3.2014 के यथास्थिति के आदेश में निर्णय के अवयवों की कमी है और चूँकि अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 952 वर्ष 2014 अभी भी लंबित है, कार्यवाही अंतिम रूप से समाप्त नहीं की गयी है और इस प्रकार, दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश को ''निर्णय'' नहीं कहा जा सकता है ताकि पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स-पेटेन्ट का खंड 10 आकृष्ट हो सके।

12. प्रत्यर्थी का प्रतिवाद खारिज किए जाने का दायी है। शब्द ''यथास्थिति'' का शब्दकोष अर्थ किसी दी गयी तिथि पर चीजों की विद्यमान अवस्था उपदर्शित करता है (व्हार्टन लॉ लेक्सिकन)। ब्लैक के विधि शब्द कोष (सातवाँ संस्करण) में, ''यथास्थिति'' का अर्थ जिसे कथित किया गया है वह स्थिति है जो वर्तमान में विद्यमान है। ब्लैक के विधि शब्द कोष में, शब्द ''स्थगन'' का अर्थ ''कार्यवाही, निर्णय अथवा समान के स्थगन अथवा रोके जाने'' के रूप में उपदर्शित किया गया है। ''**श्री चामुंडी मोपेड्स लि॰ बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एशोसिएशन'', (1992)3 SCC 1,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि आदेश के प्रवर्तन के स्थगन का अर्थ वह आदेश, जिसे स्थापित किया गया है, स्थगन आदेश पारित किए जाने की तिथि से प्रवर्तित नहीं होगा।

13. शब्द ''स्थगन'' को वह अर्थ दिया गया है जो अनेक स्थितियों में शब्द ''यथास्थिति'' के अर्थ के संपाती होगा।'' **भारत कोकिंग कोल लि॰ बनाम बिहार राज्य'', AIR 1988 SC 127,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि अभिव्यक्ति ''यथास्थिति'' नि:संदेह सांदिग्ध शब्द है और कभी कभार संदेह एवं मुश्किल उत्पन्न करता है।

14. अब, जब दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश के वास्तविक प्रभाव का परीक्षण मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाता है, यह प्रकट है कि ''यथास्थिति'' का अंतरिम आदेश अपीलार्थी के विरुद्ध प्रदान किए गए अंतरिम स्थगन के आदेश की प्रकृति का है। यद्यपि दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश, जिसका पठन है; ''अगले सूचीबद्ध किए जाने तक, यथास्थिति, आज के दिन पर, बनायी रखी जाएगी और मामला अंतिम रूप से नियमित पीठ द्वारा सुना जा सकता है जिसको रोस्टर आवंटित किया

जाता है,'' पक्षों के अधिकारों को विनिश्चित करने का आशय रखे बिना नियमित आदेश प्रतीत होगा (मामला सुनवाई के लिए दिनांक 12.3.2014 को नियत किया गया था) जब दिनांक 12.3.2014, 9.4.2014 और 23.4.2014 के पश्चातवर्ती आदेशों के संदर्भ में देखे जाने पर जिनके द्वारा दिनांक 5.3.2014 का ''यथास्थिति'' का आदेश बढ़ाया गया है, यह पाया जाता है कि इसने अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के बहुमूल्य अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है कि निविदा मामले के संबंध में अंतरिम स्थगन का आदेश गंभीर रूप से निविदा आमंत्रित करने वाले पक्ष के बहुमूल्य अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि, तकनीकी रूप से अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 952 वर्ष 2014 अंतिम रूप से निपटायी नहीं गयी है, आई॰ ए॰ सं॰ 952 वर्ष 2014 में इप्सित अनुतोष रिट याची को न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और यद्यपि यथास्थिति प्रदान करने वाला दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश केवल सीमित अवधि के लिए था, सुनवाई की पश्चातवर्ती तिथियों पर यथास्थिति के आदेश के विस्तारण ने प्रभावकारी रूप से दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश को अंतरिम स्थगन प्रदान करने वाले अंतिम आदेश में संपरिवर्तित कर दिया है।

15. पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के खंड 10 को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*10. "**U;k;ky; d U;k;kèkh'kk l mPp U;k;ky; dk vihy-**&rFkk ge ;g Hkh vkn'k nr g fd iVuk mPp U;k;ky; d vèkh{k.k d vè;èkhu fdlh U;k;ky; dh vihyh; vfèkdkfjrk e fd; x; (tk fdlh fMØh ;k vkn'k d lcèk e vihyh; vfèkdkfjrk dk bLreky djr g, ikfjr fu.k;u gk) fu.k; l iVuk mPp U;k;ky; e ,d vihy gk ldxh tk iujh{k.k vfèkdkfjrk e ikfjr vkn'k u gk rFkk tk Hkkjr ljdkj vfèkfu;e dh èkkjk 107 d ikoèkkuk d vèkhu vèkh{k.k dh 'kfDr ;k Hkkjr ljdkj vfèkfu;e dh èkkjk 108 d vulj.k e mDr mpp U;k;ky; d ,d U;k;kèkh'k ;k fdlh [kMihB U;k;ky; d ,d U;k;kèkh'k dh nkf.Md vfèkdkfjrk d i;kx e ikfjr vkn'k ;k n.Mkn'k u gk rFkk ;g fd ble bld Åij micfèkr fdlh Hkh pht d ckotn Hkkjr ljdkj vfèkfu;e dh èkkjk 108 d vulj.k e 1 Qjojh] 1929 dk ;k bld mijkr mDr mPp U;k;ky; d vèkh{k.k d vè;èkhu fdlh U;k;ky; dk vihyh; vfèkdkfjrk d i;kx e fd; x; vkn'k ;k fdlh fMØh d lcèk e vihyh; vfèkdkfjrk d i;kx e mDr mPp U;k;ky; d ,d U;k;kèkh'k ;k fdlh [kMihB U;k;ky; d ,d U;k;kèkh'k d fu.k; l mDr mPp U;k;ky; e vihy gk ldxh(tgk U;k;kèkh'k tk fu.k; ikfjr djr g ?kkf"kr djr g fd ekeyk vihy fd, tku d fy, mi;Dr g(ij ;g fd mDr mPp U;k;ky; ;k ,lh [kMihB U;k;ky; d U;k;kèkh'kk d vU; fu.k;k l vihy dk vfèkdkj gekj] gekj mÙkjkfèkdkfj;k ;k fioh dkmfUly e gkxk tlk ble bld mijkr micfèkr fd;k tk;A"*

16. लेटर्स पेटेन्ट के संबंध में प्रयुक्त शब्द ''निर्णय'' का सही अर्थ विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार किए जाने के लिए आया और न्यायालयों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त किया गया था। लेटर्स पेटेन्ट में शब्द ''निर्णय'' की व्याख्या करते हुए, **''द जस्टिसेज ऑफ पीस फॉर कलकत्ता बनाम ओरियेंटल गैस कं॰'', VIII Beng LR 433,** में सर काउच, मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस बिंदु पर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह संप्रेक्षित किया गया था कि ''निर्णय'' का अर्थ है वह निर्णय जो किसी अधिकार अथवा दायित्व को विनिश्चित करके पक्षों के बीच प्रश्न के गुणागुण को प्रभावित करता है। **''द जस्टिसेज ऑफ द पीस फॉर कलकत्ता'' (ऊपर)** में अपनाया गया दृष्टिकोण **''शाह बाबूलाल**

खिमजी बनाम जया बेन डी॰ कनिया एवं एक अन्य, (1981)4 SCC 8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शब्द ''निर्णय'' की संकुचित व्याख्या मानी गयी थी।

17. शाह बाबूलाल खिमजी (ऊपर) में, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि लेटर्स पेटेन्ट देने वालों का आशय यह था कि शब्द ''निर्णय'' को सिविल प्रक्रिया संहिता में शब्द ''निर्णय'' को सिविल प्रक्रिया संहिता में शब्द ''निर्णय'' की तुलना में अधिक व्यापक एवं उदारवादी व्याख्या दिया जाना चाहिए था। **''चंडी चरण साहा बनाम ज्ञानेन्द्र नाथ भट्टाचार्जी'', 29 Cal LJ 225,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''परीक्षा यह नहीं है कि न्याय निर्णयण का फोरम क्या है बल्कि वाद अथवा कार्यवाही, जिसमें यह पारित किया गया है, में इसका प्रभाव क्या है।''

18. परीक्षाओं में से एक, जिसे न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है, वाद अथवा कार्यवाही, जिसमें आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, में आदेश का प्रभाव है और न कि न्यायनिर्णयन का फोरम। **''शांति कुमार आर॰ कानजी बनाम न्यूयार्क की गृह बीमा कंपनी, (1974)2 SCC 387,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"19. ;g irk yxku d fy, fd D;k vkn'k yVl iVUV d [kM 15 d vFk d vrxr fu.k; g] ;g irk yxkuk gkxk fd vkn'k dN vfèkdkj vFkok nkf;Ro fofuf'pr djd i{kk d chp dkjokb d x.kkx.k dk çHkkfor djrk gA U;k;ky; }kjk vfèkdkj vFkok nkf;Ro dk irk yxk;k tkuk gA ;g vfHkfuf'pr dju d fy, fd D;k fdlh vfèkdkj vFkok nkf;Ro dk fofu'p;dj.k fd;k x;k g] vkn'k dh çÑfr dk ijh{k.k fd;k tkuk gkxkA***

19. जैसा यहाँ ऊपर गौर किया गया है, दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश गंभीर रूप से अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधिकारों को प्रभावित करता है क्योंकि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को निविदा को अंतिम रूप देने के इसके अधिकार से वंचित किया गया है और इसमें अंतिमता की छाप है, अत: हमारा मत है कि दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट (जिसे झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया है) के अर्थ के अंतर्गत निर्णय है।

20. प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **''मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि॰ एवं अन्य बनाम चुनीलाल नंदा एवं अन्य (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों की प्रजातियों को कोटिकृत किया है जो ''निर्णय'' की कोटि के अधीन नहीं आएगा ताकि यह लेटर्स पेटेन्ट का खंड 10 आकृष्ट कर सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया है कि अंतरिम आदेशों की निम्नलिखित दो कोटियों के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट नहीं होगा; (i) अंतिम निर्णय में इसकी समाप्ति तक मामले की प्रगति को सुकर बनाने के लिए पारित रूटीन आदेश और (ii) आदेश जो किसी पक्ष को कुछ असुविधा अथवा कुछ-कुछ प्रतिकूलता कारित कर सकते हैं किंतु जो पक्षों के अधिकारों एवं बाध्यताओं को अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी का प्रतिवाद यह है कि दिनांक 5.3.2014 का अंतरिम आदेश रूटीन आदेश है और यह अपीलार्थी को कुछ असुविधा कारित कर सकता है किंतु यह निर्णय नहीं है और इस प्रकार लेटर्स पेटेन्ट अपीलें पोषणीय नहीं हैं।

21. ''सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एन्ड डिजाइन इंस्टिच्यूट लि॰ बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2001)2 SCC 588, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''शाह बाबूलाल खिमजी''** में न्यायालय के संप्रेक्षण पर गौर किया है कि शब्द ''निर्णय'' की सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त शब्द ''निर्णय'' की तुलना में अधिक व्यापक एवं उदारवादी व्याख्या की जानी चाहिए और क्या आक्षेपित आदेश संबंधित पक्षों

के महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य अधिकारों एवं बाध्यताओं को प्रभावित करने वाला अंतिम विनिश्चयकरण है या नहीं, इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अभिनिश्चित करना होगा।

22. ''**शाह बाबूलाल खिमजी**'' **(ऊपर)** में, अपनी सहमति जताने वाले निर्णय में, माननीय न्यायाधीश ए॰ एन॰ सेन ने अभिनिर्धारित किया है कि किस प्रकार का आदेश लेटर्स पेटेन्ट के खंड 15 के अर्थ के अंतर्गत निर्णय गठित करेगा और इस प्रकार अपील किए जाने योग्य बन जाएगा, इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर और पारित किए गए आदेश की प्रकृति एवं चरित्र पर आवश्यकत: निर्भर होना होगा।

23. ''**शांति कुमार आर॰ कानजी**'' **(ऊपर)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि रूटीन प्रकृति के आदेश, शुद्धत: अंतर्वर्ती, निर्णय गठित नहीं कर सकते हैं और यह उपदर्शित किया गया है कि स्थगन से इनकार करने वाले आदेश अथवा अतिरिक्त गवाह अथवा दस्तावेज को समन करने से इनकार करने वाले आदेश अथवा दस्तावेज, आदि दाखिल करने में विलंब को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश अंतर्वर्ती आदेश की कोटि के अधीन आने वाले आदेश हैं जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के खंड 15 के अर्थ के अंतर्गत निर्णय गठित नहीं करेंगे। वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेश निश्चय ही ऊपर उपदर्शित किए गए आदेश के समान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे यह संप्रेक्षित किया गया है कि यद्यपि शुद्धत: स्वविवेकी एवं अंतर्वर्ती आदेश, यदि पक्षकार को घोर अन्याय कारित करते है जिसे बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया जाता है, अंतिमता के लक्षण एवं गुणार्थ अंतर्विष्ट करेंगे और इन्हें लेटर्स पेटेन्ट के अर्थ के अंतर्गत निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए।

24. जैसा ऊपर गौर किया गया है, चूँकि दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश गंभीर रूप से अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ का बहुमूल्य अधिकार कम करता है, हम पाते हैं कि इसके पास अंतिमता का अवयव है और दिनांक 5.3.2014 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय है।

25. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 195 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर कंपनी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा ने निवेदन किया कि चूँकि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 122 वर्ष 2014 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 119 वर्ष 2014 में दिनांक 3.4.2014 को इस न्यायालय द्वारा उद्घोषित निर्णय पूर्वोक्त आदेशों पर विचार किए बिना दिया गया है, दिनांक 3.4.2014 का आदेश सही विधि अधिकथित नहीं करता है और वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर पर बाध्यकारी नहीं है।

26. प्रत्यर्थी का यह प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है। यह सुनिश्चित है कि निर्णय केवल उसके प्रति एक प्राधिकार है जिसे यह वस्तुत: विनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, उसे उद्धृत करना लाभदायी है जिसे हाल्स बरी के अर्ल, एल॰ सी॰ ने ''**क्विन्न बनाम लीथेम,**'' **1901 AC 495,** में संप्रेक्षित किया:–

> *^^------vc ,yu cuke ¶yM vkj tk mle fofuf'pr fd;k x;k Fkk ij ppk dju d igy lkekU; pfj= d nk lç{k.k g ftUg e djuk pkgrk g vkj igyk lç{k.k og g ft l eu igy vDlj fd;k g fd çR;d fu.k; dk fl) fd, x,] fl) eku x, rF; fo'k"k d çfr ç;kT; d :i e i<uk gkxk pfd vfHk0;fDr;k dh 0;kidrk tk ogk ik;h tk ldrh g] li.k fofèk dh 0;k[;k d :i e vk'kf;r ugh g cfYd ekey d rF; fo'k"k }kjk 'kkfl r ,o vfgr gkrh g ft le ,l h vfHk0;fDr;k ik;h tkuh gA nljk lç{k.k ;g g fd dkb ekeyk doy mld çfr çkfèkdkj g ft l ;g oLrr% fofuf'pr djrk gA e bll ijh rjg l budkj djrk g fd bl ml çfriknuk d fy, m)r fd;k tk ldrk g tk rkfdd :i l bll vulfjr gkrk çrhr gkrk gA rd dju dk ,lk <x ;g eku yrk g fd fofèk vko';dr% rkfdd dkM g tcfd çR;d vfèkoDrk Lohdkj djxk fd fofèk lno fcYdy rkfdd ugh gA***

27. ''**अंबिका क्वैरी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य**'', **(1987)1 SCC 213,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्णय को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"18. .....fdlh fu.k; d fu.k;kèkkj dk ml ekey d rF;k dh i"BHkfe e le>uk gkxkA dkQh igy ;g dgk tk pdk g fd ekeyk doy ml d çfr çkfèkdkj g ftl ;g oLrr% fofuf'pr djrk g vkj u fd tk rkfdd :i l bll vulfjr gkrk g------***

28. ''**भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पलिताना सुगर मिल (प्रा॰) लि॰, (2003)2 SCC 111,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*^^;g Hkh lfuf'pr g fd rF;k vFkok vfrfjDr rF;k e rfud vrj Hkh fu.k; d ion"Vkr eY; e dkQh vrj cuk ldrk gA***

29. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 में दिनांक 1.7.2010 का आदेश उपदर्शित करता है कि उक्त मामले में रिट याचिका को चार सप्ताह की अवधि के भीतर दो समान किस्तों में अपने अधिकारों के प्रति प्रतिकूलता कारित किए बिना कतिपय राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था और पहली किस्त के भुगतान पर रिट याची के परिसर में विद्युत कनेक्शन तुरन्त पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि कतिपय राशि जमा करने के लिए रिट याची को निर्देश देते हुए रिट कार्यवाही में पारित आदेश शुद्धत: अंतर्वर्ती प्रकृति का है और रिट न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अननुपालन का प्रभाव यह होता कि रिट याची के परिसर में विद्युत कनेक्शन पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता था। ''**शाह बाबूलाल खिमजी**'' **(ऊपर)** में अधिकथित विधि की दृष्टि में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय नहीं थी और तद्नुसार, इसे खारिज किया गया था। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 में पारित आदेश की दृष्टि में, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 195 वर्ष 2011 खारिज किया गया था। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 195 वर्ष 2011 में इस न्यायालय की खंडपीठ के पूर्वोक्त आदेशों को मामले के तथ्यों में पारित किया गया था।

30. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 119 वर्ष 2014 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"7. D;k fu.k; vFkok vkn'k ^^vfre** g ;k ugh] bl fo"k; oLr d lnHk e n[kk tkuk gkxkA dHkh&dHkkj] çdVr% vrorh pfj= d vkn'k dk vfre dgk tk ldrk g Hky gh i{kk d chp e[; fookn fuiVk;k ugh x;k g vkj bl çdkj] ,l vkn'k iVuk mPp U;k;ky; d yVl iVUV d [kM 10 dh ifjfèk d vrxr vk,xkA ^^mMhlk jkT; cuke enu xkiky #xVk**] AIR 1952 SC 12, e ;fi mPp U;k;ky; u fookn fofuf'pr ugh fd;k Fkk] blu çLrkfor oknk dk nkf[ky fd, tku rd ljdkj dk dkjokb dju l vo#) djr g, ijekn'k çnku fd;kA bl çfrokn dk vLohdkj djr g, fd vkn'k vfre ugh Fkk D;kfd ;g vrfje vurk"k d fy, Fkk vkj i{kk d chp fookn nkf[ky fd, tku oky çLrkfor oknk e fofuf'pr fd, tku d fy, cuk jgk] ekuuh; lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd mDr vkn'k vfre Fkk vkj mDr vkn'k d fo#) nkf[ky vihy ik"k.kh; FkhA*

*8. tgk rd ,y0 ih0 ,0 dh ik"k.kh;rk ij fn, x, rdk dk lcèk g] ^^'kkg ckcyky f[keth** (Åij) e ekuuh; lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd ,y0 ih0 ,0 doy ml vkn'k d fo#) ik"k.kh; g tk vfrerk dh fof'k"Vrk ,o y{k.k èkkj.k djrk g vkj ijk 120 e ekuuh; lokPp U;k;ky; u vrorh vkn'kk d mnkgj.kk dk lxf.kr fd;k ftUg ^^fu.k;** d :i e ekuk tk ldrk gA ijk 123 e ekuuh; lokPp U;k;ky; u fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k%*

*"123. oreku ekey e] pfd fopkj.k U;k;kèkh'k dk vkn'k fjlhoj dh fu;fDr vkj rnrfje 0;kn'k çnku dju l budkj dju okyk vkn'k Fkk] ;g fu%lng yVl iVUV d vFk d vrxr fu.k; g D;kfd gekj fu.k; dh nf"V e vkn'k 43 fu;e 1 mPp U;k;ky; e vkrfjd vihyk ij ykx gkrk g vkj bld vfrfjDr ,lk vkn'k x.kkx.k ij Hkh vfrerk dk x.k vrfo"V djrk g vkj blfy, yVl iVUV d [kM 15 d vFk d vrxr fu.k; gkxkA Åij xkj fd, x, vud ekeyk e vFkok vU; ekeyk ftu ij gekj }kjk xkj ugh fd;k x;k Fkk e yVl iVUV d [kM 15 dh dBkj 0;k[;k d lcèk e ckEc mPp U;k;ky; }kjk viuk;k x;k fujrj nf"Vdk.k ,rn }kjk mYVk tkrk g vkj ckEc mPp U;k;ky; dk gekj fu.k; d vkykd e ç'u fofuf'pr dju dk fun'k fn;k tkrk gA***

*9. vc ;g lfuf'pr g fd flfoy çfØ;k lfgrk dh èkkjk 2 (9) e ^^fu.k;** dh ifjHkk"kk yVl iVUV ij ç;kT; ugh gA ^^'kkg ckc yky f[keth cuke t;kcu MhO dfu;k ,o ,d vU; (Åij) e Hkh] ekuuh; lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd fu.k; dh èkkj.kk] tlk flfoy çfØ;k lfgrk e ifjHkkf"kr fd;k x;k g] dN ldfpr çrhr gkrh g vkj èkkjk 2 dh mièkkjk (2) }kjk lekfo"V ifjlhek Hkkfrd :i l 'kCn ^^fu.k;** dh ifjHkk"kk e vk;kfrr ugh dh tk ldrh g tlk yVl iVUV vihy d [kM 15 e ç;Dr fd;k x;k g (tk iVuk mPp U;k;ky; d yVl iVUV d [kM 10 d lefo"k;d g)*

*10. l0;ogkj dh çÑfr dk è;ku e j[kdj gekjk nf"Vdk.k g fd fjV U;k;ky; }kjk ikfjr vrfje vkn'k vfrerk dk x.k vrfo"V djrk g vkj blfy,] iVuk mPp U;k;ky; xfBr dju oky yVl iVUV d [kM 10 d vrxr ^^fu.k;** gkxk vkj [kMihB d le{k vihy ik"k.kh; gA***

31. इस प्रकार, यह प्रकट है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 122 वर्ष 2014 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 119 वर्ष 2014 में दिनांक 3.4.2014 के आदेश में इस न्यायालय ने एक से अधिक स्थान पर **''शाह बाबूलाल खिमजी''** के अनेक पैराग्राफों को निर्दिष्ट किया और इन पर विश्वास किया और इसलिए, एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 202 वर्ष 2010 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 195 वर्ष 2011 में तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार करना अनावश्यक था जिन्हें भी **''शाह बाबूलाल खिमजी''** में अधिकथित विधि की दृष्टि में विनिश्चित किया गया था।

32. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 159 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में है जिसके विरुद्ध केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जा सकती है।'' **पी॰ एस॰ सथापन बनाम आंध्र बैंक लि॰'', (2004)11 SCC 672,** में पैराग्राफ सं॰ 68 से 81 पर विश्वास करते हुए यह निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति लेटर्स पेटेन्ट जो अधीनस्थ विधान है के खंड 10 के अधीन प्रदत्त शक्ति की तुलना में उच्चतर शक्ति है और चूँकि ऐसा है, रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लेटर्स पेटेन्ट अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है और लेटर्स पेटेन्ट के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय रिट न्यायालय की संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी और वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील पोषणीय नहीं है।

33. चार्टर्ड उच्च न्यायालयों का इतिहास प्रकट करता है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अधीन इन न्यायालयों को ब्रिटिश भारत में उच्चतर न्यायालयों के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर-पश्चिम प्रदेश (इलाहाबाद), पटना, लाहौर और रंगून के न्यायालय के लिए ब्रिटिश भारत में संप्रभु ने चार्टर्ड उच्च न्यायालयों को लेटर्स पेटेन्ट प्रदान किया जिसने इन न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित न्यायालयों की शक्तियों एवं अधिकारिता को अधिकथित किया।

34. **''पी॰ एस॰ सथापन बनाम आंध्र बैंक लि॰'' (ऊपर)** में न्यायालय का बहुमत दृष्टिकोण माननीय न्यायाधीश एस॰ एन॰ वरियावा द्वारा लिखा गया है जो रिपोर्ट के पैराग्राफ सं॰ 1 से 35 तक है और अल्पमत दृष्टिकोण माननीय न्यायाधीश एस॰ बी॰ सिन्हा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है जो पैराग्राफ सं॰ 37 से 147 तक है। पैराग्राफ सं॰ 32 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''यह निवेदन करना कि लेटर्स पेटेन्ट विधान का अधीनस्थ भाग है, लेटर्स पेटेन्ट के सच्चे प्रकृति को नहीं समझना है।'' जैसा **''विनीता एम॰ खांडकर बनाम प्रग्ना एम॰ पाई॰ (1998)1 SCC 500,** में अभिनिर्धारित किया गया है, लेटर्स पेटेन्ट उच्च न्यायालय का चार्टर है और विनिर्दिष्ट विधि है जिसके अधीन उच्च न्यायालय अपनी शक्ति पाता है और यह विधान का अधीनस्थ भाग नहीं है।

35. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है। पी॰ एस॰ सथापन मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि न्यायालय का बहुमत दृष्टिकोण है। यह प्रतिवाद कि लेटर्स पेटेन्ट अधीनस्थ विधान है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई लेटर्स पेटेन्ट नहीं होगा, कुस्थापित है।

36. अपीलार्थी के लिए उपस्थित श्री इंद्रजीत सिन्हा ने ''झारखंड उच्च न्यायालय केस फ्लो प्रबंधन नियमावली, 2006" को निर्दिष्ट किया और निवेदन किया कि 2006 नियमावली एकल न्यायाधीश के निर्णय से खंडपीठ में अपील प्रावधानित करती है जो रिटों सहित मूल अधिकारिता मामलों में एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेशों से अपील सम्मिलित कर सकती है। 2006 नियमावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 तथा झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली, 2001 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विरचित किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय केस फ्लो प्रबंधन नियमावली, 2006" का पैराग्राफ सं॰ V उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से खंडपीठ को की गयी अपीलों [उच्च न्यायालय अधिनियमों के अधीन लेटर्स पेटेन्ट अपील (एल॰ पी॰ ए॰) अथवा समरुप अपीलें]" पर विचार करता है। पैराग्राफ V के प्रासंगिक भाग का पठन निम्नलिखित है:–

^^,dy U;k;kèkh'k d fu.k; l [kMihB dk vihy fuEufyf[kr ekeyk e gk ldrh gh%

(1) fjVk lfgr ey vfèkdfjrk d ekeyk e ,dy U;k;kèkh'k d vrorh vkn'kk l vihy(

(2) ey vfèkdkfjrk e ,dy U;k;kèkh'k d vfre fu.k;k l vihy(

(3) fdlh fofèk }kjk vuK; [kMihB dk dh x;h vU; vihyA

dkfV (1) d vèkhu vku oky vrorh vkn'kk d fo#) vihy lno fojkèkh vfèkoDrk (tk ,dy U;k;kèkh'k d le{k mifLFkr gvk Fkk) dk vfxe ukfVl fn, tku d ckn nkf[ky fd;k tkuk pkfg, rkfd vihyk dh igyh gh luokb e nkuk i{kk dk çfrfufèkRo fd;k tk,xkA ;fn nkuk i{k çFke luokb e mifLFkr gkr g]

lkekU; çfØ;k }kjk fojks/kh i{k ij rkehy dju dh vko';drk ugh g vkj de l de dN ekeyk e vrorh vkn'kk d fo#) vihy çFke luokb e gh fuiVk;h tk ldrh gA ;fn fdlh dkj.k l ;g 0;ogkfjd ugh g] vrfje vkn'kk d fo#) ,lh vihyk dk ,d ekg dh vofèk d Hkhrj fuiVk;k tkuk pkfg,A

*Åij fufn"V fd, x, ekeyk e] Lo; çFke luokb e gh vrorh ekey d fo#) vihy fuiVku d fy, U;k;ky; dk l{ke cuku d fy, vfèkoDrk }kjk vko';d nLrkot r;kj j[kk tkuk pkfg,-------***

37. पूर्वोक्त से यह प्रकट है कि 2006 नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रावधान है जो रिटों सहित मूल अधिकारिता के मामलों में एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेशों से अपीलों की अनुमति देता है। चूँकि हमने अभिनिर्धारित किया है कि यथास्थिति प्रदान करने वाला दिनांक 5.3.2014 का अंतरिम आदेश पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के खंड 10 के अधीन निर्णय है, प्रत्यर्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन कि लेटर्स पेटेन्ट अपीलें पोषणीय नहीं हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

<u>संदर्भ : तात्विक तथ्यों का दमन:</u>

38. अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ का प्रतिवाद यह है कि न्यायालय से तात्विक तथ्य का दमन करके प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर द्वारा दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश प्राप्त किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में दिनांक 27.1.2014 के आदेश द्वारा खंडपीठ ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 20.12.2013 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, रिट याचिका में उक्त तथ्य प्रकट नहीं किया गया था और इस प्रकार, यह तात्विक तथ्य के दमन के तुल्य है जो रिट याची को न्यायालय से किसी स्वविवेकी उपचार का गैरहकदार बनाता है।

39. यह सत्य है कि न्यायालय की स्वविवेकी अधिकारिता का अवलंब लेने वाला व्यक्ति को शुद्ध हृदय से न्यायालय के पास आना होगा। किंतु, यह भी सत्य है कि अभिकथित दमन, जो पक्ष को स्वविवेकी अनुतोष प्राप्त करने का गैर हकदार बनाएगा, तात्विक तथ्य का दमन होना होगा। ''**अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ एवं अन्य**'', **(2007)6 SCC 120,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दमन 'तात्विक' तथ्य का होना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*"12. ;g io l çpfyr fofèk g fd viuh Lofoodh vfèkdkfjrk d ç;kx l budkj dju d fy, U;k;ky; dk l{ke cuku d fy, neu rkfRod rF; dk gkuk gkxkA rkfRod rF; D;k gkxk] ft ldk neu vihykFkh dk Lofoodh vurk"k çkIr dju dk xj gdnkj cuk,xk] çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxkA okn d fofu'p;dj.k d ç;ktu l rkfRod rF; dk vFk rkfRod gkxkA ft ldk rkfdd lgifj.kke ;g gkxk fd D;k ;g vurk"k d çnku vFkok bl l budkj d fy, rkfRod FkkA ;fn i{kk d chp okn d fofu'p;dj.k d fy, neu fd;k x;k rF; rkfRod ugh g] U;k;ky; viuh Lofoodh vfèkdkfjrk dk ç;kx dju l budkj ugh dj ldrk g--------***

40. दिनांक 5.3.2014 के आदेश का परिशीलन उपदर्शित करेगा कि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की उपस्थिति में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यथास्थिति प्रदान करने वाला आदेश पारित किया गया था। रिट याचिकाओं डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 526 वर्ष 2014 और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 533 वर्ष 2014 में रिट याची ने प्रकट किया है कि मेसर्स देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ ने रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 दाखिल किया। प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर की ओर से निवेदन किया गया है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में आदेश दिनांक 27.1.2014 को पारित किया गया था और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 526 वर्ष 2014 और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 533 वर्ष 2014 दिनांक 29.1.2014 को दाखिल की गयी थी और इसलिए एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में दिनांक 27.1.2014 के आदेश की प्रति रिट याचिकाओं में दाखिल नहीं की जा सकी थी।

41. डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 में आई॰ ए॰ सं॰ 9034 वर्ष 2013 में, अंतरिम आदेश प्रदान करने की प्रार्थना विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी थी कि यह रिट याची को अंतिम अनुतोष प्रदान करने के तुल्य होगा। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 18 वर्ष 2014 में उक्त आदेश को चुनौती दी गयी थी और दिनांक 27.1.2014 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 में आई॰ ए॰ सं॰ 9034 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 20.12.2013 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिनांक 27.1.2014 के आदेश में, इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त करने से परहेज किया यद्यपि विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदन और मामले के तथ्यों पर विस्तारपूर्वक गौर किया गया था। चूँकि दिनांक 5.3.2014 का आदेश अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में दाखिल किया गया है, दिनांक 27.1.2014 के आदेश का गैर प्रकटीकरण तात्विक दमन के तुल्य नहीं है। हमारा मत है कि अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता का प्रतिवाद कि डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 533 वर्ष 2014 और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 526 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 27.1.2014 के आदेश का गैर-प्रकटीकरण तात्विक तथ्य के दमन के तुल्य होगा, मान्य नहीं है और केवल इस आधार पर दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश हस्तक्षेप किए जाने का दायी नहीं है।

<u>संदर्भ : कार्यवाही की द्वैतता:</u>

42. अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दाखिल लेटर्स पेटेन्ट अपीलों की पोषणीयता को गंभीर रूप से चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि चूँकि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने दिनांक 12.3.2014 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए पहले ही आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 दाखिल किया है, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलें कार्यवाही की द्वैतता के आधार पर खारिज किए जाने की दायी है। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को एक ही और समरुप अनुतोष के लिए दो समानांतर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

43. एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 159 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने भी वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को दाखिल करके अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा समानांतर कार्यवाही आरंभ किए जाने को चुनौती दिया है। उन्होंने **(1985)1 SCC 427** और **(1998)5 SCC 74,** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है।

44. समानांतर स्तंभ में, अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एल॰ वर्मा ने निवेदन किया है कि आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 में और वर्तमान कार्यवाही में अपीलार्थी द्वारा इप्सित अनुतोष बिल्कुल भिन्न हैं और अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ दोनों कार्यवाहियाँ संस्थित करने के लिए विधि में हकदार है। यह निवेदन किया गया है कि आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 दिनांक 12.3.2014 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए इस आधार पर दाखिल की गयी है। डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7455 वर्ष 2013 में दिनांक 20.12.2013 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समरुप अनुतोष इनकार किया गया था और इस न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इसलिए, दिनांक 5.3.2014 का आक्षेपित आदेश वापस लिए जाने का दायी है जबकि वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील गुणागुण पर यथास्थिति के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दाखिल की गयी है।

45. उत्तर में, प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि वर्तमान कार्यवाही में अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दिनांक 5.3.2014 के यथास्थिति के आदेश को चुनौती दी गयी है, दिनांक 12.3.2014, 9.4.2014 और 23.4.2014 के पश्चातवर्ती आदेशों को अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है और इस प्रकार, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलें निष्फल हो गयी हैं और वे खारिज किए जाने की दायी हैं।

46. प्रत्यर्थी का प्रतिवाद कि चूँकि दिनांक 12.3.2014, 9.4.2014 और 23.4.2014 के पश्चातवर्ती आदेशों को अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित नहीं किया गया है, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलें निष्फल हो गयी हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि यदि आरंभिक कार्रवाई विधि के अनुकूल नहीं है, समस्त पश्चातवर्ती एवं पारिणामिक कार्यवाही विफल हो जाएंगी। विधिक सूक्ति "sublato fundamento cadit opus" का अर्थ है कि ''नींव हटाए जाने पर संरचना गिर जाती है।'' पारिणामिक आदेश का सिद्धांत न्यायिक, न्यायिक कल्प एवं प्रशासनिक आदेशों पर प्रयोज्य है। **(''अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लि॰ एवं अन्य बनाम अनंत साहा एवं अन्य'', (2011) 5 SCC 142)** यह प्रतिवाद करने के लिए कि आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 के लंबित रहने की दृष्टि में वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, प्रत्यर्थीगण द्वारा विश्वास किए गए निर्णय तथ्य पर सुभिन्न किए जाने योग्य है। उन मामलों में, दो पृथक किंतु सुभिन्न कार्यवाही आरंभ की गयी थी और वे कार्यवाहियाँ एक ही वाद/रिट से उद्भूत नहीं हुई थी और इसलिए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो समानांतर कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसे विधि की प्रतिपादना के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में दो पृथक अथवा समानांतर कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें दो पृथक कार्यवाहियाँ, एक सिविल प्रकृति की और दूसरी दांडिक अथवा दांडिक सदृश प्रकृति की आरंभ की जा सकती हैं। तथ्यों के एक ही और समरुप संवर्ग पर, दांडिक मामला और सीमाशुल्क अधिनियम जैसा विशेष विधि के अधीन मामला भी संस्थित किया जा सकता है। वर्तमान आदेश वापसी का आवेदन और लेटर्स पेटेन्ट अपीलें दोनों रिट याचिकाओं से उद्भूत हुए हैं और दोनों को विभिन्न आधारों पर दाखिल किया गया है। इस प्रकार, दोनों कार्यवाहियाँ स्वतंत्र रूप से पोषणीय हैं।

<u>निष्कर्ष :</u>

47. मामले में अत्यावश्यकता का अभिवचन करते हुए अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि झरिया शहर के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवासीय कॉलोनियों का प्रस्तावित निर्माण आम जनता के महत्तम लाभ के लिए है और यह लोकहित में है कि निविदा को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाय। प्रत्यर्थी संयुक्त वेन्चर के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने भी निवेदन किया है कि रिट न्यायालय के समक्ष विवाद्यक अत्यधिक लोक महत्व का है क्योंकि केंद्रीय निगरानी आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत यदि न्यूनतम निविदादाता नहीं होने के बावजूद मेसर्स के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ को निविदा पंचाट किया जाता है, यह अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को अनेक करोड़ रुपयों की हानि कारित करेगा।'' **रौनक इंटरनेशनल लि॰ बनाम आई॰ वी॰ आर॰ कंस्ट्रक्शन लि॰ एवं अन्य'', (1999)1 SCC 492,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निविदा मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश एवं अंतरिम आदेश प्रदान नहीं करने की वांछनीयता पर तर्क किया।

48. चूँकि रिट याचिकाओं में गंभीर विवादित विवाद्यकों को उठाया गया है, मामले के गुणागुण को स्पर्श करने वाला इस न्यायालय का कोई निर्णय रिट न्यायालय के समक्ष पक्षों के मामले पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करेगा। दोनों पक्षों ने अभिवचन किया है कि रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवाद्यक लोकहित अंतर्ग्रस्त करता है। रिट याची ने अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की ओर से ''कार्रवाई में निष्पक्षता'' की कमी अभिकथित किया है जबकि अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अनुदेश पर यदि यह पाया जाता है कि यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्टस लि॰, के॰ सी॰ पी॰ एल॰ यूनिटी जे॰ वी॰ का अग्रणी पार्टनर ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और ब्लेक लिस्टिंग का आदेश अभी भी अस्तित्वयुक्त है, उक्त कंपनी पर उसी तरीके से विचार किया जाएगा जिस तरीके से अपीलार्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा रिट याची पर विचार किया गया है। रिट याची ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के

अननुपालन का अभिवचन किया है जबकि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने मेसर्स गोपालका देव मल्टीकॉम प्रा॰ लि॰ को ब्लैकलिस्ट करने वाले दिनांक 27.11.2013 के आदेश का सहारा लिया है। यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.3.2014 को पारित किया गया था, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलें दिनांक 11.4.2014 को दाखिल की गयी थी। मामला दिनांक 16.4.2014 को उल्लिखित किया गया था और तद्नुसार ''ग्रहण'' शीर्षक के अधीन दिनांक 21.4.2014 को सूचीबद्ध किया गया था। लंबित रिट याचिकाओं में, दिनांक 12.3.2014 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 1814 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1816 वर्ष 2014 दिनांक 22.3.2014 को दाखिल किया गया था किंतु, केवल दिनांक 23.4.2014 को इस पर जोर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा किया गया अत्यावश्यकता का अभिवचन न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से सिद्ध नहीं होता है।

49. परिस्थितियों की संपूर्णता और करोड़ों रुपयों के लोकधन की हानि अभिकथित करते हुए पक्षों द्वारा उठाए गए विवादास्पद विवाद्यकों, केंद्रीय निगरानी आयोग द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन, 'कार्रवाई में निष्पक्षता' की कमी और अपीलार्थी की ओर से असद्भाव के अभिकथन पर विचार करते हुए हमारा मत है कि चूँकि रिट याचिकाओं में अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों को छूए बिना वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में न्यायनिर्णयन संभव नहीं होगा, यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा यदि रिट न्यायालय द्वारा मुख्य रिट याचिकाओं को अंतिम रूप से सुना और विनिश्चित किया जाता है।

50. परिणामस्वरुप, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपीलों को खारिज किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश से शीघ्र की तिथि पर रिट याचिका सुनने का अनुरोध किया जाता है। पक्षों को रिट याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

रबिन्द्र कुमार

cuke

उषा देवी

F.A. No. 32 of 2004. Decided on 5th March, 2014.

(क) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 (1) (ia)—तलाक–क्रूरता एवं पत्नी द्वारा विश्वासघात–तलाक इप्सित करने के लिए आधार के तौर पर क्रूरता के अभिकथन के संबंध में साक्ष्य का परीक्षण उस तिथि पर करना होगा जिस पर विचारण के लिए वाद किया गया था–प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा उसे अभिकथित रूप से कारित की गयी क्रूरता का विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है–जारकर्म का अभिकथन गंभीर आरोप है और न्यायालय को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे संतुष्ट होना होगा कि जारकर्म का आरोप स्थापित किया गया है–किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा जारकर्म सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और वस्तुतः संभव नहीं है–किंतु यह क्षीण साक्ष्य मात्र पर निष्कर्ष का मामला नहीं हो सकता है–स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण साक्ष्य तथा परिस्थितियों द्वारा जारकर्म का अभिकथन करने वाले पक्ष द्वारा जारकर्म का आरोप स्थापित करना होगा–यह केवल अतिरंजित अभिकथन था–याची/अपीलार्थी को सिद्ध करना होगा कि प्रत्यर्थी ने याची/अपीलार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है कि सहवास हानिकारक होगा–अपने पिता के साथ अपनी पत्नी के विरुद्ध किया गया जारकर्म का अभिकथन आधारहीन है और अपीलार्थी द्वारा गढ़ा गया है–बालिका संतान की पितृत्वता से इनकार करता अभिवचन अस्वीकार किए

जाने का दायी है–प्रत्यर्थी पत्नी भरण-पोषण एवं व्यय की हकदार है–एक लाख रुपए के साथ अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 15, 16, 17, 20, 22, 40, 42 एवं 45)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 112—संतान की वैधता–उपधारणा–जब एक बार वैध विवाह सिद्ध किया जाता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 वैध विवाह के अस्तित्वयुक्त होने के दौरान जन्मे संतान की पितृत्वता के बारे में निश्चयात्मक उपधारणा करती है–यह सिद्ध करने का भार व्यक्ति पर था कि उसकी पहुँच नहीं थी–अपीलार्थी पति द्वारा दिया गया साक्ष्य गैर-पहुँच को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है–साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन की गयी सांविधिक उपधारणा की दृष्टि में बालिका संतान की पितृत्वता से इनकार करने वाला अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है। (पैरा 23)

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41 नियम 33—अपीलीय शक्ति–सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है भले ही पक्ष जिसके पक्ष में सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग इप्सित किया गया है ने कोई अपील अथवा प्रति आपत्ति नहीं दाखिल किया है–भले ही प्रत्यर्थी पत्नी ने कोई प्रति-अपील दाखिल नहीं किया है, अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखकर, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी पत्नी को स्वयं उसके भरण-पोषण के लिए अधिनिर्णीत भरण-पोषण राशि और पुत्र का भरण-पोषण बताया जाना है। (पैरा 43)

निर्णयज विधि.–(1975) 2 SCC 326; (2010) 14 SCC 301; (1999) 7 SCC 311; (2006) 3 SCC 778; (2002) 2 SCC 73—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Jai Prakash, Prabir Chatterjee, For the Appellant; Mr. Rohit Roy, For the Respondent.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश एवं श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–इस प्रथम अपील को टी॰ एम॰ एस॰ केस सं॰ 181 वर्ष 2001 में पारित दिनांक 28.7.2004 के निर्णय और दिनांक 6.8.2004 को हस्ताक्षरित डिक्री के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) के अधीन तलाक की डिक्री के लिए अपीलार्थी पति द्वारा दाखिल वाद खारिज कर दिया और आगे अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पति को 7000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान प्रत्यर्थी पत्नी को जुलाई, 2004 से करने का निर्देश दिया गया था जिसमें पत्नी के लिए 4000/- रुपया प्रतिमाह और अवयस्क पुत्र ललन कुमार के लिए उसके वयस्कता प्राप्त करने तक 3000/- रु॰ प्रतिमाह शामिल था।

2. संक्षेप में अपीलार्थी पति का मामला निम्नलिखित है:-

(i) fd okn h@v ih ykFkh&ifr dk fookg çfrokn h@çR;Fkh iRuh d lkFk fgn jhfr fjokt d vuql kj fnukd 20.5.1985 dk gvkA v ihykFkh ifr }kjk vfHkdfFkr fd;k x;k g fd fookg d ckn çR;Fkh iRuh mld ?kj vk;h Fkh fdr] 'kk;n gh mld lkFk jgh D;kfd og mld lkFk rkyey ugh dj ik jgh Fkh vkj le;≤ ij mld ifjokj d lnL;k] lcfèk;k] fe=k ,o iMkfl;k dh mifLFkfr e vud rjhd l ml v iekfur djrh FkhA v ihykFkh ifr u çdV fd;k fd mDr fookg lcèk l fnukd 25.10.1988 dk yyu dekj uked i= dk tUe gvkA v ihykFkh ifr }kjk fd;k x;k vfHkdFku ;g Fkk fd mldk çR;Fkh iRuh d lkFk 'kkjhfjd] ekufld vFkok

lkekftd lcèk ugh Fkk ;|fi og foxr 13 o"kk l mld ?kj e jg jgh FkhA vihykFkh ifr u dgk fd og viuh iRuh ,o i= d Hkj.k&ik"k.k dk li.k 0;; ogu dj jgk FkkA og cd e çkc'kujh vfèkdkjh Fkk vkj ifjokj e 'kkfr cuk, j[ku d fy, og lno viu ?kj l ckgj jgkA

(ii) vihykFkh ifr }kjk okni= e vkx vfHkdfFkr fd;k x;k g fd mldh vuifLFkfr e çR;Fkh iRuh u vud 0;fDr;k d lkFk 'kkjhfjd lcèk cuk fy;k FkkA tc og yxHkx lkr ekg dh xHkkoLFkk d vfxe pj.k ij Fkh] ml bld ckj e fnukd 19.8.2001 dk irk pykA og viuh iRuh dk xHkorh n[kdj LrfHkr ,o vk'p;pfdr Fkk D;kfd mud chp 'kkjhfjd lcèk ugh FkkA vihykFkh ifr }kjk vkx dFku fd;k Fkk fd mlu vkifÙk fd;k vkj ;g n'kku ,o fl) dju d fy, fd mlu ml l xHkèkkj.k ugh fd;k Fkk] çR;Fkh iRuh ij Mh0 ,u0 ,0 ijh{kk d fy, ncko Mkyk fdr mlu gB fd;k vkj ,lk dju l lkQ budkj dj fn;k vkj mldk viu ifjokj d lnL;k d enn l >B ekey e vkfylr dju vkj dkjk e Hktu dh èkedh fn;kA ;g dFku fd;k x;k Fkk fd mld fy, mld Øj 0;ogkj ,o tkj de d dkj.k mld lkFk ookfgd lcèk tkjh j[kuk vlHko FkkA vihykFkh ifr u çR;Fkh iRuh dh Øjrk ,o tkjde d vkèkkj ij çR;Fkh iRuh d fo#) rykd dh fMØh bfllr djr g, fnukd 20.8.2001 dk okn nkf[ky fd;kA

(iii) ckn e] okni= lfLFkr dju d ckn vihykFkh ifr u fnukd 20.10.2001 dk viu firk dk uke vFkkr jktunu 'kek] i= ldynhi flg tkjdeh d :i e çdV djr g, voj U;k;ky; d le{k fofufn"V vkonu nkf[ky fd;k vkj dFku fd;k fd mldh iRuh tYnh gh vfHkdfFkr tkjde l lrku dk tUe nu tk jgh FkhA

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और अपना लिखित कथन दाखिल किया। उसके द्वारा कथन किया गया था कि पुत्री (अपीलार्थी पति द्वारा अभिकथित रूप से अवैध) का जन्म वैवाहिक संबंध से दिनांक 19.11.2001 को हुआ था किंतु दिनांक 7.12.2001 को उक्त पुत्र की मृत्यु हो गयी। उसने उक्त संतान के संबंध में अपीलार्थी पति की पितृत्वता का विनिर्दिष्टतः अभिवचन किया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए इच्छुक थी जैसा प्रस्ताव अपीलार्थी पति द्वारा दिया गया था और अपीलार्थी पति की ओर से यातना, क्रूरता एवं जारकर्म संबंध का प्रति अभिकथन किया। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी पति ने उसकी और उसके पुत्र की उपेक्षा की थी और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन वादकालीन निर्वाह भत्ता की मांग की। प्रत्यर्थी पत्नी ने अभिकथित किया है कि अपीलार्थी किसी अन्य महिला जिसके साथ वह विवाह करना चाहता है, के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था।

4. अपीलार्थी पति ने लिखित कथन के प्रति प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें उसने किसी अन्य महिला के साथ अंतरंगता से इनकार किया और कथन किया कि अभिकथन आधारहीन, निराधार है और केवल अपना मामला मजबूत करने के लिए प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा ऐसे प्रति अभिकथन किए गए हैं।

5. पक्षों द्वारा किए गए अभिवचनों के आधार पर अवर न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किया:–

I. D;k ekeyk tlk fojfpr fd;k x;k g] ik"k.kh; g\

II. D;k çR;Fkh iRuh u ;kph ifr d lkFk Øjrk fd;k\

III. D;k çR;Fkh iRuh dk tkjde lcèk Fkk ftld ifj.kkeLo#i og xHkorh gk x;h

IV. D;k ;kph ifr rykd fMØh dk vFkok fdlh vU; vurk"k ;k vurk"kk dk gdnkj g

6. अपीलार्थी पति की ओर से कुल तीन गवाहों का परीक्षण किया गया है जबकि प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से दो गवाहों का परीक्षण किया गया है। मौखिक गवाहों के अतिरिक्त प्रत्यर्थी पत्नी ने जारकर्म के अभिकथन से इनकार करने के लिए और अपीलार्थी पति द्वारा उसको कारित क्रूरता स्थापित करने के लिए अभिलेख पर दस दस्तावेजों अर्थात् प्रदर्श A से J तक को लाया है।

7. विचारण पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि वादी द्वारा परीक्षण किए गए गवाह क्रूरता के अभिकथन का समर्थन नहीं करते थे और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी पत्नी द्वारा क्रूरता सिद्ध करने में विफल रहा है और तद्नुसार, वादी के विरुद्ध विवाद्यक विनिश्चित किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पति का अपनी विधवा भाभी सियामुनि देवी के साथ जारकर्म संबंध रखना सिद्ध किया गया है और वैवाहिक वैमनस्य एवं अपीलार्थी का दांपत्य गृह से अलग रहने का कारण यही था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी पत्नी की ओर से जारकर्म का अभिकथन सिद्ध नहीं किया गया था और तद्नुसार, वादी के विरुद्ध विवाद्यक विनिश्चित किया गया था। क्रूरता एवं जारकर्म के बिंदु पर दर्ज साक्ष्य की दृष्टि में शेष दो विवाद्यकों को भी वादी के विरुद्ध विनिश्चित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद खारिज कर दिया गया था और पति को पत्नी एवं अवयस्क पुत्र अर्थात् ललन कुमार के भरण–पोषण के लिए जुलाई, 2004 से 7000/- रुपया प्रति माह स्थायी निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

8. वैवाहिक वाद की खारिजी से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी पति ने इस प्रथम अपील को दाखिल किया। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जयप्रकाश ने निवेदन किया है कि यद्यपि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद थी और मामले में परिस्थितियों ने स्पष्टत: उपदर्शित किया कि प्रत्यर्थी पत्नी अपने ससुर के साथ जारकर्म संबंध के कारण गर्भवती हो गयी थी क्योंकि उसने डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षण करवाने से परहेज किया था, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री को अनदेखा किया एवं गलत निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी अपनी पत्नी की ओर से जारकर्म सिद्ध करने में विफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि अपने पति के विरुद्ध पत्नी द्वारा किया गया जारकर्म का अभिकथन क्रूरता के तुल्य होगा और इसलिए, प्रतिवादी पत्नी द्वारा क्रूरता सिद्ध किया गया था किंतु, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में विधि में गंभीर गलती किया है कि पत्नी की ओर से क्रूरता सिद्ध नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि तलाक के लिए वाद खारिज कर दिए जाने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन स्थायी निर्वाह भत्ता का प्रदान विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा की गयी विधि में गंभीर गलती है और केवल उस आधार पर दिनांक 28.7.2004/ 6.8.2004 का आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किए जाने का दायी है और अपीलार्थी पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) के अधीन तलाक की डिक्री के प्रदान का हकदार है।

9. अपीलार्थी पति की ओर से यह प्रतिवाद किया गया था कि प्रत्यर्थी पत्नी का अपने ससुर (पति का पिता) के साथ अवैध संबंध था जिसके परिणामस्वरुप पुत्री का जन्म हुआ था जिसकी बाद में अभिकथित मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी पति की ओर से यह निवेदन भी किया गया है कि यह स्वीकार किया

गया है कि वर्ष 1996 से अपीलार्थी पति पृथक रूप से तोपचाँची (धनबाद जहाँ प्रत्यर्थी पत्नी रह रही थी से पृथक स्थान) में रह रहा था और वर्ष 1996 से, जब उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया, प्रत्यर्थी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय इसे विचार में लेने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दाखिल दांडिक मामला और अपीलार्थी पति के पिता द्वारा दाखिल अभिधान वाद अपीलार्थी पति द्वारा तलाक वाद दाखिल किए जाने के बाद तलाक वाद पर अग्रसर नहीं होने के आशय से दाखिल किया गया था। अपीलार्थी पति की ओर से प्रतिवाद किया गया था कि अवर न्यायालय पत्नी द्वारा पति को कारित-क्रूरता को स्थापित करने के लिए और अपने ससुर के साथ उसका अवैध संबंध स्थापित करने के लिए गवाहों के अभिसाक्ष्य को विचार में लेने में विफल रहा। अपीलार्थी पति की ओर से यह निवेदन भी किया गया है कि वह बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है और पत्नी शिक्षिका है जो नवंबर, 2011 से कार्यरत है और वे विगत 18 वर्षों से अलग रह रहे हैं।

10. अपीलार्थी पति की ओर से आगे यह आग्रह किया गया है कि क्रूरता एवं जारकर्म के आधार पर अवर न्यायालय के साक्ष्य हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) के अधीन दिनांक 20.8.2001 को तलाक वाद दाखिल करने के बाद वादी ने अपनी आशंका दर्शाते हुए कि पत्नी जारकर्म के अभिकथन से छुटकारा पाने के लिए अपनी संतान की हत्या कर सकती है, दिनांक 20.10.2001 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए आवेदन दाखिल किया और प्रत्यर्थी पत्नी दिनांक 21.12.2001 को वाद में उपस्थित हुई किंतु लिखित कथन दाखिल नहीं किया था और जब न्यायालय ने लिखित कथन दाखिल करने का अवसर दिया, प्रत्यर्थी पत्नी ने लिखित कथन दाखिल करने के बजाए दिनांक 15.2.2002 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदन दाखिल किया। आगे यह इंगित किया गया है कि दिनांक 8.3.2002 को पति ने डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए पुनः प्रार्थना किया और जब न्यायालय ने प्रत्यर्थी पत्नी को दिनांक 23.3.2002 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के आवेदन के प्रति प्रत्युत्तर यदि हो दाखिल करने का निर्देश दिया और अंत में न्यायालय ने दिनांक 6.6.2002 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए और 5000/- रुपयों के वाद व्यय के साथ वादकालीन भरण-पोषण के लिए 4000/- रुपया प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा की प्रार्थना पर आदेश पारित किया। अपीलार्थी पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि प्रत्यर्थी पत्नी अनेक तिथियों पर (पहली बार) दिनांक 21.12.2001 से शुरु करके दिनांक 10.1.2002, 8.2.2002, 15.2.2002, 21.2.2002, 25.2.2002 और 8.3.2002 को न्यायालय में उपस्थित हुई किंतु उसने लिखित कथन कभी नहीं दाखिल किया और न ही संतान के जन्म या मृत्यु का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था और न ही उसने न्यायालय को पुत्री के जन्म एवं मृत्यु के बारे में सूचित किया था और केवल दिनांक 17.6.2002 को (दिनांक 6.6.2002 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा का आदेश पारित किए जाने के बाद) प्रत्यर्थी पत्नी ने संतान का जन्म एवं मृत्यु प्रकट करते हुए दिनांक 6.6.2002 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थी पत्नी का पूर्वोक्त आचरण उपदर्शित करेगा कि वह डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा से बचना चाहती थी और जब न्यायालय ने दिनांक 6.6.2002 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए आदेश पारित किया, उसने दिनांक 17.6.2002 को संतान के जन्म एवं मृत्यु के बारे में प्रकट किया और अंत में दिनांक 18.12.2003 को प्रत्यर्थी पत्नी ने यह अभिकथन करते हुए कि अपीलार्थी पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था पति के विरुद्ध यातना एवं जारकर्म का प्रति अभिकथन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया। अपीलार्थी पति की ओर से आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि न्यायालय में अपने साक्ष्य में पत्नी द्वारा स्वीकार किया गया है कि अप्रिल, 2001 से वे साथ नहीं रह रहे हैं और इस प्रकार अपीलार्थी पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने परित्यजन के आधार पर क्योंकि विगत 13 वर्षों से उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं था, तलाक प्रदान करने के लिए तर्क दिया।

11. आगे यह इंगित किया गया है कि अवर न्यायालय ने प्रत्यर्थी पत्नी को 7000/- रुपया प्रतिमाह का स्थायी निर्वाह भत्ता अधिनिर्णीत करने में घोर गलती किया है क्योंकि यह सुनिश्चित विधि है कि स्थायी निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा सकता है जब निर्णय एवं डिक्री का परिणाम विवाह के विघटन में होता है और स्थायी निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है यदि वैवाहिक दर्जा बना रहता है। यह भी इंगित किया गया है कि अवयस्क संतान ललन कुमार की ओर अवर न्यायालय द्वारा 3000/- रुपया की राशि केवल उसके वयस्कता प्राप्त करने की आयु तक के लिए भरण-पोषण के लिए अधिनिर्णीत की गयी थी और अब चूँकि वह वयस्क हो गया है क्योंकि स्वीकृत रूप से उसकी जन्मतिथि दिनांक 25.10.1988 थी, अत: वह किसी भरण-पोषण का हकदार नहीं है। अपीलार्थी पति द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी अब नवंबर, 2011 से बिहार राज्य के पटना जिला में 'उत्क्रमित मध्य विद्यालय' नामक सरकारी विद्यालय में स्थायी शिक्षिका के रूप में सेवारत है और 22,550/- रुपया प्रतिमाह का वेतन पा रही है और इसलिए, प्रत्यर्थी पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के प्रावधानों के अधीन स्थायी निर्वाह भत्ता अथवा भरण-पोषण के रूप में किसी राशि की हकदार नहीं है। यह भी इंगित किया गया है कि इन समस्त तथ्यों को प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा धनबाद पी॰ एस॰ केस सं॰ 556 वर्ष 2001, जी॰ आर॰ सं॰ 2883 वर्ष 2001 के तत्सम, में अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है।

12. प्रत्यर्थी पत्नी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित राय ने निवेदन किया है कि स्वयं वादी सहित गवाहों में से किसी ने भी प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से क्रूरता का विनिर्दिष्ट कथन करते हुए न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य नहीं दिया है तथा अपनी पत्नी के विरुद्ध अपीलार्थी पति द्वारा किया गया अभिकथन क्रूरता के तुल्य नहीं होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि जहाँ तक जारकर्म के अभिकथन का संबंध है, वाद आवश्यक पक्ष के असंयोजन के कारण खारिज किए जाने का दायी था क्योंकि अभिकथित जारकर्मी अर्थात् राजनंदन शर्मा, वादी का पिता, को वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि विचारण के दौरान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन दिए गए आवेदन पर 4000/- रुपया का भरण-पोषण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया था और इसे 7000/- रुपया कर दिया था। यद्यपि, इसे 7000/- रुपयों का स्थायी निर्वाह भत्ता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रदान किया गया है, सारत: 7000/- रुपयों की राशि प्रत्यर्थी पत्नी एवं वादी के अवयस्क पुत्र के भरण-पोषण के लिए विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत की गयी है। इन आधारों पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने टी॰ एम॰ एस॰ केस सं॰ 181 वर्ष 2001 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और व्यय के अधिनिर्णय की प्रार्थना की है।

13. प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी पति के प्रतिवादों का जोरदार खंडन किया है कि पत्नी ने डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा नहीं करवाया था क्योंकि इसने उसकी ओर से जारकर्म स्थापित किया होता। यह निवेदन किया गया है कि पुत्र 25 वर्ष का है और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद बेरोजगार है और अपनी माता के साथ रह रहा है। प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से आगे यह इंगित किया गया है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और अवर न्यायालय ने सही प्रकार से पाया है कि प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से न तो क्रूरता थी और न ही जारकर्म और वह अभी भी अपने पति के साथ रहने को तैयार है किंतु पति अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था। प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि लंबी जुदाई जबरन जुदाई है क्योंकि स्वयं पति अलग रह रहा है और अभिकथित किया है कि अपीलार्थी पति ने अपनी पत्नी को वर्ष 1996 से भरण-पोषण नहीं दिया है।

14. पक्षों की ओर से किए गए प्राख्यानों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से दिए गए संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों सहित अवर न्यायालय अभिलेखों और आक्षेपित निर्णय का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

15. अपीलार्थी पति का प्रत्यर्थी पत्नी के साथ दिनांक 20.5.1985 को स्वीकार किया गया है। उक्त विवाह संबंध से उनको दिनांक 25.10.1988 को एक पुत्र अर्थात ललन कुमार का जन्म हुआ था। यह पाया गया है कि विवाह के बाद पति–पत्नी का संबंध कटु हो गया था और अनेक अभिकथनों एवं प्रति अभिकथनों को एक–दूसरे पर किया गया था। अपीलार्थी पति ने प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद के समक्ष प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अभिकथित रूप से किए गए क्रूरता एवं जारकर्म के आधार पर टी॰ एम॰ एस॰ केस सं॰ 181 वर्ष 2001 के तहत तलाक वाद संस्थित किया। प्रत्यर्थी पत्नी को भी धनबाद पी॰ एस॰ केस सं॰ 556 वर्ष 2001, जी॰ आर॰ केस सं॰ 2883 वर्ष 2001 के तहत अपीलार्थी पति के विरुद्ध यातना एवं क्रूरता का दांडिक मामला दर्ज करता हुआ बताया गया है।

16. उसकी ओर से दिए गए अपीलार्थी पति सहित गवाहों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन से, यह स्पष्टत: स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा उसको अभिकथित रूप से कारित क्रूरता का विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है। यह केवल अतिरंजित अभिकथन था जैसा पति रबिन्द्र कुमार के अभिसाक्ष्य के पैरा 5 और 20 से स्पष्ट है। इस प्रकार, मुख्य परीक्षण में अपीलार्थी पति द्वारा दिया गया बयान किसी घटना को प्रकट नहीं करता है जिसके बारे में अभिकथित अभिकथनों को सिद्ध किया जा सकता था। यह केवल अभिकथित आधारों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किसी घटना का विवरण दिए बिना अविनिर्दिष्ट एवं सामान्य अभिकथन है।

17. जैसा **डॉ॰ एन॰ जी॰ दास्ताने बनाम श्रीमती एस॰ दास्ताने, (1975)2 SCC 326,** में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को जाँच करना होगा कि क्या क्रूरता के रूप में आरोपित आचरण इस चरित्र का था जो याची के दिमाग में युक्तियुक्त आशंका कारिता कर सके कि उसका प्रत्यर्थी के साथ रहना हानिकारक होगा। आवश्यकता यह थी कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और पक्षों के चरित्र, दशा, दर्जा, परिवेश एवं अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए याची/अपीलार्थी को सिद्ध करना होगा कि प्रत्यर्थी ने याची/अपीलार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, कि सहवास हानिकारक होगा, कि याची/अपीलार्थी से प्रत्यर्थी के साथ रहने की युक्तियुक्त उम्मीद नहीं की जा सकती है।

18. लिखित कथन में प्रतिवादी पत्नी ने अभिकथन से स्पष्टत: इनकार किया कि वह वादी–अपीलार्थी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी थी और उसका अपमान किया था और उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था। प्रत्यर्थी ने आगे कथित किया कि उसने सदैव अपीलार्थी के साथ शांतिपूर्वक रहने का प्रयास किया किंतु अपीलार्थी ही विगत कुछ वर्षों से उसे यातना दे रहा था क्योंकि वह दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना चाहता था। विचारण के दौरान वादी–अपीलार्थी ने अ॰ सा॰ 1 के रूप में स्वयं का परीक्षण किया और अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती थी किंतु वह उसके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं था। अन्य दो गवाहों अर्थात् वादी की विधवा भाभी का भाई संजय कुमार और कोई पूनम देवी जो दांपत्य गृह में नौकरानी थी ने प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से क्रूरता के संबंध में अभिसाक्ष्य नहीं दिया था। क्रूरता के प्रति विश्वासोत्पादक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से क्रूरता के अभिकथन पर अपीलार्थी का मामला नकार दिया।

19. अपीलार्थी पति की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी पत्नी दिनांक 21.12.2001 को न्यायालय में उपस्थित हुई और लिखित कथन दाखिल करने के लिए अनेक

स्थगन लिया और प्रत्यर्थी पत्नी ने पुत्री की मृत्यु के बारे में न्यायालय को पहले सूचित नहीं किया था। आगे यह निवेदन किया गया था कि केवल दिनांक 17.6.2002 (दिनांक 6.6.2002 को डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा का आदेश पारित किए जाने के बाद) को जब प्रत्यर्थी पत्नी ने पुत्री की मृत्यु प्रकट करते हुए दिनांक 6.6.2002 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दाखिल किया और प्रत्यर्थी पत्नी का पूर्वोक्त आचरण उपदर्शित करेगा कि वह डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा से बचना चाहती थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि केवल प्रत्यर्थी के जारकर्मी आचरण के कारण और कि अपीलार्थी पुत्री का पिता नहीं है, प्रत्यर्थी आशयपूर्वक डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा से बचती रही और आगे यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी पत्नी का जारकर्मी आचरण सिद्ध किया था।

20. जारकर्म का अभिकथन गंभीर आरोप है और न्यायालय को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे संतुष्ट होना होगा कि जारकर्म का आरोप स्थापित किया गया है। किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा जारकर्म सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और वस्तुतः संभव नहीं है। इसी समय पर, यह क्षीण साक्ष्य मात्र पर निष्कर्ष का मामला नहीं हो सकता है। स्पष्टतः, तर्कपूर्ण साक्ष्य एवं परिस्थितियों द्वारा जारकर्म अभिकथित करने वाले पक्ष द्वारा जारकर्म का आरोप स्थापित किया जाना होगा।

21. अपीलार्थी पति ने कथन नहीं किया है कि कब उसे अपने पिता के साथ अपनी पत्नी के ऐसे अवैध संबंध के बारे में जानकारी हुई। मूल रूप से दाखिल वैवाहिक वाद में अपीलार्थी पति ने अभिकथित किया है कि उसकी पत्नी का अन्य पुरुषों के साथ संबंध है। यदि प्रत्यर्थी का अपने ससुर के साथ ऐसा अवैध संबंध होता, अपीलार्थी पति ने याचिका में ऐसा विनिर्दिष्ट कथन किया होता। किंतु ऐसा नहीं किया गया था। अपीलार्थी पति के पिता के साथ प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म आचरण का अभिकथन आधारहीन और निराधार है और अवर न्यायालय ने सही प्रकार से इसे नकारा है।

22. अपीलार्थी पति के अभिसाक्ष्य के पैरा 20 में यह अभिकथित किया गया है कि वर्ष 2001 में उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और जब उसने उससे पूछा, वह उसे गाली देने लगी। आगे, पैरा 24 में उसने केवल यह कथन किया कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था किंतु वह नहीं जानता था कि यह कितने समय से विद्यमान था। उसने आगे कथन किया कि उसके पिता की आयु 70 वर्ष है। प्रति परीक्षण के पैरा 29 में अपीलार्थी पति ने कहा कि उसे अपने पिता के साथ अपनी पत्नी के अभिकथित अवैध संबंध के बारे में तब पता चला जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इस बयान द्वारा यह स्व-स्पष्ट है कि अभिकथन मनगढ़ंत है जो अभिसाक्ष्य के पैरा 31 से संपुष्ट होता है जहाँ उसने कहा कि उसके पिता ने अभिधान (एम॰) वाद सं॰ 113/2003 संस्थित किया था जो लंबित था और पैरा 30 में अपीलार्थी पति ने कहा कि उसने पत्नी प्रत्यर्थी के विरुद्ध बेदखली वाद सं॰ 129/2003 संस्थित किया था। पति के ये समस्त साक्ष्य अवर न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन कर रहे है कि अपने पिता के साथ अपनी पत्नी के विरुद्ध किया गया जारकर्म का अभिकथन निराधार है और अपीलार्थी द्वारा गढ़ा गया है। अपीलार्थी के पिता के साथ प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म का झूठा अभिकथन अपीलार्थी का अपनी भाभी जिसके भाई का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है, के साथ संबंध को छुपाने के लिए किया गया प्रतीत होता है।

23. जहाँ तक पुत्री (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) की पितृत्वता से अपीलार्थी के इनकार का संबंध है, यह इंगित किया जाना है कि प्रत्यर्थी पत्नी दांपत्य गृह में रह रही थी और अपीलार्थी पति भी उसी घर में रह रहा था। यद्यपि अपीलार्थी को बाहर से बाहर कार्यरत बताया जाता है, यह इनकार नहीं

किया गया है कि वह दांपत्य गृह आता–जाता था जहाँ प्रत्यर्थी पत्नी पुत्र के साथ रहती थी। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के विवाह के अस्तित्वयुक्त होने के दौरान दिनांक 19.11.2001 को दूसरी पुत्री का जन्म हुआ था। जब एक बार वैध विवाह सिद्ध किया जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 वैध विवाह के अस्तित्वयुक्त होने के दौरान जन्मे संतान की पितृत्वता के बारे में निश्चयात्मक उपधारणा करती है। यह सिद्ध करने का भार व्यक्ति पर है कि उसकी पहुँच नहीं थी। अपीलार्थी पति द्वारा दिया गया साक्ष्य ''गैर–पहुँच'' स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन की गयी सांविधिक उपधारणा की दृष्टि में, पुत्री की पितृत्वता से इनकार करने वाला अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है।

24. मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आकलन पर अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का आरोप स्थापित करने में विफल रहा है बल्कि अपीलार्थी के विरुद्ध किया गया क्रूरता का प्रति अभिकथन सिद्ध किया गया है। अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर॰ डब्ल्यू॰ 1 और आर॰ डब्ल्यू॰ 2 का साक्ष्य संगत एवं अनधिक्षेपणीय है। साक्ष्य के आकलन पर, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध किए गए जारकर्म के अभिकथन को सिद्ध करने में विफल रहा। अवर न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को विधवा भाभी सियामुनि देवी के साथ जारकर्म संबंध रखता हुआ सिद्ध किया गया है और वैवाहिक कटुता का यही कारण था। अवर न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है और हम इसे पूर्णत: अनुमोदित करते हैं।

25. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद को सुदृढ़ करने के लिए **''विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम विजय कुमार भाटे, (2003)6 SCC 334,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया कि लिखित कथन में किया गया अथवा प्रति परीक्षण के रूप में परीक्षण के क्रम में सुझाया गया अभिकथन क्रूरता के तुल्य होगा। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं॰ 7 का पठन प्रकट करता है कि ऐसा अभिवचन विचारण न्यायालय के समक्ष किया गया था और इस संबंध में कुटुंब न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दर्ज किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध किए गए अभिकथन की दृष्टि में कुटुंब न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा भी दर्ज निष्कर्षों के प्रति अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

26. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद पर आने से पहले कि अपीलार्थी पति के विरुद्ध प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा किया गया जारकर्म का अभिकथन मानसिक क्रूरता के तुल्य होगा जो तलाक की डिक्री के प्रदान के लिए अपीलार्थी पति को हकदार बनाता है, वैवाहिक कटुता के संबंध में ''मानसिक क्रूरता'' की धारणा का परीक्षण करना लाभदायी होगा।

27. ''हैडेन बनाम हैडेन, Modern Law Review, Volume 12, 1949, P. 332, में शर्मन, न्यायमूर्ति ने संप्रेक्षित किया, ''उसका क्रूर होने का आशय नहीं था किंतु उसके आशयपूर्ण कृत्य क्रूरता के तुल्य हुआ।'' किसी शारीरिक हिंसा के बिना भी क्रूरता हो सकती है।'' **जेम बनाम जेम'', (1937)34 Haw 312,** में यह संप्रेक्षित किया गया है कि शारीरिक क्रूरता की कोटि में नहीं आने वाला क्रूर व्यवहार मानसिक क्रूरता है।

28. ''गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य'', (2002)2 SCC 619, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"7. Øjrk dh èkkj.kk vkj blds çHkko çR;d 0;fDr d fy, fHkUu gkrk g vkj ;g lkekftd&vkfFkd ntk ftll ,lk 0;fDr vkrk g ij Hkh fuHkj djrk gA iokDr èkkjk d vèkhu vijkèk xfBr dju d ç;ktu l ^^Øjrk** dk 'kkjhfjd*

*gkuk vko';d ugh gA ekufld ;kruk vFkok vlkekU; 0;ogkj Hkh fn, x, ekeys e Øjrk ,o ij'kkuh d rY; gk ldrk gA***

29. ''विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित'' (2006)3 SCC 778 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया:–

*"37. mDr çkoèkku d ç;ktu l vko';d ekufld Øjrk D;k xfBr djrk g] ,lh ?kVukvk dh l[;kvk ij vFkok ,l vkpj.k d yxkrkj Øe ij fuHkj ugh djxk cfYd oLrqfLFkfr bldh rhork] xHkhjrk vkj dydi.k çHkko l Hkyh gh bl doy ,d ckj gh fd;k tkrk g vkj 'kkfri.k nkiR; xg cuk, j[ku d fy, vko';d ekufld #[k ij bld gkfudkjd çHkko l r; gkxkA***

30. ''सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे'', (2002)2 SCC 73, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"6. .....ekufld Øjrk ifr ;k iRuh dk vkpj.k g tk ,d&nlj d nkiR; thou d çfr ekufld onuk vFkok Hk; dkfjr djrk g-------***

31. उक्त के आलोक में, अब हम साक्ष्य पर विचार करें। वादी के अभिसाक्ष्य में यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि उसकी पत्नी ने उस पर अपनी विधवा भाभी के साथ जारकर्म संबंध रखने का अभियोग लगाया। वादी का अपनी विधवा भाभी के साथ जारकर्म संबंध का प्रति अभिकथन पहली बार लिखित कथन में किया गया है। तलाक इप्सित करने के लिए आधार के रूप में क्रूरता के अभिकथन के संबंध में साक्ष्य का परीक्षण उस तिथि पर किया जाना होगा जिस तिथि पर विचारण के लिए वाद किया गया था किंतु हम वादी द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध किए गए'' जारकर्म के झूठे अभियोग के परिणामस्वरुप क्रूरता'' का कोई अभिकथन नहीं पाते हैं ताकि तलाक की डिक्री इप्सित की जा सके। वर्तमान मामले में इस पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया गया था और वादी द्वारा किया गया लिखित तर्क और विचारण न्यायालय का निर्णय उपदर्शित नहीं करता है कि ऐसा कोई अभिवचन विचारण न्यायालय के समक्ष किया गया था और इसलिए, हम अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद में गुणागुण नहीं पाते हैं।

32. जैसा ऊपर गौर किया गया है, अपीलार्थी ने पत्नी की ओर से क्रूरता एवं जारकर्म के आधार पर तलाक इप्सित करते हुए तलाक याचिका दाखिल किया है। याचिका में, अपीलार्थी ने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी पत्नी का अनेक पुरुषों के साथ संबंध है। जब प्रत्यर्थी ने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी पत्नी का अनेक पुरुषों के साथ संबंध है। जब प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध ऐसा असंयमित अभिकथन किया जाता है, उसे आवश्यकत: स्वयं अपना बचाव करना होगा। इसी संदर्भ में प्रत्यर्थी ने प्रति अभिकथन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया कि अपीलार्थी दूसरी महिला के साथ रह रहा है जिसके साथ वह विवाह करना चाहता है और उस कारण से अपीलार्थी ने तलाक के लिए वैवाहिक वाद संस्थित किया था। गवाहों के परिसाक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अपने पिता के साथ अपनी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म का अभिकथन स्वयं उसका अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध का परिणाम है जिसके भाई का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में अपीलार्थी का प्रतिवाद कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा किया गया जारकर्म का अभिकथन क्रूरता के तुल्य नहीं हो सकता है, जैसा अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद किया गया है।

33. ''गुरबक्श सिंह बनाम हरमिंदर कौर'', (2010)14 SCC 301, में पति के अधिवक्ता द्वारा किया गया समरुप प्रतिवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया है:–

"17. vihykFkh d fy, mifLFkr fo}ku vfèkoDrk u vij ftyk U;k;kèkh'k d le{k vfèkfu;e dh èkkjk 13 d vèkhu ;kfpdk d mÙkj e çR;Fkh iRuh }kjk fd, x, dfri; vfHkdFkuk dh vkj gekjk è;ku vkÑ"V djr g, fuonu fd;k fd bu leLr igyvk ij fopkj djr g, Øjrk d vkèkkj ij rykd ij fopkj djuk vkj blu çnku djuk U;k;kfpr ,o ;fDr;Dr gA bld leFku e mUgku fot; dekj jkepn HkkV cuke uhyk fot; dekj HkkV e bl U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl fd;kA

*18. fu%lng] ml fu.k; e] bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fofèk dh vko';drk dk lr"V djr g, fyf[kr dFku e fd, x, vFkok ijh{k.k d Øe e vkj çfr ijh{k.k d :i e l>k, x, vfHkdFkuk dk nkuk i{k d nkok ij fopkj djr g, è;ku e yuk gkxkA oreku ekey e] ;g lR; g fd çR;Fkh iRuh u viu vihykFkh ifr d fo#) dfri; vfHkdFku fd;k gA fdr LohÑr :i l] bl ij vkèkkfjr] fopkj.k U;k;ky; u dkb fook|d fojfpr ugh fd;k g vkj bld leFku e lk{; ugh fn;k x;k gA ,lh ifjfLFkfr;k e] mDr fu.k; gekj ekey dk lgk;d ugh gA LohÑr :i l] mÙkj@fyf[kr dFku e ,l çdFkuk d vkèkkj ij fopkj.k U;k;ky; }kjk ,lk fook|d fojfpr ugh fd;k x;k Fkk vFkok mPp U;k;ky; }kjk dkb fcUn fofuf'pr ugh fd;k x;k FkkA rnulkj] ge mDr çfrokn vLohdkj djr gA**

34. अवर न्यायालय ने साक्ष्य के आकलन पर पाया कि पत्नी के विरुद्ध किया गया क्रूरता एवं जारकर्म का अभिकथन सिद्ध नहीं किया है। दूसरी ओर, अपीलार्थी पति की क्रूरता और अपनी भाभी के साथ उसका संबंध सिद्ध किया गया पाया गया है। अवर न्यायालय ने सही प्रकार से तलाक के लिए वैवाहिक वाद खारिज कर दिया।

35. अपीलार्थी पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तलाक का नया आधार उठाया है अर्थात् विगत 18 वर्षों से 'पृथक्करण' और कि विवाह का 'असुधार्य रूप से टूट जाना'। यह न्यायालय इस अपीलीय चरण पर इस आधार पर विचार करना समुचित नहीं समझता, है जो नया आधार है अर्थात् इस आधार पर कि विवाह 'असुधार्य रूप से टूट गया है' अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी पत्नी के बीच विवाह के विघटन के लिए आधार है। अवर न्यायालय द्वारा पृथक्करण के आधार पर किसी निष्कर्ष की अनुपस्थिति में, क्योंकि अपीलार्थी पति द्वारा इसे कभी नहीं उठाया गया था और पहली बार इसे यहाँ उठाया जा रहा है, यह न्यायालय उक्त आधार पर विचार करने से परहेज करता है। अपीलार्थी पति ने अवर न्यायालय में वाद पत्र में अथवा साक्ष्य दिए जाने के समय पर तलाक के ऐसे आधार के बारे में चर्चा भी नहीं किया था।

36. जहाँ तक आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में पत्नी को 4000/- रुपया प्रतिमाह और पुत्र ललन कुमार को 3000/- रुपया प्रतिमाह सहित 7000/- रुपया प्रतिमाह भरण–पोषण के अधिनिर्णय का संबंध है, यह न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों को विचार में लेने के लिए मजबूर है। भरण–पोषण के बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क यह है कि अवर न्यायालय ने 7000/- रुपया का स्थायी निर्वाह भत्ता प्रदान करने में गलती किया है क्योंकि विवाह के विघटन के लिए डिक्री पारित नहीं किया गया है और पक्षों के बीच विवाह अभी भी अस्तित्वयुक्त है।

37. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 का पठन निम्नलिखित है:–

^^èkkjk 25. ***LFkk;h fuokg&0;; vkj Hkj.k&ik"k.k-*** *&(1) bl vfèkfu;e d vèkhu {k=kfèkdkj dk ç;kx dju okyk dkb U;k;ky; ;FkkfLFkfr iRuh ;k ifr }kjk*

bl ç;ktu d fy; viu l vkonu fd; tku ij vkKkfIr nu d le; ;k rRi'pkr fdlh le; iR;Fkh dk vkfn"V dj ld fd vkond ;k vkofndk fd bud Hkj.k&ik"k.k vkj ikyu d fy, , l vkond ;k vkofndk d thou&dky l vfèkd u gku okyh vofèk d fy, , lh i.k jkf'k ;k , lh ekfld dkykofèk jkf'k nrk ;k nrh jg tk fd iR;Fkh dk viuh vk; vkj vU; lEifÙk dk] ;fn dkbZ gk] vkond ;k vkofndk dh vk; ;k lEifÙk dk vkj i{kdkjk d vkpj.k vkj ekey dh vU; ifjfLFkfr;k dk n[kr g, U;k;ky; dk U;k; yx vkj ;fn vko';d gk rk , lh nuxh iR;Fkh dh LFkkoj lEifÙk ij çHkkj }kjk çfrHkr dh tk;xhA

(2) ;fn U;k;ky; dk lekèkku gk tkrk g fd mièkkjk (1) d vèkhu viu }kjk fn; x; vkn'k d i'pkr fdlh le; i{kdkjk e l fdlh dh ifjfLFkfr;k e rCnhyh gk xb gk rk og , l fdlh vkn'k dh , lh jhfr e tlh fd U;k;ky; U;k; le> fdlh i{kdkj dh çj.kk ij ifjofrr] :iHkfnr ;k fo[kf.Mr dj ldxkA

*(3) ;fn U;k;ky; dk lekèkku gk tkrk g fd ml i{kdkj u ftld i{k e fd bl èkkjk d vèkhu vkn'k fn;k tk pdk g] iu% fookg dj fy;k g ;fn , lk i{kdkj iRuh g rk og lrh ugh jgh g] ;fn , lk i{kdkj ifr g rk mlu fdlh L=h l fookg d ckn yfxd lEHkkx fd;k g rk og nlj i{kdkj dh çj.kk ij , l fdlh vkn'k dh , lh jhfr e tk U;k;ky; U;k; lxr le>] ifjofrr mikrfjr ;k fo[kfMr dj ldxkA***

38. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 को सामर्थ्यकारी उपबंध अभिनिर्धारित किया गया है। धारा 25 में आने वाली महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं: ''किसी डिक्री को पारित किए जाने के समय पर'' और ''उसके पश्चात किसी समय पर''। तार्किक रूप से, शब्द ''कोई डिक्री'' समस्त प्रकार की डिक्रियों को सम्मिलित करेगी। **''रमेश चंद्र रामप्रतापजी दागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र दागा,'' (2005)2 SCC 33,** में अभिवचन किया गया था कि जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन विवाह अकृत एवं शून्य पाया गया है, स्थायी निर्वाह भत्ता अथवा भरण-पोषण के प्रदान का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा।'' **चांद धवन (श्रीमती) बनाम जवाहर लाल धवन, (1993)3 SCC 406,** जिसमें परस्पर सहमति से तलाक इप्सित करने वाली याचिका विफल हो गयी थी क्योंकि पक्षों ने सांविधिक प्रतीक्षा अवधि के दौरान अपनी सहमति वापस ले लिया था, में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"18. oreku ekey e] ifr dh ;kfpdk ij] f}rh; fookg dk vÑr ,o 'kU; d :i e ?kkf"kr djr g, fMØh çnku fd;k x;k gA fo}ku vfèkoDrk u rd fd;k g fd tgk fookg dk vÑr ,o 'kU; vFkkr fofèk dh nf"V e vfo|eku ik;k x;k g] oreku çR;Fkh iRuh d :i e LFkk;h fuokg HkÙkk vFkok Hkj.k&ik"k.k çnku dju d fy, nkok ugh dj ldrh gA geu gekj le{k m)r mPp U;k;ky; d fojkèkh fu.k;k d vkykd e èkkjk 25 d çkoèkkuk dk ijh{k.k fd;k gA gekj lfopkfjr er e] tlk bl U;k;ky; }kjk pkn èkou ekey e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g]** fdlh fMØh dk ikfjr fd, tku d le; ij vFkok mld i'pkr fdlh le; ij vfèkfu;e d vèkhu vfèkdkfjrk dk ç;kx dju oky U;k;ky;** dk l{ke cuku okyh èkkjk 25 d vkjfHkd Hkkx e ç;Dr vfHk0;fDr doy] tlk çfrokn fd;k x;k g] èkkjk 10 d vèkhu U;kf;d iFkDdj.k vFkok èkkjk 13 d vèkhu ryk d dh fMØh fucfèkr ugh fd;k tk ldrk gA tc foèkkueMy u ^^fdlh fMØh dk ikfjr dju d le; ij** tlh 0;kid vfHk0;fDr dk ç;kx fd;k g] ;g vfHk0;fDr d vrxr leLr çdkj dh fMfØ;k tlk èkkjk 9 d vèkhu nkiR; vfèkdkj dk iR;koru] èkkjk*

*10 d vèkhu U;kf;d iFkDdj.k] èkkjk 11 d vèkhu fookg dk vÑr ,o 'kU; ?kkf"kr dju] èkkjk 12 d vèkhu 'kU; fd, tku ;kX; fookg dk fujlu vkj èkkjk 13 d vèkhu rykd dk lekfo"V djrh gA***

39. उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पत्नी एवं पुत्री दोनों को भरण–पोषण का भुगतान पूर्णतः न्यायोचित था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया:–

"20. .....foÙkh; :i l vkfJr ifr@iRuh dk nfjn ugh cuku d ç;kstu l èkkjk 25 ookfgd lcèk d Hkx e ifj.kr gku okyh fdlh çdkj dh fMØh ikfjr fd, tku d le; ij Hkj.k&ik"k.k vfèkfu.khr dju d fy, U;k;ky; dk l{ke cukrh gA

*21. èkkjk 25 lkeF;dkjh micèk gA ;g U;k;ky; dk ookfgd ekey e vkonu nu oky ifr@iRuh d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj ,o fofuf'pr dju d fy, l'kDr cukrh g fd LFkk;h fuokg HkÙkk vFkok Hkj.k&ik"k.k çnku fd;k tk, ;k ughA***

40. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी एवं पुत्र का भरण–पोषण नहीं कर रहा था। केवल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन दाखिल आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद अपीलार्थी पति न्यायालय के आदेश द्वारा केवल अपनी पत्नी को भरण–पोषण राशि का भुगतान करने लगा, अपीलार्थी पति जो बैंक अधिकारी है पत्नी को भरण–पोषण राशि का भुगतान करता प्रतीत होता है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी और उसका पुत्र न्यायालय में उपस्थित था और न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि क्या अपीलार्थी अपने पुत्र को जीवन में स्थिर करने का इच्छुक है, अनुदेश पर विद्वान वरीय अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि अपीलार्थी धनबाद स्थित अपने पैतृक घर को पुत्र को देने के लिए तैयार है। प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपदर्शित किया कि उक्त घर वाद के अधीन है और इस मामले के साक्ष्य में भी यह आया है कि उक्त संपत्ति के संबंध में अभिधान वाद विचारण न्यायालय में लंबित है। अपीलार्थी ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि वह आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में बैंक में कार्यरत है और वर्तमान में बाम्बे में रह रहा है। अनेक वर्षों से अपीलार्थी का आचरण उपदर्शित करता है कि उसने अपनी पत्नी और स्वयं अपने पुत्र जिसकी पितृत्वता का उसने विवाद नहीं किया है का भरण–पोषण करने की अपनी बाध्यता का पूरा त्याग कर दिया है।

41. विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ की गयी क्रूरता को सिद्ध किया गया अभिनिर्धारित किया है। अपीलार्थी ने स्वयं अपने पिता को जारकर्मी के रूप में नामित करते हुए अपनी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म का असंयमित और लापरवाह अभिकथन किया है।'' **आर॰ बालासुब्रमणियण बनाम विजयालक्ष्मी सुब्रमणियण (श्रीमती), (1999)7 SCC 311,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि अभिकथन कि पत्नी का अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ यौन संभोग था, पत्नी के विरुद्ध गंभीर अभिकथन है और अधिनियम के अधीन अथवा अन्यथा उसके विरुद्ध अनुतोष इप्सित करने का हकदार बनाते हुए पति का क्रूर आचरण दर्शाता है।

42. यह पाया गया है कि अपीलार्थी पति 'लंबे समय से' बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी था। उसके अभिसाक्ष्य से यह भी पाया गया है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था जबकि प्रत्यर्थी पत्नी अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। अब यह स्वीकृत अवस्था भी है कि पुत्र ललन कुमार जिसका जन्म उनके विवाह संबंध से हुआ था वयस्क है और बेरोजगार बताया जाता है। यह दर्शाने के

लिए अभिलेख पर कुछ भी मौजूद नहीं है कि वह नियोजित है। प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से यह भी प्रकथन किया गया है कि अपीलार्थी पति ने वर्ष 1996 से अपनी पत्नी एवं पुत्र का भरण–पोषण नहीं किया था। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को मुकदमा में घसीट लिया जो 13 वर्षों से अधिक तक जारी रहा और इस प्रकार उसको घोर मानसिक वेदना एवं परेशानी कारित किया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय इसे समुचित पाता है कि प्रत्यर्थी पत्नी भरण–पोषण की हकदार है और अपीलार्थी पति पर व्यय भी अधिरोपित किया जाना चाहिए।

43. अवर न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्वयं उसके भरण–पोषण और उसके पुत्र के भरण–पोषण के कारण प्रत्यर्थी पत्नी को भुगतान किए जाने के लिए 7000/- (सात हजार) रुपया प्रतिमाह का अंतरिम भरण–पोषण अधिनिर्णीत किया था। प्रत्यर्थी पत्नी ने भरण–पोषण बढ़ाए जाना इप्सित करते हुए कोई प्रति अपील दाखिल नहीं किया है। ऐसी कोई अपील दाखिल किए जाने की अनुपस्थिति में विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि इस अपील को खारिज करते हुए क्या 7000/- (सात हजार) रुपयों की मासिक भरण–पोषण राशि बढ़ायी जा सकती थी। जैसी चर्चा पहले की गयी है, धारा 25 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में किसी डिक्री को पारित किए जाने के समय पर अथवा उसके पश्चात किसी समय पर ''न्यायालय पक्षों के आचरण एवं मामले की अन्य परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए भरण–पोषण के लिए ऐसी कुल राशि अथवा मासिक या सावधिक राशि, जैसा न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है, का आदेश दे सकता है। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLI नियम 33 के अधीन अपीलीय न्यायालय को पक्षों के बीच न्याय देने की व्यापक शक्ति है। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLI नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है भले ही पक्ष में कोई 'अपील अथवा प्रति आपत्ति दाखिल नहीं किया है जिसके पक्ष में सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLI नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग इप्सित किया गया है। भले ही प्रत्यर्थी पत्नी ने कोई प्रति–अपील दाखिल नहीं किया है, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में और अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखकर, हमारे सुविचारित मत में, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLI नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं उसके भरण–पोषण के लिए और पुत्र के भरण–पोषण के लिए प्रत्यर्थी पत्नी को अधिनिर्णीत भरण–पोषण राशि बढ़ाया जाना है।

44. हमारा दृष्टिकोण है कि प्रत्यर्थी पत्नी स्वयं अपने भरण–पोषण एवं अपने पुत्र के भरण–पोषण की हकदार है। वर्ष 2004 में 7000 /- (सात हजार) रुपया प्रतिमाह की राशि का आदेश दिया गया था जब अपीलार्थी बैंक ऑफ इंडिया में केवल एक अधिकारी था। वर्तमान में, अपीलार्थी को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत बताया जाता है और वह बॉम्बे में रह रहा है। वर्ष 2004 में प्रत्यर्थी पत्नी के लिए 4000/- रुपए प्रतिमाह और पुत्र के लिए 3000/- रुपए प्रतिमाह सहित 7000/- (सात हजार) रुपयों की भरण–पोषण राशि प्रदान की गयी थी। मुद्रा स्फीती एवं बढ़ती कीमत पर विचार करते हुए और यह कि पुत्र अभी भी बेरोजगार है, न्याय के हित में 7000/- (सात हजार) रुपया प्रतिमाह की भरण–पोषण राशि प्रत्यर्थी पत्नी के लिए 10,000/- (दस हजार) रुपया प्रतिमाह और उसके पुत्र के लिए 3000/- रुपया प्रतिमाह सहित 13,000/- (तेरह हजार) रुपया प्रतिमाह तक बढ़ायी जाती है।

45. परिणामस्वरुप, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री, जिसके द्वारा विवाह के विघटन के लिए और तलाक की डिक्री के लिए वाद खारिज कर दिया गया था, एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है। आगे 7000/- (सात हजार) रुपया प्रतिमाह की स्थायी निर्वाह भत्ता की राशि को उपांतरित करते हुए इसे प्रत्यर्थी पत्नी के लिए 10,000/- (दस हजार) रुपया प्रतिमाह और पुत्र के लिए 3000/- (तीन हजार) रुपया प्रतिमाह सहित 13000/- (तेरह हजार) रुपया प्रतिमाह तक बढ़ाया जाता है। बढ़ायी गयी 13,000/- (तेरह हजार) रुपया

प्रतिमाह की भरण-पोषण राशि मार्च, 2014 से भुगतेय है। अपीलार्थी पति द्वारा भुगतान किए जाने वाले भरण पोषण के अधिनिर्णय में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को अपनी पत्नी को 1,00,000/- (एक लाख) रुपयों का मुकदमा के व्यय का भुगतान करने का निर्देश भी दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferko dekj xlrk] U;k;efr

किशोरी मोहन ओझा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 80 of 2008. Decided on 5th August, 2014.

सेवा विधि-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के स्वीकरण के लिए दाखिल रिट याचिका की खारिजी के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गयी-याची जो चिकित्सा अधिकारी है अप्राधिकृत अवकाश पर बना रहा और तद्नुसार विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-जहाँ तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की उसकी प्रार्थना का संबंध है, उसने 20 वर्ष की सेवा पूरा नहीं किया है जैसा सेवा संहिता की धारा 74 के अधीन आवश्यक है-एकल न्यायाधीश ने सही रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया-किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-एल० पी० ए० खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.-M/s Ashutosh Kumar Singh, Anil Kumar, Venkateshwar Gopal, For the Appellant; Miss Bharti Kumari, For the State.

अमिताव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.-वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 2344 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 28.1.2008 के आदेश से उद्भूत हुआ है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के स्वीकरण के लिए याची/अपीलार्थी का रिट खारिज कर दिया।

2. अपीलार्थी/याची ने यह कथन करते हुए पूर्वोक्त रिट दाखिल किया कि उसे दिनांक 4.8.1983 की अधिसूचना सं० 841 (2) के तहत चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और अधिसूचना के अनुसरण में उसने गृह विभाग के अधीन कारा चिकित्सक के रूप में दिनांक 24.8.1983 को पदग्रहण किया। उसने अनेक स्थानों पर काम किया और उसे चिकित्सा अधिकारी के रूप में सदर अस्पताल, चाईबासा स्थानांतरित किया गया था। कि उसने दिनांक 9.10.2001 से दिनांक 11.10.2001 तक आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन भेजा और सिविल सर्जन, चाईबासा ने दिनांक 16.10.2001 के मेमो सं० 1584 के तहत उक्त आवेदन अनुमोदित किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 11 नवंबर, 2001 तक अपना आकस्मिक अवकाश बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। कि समय-समय पर अपीलार्थी आकस्मिक अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए अधीक्षक, सदर अस्पताल, चाईबासा को आवेदन भेजता रहा और वह अवकाश पर बना रहा।

कि यह ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित था और इसलिए उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिनांक 19.10.2004 को आवेदन दिया। कि वह प्रत्यर्थी सं० 3, उपसचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 24.3.2006 के पत्र सं० 117 (8) की प्राप्ति के बाद यह जानकर चकित था कि दिनांक 29.9.2005 के परिपत्र सं० 166 (8) के तहत उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और उक्त पत्र द्वारा उसे द्वितीय कारण बताओ का उत्तर देने का निर्देश दिया गया था।

यह कथन किया गया है कि उसने पुनः दिनांक 28.7.2006 को प्रत्यर्थी सं० 2, सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के लिए आवेदन दिया क्योंकि वह स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक सेवा की न्यूनतम आज्ञापक वर्षों को पूरा कर चुका था। यह कथन किया गया है कि उसके आवेदन पर आदेश पारित नहीं किया गया था जो प्रत्यर्थी की ओर से अवैध एवं मनमाने कार्रवाई के तुल्य है। कि एकपक्षीय विभागीय जाँच के आधार पर अपना कारण बताओ दाखिल करने का अपीलार्थी को निर्देश देने वाली विभागीय कार्यवाही और दिनांक 24.3.2006 का आदेश अवैध है।

उक्त आधारों पर अपीलार्थी–याची द्वारा उपरोक्त रिट दाखिल किया गया था।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि अवकाश बढ़ाने के लिए अपीलार्थी/याची के आवेदनों को न तो प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार किया गया था और न ही प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्णय के संबंध में कोई संसूचना भेजी गयी थी और इस प्रकार, अपीलार्थी इस धारणा के अधीन था कि अवकाश बढ़ाने के लिए उसका आवेदन प्रत्यर्थीगण द्वारा अनुज्ञात किया गया है। कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे कि संपूर्ण विभागीय कार्यवाही अपीलार्थी पर नोटिस तामील किए बिना आरंभ की गयी थी और प्रत्यर्थी की संपूर्ण कार्रवाई सिविल सेवा वर्गीकरण नियमावली एवं सेवा संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है। यह कि याची ने सेवा के न्यूनतम आज्ञापक वर्षों को पूरा किया था और प्रत्यर्थीगण को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसका आवेदन स्वीकार करना चाहिए था जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया है।

4. राज्य/प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी अक्टूबर, 2001 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था और उसकी अनुपस्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाईबासा द्वारा दिनांक 24.9.2005 के पत्र सं॰ 1805 द्वारा विभाग को रिपोर्ट की गयी थी। कि डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 740 वर्ष 2003 और अवमान मामला सं॰ 940 वर्ष 2004 में पारित आदेश के परिणामस्वरुप उन डॉक्टरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी जो अनेक वर्षों से सेवा से अनुपस्थित बने रहे और अपीलार्थी को अक्टूबर, 2001 से अनुपस्थित पाया गया था। विभागीय कार्यवाही के संचालन करने वाले अधिकारी ने आरोपों को सत्य पाया क्योंकि अपीलार्थी ने अपनी अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था और केवल सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अधीन आवेदन भेजने का प्रमाण प्रस्तुत किया था जिसे प्रमाण के रूप में नहीं माना गया था।

कि विभाग ने सेवा से अपीलार्थी की बर्खास्तगी के लिए द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया और विभाग द्वारा इप्सित अनुमोदन दिनांक 13.12.2006 को मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया गया था और बर्खास्तगी की सहमति लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 23.5.2008 के मेमो सं॰ 642 द्वारा प्रदान की गयी थी। कैबिनेट ने दिनांक 16.10.2008 को बर्खास्तगी आदेश अनुमोदित एवं संपुष्ट किया। तद्नुसार, सम्यक अनुमोदन पाने के बाद विभाग ने दिनांक 26.11.2008 के पत्र सं॰ 224 (4) के तहत महालेखाकार को बर्खास्तगी आदेश भेजा।

कि राज्य सेवा संहिता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के स्वीकरण के लिए नियमित सेवा का न्यूनतम 20 वर्ष विहित करती है किंतु अपीलार्थी/याची ने सेवा का आज्ञापक न्यूनतम आवश्यक अवधि पूरा नहीं किया था, अत: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान अपील पोषणीय नहीं है।

5. दस्तावेजों के परिशीलन पर यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 4.8.1983 की अधिसूचना सं॰ 2/MI-2-41/82 खंड 841 (2) द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रूप

में नियुक्त किया गया था और उसने परिशिष्ट 1 एवं 2 के मुताबिक दिनांक 24.8.1983 को गृह (कारा) विभाग में कारा चिकित्सक के रूप में पद ग्रहण किया। कि उसने आकस्मिक अवकाश के लिए सिविल सर्जन को आवेदन दिया और उसे दिनांक 9.10.2001 से दिनांक 11.10.2001 तक आकस्मिक अवकाश प्रदान किया गया था (परिशिष्ट 3)। अपीलार्थी द्वारा यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई भी आवेदन नहीं लाया गया है कि उसने समय-समय पर अपने अवकाश के विस्तारण के लिए आवेदन दिया था। ऐसी किसी सामग्री की अनुपस्थिति में इसे अप्राधिकृत अनुपस्थिति के रूप में मानना होगा। विभागीय कार्यवाही सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने में सही प्रकार से परिणत हुई।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 की ओर आकृष्ट किया है जो अनुबंधित करता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नियमित सेवा का न्यूनतम 20 वर्ष आज्ञापक है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 4.8.1983 को नियुक्त किया गया था और उसने दिनांक 3.8.2003 को सेवा का 20 वर्ष पूरा कर लिया होता किंतु अपीलार्थी अक्टूबर, 2001 से अनुपस्थित बना रहा और अक्टूबर, 2001 से अपनी अनुपस्थिति न्यायोचित ठहराने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, उसने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति इप्सित करने के लिए उसको पात्र बनाने के लिए संहिता के नियम 74 के निबंधनानुसार नियमित सेवा का आवश्यक 20 वर्ष पूरा नहीं किया है। तद्नुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपील में सही रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है और हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए गुणागुण नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप, अपील खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn] U;k;efr

रुपचंद जैन (2462, 2464 में)

सुमेर चंद जैन (2463, 2465 में)

cuke

हजारीबाग नगर परिषद् आयुक्त एवं एक अन्य (सभी में)

W.P. (C) Nos. 2462-2465 of 2013. Decided on 11th August, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 21 नियम 97, 99 एवं 101 सह-पठित धारा 151—बेदखली डिक्री का निष्पादन–इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री धारकों की ओर से इस प्रभाव की आपत्ति की गयी थी कि आदेश जिसे सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 21 नियम 97 के अधीन और न कि आदेश 21 नियम 98 अथवा 100 के अधीन पारित किया गया है के विरुद्ध अपीलें पोषणीय नहीं हैं, आदेश 21 नियम 97 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल विविध अपीलों की सुनवाई के लिए ग्रहण किया गया है–अपीलें ग्रहण की गयी हैं और प्रश्न जिसे न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा यह है कि क्या अपीलें पोषणीय हैं–निर्देश के साथ आवेदन निपटाया गया। (पैराएँ 3, 4, 6 से 9)

अधिवक्तागण.– Mr. Ayush Aditya, For the Petitioners; Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Respondents.

आदेश

इन समस्त चारों आवेदनों को साथ सुना गया था क्योंकि इन मामलों में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक एक ही हैं और, इसलिए, इस एक ही आदेश द्वारा इन मामलों को निपटाया जा रहा है।

2. चार बेदखली वादों–बेदखली वाद सं॰ 14/1986, 3/1988, 4/1988 और 5/1988—को वादी-याचीगण की ओर से प्रतिवादीगण जो किराएदार हैं के विरुद्ध दाखिल किया गया था। वादों को डिक्री

किया गया था। उसके विरुद्ध अभिधान अपीलें दाखिल की गयी थी जिन्हें भी खारिज कर दिया गया था। इस पर, द्वितीय अपीलें एस॰ ए॰ सं॰ 89 वर्ष 2005, 140 वर्ष 2005, 145 वर्ष 2005 और 149 वर्ष 2005 इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी थी जिन्हें भी खारिज कर दिया गया था। उन आदेशों से व्यथित होकर, प्रतिवादीगण–किरायेदारों ने एस॰ एल॰ पी॰ दाखिल किया। उन एस॰ एल॰ पी॰ को भी खारिज कर दिया गया था। किंतु, किराएदार–प्रतिवादी, जिन्होंने एस॰ एल॰ पी॰ दाखिल किया था, को उस तिथि से चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में सामान्य वचन दाखिल करने के अध्यधीन प्रश्नगत परिसर को खाली करने के लिए छह माह का समय प्रदान किया गया था। जब प्रतिवादी–किराएदार ने वाद परिसर खाली नहीं किया था, वादी डिक्रीधारक ने निष्पादन मामलों को दाखिल किया। उन निष्पादन मामलों में उपायुक्त, हजारीबाग की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97, 99, 101 सह–पठित धारा 151 के अधीन आवेदनों को दाखिल किया गया था। उन आवेदनों को दिनांक 9.7.2007 को अस्वीकार कर दिया गया था। उस आदेश के विरुद्ध, जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के समक्ष विविध अपीलें दाखिल की गयी थी जिन्हें दिनांक 27.10.2010 के आदेश के तहत अपोषणीय के रूप में खारिज कर दिया गया था। पाँच वर्षों से अधिक के बाद आयुक्त हजारीबाग नगर परिषद् की ओर से सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 21 नियम 97, 99, 101 सह–पठित धारा 151 के अधीन दिनांक 8.6.2012 के आवेदनों को दाखिल किया गया था जिन्हें यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि विविध मामला दर्ज करने के लिए भी कोई मामला नहीं बनाया गया है, खारिज कर दिया गया था।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उसमें यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आवेदन विविध मामलों के रूप में दर्ज किए जाने योग्य नहीं है, ऐसे निर्णय के बावजूद जिला न्यायाधीश, हजारीबाग के समक्ष विविध अपीलें दाखिल की गयी थी जिन्हें सुनवाई के लिए ग्रहण किया गया है यद्यपि ग्रहण के समय यह अभिवचन करते हुए विविध अपीलों की पोषणीयता के ऊपर आपत्ति की गयी थी कि जब निष्पादन न्यायालय द्वारा इसे विविध मामला के रूप में दर्ज किए बिना दहलीज पर ही विविध मामला खारिज कर दिया गया था, अपीलें पोषित नहीं की जा सकती है क्योंकि अपील केवल तब पोषित की जा सकती है जब संहिता के आदेश 21 नियम 98 एवं 100 के अधीन आदेश पारित किया जाता है। डिक्री धारकों द्वारा की गयी इस आपत्ति को अनदेखा करते हुए अपीलें सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी हैं। उस आदेश से व्यथित होकर इन अपीलों को दाखिल किया गया है।

4. स्वीकृत रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री धारकों की ओर से इस प्रभाव की आपत्ति की गयी थी कि आदेश, जिसे संहिता के आदेश 21 नियम 97 के अधीन और न कि आदेश 21 नियम 98 अथवा 100 के अधीन पारित किया गया है, के विरुद्ध अपीलें पोषणीय नहीं है; आदेश 21 नियम 97 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल विविध अपीलें सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी है।

5. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलों को ग्रहण करने वाले आदेशों को अभिखंडित करने की आवश्यकता है।

6. इसके विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि याचीगण की ओर से अभिवचन किया जा रहा है कि निष्पादन न्यायालय ने विविध मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं पाया था किंतु निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह प्रतीत होगा कि उन्होंने मामले के गुणागुण को छुआ भी है।

7. इस चरण पर, याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि निष्पादन न्यायालय ने पक्ष के अभिधान से संबंधित मामले पर विचार करते हुए दर्ज किया होगा किंतु वस्तुतः, उन्होंने विविध मामले के रूप में इसे दर्ज करने के लिए भी मामला पोषणीय नहीं पाया है।

8. चूँकि अपीलें ग्रहण की गयी हैं और प्रश्न जिसे न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा यह है कि क्या अपीलें पोषणीय हैं या नहीं, मैं, उस आदेश जिसके अधीन अपीलों को ग्रहण किया गया है में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। किंतु डिक्री धारकों को यह अभिवचन सदैव उपलब्ध होगा कि आयुक्त, हजारीबाग नगर परिषद् द्वारा दाखिल अपीलें पोषणीय नहीं हैं।

9. इन परिस्थितियों के अधीन, पूर्वोक्त समस्त चारों आवेदनों को विविध अपीलों की पोषणीयता से संबंधित विवाद्यक को जिला न्यायाधीश के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता याचीगण को देते हुए निपटाया जा रहा है। यदि इन्हें उठाया जाता है, इसे तीन माह के भीतर विनिश्चित किया जाए क्योंकि मुकदमा लड़ने में काफी समय लगाया जा चुका है जो बेदखली से संबंधित मामले से संबंधित है।

इन संप्रेक्षणों के साथ इन समस्त आवेदनों को निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

बनवारी लाल अग्रवाल

cuke

मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लि॰ एवं एक अन्य

M.A. No. 270 of 2010. Decided on 26th August, 2014.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धाराएँ 168 एवं 173—दुर्घटना–उल्लंघन करने वाले वाहन के अपीलार्थी स्वामी पर अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व डाला गया–तृतीय पक्ष संपत्ति की नुकसानी के प्रति दायित्व आच्छादित करते हुए अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था–अधिनिर्णय इस सीमा तक उपांतरित किया गया कि अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Kumar Singh, For the Appellant; Mr. G.C. Jha, For the Res. No. 1; M/s Shyam Sundar Ojha, Manoj Kumar Choubey, For the Res. No. 2.

आदेश

यह अपील (उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामी) बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा मुआवजा मामला सं॰ 300 वर्ष 2000 के संबंध में पीठासीन अधिकारी, एम॰ ए॰ सी॰ टी॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 3.9.2010 के निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा दावेदार को 44,700/- रुपयों की सीमा तक के मुआवजा का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया है जिसमें से 6000/- रुपयों की राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा और 38,700/- रुपयों का भुगतान वाहन स्वामी (अपीलार्थी) द्वारा किया जाएगा।

2. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय का इस आधार पर विरोध किया कि बीमा पॉलिसी (प्रदर्श A) के मुताबिक अपीलार्थी ने तृतीय पक्ष संपत्ति नुकसान का जोखिम आच्छादित करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया है किंतु विद्वान अधिकरण ने गलत रूप से अपीलार्थी एवं बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजा की राशि को वितरित किया है। पॉलिसी करार के मुताबिक, अधिकरण द्वारा निर्धारित संपूर्ण मुआवजा का भुगतान करने का दायी बीमा कंपनी है और उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

3. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के लिए उपस्थित अधिवक्ता विवाद नहीं करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

4. संक्षेप में तथ्य यह है कि रजिस्ट्रेशन सं॰ OR-11-5123 वाला ट्रक लापरवाही से एवं उपेक्षापूर्वक चलाए जाने के कारण मिलिट्री वाहन जोंगा जीप को राँची–रामगढ़ पथ पर चकला–महालक्ष्मी कारखाना के निकट टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरुप मिलिट्री वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

5. वाहन के नुकसान के विरुद्ध मुआवजा के प्रदान के लिए आवेदन भारत संघ द्वारा बिग्रेडियर आर॰ एम॰ शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और उक्त आवेदन के आधार पर मुआवजा मामला सं॰ 300/2000 दर्ज किया गया था।

6. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय पारित किया, अत: यह अपील की गयी है।

7. चूँकि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी तृतीय पक्ष संपत्ति के नुकसान के विस्तारित दायित्व को आच्छादित करते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रीमियम को विवादित नहीं करती है, निर्णय एवं अधिनिर्णय इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि दिनांक 20.6.2009 से 7% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ 44,700/- रुपया अर्थात् अधिकरण द्वारा निर्धारित अधिनिर्णीत मुआवजा राशि का भुगतान प्रत्यर्थी सं॰ 1 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि 6000/- रुपयों के अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान, जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा दावेदार को किए जाने का निर्देश दिया गया है, किया जा चुका है, उसे कुल मुआवजा राशि से काट लिया जाएगा।

9. अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करने के समय इस अपील के संबंध में जमा की गयी सांविधिक राशि वापस निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

उक्त उपांतरण के साथ अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferko dekj xlrk] U;k;efr

शांतनु कुमार चौधरी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 495 of 2012. Decided on 6th August, 2014.

नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976—धारा 3—यह संप्रेक्षित करते हुए कि न्यायालय पक्षों के परस्पर दावा पर कोई मत अभिव्यक्त करने से स्वयं को पीछे हटा रहा है, रिट याचिका निपटाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील–विवाद तीन दशक पुराना है–अभिनिर्धारित किया गया, वर्तमान एल॰ पी॰ ए॰ विनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान अपील में उठाए गए विवादित बिंदु आपस में गुथे हुए हैं–वर्तमान एल॰ पी॰ ए॰ के साथ जोड़े जाने एवं सुने जाने के लिए अन्य एल॰ पी॰ ए॰ को वापस लेने के लिए प्रशासनिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया गया। (पैरा 15)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tiwari. S. Rahman, O.P. Singh, For the Petitioner; M/s Shamim Akhtar, S.C. Mines, For the Resp.-State; M/s. Sunil Kumar, V. Shivnath, A.Aditya, S.Shekhar, For the Resp. No. 4.

आर॰ बानुमथी, मुख्य न्यायाधीश.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3406 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 2.11.2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान एकल

न्यायाधीश ने यह संप्रेक्षित करते हुए कि न्यायालय पक्षों के परस्पर दावा पर कोई मत अभिव्यक्त करने से परहेज कर रहा है क्योंकि परस्पर मामलों में अपीलार्थी के विरुद्ध की जा रही नगरीय भूमि महत्तम सीमा कार्यवाही को उपशमनित हो गया अभिनिर्धारित किया गया है, रिट याचिका निपटाया।

2. मौजा हीरापुर में अनेक भूखंड सं॰ 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481 और 2483 में खाता सं॰ 60 के संबंध में विवाद और नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यवाही अनेक मुकदमों की ओर ले गयी है। विवाद लगभग तीन दशक पुराना है। विनिश्चयकरण के लिए आया केंद्रीय विवाद्यक यह है कि क्या राज्य सरकार ने भूमि का कब्जा लिया था और दिनांक 24.1.2011 को झारखंड राज्य द्वारा निरसन अधिनियम, 1999 अपनाए जाने के बाद नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन संपूर्ण कार्यवाही उपशमनित हो गयी है। विचारार्थ आया एक अन्य बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी/रिट याची 1.61 एकड़/37½ डिसमिल संपूर्ण भूमि का हकदार है अथवा किसी सीमा तक बिल्कुल हकदार नहीं है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि मौजा हीरापुर के खाता सं॰ 60 के अधीन भूमि अंतिम सर्वे एवं व्यवस्थापन ऑपरेशन में कृषि भूमि एवं 'बांध' के रूप में नारायण पॉल एवं अन्य के नाम में दर्ज की गयी थी और इसे दिनांक 29.8.1925 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा रायबहादुर शिवदास बनर्जी को बेचा गया था। राय बहादुर शिवदास बनर्जी की मृत्यु अपने पीछे एकमात्र पुत्री श्रीमती गौरी रानी देवी को छोड़कर हो गयी जिसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा अपीलार्थी शांतुन कुमार चौधरी को 1.61 एकड़ मापवाले खाता सं॰ 60 के अधीन भूमि बेच दिया। दिनांक 1.4.1976 को नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 प्रभाव में आया। नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियिमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के मुताबिक महत्तम सीमा क्षेत्र की तुलना में आधिक्य भूमि के संबंध में अपीलार्थी को नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) के अधीन नोटिस सं॰ 307 भेजा गया था। दिनांक 28.10.1976 को अपीलार्थी ने यह कथन करते हुए कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है, भूमि का विवरण देते हुए समाहर्त्ता को उत्तर दिया।

4. दिनांक 25.5.1982 को अपीलार्थी ने किसी अवध किशोर सहाय को मुख्तारनामा दिया था। दिनांक 17.6.1982 को मुख्तारनामा धारक ने सावित्री देवी एवं अन्य, जो मुख्तारनामा धारक की पत्नी एवं संतानें हैं, को दिनांक 17.6.1982 एवं दिनांक 2.9.1982 के विक्रय विलेख द्वारा भूमि बेचा। यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही से भूमि छोड़े जाने का दावा करते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिटर्नों के आधार पर अपीलार्थी, चतुर्थ प्रत्यर्थी एवं अन्य खरीदारों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल किया है। उपायुक्त, धनबाद ने दिनांक 8.3.1988 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की छूट का दावा एवं प्रत्यर्थी सं॰ 4 का छूट का दावा भी अस्वीकार कर दिया और 1.61 एकड़ की संपूर्ण भूमि अर्जित करने की अनुशंसा की। दिनांक 8.3.1988 के आदेश को चुनौती देते हुए, दो भूमि महत्तम सीमा अपीलें अर्थात् अपील सं॰ 50 वर्ष 1988 और 56 वर्ष 1988 को आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग के समक्ष दाखिल किया गया था और इन्हें सुना गया था और दिनांक 9.4.1990 के आदेश द्वारा आदेश में आयुक्त द्वारा विरचित विवाद्यकों के मुताबिक नए सिरे से विनिश्चित किए जाने के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

5. दिनांक 9.4.1990 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 31.12.1995 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि भूमि कृषि भूमि नहीं थी और भूधारक अर्थात् अपीलार्थी केवल एक इकाई अर्थात् 1.61 एकड़ भूमि में से पाँचवे हिस्से अर्थात् 37½ डिसमिल का हकदार था और शेष भूमि को अधिशेष भूमि के रूप में घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं अन्य खरीदारों ने डिविजनल

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग के समक्ष नगरीय भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 25 वर्ष 1996 दाखिल किया और अपील लंबित रहने के दौरान प्राधिकारी भूमि का कब्जा लेने के लिए अग्रसर हुए। उस कारण से प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने रिट सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 889 वर्ष 1996 (R) दाखिल किया और इसे यह निर्देश देते हुए दिनांक 25.3.1996 को निपटाया गया था कि अंतरिम अनुतोष के लिए उनके आवेदन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने तक दिनांक 31.12.1995 के आदेश को प्रभाव नहीं दिया जाएगा। अंतत: डिविजनल आयुक्त ने दिनांक 18.6.1996 के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2078 वर्ष 1996 (R) दाखिल किया और इसे दिनांक 9.8.1996 को अनुज्ञात किया गया था और अपीलीय प्राधिकारी को नए सिरे से मामला विनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। पुन: अपीलीय प्राधिकारी ने मामला निष्कर्षित किया और दिनांक 31.8.1999 के आदेश द्वारा अपील अस्वीकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31.8.1999 के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं अन्य खरीदारों ने पुन: रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 545 वर्ष 2000 दाखिल किया और इसे दिनांक 12.10.2001 को अनुज्ञात किया गया था और दिनांक 31.8.1999 का अपीलीय आदेश अपास्त किया गया था और अपीलीय प्राधिकारी को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था।

6. अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 11.2.2004 के आदेश द्वारा पुन: यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील अस्वीकार कर दिया कि यह पुराना मामला था और बिहार राज्य द्वारा निरसन अधिनियम, 1999 नहीं अपनाया गया था और अपीलों के गुणागुण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31.12.1995 का आदेश संपुष्ट किया गया था। दिनांक 11.2.2004 के अपीलीय प्राधिकारी के आदेश एवं दिनांक 31.12.1995 के मूल आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं अन्य खरीदारों ने रिट डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160 वर्ष 2004 यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुज्ञात की गयी थी कि नगरीय भूमि महत्तम सीमा अधिनियम के अधीन संपूर्ण कार्यवाही उपशमनित हो गयी थी और उसके विरुद्ध अपीलार्थी ने अपील एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 515 वर्ष 2012 दाखिल किया है। डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए राज्य ने भी एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 में अपील दाखिल किया है और खंडपीठ सं॰ II के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ लंबित हैं।

7. अपीलार्थी ने अभिधान वाद सं॰ 190 वर्ष 1987 दाखिल किया और इसे दिनांक 22.11.2007 को खारिज कर दिया गया था जहाँ कुछ विवाद्यकों को अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया गया बताया जाता है और अपीलार्थी द्वारा दाखिल अभिधान अपील सं॰ 3 एवं 14 वर्ष 2008 भी खारिज कर दी गयी थी। दिनांक 15.5.2008 को अपीलार्थी ने 37.5 डिसमिल भूमि के सीमांकन के लिए रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3406 वर्ष 2008 दाखिल किया और प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने भी अपने को पक्ष के रूप में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन दाखिल किया और उसे प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया गया था। इस बीच झारखंड राज्य ने (दिनांक 24.1.2011 के प्रभाव से) नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 अपनाया और अपीलार्थी ने संपूर्ण 1.61 एकड़ भूमि की निर्मुक्ति के लिए संशोधन याचिका दाखिल किया और संशोधन याचिका अनुज्ञात की गयी थी। अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में कब्जा की घोषणा, संपुष्टिकरण एवं पुनर्स्थापन तथा व्यादेश के लिए एक अन्य अभिधान वाद सं॰ 136 वर्ष 2012 दाखिल किया और इसे दिनांक 26.11.2012 को वापस ले लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3406 वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 को दिनांक 2.11.2012 के आदेश द्वारा पक्ष बनाया गया था और पृथक आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट खारिज कर दिया गया था कि नगरीय भूमि महत्तम सीमा कार्यवाही स्वयं डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 में उपशमनित अभिनिर्धारित (दिनांक 9.2.2012) की गयी है तथा यह भी कि अपीलार्थी का प्रतिवाद कि शेष भूमि प्रत्यर्थी द्वारा ले ली गयी थी, अनाधारित है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने निवेदन किया कि इस तथ्य की दृष्टि में कि रिट याचिका में उसके विरुद्ध निर्देश अथवा अनुतोष इप्सित नहीं किया गया है और रिट अनन्य रूप से अपीलार्थी एवं राज्य प्राधिकारियों के बीच था, प्रत्यर्थी सं॰ 4 को सुनवायी का कोई अधिकार नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू को देखे बिना प्रत्यर्थी सं॰ 4 को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि 1.61 एकड़ भूमि में से 37.5 डिसमिल भूमि वर्तमान अपीलार्थी को दिनांक 5.11.2011 को दी गयी थी। यह निवेदन किया गया था कि चूँकि निरसन अधिनियम झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 24.1.2011 से एवं को अपनाया गया था, राज्य को भूमि अपने पास रखने का प्राधिकार नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि 1.23½ एकड़ की सीमा तक भूमि जो राज्य सरकार के कब्जा में बनी रही, अपीलार्थी को निर्मुक्त किया जाना चाहिए।

9. प्रत्यर्थी सं॰ 4 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार ने प्रतिवाद किया कि अपीलार्थी के पक्ष में निर्मुक्त किए जाने के लिए आदेशित 37.5 डिसमिल भूमि का कब्जा उसे कभी नहीं दिया गया था और उनके बीच दस्तावेजों का विनियम मात्र कब्जा लेने के तुल्य नहीं हो सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि निरसन अधिनियम झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 24.1.2011 को अपनाया गया था और खाता सं॰ 60 के कब्जा के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है और (अधिनियम की धारा 10 (1) अथवा 10 (3) के अधीन) अधिसूचना नहीं था और धारा 10 के अधीन अधिसूचना आज्ञापक है और ऐसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में आधिक्य भूमि स्वत: सरकार में निहित नहीं होती है। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि अधिनियम की धारा 10(1) अथवा 10(3) के अधीन अधिसूचना नहीं थी और अपीलीय प्राधिकारी का दिनांक 11.2.2004 का आदेश रिट न्यायालय द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 में अपास्त कर दिया गया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि अपीलार्थी अभिधान वाद सं॰ 190/1987 में असफल होने पर और पश्चातवर्ती अभिधान वाद वापस लेने पर आधारहीन हो गया है और एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किए जाने योग्य है।

10. राज्य ने यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है कि 1.61 एकड़ भूमि की संपूर्ण सीमा का कब्जा राज्य सरकार के पास आने पर और यू॰ एल॰ सी॰ प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में भूधारक की 37.5 डिसमिल भूमि दिनांक 5.11.2011 को सीमांकित की गयी थी। राज्य का दृष्टिकोण यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने संपूर्ण मामले पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया है और यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही की संपूर्ण भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है जिसमें से, प्राधिकारियों के आदेश के मुताबिक, केवल एक इकाई अर्थात् 37.5 डिसमिल सम्यक रूप से सीमांकित की गयी थी और सक्षम प्राधिकारी आयुक्त के दिनांक 11.2.2004 के आदेश की दृष्टि में दिनांक 5.11.2011 को भू-धारक अपीलार्थी को वापस दे दी गयी थी। राज्य ने यह दृष्टिकोण भी अपनाया है कि यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान रजिस्टर्ड करवाया गया विक्रय विलेख प्रमुख अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि में अविद्यमान है।

11. पक्षों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखने पर विवाद्यक मुख्यत: इसके इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या राज्य ने यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही की संपूर्ण भूमि का कब्जा लिया था और क्या यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही धारा 4 के प्रभाव की प्रयोज्यता अपवर्जित करते हुए अर्थात् उपशमन के प्रभाव से कार्यवाही को अपवर्जित करते हुए नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के परन्तुक के अंतर्गत आती है।

12. रिट न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि यह कोई मत अभिव्यक्त करने से परहेज कर रहा है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 में निर्णय को विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट करते

हुए और यह संप्रेक्षित करते हुए कि नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के प्रवर्तन द्वारा यू॰ एल॰ सी॰ केस सं॰ 374/1976, 247/1979 और 176/1983 से संबंधित समस्त कार्यवाही उपशमनित हो गयी, रिट याचिका निपटाया और (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 में रिट न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^------mDr vfèkfu;e dh èkkjk 4 fofèkd dk;okgh dk mi'keu çkoèkkfur djrh g ftldk iBu fuEufyf[kr gh

^^èkkjk 4. **fofèkd dk;okgh dk mi'keu-**&bl vfèkfu;e d vkjHk gku d rjUr igy fdlh U;k;ky;] vfèkdj.k vFkok vU; çkfèkdkjh d le{k yfcr çe[k vfèkfu;e d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k vFkok rkRif;r :i l ikfjr fdlh vkn'k l lcfèkr leLr dk;okgh mi'kefur gk tk,xh(

ijUr ;g fd ;g èkkjk çe[k vfèkfu;e dh èkkjkvk 11, 12, 13 ,o 14 l lcfèkr dk;okgh ij ykx ugh gkxh tgk rd ,lh dk;okgh Hkfe l lcèk ;kX; g ftldk dCtk bl fufeÙk jkT; ljdkj }kjk vFkok l{ke çkfèkdkjh }kjk y fy;k x;k gA**

èkkjk 4 d dkj iBu l ;g Li"V g fd bl vfèkfu;e d vkjHk gku d rjUr igy fdlh U;k;ky;] vfèkdj.k vFkok vU; ikfèkdkjh d le{k yfcr çe[k vfèkfu;e d vèkhu ikfjr vFkok rkRif;r :i l ikfjr fdlh vkn'k l lcfèkr leLr dk;okgh mi'kefur gk tk,xhA mDr çkoèkku dk viokn çe[k vfèkfu;e dh èkkjkvk 11, 12, 13 ,o 14 l lcfèkr dk;okgh g tgk rd ,lh dk;okgh Hkfe l lcèk ;kX; g ftldk dCtk jkT; ljdkj }kjk vFkok bl fufeÙk jkT; ljdkj }kjk lE;d :i l çkfèkÑr fdlh 0;fDr }kjk vFkok l{ke çkfèkdkjh }kjk y fy;k x;k gA

oreku ekey e] LohÑr :i l] vfèk'k"k Hkfe dk dCtk yu d fy, uxjh; Hkfe (egÙke lhek ,o fofu;eu) vfèkfu;e] 1976 dh èkkjk 10(3) d vèkhu vfèklpuk dk çdk'ku ugh Fkk] rn}kjk ftldk vFk g fd çe[k vfèkfu;e dh èkkjkvk 11, 12, 13 ,o 14 l lcfèkr dk;okgh ugh Fkh D;kfd oreku ekey e dk;okgh ml pj.k rd ugh igph gA vr%] ej nf"Vdk.k e oreku dk;okgh èkkjk 4 d çHkko dh ç;kT;rk vioftr djr g, vFkkr mi'keu d çHkko dk vioftr djr g, mDr viokn d vrxr ugh vkrh gA

mDr ppk dh nf"V e] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd uxjh; Hkfe (egÙke lhek ,o fofu;eu) fujlu vfèkfu;e] 1999 dh èkkjk 4 d çoru }kjk ;0 ,y0 lh0 dl l0 374/1976, 247/1979 ,o 176/1983 e çe[k vfèkfu;e d vèkhu ikfjr vFkok rkRif;r :i l ikfjr fdlh vkn'k l lcfèkr leLr dk;okgh mi'kefur gk x;hA

rnuljkj] mDr lç{k.k d lkFk fjV ;kfpdk fuiVk;h tkrh gA**

उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी एवं राज्य ने क्रमशः एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 515/2012 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 दाखिल किया है और दोनों एल॰ पी॰ ए॰ खंडपीठ सं॰ II के समक्ष लंबित है।

13. जैसा पहले इंगित किया गया है, विचारार्थ आने वाले विवाद्यक ये हैं: (i) क्या राज्य सरकार ने यू॰ एल॰ सी॰ कार्यवाही की संपूर्ण भूमि का कब्जा लिया है; (ii) क्या वर्तमान कार्यवाही धारा 4 की प्रयोज्यता अपवर्जित करते हुए अर्थात् उपशमन का प्रभाव अपवर्जित करते हुए धारा 4 के परन्तुक के

अधीन आती है; (iii) क्या 1.61 एकड़ भूमि की संपूर्ण सीमा में से 37.5 डिसमिल भूमि का वास्तविक कब्जा अपीलार्थी को सौंपा गया था; (iv) डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2160/2004 ने रिट न्यायालय द्वारा अपीलीय प्राधिकारी का दिनांक 11.2.2004 का आदेश अपास्त किए जाने के बाद अभिधान वाद सं॰ 190/1987 की खारिजी और पश्चातवर्ती अभिधान वाद सं॰ 136/2012 को वापस लेने का प्रभाव जो एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 और 515/2012 में चुनौती का विषय वस्तु है। उक्त समस्त विवादित बिंदुओं का समाधान इस अपील के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 को लेकर किया जा सकता था।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने मामला तुरन्त सुने जाने पर काफी जोर दिया। वर्तमान एल॰ पी॰ ए॰ में हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को लगभग दो दिन तक विस्तारपूर्वक सुना है। पहले जब दिनांक 1 मई, 2013 एवं दिनांक 7 मई, 2014 को अपील सुनवाई के लिए आयी, इस न्यायालय का दृष्टिकोण था कि समस्त अपीलों को साथ सुना जाना चाहिए और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 को सुने बिना वर्तमान अपील विनिश्चित की जा सकती है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ शिवनाथ ने इस न्यायालय की खंडपीठ सं॰ II से एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 वापस लेने के संबंध में आपत्ति किया है। वस्तुत: दिनांक 1 मई, 2013 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण अपनाया है कि जब एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 आदेश के शीर्षक के अधीन लंबित है, जैसे और जब सुनवाई के शीर्षक के अधीन सूचीबद्ध किए जाने के लिए परिपक्व होती है, इसे एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 495/2012 के साथ उन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लिखित किया जा सकता है। ऐसे विनिर्दिष्ट आदेश के बावजूद पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 495/2012 की स्वतंत्र सुनवाई पर जोर दिया। आश्वस्त करने का कोई प्रभाव नहीं था।

15. कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर हमें इस एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 495/2012 को दो दिनों तक विस्तारपूर्वक सुनना पड़ा था। मामले को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद हमारा दृष्टिकोण है कि इस अपील के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 को सुने बिना वर्तमान एल॰ पी॰ ए॰ को स्वतंत्र रूप से विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस अपील में उठाए गए विवादित बिंदु आपस में गुथे हैं और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 में विनिश्चयकरण के लिए उठाए गए हैं। अत:, हमें चिंता है कि अन्य दो अपीलों, एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 को सुने बिना इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में अभिव्यक्त कोई दृष्टिकोण निरर्थक प्रयास होगा। अत: खंडपीठ सं॰ II के समक्ष लंबित एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 को वर्तमान एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 495/2012 के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 495/2012 के साथ जोड़े जाने के लिए और सुने जाने के लिए एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 438/2012 एवं 515/2012 वापस लेने के लिए मामले को प्रशासनिक पक्ष पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,p॰ lh॰ feJk] U;k;efr

सुरेश प्रसाद सिंह उर्फ दारा सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2267 of 2013. Decided on 12th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 413 एवं 414/34—संज्ञान लेने वाले आदेश का अभिखंडन करने की प्रार्थना–अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थना खारिज किया गया–याची

के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल करने के बावजूद न्यायिक दंडाधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर संज्ञान लिया–वर्तमान मामले के सह-अभियुक्त को विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया है–जब एक बार अभियुक्त जिसे घटना स्थल पर पकड़ा गया था को दोषमुक्त किया गया है और याची के मामले में पुलिस ने फाइनल फॉर्म दाखिल किया है, याची का विचारण करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा–संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किया गया–आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s. Rajeev Sharma, For the Petitioner; M/s. Awanikant Prasad, For the Opp. Party.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 25 वर्ष 2011 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 22.7.2013 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा जी॰ आर॰ सं॰ 93 वर्ष 2011 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 413, 414/34 के अधीन अपराध के लिए याची के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए श्री जे॰ पी॰ ठाकुर, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 1.7.2011 के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि कोयला से लदा एक ट्रैक्टर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और ट्रैक्टर का चालक अर्थात् विनय भूईमाली भी घटनास्थल पर पकड़ा गया था। मांगे जाने पर कोयला का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि कोयला चुरायी गयी संपत्ति थी। तद्नुसार, चालक विनय भूइमाली के विरुद्ध और याची जिसे पकड़े गए सह-अभियुक्त द्वारा नामित किया गया था के विरुद्ध भी महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 19 वर्ष 2011, जी॰ आर॰ सं॰ 93 वर्ष 2011 के तत्सम, संस्थित किया गया था।

4. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण पर पुलिस ने याची के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया, किंतु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 413, 414/34 के अधीन अपराध के लिए दिनांक 1.7.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था और उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण भी अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध हैं, क्योंकि सह-अभियुक्त विनय भूईमाली का विचारण सत्र मामला सं॰ 309 वर्ष 2011 में किया गया था और उसे विचारण के बाद दिनांक 12.5.2014 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि पुलिस ने अन्वेषण के बाद याची के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया था और सह-अभियुक्त जिसका विचारण किया गया था, को भी विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया था, याची का विचारण करके कोई लाभदायी प्रयोजन पूरा नहीं होने वाला है जो केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

7. एस॰ सी॰ सं॰ 309 वर्ष 2011 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिलेख पर लाया गया है जिसके द्वारा सह-अभियुक्त विनय भूईमाली को विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया है। मामले

के उस दृष्टिकोण में, जब एक बार सह-अभियुक्त जिसे घटनास्थल पर पकड़ा गया था, को विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया है और याची के मामले में पुलिस ने अन्वेषण के बाद उसके पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया है, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में याची का विचारण करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और तद्नुसार, यह याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाले आदेश एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है।

8. तद्नुसार, जी॰ आर॰ सं॰ 93 वर्ष 2011 में श्री जे॰ पी॰ ठाकुर, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 1.7.2011 का आक्षेपित आदेश और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 25 वर्ष 2011 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 22.7.2013 का आक्षेपित आदेश भी एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। उक्त महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 19 वर्ष 2011, जी॰ आर॰ सं॰ 93 वर्ष 2011 में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही भी पूर्वोक्त कारणों से अभिखंडित की जाती है।

तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

नंद लाल प्रसाद गुप्ता एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) एवं एक अन्य

F.A. No. 55 of 2001. Decided on 4th August, 2014.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धारा 18—भूमि का अर्जन–मुआवजा–अर्जित की गयी भूमि के लिए मुआवजा अधिनिर्णीत करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील–अपीलार्थी ने मुआवजा की राशि बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया है–उन्होंने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया है और दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर अगल-बगल में भूमि का मूल्य अधिनिर्णीत राशि की तुलना में अधिक था–भूमि की कीमत घटाने के लिए उप न्यायाधीश ने कारण नहीं दिया है–मुआवजा राशि बढ़ायी गयी–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. A. Banerjee, For the Appellants; Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Respondents.

आदेश

यह अपील एल॰ ए॰ निर्देश केस सं॰ 7 वर्ष 1990 के संबंध विद्वान विशेष न्यायाधीश, भूमि अर्जन, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 30 मई 1998 के निर्णय तथा 26 जून, 1998 को तैयार तथा हस्ताक्षरित अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2. भूमि के अर्जन के विरुद्ध अधिनिर्णीत मुआवजा की राशि से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण ने इस आधार पर अपील दाखिल किया है कि भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 के अधीन अधिकथित सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया है और दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर अगल-बगल में भूमि का मूल्य 500/- रुपया प्रति डिसमिल से अधिक था। यह अभिवचन भी किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा भूमि की प्रकृति परिवर्तित की गयी थी। एक बड़ा तालाब खोदा गया था और मत्स्य पालन के लिए इसका उपयोग किया गया था। अपीलार्थीगण मछली बेच कर 40,000/- रुपया

प्रतिवर्ष अर्जित कर रहे थे। भूमि अर्जन के कारण उन्हें हानि हुई जिसे भूमि का मूल्य विनिश्चित करने के समय पर निर्धारित नहीं किया गया था।

3. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि विद्वान उप–न्यायाधीश ने पहले ही भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य से भूमि का मूल्य बढ़ा दिया है। अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर अच्छी तरह विचार किया गया है। अपीलार्थीगण तालाब खोदने के विरुद्ध वैध अनुमति को अभिलेख पर लाने में विफल रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए तर्कपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वे अपने द्वारा खोदे गए तालाब में मत्स्य पालन कर रहे थे।

4. मैंने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम झरना, पी॰ एस॰ झरिया, जिला धनबाद में लगभग 74.57 एकड़ भूमि दिनांक 16.8.1983 की अधिसूचना सं॰ 35/83 (R) के तहत बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के मैगजीन हाऊस के निर्माण के लिए तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा अर्जित किया गया था। उक्त अर्जित भूमि में से, अपीलार्थीगण 1.22 एकड़ भूमि पर काबिज थे। अपीलार्थीगण के अनुसार, उन्होंने पूर्वोक्त भूमि में तालाब खोदा और तालाब में मत्स्य पालन कर रहे थे। अधिनिर्णय सं॰ 49/85 के तहत अर्जित भूमि का मुआवजा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद द्वारा विनिश्चित किया गया था और अपीलार्थीगण को 22,304.06/- रुपयों की सीमा तक मुआवजा की राशि का भुगतान किया गया था जिसे उन्होंने विरोध के अधीन स्वीकार किया था। तत्पश्चात, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश किया गया था और विद्वान उप–न्यायाधीश ने न्यायनिर्णयन के बाद भूमि का मूल्य बढ़ा दिया है और सरकार को ब्याज एवं तोषण जैसे अन्य सांविधिक लाभों के साथ 400/- रुपया प्रति डिसमिल की दर पर मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के आंतरिक पृष्ठ सं॰ 3 एवं 4 में पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर चर्चा किया है। यह चर्चा की गयी है कि भूमि अर्जन अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था और दस्तावेजों जिनके आधार पर भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया था, को सिद्ध नहीं किया गया है। दूसरी ओर, अपीलार्थीगण ने कतिपय विक्रय विलेखों को प्रस्तुत किया है और स्वयं उनके स्वीकरण के अनुसार, अगल–बगल की भूमि 500/- रुपया प्रति डिसमिल की दर पर बेची गयी थी। चूँकि अपीलार्थीगण ने स्वयं यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया है कि भूमि का मूल्य जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रचलित था, 500/- रुपया प्रति डिसमिल था, मैं उस सीमा तक इस अपील को अनुज्ञात करने का इच्छुक हूँ क्योंकि विद्वान उप–न्यायाधीश ने 500/- रुपया प्रति डिसमिल से 400/- रुपया प्रति डिसमिल तक भूमि का मूल्य हटाने के लिए वैध कारण नहीं दिया है।

5. परिणामस्वरुप, प्रत्यर्थीगण को 500/- रुपया प्रति डिसमिल अर्थात् विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित अधिनिर्णय से 100/- रुपया प्रति डिसमिल अधिक की दर पर ब्याज एवं तोषण जैसे अन्य सांविधिक लाभों के साथ मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जैसा विद्वान विशेष न्यायाधीश, भूमि अर्जन द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि 100/- रुपया प्रति डिसमिल की बढ़ायी गयी राशि भी ब्याज एवं अन्य सांविधिक लाभ सम्मिलित करेगी जैसा विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थीगण इस आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपीलार्थीगण को भुगतान की जाने वाली मुआवजा की राशि जमा करेंगे।

6. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

मो॰ रहमत

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 491 of 2014. Decided on 6th August, 2014.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 12—किशोर अपचारी को जमानत–अपील में पारित आदेश, जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए जमानत के प्रदान की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है, के विरुद्ध पुनरीक्षण–यह कथन किया गया है कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री नहीं है कि याची की निर्मुक्ति उसे ज्ञात अपराधियों की संगति में लाएगी–सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि याची अपने परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में नहीं है–याची की निर्मुक्ति किशोर के नैतिक एवं शारीरिक कल्याण के हित में नहीं होगी–प्रमुख दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड को चार माह के भीतर विचारण पूरा करने के निर्देश के साथ जमानत की प्रार्थना अस्वीकार की गयी–पुनरीक्षण निपटाया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. K.P. Choudhary, For the Petitioner; Mr. V.S. Sahay, For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 34 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 11.3.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा जमानत के प्रदान के लिए याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची दिनांक 26.1.2013 से अभिरक्षा में है; कि अभिकथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और याची को गवाह आशित बरंधर, जिसके साथ याची का कटु संबंध है क्योंकि उसने पहले याची किशोर के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, के बयान पर झूठा आलिप्त किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में जे॰ जे॰ अधिनियम) की धारा 12 के प्रावधानों का अधिमूल्यन करने में विफल रहा है–जो जमानत पर किशोर की निर्मुक्ति की आज्ञा देती है; कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री नहीं है कि याची की निर्मुक्ति उसे ज्ञात अपराधियों के संसर्ग में लाएगी अथवा उसको नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगी अथवा उसकी निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्य को विफल करेगी; कि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रकट नहीं करता है कि याची का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है और याची के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के संबंध में अस्पष्ट रिपोर्ट है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि आक्षेपित आदेश में उद्धृत दांडिक मामला वर्तमान मामले को दर्ज किए जाने के बाद दर्ज किया गया था और इसे मामले के गवाहों द्वारा दर्ज किया गया है जो याची किशोर को झूठा आलिप्त किया जाना दर्शाता है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **उमेश मिस्त्री बनाम झारखंड राज्य, 2011 (2) JCR 394 (Jhr.)** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि उस मामले में किशोर को चाकू के साथ देखा गया था, किंतु उसे जमानत पर निर्मुक्त करने का आदेश दिया गया

था और वर्तमान मामले में किशोर याची के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष कृत्य का कोई अभिकथन नहीं है और अपीलीय न्यायालय इसका अधिमूल्यन करने में विफल रहा।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में यह कथन किया गया है कि याची कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 16/13 में नामित अभियुक्त है जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 एवं अन्य शास्ति धाराओं के अधीन दर्ज किया गया है।

6. निवेदनों पर विचार करने के बाद सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि याची अपने परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में नहीं है और इस प्रकार, इस चरण पर याची की निर्मुक्ति किशोर के नैतिक एवं शारीरिक कल्याण के हित में नहीं होगी। तद्नुसार, उक्त नामित याची की जमानत की प्रार्थना एतद् द्वारा अस्वीकार की जाती है।

7. किंतु, तथ्य पर विचार करते हुए कि याची लगभग डेढ़ साल से अभिरक्षा में है और जाँच अभी तक पूरी नहीं की गयी है, प्रमुख दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड, जमशेदपुर को एतद् द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार माह के भीतर विचारण एवं जाँच पूरा करने का निर्देश दिया जाता है और यदि पूर्वोक्त अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं किया जाता है, उक्त नामित याची बोर्ड के समक्ष जमानत की अपनी प्रार्थना नवीकृत करने के लिए स्वतंत्र है।

8. उक्त निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

9. इस आदेश की प्रति याची के व्यय पर फैक्स द्वारा संबंधित न्यायालय को संसूचित की जाए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

प्रोबासिस दास गुप्ता

cuke

जुथिका दास गुप्ता एवं अन्य

F.A. No. 121 of 2010. Decided on 5th August, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—टी॰ (पी॰) वाद में पारित आरंभिक डिक्री एवं निर्णय के विरुद्ध अपील–अंतिम डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि घर का बिल्ट-अप क्षेत्र सहदायिकों को आवंटित किया गया है जबकि अपीलार्थी को रिक्त भूमि आवंटित किया गया है–उप-न्यायाधीश ने प्लीडर कमिश्नर द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर विचार करने एवं वाद के समस्त पक्षों को सुनवाई का अवसर देने तथा समस्त भावी संभावनाओं पर भी विचार करने के बाद अंतिम डिक्री तैयार करने का आदेश दिया है और तद्नुसार ''तख्ता'' काढ़कर निकाला गया था और अपीलार्थी को अनुसूची ''E'' संपत्ति आवंटित की गयी थी–अपीलार्थी को वाद भूमि का बेहतर हिस्सा आवंटित किया गया है जो तीन तरफ से खुला है–आदेश एवं अंतिम डिक्री संपुष्ट की गयी–अपील खारिज किया गया। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. P.C. Roy, For the Appellant; M/s. P.K. Das, Rahul Kumar Das, Niranjan Kumar Singh, Mahesh Kumar Sinha, For the Respondents.

आदेश

यह अपील बँटवारा वाद सं॰ 153/2002 में उप–न्यायाधीश IX, राँची द्वारा पारित दिनांक 23.2.2006 के निर्णय एवं दिनांक 24.4.2010 को हस्ताक्षरित अंतिम डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है।

2. अपीलार्थी ने एफ॰ ए॰ सं॰ 81/2006 के तहत टी॰ (पी॰) वाद सं॰ 153/2002 में पारित दिनांक 23.2.2006 के आरंभिक डिक्री एवं निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल किया था जिसे कतिपय निर्देशों के साथ खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, विद्वान उप न्यायाधीश ने अंतिम डिक्री तैयार करने के प्रयोजन से प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया और इस प्रभाव का रिट जारी किया गया था। विद्वान प्लीडर कमिश्नर ने वाद के समस्त पक्षों को उपस्थित रहने के लिए सूचित किया किंतु वे उपस्थित होने से बच रहे थे और, इसलिए, विद्वान उप न्यायाधीश ने कदम उठाया और वाद के समस्त पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित किया। इस प्रकार नियुक्त प्लीडर कमिश्नर ने दिनांक 23.11.2008 का रिपोर्ट एवं दिनांक 2.3.2009 का पुनरीक्षित रिपोर्ट दाखिल किया है। वादी ने रिपोर्ट स्वीकार किया है किंतु अपीलार्थी/प्रतिवादी सं॰ 2 ने दोनों रिपोर्टों के विरुद्ध आपत्ति दाखिल किया है। वह प्लीडर कमिश्नर द्वारा दाखिल किसी भी रिपोर्ट से सहमत नहीं था। अपीलार्थी द्वारा की गयी आपत्ति को विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा सुना गया था और आदेश से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', में से किसी भूखंड का 1/5 वाँ चुनने का विकल्प दिया गया था। विद्वान उप न्यायाधीश ने यह भी गौर किया था कि अपीलार्थी का वाद के अन्य पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था और विवादाधीन भूखंड के ऊपर आवासीय गृह था। अपीलार्थी द्वारा शपथ लिया गया शपथ पत्र एवं समाचार पत्र में की गयी घोषणा भी उप न्यायाधीश के ध्यान में लायी गयी थी। अपीलार्थी ने घोषणा किया था कि उसने अपनी माता, बहनों एवं भाईयों से स्वयं को अलग कर लिया है और वह भविष्य में उनके साथ संबंध नहीं रखेगा। समस्त पक्ष–विपक्ष एवं भावी संबंध जिनकी पक्षों पर हावी होने की संभावना है को विचार में लेते हुए विद्वान उप न्यायाधीश ने विवादित भूमि का कोनावाला हिस्सा जिसे नक्शा में 'E' के रूप में दर्शाते हुए अपीलार्थी को देने का निर्णय किया है। अपीलार्थी को आवंटित भूखंड में कोने पर कुआँ है और अपीलार्थी की क्षतिपूर्ति के लिए उप न्यायाधीश ने वादीगण को उसका 20,000/- रुपया का भुगतान करने का आगे निर्देश दिया है।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर अंतिम डिक्री को चुनौती दिया है कि घर का बिल्ट अप क्षेत्र अन्य सहदायिकों को आवंटित किया गया है जबकि अपीलार्थी को रिक्त भूमि दी गयी है जो सामने शायद ही 14 फीट और भूमि के पिछले हिस्से में 11'6" चौड़ा है। उस पर घर बनाना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। यह भी इंगित किया गया है कि प्लीडर कमिश्नर के रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति की गयी थी किंतु इसे समुचित रूप से ग्रहण नहीं किया गया था और विद्वान उप न्यायाधीश ने तर्कपूर्ण कारण दिए बिना इसे अस्वीकार कर दिया। मामले के उस दृष्टिकोण में बँटवारा वाद सं॰ 153/2002 के संबंध में प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट एवं तैयार की गयी अंतिम डिक्री अपास्त किए जाने का दायी है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि उस पर खड़े भवन का कब्जा वाद के प्रत्येक पक्ष को देने के लिए पृथक 'तख्ता' तैयार करने के लिए विवादित भूखंड पर खड़ी संरचना को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः, वादीगण ने उनको आवंटित भाग में, जिस पर पुरानी संरचना खड़ी है, संयुक्त रूप से रहने का निर्णय किया है। प्रतिवादी सं॰ 1 कविता सेन गुप्ता ने भवन के भाग में वादीगण के साथ रहने की अनुमति दी

थी। आगे यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं॰ 2 वाद के किसी पक्ष के साथ रहने का इच्छुक नहीं था। उसे भूमि का कोना वाला भाग दिया है और उसको दिया गया क्षेत्र अन्य सहदायिकों को आवंटित क्षेत्र से अधिक है।

5. मैंने आक्षेपित निर्णय एवं अंतिम डिक्री का परिशीलन किया है। यह प्रतीत होता है कि विद्वान उप न्यायाधीश ने प्लीडर कमिश्नर द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और उन्होंने वाद के समस्त पक्षों को सुनवाई का अवसर भी दिया है और समस्त भावी संभावनाओं पर विचार करने के बाद विद्वान उप न्यायाधीश ने अंतिम डिक्री तैयार करने का आदेश दिया है और तद्नुसार 'तख्ता' तैयार किया गया था और अनुसूची 'E' संपत्ति अपीलार्थी को आवंटित किया गया था। मैंने संलग्न नक्शा का भी परिशीलन किया है जो स्पष्टतः उपदर्शित करता है कि अपीलार्थी को वाद भूमि का बेहतर हिस्सा आवंटित किया गया है जो तीन ओर से खुला है। निश्चय ही, भूखंड के कोना में 'कुआँ' है किंतु अपीलार्थी की क्षतिपूर्ति के लिए 'कुआँ' का निर्धारित मूल्य काटा नहीं गया है बल्कि उसे 20,000/- रुपया अधिक दिया गया है क्योंकि उसे वाद संपत्ति की रिक्त भूमि आवंटित की गयी है। विद्वान उप न्यायाधीश ने पक्षों का आचरण भी देखा है जो ऑर्डरशीट में परिलक्षित होता है। इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए मैंने नहीं पाता हूँ कि वादी के पक्ष में काढ़ा गया 'तख्ता' अन्यायोचित है और इसलिए, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ जिसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी 20,000/- रुपया निकालने के लिए स्वतंत्र होगा यदि वादीगण द्वारा इसे अवर न्यायालय में जमा किया गया है। आक्षेपित आदेश एवं अंतिम डिक्री अभिपुष्ट की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

डॉ॰ पी॰ भट्टाचार्जी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Misc. No. 2436 of 2000 (R). Decided on 6th August, 2014.

कारखाना अधिनियम, 1948—धारा 92—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—कारखाना अपराध–संज्ञान–संज्ञान के आदेश में याची को कारखाना के अधिभोगी के रूप में दर्शाया गया है–याची के विरुद्ध अभिकथन यह है कि कारखाना के गोदाम में घटी घटना के बारे में सूचना नहीं दी गयी थी जैसा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अधीन आवश्यक है–अधिनियम एवं नियमावली दोनों में दुर्घटना के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी कारखाना के अधिभोगी पर नहीं है–यह कारखाना के प्रबंधक की जिम्मेदारी है–कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन याची के विरुद्ध संज्ञान लेने वाला आदेश अपास्त किया गया–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s. A.S. Dayal, Supriya Dayal, For the Petitioner; Mr. Krishna Shankar, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 28.9.1999 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा सी॰/2 मामला सं॰ 239 वर्ष 1999 में याची एवं अन्य सह अभियुक्तगण के

विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है। उक्त संज्ञान आदेश में याची को कारखाना के अधिभोगी के रूप में दर्शाया गया है।

3. दिनांक 24.9.1999 को कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल सं॰ 2, जमशेदपुर द्वारा मेसर्स उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध सी॰/2 केस सं॰ 239 वर्ष 1999 दर्ज किया गया था। परिवाद याचिका से, यह प्रतीत होता है कि किसी महिला मजदूर को उपहति के साथ कारखाना के गोदाम में मृत पाया गया था, किंतु इस दुर्घटना के बारे में सूचना नहीं दी गयी थी जैसा कारखाना अधिनियम की धारा 88 के अधीन और बिहार कारखाना नियमावली के नियम 96 के अधीन आवश्यक है जो कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन अपराध बनता है। उक्त अभिकथन के साथ कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित परिवाद दाखिल किया गया था जिसके आधार पर उक्त मामले में याची के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए संक्षिप्त बिंदु लिया है कि कारखाना अधिनियम की धारा 88 और बिहार कारखाना नियमावली का नियम 96 दोनों मृत्यु कारित करने वाली दुर्घटना के बारे में संबंधित प्राधिकारियों को सूचना देने की जिम्मेदारी कारखाना के प्रबंधक पर डालते हैं। यह निवेदन किया गया है कि याची कारखाना का प्रबंधक नहीं है और परिवाद याचिका में भी और संज्ञान आदेश में भी याची को कारखाना के अधिभोगी के रूप में दर्शाया गया है और तद्नुसार, कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन याची के विरुद्ध अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि याची कारखाना का अधिभोगी होने के नाते कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन अपराध के लिए भी दायी है क्योंकि अधिनियम की धारा 92 कारखाना के अधिभोगी एवं प्रबंधक दोनों को अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दायी बनाती है।

6. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 88 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"88. **dfri; n?kVukvk dk ukfVl-**&(1) tgk fdlh dkj[kkuk e n?kVuk gkrh g tk eR; dkfjr djrh g vFkok dkb 'kkjhfjd migfr dkfjr djrh g ftl dkj.k l ?kk;y 0;fDr dk n?kVuk d rjUr ckn 48 ?kVk vFkok vfèkd dh vofèk d fy, dke dju l jkdk tkrk g vFkok tk ,lh çÑfr dh g ftl bl fufeÙk fofgr fd;k tk ldrk g] dkj[kkuk dk çcèkd mldh lpuk ,l çkfèkdkfj;k dk ,l Qke e vkj ,l le; d Hkhrj ftl fofgr fd;k tk ldrk g] HktxkA***
>
> *********."*

इसी प्रकार से, बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का नियम 96 भी निम्नवत पठित है:–

> *"96. **n?kVukvk dh vfèklpuk-**&(1) tgk vulph e fofufn"V dkb n?kVuk dkj[kkuk e gkrh g] dkj[kkuk dk çcèkd VyhQku] fo'k"k ln'kokgd vFkok Vyhxke }kjk bldk ukfVl fujh{kd dk rjUr Hktxk vkj ;fn n?kVuk ?kkrd g vFkok ,lh çÑfr dh g ftld ?kkrd fl) gku dh lHkkouk g] iokDrkulkj ukfVl*
>
> *(a) ftyk eftLVV vFkok lc fMfotuy vfèkdkjh]*
>
> *(b) fudVre ifylLFkkuk d çHkkjh vfèkdkjh vkj*

(c) ?kk;y ;k er 0;fDr d fudVre lcèkh dk Hkh Hkt h tk,xhA

********."

7. इस प्रकार, इन प्रावधानों के सादे पठन से यह प्रकट है कि दुर्घटना के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी अधिनियम एवं नियमावली दोनों में कारखाना के प्रबंधक पर है और कारखाना के अधिभोगी पर जिम्मेदारी नहीं है। परिवाद याचिका में भी याची को कारखाना के अधिभोगी के रूप में वर्णित किया गया है और अन्य सह अभियुक्त को कारखाना के प्रबंधक के रूप में वर्णित किया गया है। यही अवस्था विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.9.1999 के संज्ञान लेने वाले आदेश में भी हैं। इस तथ्य की दृष्टि में कि दुर्घटना के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने की जिम्मेदारी कारखाना के प्रबंधक पर डाली गयी है, प्रबंधक द्वारा उसका अननुपालन मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में कारखाना के अधिभोगी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनाता है। यद्यपि अधिनियम की धारा 92 कारखाना के अधिभोगी एवं प्रबंधक दोनों को अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दायी बनाती है, किंतु इस मामले के तथ्यों में कल्पना की किसी भी सीमा तक यह नहीं कहा जा सकता है कि याची दुर्घटना के बारे में आवश्यक सूचना नहीं भेजने में उपेक्षावान था। तद्नुसार, कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अधीन याची के विरुद्ध अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है और जहाँ तक याची का संबंध है, विधि की दृष्टि में आक्षेपित आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है।

8. तद्नुसार, सी॰/2 केस सं॰ 239 वर्ष 1999 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 28.9.1999 का आक्षेपित आदेश केवल याची के संबंध में अपास्त किया जाता है।

9. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

किताबुद्दीन अंसारी उर्फ मारी उर्फ सबीर अंसारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 670 of 2014. Decided on 6th August, 2014.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 12—किशोर अपचारी को जमानत–अभियुक्त किशोर की जमानत की प्रार्थना अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध इस आधार पर पुनरीक्षण कि याची की जमानत पर निर्मुक्ति उसे नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगी और उसकी निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्य को विफल करेगा–सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में याची के दांडिक पूर्ववृत्त का उल्लेख नहीं है और आज की तिथि तक जाँच पूरी नहीं की गयी है–याची को जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश–पुनरीक्षण याचिका अनुज्ञात। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Arbind Kumar Sinha, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 28 वर्ष 2014 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश VII,

डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 18.6.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा जमानत दिए जाने का याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची के विरुद्ध अभिकथन यह है कि जहीर अन्सारी उर्फ जहीरुद्दीन अन्सारी एवं ताज मोहम्मद उर्फ कारु द्वारा मृतक को गोली मार कर घायल कर देने के बाद उसने अन्य सह-अभियुक्त के साथ गड़ासा से मृतक पर प्रहार किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि गोली लगने के कारण मृतक की मृत्यु हो गयी; कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार किए बिना जमानत के लिए किशोर की प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि याची की निर्मुक्ति उसको नैतिक, शारीरिक एवं मनौवैज्ञानिक खतरों में डालेगी और उसकी निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह निवेदन भी किया गया है कि जहीर अंसारी उर्फ जहीरुद्दीन अंसारी और ताज मोहम्मद उर्फ कारु, जिनके विरुद्ध आग्नेयास्त्र से उपहति कारित करने का अभिकथन है, को क्रमश: बी॰ ए॰ सं॰ 2154 वर्ष 2014 और बी॰ ए॰ सं॰ 2927 वर्ष 2014 में जमानत प्रदान किया गया है और अयूब अंसारी जिसके विरुद्ध मृतक पर गड़ासा से प्रहार करने का अभिकथन है को भी बी॰ ए॰ सं॰ 3461 वर्ष 2014 में जमानत प्रदान किया गया है, कि सूचक एवं अन्य चश्मदीद गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है; कि वर्तमान मामले में याची दिनांक 16.1.2013 से अभिरक्षा में है और आज की तिथि तक जाँच समाप्त नहीं की गयी है; कि याची की माता वचन देने की इच्छुक है कि वह याची का समुचित पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।

3. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि याची को माता-पिता की देखभाल एवं अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना चाहिए और किशोर के सहयोगियों के संबंध में माता को सावधान रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि किशोर माता के नियंत्रण में नहीं है। किंतु उन्होंने तथ्य खंडित नहीं किया है कि मुख्य हमलावरों को जमानत प्रदान किया गया है।

4. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में याची का कोई दांडिक पूर्ववृत्त उल्लिखित नहीं किया गया है और आज की तिथि तक जाँच समाप्त नहीं की गयी है, उसे छतरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 103 वर्ष 2012 जी॰ आर॰ सं॰ 1386 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में इस शर्त पर कि प्रतिभूतिदाता में से एक याची की माता अथवा निकट संबंधी होगा जो वचन दाखिल करेगा कि वे याची की समुचित देखरेख एवं पर्यवेक्षण करेंगे, किशोर न्याय बोर्ड, डालटेनगंज, पलामू की संतुष्टि हेतु 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं के साथ प्रस्तुत करके जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। वे परिवीक्षा अधिकारी और बोर्ड के समक्ष जाँच के समापन तक, जब और जैसा निर्देश बोर्ड द्वारा दिया जाता है, याची को प्रस्तुत करेंगे। परिवीक्षा अधिकारी बोर्ड को याची के आचरण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. परिणामस्वरुप, पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुमला

cuke

शबनम खातून एवं अन्य

M.A. No. 4 of 2012. Decided on 4th August, 2014.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धारा 166—दुर्घटना–अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध बीमा कंपनी द्वारा अपील–अपीलार्थी बीमा कंपनी ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि दुर्घटना के समय वाहन जानवर ढो रहा था जिसके लिए परमिट प्रदान नहीं किया गया था–अभिनिर्धारित किया गया, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें परमिट प्रदान नहीं किया गया था अथवा वाहन उस रुट पर चलाया जा रहा था जिसके लिए परमिट प्रदान नहीं किया गया था–अपील खारिज। (पैराएँ 2 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Pratyush Kumar, For the Appellant; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

यह अपील एम॰ ए॰ सी॰ केस सं॰ 45 वर्ष 2009 के संबंध में जिला न्यायाधीश-सह-मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, गुमला द्वारा पारित दिनांक 26 सितंबर, 2011 के निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी बीमा कंपनी को दावेदार प्रत्यर्थी सं॰ 1 शबनम खातून को 5,50,000/- रुपया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. अपीलार्थी बीमा कंपनी ने केवल इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि दुर्घटना के समय वाहन जानवर ढो रहा था जिसके लिए परमिट प्रदान नहीं किया गया था।

3. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि परमिट के शर्त का उल्लंघन मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दंडनीय अपराध गठित करता है और अपीलार्थी बीमाकर्ता होने के नाते यह अभिवचन नहीं कर सकता है कि वाहन स्वामी द्वारा परमिट की शर्त का उल्लंघन किया गया था।

4. मैंने आक्षेपित निर्णय और अपील के मेमो का परिशीलन किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विधि है जो इन परिस्थितियों में बीमाकर्ता के हित का संरक्षण करेगी जहाँ परमिट के शर्त का उल्लंघन किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ परमिट प्रदान नहीं किया गया था अथवा वाहन ऐसे रुट पर चलाया जा रहा था जिसके लिए परमिट प्रदान नहीं किया गया था।

5. इन परिस्थितियों में, यदि परमिट की शर्त का कोई उल्लंघन हुआ था, वाहन के स्वामी एवं चालक को मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के अधीन दंडनीय अपराध के लिए जिम्मेदार अभिनिर्धारित किया जाएगा। यदि ऐसा है, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

6. अपीलार्थी बीमा कंपनी को विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

आई॰ ए॰ सं॰ 577 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 10 अप्रिल, 2014 के आदेश को रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

तपस कुमार बानिक

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 4787 of 2001. Decided on 6th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 414/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—चुरायी गयी संपत्ति छुपाने में मदद–संज्ञान–जैसा अभिकथित किया गया है, कोयला से लदा ट्रक

सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ कर्मियों द्वारा पकड़ा गया था और ट्रक के स्वामी एवं चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी–केस डायरी में उपलब्ध सामग्री स्पष्टतः उपदर्शित करती है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 414/34 के अधीन याची के विरुद्ध अपराध बनता है–संज्ञान लेने वाले आदेश में कोई अवैधता नहीं पायी गयी–आवेदन खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–M/s. S.P. Roy, For the Petitioner; M/s. APP., For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची जी॰ आर॰ सं॰ 4005 वर्ष 1998 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 1.6.2001 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याची एवं अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 414/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. निरसा पी॰ एस॰ केस सं॰ 250 वर्ष 1998, जी॰ आर॰ सं॰ 4005 वर्ष 1998 के तत्सम, की प्राथमिकी से प्रतीत होता है कि कोयला से लदा ट्रक सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ कर्मियों द्वारा पकड़ा गया था और निरसा पुलिस थाना के प्रभारी-अधिकारी को सौंपा गया था जिसके आधार पर चालक बिशुन पोद्दार जिसे घटनास्थल पर पकड़ा गया था और ट्रक के स्वामी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 414/120 के अधीन अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अन्वेषण के बाद पुलिस ने मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया और आरोप-पत्र तथा केस डायरी में सामग्री के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 414/34 के अधीन अपराध के लिए ट्रक के स्वामी होने के नाते याची और नामित अभियुक्त बिशुन पोद्दार उर्फ विश्वनाथ पोद्दार के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध है, क्योंकि प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि कोयला नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र के बिना कोयला का परिवहन किया जा रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी और तद्नुसार, याची एवं अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि कोयला से संबंधित दस्तावेजों को सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ कर्मियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अभिखंडन करने के लिए यह सुयोग्य मामला है।

5. जब पहले मामला सुना गया था, यह सूचित किया गया था कि अन्य सह-अभियुक्त ने दांडिक विविध सं॰ 9678 वर्ष 1998 (R) दाखिल किया था जिसमें भी तदंतरिम आदेश पारित किया गया था। उक्त दांडिक विविध सं॰ 9678 वर्ष 1998 (R) का अभिलेख मंगाया गया था जो दर्शाता है कि इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.4.2000 के आदेश द्वारा यह निर्देश देते हुए निपटाया गया है कि मामले का अन्वेषण शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए और यदि पुलिस याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करती है, पुलिस विधि के अनुरूप उक्त मामले के याची के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6. चूँकि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है कि केस डायरी में उपलब्ध सामग्री से भारतीय दंड संहिता की धारा 414/34 के अधीन याची के विरुद्ध मामला बनाया गया है, मैं अवर न्यायालय द्वारा

इसका संज्ञान लेते हुए पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ। इस आवेदन में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

प्रदीप कुमार

cuke

झारखंड राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से

Cr. Appeal (SJ) No. 497 of 2014. Decided on 6th August, 2014.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 7, 13 (1) (d) सह पठित धारा 13 (2)—अवैध परितोषण–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अवैध परितोषण की राशि फाइल के नीचे से बरामद की गयी थी जिसे कूलर के ऊपर रखा गया था–यह सहमति हुई थी कि याची पहले ही एक वर्ष के लिए अभिरक्षा में रहा है और धारा 13 (1) (d) के अधीन विहित न्यूनतम दंडादेश एक वर्ष है और इस प्रकार अपीलार्थी जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है–अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 3 एवं 4)

निर्णयज विधि.–(2006)11 SCC 473—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, For the Appellant; Mr. M. Khan, For the C.B.I.

आदेश

ग्रहण किया जाए।

नोटिस जारी की जाए।

एल॰ सी॰ आर॰ मंगाया जाए।

2. जमानत के मामले पर अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन का मामला यह है कि परिवादी ने सहकारी सोसाइटी को कुछ सामग्री की आपूर्ति किया था जिसका भुगतान इस अपीलार्थी द्वारा किया जाना था और, इसलिए, जब परिवादी आया और इसके भुगतान के लिए बिल दिया, अपीलार्थी ने भुगतान नहीं किया था बल्कि घूस के रूप में 6000/- रुपया मांगा था। बाद में, घूस का भुगतान किया गया बताया जाता है और जब छापा मारा गया था, कलंकित धन फाइल के नीचे से बरामद किया गया था जिसे कूलर के ऊपर रखा गया था और, तद्द्वारा, यह प्रकट है कि याची के कब्जा से कलंकित धन कभी नहीं बरामद किया गया था और कि परिवादी से भिन्न कोई भी अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया है कि याची ने धन का मांग किया था। उसके बावजूद, अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 13 (1) (d) सह–पठित धारा 13 (2) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का दंडादेश और धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन अपराध के लिए चार वर्षों का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 71 सहपठित दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 220 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए कोई भी न्यूनतम दंडादेश दिए जाने का दायी है जिस दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''**राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर, पुडुकोटाई, तमिलनाडु**

के प्रतिनिधित्व में बनाम ए॰ पर्थिबान, (2006)11 Supreme Court Cases 473, में अभिव्यक्त किया गया है और चूँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन विहित न्यूनतम दंडादेश एक वर्ष है, अपीलार्थी जमानत पर रिहा किये जाने का पात्र है क्योंकि वह पहले से ही एक वर्ष के लिए अभिरक्षा में रह चुका है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त नामित अपीलार्थी को आर॰ सी॰ केस सं॰ 09 (A)/2007 (R) के संबंध में जुर्माना के भुगतान के अध्यधीन विद्वान ए॰ जे॰ सी॰ XVIII- सह-विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰ (ए॰ एच॰ डी॰ घोटाला मामलों से भिन्न), राँची की संतुष्टि हेतु 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,p॰ lh॰ feJk] U;k;efr

मनोज कुमार जैन एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1583 of 2014, I.A. No. 3583 of 2014. Decided on 7th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 82—गिरफ्तारी वारन्ट–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 498A, 406, 420 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए दांडिक प्रक्रिया आरंभ की गयी–तीस दिनों के भीतर वारन्ट के निष्पादन का निर्देश देते हुए याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया था–तीस दिनों के अवसान के पहले धारा 82 के अधीन याचीगण के विरुद्ध आदेशिका जारी करने का निर्देश भी दिया गया था–अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना आदेश जारी किया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया–आवेदन अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 14 से 17)

निर्णयज विधि.–2014 (3) JBCJ 352 (SC); 2011 (4) JLJR 385 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Raj Mangal Singh, Sidhartha Roy, For the Petitioners; Mr. B.M. Lal, For the State; Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Opp. Party No. 2.

आदेश

परिवादी सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. याचीगण ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 406, 420 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए संस्थित रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 167 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 1815 वर्ष 2014 के तत्सम, के संबंध में उनके विरुद्ध प्राथमिकी एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए इस आवेदन को दाखिल किया है।

4. उक्त जी॰ आर॰ सं॰ 1815 वर्ष 2014 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.6.2014 और 2.7.2014/3.7.2014 के आदेशों को चुनौती देते हुए याचीगण ने आई॰ ए॰ सं॰ 3583 वर्ष 2014 दाखिल किया है, जिसके द्वारा याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी

करने का आदेश दिया गया है और पश्चातवर्ती आदेश द्वारा उनके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्य आवेदन के प्रार्थना अंश को संशोधित करने के लिए और इन आदेशों के अभिखंडन के लिए प्रार्थना जोड़ने के लिए भी अंतर्वर्ती आवेदन में प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है।

5. तर्कों के क्रम में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 167 वर्ष 2014 में दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन की प्रार्थना छोड़ दिया है क्योंकि प्राथमिकी में याचीगण के विरुद्ध अभिकथन है। तद्नुसार, याचीगण की इस प्रार्थना को जोर नहीं दिए जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचीगण के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने वाले दिनांक 10.6.2014 के आदेश तथा दिनांक 2.7.2014/3.7.2014 के आदेश को चुनौती तक अपना तर्क सीमित रखा। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.6.2014 का आदेश केवल आई॰ ओ॰ के तलब पर दंडाधिकारी द्वारा विवेक का इस्तेमाल किए बिना पारित किया गया है और तद्नुसार, उक्त आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि पश्चातवर्ती आदेश के पारिणामिक आदेश होने के नाते इसे भी विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

7. याचीगण के दृष्टिकोण को ठुकराते हुए इस मामले में सूचक की ओर से प्रतिशपथ पत्र एवं शपथ पत्र दाखिल किया गया है। दिनांक 7.8.2014 को दाखिल शपथ पत्र के रूप में सूचक ने अभिलेख पर याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिनांक 10.6.2014 और दिनांक 2.7.2014 को दाखिल तलब लाया है और इन दोनों तलबों में केवल यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बच रहे थे और अपनी आस्तियाँ भी हटा रहे थे।

8. अपने प्रतिवाद के समर्थन में कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **रघुवंश दीवानचंद भसिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य,** (2011)4 JLJR 385 (SC) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> *"9. bl ij FkkMk gh tkj nu dh vko';drk g fd pfd xj tekurh okjUV dk fu"iknu çR;{kr% 0;fDr dh Lor=rk dk de djuk vrxLr djrk g] fxj¶rkjh okjV ;kf=d :i l tkjh ugh fd;k tk ldrk g cfYd doy ;g lrf"V* ***nt dju d ckn fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e bldh vko';drk gA*** *U;k;ky;k dk xj tekurh okjUV tkjh dju dk fun'k nr g, vfèkd lkoèkku ,o pkdUuk gkuk gkxk vU;Fkk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l budkj d rY; gkxkA blh le; ij] bll budkj ugh fd;k tk ldrk g fd 0;fDr d dY;k.k dk lenk; d dY;k.k d vkx >duk gkxkA vr%] fofèk dk 'kklu cuk, j[ku d fy, vkj lekt e lketL; cuk, j[ku d fy, ,d vkj 0;fDr d vkj nljh vkj jkT; d vfèkdkjk] Lor=rkvk ,o fo'k"kkfèkdkjk d chp lryu cukuk vko';d gA oLrr% ;g tfVy dk; gA tlk U;k;efr dkjnktk dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu fd;k tk,xkA nljh vkj] lkekftd vko';drk g fd in dh míMrk }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA nkuk fodYik e [krjk gA** pkg tk Hkh gk]* ***;g fofuf'pr djuk fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xj&tekurh okjUV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g rFkk ,d vkj fofèk çoru dh***

vko';drk ,o nljh vkj fofèk çoru ,tfl;k d gkFkk euekuiu l ukxfjdk d lj{k.k d chp lryu LFkkfir djuk U;k;ky; dk dke gA- -------** *(tkj fn;k x;k)*

9. विद्वान अधिवक्ता ने **अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, 2014 (3) JBCJ 352 (SC)** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के पहले अनुसरित किए जाने वाले कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधिकथित किया है, जो निम्नलिखित है:–

> *"12. bl fu.k; e gekjk ç;kl **;g lfuf'pr djuk g fd ifyl vfèkdkjh vuko';d :i l vfHk;Dr dk fxj¶rkj u dj vkj nMkfèkdkjh] ykijokgh l vkj ;kf=d :i l fujkèk çkfèkÑr u djA** geu tk Åij lçf{kr fd;k g] mll lfuf'pr djus d fy, ge fuEufyf[kr fun'k nrs g%&*
>
> *(1) leLr jkT; ljdkj viu ifyl vfèkdkfj;k dk Lor% fxj¶rkjh ugh djus dk vuns'k n tc Hkk0 n0 l0 dh èkkjk 498A d vèkhu ekeyk nt fd;k tkrk g cfYd Lo; dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 41 l çokfgr Åij vfèkdfFkr ekinMk d vèkhu fxj¶rkjh dh vko';drk d ckj e lrq"V djA*
>
> *(2) leLr ifyl vfèkdkfj;k dk èkkjk 41 (1) (b) (ii) d vèkhu fofufn"V mi[kM vrfo"V djus okyk pd fyLV çnku fd;k tk,(*
>
> *(3) ifyl vfèkdkjh fujkèk tkjh j[kus d fy, vfHk;Dr dk nMkfèkdkjh d le{k vxlj@çLrr djr g, lE;d :i l Hkjk x;k pd fyLV vxlkfjr djx vkj o dkj.k rFkk lkexh nx ftlu fxj¶rkjh dk vko';d cuk;k(*
>
> *(4) nMkfèkdkjh vfHk;Dr d fujkèk dk çkfèkÑr djr g, iokDr fucèkuku lkj ifyl vfèkdkjh }kjk çLrr fjiksV dk ifj'khyu djx vkj **doy viuh lrf"V nt djus d ckn fujkèk çkfèkÑr djx(***
>
> *(5) vfHk;Dr dk fxj¶rkj ugh djus dk fu.k; ekeyk d lLFkkiu dh frfFk l nks lIrkg d Hkhrj ftl ftyk vkj{kh vèkh{kd }kjk fyf[kr e nt fd, tku oky dkj.kk l vkx c<k;k tk ldrk g] nMkfèkdkjh dk çfr d lkFk vxlkfjr fd;k tk,(*
>
> *(6) ekey d lLFkkiu dh frfFk l nks lIrkg d Hkhrj] ftl ftyk vkj{kh vèkh{kd }kjk fyf[kr e nt fd, tku oky dkj.kk l c<k;k tk ldrk g] vfHk;Dr ij n0 ç0 l0 dh èkkjk 41A d fucèkuku lkj mifLFkfr dh ukfVl rkehy dh tk,(*
>
> *(7) iokDr fun'kk d vuikyu e foQyrk lcfèkr ifyl vfèkdkfj;k dk foHkkxh; dkjokbZ d fy, nk;h cuku d vfrfjDr mUg {k=h; vfèkdkfjrk j[kus oky mPp U;k;ky; d le{k lfLFkr fd, tku oky U;k;ky; voeku d fy, nfMr fd, tku dk nk;h Hkh cuk,xk(*
>
> *(8) lcfèkr U;kf;d nMkfèkdkjh }kjk iokDrkuqlkj dkj.k nt fd, fcuk fujkèk çkfèkÑr fd;k tkuk mlls lefpr mPp U;k;ky; }kjk foHkkxh; dkjokbZ dk nk;h cuk,xkA** ¼tkj Mkyk x;k½*

10. इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने वाले आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध हैं और इन्हें विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में अवैधता

नहीं है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद याचीगण गिरफ्तारी से बच रहे थे और तद्नुसार दिनांक 10.6.2014 को उसमें यह कथन करते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा तलब दिया गया था कि अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बच रहे थे और अपनी संपत्ति भी हटा रहे थे और तद्नुसार, उस आधार पर याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि चूँकि अभियुक्तगण अपनी आस्तियों को हटा रहे थे, पुलिस अधिकारी द्वारा दाखिल एक अन्य तलब की दृष्टि में याचीगण के विरुद्ध धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेशों में अवैधता नहीं है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में उक्त आदेशों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

13. दोनों पक्षों ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए तलब पर दिनांक 10.6.2014 को तीस दिनों के भीतर वारन्ट का निष्पादन करने का निर्देश देते हुए अवर न्यायालय द्वारा याचीगण के विरुद्ध वारन्ट जारी किए जाने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश मामला संस्थित किए जाने के बाद पहला आदेश है। पूर्वोक्तानुसार तीस दिनों की अवधि के अवसान के पहले अर्थात् दिनांक 2.7.2014 को पुलिस अधिकारी द्वारा पूर्व तलब में किए गए तथ्यों के कथन को दोहराते हुए और याचीगण के विरुद्ध वारन्ट के निष्पादन के बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना पुनः तलब दिया गया था जिस पर धारा 82 के अधीन आदेश का याचीगण के विरुद्ध जारी करने का निर्देश भी दिया गया था।

14. मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, दिनांक 2.7.2014/3.7.2014 के आदेश को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वारन्ट के निष्पादन के लिए अवर न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए तीस दिनों की अवधि के अवसान के पहले और वह भी निष्पादन रिपोर्ट पाए बिना दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का आदेश दिया गया है। वस्तुतः यह आदेश भी दंडाधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना पूर्णतः यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। यह हमें याचीगण के विरुद्ध वारन्ट जारी करने वाले अवर न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 10.6.2014 के आदेश पर विचार की ओर लाता है। यह आदेश केवल यह दर्शाता है कि इसे पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए तलब के आधार पर जारी किया गया था, किंतु यह दर्शाने के लिए आदेश में कुछ भी नहीं है कि दंडाधिकारी ने वारन्ट जारी करने का आदेश देते हुए अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल किया था। वारन्ट जारी करने के लिए आदेश में कोई कारण नहीं दिया गया है और न ही दंडाधिकारी की कोई संतुष्टि दर्ज की गयी है कि मामले के तथ्यों में वारन्ट जारी किया जाना आवश्यक था। यद्यपि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वारन्ट जारी किए जाने के लिए तलब में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त याचीगण गिरफ्तारी से बच रहे हैं; किंतु दिनांक 10.6.2014 के आदेश से यह प्रकट है कि उक्त आदेश में इस कारण को भी नहीं दिया गया है जो स्पष्टतः दर्शाता है कि अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना आदेश जारी किया गया है।

15. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया **रघुवंश दीवानचंद भसिन के मामले (ऊपर)** में निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूर्णतः प्रयोज्य हैं और आक्षेपित आदेशों को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

16. उक्त के अतिरिक्त, संज्ञेय अपराधों के मामलों में याचीगण के विरुद्ध वारन्ट जारी करने के लिए तलब देते हुए अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन गिरफ्तार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस अधिकारी को **अर्णेश कुमार के मामले (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिसका प्रयोग विधि के अनुरुप किया जाएगा।

17. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, जी॰ आर॰ केस सं॰ 1815 वर्ष 2014 में विद्वान सब–डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 10.6.2014 और दिनांक 2.7.2014/3.7.2014 के आक्षेपित आदेशों को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। तद्नुसार, अंतर्वर्ती आवेदन के साथ इस आवेदन को अंशतः अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efrx.k

नरेश टुड्डु

cuke

झारखंड राज्य

I.A. No. 3898 of 2014, in Cr. (Jail) Appeal (DB) No. 477 of 2013. Decided on 5th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—दंडादेश का निलंबन–बलात्कार के लिए दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश के निलंबन के लिए कारा से वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अभियुक्त के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है–जमानत बंधपत्र के निष्पादन पर अपीलार्थी अभियुक्त को अधिनिर्णीत दंडादेश निलंबित किया गया–आई॰ ए॰ अनुज्ञात किया गया। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–Mrs. Arpana Verma, A.C., For the Appellant; APP., For the State.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह आवेदन सत्र विचारण मामला सं॰ 102 वर्ष 2011 में अपर सत्र न्यायाधीश II, देवघर द्वारा इस अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश के निलंबन के लिए कारा से दाखिल किया गया है। इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 25,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है।

2. इस न्यायालय ने सत्र विचारण केस सं॰ 102 वर्ष 2011 के अभिलेख एवं कार्यवाही को प्राप्त किया है। हमने इसका परिशीलन किया है और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना है।

3. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि घटना दिनांक 30.11.2009 को हुई थी। कुल सात गवाहों का परीक्षण किया गया था जिनमें से अ॰ सा॰ 1 और अ॰ सा॰ 3 पक्षद्रोही हो गए हैं, अ॰ सा॰ 5 अभियोक्त्री है, अ॰ सा॰ 2 पिता है, अ॰ सा॰ 6 चाचा है जो अनुश्रुत गवाह है। अ॰ सा॰ 4 डॉक्टर है और अ॰ सा॰ 7 अन्वेषण अधिकारी है। इन साक्ष्यों को देखते हुए, अपीलार्थी अभियुक्त के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चूँकि दांडिक अपील लंबित है, हम अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं किंतु इतना कहना पर्याप्त है कि:–

(a) vfHk;ktu d ekey d erkfcd ?kVuk ckt kj {k= e lk; 5 c t gb Fkh t c vfHk;kD=h pkoy [kjhnu x;h FkhA

(b) vfHk;kD=h d erkfcd] cktkj {k=@ndku {k= e bl vfHk;Dr u ml pkd fn[kk;k] nlj gkFk l ml idM fy;k vkj vfHk;kD=h dk y x;kA

(c) vfHky[k ij ektn lk{; l ;g çrhr gkrk g fd xko d cktkj {k= e lk;dky e bl vihykFkh u ,d gkFk l Njk fn[kk;k] nlj gkFk l 20 o"kh; vfHk;kD=h dk idM fy;k vkj ;g vfHk;kD=h fpYyk ugh jgh g vkj vfHk;kD=h u dFku fd;k g fd tc mlu fpYykuk dk ç;kl fd;k] bl vihykFkh u diMk l mldk eg cn dj fn;kA

(d) vihykFkh dk ?kj pkoy dh ndku l cgr nj g vkj çFke n"V;k ;g çrhr gkrk g fd ;g lgefr dk ekeyk g vkj çFke n"V;k ;g vufèkl HkkO; dFkk çrhr gkrh gA

(e) vO lkO 4 MkO jktk fet }kjk fn, x, fpfdRlh; lk{; e mUgku dFku fd;k g fd vfHk;kD=h yxHkx 19-20 o"k dh g vkj mld xIrkx ij migfr dk fu'kku ugh ik;k x;k Fkk vkj mld 'kjhj ij migfr ugh ik;h x;h FkhA oh; ugh ik;k x;k Fkk vkj MkDVj d er e cykRdkj fd, tku ;k ugh fd, tku dk fuf'pr er ugh gA

(f) firk tk vO lkO 2 g u viu vfHkldk{; e dHkh ugh dFku fd;k Fkk fd mldh i=h vfHk;kD=h ;|fi lk; 5 ct l xk;c Fkh] dh ryk'k e og dgh x;k Fkk vkj vO lkO 2 }kjk ryk'k dk le; ugh fn;k x;k gA bld vfrfjDr] firk u ;g dFku Hkh fd;k g fd ;g vihykFkh mld ?kj vkrk FkkA vfHk;kD=h ,o bl vihykFkh d chp fookg d ckj e vfHky[k ij lk{; Hkh ektn g fdr] vfHk;kD=h }kjk bll budkj fd;k x;k gA bl çdkj] fookg d vfrfjDr ;g lgefr dk ekeyk gA

4. अभिलेख पर मौजूद पूर्वोक्त साक्ष्यों के समेकित प्रभाव के कारण इस अपीलार्थी–अभियुक्त के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः, हम सत्र विचारण मामला सं॰ 102 वर्ष 2011 के संबंध में विचारण न्यायालय (अपर सत्र न्यायाधीश II, देवघर) की संतुष्टि हेतु 10,000/- (दस हजार) रुपयों के जमानत बंध पत्र के साथ इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं के निष्पादन पर इस शर्त पर कि वह किसी दांडिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जैसा और जब इस न्यायालय को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता हो, अपीलार्थी नरेश टुड्डु को अधिनिर्णीत दंडादेश निलंबित करते हैं।

5. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 3898 वर्ष 2014 अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

आलोक कुमार राय

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No.1571 of 2014. Decided on 31st July, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—गैर जमानती वारन्ट एवं भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन आदेशिका जारी करने के आदेश के विरुद्ध याचिका–याची पहले से ही जमानत पर था–मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद नियत तिथि के बारे में

अनभिज्ञता के कारण याची न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था और समन तथा जमानती वारन्ट जारी किए जाने के बाद गैर जमानती वारन्ट तथा धाराओं 82 एवं 83 के अधीन आदेशिका भी समन के तामील रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना जारी की गयी थी–याची के अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन की दृष्टि में कि याची अगली तिथि पर उपस्थित होगा, यदि याची अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता है, इसे ऐसा माना जाएगा मानो याची पहली बार उपस्थित हुआ है–आवेदन निपटाया गया। (पैरा 3)

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; APP., For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची एस॰ टी॰ सं॰ 304 वर्ष 2008 में विद्वान ए॰ जे॰ सी॰ XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.1.2009 के आदेश और विद्वान ए॰ जे॰ सी॰ XX, राँची द्वारा पारित दिनांक 27.7.2011 के आदेश सहित उत्तरवर्ती न्यायालयों द्वारा उसमें पारित पश्चातवर्ती आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याची के विरुद्ध जारी समन की तामील रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना जमानती वारन्ट, गैर जमानती वारन्ट और दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन आदेशिका याची के विरुद्ध जारी किया गया है।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याची पहले से ही जमानत पर है और सत्र न्यायालय में अभियुक्त याची की उपस्थिति के लिए दिनांक 28.6.2008 नियत करते हुए दिनांक 19.5.2008 के आदेश द्वारा मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। किंतु, याची नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ था और याची के विरुद्ध समन जारी किया गया था। बाद में, समय के क्रम में, जमानती वारन्ट, गैर जमानती वारन्ट और दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन आदेशिका भी जारी की गयी थी।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस तथ्य की दृष्टि में बिल्कुल अवैध है कि समन की तामील रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अन्य आदेशिकाओं को जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि उसके अधिवक्ता द्वारा याची को उस आदेश की सूचना नहीं दी गयी थी और तद्नुसार, वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था और वह सदैव विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तैयार है। याची के विद्वान अधिवक्ता वचन देते हैं कि याची अवर न्यायालय द्वारा नियत अगली तिथि पर अवर न्यायालय में उपस्थित होगा।

5. किंतु, तथ्य बना रहता है कि याची पहले से ही जमानत पर था और वह नियत तिथि पर अवर न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहा।

6. यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय में याची की उपस्थिति/पेशी की अगली तिथि दिनांक 5.8.2014 है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन की दृष्टि में कि याची अगली नियत तिथि पर अवर न्यायालय में उपस्थित होगा, मैं मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाने का इच्छुक हूँ। तद्नुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याची दिनांक 5.8.2014 को अवर न्यायालय में उपस्थित होता है, इसे ऐसा माना जाएगा मानो याची मामले की सुपुर्दगी के बाद पहली बार सत्र न्यायालय में उपस्थित हुआ है और वह पूर्व जमानत पर बने रहने की अनुमति उसको दिए जाने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है जिसे अवर न्यायालय द्वारा विधि के अनुरुप निपटाया जाएगा और दिनांक 5.1.2009 का आक्षेपित आदेश और पश्चातवर्ती आदेश प्रास्थगन में रखा जाएगा। किंतु, यदि याची दिनांक 5.8.2014 को अवर न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है, संबंधित न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों को प्रभाव दिया जाएगा।

7. तद्नुसार, उक्त निर्देशों के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

8. इस आदेश की प्रति याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम से संबंधित न्यायालय को संसूचित की जाए।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

उग्रनाथ तिवारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 851 of 2014. Decided on 11th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—इस विविध याचिका को ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को निर्मुक्त करने के लिए याची की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की खारिजी के बाद दाखिल किया गया है–याची, ट्रैक्टर के रजिस्टर्ड स्वामी ने एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपराध के लिए जब्त ट्रैक्टर की निर्मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है–उक्त प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी थी कि अधिकरण कार्यवाही दूषित हो गयी है–चूँकि वाहन वाणिज्यिक वाहन है, इसे प्रतिभूति/बंधपत्र आदि लेकर रजिस्टर्ड स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त करना चाहिए था–सी॰ एम॰ पी॰ अनुज्ञात। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–Cr. M.P. 30 95/2013—Referred to.

अधिवक्तागण.–M/s. Arbind Kumar, For the Petitioner; M/s. Hemant Kumar Shikarwar, For the Opp. Party.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 9 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 12.2.2014 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा जी॰ आर॰ सं॰ 1042 वर्ष 2013 में क्रमश: रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-22A-2076 और JH-22A-2075 वाले ट्रैक्टर एवं ट्रॉली की याची के पक्ष में निर्मुक्ति के लिए याची की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 3.1.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. यद्यपि अवर न्यायालय में ट्रैक्टर पर लदे बालू की निर्मुक्ति के लिए प्रार्थना की गयी थी किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत बालू के संबंध में आवेदन पर जोर नहीं दिया है।

4. याची को सरायकेला पी॰ एस॰ सं॰ 122 वर्ष 2013, जी॰ आर॰ सं॰ 1042 वर्ष 2013 के तत्सम, में जे॰ एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 54 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि बालू से लदा ट्रैक्टर खान निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया था। याची ने स्वयं का ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का स्वामी होने का दावा करते हुए उनकी निर्मुक्ति के लिए अवर न्यायालय में आवेदन दाखिल किया जिसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 3.1.2014 के आदेश द्वारा मुख्यत: इस आधार पर अस्वीकार कर दिया

गया था कि ट्रैक्टर एवं ट्रॉली के संबंध में अधिहरण कार्यवाही आरंभ किए जाने की संभावना है। उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण भी अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णत: अवैध है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (संक्षेप में एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जब्त वाहन की निर्मुक्ति का आदेश देने से न्यायालय को केवल इस आधार पर रोकता है कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **दांडिक विविध याचिका सं॰ 3095 वर्ष 2013 (विभा झा बनाम झारखंड राज्य)** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसे दिनांक 19.12.2013 के आदेश द्वारा निपटाया गया था जिसमें एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 24 (4A) को ध्यान में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जब्त वाहन की निर्मुक्ति का आदेश देने से केवल इस आधार पर रोकता है कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है और तद्नुसार उक्त आधार पर निर्मुक्ति की प्रार्थना से इनकार करना न्यायालय की ओर से समुचित नहीं था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

7. इस न्यायालय द्वारा **दांडिक विविध याचिका सं॰ 3095 वर्ष 2013 (विभा झा बनाम झारखंड राज्य)** में अधिकथित विधि इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह प्रयोज्य प्रतीत होती है। किंतु मामले का एक अन्य पहलू भी है। आक्षेपित आदेश स्पष्टत: दर्शाता है कि प्रश्नगत वाहन के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि याची प्रश्नगत वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी पाया जाता है, कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि इस तथ्य के निरपेक्ष कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ किए जाने की संभावना है, याची के पक्ष में प्रश्नगत वाहन क्यों नहीं निर्मुक्त किया जाए। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, चूँकि प्रश्नगत वाहन वाणिज्यिक वाहन हैं, इन्हें ऐसी प्रतिभूतियों/बंधपत्रों/वचनों, जैसा न्यायालय मामले के तथ्यों में सुयोग्य एवं समुचित समझता है, सहित यह वचन कि वाहन की निर्मुक्ति किसी तरीके से अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और वाहन प्रस्तुत किया जाएगा जब और जैसा न्यायालय ऐसा करने का निर्देश देता है, लेकर रजिस्टर्ड स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त किया जाना चाहिए था। वस्तुत:, ऐसा कोई आदेश इस शर्त के अध्यधीन पारित किया जाएगा कि याची को प्रश्नगत वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी पाया गया है।

9. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, जी॰ आर॰ सं॰ 1042 वर्ष 2013 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 3.1.2014 का आक्षेपित आदेश और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 9 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 12.2.2014 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय को प्रश्नगत ट्रैक्टर एवं ट्रॉली के स्वामित्व के बारे में संबंधित पुलिस थाना से रिपोर्ट पाने का और विधि के अनुरुप तथा ऊपर किए गए संप्रेक्षणों की दृष्टि में नया समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. तद्नुसार पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

एस॰ एम॰ भसीन एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr.M.P. No. 46 of 2002. Decided on 4th September, 2014.

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955–धारा 7–मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990–खंडों 2(e) एवं 5–मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन एवं अनाचार निवारण) आदेश, 2005–खंड 2(f)–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तथा डीजल की अल्प आपूर्ति–संज्ञान–1990 के आदेश में, जिसका उल्लंघन याचीगण के विरूद्ध अभिकथित है, अल्प परिदाय एक अनाचार नहीं था–इस प्रकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन याचीगण के विरूद्ध किसी अपराध का बनना कथित नहीं किया जा सकता है–यद्यपि प्राथमिकी दर्शाती है कि उपकरणों में अल्प परिदाय हुआ था, परन्तु निरीक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि डीलर को उपकरणों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया था तथा इसके उपरान्त ही विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त इनका सत्यापन कराने के बाद इनको चलाने का निर्देश दिया गया था–अगले ही दिन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकथित अपराध के लिए याचीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है–याचीगण का मामला यह है कि निरीक्षण रिपोर्टों में उक्त निर्देश के अनुसरण में, याचीगण ने निगम के माध्यम से उपकरणों की मरम्मत कराई थी तथा विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त उपकरणों का सत्यापन करने के बाद वह इनका परिचालन कर रहे हैं–यह याची के विरूद्ध प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही भी अभिखंडित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के इस्तेमाल के लिए एक उपयुक्त मामला है–याचीगण के विरूद्ध समूची दांडिक कार्यवाही एवं प्राथमिकी भी अभिखंडित–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 9, 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s. Rajesh Kumar, For the Petitioners; M/s A.P.P., For the State.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना जो सभी विपक्षियों, जो सरकारी पदाधिकारीगण हैं, का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

2. याचीगण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए प्राथमिकी–बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना केस सं॰ 309 वर्ष 2001–अभिखंडित करने के लिए, तथा उक्त प्राथमिकी के आधार पर उनके विरूद्ध समूची दांडिक कार्यवाही को भी अभिखंडित करने के लिए यह आवेदन दाखिल किया है।

3. याचीगण को मेसर्स के॰ एल॰ भसीन पेट्रोल पंप, नया मोड़, बोकारो के स्वामी होने के तौर पर वर्णित करते हुए जी॰ आर॰ संख्या 1180 वर्ष 2001 के तत्सम बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना केस सं॰ 309 वर्ष 2001 में अभियुक्त बनाया गया है। एस॰ डी॰ ओ॰ चास की उपस्थिति में 11.12.2001 को उक्त पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया था तथा पेट्रोल पंप के उपकरणों में, प्राथमिकी में यथा वर्णित पेट्रोल तथा डीजल की अल्प आपूर्ति पाई गयी थी एवं तद्नुसार, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

4. स्वीकार्यतः, याचीगण पेट्रोल पंप के मालिक हैं तथा वे भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों के डीलर हैं। याचीगण तथा भारतीय तेल निगम के बीच समझौता परिशिष्ट 2 के तौर पर अभिलेख पर लाया गया है, जिसका खंड 14 निम्नवत् पठित है:–

> *“14. fuxe Lo; viu [kp ij midj.k dk mi;Dr lpk: voLFkk e cuk; j[kxkA**

उक्त समझौते का खंड 16 निम्नवत् पठित है:–

> *^^16. Mhyj }kjk midj.k dh dkb Hkh ejEer ugh dh tk;xh tcrd fd fuxe }kjk fyf[kr e igy l ikfèkÑr ugh fd;k tk,A Mhyj midj.k ;k bld fdlh fgLl d lkFk NMNkM ;k lek;ktu dju dk i;kl ugh djxk cfYd fdlh ejEer ;k lek;ktu dh vko';drk d ckj e fuxe dk rRdky lfpr djxk rFkk rn}kjk lfuf'pr djxk fd midj.k mi;Dr lpk: voLFkk e g rFkk lno i.k ,o mi;Dr eki inku dj jgk gA Mhyj midj.k dk ifjpkyu ugh djxk tc ;g [kjkc gkA**

5. सक्षम प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्टें, जो दिनांक 11.12.2011 की हैं तथा प्राथमिकी का भी हिस्सा है, जो यद्यपि दर्शाती हैं कि उपकरणों में अल्प परिदाय हुआ था, परन्तु निरीक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि डीलर को उपकरणों की मरम्मत कराने तथा इसके बाद ही विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त इनका सत्यापन कराकर इन्हें इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया गया था। यह प्रतीत होता है कि अगले ही दिन 12.12.2001 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकथित अपराध के लिए याचीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। याचीगण का मामला यह है कि निरीक्षण रिपोर्टों में उक्त निर्देश के अनुसरण में याचीगण ने निगम के माध्यम से उपकरणों की मरम्मत कराई थी तथा विहित शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त उनका सत्यापन कराकर वह उपकरणों का परिचालन कर रहे हैं।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को इस मामले में झूठमूठ फंसा दिया गया है तथा याचीगण के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि उपकरणों का रखरखाव करना निगम का दायित्व था एवं निरीक्षण रिपोर्टों से भी यह प्रतीत होगा कि याचीगण को उपकरणों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया था जिसे याचीगण ने किया था। यह निवेदन किया गया है कि निरीक्षण के बाद अगले ही दिन प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था, विशेषकर तब जब निरीक्षण रिपोर्टों में उन्हें दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि यद्यपि प्राथमिकी में यह कथित किया गया है कि याचीगण ने 'मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990' के उल्लंघन के कारण अपराध कारित किया था, परन्तु 1990 के उक्त आदेशाधीन 'अल्प परिदाय' एक अनाचार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि 'मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश, 2005' में ही 'अल्प परिदाय' 'अनाचार' बनाया गया है तथा इसके पहले, 'अल्प परिदाय' 'अनाचार' नहीं था, तथा इस बिन्दु पर भी, याचीगण के विरूद्ध किसी अपराध का बनना कथित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने याचीगण के विरूद्ध प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने का आग्रह किया था।

7. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि याचीगण के विरूद्ध किये गये अभिकथनों के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन

अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि घटना की तिथि 11.12.2001 होने के कारण, मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1998 वास्तव में प्रवृत्त था, परन्तु प्राथमिकी में यह उल्लिखित किया गया है कि 1990 के उक्त आदेश का उल्लंघन हुआ था। तथापि, विद्वान अधिवक्ता मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश, 2005 का अवलोकन करने के उपरान्त इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2005 में ही 'अल्प परिदाय' को 'अनाचार' बनाया गया है तथा इसके पहले नहीं।

8. मोटर स्प्रीट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990 खंड 2(e) में अनाचार को निम्नवत् परिभाषित करता है:–

"2(e) ekVj LihV ,o gkb LihM Mhty d lcèk e ^vukpkjk e foyki rFkk dju d fuEukfdr ÑR; lfEefyr gkx(*

(i) vifeJ.k]

(ii) e"k.k]

(iii) LVkd fHkUurk]

(iv) vufèkÑr vknku inku]

(v) vufèkÑr Ø;]

*(iv) vufèkÑr foØ;A***

'अल्प परिदाय' उपरोक्त अभिव्यक्तियों में से किसी की भी परिभाषा के भीतर नहीं आता है जैसा कि आदेश में ही परिभाषित है।

उक्त आदेश का खंड 5 कथित करता है कि:–

''डीलर, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी ढंग से उपरोक्त खंड 2(e) में सूचीबद्ध अनाचारों में किसी में भी संलिप्त नहीं होगा''

मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन एवं अनाचार निवारण) आदेश, 2005 खंड 2(f) में अनाचार को निम्नवत् परिभाषित करता है:–

^^2(f) ekVj LihV ,o gkb LihM Mhty d lcèk e ^vukpkjk e foyki rFkk dju d fuEukfdr ÑR; lfEefyr gkx%*

(i) vifeJ.k]

(ii) e"k.k]

(iii) LVkd fHkUurk]

(iv) vufèkÑr vknku inku]

(v) vufèkÑr Ø;]

(vi) vufèkÑr foØ;]

(vii) vufèkÑr :i l j[kuk

(viii) vfèkd iHkkj yuk

(ix) vfofufn"V mRikn dk foØ;] rFkk

*(x) vYi ifjnk;A***

9. इस प्रकार, इन दोनों आदेशों के एक कोरे परिशीलन से यह प्रकट है कि मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990 में, जिसका उल्लंघन याचीगण के विरूद्ध अभिकथित है, अल्प परिदाय एक अनाचार नहीं था तथा मामले के उस दृष्टि में, मेरी सुविचारित राय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन याचीगण के विरूद्ध कोई अपराध बनता हुआ कथित नहीं किया जा सकता।

10. इसके अलावा, प्राथमिकी में निरीक्षण रिपोर्टें भी दर्शाती हैं कि याचीगण को उपकरणों की मरम्मत कराने तथा इनके सत्यापन के उपरान्त ही इनका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था, जिसका याचीगण ने अनुपालन किया था। मामले की इस दृष्टि में, जब याचीगण को उपकरणों की मरम्मत कराने के लिए कहा गया था, अगले ही दिन प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था, विशेषकर जब याचीगण तथा निगम के बीच समझौते के अनुसार, स्वयं अपने खर्च पर उपकरणों को उपयुक्त सुचारू अवस्था में रखना निगम का प्रमुख कर्त्तव्य था।

11. उपरोगामी कारणों से, मेरी सुविचारित राय है कि याचीगण के विरूद्ध प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही को भी अभिखंडित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के इस्तेमाल के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। तद्नुसार, जी॰ आर॰ सं॰ 1180 वर्ष 2001 के तत्सम बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना केस सं॰ 309 वर्ष 2001 में प्राथमिकी तथा याचीगण के विरूद्ध समूची दांडिक कार्यवाही भी एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती है। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

राजन कुमार सिंह

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P.(PIL) No. 3731 of 2014. Decided on 2nd September, 2014.

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009–धारा 38–बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010–समुचित सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति–कमजोर तबकों तथा वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश न देने के लिए प्रत्यर्थी विद्यालयों द्वारा निर्बल बहाने प्रस्तुत किये गये–इस जनहित याचिका में अतिमहत्वपूर्ण लोक हित अंतर्ग्रस्त हैं–झारखंड राज्य में मनमानेपन का कानून है–नोटिस निर्गत। (पैराएँ 2 से 7)

अधिवक्तागण.–In person, For the Petitioner; None, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–श्री राजन कुमार सिंह–याची उपस्थित हैं तथा मामले में विस्तार से तर्क दिया है एवं निवेदन किया है कि विधि, अर्थात, बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (इसमें इसके पश्चात् 'सुविधा की खातिर अधिनियम, 2009' के तौर पर निर्दिष्ट), के अनुसार, विशेषकर इसकी धारा 12(1)(c) के अनुसार, जो विद्यालयों में सीटों के 25 प्रतिशत को विहित करती है, पड़ोस के कमजोर तबकों तथा वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए एवं इसके समापन तक मुफ्त एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अधीन झारखंड राज्य में इस विधि का इसके उल्लंघन में अधिक अनुपालन होता है। प्रति वर्ष प्रति छात्र के लिए शुल्क समेत विभिन्न पहलुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमों का विरचित किया जाना शेष है। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 12 के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा प्रति बच्चे के खर्च की प्रतिपूर्ति का एक प्रावधान है क्योंकि झारखंड राज्य कोई शुल्क विहित करने में विफल रहा है। अब विद्यालय कमजोर तबकों तथा वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं।

3. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षकार ने परिशिष्टों 4 एवं 5 समेत विभिन्न परिशिष्टों को निर्दिष्ट किया है। परिशिष्ट 5 अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अधीन नियम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्ष ने परिशिष्ट 8 की ओर से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो कमजोर तबके तथा वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश न देने के लिए प्रत्यर्थी-विद्यालयों द्वारा दिये गये निर्बल बहानों को प्रकट करता है। इनके संचयी प्रभाव के तौर पर, यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 2009 का झारखंड राज्य में गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तथा इस राज्य के ढीले-ढाले रवैये के कारण, अधिनियम, 2009 के अधीन उन्हें अधिकार प्रदान किये जाने के बावजूद कमजोर तबके तथा वंचित समूह के बच्चे प्रत्यर्थी-विद्यालयों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। झारखंड राज्य में मनमानेपन का कानून है जैसा कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में कि कमजोर तबके तथा वंचित समूह का अर्थ क्या है, उदाहरण के लिए रांची में ऐसे बच्चों की माता पिता की वार्षिक आय 36,000/- रुपये रखी गयी है तथा पड़ोस के जिले, अर्थात, पश्चिम सिंहभूम के लिए 48,000/- रुपये हैं। झारखंड राज्य में कोई निर्धारित मापदंड नहीं है क्योंकि अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अधीन कोई नियम अधिनियमित नहीं किये गये हैं। नियमावली की अनुपस्थिति में, झारखंड राज्य में जो चल रहा है वह मनमानापन है।

4. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्ष ने समूचे मामले पर अति परिश्रम से जिरह किया है तथा निवेदन किया है कि निजी गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए झारखंड राज्य तथा झारखंड राज्य के भीतर आने वाले प्रत्यर्थी-विद्यालयों को भी कोई निर्देश निर्गत किया जाए ताकि अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के उद्देश्य तथा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

5. पर्याप्त अनुसंधान किया गया है तथा इस याचिका के परिशिष्ट 1 के तौर पर नमूनों में से एक को संलग्न भी किया गया है। इस लोक हित याचिका में अतिमहत्वपूर्ण सार्वजनिक हित अंतर्ग्रस्त है।

6. नियम।

7. प्रत्यर्थीगण को नियम की नोटिस साधारण प्रक्रिया के अधीन तामिला की जानी है, जिसके लिए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से अपेक्षितों इत्यादि को दाखिल कर दिया जाना है।

8. नोटिस को 6 अक्टूबर, 2014 को वापसी के योग्य बनाया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

स्टेनिसलॉस टुडू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6720 of 2013. Decided on 2nd September, 2014.

विद्यालय विधियाँ–सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति–इस आधार पर प्रतिपादनात्मक कथन का अस्वीकरण कि याची शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी॰ इ॰ टी॰) में उत्तीर्ण नहीं हुआ था जो एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ की दिनांक 23.8.2010 की अधिसूचना की दृष्टि में आज्ञापक अपेक्षा है–सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं–नये आदेश के लिए मामला निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 4 से 7)

निर्णयज विधि.–JT 2014(7) SC 46—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Uday Kant Thakur, For the Petitioner; M/s JC to GP-IV, For the Respondents.

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याची, जिसे एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सेंट फ्रांसिस मध्य विद्यालय करहाटांड़ हरियारी, प्रखंड पोराईयाहाट, जिला गोड्डा में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, के प्रतिपादनात्मक कथन को दिनांक 22.7.2013 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट 10 द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि याची ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (संक्षप में 'टी॰ ई॰ टी॰') उत्तीर्ण नहीं की थी, जो एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ की दिनांक 23.8.2010 की अधिसूचना की दृष्टि में आज्ञापक अपेक्षा है।

3. याची के अनुसार, उक्त विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा 9.9.2010 को प्रकाशित विज्ञापन, परिशिष्ट 1 के अनुसरण में, उसने आवेदन किया था तथा परिशिष्ट 3 के माध्यम से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था जिसके उपरान्त उसने 1.11.2010 को अपना योगदान प्रस्तुत किया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के दिनांक 4.1.2011 के आदेश, परिशिष्ट 4 के अनुसार, याची की नियुक्ति अनुमोदित की गयी थी, परन्तु कतिपय शर्त्तों के साथ, अर्थात, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, रांची द्वारा याची की सेवाओं के प्रतिपादनात्मक कथन के अनुमोदन के भी अध्यधीन।

4. तत्पश्चात, दिनांक 22.7.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची का प्रतिपादनात्मक कथन टी॰ ई॰ टी॰ परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर अस्वीकार किया गया है, जिसपर तथापि पुनर्विचार की आवश्यकता है इस तथ्य की दृष्टि में कि **प्रामती शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक न्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [JT 2014 (7) SC 46]** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया है।

5. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आज तक कोई प्रतिशपथ पत्र मामले में दाखिल नहीं किया गया है, अतएव, अनुदेशों की अनुपस्थिति में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। तथापि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता इसपर विवाद नहीं करते हैं कि **प्रमती शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक न्यास एवं अन्य के मामले (ऊपर)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से, 2009 के अधिनियम को सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया है।

6. अतएव, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में, विधि के अनुसार याची के प्रतिपादनात्मक कथन पर एक नया आदेश पारित करने के लिए मामला निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, रांची, मानव संसाधन विकास विभाग को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. पूर्वोक्त पारित आदेश की दृष्टि में, याची के मामले में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, रांची द्वारा पारित दिनांक 22.7.2013 का आक्षेपित आदेश, जो रिट याचिका का परिशिष्ट 10 है, पुनर्विचार पर एक नया आदेश पारित करने के रास्ते में नहीं आएगा।

8. तद्नुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त ढंग से निस्तारित की जाती है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

ऋषि कुमार साह

cuke

मो॰ अजीम एवं अन्य

W.P. (C) No. 3677 of 2014. Decided on 3rd September, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 41, नियम 27(1)(b)–अतिरिक्त साक्ष्य–निष्कासन की अपील–केवल लंबित अभिधान अपील में अंतिम निर्णय में विलम्ब कराने के लिए किरायेदार की पहल पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था–मामले में अविलम्ब कार्यवाही करने के विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ आवेदन को अस्वीकार करने वाला आक्षेपित आदेश बरकरार। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–M/s Atanu Banerjee, Amrita Banerjee, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 4.7.2014 के आदेश द्वारा दिनांक 21.6.2014 के आवेदन के अस्वीकरण से व्यथित होकर याची, जिसे अभिधान अपील सं॰ 86 वर्ष 2009 में प्रत्यर्थी सं॰ 4(b) के तौर पर अभियोजित किया गया है, ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय का आश्रय लिया है।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि किराये के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर वाद परिसर से प्रतिवादी मो॰ अजीम के निष्कासन की ईप्सा करते हुए किसी देवकी देवी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध में प्रारंभ में अभिधान (निष्कासन) वाद सं॰ 24 वर्ष 1996 दाखिल किया गया था। वादी–देवकी देवी की मृत्यु के उपरान्त, वर्तमान याची के पिता को वादीगण में से एक के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया था तथा वह किरायेदार से किराया स्वीकार किया करता था। किरायेदार तथा याची के पिता के बीच एक समझौता हो गया था एवं अतएव, याची के पिता, जो अभिधान अपील सं॰ 86 वर्ष 2009 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 था, ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आदेश 41, नियम 27(1)(b) के अधीन एक आवेदन दाखिल किया था। याची ने भी दिनांक 21.6.2014 का एक समरूप आवेदन दाखिल किया था जिसे दिनांक 4.7.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है ऐसा सम्परीक्षित करते हुए कि मामले में एक अंतिम निर्णय पर पहुँचने के लिए एक अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय मामले की अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना है। उस आधार को चुनौती देते हुए जिसपर दिनांक 4.7.2014 के आदेश द्वारा याची का आवेदन अस्वीकार किया गया है, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि पक्षकारों की सहमति से समझौता विलेख प्रदर्शित किया गया है तथा प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया है, विलेख की अंतर्वस्तुओं को विचारण के दौरान सिद्ध किये जाने की आवश्यकता है अन्यथा, अवर न्यायालय द्वारा समझौते के तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे वैधानिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अगर याची/प्रत्यर्थी सं॰ 4(b) द्वारा दाखिल दिनांक 21.6.2014 का आवेदन अनुज्ञात किया जाता है, यह लंबित अभिधान अपील में कार्यवाही में

विलम्ब नहीं करायेगा तथा कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, ऐसे आवेदन को अवर न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया जाना चाहिए था।

3. दिनांक 4.7.2014 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन दर्शाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने एक सुविचारित आदेश द्वारा याची द्वारा दाखिल दिनांक 21.6.2014 के आवेदन को अस्वीकार किया है। दिनांक 16.5.2009 के आदेश के माध्यम से अभिधान (निष्कासन) वाद सं॰ 24 वर्ष 1996 डिक्री किया गया था। अभिधान अपील सं॰ 86 वर्ष 2009 में, किरायेदार ने आदेश 41, नियम 27(1)(b) के अधीन एक आवेदन दाखिल किया है जिसपर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 24.7.2010 का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध, वह डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 651 वर्ष 2011 में इस न्यायालय के पास आया था जिसे दिनांक 10.3.2011 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था इस सम्परीक्षण के साथ कि अभिधान अपील सं॰ 86 वर्ष 2009 की सुनवाई के समय पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर विचार किया जायेगा। लंबित अभिधान अपील में, याची के पिता ने भी आदेश 41, नियम 27(1)(b) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद, याची ने समझौता विलेख की अंतर्वस्तु को सिद्ध करने के लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपनी परीक्षा कराने हेतु पुनः एक समरूप आवेदन दिया था। दिनांक 4.7.2014 के आक्षेपित आदेश में यथा प्रकटित घटनाक्रमों का वर्णन मेरे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि केवल लंबित अभिधान अपील में निर्णय में विलम्ब कराने के लिए किरायेदार की पहल पर दिनांक 21.6.2014 का आवेदन दाखिल किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 4.7.2014 के आदेश के माध्यम से उचित रूप से दिनांक 21.6.2014 के आवेदन को अस्वीकार किया है।

4. मैं आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ तथा तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को और विलम्ब के बिना मामले में कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,p~ lh~ feJk] U;k;efr

श्री विश्वनाथ पान एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 4835 of 2001. Decided on 21st September, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–धारा 29–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–अधिनिर्णय का अक्रियान्वयन–संज्ञान–उसके बाद याचीगण द्वारा अधिनिर्णय क्रियान्वित कर दिया गया है–याचीगण को दांडिक कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य करके कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने जा रहा है–एक समय, उच्च न्यायालय द्वारा भी अधिनिर्णय स्थगित किया गया है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Petitioners; Mr. B.M.Lal, For the State; Mr. Prabhas Kumar, For the O.P. No.2.

न्यायालय द्वारा.–याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

2. याचीगण ने आई॰ डी॰ केस संख्या 525 वर्ष 2001 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 16.7.2001 के आदेश को अभिखंडित करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपराध के लिए याचीगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। याचीगण ने उक्त मामले में उनके विरूद्ध समूची दांडिक कार्यवाही को भी चुनौती दी है।

3. मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की अंगरपाथरा खान के कर्मकारों के संबंध में केन्द्रीय राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद-II द्वारा संदर्भ केस सं॰ 76 वर्ष 1991 में पारित दिनांक 21.1.1994 के अधिनिर्णय के अक्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपराध के लिए विपक्षी सं॰ 2 द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय में याचीगण के विरूद्ध आई॰ डी॰ केस सं॰ 525 वर्ष 2001 दाखिल किया गया है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण ने इस न्यायालय में उक्त अधिनिर्णय को चुनौती दी थी तथा अंततः उन्होंने एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 377 वर्ष 1997(R) दाखिल किया था, जिसमें दिनांक 31.7.2001 के आदेश द्वारा, उक्त अधिनिर्णय का निष्पादन स्थगित कर दिया गया था। तथा, यह निवेदन किया गया है कि अंततः उक्त एल॰ पी॰ ए॰ इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था एवं मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक भी पारित किया गया था। तत्पश्चात्, याचीगण द्वारा अधिनिर्णय क्रियान्वित किया गया है। अधिनिर्णय क्रियान्वित करने वाला आदेश सम्पूरक शपथ पत्र के रूप में परिशिष्ट 4 श्रृंखला के तौर पर अभिलेख पर लाया गया है, तथा सम्पूरक शपथ पत्र में यह कथित किया गया है कि एक कर्मकार सत्येन्द्र यादव उपस्थित नहीं हुआ था, परन्तु अन्य सभी कर्मकारों के योगदान स्वीकार किये गये हैं तथा वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याचीगण द्वारा अधिनिर्णय पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है, यह उनके विरूद्ध समूची दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने का एक उपयुक्त मामला है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है क्योंकि जिस समय आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, याचीगण द्वारा स्वीकार्यतः अधिनिर्णय क्रियान्वित नहीं किया गया था।

6. इस तथ्य के दृष्टि में कि अब याचीगण द्वारा अधिनिर्णय क्रियान्वित कर दिया गया है, मेरी सुविचारित राय है कि याचीगण को दांडिक विचारण का सामना करने के लिए बाध्य करके कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने नहीं जा रहा है। यद्यपि विपक्षी सं॰ 2 का यह मामला है कि याचीगण के विरूद्ध संज्ञान लेने के समय तक अधिनिर्णय क्रियान्वित नहीं किया गया था, परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि याचीगण द्वारा अधिनिर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दी गयी थी एवं एक समय पर, इस न्यायालय द्वारा भी अधिनिर्णय स्थगित किया गया था।

7. पूर्वोल्लिखित चर्चाओं की दृष्टि में, आई॰ डी॰ केस संख्या 525 वर्ष 2001 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 16.7.2001 के आक्षेपित आदेश तथा उक्त मामले में याचीगण के विरूद्ध समुचित दांडिक कार्यवाही भी एतद्द्वारा अभिखंडित किये जाते हैं।

8. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स नारायणी फ्युल्स प्रा॰ लिमिटेड

cuke

पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य

W.P.(C) No. 7504 of 2013. Decided on 4th September, 2014.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002–धारा 13(2)–मांग की नोटिस–प्रतिभूत आस्ति रखना–प्रतिभूत ऋणदाता ऋणी को उसके दायित्व का उन्मोचन करना आवश्यक बनाते हुए लिखित में नोटिस निर्गत करने में सशक्त होता है अगर ऋणी ने प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम किया है या उसका खाता एन॰ पी॰ ए॰ के तौर पर वर्गीकृत कर दिया गया है–ऋणी के खाते के एन॰ पी॰ ए॰ घोषित किये जाने के उपरान्त धारा 13(2) का आश्रय लेने के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है–धारा 13(2) में शब्द 'तब' केवल यह इंगित करता है कि धारा 13(2) का आश्रय लेने के पहले दायिता का अभिनिर्धारण होना चाहिए–ऋणी के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करते हुए तथा साथ ही साथ ऋणी के लिए अपनी दायिता का उन्मोचन करना आवश्यक बनाते हुए एक समेकित आदेश निर्गत करने के विरूद्ध अधिनियम की धारा 13(2) में कोई वर्जन नहीं है–एक अभ्यावेदन का दाखिला मात्र प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा विधि के अनुसार कार्रवाई करने के विरूद्ध वर्जन उत्पन्न नहीं कर सकता है–याची ने नोटिस में उल्लिखित बकाया दायिता पर विवाद नहीं किया है–याची का यह भी मामला नहीं है कि ऋणी के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित नहीं किया जा सकता था–वर्तमान रिट याचिका का दाखिला SARFAESI अधिनियम, 2002 के अधीन प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की गयी कार्यवाही में विलम्ब कराने के लिए आशयित है तथा इसे हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है–मामले में विधि के अनुसार कार्यवाही करने का प्रतिभूत ऋणदाता को निर्देश देते हुए रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9, 10, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2008) 1 SCC 125; (2004) 9 SCC 67—Referred; (2010) 8 SCC 110—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. V.P. Singh, For the Petitioner; Mr. R.N. Sahay, For the Respondents.

आदेश

प्रारंभ में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन निर्गत दिनांक 21.11.2013 की नोटिस पर प्रश्न उठाते हुए रिट याचिका दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा याची–मेसर्स नारायणी फुऐल्स प्राईवेट लिमिटेड को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर 6,95,59,528.79/– रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। बाद में, SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अधीन नोटिस 4.2.2014 को निर्गत की गयी थी जिसे एक आवेदन–आई॰ ए॰ संख्या 1693 वर्ष 2014–दाखिल करके चुनौती दी गयी थी। दिनांक 4.2.2014 की नोटिस को चुनौती देने की ईप्सा करने वाला संशोधन दिनांक 26.3.2014 के आदेश द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया था।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित विवरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार कथित किये जा सकते हैं:–

याची कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने 6.40 करोड़ रुपये का एक ऋण लिया था जिसमें 2 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण तथा 4.40 करोड़ के समतुल्य दो कैस क्रेडिट सम्मिलित थे। पूर्वोक्त ऋण को प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी–बैंक के पास बंधक के तौर पर 15 करोड़ रुपये के मूल्य की संपत्तियां तथा एक अन्य 3 करोड़ रुपये गिरवी रखे गये थे। ऋण के वर्धन/पुनर्निर्धारण के लिए, याची ने दिनांक 22.12.2012 का पत्र प्रस्तुत किया था तथा दिनांक 1.2.2013 के पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (पी॰ एन॰ बी॰), साख प्रशासन, राँची को अनुमोदित तथा अग्रसारित कर दिया गया था। चूँकि प्रस्ताव लंबित रहा था, याची ने दिनांक 22.3.2013 एवं 8.5.2013 के पत्रों के माध्यम से 22.12.2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थी–बैंक से आग्रह किया था तथा पुन: 18.6.2013 को इस संबंध में प्रत्यर्थी–बैंक

के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया था। 19.6.2013 को, प्रत्यर्थी–बैंक ने कैस क्रेडिट तथा सावधिक ऋण खाते में अनियमितताएं सूचित करते हुए याची को एक नोटिस का तामिला कराया था तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु तत्काल उपाय करने का याची को निर्देश दिया था। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी–बैंक से याची द्वारा किये गये अभ्यावेदन के निस्तारण तक याची के ऋण खाते को गैर–निष्पादनीय खाता घोषित न करने का आग्रह करते हुए याची द्वारा 24.6.2012 को मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को एक पत्र लिखा गया था। अध्यक्ष, पंजाब नेशनल बैंक को भी दिनांक 15.7.2013 का एक स्मरण पत्र भेजा गया था। जबकि मामला अभी भी लंबित था, दिनांक 12.9.2013 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी–बैंक ने याची को सूचित किया था कि स्टॉक अंकेक्षण का संचालन करने के लिए किसी मेसर्स एन॰ के॰ डी॰ एण्ड कंपनी को नियुक्त किया गया है। यद्यपि दिनांक 11.10.2013 एवं 15.10.2013 के पत्रों के माध्यम से खाते के वर्धन/पुनर्निर्धारण के लिए और आग्रह किया गया था, नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर 6,95,59,528.79/– रुपये जमा करने की याची से मांग करते हुए 21.11.2013 को SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन याची को एक नोटिस का तामिला करा दिया गया था।

3. रिट याचिका की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक अभ्यापत्ति उठाते हुए प्रत्यर्थी–बैंक द्वारा एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, यह कथित करते हुए कि समान रूप से प्रभावी एक त्वरित सांविधिक उपचार याची को उपलब्ध है। यह कथित किया गया है कि बैंक ''ऑन लाईन ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली'' चला रहा है जो आवेदकों को मोबाईल पर प्राप्त उनके यूजर आई॰ डी॰ तथा पासवर्ड को प्रविष्ट कराकर उनके ऋण प्रस्ताव की स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाता है। जैसे ही प्रस्ताव प्रविष्ट किया जाता है, ऋण प्रस्ताव का ऑन लाईन पता लगाने के लिए यूजर आई॰ डी॰ तथा पासवर्ड भेजते हुए आवेदक को प्रणाली द्वारा एक एस॰ एम॰ एस॰ भेजा जाता है। याची के आवेदन के लिए उत्पन्न अनन्य आई॰ डी॰ की संख्या 1515002013000001 था। याची के मामले में समय के भीतर प्रस्ताव ग्रहण किया गया था तथा 'ऋण जोखिम रेटिंग' भी किया गया था। याची ने दिनांक 22.12.2012 के पत्र के माध्यम से प्रोद्योगिकीय उन्नयन के लिए ऋण प्रस्ताव का आग्रह किया था, दिनांक 22.3.2013 का पश्चातवर्ती पत्र इंगित करता है कि इसे अपनी इकाई चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। कैश क्रेडिट तथा सावधि ऋण खाते में अनियमितता की दृष्टि में, प्रत्यर्थी–बैंक की संबद्ध शाखा द्वारा कार्रवाई की गयी थी। दिनांक 9.6.2013 के पत्र के माध्यम से, ऋणी को सूचित किया गया था कि 63.83 लाख रुपये की एक राशि के साथ उसका खाता अति अनियमित रूप से चल रहा था। याची को अपना खाता नियमित करने के लिए कुल बकाया राशि तत्काल जमा करने का निर्देश दिया गया था ताकि इसका खाता गैर–निष्पादनीय आस्ति में परिवर्तित न हो जाय। ऋणदाता–बैंक ने ऋणी से अपने विक्रय आगमों को खाते के माध्यम से ले जाने का भी आग्रह किया था एवं खाते के नियमितिकरण के लिए तत्काल उपाय करने को कहा था, तथापि, याची ने मामले में कोई कदम नहीं उठाया था एवं परिणामस्वरूप उसका खाता एन॰ पी॰ ए॰ बन गया था। आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के निबंधनों में याची के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि याची–कंपनी के स्टॉक अंकेक्षण के लिए किसी मेसर्स एन॰ के॰ डी॰ एण्ड कंपनी को चिन्हित किया गया था, परन्तु, याची–कंपनी ने अंकेक्षण फर्म द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। इन तथ्यों में, SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन नोटिसें निर्गत की गयी थी।

4. पक्षकारों के उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया।

5. याची के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह ने निवेदन किया कि जबकि ऋण खाते के वर्धन/पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रत्यर्थी–बैंक के समक्ष विचारार्थ लंबित था,

SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन दिनांक 21.11.2013 के पत्र के माध्यम से नोटिस का निर्गत किया जाना अनुचित है। SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) को निर्दिष्ट करते हुए, यह निवेदन किया गया है कि धारा 13(2) के अधीन एक नोटिस निर्गत किये जाने के पहले, एक पृथक आदेश द्वारा ऋणी के खाते को गैर निष्पादनीय आस्ति घोषित किया जाना आवश्यक होता है। अधिनियम की धारा 13(2) में प्रयुक्त 'तब' शब्द पर बल देते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विधायी आशय पर्याप्त रूप से स्पष्ट है तथा इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करने के पहले SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) का आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वह **(2008) 1 SCC 125** में रिपोर्ट किये गये **''ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं एक अन्य''** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि दिनांक 21.11.2013 का पत्र इंगित करता है कि यह खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करने वाला तथा SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) का भी आलंब लेने वाला एक समेकित आदेश है, दिनांक 21.11.2013 का पत्र विधि के आदेश के विरूद्ध जाकर निर्गत किया गया है तथा अएतव, यह हस्तक्षेप किये जाने का दायी है। यह भी निवेदन किया गया है कि SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अधीन प्रावधान का आलंब लेने के पहले, अधिनियम की धारा 13A के अधीन आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि दिनांक 17.1.2014 की अभ्यापत्ति (परिशिष्ट 12) पर प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा विचार नहीं किया गया था।

6. प्रत्यर्थी-बैंक के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ एन॰ सहाय ने प्रतिशपथ पत्र में लिये गये पक्ष को दोहराया था तथा निवेदन किया था कि 22.8.2013 को याची का खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित कर दिया गया था। SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन निर्गत पत्र में मात्र इतना कथित किया गया है कि याची का खाता एन॰ पी॰ ए॰ बन चुका है। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि ऋणी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप 15-16 करोड़ रुपये से अधिक का है तथा बकाया राशि इससे कम है, याची के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दिनांक 17.1.2014 के पत्र को निर्दिष्ट करते हुए, इसके द्वारा याची ने धारा 13(2) के अधीन दिनांक 21.11.2013 की एक नोटिस पर अभ्यापत्ति की थी, यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा उठायी गयी एकमात्र अभ्यापत्ति यह थी कि 21.11.2013 तक, मेसर्स नारायणी फुऐल्स प्राईवेट लिमिटेड का खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित नहीं किया गया था एवं याची को कोई नोटिस निर्गत नहीं की गयी थी तथा बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना ऐसी नोटिस निर्गत की गयी थी।

7. जवाब में, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैरा 1 में यह स्पष्टत: कथित किया गया है कि याची-कंपनी का खाता 22.11.2013 को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित कर दिया गया था, सम्पूरक शपथ पत्र में प्रत्यर्थी-बैंक ने शपथ पर ऐसा कथित करते हुए एक झूठा कथन किया है कि याची-कंपनी का खाता 22.8.2014 को एन॰ पी॰ ए॰ बन गया था तथा इन परिस्थितियों में, याची ने वर्तमान रिट कार्यवाही में एक झूठा कथन करने के लिए प्रत्यर्थी-बैंक के विरूद्ध एक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। वह **(2004) 9 SCC 670** में रिपोर्ट किये गये **''यू॰ पी॰ निवासी कर्मचारीगण सहकारी गृह निर्माण समिति एवं अन्य बनाम न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकार एवं एक अन्य''** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हैं।

8. मैंने पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

9. SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन प्रावधानों के एक विश्लेषण से, यह प्रकट है कि प्रतिभूत ऋणदाता ऋणी को अपने दायिता का उन्मोचन करना आवश्यक बनाते हुए

लिखित में नोटिस निर्गत करने में सशक्त होता है अगर ऋणदाता ने प्रतिभूत ऋण चुकाने में व्यतिक्रम किया है या उसका खाता एन॰ पी॰ ए॰ के तौर पर वर्गीकृत कर दिया गया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जबतक की दायिता का अभिनिर्धारण नहीं किया जाता है, ऋण की दायिता के परिसमापन का चरण उत्पन्न नहीं होता है तथा चूँकि वर्तमान मामले में दायिता का कोई पृथक अभिनिर्धारण नहीं हुआ है तथा याची के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करते हुए एवं SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस भी निर्गत करते हुए दिनांक 21.11.2013 का पत्र एक संयुक्त पत्र है, प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा की गयी कार्रवाई अभिखंडित किये जाने योग्य है। यह तर्क अस्वीकार किये जाने का दायी है। मैं ऋणी के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित किये जाने के उपरान्त SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) में धारा 13(2) का आश्रय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं पाता हूँ। धारा 13(2) में शब्द 'तब' केवल यह इंगित करता है कि धारा 13(2) का आश्रय लेने से पहले दायिता का अभिनिर्धारण होना चाहिए। इसपर विवाद नहीं है कि ऋणी ने ऋण चुकाने में व्यतिक्रम किया है तथा उसके खाते के एन॰ पी॰ ए॰ बनने के पहले उसे सचेत किया गया था तथा ऋण खाते को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। मैं ऋणी के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करते हुए तथा साथ ही साथ ऋणी को उसकी दायिता का उन्मोचन करना आवश्यक बनाते हुए एक समेकित आदेश निर्गत करने के विरूद्ध अधिनियम की धारा 13(2) में कोई वर्जन नहीं पाता हूँ। वर्तमान मामले में यद्यपि प्रत्यर्थी-बैंक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है ऐसा कथित करते हुए कि ऋणी का खाता 22.8.2013 को एन॰ पी॰ ए॰ बन गया था, अगर यह मान भी लिया जाता है कि दिनांक 21.11.2013 के पत्र के माध्यम से ऐसा निर्णय लिया गया था, मेरी सुविचारित राय है कि यह महत्वहीन है। याची ऐसा दर्शाने में सक्षम नहीं रहा है कि अभिकथित अनियमितता के कारण दिनांक 21.11.2013 के पत्र ने गंभीर प्रतिकूलता कारित की है। जहां तक SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन नोटिस के निर्गमन के पहले दिनांक 22.12.2012 के प्रस्ताव के लंबित रहने के संबंध में तर्क का सवाल है, मैं पाता हूँ कि इसे प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में पर्याप्त रूप से स्पष्टीकृत किया गया है। एक अभ्यावेदन का दाखिला मात्र प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा विधि के अनुसार कार्रवाई करने के विरूद्ध एक वर्जन उत्पन्न नहीं कर सकता है।

10. जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से निर्दिष्ट किया है कि SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13A के अधीन दाखिल दिनांक 17.1.2014 की अभ्यापत्ति गणना की किसी त्रुटि के संबंध में नहीं थी या ऋणी की दायिता पर विवाद करते हुए नहीं थी, बल्कि यह दिनांक 21.11.2013 के पत्र के माध्यम से ऋणी के खाते को एन॰ पी॰ ए॰ घोषित करने के निर्णय पर प्रश्न उठाने तक सीमित थी। वर्तमान मामले में, याची ने दिनांक 21.11.2013 की नोटिस में उल्लिखित बकाया दायिता पर विवाद नहीं किया है। याची का यह भी मामला नहीं है कि ऋणी का खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित नहीं किया जा सकता था। मैं इस तर्क में कोई दम नहीं पाता हूँ कि प्रत्यर्थी-बैंक ने शपथ पर एक झूठा कथन किया है। वर्तमान रिट याचिका का दाखिल किया जाना SARFAESI अधिनियम, 2002 के अधीन प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की गयी कार्यवाही में विलंब कराने के लिए आशयित है तथा इसे हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

11. बैंकों को शोध्य ऋणों की वसूली तथा वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अधिनियमित करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करने के उपरान्त **(2010) 8 SCC 110** में रिपोर्ट किये गये **''यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य''** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्परीक्षित किया है कि यह स्पष्ट है कि, ''SARFAESI अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार त्वरित तथा प्रभावी दोनों हैं।'' माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार सम्परीक्षित किया है:-

^^43. nHkkX;o'k] mPp U;k;ky; u bl LFkkfir fofèk dh vun[kh dh Fkh fd mPp U;k;ky; lkekU;r% lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ,d ;kfpdk xg.k ugh djxk vxj 0;fFkr 0;fDr dk ,d iHkkoh mipkj miyCèk g rFkk djk] i'kYd] 'kYd] vU; idkj d lkotfud èkuk ,o cdk rFkk vU; foÙkh; lLFkkuk d cdk;k dh olyh l lcfèkr ekeyk e ;g fu;e vfèkd dBkjrk d lkFk ykx gkrk gA gekjh jk; e] lkotfud cdk;k bR;kfn dh olyh d fy, dh x;h dkjokb dk nh x;h pukrh l lcfèkr ;kfpdkvk l fuiVr g,] mPp U;k;ky; dk vko';d :i l bl è;ku e j[kuk g fd ,l cdk;k dh olyh d fy, lln rFkk jkT; 0;oLFkkfidkvk }kjk vfèkfu;fer foèkku viu vki e ,d lfgrk g D;kfd mue u doy cdk;k dh olyh d fy, 0;kid ifØ;k vrfo"V g cfYd fdlh 0;fFkr 0;fDr dh 0;Fkk d ifrk"k d fy, v)U;kf;d fudk;k d xBu dk Hkh vfHkdfYir djr gA vr,o] ,l lHkh ekeyk e] mPp U;k;ky; dk vko';d :i l blij cy nuk g fd lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu mipkj dk ykHk mBku d igy] fdlh 0;fDr }kjk llxr lfofèk d vèkhu miyCèk lHkh mipkjk dk bLreky djuk vko';d gA**

12. वर्तमान मामले में SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन नोटिस निर्गत होने के तुरंत बाद, याची इस न्यायालय के पास आ गया था। SARFAESI अधिनियम, 2002 की योजना इंगित करती है कि एक ऋणी को धारा 13(3-A) के अधीन अपने अभ्यापत्ति प्रस्तुत करने का एक अवसर उपलब्ध कराया गया है। धारा 13(3-A) के अधीन अपनी अभ्यापत्ति प्रस्तुत करने के पहले ही, याची 13.12.2013 को इस न्यायालय के पास आ गया था। यद्यपि रिट याचिका प्रारंभ में ही अस्वीकार किये जाने योग्य थी, चूँकि पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अति विस्तृत तर्क प्रस्तुत किये गये थे, मैं वैकल्पिक सांविधिक उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने से दूर रहा था।

13. परिणामत:, रिट याचिका खारिज की जाती है तथा दिनांक 6.3.2014 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी–बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आज के दिन राशि बढ़ चुकी है तथा कुल दायिता 7.91 करोड़ रुपये हो चुकी है। प्रतिभूत ऋणदाता को विधि के अनुसार मामले में कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

राम अवतार सिंह

cuke

संतोष कुमार गुप्ता

C.R. No. 10 of 2012. Decided on 25th August, 2014.

बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982—धारा 11 (1) (c)—बेदखली–हजारीबाग नगरपालिका द्वारा उसको दिए गए पट्टा पर वादी वाद परिसर धारण कर रहा है–वादी को संपत्ति का संपूर्ण स्वामी नहीं माना जा सकता है और उसे मकानमालिक भी नहीं माना जा सकता है–बेदखली डिक्री अपास्त। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1981 SC 1113—Relied; 1996 (1) PLJR 110—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s V. Shivnath, Niraj Kishore, For the Petitioner; Mr. Priya Ranjan Bhagat, For the Opp. Party.

आदेश

यह सिविल पुनरीक्षण बेदखली वाद सं॰ 13 वर्ष 2008 के संबंध में विद्वान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन IV, हजारीबाग द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 27.3.2012 के निर्णय एवं दिनांक 9.4.2012 की डिक्री के विरुद्ध याची/प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया है जिसके द्वारा वाद प्रतिवाद पर व्यय के साथ डिक्री किया गया है और याची को निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर वाद परिसर का रिक्त कब्जा देने का निर्देश दिया गया है जिसमें विफल रहने पर उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा बेदखल किया जाएगा।

2. वादी ने मामला बनाया है कि वह वादपत्र की अनुसूची–A में अधिक पूर्णत: वर्णित पूरब से पश्चिम 7 फीट 8 इंच और उत्तर से दक्षिण 31 फीट क्षेत्रफल वाले पुराने नगरपालिका सं॰ 195, नयी धृति सं॰ 251 वाले नगरपालिका बाजार स्टॉल सं॰ 15 के पश्चिमी भाग में वार्ड सं॰ 8, नयी वार्ड सं॰ 14 के तत्सम, के अंतर्गत दुकान परिसर, वाद संपत्ति का पट्टा धारण करता है। याची/प्रतिवादी को किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया है और वह मेसर्स हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कंपनी के नाम एवं शैली में व्यवसाय कर रहा है और वाद दाखिल किए जाने के समय 650/- रुपया मासिक किराया का भुगतान कर रहा है।

3. यह प्रतिवाद किया गया है कि वादी के पुत्र में से एक अविनाश कुमार गुप्ता ने पढ़ाई छोड़ दिया है और बेकार बैठा है, अत: वादी को अपने पुत्र अविनाश कुमार गुप्ता का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सद्भावपूर्वक एवं युक्तियुक्त रूप से अपने अधिभोग के लिए वाद परिसर की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वाद परिसर खाली करने के लिए वादी द्वारा प्रतिवादी से अनेक अनुरोध किया गया था किंतु अनेक अनुरोधों के बावजूद उसने इसे खाली नहीं किया था जिसके बाद दिनांक 31.7.2007 का अधिवक्ता नोटिस प्रतिवादी पर तामील किया गया था और उसे अनुसूची–A परिसर का रिक्त भौतिक कब्जा सौंपने के लिए कहा गया था। प्रतिवादी ने वाद परिसर खाली करने के बजाए झूठे एवं तुच्छ अभिकथनों के साथ याचिका दाखिल किया जिस पर प्रतिवादी एवं वादी के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी। जब प्रतिवादी ने अंतत: दिनांक 18.7.2008 को अनुसूची–A परिसर खाली करने से इनकार कर दिया, वादी के पास इस आधार पर वाद दाखिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसे स्वयं अपने अधिभोग के लिए सद्भावपूर्वक एवं सद्विश्वास में वाद पसिर की आवश्यकता है। वाद दाखिल करने का वाद हेतुक विभिन्न तिथियों पर उद्भूत हुआ जब वाद परिसर खाली करने का अनुरोध प्रतिवादी से किया गया था अर्थात् दिनांक 18.7.2008 को और आगे की तिथियों पर जब उसने इसे रिक्त करने से इनकार कर दिया। वाद 7800/- रुपया पर मूल्यांकित किया गया है और न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोजन से उस राशि पर न्यायालय फीस का सम्यक रूप से भुगतान किया गया था। वाद पत्र के आधार पर, हजारीबाग में मुंसिफ न्यायालय में बेदखली वाद सं॰ 13 वर्ष 2008 दर्ज किया गया था।

4. प्रतिवादी नोटिस तामील होने के बाद उपस्थित हुआ और अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया कि वाद परिसीमा विधि एवं प्रतिकूल कब्जा द्वारा वर्जित होने के कारण अपने वर्तमान स्वरुप में पोषणीय नहीं है। यह प्रतिवाद किया गया है कि वादी से सहमति इप्सित करने के बाद व्यवसाय की प्रकृति मेसर्स हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी से बदल दी गयी थी और उसने उक्त दुकान परिसर में फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू किया। प्रतिवादी ने आगे प्रकथन किया है कि किस प्रकार वह उक्त दुकान परिसर पर काबिज हुआ किंतु उसने स्वीकार किया है कि वाद के संस्थापन के समय पर वह वादी को 650/- रुपया प्रतिमाह के किराया का भुगतान कर रहा था। प्रतिवादी ने आगे मामला बनाया है कि वादी को अधिभोग के लिए वाद परिसर की युक्तियुक्त एवं सद्भावपूर्ण आवश्यकता नहीं है बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अधिक किराया पर इसे देना चाहता है। वादी के पास अन्य उपयुक्त वास

सुविधा है जिस पर वह काबिज है और जो रिक्त पड़ी है जिनमें वादी का पुत्र अविनाश कुमार गुप्ता अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है।

5. पक्षों के अभिवचन के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए थे:–

(i) D;k okn viu oreku Lo#i e ik"k.kh; g\

(ii) D;k oknh d ikl oèk okn grd g\

(iii) D;k oknh ,o çfroknh d chp edkuekfyd rFkk fdjk,nkj dk lcèk fo|eku g\

(iv) D;k oknh dk viu futh mi;kx ,o vfèkHkkx d fy, okn ifjlj dh lnHkkoi.k vko';drk g\

(v) oknh vU; fdu vurk"kk dk gdnkj g\

वादी एवं प्रतिवादी ने अपने परस्पर अभिवचनों के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया है। न्याय निर्णयन पर विद्वान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन, हजारीबाग ने वाद प्रतिवाद पर व्यय के साथ डिक्री किया है और प्रतिवादी को वाद परिसर का रिक्त कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है, अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (8) के अधीन यह सिविल पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

6. याची/प्रतिवादी ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का विरोध किया है कि वादी को अपने पुत्र अविनाश कुमार गुप्ता के उपयोग एवं अधिभोग के लिए युक्तियुक्त रूप से एवं सद्विश्वास में वाद परिसर की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक पक्ष के असंयोजन के कारण वाद दोषपूर्ण है। विवाद्यक कि वादी की आवश्यकता वाद परिसर के एक भाग के अधिभोग द्वारा पूरी हो जाएगी, पर विद्वान न्यायालय द्वारा समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है। याची ने आगे विद्वान उपन्यायाधीश के निष्कर्ष और डिक्री को इस आधार पर चुनौती दिया है कि धारा 11 (1) (c) के प्रयोजन से वादी को 'मकानमालिक' नहीं माना जा सकता है क्योंकि वादी का स्वीकृत मामला है कि वह हजारीबाग नगरपालिका से पट्टा पर वाद परिसर धारण करता है। उसे वाद संपत्ति के संपूर्ण स्वामी के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा धारण किया गया भवन का अधिभोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1981 (SC) 1113** में प्रकाशित **(एम॰ एम॰ कासिम बनाम मनोहर लाल शर्मा एवं अन्य)** निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि निजी आवश्यकता के मामले में मकानमालिक की परिभाषा पर विचार करने की आवश्यकता है जैसा उक्त निर्णय के पैरा 14 में माननीय न्यायाधीशों द्वारा विस्तारपूर्वक की गयी व्याख्या की दृष्टि में बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 11 (1) (c) के अधीन परिकल्पित किया गया है। स्वीकृत रूप से, वादी हजारीबाग नगरपालिका से पट्टा पर वाद संपत्ति धारण करता है और इसलिए, उक्त उद्धृत निर्णय एवं बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 11 (1) (c) में अंतर्विष्ट प्रावधानों की दृष्टि में उसे मकानमालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः, निर्णय एवं डिक्री दोनों अपास्त किए जाने के दायी हैं।

7. विरोधी पक्षकार के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और 1996 (1) PLJR 110 में प्रकाशित **(श्रीमती कल्याणी भान एवं अन्य बनाम श्रीमती रोकला परवीन युसूफ)** निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्य उक्त निर्णय में दिए गए निष्कर्षों द्वारा पूरी तरह आच्छादित हैं। **श्रीमती कल्याणी भान (ऊपर)** के मामले में वादी का पति अबू धाबी (खाड़ी देश) में रह रहा था और संपत्ति उसके नाम में थी किंतु वाद उसकी पत्नी रुकिया परवीन युनूस द्वारा इस आधार पर दाखिल किया गया था कि वादी की पुत्री के लिए किराया

परिसर की युक्तियुक्त एवं सद्विश्वास में आवश्यकता थी और वे नर्सिंग होम चलाना चाहते थे। निजी आवश्यकता के आधार पर विचार किया गया था और तद्नुसार वाद डिक्री किया गया था। इस विवाद्यक को भी ध्यान में लिया गया था कि वादी केवल बेनामीदार थी जबकि संपत्ति उसके पति मो॰ यावर युनूस के नाम पर थी। यह अभिवचन कि वादी संपत्ति की वास्तविक स्वामिनी नहीं थी और निजी आवश्यकता के आधार पर बेदखली वाद लाने की हकदार नहीं थी, अस्वीकार कर दिया गया था और वाद डिक्री किया गया था।

विद्वान उपन्यायाधीश ने विवादित दुकान की लंबाई-चौड़ाई पर विचार करके आंशिक बेदखली के विवाद्यक पर चर्चा किया है और स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि आंशिक बेदखली वादी का प्रयोजन पूरा नहीं करेगी। वाद सही प्रकार से डिक्री किया गया है। इस पुनरीक्षण में गुणागुण नहीं है।

8. मैंने अवर न्यायालय अभिलेख एवं ऊपर उद्धृत निर्णयों का परिशीलन किया है। यह वादी का स्वीकृत मामला है कि वह हजारीबाग नगरपालिका से पट्टा पर वाद परिसर धारण करता है जिसे मासिक किराया पर याची को किराया पर दिया गया था। वादी ने अभिवचन किया है कि उसको अपने पुत्र अविनाश कुमार गुप्ता जो बेकार बैठा है के लिए व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपने निजी उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से एवं सद्विश्वास में वाद परिसर की आवश्यकता है। अतः, वादपत्र में किए गए प्रकथन के मुताबिक वादी को अपने पुत्र के लिए सद्भावपूर्वक वाद परिसर की आवश्यकता है किंतु इस संदर्भ में धारा 11 (1) (c) के अधीन अभिव्यक्त मकान मालिक की परिभाषा पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

धारा 2 (d) में 'मकानमालिक' की परिभाषा और धारा 11 (1) (c) के अधीन अंतर्विष्ट अभिव्यक्ति 'मकान मालिक' पर **एम॰ एम॰ कासिम (ऊपर)** में निर्णय में माननीय न्यायाधीशों द्वारा पैरा 14 में अच्छी तरह चर्चा की गयी है जो निम्नलिखित है:-

"14. fdjk;k vfèkfu;e dh èkkjk 2 (d) e vfHk0;fDr ^edkuekfyd ifjHkkf"kr dh x;h g ftldk iBu fuEufyf[kr g%*

*^^edkuekfyd** mu 0;fDr;k dk lfEefyr djrk g tk rRle; Hkou dk fdjk;k çkIr dj jgk g vFkok çkIr dju dk gdnkj g] pkg Lo; viu dkj.k vFkok fdlh vU; dh vkj l] vFkok Lo; ,o vU; d ykHk d fy, Lo; vFkok fdlh vU; dh vkj l vFkok ,tUV] U;kl h] fu"iknd] ç'kld] fjlhoj vFkok vfHkHkkod d :i e vFkok tk fdjk;k çkIr djxk vFkok fdjk;k çkIr dju dk gdnkj gkxk ;fn Hkou fdjk, ij fn;k x;k gA*

;g buDyflo ifjHkk"kk vR;U 0;kid Hkk"kk e gA fdr] vfHk0;fDr dh 0;kidrk dk èkkjk 11 dh mièkkjk (1) d mi[kM (C) d lkFk lyXu Li"Vhdj.k }kjk de fd;k x;k g ftldk iBu fuEufyf[kr g%

"11. fdjk,nkj dh cn[kyh%

(1) fdlh lfonk vFkok fofèk e vrfn"V fdlh foijhr pht d ckotn fdr vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 d çkoèkkuk vkj èkkjk 12 d çkoèkkuk d vè;èkhu tgk fdjk,nkj fdlh edku ij dkfct g] og ,d vFkok vfèkd fuEufyf[kr vkèkkjk ij U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh d fu"iknu d flok, mll cn[kyh dk nk;h ugh gkxk%

(c) tgk edkuekfyd dk Lo; viu vfèkHkkx d fy, vFkok vU; 0;fDr ftld ykHk d fy, edkuekfyd }kjk Hkou èkkj.k fd;k tk jgk g d vfèkHkkx d fy, ;fDr;Dr :i l ,o lnfo'okl e Hkou dh vko';drk g%

ijUr ;g fd tgk U;k;ky; le>rk g fd ,l vfèkHkkx dh ;fDr;Dr vko';drk fdjk,nkj dk doy Hkou d ,d Hkkx l cn[ky djd vkj fdjk,nkj dk 'k"k Hkkx d vfèkHkkx e cu jgu dh vuefr ndj lkjoku :i l lr"V fd;k tk ldrk g vkj fdjk,nkj ,l vfèkHkkx oky fy, lger gkrk g] U;k;ky; rnulkj fMØh ikfjr djxk vkj fdjk,nkj d vfèkHkkx oky Hkkx dk mfpr fdjk;k vuikfrdr% fu;r djxk tk Hkkx rc l èkkjk 2 d [kM (aa) d vFk d vrxr Hkou xfBr djxk vkj bl çdkj fu;r fdjk;k èkkjk 5 d vèkhu fu;r mfpr fdjk;k d :i e le>k tk,xk(

Li"Vhdj.k-&bl [kM e 'kCn ^^edkuekfyd** èkkjk 2 d [kM (d) e fufn"V ,tUV dk lfEefyr ugh djxkA**

vr% èkkjk 11 (1) (c) e vfèkfu;fer lkeF;dkjh micèk dk ykHk yr g, iVV ij fn, x, Hkou dh viuh ;fDr;Dr vko';drk d vkèkkj ij dCtk dk nkok dju oky 0;fDr dk n'kkuk gkxk fd og bl vFk e edkuekfyd g fd og Hkou dk Lokeh g vkj Lo; viu vfèkdkj e bldk vfèkHkkx dju dk vfèkdkj ml gA fdjk;k lxfgr dju okyk ek=] ;fi ml bldh 0;kidrk e vfHk0;fDr edkuekfyd e lfEefyr fd;k tk ldrk g] èkkjk 11(1) (c) d ç;ktu l edkuekfyd d :i e ugh ekuk tk ldrk gA ;g mièkkjk d lkFk lyXu Li"Vhdj.k l Li"V :i l Li"V cu tkrk gA èkkjk 11 (1) (c) d ç;ktu l vfHk0;fDr ^edkuekfyd* dk vFk fucfèkr djd foèkkueMy u viuk vk'k; Li"V fd;k vFkkr fd doy edkuekfyd viuh futh vko';drk d vkèkkj ij cn[kyh bfllr dj ldrk g ;fn og ok 0;fDr g ft ldk Lo; Hkou dk vfèkHkkx dju dk vkj Lo; viu l U;u vfHkèkku èkkj.k dju oky fdlh vkj dk vioftr dju dk li.k fo'o d fo#) vfèkdkj gA ,lk edkuekfyd tk Lokeh g vkj ft ldk Lo; viu vfèkdkj e Hkou dk vfèkHkkx dju dk vfèkdkj gkxk] Lo; viu mi;kx d fy, dCtk bfllr dj ldrk gA èkkjk dk ckn okyk Hkkx ,lh fLFkfr ifjdfYir djrk g tgk edkuekfyd fdlh vU; 0;fDr d ykHk d fy, Hkou èkkj.k dj jgk g fdr ml fLFkfr e edkuekfyd viu futh mi;kx d fy, ugh cfYd ml 0;fDr ft ld ykHk d fy, og Hkou èkkj.k dj jgk g dh futh vko';drk d fy, fdjk,nkj dh cn[kyh bfllr dj ldrk gA nljk [kM U;kfl;k ,o Cestui que trust dh fLFkfr vuè;kr djrk g fdr tc ekeyk èkkjk 11 dh mièkkjk (1) d mi[kM (c) d çFke Hkkx }kjk 'kkflr gkrk g] futh vko';drk d fy, dCtk dk nkok dju oky 0;fDr dk ,lk edkuekfyd gkuk gkxk tk Lo; viu vfèkHkkx d fy, dCtk pkgrk g vkj ;g foof{kr djxk fd ml og 0;fDr gkuk gkxk ft l li.k fo'o d fo#) vfèkHkkx e cu jgu dk vfèkdkj g vkj u fd dkb vU; ft ldk lifÙk e vfLrRo;Dr fgr ugh g vkj tk lifUk dk ,tUV] fu"iknd] ç'kkld vFkok fjlhoj t lk fdjk;k lxg dju okyk ek= gA vr%] èkkjk 11 (1) (c) d ç;ktu l vfHk0;fDr edkuekfyd dk vFk og 0;fDr gk ldrk Fkk tk Hkou dk Lokeh g vkj ft ldk vU; leLr dk vioftr djr g, Hkou d vfèkHkkx ,o bl ij okLrfod :i l dkfct cu jgu dk vfèkdkj gA ,lk 0;fDr gh fdjk,nkj dh cn[kyh bl vkèkkj ij bfllr dj ldrk g fd ml Lo; viu vfèkHkkx d fy, lnfo'ok e dCtk dh vko';drk gA fdjk;k lxfgr dju okyk vFkok ,tUV Lo; viu vfèkdkj e ?kj d vfèkHkkx dk gdnkj ugh gA Hky gh ,lk 0;fDr iVVkdrk g vkj] blfy,] vfHk0;fDr edkuekfyd dh c<k;h x;h lfEeyudkjh ifjHkk"kk d vrxr edkuekfyd g] fQj Hkh og bl vkèkkj ij

*fdjk,nkj dh cn[kyh bfllr ugh dj ldrk g fd og futh :i l ?kj dk vfèkHkkx pkgrk gA og okLrfod Lokeh d fo#) ,l vfèkdkj dk nkok ugh dj ldrk g vkj vko';d lgifj.kke d :i e og bl vkèkkj ij fdjk,nkj dh cn[kyh bfllr ugh dj ldrk g fd og Lo; viu vfèkHkkx d fy, ifjlj dk dCtk pkgrk gA èkkjk 11 (1) d mi[kM (c) d vo;o dh ,dek= ;fDr;Dr 0;k[;k ;gh gk ldrh g ftldk iBu g]** tgk Lo; viu vfèkHkkx d fy, ;fDr;Dr :i l ,o lnfo'okl e edkuekfyd dk Hkou dh vko';drk g---------**A ;g ekur g, fd vfHk0;fDr ^edkuekfyd* dk mlh vFk e le>uk gkxk tlk ifjHkk"kk [kM e fn;k x;k g] fnokfy;k dk;okgh e U;k;ky; }kjk fu;Dr fdjk;k lxgd vFkok lifUk dk fjlhoj Hkh ;g vfHkdfFkr djr g, fdjk,nkj dk cn[ky dju e l{ke gkxk fd og Lo; viu vfèkHkkx d fy, Hkou pkgrk g ftl vfèkdkj dk nkok og okLrfod Lokeh d fo#) ugh dj ldrk FkkA***

पैरा 14 के अंतिम भाग में यह तर्क किया गया है ''अत: खंड (c) का स्पष्टीकरण जो अभिव्यक्ति 'मकानमालिक' की वृहत व्यापकता को कम करता है बिना किसी गलती के दर्शाएगा कि खंड (c) के प्रयोजन से ऐसा मकानमालिक उस अर्थ में जिस अर्थ में शब्द 'स्वामी' को समझा जाता है जो अन्य प्रत्येक को अपवर्जित करते हुए अधिकार के तौर पर घर के अधिभोग का दावा कर सकता है, स्वयं अपने अधिभोग के लिए किराएदार को बेदखल करने का हकदार होगा।''

9. यह विवादित नहीं है कि हजारीबाग नगरपालिका द्वारा उसको दिए गए पट्टा पर वादी द्वारा वाद परिसर धारण किया गया है और इसलिए, वादी को उक्त संपत्ति का संपूर्ण स्वामी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है और उसे बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 11 (1) (c) के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में, विशेषत: **एम॰ एम॰ कासिम (ऊपर)** के मामले में माननीय न्यायाधीशों द्वारा किए गए चर्चा एवं संप्रेक्षण की दृष्टि में, उसे मकानमालिक के रूप में माना नहीं जा सकता है, अत: मैं इस याचिका को अनुज्ञात करने का इच्छुक हूँ। तद्नुसार, यह सिविल पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है। बेदखली वाद सं॰ 13 वर्ष 2008 के संबंध में विद्वान सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन IV; हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.3.2012 का निर्णय एवं दिनांक 9.4.2012 को हस्ताक्षरित डिक्री अपास्त किया जाता है।

10. जहाँ तक अन्य विवाद्यक का संबंध है, ऊपर दिए गए निष्कर्षों की दृष्टि में, अन्य विवाद्यकों पर चर्चा निरर्थक कार्य होगा और इसलिए मैं पृथक रूप से उन विवाद्यकों पर विचार करने का आशय नहीं रखता हूँ।

11. पक्षगण अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

बदरी प्रसाद भारतीय एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Misc. No. 4003 of 2001. Decided on 6th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406, 420, 467, 468 एवं 471—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग, छल एवं कूट रचना–संज्ञान–वर्ष 1992 में कूटरचना

करने के अभिकथन के लिए वर्ष 1998 में आक्षेपित दांडिक मामला दाखिल किया गया था–परिवाद याचिका दाखिल करने में लगभग छह वर्ष के इस अत्यधिक विलंब को स्पष्ट नहीं किया गया है–याचीगण के विरुद्ध अन्य अभिकथन पक्षों के बीच सिविल विवाद से संबंधित है और याचीगण के विरुद्ध पहले ही अभिधान वाद दाखिल किया जा चुका है–अभिनिर्धारित परिवाद दाखिल करने में लंबा एवं अस्पष्टीकृत विलंब याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही दूषित करता है–आवेदन अनुज्ञात। (पैरा 7)

अधिवक्तागण.–Mr. J.K. Pasari, For the Petitioners; Mr. Priyadarshi, For the State; Mr. Rajesh Kumar, For the O.P. No. 2.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण जी॰ आर॰ सं॰ 2223 वर्ष 1998 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 6.9.1999 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468 एवं 471 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है। याचीगण ने उक्त मामले में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय में परिवादी सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद केस सं॰ 308 वर्ष 1998 दाखिल किया गया था, जिसमें मेसर्स प्रीमियर हार्ड कोक जिसे अभियुक्त सं॰ 1 बनाया गया था का पार्टनर होने के नाते याचीगण को अभियुक्त सं॰ 2 से 5 बनाया गया था। याचीगण के विरुद्ध झूठा एवं गैर ईमानदार दुर्व्यपदेशन करने, परिवादी को उक्त साझीदार फर्म में पार्टनर बनने के लिए प्रेरित करने का अभिकथन है और ऐसे उत्प्रेरण पर यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी ने विभिन्न किश्तों में वर्ष 1992 में कुल 4,35,000/- रुपयों का भुगतान अभियुक्तगण को किया। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी को उक्त फर्म में लाया गया था, किंतु कोई पृथक साझीदारी विलेख निष्पादित नहीं किया गया था यद्यपि परिवादी ने इसके लिए अभियुक्तगण से अनेक बार अनुरोध किया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अचानक मई, 1993 में व्यवसाय बंद कर दिया गया था, किंतु तत्पश्चात परिवादी का धन वापस नहीं लौटाया गया था। परिवाद याचिका यह भी दर्शाती है कि परिवादी ने याचीगण से धन वसूल करने के लिए अभिधान वाद सं॰ 75 वर्ष 1995 दाखिल किया। तत्पश्चात् परिवाद याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 8.5.1992 को परिवादी का हस्ताक्षर कूटरचित करके, जिसे दिनांक 9.5.1992 को सत्यापित किया गया था, कूटरचित दस्तावेजों अर्थात् मैनेजिंग एजेंसी का करार विलेख और दिनांक 16.6.1992 का सामान्य मुख्तारनामा एवं परिवादी का हस्ताक्षर कूटरचित करके अभियुक्त सं॰ 2 द्वारा शपथ लिया गया शपथ पत्र सृजित किया और यह अच्छी तरह जानते हुए कि पूर्वोक्त दस्तावेज कूटरचित हैं, परिवादी को सरकार एवं विद्युत बोर्ड के समस्त बकाया के लिए एकमात्र जिम्मेदार बनाने एवं अपने दायित्वों से बच निकलने की दृष्टि से विद्युत बोर्ड के समक्ष एवं प्रमाण पत्र अधिकारी, धनबाद के समक्ष भी इनका उपयोग किया गया था। इन अभिकथनों के साथ और यह दावा करते हुए कि तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468 एवं 471 के अधीन अपराध बनता है। परिवाद दाखिल किया गया था। उक्त परिवाद पुलिस मामला के संस्थापन के लिए भेजा गया था, जिसके आधार पर निरसा पी॰ एस॰ केस सं॰ 130 वर्ष 1998, जी॰ आर॰ सं॰ 2223 वर्ष 1998 के तत्सम, संस्थित किया गया था।

अन्वेषण करने के बाद, पुलिस ने मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया और आरोप-पत्र तथा केस डायरी में सामग्री के आधार पर, याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश एवं याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में इन्हें संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विवाद पक्षों के बीच व्यवसाय करार से उद्भूत होने वाला सिविल प्रकृति का है। यह निवेदन भी किया गया है कि स्वयं परिवाद याचिका दर्शाएगी कि परिवादी द्वारा अभिधान वाद भी दाखिल किया गया था जो भी इस प्रतिवाद का समर्थन करता है कि पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि कुछ दस्तावेजों पर परिवादी के हस्ताक्षरों को कूटरचित करने का अभिकथन है, किंतु उक्त अभिकथन वर्ष 1992 के हैं जबकि परिवाद ऐसे लंबे विलंब का स्पष्टीकरण दिए बिना वर्ष 1998 में दाखिल किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और दांडिक कार्यवाही तथा संज्ञान लेने वाला आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद याचिका से इंगित किया है कि याचीगण के विरुद्ध परिवादी के हस्ताक्षरों को कूटरचित करने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है और यह निवेदन किया गया है कि मामले के अन्वेषण के दौरान अभिकथन सत्य पाए गए हैं और तद्नुसार, सही प्रकार से याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि परिवादी प्रमाण पत्र अधिकारी से नोटिस पाने पर, जहाँ परिवादी के कूटरचित हस्ताक्षर का उपयोग किया गया था, कूट रचना के बारे में जाना, किंतु यह केवल परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है और परिवाद याचिका में ऐसा प्रकथन नहीं है।

6. परिवाद याचिका के कोरे परिशीलन से यह प्रकट है कि इतने विलंब से परिवाद याचिका दाखिल करने में हुए विलंब को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे विलंब को स्पष्ट करते हुए परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा कोई प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि परिवाद याचिका दाखिल करने में लगभग छह वर्षों के अत्यधिक विलंब को स्पष्ट करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी मौजूद नहीं है। वर्ष 1992 में कूटरचना करने का अभिकथन है, जबकि परिवाद याचिका वर्ष 1998 में दाखिल की गयी थी। परिवाद याचिका दाखिल करने में यह लंबा एवं अस्पष्टीकृत विलंब याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का समर्थन करता है कि याचीगण को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। परिवाद याचिका में किए गए अन्य अभिकथन शुद्धत: पक्षों के बीच सिविल विवाद से संबंधित हैं क्योंकि वे परिवादी एवं अभियुक्त याचीगण के बीच साझीदार व्यवसाय के निबंधनों एवं शर्तों के अभिकथित उल्लंघन से और अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी के धनीय दावा से भी संबंधित है जिसके लिए स्वीकृत रूप से याचीगण के विरुद्ध अभिधान वाद पहले ही दाखिल किया गया है। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, परिवाद दाखिल करने में लंबा एवं अस्पष्टीकृत विलंब याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही दूषित करता है और इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

8. पूर्वोक्त कारणों से निरसा पी॰ एस॰ केस सं॰ 130 वर्ष 1998, जी॰ आर॰ सं॰ 2223 वर्ष 1998 के तत्सम, में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 6.9.1999 का आक्षेपित

आदेश एवं याचीगण के विरुद्ध उक्त मामले में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही भी एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

9. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

ललन प्रसाद

cuke

सिमडेगा क्लब एवं एक अन्य

S.A. No. 194 of 2013. Decided on 22nd August, 2014.

अभिधृति–बेदखली–उप-पट्टा पर दिया जाना एवं किराया के भुगतान में व्यतिक्रम–अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर समस्त अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया है–चूँकि पक्षों द्वारा और उनके बीच निष्पादित अभिधृति करार स्वीकार किया गया है और आपत्ति के बिना प्रदर्श चिन्हित किया गया है, अवर अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के साथ सहमत हुआ–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिधृति करार विलेख पर विश्वास किया है जिसे विधि और पक्षों के मौखिक साक्ष्य के अनुरूप सिद्ध किया गया है जिसमें अपीलार्थी अभिलेख पर यह लाने में विफल रहा है कि कैसे और कब उसे झारखंड सरकार द्वारा वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था–वाद परिसर प्रतिवादी सं॰ 1 को किराया पर दिया गया था जिसने इसे प्रतिवादी सं॰ 2 को किराए पर दे दिया–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Atanu Banerjee, For the Appellant; Md. Zaid Ahmed, For the Respondents.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान द्वितीय अपील अभिधान अपील सं॰ 1 वर्ष 2011 में जिला न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा बेदखली वाद सं॰ 13 वर्ष 2008 में मुंसिफ, सिमडेगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अभिपुष्ट किया गया है और अपील खारिज कर दी गयी।

3. अपीलार्थी मूल बेदखली वाद सं॰ 13 वर्ष 2008 में प्रतिवादी सं॰ 2 था जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 1 वादी था और प्रत्यर्थी सं॰ 2 मूल किराएदार प्रतिवादी सं॰ 1 था। वाद पत्र में यह प्रतिवाद किया गया है कि विवादित दुकान 2.42 एकड़ मापवाले भूखंड सं॰ 699, खाता सं॰ 108, ग्राम सलदेगा, पी॰ एस॰ सिमडेगा, जिला सिमडेगा पर निर्मित सिमडेगा क्लब कंप्लेक्स का अभिन्न अंग था। इस आधार पर कि आरंभ में वाद परिसर (दुकान सं॰ 8) करार के आधार पर 700/- रुपया प्रतिमाह के मासिक किराया पर प्रतिवादी सं॰ 1 को दिया गया था किंतु इसे प्रतिवादी सं॰ 2 (अपीलार्थी) को सबलेट कर दिया गया था। प्रतिवादी सं॰ 1 ने वादी के पास अग्रिम के रूप में 55,000/- रुपया जमा किया था और सहमति हुई थी कि उक्त अग्रिम राशि से 90 माह तक 45,000/- रुपयों की राशि तक 500/- रुपया प्रतिमाह समायोजित किया जाएगा और वह उक्त अवधि के लिए 200/- रुपया प्रतिमाह शेष किराया का भुगतान करेगा। यह भी सहमति हुई थी कि 10,000/- रुपयों की शेष राशि वादी के पास बनी रहेगी और इसे प्रतिभूति धन के रूप में माना जाएगा और परिसर खाली किए जाने के समय पर अर्थात् अच्छे मान्य दशा में मकानमालिक को कब्जा दिए जाने के बाद समायोजित किया जाएगा। किराएदारी दिनांक 1.1.2001 से शुरू हुई जब प्रतिवादी ने उक्त दुकान परिसर का कब्जा पाया था।

4. वादी का आगे मामला यह है कि प्रतिवादी सं॰ 1 ने दिसंबर, 2005 तक किराया के रूप में सहमत राशि 200/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान किया और तत्पश्चात् उसने जनवरी, 2006 से किराया का भुगतान करना बंद कर दिया। करार के मुताबिक, प्रतिवादी सं॰ 1 को किराएदारी के आरंभ की तिथि से 90 माह पूरा होने तक 200/- प्रतिमाह का भुगतान करना था और तत्पश्चात उसे किराया के रूप में 700/- प्रतिमाह का भुगतान करना था। चूँकि प्रतिवादी जनवरी, 2006 से जून, 2008 तक 200/- रुपया प्रतिमाह की दर पर और जुलाई तथा अगस्त, 2008 के लिए 700/- रुपया प्रतिमाह किराया का भुगतान करने में विफल रहा था, 7400/- रुपयों की कुल राशि बकाया हो गयी है और इस प्रकार प्रतिवादी सं॰ 1 व्यतिक्रमी बन गया है।

प्रतिवादीगण को बेदखल करने के लिए वादपत्र में दूसरा आधार यह है कि प्रतिवादी सं॰ 1 ने प्रतिवादी सं॰ 2 को वाद परिसर सबलेट कर दिया था जिसकी अनुमति करार के मुताबिक नहीं थी और, इसलिए, ऊपर उपदर्शित किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर और करार के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए वाद परिसर को सबलेट करने के आधार पर भी वाद दाखिल किया गया था।

5. वाद को 12 माह के किराया के समतुल्य 8400/- पर मूल्यांकित किया गया था और तद्नुसार न्यायालय फीस का भुगतान किया गया था। वादी ने वाद परिसर से प्रतिवादीगण की बेदखली के डिक्री के लिए 7400/- रुपयों के किराया के बकाया के लिए डिक्री के लिए, वाद–व्यय तथा अन्य अनुतोष या अनुतोषों जिन्हें न्यायालय सुयोग्य समझे, के लिए प्रार्थना किया है।

6. प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए अपने–अपने लिखित कथनों को दाखिल किया। प्रतिवादी सं॰ 2 अपीलार्थी ने वादी के साथ मकानमालिक–किराएदार के संबंध से इनकार किया है और अभिवचन किया है कि वाद के लिए वाद हेतुक कभी उद्भूत नहीं हुआ और उसके विरुद्ध वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा किया गया विनिर्दिष्ट अभिवचन यह है कि वादी ने झारखंड राज्य एवं अन्य के विरुद्ध उप न्यायाधीश के न्यायालय, सिमडेगा में अभिधान वाद सं॰ 11/2005 दाखिल किया और इसे व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था और पुनर्स्थापन याचिका विविध मामला सं॰ 1/2005-06 लंबित है। यह प्रतिवाद किया गया था कि वादी ने किसी प्राधिकार के बिना सरकारी भूमि पर विवादित दुकान सहित दुकान परिसर निर्मित किया था और उसके लिए उपायुक्त, सिमडेगा ने वादी पर नोटिस तामील किया था। जब प्रतिवादी सं॰ 2 को उक्त स्थिति का पता चला, उसने अंचलाधिकारी, सिमडेगा को किराया का भुगतान करना शुरू कर दिया था और, इसलिए, वह झारखंड सरकार के अधीन किराएदार है। वाद अपने वर्तमान स्वरुप में और आवश्यक पक्ष के असंयोजन के कारण भी पोषणीय नहीं है।

7. प्रतिवादी सं॰ 1 ने अपने लिखित कथन में स्वीकार किया कि उसे दिनांक 30.12.2000 के करार के आधार पर मासिक किराया पर वाद परिसर में प्रवेश दिया गया था और उसने वादी को 55,000/- रुपया अग्रिम का भुगतान किया था। उसने आगे अभिवचन किया है कि 55,000/- रुपयों की उक्त अग्रिम राशि में से 45,000/- रुपया जून, 2008 माह में पूरा होने वाले 90 माह के किराया में समायोजित किया गया था। चूँकि प्रतिवादी सं॰ 1 के पास व्यवसाय चलाने का साधन नहीं था, वाद परिसर 1000/- रुपया मासिक किराया पर प्रतिवादी सं॰ 2 को सबलेट कर दिया गया था और उसके लिए प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2 के बीच दिनांक 19.2.2001 का करार निष्पादित किया गया था।

8. विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सं॰ 3 कि क्या वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मकानमालिक–किराएदार का संबंध था, सहित कुल छह विवाद्यकों को विरचित किया था। वाद के पक्षों ने साक्ष्य दिया था और अपने परस्पर दावा के समर्थन में दस्तावेज सिद्ध किया है। न्याय निर्णयन पर विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी सं॰ 1 ने दिनांक 30.12.2000 का अभिधृति करार (प्रदर्श 2) स्वीकार किया था।

प्रदर्श 1 दिनांक 19.2.2001 को निष्पादित करार विलेख है जिसके द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 ने प्रतिवादी सं॰ 2 को वाद परिसर किराया पर दिया है। प्रदर्श 1/A और 1/D दिनांक 19.2.2001 के करार पर किए गए हस्ताक्षर हैं जबकि प्रदर्श 2/A एवं 2/D प्रदर्श 2 पर किए गए पक्षों के हस्ताक्षर है।

पूर्वोक्त करारों–प्रदर्श 1 एवं 2 को आपत्ति के बिना चिन्हित किया गया है और, इसलिए, उन दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाद परिसर वादी द्वारा मासिक किराया पर प्रतिवादी सं॰ 1 को दिया गया था और बाद में प्रतिवादी सं॰ 1 ने उक्त दुकान परिसर प्रतिवादी सं॰ 2 को किराया पर दे दिया। अतः, प्रतिवादी और वादी के बीच संबंध किराएदार एवं मकानमालिक का संबंध था और तद्नुसार, वाद वादी के पक्ष में डिक्री किया गया था।

9. विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर समस्त अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। चूँकि पक्षों द्वारा एवं उनके बीच निष्पादित अभिधृति करार स्वीकार किया गया था और आपत्ति के बिना प्रदर्श चिन्हित किया गया था, अवर अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के साथ सहमति जताया है।

10. अपीलार्थी ने विधि का सारवान प्रश्न सृजित करने का प्रयास किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष विकृत हैं क्योंकि अपीलार्थी ने दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया था और उसने यह सिद्ध करने के लिए कि वह झारखंड सरकार के अधीन किराएदार है, अभिलेख पर दस्तावेज लाया था।

11. चाहे जो भी हो, प्रतिवादी सं॰ 1 ने विवाद नहीं किया था कि उसे प्रदर्श 2 के आधार पर वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था और तब करार (प्रदर्श 1) के आधार पर वाद परिसर अपीलार्थी प्रतिवादी सं॰ 2 को किराया पर दिया गया था। यद्यपि अपीलार्थी ने उक्त करार की वास्तविकता को चुनौती दिया किंतु अपने प्रतिवाद को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य लाने में विफल रहा। विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार वादी को अपना मामला सिद्ध करना था, चूँकि वादी अपने ऊपर डाले गए भार का उन्मोचन करने में विफल रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष मान्य नहीं है और, इसलिए, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसे विरचित किया जा सकता है और अपील ग्रहण किया जा सकता है, स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिधृति करार विलेख प्रदर्श 1 एवं 2 पर विश्वास किया है जिन्हें विधि एवं पक्षों के मौखिक साक्ष्य के अनुरुप सिद्ध किया गया है जिसमें अपीलार्थी अभिलेख पर यह लाने में विफल रहा है कि कब और कैसे उसे झारखंड सरकार द्वारा वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था और, इसलिए, स्वीकृत अवस्था यह है कि वाद परिसर प्रतिवादी सं॰ 1 को किराया पर दिया गया था जिसने इसे प्रतिवादी सं॰ 2 को सबलेट कर दिया।

12. अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष की दृष्टि में, मैं विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं पाता हूँ जिसे विनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राम निहोरा प्रसाद सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5296 of 2013. Decided on 21st July, 2014.

झारखंड पेंशन नियमावली, 1950—नियम 43 (b)—विभागीय कार्यवाही–उसकी सेवानिवृत्ति के बाद याची कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध वर्तमान कार्यवाही उस घटना के लिए आरंभ की गयी है जो अभिकथित रूप से कार्यवाही आरंभ करने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले हुई बतायी जाती है–अभिनिर्धारित, आक्षेपित कार्यवाही उस घटना के लिए आरंभ की गयी जो कार्यवाही आरंभ होने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले हुई थी–झारखंड पेंशन नियमावली के विनिर्दिष्ट प्रावधानों की दृष्टि में यह अननुज्ञेय है–आदेश अभिखंडित किया गया–रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(1995)Supp.3 (SCC)56; WPS No. 577/2011—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mrs. Chaitali C. Sinha, For the State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची प्रत्यर्थी सं॰ 2, उपसचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा जारी दिनांक 6 फरवरी, 2012 के मेमो सं॰ 893 (S) WE के तहत विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने से व्यथित है जिसके अधीन उस घटना के लिए जो वर्ष 2005-06 में हुई अभिकथित की गयी है दिनांक 31 मई 2009 को उसकी सेवा निवृत्ति के बाद उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गयी है।

3. रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं॰ 12628 (S) के माध्यम से, द्वितीय कारण बताओ नोटिस देने के बाद ऐसी कार्यवाही में पेंशन का 20% रोकने का दंड याची पर अधिरोपित किया गया था। याची के पेंशन का 20% रोकने के लिए संबंधित खजाना को निर्देश देने के लिए दिनांक 20 जनवरी, 2014 को महालेखाकार (ए॰ एन्ड ई॰) झारखंड को पारिणामिक आदेश जारी किया गया है। इन पश्चातवर्ती आदेशों को भी याची द्वारा आई॰ ए॰ सं॰ 1148/2014 के माध्यम से चुनौती दी गयी है जिसे दिनांक 21 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा ग्रहण किया गया था।

4. दिनांक 31 मई, 2009 को सेवानिवृत्त याची, कार्यपालक अभियन्ता ने आक्षेपित कार्यवाही एवं दंड का इस आधार पर विरोध किया है कि वे ऐसी घटना से संबंधित हैं जो कार्यवाही आरंभ किए जाने की तिथि से अर्थात् दिनांक 6 फरवरी, 2012 से अधिक पहले हुई थी। अत: यह झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के परन्तुक a (ii) के विनिर्दिष्ट प्रावधानों की दृष्टि में अननुज्ञेय है। इन विवाद्यकों पर, **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो॰ इदरीस अंसारी, (1995) Supp 3 (SCC) 56,** मामले में पैरा 7 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर याची के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है। **ब्रज किशोर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 577/2011** दिनांक 4.7.2011) मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय पर भी विश्वास किया है। रिट याचिका के पैरा 14 में दिए गए बयान और परिशिष्ट 2 पर आरोप-पत्र को निर्दिष्ट करते हुए इंगित किया गया है कि अभिकथित घटना करार सं॰ 2F2/2005-2006 के संबंध में थी और उसके संबंध में उद्भूत होने वाले आरोप स्पष्टत: कार्यवाही आरंभ किए जाने की तिथि से चार वर्षों की विहित अवधि से काफी परे था। अत:, आक्षेपित कार्यवाही एवं दंड विधि में दोषपूर्ण है और अभिखंडित किए जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थीगण ने कार्यवाही के आरंभ एवं दंड का बचाव इस आधार पर किया है कि वर्ष 2005-06 के करार के लिए जाली वाउचरों के माध्यम से बिटुमिन के भुगतान एवं कार्य के निष्पादन के संबंध

में याची के आचरण का पता चला था और याची के कृत्य का परिणाम ठेकेदार को अनियमित तरीके से (लगभग) 22.34 लाख रुपयों की राशि के भुगतान में हुआ। यह वर्ष 1976 के सेवा नियमों तथा बिहार लोक संकर्म संहिता, पैरा 30 से 33 और दिनांक 30 मार्च, 1982 के परिपत्र के उल्लंघन में था। यह निवेदन किया गया है कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल के आदेश के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी और यह अधिकारिता की कमी से पीड़ित नहीं है। याची ने कार्यवाही में भाग लिया है और द्वितीय कारण बताओ तामील करने के बाद उस पर आक्षेपित दंड अधिरोपित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता रिट याचिका के पैरा 14 में किए गए स्पष्ट प्राख्यान का जवाब देने में सक्षम नहीं हुए हैं कि घटना जिसके लिए आरोप विरचित किया गया था, कार्यवाही आरंभ करने की तिथि अर्थात् दिनांक 6 फरवरी, 2012 के चार वर्ष बाद हुई थी। रिट याचिका के पैरा 14 में दिए गए बयान का जवाब प्रतिशपथ पत्र के पैरा 17 में टालमटोल करते हुए दिया गया है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री के परिशीलन पर अभिलेख को देखते ही यह प्रतीत होता है कि घटना जिसके लिए दिनांक 31 मई, 2009 की सेवानिवृत्ति के बाद याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ है, वर्ष 2005-06 की है। यद्यपि परिशिष्ट 4 पर याची के उत्तर से प्रतीत होता है कि वर्ष 2007-08 में लेखा परीक्षा निरीक्षण के क्रम में ऐसी विषमता का पता लगाया गया था किंतु पुनः उक्त अवधि भी कार्यवाही आरंभ किए जाने की तिथि के चार वर्ष परे भी है। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) का परन्तुक (a)(ii) के प्रावधान अनुबंधित करते हैं कि विभागीय कार्यवाही उस घटना के संबंध में आरंभ की जाएगी जो ऐसी कार्यवाही के संस्थापन के चार वर्ष से अधिक पहले नहीं हुई थी।

7. वर्तमान मामले में, कार्यवाही घटना की तिथि से चार वर्ष की अवधि के काफी बाद आरंभ की गयी प्रतीत होती है। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) पर विचार से संबंधित विवाद्यक का परीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य (ऊपर)** मामले में किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त मत उसके पैरा 17 में अंतर्विष्ट है, जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"7. ; çkoèkku n'kkr g fd lok fuoÙk ljdkjh lod d vfHkdfFkr vopkj d lcèk e fu;e 43 (b) d vèkhu 'kfDr dk ç;kx fd, tku d igy ;g n'kkuk gkxk fd foHkkxh; dk;okgh vFkok U;kf;d dk;okgh e lcfèkr ljdkjh lod dk xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k x;k gA ;g mI mifjdk d Hkh vè;èkhu g fd ,lh foHkkxh; dk;okgh mI vopkj d lcèk e gkuh pkfg, tk ,lh dk;okgh vkjHk fd, tku d pkj o"k l vfèkd igy ugh gb FkhA vr%] ;g çdV g fd vfHkdfFkr vopkj d lcèk e fu;e 43 (a) ,o (b) d vèkhu çR;Fkh d fo#) o"k 1993 e foHkkxh; dk;okgh vkjHk ugh dh tk ldrh Fkh] D;kfd ;g vfHkdfFkr :i l o"k 1986-87 e gb FkhA pfd vfHkdfFkr vopkj o"k 1993 rd de l de Ng o"k ijkuk Fkk] fu;e 43 (b) ykx ugh gk ldrk FkkA çR;Fkh çkfèkdkfj;k u Hkh bl fofèkd voLFkk dk Lohdkj fd;k tc mUgku fnukd 27.9.1993 dk ukfVl tkjh fd;kA mle ;g Li"V :i l dFku fd;k x;k Fkk fd fu;ekoyh d fu;e 43 (b) d vèkhu dkjokb ugh dh tk ldrh g D;kfd vkjkik dh vofèk pkj o"k l vfèkd ijkuh FkhA fnukd 17.10.1987 dh io ukfVl ij fo'okl djuk çkfèkdkfj;k d fy, leku*

*: i l lHko ugh g D;kfd bld vulj.k e dk;okgh fjV ;kfpdk lO 6696 o"k 1991 e mPp U;k;ky; }kjk vfHk[kfMr dj nh x;h Fkh vkj çR;Fkh d fy, vkjf{kr ,dek= Lor=rk u;h dk;okgh 'k: djuk FkkA mPp U;k;ky; u çR;Fkh dk fnukd 17.10.1987 d ukfVl d vulj.k e ml pj.k tc ;g nf"kr gk x;k Fkk l io foHkkxh; tkp fQj l pky dju dh vuefr ugh fn;k FkkA vr%] çR;Fkh u Hkh fnukd 17.10.1987 dh mDr ukfVl ij fo'okl ugh fd;k Fkk cfYd fnukd 27.9.1993 d vk{kfir ukfVl }kjk u;k foHkkxh; tkp vkjHk fd;kA ifj.kkeLo#i fnukd 17.10.1987 dh mDr io ukfVl ij fo'okl dju dh NV vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk dk ugh gA***

8. उसकी सेवानिवृत्ति के बाद याची का पेंशन रोकने के लिए उक्त प्रावधान के अधीन शक्ति का प्रयोग उक्त प्रावधान के अधीन अधिकथित सांविधिक माप दंड को पूरा करने में विफल रहा है जैसी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी है। उस घटना के संबंध में जो कार्यवाही आरंभ किए जाने की तिथि के चार वर्ष से पहले हुई थी झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन पेंशन रोकने के दंड का आक्षेपित आदेश अभिखंडित करते हुए **ब्रजकिशोर सिंह के मामले (ऊपर)** में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समरुप दृष्टिकोण अपनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में, रिट याचिका अनुज्ञात किए जाने योग्य है। आक्षेपित कार्यवाही दंड के आदेश में परिणत हुई। अतः, मेमो सं॰ 12628 (S) (परिशिष्ट 9) में अंतर्विष्ट दिनांक 9 दिसंबर, 2013 की आक्षेपित अधिसूचना एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vfer kHk dekj xlrk] U;k;efr

चट्टू कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 601 of 2014. Decided on 6th August, 2014.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 12—किशोर अभियुक्त को जमानत–अवयस्क बालिका का बलात्कार करने का अभिकथन जो चिकित्सीय रिपोर्ट द्वारा समर्थित है–याची लगभग 17 वर्ष 9 माह की आयु का है–परिवीक्षा अधिकारी ने कथन किया कि याची शराब पीता है–उसकी निर्मुक्ति उसे नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगी और न्याय का उद्देश्य भी विफल करेगी–किशोर न्याय बोर्ड को विचारण तुरन्त करने के निर्देश के साथ जमानत इनकार किया गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Hemant Kr. Shikarwar, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 41 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 15.5.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा याची का जमानत अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि अपराध जघन्य प्रकृति का है किंतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में जे॰ जे॰ अधिनियम) की धारा

12 किशोर को जमानत पर निर्मुक्त करने की आज्ञा देती है जब तक उसकी निर्मुक्ति से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संगत में लाने अथवा उसको नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरों में डालने अथवा न्याय के उद्देश्य को विफल करने की संभावना नहीं है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **सुबोध कुमार पंडित उर्फ धनेश्वर पंडित बनाम झारखंड राज्य, 2006 (4) East. Cr. 237 (Jhr.)** मामले में निर्णय पर भी विश्वास किया है और निवेदन किया है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की जमानत पर निर्मुक्ति का निर्देश आज्ञापक है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री मौजूद नहीं है कि याची की निर्मुक्ति उसको नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगी; कि याची का पिता यह वचन देने का इच्छुक है कि वह याची का समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची अधिनियम की धारा 12 के निबंधनानुसार जमानत पर निर्मुक्त किए जाने योग्य है।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि याची अवयस्क का बलात्कार करने का अभियुक्त है और चिकित्सा रिपोर्ट भी अभिकथन का समर्थन करती है।

5. नि:संदेह धारा 12 जमानत पर निर्मुक्ति की आज्ञा देती है किंतु वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि इस याची, जो लगभग 17 वर्ष 9 माह की आयु का है, ने छह वर्षीय बालिका का बलात्कार किया था; आक्षेपित आदेश से यह भी पता चलता है कि परिवीक्षा अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में कथन किया था कि याची मदिरा सेवन करता है, इस प्रकार, इस चरण पर मैं याची को जमानत पर निर्मुक्त करना सुयोग्य नहीं समझता हूँ। एस॰ आई॰ आर॰ रिपोर्ट और अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए उसकी निर्मुक्ति उसे नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगी तथा न्याय का उद्देश्य भी विफल करेगी।

6. किशोर न्याय बोर्ड को शीघ्रातिशीघ्र विचार करने और विहित अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर याची बोर्ड के समक्ष जमानत अपनी प्रार्थना नवीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है।

7. तद्नुसार, आवेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सेंचुरी फोम इंडस्ट्रीज

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1350 of 2014. Decided on 3rd September, 2014.

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974—धारा 6 (2-a)—आवंटन का रद्दकरण–राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी है–अपील का अधिकार संविधि का सृजन है जिसे न्यायिक आदेश द्वारा भी वापस नहीं लिया जा सकता है–आक्षेपित आदेश द्वारा अपील का सांविधिक अधिकार वापस ले लिया गया है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामला प्रत्यर्थी के पास वापस भेजा गया ताकि पदनामित प्राधिकारी के समक्ष अपील रखी जा सके। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–(1988) 2 SCC 602—Referred.

अधिवक्तागण. – M/s Sumeet Gadodia, Prem Pujari Roy, Anurag Kashyap, A.K. Mahto, For the Petitioner; Mr. Saket Upadhyay, For the Res.-State; M/s V.P. Singh, R.C.P. Sah, C.A. Bardhan, For the Res. No.3.

आदेश

दिनांक 27.1.2014 के मेमो में अंतर्विष्ट दिनांक 17.9.2013 और दिनांक 24.1.2014 के आदेशों से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामले के ताथ्यिक मैट्रिक्स में गए बिना रिट याचिका इस आधार पर अनुज्ञात किए जाने योग्य है कि दिनांक 24.1.2014 को पारित आदेश की दृष्टि में याची को उपचारहीन बना दिया गया है। दिनांक 24.1.2014 के उक्त आदेश का विरोध करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त आदेश का कोरा परिशीलन प्रकट करता है कि याची को सुने बिना उक्त आदेश पारित किया गया है। याची को कोई शिकायत नहीं होगी जहाँ तक सरकार के सचिव ने अपील सुनने से इनकार कर दिया है किंतु, याची को उच्चतर फोरम के पास जाने का निर्देश देकर दिनांक 24.1.2014 के आदेश ने बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की धारा 6 (2a) के अधीन याची को प्रदत्त सांविधिक अधिकार वापस ले लिया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **(1988)2 SCC 602** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है।

3. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 3 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को आवंटन के रद्दकरण का विवाद्यक उठाने का अधिकार नहीं है और इसलिए, भले ही याची द्वारा दाखिल अपील बंद कर दी गयी है, याची किसी अपूरणीय हानि एवं उपहति से पीड़ित नहीं हुआ है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 24.1.2014 के आदेश के तहत याची को उच्चतर फोरम के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी है और इसलिए, याची को विधि में उसको उपलब्ध उपचार का लाभ लेने की छूट थी।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत उपाध्याय ने सचिव, उद्योग विभाग द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित ठहराया एवं निवेदन किया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत ने आवश्यक बनाया कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 को याची द्वारा दाखिल अपील नहीं सुनना चाहिए था और इसलिए उन्होंने सही प्रकार से अपील सं॰ 18 वर्ष 2013 सुनने से इनकार कर दिया।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों जैसा पक्षों की ओर से दाखिल शपथपत्रों में प्रकट किया गया है और विशेषत: दिनांक 24.1.2014 के आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए मेरा मत है कि दिनांक 24.1.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 (2a) के अधीन याची पर प्रदत्त अपील का सांविधिक अधिकार आक्षेपित आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है। यह सुनिश्चित है कि अपील का अधिकार संविधि का सृजन है जिसे न्यायिक आदेश द्वारा भी वापस नहीं लिया जा सकता है। मामले के तथ्यों में, मेरा सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 को मामला सरकार के पास वापस भेज देना चाहिए था। अधिनियम स्वयं प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी है और न्यायालय में पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने सचिव, उद्योग विभाग को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। दिनांक 24.1.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची को उच्चतर फोरम के पास जाने का निर्देश देकर प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत कृत्य किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने न्यायालय

द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने इस स्थिति को राज्य सरकार के ध्यान में लाया है, निवेदन किया है कि यह प्रत्यर्थी सं॰ 3 की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि स्वयं अपीलार्थी को राज्य सरकार के पास जाने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती है।

6. याची द्वारा दाखिल अपील सं॰ 18 वर्ष 2013 को प्राधिकारी द्वारा सुना जाना होगा। प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाएगा और राज्य सरकार मामले में आवश्यक निर्णय लेगी।

7. परिणामस्वरुप, दिनांक 24.1.2014 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है और मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पास वापस भेजा जाता है ताकि अपील सं॰ 18 वर्ष 2013 किसी अन्य पदनामित प्राधिकारी के समक्ष रखा जा सके। दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई की जाए और इस न्यायालय में आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल किया जाए। चूँकि राज्य सरकार को अपील सुनने के लिए अधिनियम की धारा 6 (2a) के निबंधनानुसार समुचित प्राधिकारी पदनामित करना होगा, इस मामले में सृजित की गयी असाधारण परिस्थिति में एतद् द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि याची की अपील सुने जाने तक बेदखली से अंतरिम संरक्षण होगा।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

उदय कांत झा

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (SJ) No. 600 of 2002. Decided on 29th August, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 15 वर्ष 1999 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 6.8.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304B—दहेज मृत्यु–दोषसिद्धि–सह अभियुक्त की दोषमुक्ति–इस मामले में प्राथमिकी अथवा मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध नहीं किया गया है–केवल इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों को सिद्ध किया गया है–आई॰ ओ॰ द्वारा अभियोजन मामले में गंभीर विसंगतियों को स्पष्ट किया जा सकता था किंतु इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है और आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण के कारण बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूलता कारित की गयी है–मृतक के पिता और माता ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने दहेज मांग कभी नहीं किया था–पिता-पुत्री के बीच कटु संबंध था–बचाव पक्ष अभियोजन मामले के संबंध में संदेह सृजित करने में सफल रहा है–बचाव पक्ष को अपना मामला सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह अभियोजन मामले के संबंध में केवल युक्तियुक्त संदेह सृजित करके सफल होता है–अभियोजन को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करना है–इस तथ्य की दृष्टि में कि तात्विक गवाहों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दहेज मांग कभी नहीं किया गया था और दहेज मांग के लिए मृतका

को किसी क्रूरता अथवा यातना के अध्यधीन नहीं किया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है भले ही मृतका का शव अपीलार्थी के घर में पाया गया था और यह स्थापित किया गया है कि मृत्यु जलने के कारण कारित हुई थी–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए था–अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया।

(पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–M/s S. Thakur & S.K. Pandey, For the Appellant; A.P.P., For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी को सत्र विचारण सं॰ 15 वर्ष 1999 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 6.8.2002 के निर्णय द्वारा इसके लिए दोष सिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। विचारण का सामना कर रहे अन्य सह-अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध अपराध नहीं पाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. अभियोजन मामला सूचक चंद्रकांत खान के फर्दबयान के आधार पर दर्ज किया गया था जिसे दिनांक 25.4.1998 को रात्रि 8.45 बजे शिवमंदिर के निकट गुजरात कॉलोनी में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कथन किया गया है कि सूचक की पुत्री का विवाह अपीलार्थी के साथ लगभग तीन वर्ष पूर्व हुआ था और मृतका से एक पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ था और मृतका को दहेज में 10,000/- रुपयों की मांग के लिए उसके पति, उसके पति के बड़े भाई एवं उसकी पत्नी एवं पुत्रों द्वारा क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। यह कथन किया गया है कि मृतका दहेज मांग करते हुए दिनांक 20.4.1998 को सूचक के घर आयी और सूचित किया कि उसकी हत्या कर दी जाएगी यदि दहेज मांग परिपूर्ण नहीं किया जाता है, जिस पर सूचक ने उसे 6000/- रुपयों के साथ वापस भेज दिया। सूचक को दिनांक 25.4.1998 को सूचित किया गया था कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी थी जिस पर वह अभियुक्त के घर गया किंतु किसी को वहाँ नहीं पाया। उसकी पुत्री का मृत शरीर भी घर में नहीं पाया गया था। उसको पड़ोसियों द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्तगण मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए ले गए थे जिस पर वह श्मशान घाट गया किंतु उनको नहीं पाया था। सूचक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अपीलार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B, 201/34 के अधीन अपराध के लिए मामला संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया और अंततः मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद अभियुक्तगण का विचारण किया गया था।

4. विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से सात गवाहों का परीक्षण किया गया था जिनमें से अ॰ सा॰ 4 सावित्री देवी और अ॰ सा॰ 5 नंद कुमार सिंह पक्षद्रोही हो गए है और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 1 अनिल झा जो अपीलार्थी का पड़ोसी है, अ॰ सा॰ 3 रूबी कुमारी उर्फ रूबी झा जो मृतक की सौतेली बहन है, अ॰ सा॰ 6 नीलम देवी जो मृतका की विमाता है और अ॰ सा॰ 7 चंद्रकांत खान जो मृतका का पिता एवं मामले का सूचक है द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है। अ॰ सा॰ 2 डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद वर्मा ने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था।

विचारण के दौरान मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण का बयान दर्ज करने के बाद एक बचाव गवाह का परीक्षण किया गया था जो ब॰ सा॰ 1 जितेन्द्र चौधरी है जिसका परीक्षण बचाव पक्ष का विवरण सिद्ध करने के लिए किया गया है कि सूचक और उसके परिवार के सदस्यों तथा मृतका के बीच मतभेद था क्योंकि वह सूचक की पहली पत्नी की पुत्री थी। बचाव मामले के अनुसार, मृतका ने अपने पिता को कुछ कर्ज दिया था जिसे वह वापस मांग रही थी जिस कारण उस पर प्रहार एवं उसे अपमानित किया गया था और उसने आत्महत्या कर लिया था।

5. अ॰ सा॰ 7 चंद्रकान्त खान, जो मामले का सूचक है, ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और कथन किया है कि घटना के बारे में सूचना पाने के बाद वह पहले आरक्षी अधीक्षक के पास गया और तत्पश्चात वह पुलिस थाना गया और पुलिस के साथ अपने दामाद के घर चास के गुजराती कॉलोनी में आया जहाँ उसे पड़ोसियों द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्तगण मृतका का मृत शरीर ले गए थे। उसने आगे कथन किया कि पुलिस ने उसको मृत शरीर की तलाश में साथ चलने को कहा किंतु वह पुलिस के साथ नहीं गया था। अगले दिन, वह अपने दामाद के घर गया और खून का दाग पाया और उसे सूचित किया गया था कि मृत शरीर पुलिस थाना में था, जिस पर वह पुलिस थाना गया और अपनी पुत्री का मृत शरीर पाया जो जला हुआ था। मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस गवाह ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचानने से इनकार किया जिस पर इसे पहचान के लिए 'x' चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया है। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त केवल अपनी पत्नी के साथ गुजरात कॉलोनी में रह रहा था और इसी घर में संतानों का जन्म हुआ था। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अगले दिन पुलिस थाना में घटना के बारे में फर्दबयान दिया था। वह प्रातः 8.30 बजे पुलिस थाना पहुँचा था और प्रातः लगभग 9-9.30 बजे उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर किया था। उसने कथन किया है कि उसने किसी अन्य दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि शव परीक्षण के बाद मृत शरीर श्मशान घाट भेजा गया था जहाँ मृत शरीर लगभग तीन दिनों तक पड़ा रहा था। उसने कथन किया है कि पुलिस ने उसे मृत शरीर की अंत्येष्टि करने के लिए कहा था किंतु उसने मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं किया था। उसने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस ने दिनांक 26 एवं 27 अप्रिल, 1998 को उसको मृत शरीर का दाह संस्कार करने के लिए कहा था किंतु वह उन तिथियों पर श्मशान घाट नहीं गया था। दिनांक 28.4.1998 को पुनः पुलिस के निर्देश पर उसने मृत शरीर का दाह संस्कार किया था। अपने प्रति-परीक्षण में इस गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री के विवाह के बाद किसी ने उससे कोई दहेज नहीं मांगा था। उसने यह कथन भी किया है कि वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक उसकी पुत्री को दहेज की किसी मांग के लिए क्रूरता अथवा यातना के अध्यधीन नहीं किया गया था, किंतु उसने कथन किया है कि मांग की जा रही थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसे अपनी पुत्री द्वारा दहेज की मांग के बारे में सूचित किया गया था। उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपनी पुत्री से 10,000/- रुपया कर्ज लिया था जिसे उसके द्वारा लौटाया नहीं जा रहा था और जब वह धन मांगने आयी, उसके द्वारा उस पर प्रहार किया गया था।

6. अ॰ सा॰ 1 अनिल झा है जो अभियुक्त का पड़ोसी होने का दावा करता है और उसने भी अभियोजन मामले का समर्थन यह कहते हुए किया है कि दिनांक 25.4.1998 को अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को जला कर मार दिया था। तत्पश्चात, वह घटनास्थल गया और उसने घर में मृत शरीर देखा और

अपीलार्थी भाग गया था। उसने सूचक को घटना के बारे में सूचित किया। पुलिस घटनास्थल पर आयी और मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया, जिस पर इस गवाह ने अपना हस्ताक्षर किया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गयी थी। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसने स्वयं किसी घटना को नहीं देखा था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने पुलिस थाना में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था और उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने सूचक का भतीजा होने के नाते झूठा साक्ष्य दिया है।

7. अ॰ सा॰ 3 रूबी कुमारी उर्फ रूबी झा और अ॰ सा॰ 6 नीलम देवी क्रमश: मृतका की सौतेली बहन एवं विमाता है और उन्होंने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है, किंतु उन्होंने घटना नहीं देखा है। उन्हें केवल घटना के बारे में सूचित किया गया था। अ॰ सा॰ 6 नीलम देवी जो मृतका की विमाता है ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतका उनसे दहेज मांग रही थी और किसी अभियुक्तगण ने उनसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतका ने उसके पति को 10,000/- रुपया कर्ज दिया था जिसे लौटाया नहीं जा रहा था। अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ रत्नेश्वर प्रसाद वर्मा ने मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट को सिद्ध किया है और यह भी सिद्ध किया है कि जलन उपहति के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी। जैसा पहले कथन किया गया है, इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध है, क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में बिल्कुल विफल रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि तात्विक गवाहों के प्रति परीक्षण से यह प्रकट है कि बचाव विवरण समर्थन पाता है कि मृतका ने अपने पिता को कुछ धन दिया था, जिसे लौटाया नहीं जा रहा था और मांगे जाने पर उस पर प्रहार एवं उसको अपमानित किया गया था जिस कारण उसने आत्महत्या कर लिया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह मामला साक्ष्य के विरोधाभासों से भरा पड़ा है और इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है, किंतु तात्विक गवाहों ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है और यह स्थापित किया गया है कि मृतका का विवाह अपीलार्थी के साथ घटना के लगभग तीन वर्ष पहले हुआ था और उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और मृत शरीर जली हुई दशा में घर में पाया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन गवाहों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के समस्त अवयवों को सिद्ध किया है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि इस मामले में प्राथमिकी अथवा मृत शरीर के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को सिद्ध नहीं किया गया है। केवल इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों को सिद्ध किया गया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अनिल झा

(अ॰ सा॰ 1) का हस्ताक्षर सिद्ध किया गया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्शाता है कि इसे दिनांक 26.4.1998 को प्रात: 5 बजे गुजरात कॉलोनी में अभियुक्त उदयकांत झा के घर पर तैयार किया गया था। किंतु, गवाह (अ॰ सा॰ 1) ने कथन किया है कि उसने पुलिस थाना में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। अभियोजन मामले के अनुसार, जैसा प्राथमिकी में कथन किया गया है, जब सूचक घटना स्थल पर गया, उसने घर में किसी मृत शरीर को नहीं पाया था और तत्पश्चात उसने निकट के श्मशान घाट में मृत शरीर का तलाश किया जहाँ भी उसके द्वारा मृत शरीर नहीं पाया गया था। सूचक अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य के अनुसार, उसने कथन किया है कि वह घटना के दिन घटनास्थल पर गया था। उसने घर में मृत शरीर नहीं पाया था और पुलिस ने उससे मृत शरीर की तलाश करने के लिए साथ चलने का अनुरोध किया, किंतु वह पुलिस के साथ नहीं गया था। उसने पहली बार अगले दिन पुलिस थाना में मृत शरीर देखा था। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य दर्शाता है कि मृत शरीर घर में नहीं पाया गया था जब सूचक एवं पुलिस वहाँ पहुँचे थे किंतु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्शाता है कि इसे दिनांक 26.4.1998 को प्रात: 5 बजे अर्थात् घटना की अगली सुबह अभियुक्त के घर में तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी के अनुसार, फर्दबयान स्वयं घटना की तिथि पर अर्थात् दिनांक 25.4.1998 को गुजरात कॉलोनी में अभियुक्त के घर के निकट पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और यह तिथि दिनांक 25.5.1998 के साथ सूचक का हस्ताक्षर धारण करता है। किंतु, तथ्य बना रहता है कि अ॰ सा॰ 7 चंद्रकांत खान जो इस मामले का सूचक है ने कथन किया है कि उसने अगले दिन प्रात: लगभग 9 से 9.30 बजे पुलिस थाना में पुलिस को फर्दबयान दिया था। अभियोजन मामले में ये गंभीर अंतर हैं जिन्हें आई॰ ओ॰ द्वारा स्पष्ट किया जा सकता था, किंतु इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया था और मैं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण द्वारा बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूलता कारित की गयी है।

11. उक्त के अतिरिक्त, तात्विक गवाहों, जो मृतका के पिता एवं विमाता हैं, ने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने दहेज कभी नहीं मांगा था। अ॰ सा॰ 7 सूचक ने कथन किया है कि उसकी पुत्री के विवाह के बाद किसी ने उससे दहेज नहीं मांगा था और वह यह स्वीकार करने की सीमा तक गया है कि वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक किसी ने उसकी पुत्री को दहेज की किसी मांग के लिए क्रूरता अथवा यातना के अध्यधीन नहीं किया था। ऐसा ही स्वीकरण अ॰ सा॰ 6 नीलम देवी जो मृतका की विमाता है कि किसी अभियुक्तगण ने उनसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा था और जो भी मांग की गयी थी, वह मृतका द्वारा की गयी थी। यदि मृतका एवं उसके पिता के बीच का संबंध देखा जाता है, यह भी विचित्र चित्र देता है। अ॰ सा॰ 7 सूचक के स्वीकरण के अनुसार, मृत शरीर दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट भेजा गया था जहाँ यह तीन दिनों तक पड़ा रहा और पुलिस के जोर देने के बावजूद सूचक मृत शरीर का दाह संस्कार करने के लिए नहीं गया था और अंतत: तीसरे दिन अर्थात् दिनांक 28.4.1998 को दाह संस्कार किया गया था। यह विचित्र परिस्थिति है और कम से कम बचाव विवरण का समर्थन करती है कि पिता-पुत्री के बीच कटु संबंध था। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, बचाव पक्ष अभियोजन मामले के संबंध में संदेह सृजित करने में सफल रहा है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि बचाव पक्ष को अपना मामला सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि यह अभियोजन मामले के प्रति युक्तियुक्त संदेह सृजित करके सफल होता है। अभियोजन को समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे अपना मामला सिद्ध करना है।

12. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि तात्विक गवाहों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दहेज कभी नहीं मांगा गया था और मृतका को दहेज मांग के

लिए क्रूरता अथवा यातना के अध्यधीन नहीं किया गया था, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है भले ही मृतका का मृत शरीर अपीलार्थी के घर में पाया गया था और यह स्थापित किया गया है कि मृत्यु जलने के कारण कारित हुई थी। अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को कम से कम संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए था।

13. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र विचारण सं॰ 15 वर्ष 1999 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 6.8.2002 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे अपने जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14. तद्नुसार, यह दांडिक अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय अभिलेख को तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

संदीप साहू

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 569 of 2014. Decided on 6th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 439 एवं 397—जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण–जमानत के लिए प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार की गयी है कि याची दुर्दांत उग्रवादी का निकट सहयोगी है–याची का दांडिक पूर्ववृत्त नहीं है और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दिया गया है–याची की निर्मुक्ति के लिए शर्तपूर्ण आदेश पारित किया गया–आवेदन अनुज्ञात। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Chaturvedy, For the Petitioner; Mr. P.K. Sahay, For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 42 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 30.5.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान मुख्य दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला द्वारा पारित दिनांक 7.5.2014 के आदेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल की गयी अपील अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान न्यायालय ने याची के जमानत के लिए प्रार्थना मात्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि गवाहों ने कथन किया है कि यह याची दुर्दांत उग्रवादी गुलाब गोप उर्फ गुलाब खत्री का निकट सहयोगी है और इस याची के मोबाइल से गुलाब गोप उर्फ गुलाब खत्री के फोन पर कॉल किए गए थे; कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि याची के विरुद्ध सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान नहीं बनते हैं; कि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में याची के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है और न ही याची का दांडिक पूर्ववृत्त है।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में केस डायरी में गवाहों के बयानों के प्रति निर्देश किया गया है जो दर्शाता है कि याची दुर्दांत पी॰ एल॰ एफ॰ आई॰ उग्रवादी गुलाब गोप उर्फ गुलाब खत्री के साथ सक्रिय रूप से संबंधित हैं और वह पी॰ एल॰ एफ॰ आई॰ के अनेक सदस्यों को जानता है।

4. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कॉल सिम नंबर से किए गए थे जो किसी सुनील साहू के नाम में है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश से यह प्रकट है कि याची का दांडिक पूर्ववृत्त नहीं है और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दिया गया है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उक्त नामित याची को गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 38 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 123 वर्ष 2014 के तत्सम, के संबंध में इस शर्त पर कि जमानत देने वालों में से एक उसका पिता होगा, प्रमुख दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गुमला के संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। पिता वचन देगा कि वह परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष याची को प्रस्तुत करेगा जब और जैसा निर्देश बोर्ड द्वारा दिया जाता है। परिवीक्षा अधिकारी संबंधित बोर्ड को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. पूर्वोक्त निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

सुषमा मिश्रा

cuke

भारत संघ

M.A. No. 179 of 2013. Decided on 30th July, 2014.

रेलवे अधिनियम, 1989—धारा 124A—दुर्भाग्यपूर्ण घटना–ट्रेन से गिर जाने के कारण यात्री की मृत्यु–दावा आवेदन की खारिजी–अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज एवं गवाहों के बयान स्पष्टतः सुझाते हैं कि मृतक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और वह चलती ट्रेन से गिर गया–प्रत्यर्थी को 4,00,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 से 10)

निर्णयज विधि.–2008(4) JLJR 40(SC); 2013 (1) TAC 166 (Mad)—Relied.

अधिवक्तागण.–Ms. Chaitali Chatterjee, For the Appellant; Mr. Jalisur Rahman, For the Railways.

आदेश

पक्षों को सुना गया।

2. वर्तमान अपील केस सं॰ 0A (IIU) RNC/2010/0148 (चेक लिस्ट सं॰ 2907070023) में रेलवे दावा अधिकरण, राँची पीठ द्वारा पारित दिनांक 15.5.2013 के निर्णय के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी/दावेदार द्वारा दाखिल मुआवजा के प्रदान के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में तथ्य ये हैं कि दिनांक 13.12.2006 को पोल संख्या 541/38 के निकट रेलवे ट्रैक पर पड़ा पुरूष का मृत शरीर पाया गया था। मृत शरीर की पहचान के बाद, दावेदार सहित परिवार के सदस्यों को सम्यक रूप से सूचित किया गया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था।

4. यह प्रतिवाद किया गया है कि अपीलार्थी/दावेदार जो मृतक की पत्नी हैं ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के अधीन मुआवजा के प्रदान के लिए आवेदन दाखिल किया था। उसने कथन किया है कि उसका पति मनोज कुमार मिश्रा ट्रेन सं॰ 3288 डाउन (दानापुर–टाटा दक्षिण बिहार एक्सप्रेस) से यात्रा कर रहा था और वह दिनांक 13.12.2006 को पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ा था और चूँकि डब्बे में भीड़ थी, वह डब्बे के गेट पर खड़ा रहने के लिए मजबूर था और धक्के के कारण वह गिर पड़ा, चोटें आयी और पोल सं॰ 541/38 के निकट उसकी मृत्यु हो गयी।

5. यह प्रतिवाद किया गया है कि मृतक के भाई का फर्दबयान कदमकुआँ पुलिस थाना में दर्ज किया गया था और मामले में अन्वेषण के लिए इसे जी॰ आर॰ पी॰ पटना को अग्रसारित किया गया था क्योंकि मृत शरीर रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने चश्मदीद गवाह श्याम कुमार यादव का बयान दर्ज किया था जिसने कथन किया है कि उसने मृतक को ट्रेन सं॰ 3288 डाउन पर चढ़ते देखा था और वह जसीडीह जा रहा था किंतु डब्बे में भीड़ के कारण वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

6. अपीलार्थी ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि विद्वान अधिकरण का निष्कर्ष अत्यन्त गलत और अवैध है। स्वीकृत रूप से, मनोज कुमार मिश्रा का मृत शरीर पोल सं॰ 541/38 के निकट पड़ा पाया गया था। गवाहों एवं पुलिस पदधारियों द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि कुछ लोगों की मदद से मृत शरीर मृतक के घर लाया गया था और तत्पश्चात यू॰ डी॰ मामला दर्ज करने के लिए औपचारिकताएँ की गयी थी। रेलवे ट्रैक से उसके घर तक और वहाँ से शव परीक्षण गृह तक मृत शरीर को ले जाने के क्रम में टिकट खोने की प्रत्येक संभावना थी। विद्वान अधिवक्ता ने **यू॰ ओ॰ आई॰ बनाम पी॰ कृष्णण, 2013 (1) TAC 166 (Mad)** और **यू॰ ओ॰ ओ॰ बनाम प्रभाकरण विजय कुमार,** 2008 (4) JLJR 40 (SC) में निर्णय को निर्दिष्ट किया। चूँकि अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज एवं गवाहों के बयान स्पष्टत: सुझाते हैं कि मृतक ट्रेन सं॰ 3288 डाउन में यात्रा कर रहा था और वह चलती ट्रेन से गिर गया और, इसलिए, विद्वान अधिकरण का निष्कर्ष कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण रेलवे घटना अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c) (2) के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, अत्यन्त गलत है और, इसलिए, अपास्त किए जाने की दायी है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रदर्शों R1, R2 एवं R5 को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि अंतिम रिपोर्ट स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि घटना किसी श्याम कुमार यादव द्वारा देखी गयी थी।

7. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि मृतक की मृत्यु स्वयं उसकी अपनी उपेक्षा के कारण हुई और, इसलिए, दावेदार किसी मुआवजा की हकदार नहीं है जैसा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A में उपदर्शित किया गया है।

8. मैंने आक्षेपित निर्णय, अवर न्यायालय अभिलेख एवं दस्तावेजों जिन्हें प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया है का परिशीलन किया है। जी॰ आर॰ पी॰ द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने गवाहों में से एक श्याम कुमार यादव जिसने घटना देखा था का परीक्षण किया है। चूँकि यह तथ्य कि मृतक ट्रेन सं॰ 3288 डाउन से यात्रा कर रहा था और वह डब्बे में भीड़ के कारण ट्रेन से गिर गया, कमोबेश प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, मैं अपील अनुज्ञात करने का इच्छुक हूँ। उद्धृत किए गए निर्णयों पर भी विश्वास किया गया है।

9. परिणामस्वरुप, प्रत्यर्थी को आवेदन की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ 4,00,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जैसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना (मुआवजा)

नियमावली, 1990 में उपदर्शित किया गया है और इस आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा।

10. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

श्रीमती मीता देवी एवं अन्य

cuke

सरजू राम रजक एवं अन्य

W.P. (C) No. 3447 of 2013. Decided on 6th August, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 11 सह-पठित आदेश 22 नियम 5—न्याय निर्णीत—मृतक द्वारा दाखिल बेदखली वाद का अनुसरण करने के लिए एल॰ आर॰ एवं प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका—उक्त आदेश को पहले रिट याचिका दाखिल करके चुनौती दी गयी थी और उक्त आदेश अपास्त कर दिया गया था और जाँच करने के लिए मामला विचारण न्यायालय के पास वापस भेजा गया था—जाँच के बाद उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए दाखिल प्रार्थना अनुज्ञात की गयी थी जो इस आधार पर चुनौती के अधीन है कि वाद उपशमनित हो गया था और उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए द्वितीय आवेदन न्याय निर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित है—ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने पर समस्त तीनों उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अनुज्ञात किया गया है और तद्द्वारा द्वितीय आवेदन के न्याय निर्णीत सिद्धांत द्वारा वर्जित होने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 2 से 4)

अधिवक्तागण.—Mr. Rai Satish Bahadur, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. किसी नगिया देवी ने प्रतिवादी-याचीगण के विरुद्ध बेदखली वाद दाखिल किया जिन्होंने वाद का प्रतिवाद किया। पक्षों द्वारा साक्ष्य दिए जाने के बाद मामला तर्क के लिए रखा गया था। इस चरण पर वादी नगिया देवी की मृत्यु दिनांक 6.7.2003 को हो गयी। दिनांक 18.9.2003 को किसी सरजू राम रजक ने स्वयं का मृतका नगिया देवी के उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए स्वयं को नगिया देवी के उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अधीन आवेदन दाखिल किया। प्रार्थना अनुज्ञात की गयी थी। रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 3473 वर्ष 2005 में इस न्यायालय के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा सरजू राम रजक को उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, अपास्त कर दिया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान के निबंधनानुसार जाँच करने के लिए मामला अवर न्यायालय के समक्ष वापस भेजा गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जाँच करने के लिए विविध मामला दर्ज किया गया था। जाँच के क्रम में, यह पाया गया था कि सरजू राम रजक भाई होने के नाते मृतका नगिया देवी का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि कभी नहीं था क्योंकि मृतका नगिया देवी की एक भाई सरजू राम रजक के अलावा दो बहनें भी थी। उस स्थिति में, उक्त सरजू राम रजक और मृतका नगिया देवी की दो बहनों अर्थात् कबिया देवी एवं कुंती देवी को उसके उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए पुनः आवेदन दाखिल किया गया था। दिनांक 6.5.2013 के आदेश के तहत उस प्रार्थना को अनुज्ञात किया गया था जो चुनौती के अधीन है।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दो आधारों के कारण दोषपूर्ण है: प्रथमत: वाद उपशमनित हो गया था और उपशमन अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल किए बिना प्रतिस्थापित उत्तराधिकारियों ने प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल किया और, तद्द्वारा, न्यायालय द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रतिस्थापन के लिए दाखिल द्वितीय आवेदन न्याय निर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित है क्योंकि सरजू राम रजक के प्रतिस्थापन के लिए पूर्व प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

4. मैं याची की ओर से किए गए निवेदन में कोई सार नहीं पाता हूँ। यह सत्य है कि सरजू राम रजक ने स्वयं का मूल वादी नगिया देवी का भाई होने का दावा करते हुए प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल किया था और यह प्रार्थना अवर न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की गयी थी, किंतु जब इस न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दिया गया था, इसे अपास्त कर दिया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 में अंतर्विष्ट प्रावधान के निबंधनानुसार जाँच करने के लिए मामला वापस भेजा गया था कि क्या सरजू राम रजक मृतका नगिया देवी का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि है? जाँच के दौरान यह पाया गया था कि सरजू राम रजक मृतका नगिया देवी का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि कभी नहीं था क्योंकि नगिया देवी की दो बहनें भी थी। ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे जाने पर समस्त तीनों उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अनुज्ञात किया गया है और, तद्द्वारा, द्वितीय आवेदन के न्याय निर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

5. तद्नुसार, मैं आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ और, इसलिए, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,p~ lh~ feJk] U;k;efr

मो॰ अंसार

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 1437 of 2014. Decided on 11th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 379/411—ट्रक की निर्मुक्ति–याची, जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379/411 के अधीन अपराधों के लिए और एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया है, ने प्रश्नगत ट्रक का स्वामी होने के नाते बालू से लदे ट्रक की निर्मुक्ति के लिए याचिका दाखिल किया–उक्त प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी थी कि ट्रक के संबंध में अधिहरण कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गयी है–दाखिल पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था–प्रश्नगत वाहन वाणिज्यिक वाहन होने के नाते निर्मुक्त किया जाना चाहिए था–विचारण न्यायालय को संबंधित पुलिस थाना से रिपोर्ट लेने एवं विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया–विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया–आवेदन अनुज्ञात। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–M/s. Amit Kumar Das, For the Petitioner; M/s Hemant Kr. Shikarwar, For the Opp. Party.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 10 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.4.2014 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा जी॰ आर॰ सं॰ 1015 वर्ष 2013 में याची के पक्ष में रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 16G 1261 वाले ट्रक की निर्मुक्ति के लिए याची की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए विद्वान सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 22.1.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याची को चांडिल पी॰ एस॰ केस सं॰ 140 वर्ष 2013, जी॰ आर॰ सं॰ 1015 वर्ष 2013 के तत्सम, में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379/411 के अधीन अपराध के लिए और एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि बालू ले लदा याची का ट्रक पकड़ा गया था। यह प्रतीत होता है कि याची ने वाहन का स्वामी होने का दावा करते हुए प्रश्नगत ट्रक की निर्मुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था किंतु इसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.1.2014 के आदेश द्वारा यह कथन करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि ट्रक के संबंध में अधिहरण कार्यवाही पहले ही आरंभ की गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण भी अवर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को खान खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (संक्षेप में 'एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम') के प्रावधानों के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहन की निर्मुक्ति का आदेश देने से इस आधार पर रोकता है कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **दांडिक विविध याचिका सं॰ 3095 वर्ष 2013 (विभा झा बनाम झारखंड राज्य)** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसे दिनांक 19.12.2013 के आदेश द्वारा निपटाया गया था जिसमें एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 24 (4A) को ध्यान में लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जब्त वाहन की निर्मुक्ति का आदेश देने से इस आधार पर रोकता है कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है और, तद्नुसार, उक्त आधार पर निर्मुक्ति की प्रार्थना से इनकार करना न्यायालय की ओर से समुचित नहीं है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

6. दांडिक विविध याचिका सं॰ 3095 वर्ष 2013 (विभा झा बनाम झारखंड राज्य) में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह प्रयोज्य प्रतीत होती है। किंतु, मामले का एक अन्य पहलू भी है। आक्षेपित आदेश स्पष्टत: दर्शाता है कि प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि याची को प्रश्नगत वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी पाया जाता है, कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, याचीगण के पक्ष में प्रश्नगत वाहन क्यों नहीं निर्मुक्त किया जाए। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, चूँकि प्रश्नगत वाहन वाणिज्यिक वाहन हैं, इन्हें इस वचन सहित कि वाहन की निर्मुक्ति किसी तरीके से अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और वाहनों को प्रस्तुत किया जाएगा जब और जैसा न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है, ऐसी प्रतिभूतियों/बंधपत्रों/वचनों, जैसा न्यायालय मामले के तथ्यों में समुचित और सुयोग्य समझता है, को लेने पर रजिस्टर्ड स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त किया जाना चाहिए

था। वस्तुतः, ऐसा आदेश इस शर्त के अध्यधीन पारित किया जाएगा कि याची को प्रश्नगत वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी पाया गया है।

8. उक्त चर्चा की दृष्टि में, जी॰ आर॰ सं॰ 1015 वर्ष 2013 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 22.1.2014 का आक्षेपित आदेश और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 10 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.4.2014 का आदेश भी एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अवर विचारण न्यायालय को ऊपर किए गए संप्रेक्षण की दृष्टि में प्रश्नगत ट्रक के स्वामित्व के बारे में संबंधित पुलिस थाना से रिपोर्ट पाने और विधि के अनुरुप नया समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

9. तद्नुसार, पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

आदर्श कुमार

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (C) No. 1780 of 2014. Decided on 3rd September, 2014.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धारा 8G—भविष्य निधि–अंशदान करने का नियोक्ता का दायित्व–याची मृतक का विधिक उत्तराधिकारी (पुत्र) होने के नाते दायित्व का उन्मोचन करने का दायी है। (पैरा 3)

अधिवक्तागण.–M/s Rajeev Ranjay Tiwary, Prashant Kr. Singh, For the Petitioner; Ms. Banani Verma, For the Respondents.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची का पिता सेंट मेरी स्कूल, शिवाजी मैदान, डालटेनगंज के प्रबंधन में अंतर्ग्रस्त नहीं था और जब करस्थम वारन्ट उसके विरुद्ध जारी किया गया था, उसने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1730 वर्ष 2010 दाखिल किया था जिसे दिनांक 1.7.2010 को सुना गया था और गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन स्थगित करने वाला अंतरिम आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। किंतु, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याची के पिता अर्थात् सुदामा पंडित की मृत्यु हो गयी और यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण याची के विरुद्ध अग्रसर हुए और दिनांक 25.2.2014 के आदेश के तहत याची को 10,40,197/- रुपयों की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

2. दिनांक 25.2.2014 के आदेश, जिसके द्वारा याची को नोटिस जारी किया गया था, को चुनौती देते हुए याची यह प्रतिवाद करते हुए इस न्यायालय के पास आया है कि वह विद्यालय के प्रबंधन से नहीं जुड़ा है और इसलिए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अधीन दायी नहीं है।

3. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बनानी वर्मा ने निवेदन किया कि नयी रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति इप्सित किए बिना याची के पिता द्वारा दाखिल रिट याचिका वापस

ले ली गयी थी। स्वयं उक्त याचिका में, याची को पक्षकार बनाया जा सकता था और मामले का प्रतिवाद कर सकता था जिसे करने में वह विफल रहा। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8G के निबंधनानुसार याची उक्त स्वर्गीय सुदामा पंडित का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते दायित्व का निर्वहन करने का दायी है।

4. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से मेरा प्रथम दृष्टया मत है कि इस मामले को सुने जाने की आवश्यकता है। मामले को ''अंतिम निपटान के लिए'' शीर्षक के अधीन दिनांक 21.10.2014 को लाया जाए।

5. इस बीच दिनांक 25.2.2014 के आक्षेपित आदेश का प्रवर्तन स्थगित रहेगा।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

किशुन कुम्हार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Rev. No. 396 of 2014. Decided on 4th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 311—गवाहों को वापस बुलाना एवं पुनर्परीक्षण—धारा 311 के अधीन न्यायालय जाँच/विचारण के किसी चरण पर किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन करने और किसी व्यक्ति जो उपस्थित है यद्यपि उसे समन नहीं किया गया है का परीक्षण करने और पहले ही परीक्षण किए जा चुके किसी व्यक्ति को पुनः बुलाने और पुनर्परीक्षण करने के लिए सशक्त बनाया गया है—न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव पर ऐसा कर सकता है किंतु शक्ति का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है जब यह प्रतीत हो कि गवाह का परीक्षण मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.—M/s Atanu Banerjee, Naresh Pd. Thakur, For the Petitioners; A.P.P., For the State.

आदेश

वर्तमान पुनरीक्षण एस॰ टी॰ केस सं॰ 400 वर्ष 2011 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-VI विशेष एफ॰ टी॰ सी॰, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 7.2.2014 के आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अ॰ सा॰ 1 संतोष कुमार पंडित को आगे प्रति-परीक्षण हेतु बुलाने के लिए दिनांक 6.2.2014 की याचिका खारिज कर दी गयी है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण के क्रम में सात आरोप-पत्रित गवाहों में से सूचक सहित चार अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया गया था; कि अ॰ सा॰ 1 अर्थात् संतोष कुमार पंडित जो मृतक का भाई है का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया गया था; किंतु उसका ध्यान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज उसके बयान में विरोधाभास की ओर नहीं आकृष्ट किया जा सका था; कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के प्रावधानों के अधीन अ॰ सा॰ 1 को वापस बुलाने एवं पुनर्परीक्षण करने के लिए आवेदन दिया गया था किंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया था। कि आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त याचीगण का आशय असद्भावपूर्ण प्रतीत होता है और यह विचारण में अनावश्यक विलंब कारित करने के लिए है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 का विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया था किंतु तात्विक लोपों एवं विरोधाभासों को निकाला नहीं जा सका था और यह बचाव पर प्रतिकूलता कारित करेगा।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त याचीगण ने विस्तारपूर्वक अ॰ सा॰ 1 संतोष कुमार पंडित का प्रति परीक्षण किया है; कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन आवेदन 10 माह बाद दाखिल किया गया था और न्यायालय ने सही प्रकार से आवेदन के सद्भाव के आधार पर प्रार्थना अस्वीकार कर दिया है।

4. इस चरण पर, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पुनर्परीक्षण में पूछे जाने वाले आवश्यक प्रश्नों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता उसे दी जा सकती है और विचारण न्यायालय इस प्रकार विरचित किए गए प्रश्नों पर विचार कर सकता है और यदि विचारण न्यायालय मामले के समुचित न्याय निर्णयन के लिए प्रश्नों को प्रासंगिक पाता है, तब अभियुक्त याचीगण को अ॰ सा॰ 1 का पुनर्परीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है।

5. यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि धारा 311 के अधीन न्यायालय को जाँच/विचारण के किसी चरण पर किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन करने और किसी व्यक्ति जो उपस्थित है यद्यपि उसे समन नहीं किया गया है का परीक्षण करने और पहले ही परीक्षण किए जा चुके किसी व्यक्ति को वापस बुलाने और उसका पुनर्परीक्षण करने के लिए सशक्त बनाया गया है और न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव पर ऐसा कर सकता है किंतु उक्त शक्ति का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है जब यह प्रतीत हो कि मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए गवाह का परीक्षण आवश्यक है।

6. याचीगण निष्पक्ष रूप से सहमत हुए हैं कि वे अवर न्यायालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय यह विचार करने के बाद कि क्या विरचित प्रश्न पुनर्परीक्षण के लिए प्रासंगिक एवं आवश्यक हैं, अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

7. याचीगण विचारण न्यायालय के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं और विचारण न्यायालय याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों का परिशीलन करेगा और यदि यह सुयोग्य और समुचित समझता है, यहाँ किए गए किसी संप्रेक्षण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना धारा 311 के निबंधनानुसार अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा।

8. पूर्वोक्त निर्देश के साथ दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 396 वर्ष 2014 एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

श्रीमती शीला देवी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 192 of 2002. Decided on 21st August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—दहेज मृत्यु–संज्ञान–याचीगण मृतका के सास-ननद हैं–मामले के अन्वेषण के बाद पुलिस ने केवल मृतका के पति के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 306 एवं 498A के अधीन अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया और अन्य सह-अभियुक्तगण अर्थात् याचीगण के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया था–बाद में, याचीगण के पक्ष में अंतिम फॉर्म दाखिल किया गया था, किंतु केस डायरी में सामग्रियों के आधार पर अवर न्यायालय ने याचीगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304-B के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया है–मृत्यु आठ वर्षों की अवधि के परे हुई थी–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन अपराध याचीगण के विरुद्ध बनता हुआ नहीं कहा

जा सकता है–आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–यदि केस डायरी में याचीगण के विरुद्ध सामग्री है और यदि न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है, विधि के अनुरुप समुचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता अवर न्यायालय को देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त।

(पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.–M/s B.N. Tripathi, For the Petitioners; M/s. A.P.P., For the Opp. Parties.

आदेश

बार–बार बुलाए जाने के बावजूद याचीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। सूचक को मामले में नोटिस दिया गया था किंतु वह भी अपने उपर नोटिस तामील किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है। मैंने अभिलेख का परिशीलन किया है।

2. याचीगण जी॰ आर॰ सं॰ 525 वर्ष 2000 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 7.2.2002 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है। याचीगण ने उक्त मामले में अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. याचीगण को जामतारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 227 वर्ष 2000, जी॰ आर॰ सं॰ 525 वर्ष 2000 के तत्सम, में अभियुक्त बनाया गया है जिसमें दहेज मांग के लिए सूचक की बहन को जला कर मार देने का अभिकथन है। स्वयं प्राथमिकी दर्शाती है कि विवाह दिनांक 17.4.1992 को हुआ था जबकि घटना की तिथि दिनांक 11.12.2000 है जब सूचक को सूचित किया गया था कि उसकी बहन की दशा गंभीर है। सूचक अस्पताल गया जहाँ उसने अपनी बहन को 80% जलन उपहतियों के साथ जली अवस्था में पाया और अंतत: दिनांक 17.12.2000 को मृतका की मृत्यु हो गयी। सूचक द्वारा दिए गए लिखित सूचना के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 302 एवं 120B के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और अन्वेषण किया गया था। याचीगण मृतका के सास तथा ननद हैं।

4. आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि मामले के अन्वेषण के बाद पुलिस ने केवल मृतका के पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 306 एवं 498A के अधीन अपराध के लिए आरोप–पत्र दाखिल किया और अन्य सह–अभियुक्तगण अर्थात् याचीगण के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया था। बाद में, याचीगण के पक्ष में अंतिम फॉर्म दाखिल किया गया था किंतु केस डायरी में सामग्रियों के आधार पर अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया है।

5. स्वयं प्राथमिकी दर्शाती है कि मृतका का विवाह दिनांक 17.4.1992 को हुआ था जबकि मृतका की मृत्यु दिनांक 17.12.2000 को हुई थी। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि मृत्यु आठ वर्षों की अवधि के परे हुई थी और तद्नुसार, याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है। मेरे सुविचारित मत में, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. तद्नुसार, जी॰ आर॰ सं॰ 525 वर्ष 2000 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 7.2.2002 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। यदि याचीगण के विरुद्ध

केस डायरी में सामग्री है और यदि न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप समुचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

7. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। इस आदेश को तुरन्त संबंधित न्यायालय को संसूचित किया जाए।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

आदर्श मध्य एवम् उच्च विद्यालय

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (C) No. 2631 of 2014. Decided on 11th August, 2014.

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971—धारा 3—द्वितीय बेदखली कार्यवाही–याची को द्वितीय कार्यवाही के संबंध में नोटिस कभी नहीं दिया गया है–बेदखली मामले में पारित आदेश दोषपूर्ण है क्योंकि याची को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है–बेदखली आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 2 एवं 3)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Ranjan, For the Petitioner; Mr. V.K. Sinha, For the Union of India.

आदेश

मामले में अग्रसर होने के पहले आदेश जिसे दिनांक 28.7.2014 को दर्ज किया गया था को यहाँ नीचे उद्धृत करने की आवश्यकता है:–

> *^^;kph d fy, mifLFkr fo}ku vfèkoDrk fuonu djr g fd fo|ky; jyo dh Hkfe ij py jgk gA vkjHk e] ekeyk l0 131 o"k 1995 e ykd ifjlj (vçkfèkÑr vfèkHkkfx;k dh cn[kyh) vfèkfu;e] 1971 d vèkhu cn[kyh vkjHk dh x;h FkhA ml ekey e] cn[kyh vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA ml vkn'k d fo#) ;kph u fty U;k;kèkh'k] ioh flgHke d le{k vihy nkf[ky fd;k gA mld i'pkr] ,d vU; cn[kyh ekeyk l0 207 o"k 1997 yk;k x;k Fkk ftle Hkh cn[kyh vkn'k ikfjr fd;k x;k Fkk ftldh ukfVl ;kph dk nh x;h Fkh vkj] blfy,] ;kph u bl fjV ;kfpdk dk nkf[ky fd;k gA*
>
> *fo}ku vfèkoDrk vkx fuonu djr g fd tc ,dckj cn[kyh vkn'k ikfjr fd;k x;k g ftld fo#) vihy nkf[ky dh x;h g] çkfèkdkjh u fdl çdkj cn[kyh dk ,d vU; vkn'k ikfjr djok;k ftld fy, ;kph dk ukfVl dHkh ugh fn;k x;k gA*
>
> *jyo dk bl Li"V djuk g vkj] blfy,] ;g ekeyk fnukd 11.8.2014 dk iLrr fd;k tk, rkfd bl chp bl lcèk e vun'k fy;k tk, ,o çfr'kiFk i= nkf[ky fd;k tk,A***

2. जब मामला बुलाया गया था, रेलवे के लिए उपस्थित अधिवक्ता से पूछा गया था कि क्या इसी भूमि, जिसके लिए मामला सं॰ 131 वर्ष 1995 में पहले बेदखली आदेश पारित किया गया है, के संबंध में द्वितीय कार्यवाही है, रेलवे की ओर से कथन किया गया था कि द्वितीय कार्यवाही एक अन्य भूमि के

संबंध में है जिसका अतिक्रमण याची द्वारा किया गया है किंतु अपने अभिवचन को सिद्ध करने के लिए प्रतिशपथ पत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है और न ही सुनवाई के दौरान ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। किंतु, याची की ओर से दृष्टिकोण अपनाया गया है कि उसे द्वितीय कार्यवाही के संबंध में कोई नोटिस कभी नहीं दिया गया है। अतः, कोई आदेश जिसे बेदखली मामला सं॰ 207 वर्ष 1997 में पारित किया गया है दोषपूर्ण है क्योंकि याची को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है।

3. तद्नुसार, बेदखली मामला सं॰ 207 वर्ष 1997 में पारित बेदखली आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। किंतु, रेलवे कार्रवाई आरंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि याची ने भूमि के टुकड़ा का अतिक्रमण किया है जो पूर्व मामला बेदखली मामला सं॰ 131 वर्ष 1995 का विषय वस्तु कभी नहीं था।

4. तद्नुसार, यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

परशुराम महतो एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 495 of 2014. Decided on 11th August, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—इस आधार पर कि सरकारी राजस्व को हानि कारित करती हुई इस प्रकार की अवैध खनन गतिविधियाँ अनियंत्रित प्रकृति की है, अवैध रूप से खोदे गए बालू को ढोने में लगे ट्रैक्टरों की निर्मुक्ति की प्रार्थना अस्वीकार करने वाले सी॰ जे॰ एम॰ के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण—स्वीकृत रूप से, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर बिना देखभाल की दशा में पड़े हुए हैं—यह सुनिश्चित विधि है कि किसी उपयोग के बिना वाहन को अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए—यह वचन लेने के बाद याचीगण के पक्ष में ट्रैक्टरों एवं ट्रेलरों को निर्मुक्त करने का निर्देश विचारण न्यायालय को दिया गया—आवेदन अनुज्ञात। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.—Mr. Rakesh Kumar Sinha, For the Petitioners; APP, For the State.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन जी॰ ओ॰ केस सं॰ 30 वर्ष 2014 में विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 2.5.2014 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अवर न्यायालय ने वाहन (1) याची सं॰ 1 के पक्ष में ट्रेलर सं॰ JH-05Y-4604 के साथ ट्रैक्टर सं॰ JH-05Y-4603 और (2) याची सं॰ 2 के पक्ष में ट्रेलर सं॰ JH-01F-1236 के साथ ट्रैक्टर सं॰ JH05AP 5990 की निर्मुक्ति की प्रार्थना अस्वीकर कर दिया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 54 (1) एवं (4) के अधीन सहायक खनन अधिकारी द्वारा वर्तमान परिवाद दाखिल किया गया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि ट्रैक्टर सं॰ JH-05Y-4603 एवं ट्रेलर सं॰ JH-05Y-4604 तथा ट्रैक्टर सं॰ JH-05AP-5990 एवं ट्रेलर सं॰ JH-01F-1236 के चालक एवं स्वामी अवैध रूप से खोदा गया बालू ढो रहे थे। परिवाद के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है। यह निवेदन किया

गया है कि नियम 54 (4) प्रावधानित करता है कि सक्षम प्राधिकारी न्यायालय के आदेश पर बंध पत्र के निष्पादन पर वाहन निर्मुक्त करने के लिए सशक्त है। यह तर्क किया गया है कि याची ने ट्रैक्टरों एवं ट्रेलरों की निर्मुक्ति के लिए अवर न्यायालय में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 451 के अधीन आवेदन दाखिल किया था, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों का अधिमूल्यन किए बिना अटकल पर आवेदन अस्वीकार कर दिया है कि सरकारी राजस्व की हानि कारित करती हुई इस प्रकार की अवैध खनन गतिविधियाँ अनियंत्रित प्रकृति की हैं। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि ट्रैक्टर एवं ट्रेलर किसी उपयोग के बिना खुले आकाश के नीचे बिना देखभाल की दशा में पड़े हुए हैं। यह कि याचीगण यह वचन देने के लिए तैयार हैं कि वे भविष्य में किसी अवैध गतिविधि में ट्रैक्टर के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने विरोध करते हुए निवेदन किया है कि उक्त ट्रैक्टरों एवं ट्रेलरों का उपयोग अवैध रूप से खोदे एवं खनन किए गए बालू को ढोने में किया जा रहा था।

5. सुना गया। नियम 54 (4) बंध पत्र के निष्पादन पर अवैध खनन में उपयोगित वाहनों को निर्मुक्त करने के लिए सहायक खनन अधिकारी को सशक्त बनाता है और खनन अधिकारी ने दिनांक 10.4.2014 के रिपोर्ट (परिशिष्ट 5) में कथन किया है कि उन्हें अवर न्यायालय द्वारा ट्रैक्टरों एवं ट्रेलरों की निर्मुक्ति के प्रति कोई आपत्ति नहीं है।

6. स्वीकृत रूप से, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर बिना देखभाल की दशा में पड़े हुए हैं और यह सुनिश्चित विधि है कि किसी उपयोग के बिना प्राधिकारी अथवा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को नहीं रखा जाना चाहिए। तद्नुसार, अवर न्यायालय को याचीगण अर्थात् परशुराम महतो एवं भृगुराम महतो के पक्ष में उनमें से प्रत्येक द्वारा 3,00,000/- (तीन लाख) रुपयों के क्षतिपूर्ति बंधपत्रों के निष्पादन पर पूर्वोक्त ट्रैक्टरों एवं ट्रेलरों को निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है और ऐसी प्रतिभूति में से एक सरायकेला, खरसावा जिला में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर अथवा किसी अन्य वाहन के स्वामी का होना होगा। याचीगण यह वचन भी देंगे कि:–

(i) o fopkj.k d lekiu rd VDVjk ,o Vyjk dk foØ;] cèkd ;k vrj.k ugh djxA

(ii) fd o l{ke çkfèkdkjh le{k VDVjk ,o Vyjk dk çLrr djx tc vkj tlk fun'k fopkj.k U;k;ky; }kjk fn;k tkrk gA

(iii) o fdlh rjhd l mDr VDVjk ,o Vyjk dh igpku e NM NkM ;k ifjoru ugh djxA

(iv) o fdlh voèk xfrfofèk d fy, okguk dk mi;kx dju dh vuefr ugh nxA

(v) dkb vU; 'kr ftl fopkj.k U;k;ky; l;kX; ,o lefpr le>rk gA

उक्त निर्देश के साथ यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति याचीगण के व्यय पर फैक्स के माध्यम से संसूचित की जाए।

---

ekuuh; ,p lh feJk] U;k;efr

विजय कुमार झा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 2057 of 2013. Decided on 4th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 420 सह-पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973— धारा 482—छल–चेक का अनादर–दुर्व्यपदेशन पर धन उगाहा गया–प्रत्यक्ष अभिकथन है कि याची ने स्वयं को मर्चेन्ट नेवी कंपनी का प्लेसमेंट अधिकारी होने का दुर्व्यपदेशन किया और उसे रोजगार देने के झूठे बहाने पर परिवादी से विशाल राशि लिया था–अभिकथन की असत्यता पर केवल विचारण में विचार किया जा सकता है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Devesh Krishna, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची परिवाद मामला सं॰ 384 वर्ष 2011 में श्री गुलाम हैदर, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 28.3.2011 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है। याची ने उक्त परिवाद मामला में अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. परिवाद मामला सं॰ 384 वर्ष 2011 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में परिवादी ओ॰ पी॰ सं॰ 2 द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें याची को इस अभिकथन के साथ अभियुक्त बनाया गया था कि याची ने मुंबई की मर्चेन्ट नेवी कंपनी के प्लेसमेंट अधिकारी–सह–कंसल्टेंट के रूप में स्वयं का परिचय दिया था और परिवादी को मुंबई में मरीन संस्थान में इसके लिए प्रशिक्षण पाने के बाद मर्चेन्ट नेवी में परिवादी को रोजगार देने के बहाना पर उसको धन का भुगतान करने के लिए आश्वस्त किया था। इस आश्वासन पर परिवादी ने याची को 7,20,000/- रुपया दिया और उसे नौकरी का आश्वासन दिया गया था। जब परिवादी को नौकरी नहीं दी गयी थी, परिवादी पुनः याची से जुलाई, 2010 में मुलाकात किया जब उसने महसूस किया कि याची का आचरण एवं व्यवहार संदेहपूर्ण था और तब उसे यह जानकारी भी हुई कि याची किसी मर्चेन्ट नेवी कंपनी में न तो प्लेसमेंट अधिकारी था और न ही उसका कंसल्टेन्ट। तत्पश्चात, याची/परिवादी ने अपना धन वापस मांगा जिसे लौटाया नहीं गया था। जब याची को परिवादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी दी गयी थी, उसे याची द्वारा ऐसा करने से रोका गया था और 2,70,000/- रुपए और 4,50,000/- रुपए के दो चेक परिवादी को दिया गया था। जब बैंक में चेकों को प्रस्तुत किया गया था, ''अपर्याप्त निधि'' के पृष्ठांकन के साथ उनका अनादर किया गया था। तत्पश्चात, याची को कानूनी नोटिस देने के बाद परिवादी ने अवर न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया।

4. परिवादी का बयान सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज किया गया था, जिसमें परिवादी ने अपने मामले का समर्थन किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अवर न्यायालय ने याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और यह निवेदन भी किया कि अनुचित प्रभाव एवं प्रपीड़न के अधीन चेकों को जारी किया गया

था, क्योंकि परिवादी द्वारा याची को धमकी दी गयी थी कि उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर परिशिष्ट 2 के रूप में मरीन संस्थान का कैश मेमो लाया है जो दर्शाता है कि परिवादी के नाम में 1,30,400/- रुपयों का भुगतान किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस चरण पर इस दस्तावेज को विचार में लिया जा सकता है जो स्पष्टत: दर्शाता है कि याची ने मरीन संस्थान में प्रवेश लिया था और तद्नुसार, याची द्वारा छल नहीं किया गया था। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाने वाले आक्षेपित आदेश सहित याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए यह सुयोग्य मामला है।

राज्य की ओर से विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि प्रत्यक्ष अभिकथन है कि याची ने स्वयं को मर्चेन्ट नेवी कंपनी के प्लेसमेंट अधिकारी-सह-कंसल्टेन्ट के रूप में दुर्व्यपदेशन किया जो वह वास्तव में नहीं था और उस आधार पर उसने परिवादी को रोजगार देने के झूठा बहाना पर उससे अभिकथित रूप से 7,20,000/- रुपया लिया था। मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह अभिकथन स्पष्टत: याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध बनाता है। परिवाद याचिका से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी के पक्ष में याची द्वारा जारी किए गए दो चेकों का अनादर कर दिया गया और कानूनी नोटिस देने के बाद वर्तमान परिवाद याचिका दाखिल किया गया है जो याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन भी स्पष्टत: अपराध बनाता है। यह तथ्य कि क्या अभिकथन झूठा है, पर इस चरण पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसे केवल विचारण में सिद्ध किया जा सकता है। भले ही चेकों को प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी पर जारी किया गया था, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में इन्हें अनुचित प्रभाव या प्रपीड़न के अधीन जारी किया गया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यदि अभिकथन सत्य है, परिवादी इसके लिए प्राथमिकी दर्ज करने का हकदार था।

8. मैं अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ और न ही इस चरण पर याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई आधार पाता हूँ। इस आवेदन में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

कौशल्या देवी एवं एक अन्य

cuke

सरफुद्दीन अंसारी एवं एक अन्य

M.A. No.154 of 2011. Decided on 11th August, 2014.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धारा 166—इस आधार पर कि अधिकरण ने बच्चे की मृत्यु के मामले में न्यायोचित मुआवजा संगणित करने के लिए अभिप्रायात्मक आय पर विचार नहीं किया था, संतान (पुत्री) की मृत्यु के बदले मुआवजा का भुगतान करने के लिए अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील—चूँकि अपीलार्थीगण एकमुश्त राशि के रूप में

अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं, इसे अधिनिर्णीत किया जाता है और बीमा कंपनी को इसका भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया–अपील अंशतः अनुज्ञात।

(पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2009)6 SCC 121—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. V.K. Sharma, For the Appellants; Mr. G.C. Jha, For the Respondents.

आदेश

यह अपील दावा मामला सं॰ 44 वर्ष 2006 के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश–सह–मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण, चतरा द्वारा पारित दिनांक 28 जून, 2011 के निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण/दावेदारगण द्वारा दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि॰ को दिनांक 6.9.2006 को उनकी पुत्री सबिता कुमारी, जिसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी, की मृत्यु के बदले अपीलार्थीगण (दावेदारगण) को मुआवजा के रूप में 1,50,000/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. अपीलार्थीगण ने निर्णय एवं अधिनिर्णय उपांतरित करने के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि न्यायोचित एवं युक्तियुक्त मुआवजा की संगणना समुचित नहीं है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **'किशन गोपाल एवं एक अन्य बनाम लाला एवं अन्य, (2014)1 SCC 244,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि यदि 10-15 वर्ष के आयु समूह के बालक की मृत्यु होती है, न्यायोचित एवं युक्तियुक्त मुआवजा की संगणना के लिए अभिप्रायात्मक आय पर विचार किया जाना चाहिए था।

4. तर्क के क्रम में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी सहमति दी है कि यदि 1,50,000/- रुपयों के एकमुश्त मुआवजा का भुगतान दावेदारों को किया जाता है, वे संतुष्ट महसूस करेंगे।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि॰ के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की प्रार्थना का विरोध किया है और मेरा ध्यान एम॰ ए॰ सं॰ 126 वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.2.2014 के निर्णय की ओर आकृष्ट किया है और निवेदन किया है कि बालक की मृत्यु की स्थिति में, पहले ही भुगतान किया गया मुआवजा 1,00,000/- रुपया अधिक की सीमा तक बढ़ाया गया था।

6. मैंने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिकरण ने मृतक की आय जैसा दावेदारों द्वारा प्रकट किया गया है पर विचार नहीं किया है और 1,50,000/- रुपयों के एकमुश्त मुआवजा का भुगतान दावेदारों को करने का निर्देश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्दिष्ट मामले और **सरला वर्मा (श्रीमती) बनाम दिल्ली परिवहन निगम, (2009)6 SCC 121,** में बालक की मृत्यु की स्थिति में जो सड़क दुर्घटना में हुई हो, मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है।

7. चूँकि अपीलार्थीगण एकमुश्त राशि के रूप में 1,50,000/- रुपयों का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं, मैं पूर्वोक्त निर्णयों में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा करना वांछनीय महसूस नहीं करता हूँ और, इसलिए, प्रत्यर्थी न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लि॰ को इस आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर एकमुश्त राशि के रूप में 1,50,000/- रुपयों के अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जिसके अनुपालन की विफलता पर अतिरिक्त मुआवजा अधिनिर्णीत की गयी राशि के अंतिम भुगतान की तिथि तक 8% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगेगा।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं उपांतरणों के साथ अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

नसीम खान एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य (तब बिहार) एवं अन्य

W.P. (C) No. 2113 of 2005. Decided on 13th August, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 10—वाद में आवश्यक पक्ष को पक्षकार बनाया जाना–वाद में वादी dominus litus होने के नाते उन व्यक्तियों को चुनता है जिनके विरुद्ध वह वाद करना चाहता है–वादी को किसी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध वह कोई अनुतोष इप्सित नहीं करता है, के विरुद्ध वाद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है–न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ने की शक्ति है जिसे आवश्यक पक्ष अथवा समुचित पक्ष पाया गया है–सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश 1 नियम 10 (2) किसी पक्ष को पक्ष के रूप में पक्षकार बनाए जाने का संपूर्ण अधिकार नहीं देता है बल्कि यह केवल कार्यवाही के किसी चरण पर पक्ष जोड़ने के लिए न्यायालय में स्वविवेक प्रदान करता है–याचीगण बिहार सरकार द्वारा तात्पर्यित बंदोबस्ती के आधार पर संपत्ति में हित का दावा कर रहे हैं–मात्र इसलिए कि वाद संपत्ति, जिसके ऊपर याचीगण अभिकथित रूप से बंदोवस्त किए गए हैं, के कब्जा की वापसी की डिक्री पारित की गयी है, इसका अर्थ इस रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि याचीगण को अभिधान अपील में पक्ष के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है–अपीलीय न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण द्वारा हस्तक्षेप के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 9, 11, 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.–AIR 1963 SC 786; (2010) 7 SCC 417—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A.R. Choudhary, For the Petitioners; Mr. V.K. Prasad, For the Resp.-State; M/s Anwar, Afaque Ahmad, For the Resp. No.2.

आदेश

क्रमशः दिनांक 7.11.1994 और दिनांक 31.3.1998 के आदेश एवं व्यवस्थापन के माध्यम से प्रश्नगत संपत्ति के ऊपर अपना दावा करते हुए अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है, अतः इसे चुनौती देते हुए याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचीगण, जो स्वयं का सांप्रदायिक दंगों के दंगा पीड़ित होने का दावा करते हैं, को वार्ड सं॰ 8 में मौजा मानगो, थाना सं॰ 1642 में अवस्थित खाता सं॰ 1249 में भूखंड सं॰ 3653 एवं 3588 से गठित भूमि के ऊपर राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थापित किया गया था। भूमि का उक्त टुकड़ा खतियान में बिहार राज्य के नाम में दर्ज किया गया है और इसे दिनांक 7.11.1994 के आदेश एवं दिनांक 31.3.1998 के व्यवस्थापन चार्ट के माध्यम से याचीगण एवं उनके पिताओं को आवंटित किया गया था। याचीगण उक्त संपत्ति में निवास कर रहे थे और उन्होंने इसके ऊपर सारवान संरचना निर्मित किया था। हाल में, याचीगण को अभिधान वाद सं॰ 203 वर्ष 1990 के बारे में जानकारी हुई जिसे दिनांक 25.11.1995 के निर्णय एवं आदेश के तहत किसी हबीबुर रहमान के पक्ष में डिक्री किया गया था। अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996, जो जमशेदपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 7 में लंबित है, में बिहार राज्य द्वारा दिनांक 25.11.1995 के आदेश को चुनौती दी गयी थी। इन तथ्यों में उक्त अभिधान अपील में पक्षों

के रूप में जोड़े जाने के लिए लंबित अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में दिनांक 27.1.2005 को आवेदन दाखिल किया गया था। जैसा ऊपर गौर किया गया है, उक्त आवेदन दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत खारिज किया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 2 अर्थात् हबीबुर रहमान, जिसकी मृत्यु वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हो गयी, की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि 6 1/2 बीघा से गठित भूखंड सं॰ 526 में भूमि मूल रूप से किसी प्रफुल्ल कुमार घोष एवं अन्य की थी और उनका उक्त भूमि के ऊपर दरमोकेसरी अधिकार था। वर्ष 1941 में संपत्ति उक्त प्रफुल्ल कुमार घोष एवं अन्य द्वारा दिनांक 18.12.1941 के अचल संपत्ति के स्थायी व्यवस्थापन के रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से स्वर्गीय सरदार चरण सिंह कलसी के पक्ष में व्यवस्थापित की गयी थी। तत्पश्चात, वाद भूमि के ऊपर सरदार चरण सिंह कलसी ने गृहों का निर्माण किया और इस पर खेती की ओर ''सरदार जी का बागान'' के रूप में ज्ञात बागान के रूप में इसका उपयोग किया। सरदार चरण सिंह कलसी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अर्थात् मनमोहन सिंह, गुरुचरण सिंह और भूपेन्द्र सिंह वाद भूमि पर काबिज हुए। वर्ष 1964 के सर्वे व्यवस्थापन में, भूखंड सं॰ 4721, 4722, 4724, 4725 और 4727 में वाद भूमि अन्य भूमि के साथ मनमोहन सिंह और गुरुचरण सिंह के नाम में उनके रैयती अधिकारों में दर्ज की गयी थी। वर्तमान सर्वे में भूखंड सं॰ 3586 पुराने भूखंड सं॰ 4722, 4724 और 4725 तथा भूखंड सं॰ 4721 के अंश से काटकर निकाला गया था जबकि भूखंड 3588 भूखंड सं॰ 4727 और 1964 सर्वे के भूखंड सं॰ 4721 के अंश से काट कर निकाला गया था। बाद में, मनमोहन सिंह एवं अन्य ने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 सहित विभिन्न व्यक्तियों को संपूर्ण भूमि बेच दिया। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने 32 डिसमिल क्षेत्र वाले आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 4721 एवं 4727 (वर्तमान सर्वे भूखंड सं॰ 3588) का भाग दिनांक 11.8.1986 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिफल के भुगतान पर खरीदा और खरीद के समय से प्रत्यर्थी सं॰ 2 इसके ऊपर काबिज है। किंतु, वर्तमान सर्वे में दोनों भूखंड सं॰ 3586 एवं 3588 को गलत रूप से बिहार राज्य के नाम में दर्ज किया गया था। वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विक्रेता ने भूखंड सं॰ 3586 की प्रविष्टि सही करवाने के लिए बिहार राज्य के विरुद्ध छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 90 के अधीन केस सं॰ 742 वर्ष 1984-85 दाखिल किया और दिनांक 14.10.1987 के आदेश द्वारा व्यवस्थापन अधिकारी ने भूखंड सं॰ 3586 में प्रविष्टि को सही किया किंतु भूखंड सं॰ 3588 के लिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने भूखंड सं॰ 3588 में 32 डिसमिल क्षेत्र के ऊपर अपने कब्जा की संपुष्टि के लिए और अभिधान की घोषणा के लिए अभिधान अपील सं॰ 203 वर्ष 1990 दाखिल किया। वाद डिक्री किया गया था और वाद भूमि के संबंध में कब्जा की वापसी के लिए डिक्री भी पारित किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने निष्पादन केस सं॰ 16 वर्ष 2001 दाखिल किया और दिनांक 24.5.2004 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पक्ष में कब्जा का डिलीवरी जारी किया गया था और उसके अनुसरण में प्रत्यर्थी सं॰ 2 को कब्जा दिया गया था। दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत रिट याचीगण का दावा कि वाद संपत्ति उनके पक्ष में व्यवस्थापित की गयी थी, स्वीकार नहीं किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचीगण यह स्थापित करने के लिए कि भूमि उनके पक्ष में व्यवस्थापित की गयी है, न्यायालय के समक्ष कागज का एक टुकड़ा भी प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभिधान वाद सं॰ 203 वर्ष 1990 में, चूँकि वाद भूमि, जिसके ऊपर विस्थापित व्यक्तियों अर्थात् याचीगण को व्यवस्थापित किया गया था, के भाग के संबंध में कब्जा की वापसी के लिए डिक्री याचीगण को सुने बिना पारित की गयी है और चूँकि ऐसा आदेश याचीगण की अनुपस्थिति में पारित नहीं किया जा सकता था, अतः याचीगण आवश्यक पक्ष हैं। वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने आशयपूर्वक अभिधान वाद सं॰ 203 वर्ष 1990 में याचीगण को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार नहीं बनाया था और याचीगण के पीठ पीछे डिक्री प्राप्त किया था और जब यह तथ्य याचीगण के ध्यान में आया, याचीगण ने तुरन्त अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में हस्तक्षेप के लिए आवेदन के साथ सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन आवेदन दाखिल किया। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि अपील वाद का जारी रहना है, पक्षों जिनके अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं को अपीलीय चरण पर भी संयोजित किया जा सकता है। दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत विद्वान अपीलीय न्यायालय ने गलत रूप से याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि अपीलीय चरण पर याचीगण को अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आदेश VIII नियम 3 एवं आदेश XXII नियम 10 में अंतर्विष्ट प्रावधान पर विश्वास किया है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एस॰ अनवर ने निवेदन किया कि प्रश्नगत संपत्ति के अभिधान एवं कब्जा के प्रति विवाद वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 और बिहार राज्य के बीच है। याचीगण कार्यवाही के प्रति अजनबी हैं और उन्हें सही प्रकार से बिहार राज्य द्वारा दाखिल अभिधान अपील में मध्यक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 7.11.1994 और दिनांक 31.3.1998 का व्यवस्थापन का अभिकथित आदेश केवल यह उपदर्शित करेगा कि थाना सं॰ 1642, वार्ड सं॰ 8, खाता सं॰ 1249, भूखंड सं॰ 3653/(भाग) एवं 3588/(भाग) क्षेत्रफल 20' x 14' जिसे सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम में दर्ज किया गया है, में याचीगण के पक्ष में 30 वर्षों का पट्टा प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए अंचलाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था और चार्ट उपदर्शित करता है कि याचीगण और/अथवा उनके पूर्वज प्रस्तावित लाभार्थी थे। याचीगण ने यह प्रदर्शित करने के लिए कागज का एक टुकड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया है कि बिहार सरकार के आदेश द्वारा उनको प्रश्नगत संपत्ति आर्वोटित की गयी थी। याचीगण ने केवल कब्जा का दावा किया है और निष्पादन केस सं॰ 16 वर्ष 2001 में दिनांक 24.5.2004 को उन्हें पहले ही वाद संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति अत्यन्त सीमित है और यह लंबित वाद अथवा निष्पादन मामला में पारित आदेश की वैधता का परीक्षण नहीं करेगा। वाद संपत्ति के अभिधान एवं स्वामित्व के संबंध में प्रश्न वर्तमान कार्यवाही में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय के पास आने में याची की ओर से अत्यधिक विलंब हुआ है। अभिधान वाद सं॰ 203 वर्ष 1990 दिनांक 17.12.1990 को संस्थित किया गया था और दिनांक 25.11.1995 के आदेश के तहत इसे डिक्री किया गया था। अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 दिनांक 11.8.1996 को दाखिल किया गया था और केवल निष्पादन केस सं॰ 16 वर्ष 2001 में याचीगण को बेदखल करने के लिए दिनांक 24.5.2004 का आदेश पारित किए जाने के बाद वे अभिधान अपील में पक्षकार बनाया जाना इप्सित करते हुए दिनांक 27.1.2005 को आवेदन दाखिल करके अपीलीय न्यायालय के पास आए थे। इन तथ्यों में, यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय ने दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत मध्यक्षेप के लिए आवेदन अस्वीकार करते हुए कोई अवैधता नहीं किया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक बनाए।

7. याचीगण का दावा कि वे आवश्यक पक्ष हैं का परीक्षण करने के पहले वाद संपत्ति के ऊपर याचीगण द्वारा दावा किए गए अधिकार की प्रकृति का परीक्षण करना आवश्यक है। दिनांक 7.11.1994 और दिनांक 31.3.1998 के दस्तावेजों का परिशीलन प्रकट करता है कि खाता सं॰ 1249 भूखंड सं॰ 3653/(भाग) और 3588/(भाग) से गठित 20' x 14' माप वाले भूमि के टुकडा का प्रत्येक याचीगण के पक्ष में 30 वर्षों का पट्टा का व्यवस्थापन करने का प्रस्ताव अंचलाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा उपसमाहर्त्ता, भूसुधार, दालभूम, जमशेदपुर को दिया गया था। प्रस्ताव जाँच पर आधारित था जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम में दर्ज की गयी थी। दिनांक 31.3.1998 का व्यवस्थापन चार्ट केवल याचीगण और/अथवा उनके पूर्वजों का नाम उपदर्शित करता है। याचीगण अभिलेख पर कोई दस्तावेज लाने में विफल रहे हैं जो प्रश्नगत भूमि के ऊपर उनका अभिधान स्थापित करेगा।

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि ''वाद भूमि जिसके ऊपर कुछ विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिवादी द्वारा व्यवस्थापित किया गया है के भाग के संबंध में कब्जा की वापसी की डिक्री'' पारित की गयी है, वादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया गया है कि याचीगण वाद संपत्ति पर काबिज थे और इसलिए, उनको सुने बिना बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि याचीगण आवश्यक पक्ष हैं और अपीलीय चरण पर भी सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन मध्यक्षेप के लिए उनका आवेदन अनुज्ञात किया जा सकता है। अभिधान वाद सं॰ 203 वर्ष 1990 में पारित दिनांक 25.11.1995 के आदेश से यह प्रतीत होता है कि विचारण के दौरान यह अभिलेख पर आया है कि कुछ सरकारी पदधारीगण, ठेकेदार एवं मजदूर बाँस, आदि के साथ वाद भूमि पर आए और झोपड़ी बनाना शुरू किया जिसमें कुछ व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया था। वाद वर्ष 1990 में दाखिल किया गया था और जैसा ऊपर गौर किया गया है, याचीगण को विभिन्न भूखंडों के व्यवस्थापन का प्रस्ताव दिनांक 7.11.1994 को दिया गया था। इस प्रकार यह प्रकट है कि दिनांक 17.12.1990 को जब वाद दाखिल किया गया था, याचीगण प्रत्यर्थी सं॰ 2 की भूमि पर काबिज नहीं थे किंतु, यह प्रतीत होता है कि अभिधान वाद के लंबित रहने के दौरान याचीगण को वाद भूमि के ऊपर व्यवस्थापित किया गया था और यही कारण है कि कब्जा की वापसी की डिक्री भी पारित की गयी है।

9. यह सुनिश्चित है कि वाद में वादी *'dominus litis'* होने के नाते उन व्यक्तियों को चुनता है जिनके विरुद्ध वह वाद करना चाहता है। वाद को उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध वह कोई अनुतोष इप्सित नहीं करता है, के विरुद्ध वाद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। किंतु इस सामान्य नियम का अपवाद है और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 (2) के अधीन न्यायालय को किसी व्यक्ति को जोड़ने की शक्ति है जिसे आवश्यक पक्ष अथवा समुचित पक्ष पाया गया है। किंतु सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश 1 नियम 10 (2) किसी पक्ष को पक्ष के रूप में पक्षकार बनाए जाने का संपूर्ण अधिकार नहीं देता है बल्कि यह केवल कार्यवाही के किसी चरण पर पक्ष जोड़ने के लिए न्यायालय में स्वविवेक निहित करता है। **''उदित नारायण सिंह मलपहाड़िया बनाम अतिरिक्त सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार,'' AIR 1963 SC 786,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आवश्यक पक्ष वह पक्ष है जिसके बिना प्रभावकारी रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और समुचित पक्ष वह पक्ष है जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावकारी आदेश पारित किया जा सकता है किंतु कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त प्रश्न के पूर्ण एवं अंतिम निर्णय के लिए जिसकी उपस्थिति आवश्यक है।

10. ''मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड बनाम रिजेन्सी कन्वेंशन सेन्टर और होटल्स प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य'', (2010)7 SCC 417, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

''व्यक्ति जिसके वादी के विरुद्ध वाद विनिश्चित किए जाने के बाद वाद संपत्ति में अधिकार/हित सुनिश्चित करने की संभावना है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में आवश्यक पक्ष अथवा समुचित पक्ष नहीं बन जाएगा।''

11. जैसा ऊपर गौर किया गया है, याचीगण बिहार सरकार द्वारा तात्पर्यित व्यवस्थापन के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति में हित का दावा कर रहे हैं। याचीगण के अनुसार भी, वाद संपत्ति बिहार राज्य की है और यह अभिलेख पर है कि बिहार राज्य ने अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 दाखिल किया है। पक्षों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 24.5.2004 के कब्जा की डिलीवरी के वारन्ट के अनुसरण में याचीगण को वाद संपत्ति से बेदखल किया गया है। इस प्रकार, यदि बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में सफल होता है, याचीगण को वाद संपत्ति का कब्जा दिया जा सकता है। अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों से मैं पाता हूँ कि मात्र इसलिए वाद संपत्ति, जिसके ऊपर याचीगण को अभिकथित रूप से व्यवस्थापित किया गया है, के कब्जा की वापसी की डिक्री पारित की गयी है, इसका अर्थ इस रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि याचीगण आवश्यक पक्ष अथवा समुचित पक्ष हैं। प्रश्नगत संपत्ति में कुछ अधिकार के बहाना मात्र पर याचीगण को अभिधान अपील सं॰ 3 वर्ष 1996 में पक्ष के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सही प्रकार से याचीगण द्वारा मध्यक्षेप के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकार किया गया है।

12. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि विचारण न्यायालय ने गौर किया है कि याचीगण को वाद संपत्ति के ऊपर व्यवस्थापित किया गया था और ऐसे निष्कर्ष को प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा प्रति-अपील दाखिल करके चुनौती नहीं दिया गया है, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने वाद संपत्ति में याचीगण का हित स्वीकार किया है। यह प्रतिवाद खारिज किए जाने का दायी है। प्रतिवादी बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) ने पक्षों के असंयोजन का अभिवचन नहीं किया था। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज कुछ विस्थापित व्यक्तियों के व्यवस्थापन के संबंध में निष्कर्ष को भले ही प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा चुनौती नहीं दिया गया है, इसका अर्थ प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से स्वीकरण के रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि याचीगण का वाद संपत्ति में हित है।

13. प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने सही प्रकार से प्रतिवाद किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन आवेदन में उच्च न्यायालय को मामले के गुणागुण का परीक्षण करने से अपवर्जित किया गया है, अतः वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी सं॰ 2 के अभिधान का प्रश्न न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याचीगण सिक्ख दंगों के पीड़ित हैं और मुआवजा के रूप में तत्कालीन बिहार राज्य ने उनके परिवारों को वाद संपत्ति पर व्यवस्थापित किया था और इसलिए उन्हें सड़क पर फेंका नहीं जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 7.3.2005 के आदेश के तहत उनके आवेदन की खारिजी के कारण याचीगण को उपचारहीन बना दिया गया है। मेरा सुविचारित मत है कि याचीगण की दुर्दशा सरकारी प्राधिकारियों की उपेक्षा एवं उदासीन रवैये के कारण है। यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने वाद संपत्ति पर अपने व्यवस्थापन के बाद प्राधिकारियों के समक्ष अपने मामले पर जोर नहीं दिया था अथवा शायद वे इस धारणा के अधीन थे कि भूमि जिसके ऊपर उन्हें व्यवस्थापित किया गया है, उनको अंतिम रूप से आवंटित कर दी गयी है। यद्यपि, मैं याचीगण की ओर से की गयी प्रार्थना स्वीकार करने में अक्षम हूँ कि याचीगण को वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन करने का निर्देश झारखंड सरकार को दिया जा सकता है, किंतु याचीगण को अपनी शिकायत दूर करवाने के

लिए झारखंड सरकार के पास जाने की छूट है तथा यह उम्मीद की जाती है कि याचीगण की दुर्दशा को देखते हुए राज्य सरकार के मामले में उपयुक्त निर्णय लेगी।

15. परिणामस्वरुप, रिट याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 9136 वर्ष 2013 भी खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

श्रीमती दुर्गा देवी एवं अन्य

cuke

भगीरथमल अग्रवाल एवं अन्य

S.A. No. 36 of 2014. Decided on 27th August, 2014.

परिसीमा अधिनियम, 1963—धाराएँ 3 एवं 27 सह-पठित अनुच्छेद 65—संपत्ति के कब्जा की वापसी के लिए वाद-अपीलार्थीगण वाद परिसर के ऊपर अनुज्ञेय कब्जा का आनन्द ले रहे हैं—वादी मृतक स्वामी का दत्तक पुत्र है और संपूर्ण स्वामी बन गया है—अपीलार्थीगण सहित पूरे विश्व को ज्ञात दत्तक ग्रहण वैध एवं वास्तविक है—अपीलार्थीगण ने विनिर्दिष्ट मामला नहीं बनाया है कि वे प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपने अभिधान का दावा कर रहे हैं—अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 13 से 17)

निर्णयज विधि.—AIR 1995 SC 895; AIR 2002 HP 154; 2006 AIR SCW 2404—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Rahul Kumar Gupta, For the Appellants; M/s Manjul Prasad, Shankar Lal Agarwal, For the Respondents.

आदेश

यह अपील अभिधान अपील सं॰ 16 वर्ष 2011 में प्रमुख जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 10 फरवरी, 2014 के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभिधान वाद सं॰ 25 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान उप न्यायाधीश I जमशेदपुर द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित निर्णय एवं डिक्री अभिपुष्ट किया गया है।

2. अपीलार्थीगण भगीरथमल अग्रवाल-वादी (वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 1) द्वारा दाखिल अभिधान वाद सं॰ 25 वर्ष 2003 में प्रतिवादीगण हैं।

3. वादी ने वादपत्र की अनुसूची में वर्णित वाद परिसर से प्रतिवादीगण को बेदखल करके कब्जा की वापसी के लिए अभिधान वाद सं॰ 25 वर्ष 2003 लाया था।

4. संक्षेप में वादी का मामला यह है कि आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 3351, मौजा मानगो के ऊपर खड़ा वाद परिसर (भवन का भाग) वादी के पिता भेवराज अग्रवाल की अनन्य संपत्ति थी जिन्होंने दिनांक 10 सितंबर, 1956 के रजिस्टर्ड कोडिसिल के साथ दिनांक 15 दिसंबर, 1952 का रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित किया था जिसके द्वारा भेवराज अग्रवाल ने भूखंड सं॰ 3351 के ऊपर अवस्थित भवन सहित संपत्तियों को वादी के पक्ष में वसीयत किया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि भेवराज अग्रवाल एवं उसकी पत्नी कस्तूरी देवी की संतान नहीं थी। उन्होंने दिनांक 15 दिसंबर, 1952 के दत्तक ग्रहण के रजिस्टर्ड विलेख द्वारा वादी को पुत्र के रूप में गोद लिया था। वादी का मामला आगे यह है कि दिनांक 24 सितंबर, 1977 को अपने पीछे अपनी विधवा कस्तूरी देवी एवं वादी को छोड़ते हुए भेवराज अग्रवाल की मृत्यु हो गयी। भेवराज अग्रवाल की मृत्यु के बाद वादी ने भेवराज अग्रवाल द्वारा निष्पादित वसीयत के प्रोबेट के प्रदान के लिए

प्रोबेट केस सं॰ 60 वर्ष 1981 दाखिल किया। दिनांक 19 अप्रिल, 1984 के आदेश के तहत उक्त प्रोबेट मामला अनुज्ञात किया गया था और तद्नुसार दिनांक 3 मई, 1984 को विद्वान उप न्यायाधीश I, जमशेदपुर द्वारा उक्त वसीयत के विरुद्ध प्रोबेट प्रदान किया गया था।

5. आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि चूँकि भेवराज अग्रवाल का साला (पत्नी का भाई) किशन लाल अग्रवाल जीविका की तलाश में राजस्थान से जमशेदपुर आया और उसकी जमशेदपुर में स्वयं की वास सुविधा नहीं थी, उसे वाद भवन, जो भूतल तक निर्मित था और बाद में प्रथम तल और तब द्वितीय तल निर्मित किया गया था, के भाग में रहने की अनुमति दी गयी थी। तत्पश्चात, उक्त किशन लाल अग्रवाल को प्रथम तल एवं द्वितीय तल के भाग का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी। जीविका अर्जित करने के लिए किशन लाल अग्रवाल को व्यवसाय करने के लिए तीन दुकानों एवं भूतल में दो गोदामों का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी जो वाद का विषय वस्तु है। तद्नुसार, प्रतिवादी सं॰ 1 किशन लाल अग्रवाल अपनी दूसरी पत्नी एवं संतानों के साथ पहले वादी के पिता भेवराज अग्रवाल के अधीन और उसकी मृत्यु के बाद वादी के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वाद परिसर के अधिभोग में था।

6. वाद पत्र में यह प्रकट किया गया है कि प्रतिवादी सं॰ 2 से 6 किशनलाल अग्रवाल के पुत्र हैं जो अपने पिता के साथ वाद परिसर में रह रहे थे। अभिधान वाद के समुचित न्याय निर्णयन के लिए उन्हें भी वाद में पक्ष बनाया गया है। यह अभिवचन किया गया है कि स्वर्गीय भेवराज अग्रवाल की पत्नी कस्तूरी देवी की मृत्यु अपने पीछे अपने एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में वादी को छोड़ते हुए दिनांक 5 मार्च, 1987 को हो गयी और तत्पश्चात वादी वसीयत के प्रोबेट के प्रदान के फलस्वरुप और स्वर्गीय भेवराज अग्रवाल का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते वाद संपत्ति का संपूर्ण स्वामी बन गया। यह प्रतिवाद किया गया है कि वादी ने अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत कर दिया और प्रतिवादीगण को वाद परिसर खाली करने के लिए कहा किंतु प्रतिवादी सं॰ 1 एक या दूसरे बहाने वाद परिसर खाली करने में विलंब कर रहा है और अंततः दिनांक 31 दिसंबर, 2002 तक वाद परिसर खाली करने के लिए सहमत हुआ। तद्नुसार वादी दिनांक 1 जनवरी, 2003 को प्रतिवादी से मिला और उसको वाद परिसर खाली करने के लिए कहा, किंतु उसने वाद परिसर खाली करने से साफ इनकार कर दिया। अतः, वादी ने वाद लिया है।

7. प्रतिवाद किए जाने पर वादी के पक्ष में व्यय के साथ वाद डिक्री किया गया था और प्रतिवादीगण को डिक्री की तिथि से तीन माह के भीतर वाद परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन करने में विफल होने पर वादी डिक्री निष्पादित करके विधि की प्रक्रिया द्वारा कब्जा लेने का हकदार होगा।

8. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अभिधान वाद सं॰ 25 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान उपन्यायाधीश I, जमशेदपुर के दिनांक 24 मई, 2011 के निर्णय तथा उनके द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 2 जून, 2011 की डिक्री से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रमुख जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष अभिधान अपील सं॰ 16 वर्ष 2011 दाखिल किया। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय पक्षों को सुनने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित निर्णय एवं डिक्री को अभिपुष्ट करते हुए अभिधान अपील खारिज कर दिया। अतः यह द्वितीय अपील की गयी है।

9. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया है कि द्वितीय अपील में विधि के सारभूत प्रश्नों का निर्णय करने की अपेक्षा की जाती है तथा इसे स्वीकार किया जा सकता है।

10. अपीलार्थीगण के अनुसार, वाद संपत्ति पहले स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल के जीजा भेवराज अग्रवाल के स्वामित्व एवं कब्जा में थी। भेवराज अग्रवाल को संतान नहीं था और, इसलिए, उसने वादी को पुत्र के रूप में गोद लिया था। भेवराज अग्रवाल की मृत्यु अपने पीछे अपनी विधवा कस्तूरी देवी एवं अपने पुत्र के रूप में वादी को छोड़ते हुए दिनांक 24 सितंबर 1977 को हो गयी। भेवराज अग्रवाल की पत्नी कस्तूरी देवी की मृत्यु अपने पीछे अपने एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरजीवी के रूप में वादी को छोड़ते हुए दिनांक 5 मार्च, 1987 को हो गयी। यह प्रतिवाद किया गया है कि किशन लाल अग्रवाल अपने परिवार के साथ अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वाद परिसर में प्रवेश किया और उसका कब्जा अनुज्ञेय था, किंतु भेवराज अग्रवाल की सहमति से उसने आगे पक्का निर्माण किया था और अपने द्वारा निर्मित वाद परिसर के अभिभोग में था।

11. प्रतिवादीगण ने सुखाचार के अधिकार का अभिवचन किया है और भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 60 को निर्दिष्ट किया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि दत्तक ग्रहण विलेख, जिसके द्वारा वादी दावा कर रहा है कि वह भेवराज अग्रवाल और कस्तूरी देवी का दत्तक पुत्र है, वास्तविक नहीं है और इसे विधि के अनुरुप निष्पादित नहीं किया गया था। वादी के जैविक पिता ने उक्त दत्तक ग्रहण को संपुष्ट अथवा समर्थित नहीं किया था। मुख्य बिंदु जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने काफी जोर दिया है यह है कि वादी द्वारा लाया गया वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 की धाराओं 3 एवं 27 तथा अनुच्छेद 65 की दृष्टि में परिसीमा की विधि द्वारा वर्जित है। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने बेदखली वाद सं॰ 113 वर्ष 1988 में पारित दिनांक 8 फरवरी, 1991 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि पूर्वोक्त वाद वादी द्वारा किराया परिसर से किराएदार को बेदखल करने के लिए दाखिल किया गया था। उस वाद में अपीलार्थीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अधीन स्वयं का संपत्ति के स्वामी होने और आवश्यक पक्ष होने के नाते पक्षकार बनाए जाने का दावा करते हुए याचिका दाखिल किया। यद्यपि याचिका अस्वीकार कर दी गयी थी, किंतु ऐसी याचिका दाखिल किया जाना यह सुझाने के लिए पर्याप्त था कि अपीलार्थीगण ने प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपने अभिधान का दावा करते हुए संपत्ति के स्वामी के रूप में अपना पहचान प्रकट किया था। तिथि जिस पर ऐसी याचिका दाखिल की गयी थी और तिथि जिस पर वादी अपीलार्थीगण के दावा को जान सका था कि वे प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपने अभिधान का दावा कर रहे थे, वह तिथि होगी जिससे परिसीमा की अवधि आरंभ होगी। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के मुताबिक, कब्जा की वापसी का वाद उस तिथि, जिस पर अपीलार्थीगण ने वाद संपत्ति के ऊपर अपने अभिधान का दावा किया था, से बारह वर्षों की अवधि के भीतर नहीं लाया गया है। अतः वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है और इसे डिक्री नहीं किया जाना चाहिए था और यह विधि के सारवान प्रश्नों को गठित करता है जो निम्नलिखित हैं:–

(a) D;k voj U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh lkif"kr dh tk ldrh g fo'k"kr% tc voj U;k;ky; ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjkvk 3 ,o 27 rFkk vuPNn 65 dh nf"V e çn'k 6 d çHkko ij fopkj dju e foQy jg g

(b) D;k voj U;k;ky;k dk fu"d"k fd HkxhjFkey vxoky Hkojkt vxoky dk i= Fkk] lkif"kr fd;k tk ldrk g tc oèk nÙkd xg.k d vko';d 'krk dk fl) ugh fd;k x;k Fkk vkj lk{; vfèkfu;e dh èkkjkvk 50 ,o 60 d fucèkuku lkj lcèk fl) dju d fy, fdlh xokg dk ijh{k.k ugh fd;k x;k Fkk

(c) D;k oknh dk olh;r d vkèkkj ij] ftld }kjk doy vpy lifÙk mldk olh;r e nh x;h Fkh vkj u fd mlij [kMk Hkou] okn lifÙk dk Lokeh vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g

12. वादी/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि भेवराज अग्रवाल और उसकी पत्नी कस्तूरी देवी द्वारा वादी को गोद लिया गया था और यह अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण सहित सबों को ज्ञात

था। वादी के पिता भेवराज अग्रवाल ने दिनांक 10 सितंबर, 1956 के रजिस्टर्ड कोडीसील के साथ दिनांक 15 दिसंबर, 1952 को वसीयत निष्पादित किया था जिसके द्वारा वसीयतकर्ता भेवराज अग्रवाल ने भूखंड सं॰ 3351 के ऊपर खड़े वाद भवन सहित अपनी समस्त संपत्तियों को वसीयत किया था। भेवराज अग्रवाल की मृत्यु के बाद वादी ने प्रोबेट केस सं॰ 60 वर्ष 1981 दाखिल किया था और इसे तद्नुसार अनुज्ञात किया गया था। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज मौजूद हैं कि वादी ने अपनी पहचान प्रकट किया है कि वह भेवराज अग्रवाल का पुत्र है और कुछ दस्तावेजों को भी प्रदर्श 10 एवं 10/a श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

13. यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थीगण ने अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वाद परिसर पर अपना कब्जा स्वीकार किया था। जब किशनलाल अग्रवाल अपने परिवार के साथ राजस्थान से जमशेदपुर आया, उसने भेवराज अग्रवाल से उसको वास सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया और तद्नुसार, उसका उक्त अनुरोध स्वीकार किया गया था। भेवराज अग्रवाल की मृत्यु के बाद, अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण वादी के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बने रहे और, इसलिए, वे प्रतिकूल कब्जा के रूप में वाद संपत्ति के ऊपर अभिधान का दावा नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1995 SC 895** में प्रकाशित **(अन्ना साहेब बापू साहेब पाटिल एवं अन्य बनाम बलवंत उर्फ बाला साहेब बाबू साहेब पाटिल एवं अन्य)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है और इस पर विश्वास किया है। उक्त निर्णय के पैराओं 12 एवं 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"12. ifjlhek vfèkfu;e] 1963 dh vuPNn 65 fofgr djrk g fd vfHkèkku ij vkèkkfjr vpy lifÙk vFkok mle fdlh fgr ij dkfct gku d fy, 12 o"k dh ifjlhek ml frfFk l vkjHk gkrh g tc çfroknh dk fgr oknh d fgr d çfrdy cu tkrk gA çfrdy dCtk dk vFk g fojkèkh çk[;ku vFkkr dCtk tk vfHk0;Dr vFkok foof{kr :i l okLrfod Lokeh d vfHkèkku l budkj gA vuPNn 65 d vèkhu] ldkjkRed :i l bl fl) dju dk Hkkj çfroknhx.k ij gA dkb 0;fDr tk çfrdy dCtk ij viuk vfHkèkku vkèkkfjr djrk g] ml Li"V ,o vlfnZèk lk{; }kjk n'kkuk gkxk fd dCtk okLrfod Lokeh d fojkèk e Fkk vkj nkok dh x;h lifÙk ij mld vfHkèkku l budkj d rY; FkkA ;g fofuf'pr dju e fd D;k0;fDr }kjk vfHkdfFkr ÑR; çfrdy dCtk xfBr djrk g] mu ÑR;k dk dju oky 0;fDr d vk'k; dk è;ku e j[kuk gkxk ftUg çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k l vfHkfuf'pr fd;k tk ldrk gA vr% 0;fDr tk çfrdy dCtk ij viuk vfHkèkku vkèkkfjr djrk g] ml Li"V ,o vlfnZèk lk{; }kjk n'kkuk gkxk fd dCtk okLrfod Lokeh d fojkèk e Fkk vkj nkok dh x;h lifÙk d çfr mld vfHkèkku l budkj d rY; FkkA*
>
> *13. tgk dCtk fofèki.k vfHkèkku d çfr fufn"V fd;k tk ldrk Fkk] bl çfrdy ugh ekuk tk,xkA dkj.k ;g g fd 0;fDr] ft ldk dCtk fofèki.k vfHkèkku d çfr fufn"V fd;k tk ldrk g] dk ;g n'kku dh vuefr ugh nh tk,xh fd mldk dCtk fdlh vU; d vfHkèkku d fojkèk e FkkA dkb Hkh tk fdlh vU; dh vkj l dCtk èkkj.k djrk g] ml vU; d vfHkèkku l budkj ek= l viuk dCtk çfrdy ugh cuk ldrk g rkfd og Lo; dk ifjlhek dh lfofèk dk ykHk n ldA vr% 0;fDr tk fofèki.k vfHkèkku j[kdj dkfct gkrk g] ;g fn[kkok djd fdlh vU; dk ml vfHkèkku l fufufgr ugh dj ldrk g fd mldk dkb vfHkèkku fcYdy ugh gA***

विद्वान अधिवक्ता ने आगे **AIR 2002 Himachal Pradesh 154 (काशी राम बनाम हरभजन सिंह भाईजी)** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट किया है और उस पर विश्वास किया है उक्त निर्णय

के पैरा 22 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ पक्ष स्वयं का अनुज्ञेय कब्जा स्वीकार करता है, तब उसने प्रतिकूल कब्जा में होने का प्रश्न नहीं है। उक्त निर्णय **अन्नासाहेब बापूसाहेब पाटिल (ऊपर)** मामले में अधिकथित निर्णयाधार का अनुसरण करते हुए पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **2006 AIR SCW 2404 (गुरुदेव कौर एवं अन्य बनाम काकी एवं अन्य)** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है एवं इस पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के विरुद्ध द्वितीय अपील दाखिल करके तीसरे विचारण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त होना होगा और विवादित तथ्यों को विनिश्चित करने के लिए द्वितीय अपील ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।

14. मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का परिशीलन किया है। अपीलार्थीगण का स्वीकृत मामला यह है कि वे वाद परिसर के ऊपर अनुज्ञेय कब्जा का उपभोग कर रहे हैं। आरंभ में, भेवराज अग्रवाल ने अपने साला किशन लाल अग्रवाल एवं उसके परिवार के सदस्यों को वाद परिसर का अधिभोग करने की अनुमति दी जब वे राजस्थान से जमशेदपुर आए। सम्यक क्रम में उक्त भवन में भेवराज अग्रवाल द्वारा आगे निर्माण किया गया था और अपीलार्थीगण को प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर वास सुविधा दी गयी थी और अपनी जीविका उपार्जन के लिए तीन दुकान भी उनको दिए गए थे। भेवराज अग्रवाल एवं उसकी पत्नी कस्तूरी देवी की मृत्यु के बाद वादी जो भेवराज अग्रवाल का दत्तक पुत्र है ने संपत्ति विरासत में पाया और संपूर्ण स्वामी बन गया। भेवराज अग्रवाल एवं उसकी पत्नी कस्तूरी देवी ने दत्तक ग्रहण विलेख द्वारा वादी को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था जिसे आज की तिथि तक चुनौती नहीं दिया गया है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य दत्तक ग्रहण को विधिक, वैध एवं अपीलार्थीगण सहित पूरे विश्व की जानकारी के अंतर्गत वास्तविक सिद्ध करते हैं।

15. प्रदर्श 6 पर विचार किए जाने एवं वाद प्रस्तुत करने में परिसीमा के प्रश्न का अभिवचन अपीलार्थीगण द्वारा अपने लिखित कथन में विनिर्दिष्टत: नहीं किया गया है। उन्होंने विनिर्दिष्ट मामला नहीं बनाया है कि वे प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपने अभिधान का दावा कर रहे हैं जब बेदखली वाद सं॰ 113 वर्ष 1988 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। केवल अभिलेख पर मौजूद प्रदर्श 6 को निर्दिष्ट करके परिसीमा अधिनियम, 1963 की धाराओं 3 एवं 27 तथा अनुच्छेद 65 के अधीन परिसीमा का अभिवचन द्वितीय अपील में नहीं किया जा सकता है।

16. दोनों अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों एवं ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस अपील में विनिश्चित किए जाने योग्य विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं पाता हूँ।

17. इन परिस्थितियों में, द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

अनिल कुमार अकेला

cuke

भारतीय स्टेट बैंक एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 4530 of 2014. Decided on 10th September, 2014.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002—धाराएँ 36 एवं 37—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य-ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993—

धारा 25—कर्ज की वसूली–दोनों अधिनियमों में कार्यवाहियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों साथ-साथ जारी रह सकती हैं–कर्ज दायित्व का पुनर्भुगतान करना होगा, पुनर्भुगतान समय तालिका के निबंधनानुसार अथवा जैसा लेनदार बैंक द्वारा निर्देश दिया गया है और न कि उधार लेने वाले की सुविधा के मुताबिक–याची यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाया है कि उसके द्वारा किए गए भुगतान प्रत्यर्थी बैंक के करार के निबंधनानुसार थे–ऋण वसूली अधिकरण के पास कार्यवाही स्थगित करने की पर्याप्त शक्ति है यदि उधार लेने वाला भुगतान के लिए देय राशि जमा करता है–याची पहले ही सरफेसी अपील दाखिल करके ऋण वसूली अधिकरण के पास गया है–वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके उच्च न्यायालय के पास जाने के लिए याची द्वारा कोई वैध आधार प्रकट नहीं किया गया है–वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। (पैराएँ 11 से 14)

निर्णयज विधि.–(2008) 1 SCC 125; (2004) 4 SCC 311; (2010) 8 SCC 110; (2009) 8 SCC 366; (2014) 5 SCC 610—Relied; AIR 1964 SC 1419—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondents.

आदेश

मेसर्स बुद्ध विहार कंस्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ के निदेशकों में से एक याची ने वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 21.8.2014 की नीलामी नोटिस को चुनौती दिया है।

2. दिनांक 27.8.2010 को मेसर्स बुद्ध विहार कंस्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ ने प्रत्यर्थी बैंक ऑफ इंडिया से 1,40,00,000/- रुपयों का कामकाज पूंजी मांग कर्ज लिया। याची प्रत्याभूतिदाता बना और संपत्ति के चार अभिधान विलेखों को जमा किया। दिनांक 25.9.2012 को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया था जिसे बाद में दिनांक 20.6.2013 के पत्र के तहत वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण, राँची के समक्ष वादकालीन एवं भावी ब्याज के साथ 1,63,51,070/- रुपयों की वसूली के लिए ओ॰ ए॰ सं॰ 194 वर्ष 2013 दाखिल किया। यद्यपि ओ॰ ए॰ सं॰ 194 वर्ष 2013 में कार्यवाही जारी रही, प्रत्यर्थी बैंक ने मनमाने रूप से एवं अवैध रूप से सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अधीन दिनांक 11.10.2013 का नोटिस जारी किया और बंधक संपत्ति का कब्जा लिया। दिनांक 21.8.2014 की नीलामी नोटिस दिनांक 22.8.2014 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र अर्थात् ''दैनिक भाष्कर,'' जमशेदपुर संस्करण'' में याची की तीन बंधक संपत्तियों की नीलामी विक्रय के लिए प्रकाशित की गयी थी। यद्यपि, कर्ज राशि का बैंक विवरण भिन्न अंक परिलक्षित करेगा, दिनांक 21.8.2014 की नोटिस में याची से देय 1,44,31,442/- रुपयों की राशि दर्शायी गयी है। याची ने पहले ही कर्ज राशि एवं ब्याज के विरुद्ध 1 करोड़ 21 लाख रुपयों की राशि का भुगतान किया है और उसने केवल कुछ किश्तों के भुगतान में व्यतिक्रम किया है। याची लगातार किश्त जमा कर रहा है और अंत में दिनांक 21.4.2004 को दो लाख रुपयों की राशि जमा की गयी थी जिस तिथि पर शेष कर्ज दायित्व केवल 76,87,484 रुपया था।

3. पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन

और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन साथ-साथ दो कार्यवाहियाँ अनुज्ञेय नहीं हैं और ओ॰ ए॰ सं॰ 194 वर्ष 2013 में निर्णय तक प्रत्यर्थी बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन नीलामी आरंभ करने के लिए कर्तव्य बाध्य नहीं था और इसलिए, सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन जारी दिनांक 21.8.2014 के नीलामी नोटिस सहित संपूर्ण कार्यवाही अवैध है और अभिखंडित किए जाने की दायी है। बैंक खाता के विवरण, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ परिशिष्ट 5 के रूप में दाखिल की गयी है, को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि दिनांक 21.5.2013 और 21.4.2014 की अवधि के बीच याची ने कुल 11 जमा को जमा किया था और कर्ज राशि के लिए कुल वसूलनीय देय केवल 76,87,484/- रुपया दर्शाया गया है। ग्यारह जमा में से एक जमा 20 लाख रुपयों के लिए है और 5 लाख रुपयों के एक अन्य जमा के साथ छह-छह लाख का दो जमा है। इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया गया है कि याची के कर्ज खाता के विवरण से यह प्रकट है कि याची भुगतान करने का आशय रखता है किंतु, प्रत्यर्थी बैंक ने अवैध रूप से दिनांक 21.8.2014 का नीलामी नोटिस जारी किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के पीछे का उद्देश्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को देय धन वसूल करना है और चूँकि याची ने प्रत्यर्थी बैंक को देय का पुनर्भुगतान करने का आशय दर्शाया है, दिनांक 21.8.2014 की नीलामी नोटिस अभिखंडित किए जाने की दायी है।

5. प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन पूर्व नोटिस, जिसे दिनांक 25.9.2012 को जारी किया गया था, तकनीकी कारणों से वापस ले ली गयी थी और इसलिए, दिनांक 20.6.2013 को समुचित फॉर्मेट में धारा 13 (2) के अधीन नया नोटिस जारी किया गया था। याची ने दिनांक 24.8.2013 को धारा 13 (3A) के अधीन अभ्यावेदन दाखिल किया जिसका उत्तर तुरन्त दिनांक 2.9.2013 के पत्र के तहत दिया गया था। मासिक किश्तों एवं अन्य देयों का नियमित रूप से भुगतान करने के याची के वादा पर सरफेसी अधिनियम के अधीन आगे कार्रवाई प्रास्थगित की गयी थी और, इसलिए, धारा 13 (4) के अधीन कब्जा नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया था। किंतु, दिनांक 17.10.2013 के बाद याची कर्ज राशि जमा करने में बुरी तरह विफल रहा। आगे यह निवेदन किया गया है कि **''ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2008)1 SCC 125,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन कार्यवाही साथ-साथ जारी रह सकती है। आगे यह कथन किया गया है कि याची को उपलब्ध एकमात्र उपचार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन आवेदन देना है और याची रिट याचिका दाखिल करके दिनांक 21.8.2014 की नीलामी नोटिस को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के पास नहीं आ सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वस्तुतः याची ने दिनांक 11.10.2013 की कब्जा नोटिस एवं धारा 13 (2) तथा धारा 13 (4) के अधीन नोटिसों को चुनौती देते हुए स्वयं दिनांक 25.11.2013 को सरफेसी अपील दाखिल किया है।

6. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद पर आने से पहले रिट याचिका की पोषणीयता का परीक्षण करना आवश्यक है। **''मार्दिया केमिकल्स लि॰ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,**

(2004)4 SCC 311, में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता को मान्य ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया:–

*"81. ..... dN çkoèkkuk dk çHkko dN mèkkj yu okyk d fy, dBkj gk ldrk g fdr ml vkèkkj ij vfèkfu;e d vk{kfir çkoèkkuk dk vloèkkfud bl rF; dh nf"V e ugh dgk tk ldrk g fd vfèkfu;e dk mí'; ,u0 ih0 ,0 d :i e ?kkf"kr n;k dh Rofjr olyh djuk g vkj n'k dh vFk0;oLFkk d fodkl vkj vke ykxk d dY;k.k e enn dju d fy,] tk ykdfgr ijk djx] ith rjyrk ,o llkèkuk dh cgrj miyCèkrk çkIr djuk gA***

8. ''यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य, (2010)8 SCC 110, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि;–

*"43. .....mPp U;k;ky; lkekU;r% lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ;kfpdk xg.k ugh djxk ;fn 0;fFkr i{k dk çHkkoh mipkj miyCèk g vkj fd ;g fu;e djk] midjk] 'kYdk] vU; çdkj d ykd èku vkj cdk rFkk foÙkh; lLFkkuk d n;k dk vrxLr dju oky ekeyk e vfèkd dBkjrk l ykx gkrk gA gekj nf"Vdk.k e] ykd n;k vkfn dh olyh d fy, dh x;h dkjokb dk pukrh vrxLr dju okyh ;kfpdkvk ij fopkj djr g, mPp U;k;ky; dk è;ku e j[kuk gkxk fd ,l n;k dh olyh d fy, lln ,o jkT; foèkkueMyk }kjk vfèkfu;fer foèkku Lo;e lfgrk, g D;kfd o u doy n;k dh olyh d fy, lex çfØ;k vrfo"V djr g cfYd fdlh 0;fFkr 0;fDr dh f'kdk;r nj dju d fy, U;kf;d dYi fudk;k dk xBu Hkh ifjdfYir djr gA vr%] ,l leLr ekeyk e mPp U;k;ky; dk tkj nuk gkxk fd lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu mipkj dk ykHk yu d igy 0;fDr dk çklfxd lfofèk d vèkhu miyCèk mipkjk dk fu%'k"k djuk gkxkA***

9. सत्यवती टंडन (ऊपर) मामले में, **''थान सिंह नाथमल बनाम कर अधीक्षक, धुबरी एवं अन्य, AIR 1964 SC 1419,** में निर्णय और अन्य निर्णयों को ध्यान में लेने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*55. ^^;g xHkhj fprk dk ekeyk g fd bl U;k;ky; dh ckj&ckj mn?kk"k.kk d ckotn mPp U;k;ky;k u MhO vkj0 VhO vfèkfu;e ,o ljQlh vfèkfu;e d vèkhu lkfofèkd mipkjk dh miyCèkrk dk vun[kk djuk tkjh j[kk g vkj o vkn'kk dk ikfjr dju d fy, vuPNn 226 d vèkhu vfèkdkfjrk dk ç;kx djr g ftldk viu n;k dk oly dju d fy, cdk ,o vU; foÙkh; lLFkkuk d vfèkdkjk ij xHkhj çfrdy çHkko iMrk gA ge vk'kk vkj fo'okl djr g fd Hkfo"; e mPp U;k;ky; vfèkd lrdrk] lkoèkkuh ,o pkdlh d lkFk ,l ekeyk e viu Lofood dk ç;kx djxA***

10. क्या ऋण वसूली अधिकरण सरफेसी अधिनियम, 2004 की धारा 13 (4) के अधीन नोटिस के बाद उद्भूत होने वाली स्थिति पर विचार कर सकता है या नहीं, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **''प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं एक अन्य बनाम अशोक सॉ मिल'', (2009)8 SCC 366,** में सुनिश्चित किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''.....विधि अन्यथा है और यह अनुध्यात करती है प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 (4) के निबंधनानुसार की गयी कार्रवाई संवीक्षण के लिए खुली है और इसे न केवल अपास्त किया जा सकता है बल्कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा यथापूर्व स्थिति भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है।''

11. याची की ओर से किया गया प्रतिवाद कि उसने एक वर्ष के भीतर 12 जमाओं को देकर कर्ज राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त सद्भाव दर्शाया है और इसलिए, प्रत्यर्थी बैंक को दिनांक 21.8.2012 का नीलामी नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, स्वीकार करने योग्य नहीं है। कर्ज दायित्व का पुनर्भुगतान करना होगा, पुनर्भुगतान समय तालिका के निबंधनानुसार अथवा ''जैसा लेनदार बैंक द्वारा निर्देश दिया गया है, और निश्चय ही उधार लेने वाले की सुविधा के मुताबिक। याची यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया है कि उसके द्वारा किया गया भुगतान प्रत्यर्थी बैंक के करार के निबंधनानुसार था। इसके अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण को कार्यवाही स्थगित करने की पर्याप्त शक्ति है यदि उधार लेने वाला भुगतान के लिए देय राशि जमा करता है।

12. यह भी अभिलेख पर है कि याची ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) एवं 13 (4) के अधीन दिनांक 11.10.2013 की नोटिस को चुनौती देते हुए ऋण वसूली अधिकरण, राँची के समक्ष एस॰ ए॰ आर॰ एफ॰ ए॰ ई॰ एस॰ आई॰ अपील दाखिल किया है। यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि याची ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष दिनांक 21.8.2014 की नीलामी नोटिस को चुनौती दे सकता है। जहाँ तक याची के इस प्रतिवाद का संबंध है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन कार्यवाही और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन कार्यवाही साथ-साथ नहीं चल सकती है, यह विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं एक अन्य'' (ऊपर) में और ''मैथ्यू वर्गीज बनाम एम॰ अमृथा कुमार एवं अन्य,'' (2014)5 SCC 610,** में स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया है कि दोनों अधिनियमों में कार्यवाहियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों साथ-साथ जारी रह सकती हैं।

13. इस प्रतिवाद पर विचार करने के लिए कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन प्रावधानों का सहारा लेने के पहले प्रत्यर्थी बैंक को ऋण वसूली अधिकरण, राँची के समक्ष दाखिल मूल आवेदन को वापस ले लेना चाहिए था, सरफेसी अधिनियम एवं बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के कतिपय प्रावधानों का परीक्षण करने की आवश्यकता है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगी और न कि उनके अल्पीकरण में। सरफेसी अधिनियम की धारा 35 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी चीज के असंगत होने के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव देती है।'' **मैथ्यू वर्गीज बनाम एम॰ अमृथा कुमार एवं अन्य,'' (2014)5 SCC 610,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगभग समरुप प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:–

> *"45. èkkjk 37 dk l{e iBu n'kkrk g fd ljQlh vfèkfu;e d çkoèkku vFkok mld vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh vkj0 Mh0 Mh0 ch0 vfèkfu;e d çkoèkkuk d vfrfjDr gkxhA ljQlh vfèkfu;e dh èkkjk 35 dFku djrh g fd ljQlh vfèkfu;e d çkoèkkuk dk rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk e vrfo"V d fdlh pht d lkFk vlxr gku d ckotn vè;kjkgh çHkko gkxkA vr% èkkjkvk 35 ,o 37 dk lkFk iBu dju ij ;g vfHkfuèkkfjr djuk gh gkxk fd vkj0 Mh0 Mh0 ch0 vfèkfu;e d çkoèkkuk d ljQlh vfèkfu;e d çkoèkkuk d lkFk vlxr ugh gku dh fLFkfr e] nkuk vfèkfu;ek vFkkr vkj0 Mh0 Mh0 ch0 vfèkfu;e ,o ljQlh vfèkfu;e dh*

ç;kT;rk ,d nlj d ijd gkxhA bl lnHk e Vk ldkj cuke Hkkjr l?k e fu.k; ij fo'okl fd;k tk ldrk gA ljQlh vfèkfu;e dh èkkjk 37 dk fufn"V dju d ckn i jk 64 e ;g dFku fd;k x;k g% (SCC P. 162)

*"64. ....vejhdh fofèk 'kkL=] f}rh; lLdj.k] okY;e 25, i"B 652 d vulkj] ;fn lp e doy ,d mipkj g] fuokpu dk fl)kr ykx ugh gkrk gA oreku ekey e] tlk mQij dFku fd;k x;k g] ,u0 ih0 ,0 vfèkfu;e Mh0 vkj0 Vh0 vfèkfu;e d çfr ,d vfrfjDr mipkj gA lkFk&lkFk o ,d mipkj xfBr djr g vkj] blfy,] fuokpu fl)kr ykx ugh gkrk gA Luy d lkE;k d fl)kr (310k lLdj.k i"B 119) d vulkj Hkh] mipkjk d fuokpu dk fl)kr doy rc ç;kT; gkrk g tc okndkj dk nk vFkok vfèkd lg&fo|eku mipkj miyCèk g tk fo#) ,o vlxr gA fdlh Hkh fLFkfr e] nkuk mipkjk d chp fo#)rk vFkok vlxfr ugh g] vr% fuokpu dk fl)kr ç;kT; ugh gA**"*

14. मेरा मत है कि वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और वस्तुत: विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याची पहले से ही अधिनियम की धारा 17 के अधीन सरफेसी अपील दाखिल करके ऋण वसूली अधिकरण, राँची के पास गया है और वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आने के लिए याची द्वारा कोई वैध आधार नहीं दिया गया है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

फहीम खान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (D.B.) (Cr.) No. 177 of 2014. Decided on 25th September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—बंदी अधिनियम, 1900—धारा 31-B (2)—भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—हत्या–दोषसिद्धि–दंडादेश का निलंबन–राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम याची के मामले पर प्रयोज्य नहीं होगा बल्कि याची का मामला दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 432 में अंतर्विष्ट प्रावधान की रिष्टि के अंतर्गत आएगा–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित व्यक्ति यदि दंडादेश के निलंबन के लिए प्रार्थना करता है, समुचित राज्य सरकार दंडादेश के निलंबन के लिए शर्त अधिरोपित कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है–यदि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त बंदी को स्वीकार्य है, समुचित सरकार को न्यायालय जिसने व्यक्ति को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया था के समक्ष मामला निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है ताकि न्यायालय द्वारा मत दिया जा सके कि क्या दंडादेश के निलंबन के लिए प्रार्थना स्वीकार की जाए अथवा अस्वीकार की जाए–कारा अधीक्षक ने अभी तक समुचित सरकार के समक्ष मामला निर्दिष्ट नहीं किया है–कारा अधीक्षक को समुचित सरकार के समक्ष मामला निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar, Lukesh Kumar, For the Appellants; A.P.P., For the Respondent.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची का एस॰ टी॰ सं॰ 122 वर्ष 1990 में एक और अभियुक्त के साथ एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए विचारण किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 15.6.1991 के निर्णय के तहत विचारण न्यायालय द्वारा याची को दोषमुक्त किया गया था।

3. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध झारखंड राज्य ने इस न्यायालय में दांडिक अपील सं॰ 661 वर्ष 2001 दाखिल किया। इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उलट दिया और इस याची को दिनांक 25.6.2009 के निर्णय एवं आदेश के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया एवं आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

4. उस निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर, याची ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील सं॰ 2081 वर्ष 2009 दाखिल किया जिसे दिनांक 21.4.2011 को खारिज कर दिया गया था। खारिजी के आदेश के विरुद्ध, पुनर्विलोकन याचिका (दांडिक) सं॰ 399 वर्ष 2011 दाखिल की गयी थी जिसे भी दिनांक 24.8.2011 को खारिज कर दिया गया था।

5. जब याची दंडादेश भुगत रहा था, अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, राँची के समक्ष आवेदन उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि चूँकि उसकी पत्नी गुर्दा रोग से पीड़ित है, उसे आगे इलाज के लिए सी॰ एम॰ सी॰ वेल्लोर, तमिलनाडु ले जाना होगा और, इसलिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना की गयी थी ताकि दंडादेश निर्लंबित किया जा सके। किंतु जब कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, याची ने बार-बार उस प्रभाव का आवेदन दाखिल किया। जब कुछ भी नहीं किया गया था। याची के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस याची के दंडादेश को निर्लंबित करने के लिए प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका (दांडिक) दाखिल करने के अलावा विकल्प नहीं था।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार निवेदन करते हैं कि जब इस याची को इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था और उस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है, यह न्यायालय शायद दंडादेश के निलंबन का आदेश पारित न करे किंतु, याची को इस न्यायालय के समक्ष आना पड़ा था क्योंकि कारा प्राधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं ताकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 432 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अधीन उसके मामले पर विचार किया जा सके।

7. प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियम विरचित किया है जिसके द्वारा 'झारखंड बंदी पेरोल नियमावली, 2012' नामक नियमावली विरचित किया गया है जिसके अधीन दंडादेश के निलंबन के मामले पर विचार किया जा सकता है।

8. इस पर, याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार निवेदन करते हैं कि चूँकि याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, पेरोल पर बंदियों की निर्मुक्ति से संबंधित बंदी अधिनियम का ऐसा प्रावधान बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 31-B उपखंड (2) में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में प्रयोज्य नहीं होगा।

9. हम याची की ओर से किए गए निवेदन में सार पाते हैं। धारा 31B उपखंड (2) में अंतर्विष्ट प्रावधान को देखने पर हम पाते हैं कि यह विहित करता है कि उपधारा (1) के प्रावधान उस बंदी पर

लागू नहीं होगा जिसे इस भाग के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; उस नियम के साथ संलग्न अनुसूची का आइटम 6 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 303, 306 अथवा 307 के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

10. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम याची के मामले पर प्रयोज्य नहीं होगा बल्कि याची का मामला दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 432 में अंतर्विष्ट प्रावधान की रिष्टि के अंतर्गत आएगा जो दंडादेश को निलंबित अथवा माफ करने की शक्ति के बारे में कहती है। उक्त प्रावधान का पठन निम्नलिखित है:–

*432. **n.Mkn'kk dk fuyEcu ;k ifjgkj dju dh 'kfDr**-&(1) tc fdlh 0;fDr dk fdlh vijkèk d fy, n.Mkn'k fn;k tkrk g rc lefpr ljdkj fdlh le;] 'krk d fcuk ;k ,lh 'krk ij ftUg n.Mkfn"V 0;fDr Lohdkj dj mld n.Mkn'k d fu"iknu dk fuycu ;k tk n.Mkn'k ml fn;k x;k g mldk ij dk ;k mld fdlh Hkkx dk ifjgkj dj ldrh gA*

(2) tc dHkh lefpr ljdkj l n.Mkn'k d fuyEcu ;k ifjgkj d fy, vkonu fd;k tkrk g rc lefpr ljdkj ml U;k;ky; d ihBklhu U;k;kèkh'k l] ftld le{k nk"kflf) gb Fkh ;k ftld }kjk mldh if"V dh xb Fkh] vi{kk dj ldxh fd og bl ckj e fd vkonu etj fd;k tk, ;k uketj fd;k tk,] viuh jk; ,lh jk; d fy, viu dkj.kk lfgr dfFkr dj vkj viuh jk; d dFku d lkFk fopkj.k d vfHky[k dh ;k mld ,l viu dkj.kk lfgr dfFkr dj vkj viuh jk; d dFku d lkFk fopkj.k d vfHky[k dh ;k mld ,l vfHky[k dh] tlk fo|eku gk] çekf.kr çfrfyfi Hkh HktA

(3) ;fn dkb 'kr] ftl ij n.Mkn'k dk fuyEcu ;k ifjgkj fd;k x;k g] lefpr ljdkj dh jk; e ijh ugh gb g rk lefpr ljdkj fuyEcu ;k ifjgkj dk jí dj ldrh g vkj rc ;fn og 0;fDr] ftld i{k e n.Mkn'k dk fuyEcu ;k ifjgkj fd;k x;k Fkk eDr g rk og fdlh ifyl vfèkdkjh }kjk okj.V d fcuk fxj¶rkj fd;k tk ldrk g vkj n.Mkn'k d vuolkfur Hkkx dk Hkkxu d fy, çfrçf"kr fd;k tk ldrk gA

(4) og 'kr] ftl ij n.Mkn'k dk fuyEcu ;k ifjgkj bl èkkjk d vèkhu fd;k tk,] ijh dh tku okyh gk ;k ,lh gk ldrh g tk mldh bPNk ij vkfJr u gkA

(5) lefpr ljdkj n.Mkn'kk d fuyEcu d ckj e] vkj mu 'krk d ckj e ftu ij vft;k mifLFkr dh vkj fuiVkb tkuh pkfg,] lkèkkj.k fu;ek ;k fo'k"k vkn'kk }kjk fun'k n ldrh g%

11. इसके परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित व्यक्ति यदि दंडादेश के निलंबन के लिए प्रार्थना करता है, समुचित सरकार दंडादेश के निलंबन के लिए शर्त अधिरोपित कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। यदि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त बन्दी को स्वीकार्य है, समुचित सरकार को न्यायालय जिसने व्यक्ति को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया था के समक्ष मामले को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है ताकि न्यायालय द्वारा मत दिया जा सके कि दंडादेश के निलंबन की प्रार्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाए। समुचित सरकार से ऐसा मत दिए जाने पर दोषसिद्ध व्यक्ति के दंडादेश के निलंबन से संबंधित मामले के संबंध में आदेश पारित करने की उम्मीद की जाती है।

12. यहाँ वर्तमान मामले में, याची की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, राँची ने अभी तक समुचित सरकार के समक्ष मामला निर्दिष्ट नहीं किया है। इस

चरण पर राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथ पत्र में विनिर्दिष्ट बयान दिया गया है कि कारा अधीक्षक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के समक्ष ऐसा आवेदन लंबित नहीं है।

13. चाहे जो भी हो, यदि याची ऐसा आवेदन दाखिल करने का आशय रखता है, वह अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के समक्ष ऐसा आवेदन दाखिल कर सकता है। ऐसा आवेदन दाखिल किए जाने पर अधीक्षक इसे समुचित सरकार को भेज सकता है ताकि राज्य सरकार दिए गए बयान कि याची की पत्नी की तुरन्त इलाज की आवश्यकता है को ध्यान में रखते हुए शीघ्रतापूर्वक विधि के अनुरुप कृत्य कर सके।

14. इस प्रकार, अधीक्षक, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, राँची को मामले को निर्दिष्ट करने, यदि समुचित सरकार के समक्ष ऐसा आवेदन दाखिल किया जाता है, के निर्देश के साथ इस याचिका को निपटाया जाता है ताकि समुचित सरकार विधि के अनुरुप दंडादेश के निलंबन से संबंधित मामले पर अग्रसर हो सके।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

बंगाली महतो

cuke

नुनुलाल महतो एवं अन्य

S.A. No. 103 of 2008. Decided on 17th September, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 23, नियम 1 (1-A) सह-पठित आदेश 10(2) एवं धाराएँ 107 (2), 108 एवं 151—प्रतिवादी के रूप में पक्षांतरण–बँटवारा वाद–उनको प्रतिवादी से वादी के रूप में पक्षांतरित करने के लिए याचीगण की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार की गयी थी कि वादी समय के उस बिन्दु पर वाद का प्रतिवाद करने का आशय रखता था–वाद में वादी का हित एवं प्रतिवादी का हित लगभग एक ही है–अपीलार्थी ने बँटवारा अपील त्याग दिया है–याचीगण को अपीलार्थीगण के रूप में पक्षांतरित करने की अनुमति दी गयी।

(पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Ayush Aditya, For the Appellant; Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Respondents.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 प्रत्यर्थी सं॰ 10, 12, 16, 17 एवं 18 के अपीलार्थीगण के रूप में पक्षांतरित करने की प्रार्थना के साथ सी॰ पी॰ सी॰ ने आदेश XXIII नियम 1 (1-A) सहपठित आदेश 1 नियम 10 (2) एवं धाराओं 107 (2), 108 एवं 151 के अधीन दाखिल की गयी है क्योंकि अपीलार्थी ने आई॰ ए॰ सं॰ 2182/2012 दाखिल करके वर्तमान द्वितीय अपील से स्वयं को वापस लेने की अनुमति उसको देने के लिए आदेश XXIII नियम 1 के अधीन अनुमति इप्सित किया है।

2. यह इंगित किया गया है कि यह द्वितीय अपील अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 102 वर्ष 1985 में पारित निर्णय से उद्‌भूत हो रही है। मूल वाद में आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 में याचीगण प्रतिवादीगण थे और वाद वर्तमान अपीलार्थी-वादी द्वारा दाखिल किया गया था। चूँकि याचीगण अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित हैं; वे अपील का प्रतिवाद करने का आशय रखते हैं।

3. अपीलार्थी वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान याचीगण द्वारा ऐसी प्रार्थना की गयी थी, किंतु इस पर विचार नहीं किया गया था।

4. आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 में याचीगण को अपीलार्थीगण के रूप में पक्षांतरित करने की अनुमति दी जाती है, उस स्थिति में वर्तमान अपीलार्थी को अपीलार्थी सं॰ 1 के रूप में बने रहने का निर्देश दिया जा सकता है।

5. यह प्रकट है कि यह अपील बँटवारा वाद और बँटवारा अपील से उद्भूत हो रही है और इसलिए, वाद में वादी का हित और प्रतिवादी का हित लगभग एक ही है। प्रतिवादी से वादी में उनको पक्षांतरित करने की याचीगण की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार की गयी थी कि वादी समय के उस बिंदु पर वाद का प्रतिवाद करने का आशय रखता था।

6. यह विचार में लेते हुए कि वर्तमान अपीलार्थी ने अपील त्याग दिया है; आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 में याचीगण प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी सं॰ 2 से 6 के रूप में पक्षांतरित करने की अनुमति दी जाती है।

7. आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 में याचीगण का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है और अपील के मेमो के कॉज टाइटल पेज में पूर्वोक्त याचीगण प्रत्यर्थीगण के नामों को सम्मिलित किया जाय।

8. आई॰ ए॰ सं॰ 2182/2012 और आई॰ ए॰ सं॰ 928/2013 निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mh ,u iVy ,o ih ih HkVV] U;k;efrx.k

तेजू मुंडा

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 676 of 2013. Decided on 6th August, 2014.

रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 269 वर्ष 1998 से उद्भूत सत्र विचारण सं॰ 355 वर्ष 1999 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 6), हजारीबाग द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 21 दिसंबर, 2004 एवं दिनांक 24 दिसंबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि–अभियोजन का संपूर्ण मामला केवल एक अभियोजन गवाह के अभिसाक्ष्य पर आधारित है–अपीलार्थी किसी और का कर्मचारी है जिसका आलू मृतक द्वारा चुराया गया था अन्यथा मृतक की हत्या करने का कोई आशय अपीलार्थी का नहीं था–न तो अ॰ सा॰ 2 और न ही अ॰ सा॰ 3 मृतक पर अपीलार्थी द्वारा प्रहार के गवाह हैं–मृतक के शरीर पर चाकू की उपहति नहीं है, जैसा अ॰ सा॰ 3 द्वारा कथन किया गया है–हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II का सहारा लेकर उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए दंडादेशित करना न्याय का उद्देश्य पूरा करेगा–अपीलार्थी आज के दिन तक पहले ही लगभग 15 वर्ष 7 माह के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहा है–भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निर्णय को भारतीय दंड संहिता

की धारा 304 भाग II में उपांतरित किया गया और अपीलार्थी को पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए दंडित किया गया। (पैराएँ 10 से 14)

निर्णयज विधि.–2014 (2) JLJ 39 (SC) : (2014)3 SCC 366—Relied; (2011) 14 SCC 401; (2012) 3 SCC (Cri.) 685; (2013)1 SCC (Cri.) 1136: (2013)3 SCC (Cri.) 27—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Rishi Pallav, For the Appellant; Mr. Sudhanshu Shekhar Choudhary, For the State.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह अपील रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 269 वर्ष 1998 से उद्भूत सत्र विचारण सं॰ 355 वर्ष 1999 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 6) हजारीबाग द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 21 दिसंबर, 2004 और दिनांक 24 दिसंबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध सत्र विचारण सं॰ 355 वर्ष 1999 के मूल अभियुक्त अर्थात् तेजू मुंडा द्वारा दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी अर्थात् तेजू मुंडा को किसी मंगल मुंडा की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। आगे, उस पर 25,000/- रुपयों का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है जिसका भुगतान, यदि अपीलार्थी से इसे वसूला जाता है, मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में किया जाएगा।

मामले के तथ्य:–

2. अभियोजन के मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं:

दिनांक 13.12.1998 रविवार को दिन में सूचक देवकी मुंडा, स्वर्गीय मंगल मुंडा की पत्नी, ने अपने पुत्र राजू के साथ अपने पति के मृत शरीर के सामने पुलिस को अपना फर्दबयान दिया कि वह जाति से मुंडा है एवं भारतीय है। दिन में, वह स्टेशन पर भीख मांगती थी और उसका पति मंगल मुंडा (मृतक) अन्य व्यक्तियों से खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाता एवं बेचता था। विगत शनिवार की शाम वह अपने पति एवं संतानों के साथ अपनी झोपड़ी में थी। रात में, तेजू मुंडा (अभियुक्त) जो अशेश्वर महतो के पुत्र का नौकर है, और सिंहजी, जो रिक्शा चालक है, उसकी झोपड़ी में आए और गाली देते हुए उसके पति मंगल मुंडा का हाथ पकड़ लिया और उसे झोपड़ी से घसीट कर ले जाने लगे। जब सूचक ने तेजू मुंडा से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने उसे बताया कि उसके पति ने उसके मालिक के खेत से आलू खोद कर इसे बेच दिया था और वह उसे अपने मालिक के पास ले जा रहा है। सूचक ने उनको रोकने का प्रयास किया किंतु वे जबरन उसके पति मंगल मुंडा को झोपड़ी से घसीट कर ले गए और उस पर प्रहार करके उसे अशेश्वर महतो के घर की ओर ले गए जो तालाब के निकट अवस्थित है। सूचक उनका पीछा करते हुए वहाँ गयी और उन दोनों को अपने पति पर प्रहार करते देखा। सूचक को वहाँ देखने पर तेजू मुंडा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वह अपने घर भाग गयी और भय के कारण पूरी रात अपने घर के बाहर नहीं निकली। आज सुबह वह अपने पुत्र राजू के साथ अपने पति की तलाश में तालाब के निकट गयी और तालाब के निकट निर्मित घर के बाहर भीड़ जमा देखा। जब सूचक वहाँ पहुँची, उसने अपने पति मंगल मुंडा को जमीन पर मृत पड़ा पाया और जमीन पर पड़ा खून भी देखा। सूचक ने दावा किया है कि तेजू मुंडा जो अशेश्वर महतो के पुत्र का नौकर है, और सिंह जी जो रिक्शा चालक है ने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में चोरी के झूठे अभिकथन पर उसके पति पर प्रहार करके उसकी हत्या की है।

अभियोजन गवाहों का विवरण:-

अभियोजन द्वारा आठ गवाहों का परीक्षण किया गया है।

अ॰ सा॰ 1	देवकी मुंडा	वह **मृतक मंगल मुंडा की पत्नी** है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण उसके पति को शाम में झोपड़ी से ले गए थे और उसको तालाब के निकट घर में ले गए और वहाँ उस पर प्रहार किया और सुबह उसके पति का मृत शरीर तालाब के निकट घर में पाया गया था।
अ॰ सा॰ 2	राजू मुंडा (13 वर्षीय)	वह **मृतक मंगल मुंडा का पुत्र** है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण उसके पिता को ले गए थे और उसने सुबह में अपने पिता का मृत शरीर देखा था।
अ॰ सा॰ 3	सुधीर मुंडा	वह **मृतक मंगल मुंडा का पुत्र** है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण रात में 8 बजे उसके पिता को तालाब के निकट घर में ले गए थे और वहाँ उस पर प्रहार किया और सुबह में उसने अपने पिता का मृत शरीर देखा।
अ॰ सा॰ 4	सुरेश कुमार	**उसने प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 5	मोती राम (पी॰ पी॰ का लिपिक)	**उसने प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 6	डॉ॰ प्रेम दास	वह **डॉक्टर** है जिसने मंगल मुंडा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और **प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया** है।
अ॰ सा॰ 7	कंटू महतो	उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपने अंगूठा का निशान सिद्ध किया है।
अ॰ सा॰ 8	अरुण कुमार तिवारी	वह इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है। उसने प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित फर्दबयान सिद्ध किया है और प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी भी सिद्ध किया है। उसने फर्दबयान अग्रसारित करने के लिए प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में पृष्ठांकन सिद्ध किया है और दिनांक 13.12.1998 के रामगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 269/1998 के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दबयान में श्री राम बचन सिंह का पृष्ठांकन भी सिद्ध किया है।

अपीलार्थी की ओर से तर्क:

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य में मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार हैं। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 जो मृतक की पत्नी है ने अपने फर्दबयान में कथन नहीं किया है कि उसका पुत्र (अ॰ सा॰ 3) उसके साथ गया था जब वह अपने पति के पीछे गयी थी। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 1 ने अ॰ सा॰ 2 जो अ॰ सा॰ 1 का एक अन्य पुत्र है के बारे में भी कथन नहीं किया है कि वह उसके साथ गया था। वस्तुत: अ॰ सा॰ 1 के ये पुत्र जो, अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 हैं, घटना के चश्मदीद गवाह बिल्कुल नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के

इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। जहाँ तक अ॰ सा॰ 1 का संबंध है, वह भी घटना की चश्मदीद गवाह बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसका पति जीवित था जब वह घटना स्थल से चली गयी थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि एक से अधिक अभियुक्त हैं और किसने उपहति कारित किया है, इसका विवरण अ॰ सा॰ 1 द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि मंगल मुंडा (मृतक) की मृत्यु एवं उस समय जब इस अपीलार्थी को मृतक के साथ देखा गया था के बीच काफी समय बीत चुका है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया है कि इस अपीलार्थी द्वारा मृतक पर चाकू का वार किया गया था जबकि चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए, जिसे अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ प्रेम दास द्वारा दिया गया है, कोई भी उपहति नहीं है जो चाकू द्वारा कारित किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक रूप से यह निवेदन भी किया गया है कि यह अपीलार्थी दिनांक 2 जुलाई, 2014 को लगभग 15 वर्ष 6 माह 4 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **बादल मुर्मू एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2014 (3) SCC 366; [: 2014 (2) JLJ 39 (SC)],** के मामले में दिए गए निर्णय विशेषत: इसके पैराग्राफ सं॰ 8, 9, 10 एवं 11, सहित अनेक निर्णयों पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी देहाती आदिवासी है; अभियोजन द्वारा आशय सिद्ध नहीं किया गया है और मृतक के शरीर पर तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित उपहति नहीं पायी गयी है। वस्तुत:, अपीलार्थी खेत के स्वामी का कर्मचारी है जहाँ से मृतक द्वारा आलू चुराया गया था। इस प्रकार, मामले के इन पहलूओं को देखते हुए और इस तथ्य को भी देखते हुए कि अपीलार्थी लगभग 15 वर्ष 7 माह की अवधि से अभिरक्षा में बना हुआ है अपराध को हत्या से हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध में संपरिवर्तित किया जा सकता है और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है क्योंकि वह इस धारा के अधीन उच्चतम दंडादेश पहले ही भुगत चुका है और, इसलिए, उसे अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त किया जा सकता है।

राज्य की ओर से तर्क:

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा निवेदन किया गया है कि एक से अधिक चश्मदीद गवाहों जो अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2 और अ॰ सा॰ 3 हैं के साक्ष्यों का अधिमूल्यन करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है। इन तीनों गवाहों के अभिसाक्ष्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी एक अन्य अभियुक्त के साथ मृतक के घर आया था और अ॰ सा॰ 1 के पति को ले गया था और इस अपीलार्थी द्वारा सूचक के पति को पीटा गया था। मृतक की पत्नी (अ॰ सा॰ 1) उसके पीछे गयी और इस अपीलार्थी ने उसको भी पकड़ने का प्रयास किया और यही कारण है कि सूचक भाग गयी। तत्पश्चात, अ॰ सा॰ 1 के पति को कमरा में बंद किया गया था और सुबह उसे मृत पाया गया था। इस प्रकार, अभियोजन ने ''अंतिम बार साथ देखे गए'' के आधार पर अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और उपहतियों को भी देखते हुए जो मृत्युपूर्व प्रकृति की थी और शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक शव परीक्षण के 24 घंटों के भीतर कारित की गयी थी। मृतक के शरीर का शव परीक्षण अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ प्रेमदास द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 1998 को सायं लगभग 4 बजे किया गया था जो हत्या के समय से मेल खाता है। इस प्रकार, अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे'' अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने

(i) ***2011 (14) SCC 401 (vftr flg gjukeflg xtjky cuke egkjk"V jkT;)(***

(ii) ***(2012)3 SCC (Cri) 685 (';key ?kk"k cuke if'pe cxky jkT;)(***

(iii) ***(2013)1 SCC (Cri.) 1136 (tx#i flg cuke itkc jkT;); vkj***

(iv) ***(2013)3 SCC (Cri.) 27 (gfjonu ckcHkkb iVy cuke xtjkr jkT;)*** *lfgr vud fu.k;k ij fo'okl fd;k gA*

पूर्वोक्त निर्णयों में अधिकथित निर्णयाधार के आधार पर राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि यदि अपीलार्थी को अंतिम बार मृतक के साथ पाया गया है और कुछ घंटों के भीतर मृतक की मृत्यु हो जाती है, तब प्रमाण का भार अपीलार्थी पर जाता है और अपीलार्थी द्वारा इस भार का उन्मोचन नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है और, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इस अपील को ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

<u>कारण:</u>

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि मंगल मुंडा की हत्या की घटना दिनांक 12 एवं 13 दिसंबर, 1998 के रात के घंटों के दौरान हुई थी। दिनांक 12 दिसंबर 1998 की रात में, जब अ॰ सा॰ 1 सूचक देवकी मुंडा अपने घर में थी, यह अपीलार्थी एवं एक अन्य सह-अभियुक्त वहाँ आया और मृतक से कहा कि उसका मालिक उसे (मृतक) बुला रहा है क्योंकि उसने उसके खेत से आलु चुराया था। इस प्रकार मृतक को इस अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था। मंगल मुंडा (मृतक) की पत्नी अ॰ सा॰ 1 उसके पीछे गयी और इस अपीलार्थी एवं एक अन्य सह-अभियुक्त को उसको (मंगल मुंडा) पीटते देखा और जब उसने उसका जीवन बचाने का प्रयास किया, अपीलार्थी ने उसको भगा दिया और, इसलिए, वह घर लौट गयी। सुबह में पुनः वह घटनास्थल पर गयी जहाँ उसके पति को कमरे में बंद कर दिया गया था, उसे (मंगल मुंडा) मृत पाया गया था। इस सूचना के आधार पर, प्राथमिकी संस्थित की गयी थी, अन्वेषण किया गया था, आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और अभिलेख पर मौजूद अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 8 के साक्ष्य के आधार पर ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत के आधार पर मृतक की हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया था।

6. इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 3" अंतिम बार साथ देखे गए'' के बिंदु पर तथाकथित चश्मदीद गवाह हैं जबकि अ॰ सा॰ 6 डॉक्टर है जिन्होंने मंगल मुंडा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और अ॰ सा॰ 8 अन्वेषण अधिकारी है।

7. अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और एक अन्य सह-अभियुक्त मृतक के घर आए थे जो मृतक से कह रहे थे कि उसने अशेश्वर महतो के पुत्र के खेत से आलू चुराया था और, इसलिए, उसने उसे (मृतक) बुलाया है। अ॰ सा॰ 1 अपने पति के पीछे गयी और इस अपीलार्थी तथा एक अन्य सहअभियुक्त को मंगल मुंडा (मृतक) को पीटते देखा। यह घटना रात्रि लगभग 8 बजे हुई थी और तत्पश्चात कुछ समय तक जारी रही होगी। तत्पश्चात, मंगल मुंडा को कमरे में बंद कर दिया गया था। सुबह मंगल मुंडा मृत पाया गया था। इस प्रकार, इस अ॰ सा॰ 1 द्वारा ''अंतिम

बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। मंगल मुंडा की मृत्यु का समय भी अ॰ सा॰ 6 जिन्होंने दिनांक 13 दिसंबर, 1998 को सायं 4 बजे मृतक मंगल मुंडा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक निकट है और चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक मृत्यु का समय 24 घंटे के भीतर है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया है।

8. अ॰ सा॰ 2 राजु मुंडा जो अ॰ सा॰ 1 एवं मृतक का पुत्र है द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वह अपने पिता के पीछे कभी नहीं गया है। इस प्रकार, यह अ॰ सा॰ 2 ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर रहा है।

9. जहाँ तक अ॰ सा॰ 3 सुधीर मुंडा जो अ॰ सा॰ 1 एवं मृतक का दूसरा पुत्र है का संबंध है, वह भी ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर रहा है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 सूचक ने कभी कथन नहीं किया है कि उसका पुत्र (अ॰ सा॰ 3) उसके साथ उस समय था जब अपीलार्थी और एक अन्य सह–अभियुक्त मंगल मुंडा (मृतक) को उसके घर से ले जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसके पिता पर चाकू का वार किया गया था जबकि चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक मृतक के मृत शरीर पर चाकू का वार बिल्कुल नहीं है और इस प्रकार, अ॰ सा॰ 3 अविश्वसनीय है।

10. इस प्रकार, अभियोजन का संपूर्ण मामला केवल एक अभियोजन गवाह अ॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य पर आधारित है।

11. परिस्थितियों की संपूर्णता को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी किसी और का कर्मचारी है जिसका आलू मृतक द्वारा चुराया गया था अन्यथा मृतक की हत्या कारित करने का इस अपीलार्थी का आशय नहीं था।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **बादल मुर्मू एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014)3 SCC 366 [: 2014 (2) JLJ 39 (SC),** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसके पैराग्राफ सं॰ 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का पठन निम्नलिखित है:–

6. fo}ku U;k;fe= lJh e[khtk tk gekj vujkèk ij vihykFkhx.k d fy, mifLFkr gb g] u fuonu fd;k fd vfHk;ktu ;fDr;Dr lng d ij viuk ekeyk fl) dju e foQy jgk g vkj] blfy,] vihykFkhx.k nk"keDr fd, tku ;kX; gA mUgku fuonu fd;k fd fdlh Hkh ljr e ;fn ;g U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd vihykFkhx.k nk"kh g] rc bl mudk gR;k dh dkfV e ugh vku oky vkijkfèkd ekuooèk dk nk"kh vfHkfuèkkfjr djuk pkfg, D;kfd mudk erd dh gR;k dju dk vk'k; ugh FkkA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd vihykFkhx.k u ykfB;k dk mi;kx fd;k Fkk vkj] blfy,] HkkO nO lO dh èkkjk 304 Hkkx II bl ekey d ifr Li"Vr% vkÑ"V gkrh gA bl lcèk e] vfèkoDrk u dhfr egrk ,o vU; cuke fcgkj jkT; ij fo'okl fd;kA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd erd d 'kjhj d egRoi.k vx ij migfr;k ugh gA o lrgh çÑfr dh gA ;g bl ckr dk Hkh minf'kr djrk g fd erd dh gR;k dju dk vk'k; ugh FkkA bl lcèk e] vfèkoDrk u eky ,o vU; cuke gfj;k.kk jkT; ij fo'okl fd;kA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd vihykFkhx.k xjhc vkfnokl h g] o yc le; l dkjk e g] vr% mUg HkkO nO lO dh èkkjk 304 Hkkx II dk lgkjk ydj igy gh Hkxr yh x;h vofèk d fy, nMknf'kr fd;k tk ldrk gA

7. nljh vkj] jkT; d fo}ku vfèkoDrk Jh vfui lpFk u fuonu fd;k fd pk{kd lk{; vfHk;ktu ekeyk LFkkfir djrk gA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd ;g lR; g fd vihykFkhx.k u ykfB;k dk mi;kx fd;k Fkk fdr Hky gh lkekU; mí';; migfr dkfjr djuk Fkk] vihykFkhx.k tk fofèkfo#) teko d lnL; Fk] tkur Fk

fd lkekU; mí'; dk vxlj dju e gR;k dju dh lHkkouk Fkh vkj pfd eR; dkfjr dh x;h Fkh] fofèkfo#) teko d çR;d lnL; dk gR;k dk nk"kh vfHkfuèkkfjr djuk gkxkA viu fuonu d leFku e vfèkoDrk u efuoy cuke rfeyukM jkT; vkj ,fyLVj ,Fkuh ijjk cuke egkjk"V jkT;] ij fo'okl fd;kA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd vihykFkhx.k yxkrkj erd >kj lkju ij çgkj djr jg vkj mldk ?kkj migfr;k dkfjr fd;k ftldk ifj.kke mldh eR; e gvkA gR;k dju dk vk'k; Li"V g vkj] blfy,] o gR;k d nk"kh gA bl lcèk e] mUgku d'ehjh yky ,o vU; cuke itkc jkT; ij fo'okl fd;kA vfèkoDrk u fuonu fd;k fd vihy [kkfjt dh tk,A

8. erd >kj lkju dh igyh iRuh v0 lk0 1 uhyekuh u viu ifr }kjk exh pjku vkj lkfy'knkj }kjk vfèkjkfir nM d ckj e io ?kVuk dk o.ku dju d ckn li.k ?kVuk dk fooj.k fn;kA mlu dFku fd;k fd fdl çdkj v0 lk0 7 ddk dk dy o{k d lkFk ckèk fn;k x;k Fkk vkj ihVk x;k Fkk(fdl çdkj v0 lk0 7 ddk Hkkx x;k vkj fdl çdkj erd >kj lkju dk ckl d [kHk l ckèku d ckn vihykFkhx.k }kjk ykBh dk mi;kx djd ihVdj ekj fn;k x;k FkkA fdr] mlu vihykFkhx.k e l çR;d dh lVhd Hkkfedk dk o.ku ugh fd;k FkkA mlu dFku ugh fd;k Fkk fd fdlu dgk ij çgkj fd;k FkkA v0 lk0 3 jkcch lkju erd >kj lkju dh cgu gA mldk lk{; Hkh blh rjg dk gA erd >kj lkju dh nljh iRuh v0 lk0 6 leh lkju u Hkh v0 lk0 1 fuyekuh d lk{; dk li"V fd;k tgk rd erd >kj lkju ij çgkj dk lcèk gA

9. ?kk;y xokg v0 lk0 7 ddk u ?kVukvk dk fooj.k fn;k tk ?kVuk d igy gb Fkh vkj dFku fd;k fd fdl çdkj ml vkj erd >kj lkju dk iMk l ckèk fn;k x;k Fkk(fdl çdkj vihykFkhx.k ckny] 'kHk] jxkb] Hkkxcr vkj Qkx u erd >kj lkju ij ykfB;k l çgkj fd;k(fdl çdkj vihykFkhx.k lkHkk Vkxh d lkFk LFkku dh igjnkjh dj jgk Fkk vkj fdl çdkj vU; vihykFkhx.k u mudk çkR lkfgr fd;kA mlu dFku fd;k fd og fdlh çdkj Hkkxu e lQy gvk vkj MkDVj }kjk Lo; dk ijh{k.k djok;kA mldk lk{; minf'kr djrk g fd og Mjdj Hkkx x;k vkj fdlh dk ?kVuk d ckj e lfpr ugh fd;k FkkA v0 lk0 9 MkO çknhi dekj ftUgku erd >kj lkju dk 'ko ijh{k.k fd;k u dFku fd eR; mld }kjk of.kr migfr;k d dkj.k dkfjr gb Fkh vkj fd migfr;k ykBh tl HkkFkjh oLr }kjk dkfjr dh tk ldrh FkhA

10. v0 lk0 1 fuyekuh] v0 lk0 3 jkcch lkju] v0 lk0 6 leh lkju vkj v0 lk0 7 ddk dk lk{; lR;i.k g vkj bu ij lgh çdkj l fo'okl fd;k x;k gA o ngkrh xokg g vkj mUgku fu"diVr% dFku fd;k tk mUgku n[kk FkkA mi;Dr :i l] v0 lk0 7 ddk u viu Hkkb dk geykojk e l ,d d :i e ukfer djue ldkp ugh fd;k FkkA fu%lng] ; xokg erd >kj lkju l lcfèkr g] fdr mud lk{; dk Loj ,lk g fd ;g dguk lHko ugh g fd mUgku vihykFkhx.k dk >B :i l vrxLr fd;k gA mud lk{; e lPpkb gA vr%] vfHk;ktu u fl) fd;k g fd vihykFkhx.k u ykfB;k l erd >kj lkju ij çgkj fd;k ftldk ifj.kke mldh eR; e gvkA

11. vc ç'u ;g g fd vihykFkhx.k }kjk dku lk vijkèk fd;k x;k FkkA bl li.k çlx dk dkj.k rPN gA vihykFkh Hkkxcr dh exh erd >kj lkju }kjk pjk;h x;h FkhA fookn ly>k;k x;k FkkA nM dk Hkxrku fd;k x;k FkkA fQj Hkh vihykFkhx.k u erd >kj lkju dk lkgc glnk d vkxu e cyk;kA erd >kj lkju v0 lk0 7 ddk d lkFk ogk x;kA mUg iMk l ckèkk x;k Fkk vkj ihVk x;k

FkkA ;g rd fd;k x;k g fd ; rF; n'kkr g fd vihykFkhx.k erd >kj lkju dh gR;k dju dk lkekU; mí'; j[kr Fk vkj lkekU; mí'; vxlj dju e mUgku erd >kj lkju dh gR;k dj nhA gekj er e] vku"kfxd ifjfLFkfr;k minf'kr ugh djrh g fd vihykFkhx.k erd >kj lkju dh gR;k dju dk dkb lkekU; mí'; j[kr FkA ;g çrhr gkrk g fd o lkfy'knkj }kjk vfèkjkfir nM l çlUu ugh FkA vr%] mUgku mldk lkgc glnk d vkxu e cyk;k vkj ykfB;k l mldk ihVkA ;fn o mldh gR;k djuk pkgr Fk] mUgku fdlh rt èkkj oky gfFk;kj dk mi;kx fd;k gkrkA oLrr% vfHky[k ij ekt n lk{; n'kkr g fd vihykFkhx.k e l dN d gkFk e Vkxh FkhA v0 lk0 1 fuyekfu u dFku fd;k fd mue l dN d ikl Vkxh Fkh fdr mUgku mudk mi;kx ugh fd;k FkkA oLrr%] ;fn vihykFkhx.k erd >kj lkju dh gR;k djuk pkgr Fk] viu mí'; dk çkIr dju dk lcl vkIku jkLrk Vkxh dk mi;kx djuk Fkk vkj ml ij çgkj djuk FkkA

13. यह प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी आज के दिन तक लगभग 15 वर्ष 7 माह से न्यायिक अभिरक्षा में पहले से ही बना हुआ है। केवल आलू की चोरी हुई है। अपीलार्थी किसी और का कर्मचारी है जिसके खेत से मृतक द्वारा आलू चुराया गया था। अपीलार्थी जिला हजारीबाग (अब रामगढ़) का देहाती आदिवासी है। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को देखते हुए, न तो अ॰ सा॰ 2 और न ही अ॰ सा॰ 3 मृतक पर इस अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रहार के गवाह हैं। मृतक के शरीर पर चाकू की उपहति नहीं है जैसा अ॰ सा॰ 3 द्वारा कथन किया गया है।

14. इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की दृष्टि में और मामले की विचित्र परिस्थितियों को देखते हुए और **बादल मुर्मू एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार को दृष्टि में रखते हुए हमारे मत में इस अपीलार्थी अर्थात् तेजू मुंडा को हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव बध के लिए दोषसिद्ध करते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II का सहारा लेते हुए उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए तद्द्वारा उसको दंडादेशित किया जाना न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस सीमा तक विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰ सं॰ 6), हजारीबाग द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का निर्णय एतद् द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II में उपांतरित किया जाता है और तद्द्वारा, इस अपीलार्थी को पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए दंडादेशित किया जाता है। हम एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी अर्थात् तेजू मुंडा को न्यायिक अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य अपराध में उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, यह अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

उर्मिला देवी

cuke

सुमन सामंता

W.P. (C) No. 7210 of 2013. Decided on 29th August, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17 सह-पठित धारा 151—लिखित कथन में संशोधन—बँटवारा वाद—लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा इप्सित संशोधन वादी को किए गए कुछ प्रेषणों से संबंधित है—ग्यारह वर्ष बीतने के बाद भी बेदखली वाद लंबित है—वाद दाखिल

करने के दस वर्ष से अधिक बाद संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है–भले ही विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया कारण विधि के संवीक्षण पर संपोषित नहीं किया जा सकता है, याची द्वारा दाखिल याचिका सही प्रकार से खारिज की गयी है–रिट याचिका खारिज की गयी।

(पैरा 7)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kr. Sinha, Arun Kr. Sinha, Rakesh Kumar Gupta, For the Petitioner; Mr. A.K. Das, For the Respondent.

आदेश

बेदखली वाद सं॰ 1 वर्ष 2004 में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) III गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 8.8.2013 एवं दिनांक 12.11.2013 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन एवं सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन याची/प्रतिवादी द्वारा दाखिल दिनांक 9.5.2013 की याचिका खारिज कर दी गयी है, याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 25.8.2003 को प्रत्यर्थी के भाई सपन सामंता द्वारा बेदखली वाद सं॰ 22 वर्ष 2003 दाखिल किया गया था जिसे बाद में बेदखली वाद सं॰ 1 वर्ष 2004 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया था। वर्तमान याची के पति प्रतिवादी ने दिनांक 11.3.2004 को लिखित कथन दाखिल किया था और दिनांक 27.7.2007 को विवाद्यक विरचित किए गए थे। वादी द्वारा दिया गया साक्ष्य दिनांक 14.8.2014 को बंद किया गया था और प्रतिवादी के साक्ष्य की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच एकमात्र प्रत्यर्थी ने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 (2) के अधीन दिनांक 4.6.2004 को आवेदन दाखिल किया जिसे गैर–अभियोजन के कारण दिनांक 27.2.2007 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 24.5.2010 को प्रत्यर्थी/वर्तमान वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 के अधीन द्वितीय आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 1.8.2012 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध, याची डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7259 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आया जिसे दोनों पक्षों को संशोधन आवेदन, यदि आवश्यक हो, दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए दिनांक 17.4.2013 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। बाद में, वर्तमान वादी ने संशोधन आवेदन दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया है किंतु, याची द्वारा दाखिल दिनांक 9.5.2013 का आवेदन दिनांक 8.8.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। याची/प्रतिवादी ने दिनांक 8.8.2013 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल किया, किंतु इसे भी दिनांक 12.11.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची/प्रतिवादी द्वारा इप्सित संशोधन पश्चातवर्ती घटनाक्रम के कारण आवश्यक बन गया था। मूल वादी की मृत्यु के बाद वर्तमान वादी ने लंबित वाद में स्वयं को पक्षकार बनाया जाना इप्सित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी ने दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रतिवादी के पति ने वर्तमान वादी के पति को कुछ भुगतान किया था और वह मनीआर्डर के माध्यम से धन भेज रहा है जिसे लेने से वर्तमान वादी द्वारा इनकार किया गया था। चूँकि, ये घटनाक्रम बेदखली वाद दाखिल करने के बाद के हैं, लिखित कथन में इन तथ्यों को सम्मिलित करना प्रतिवादी के लिए आवश्यक था। पूर्वोक्त तथ्यों के अधीन, यह निवेदन किया गया है कि आदेश VI नियम 17 के परन्तुक में अंतर्विष्ट निर्बंधन वर्तमान मामले में आकृष्ट नहीं होता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए **AIR 2000 SC 614** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है कि यदि संशोधन तत्परतापूर्वक इप्सित एवं अनुज्ञात किया जाता है, यदि यह अन्य पक्षों पर अन्याय कारित नहीं करता है, संशोधन इप्सित करने वाली ऐसी प्रार्थना अनुज्ञात की जानी चाहिए।

5. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन का कोरा परिशीलन उपदर्शित करेगा कि लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा इप्सित संशोधन वर्तमान वादी को किए गए कुछ प्रेषणों से संबंधित है। आगे यह प्रकट है कि याची/प्रतिवादी ने बयान दिया है कि वर्तमान वादी तथा उसकी पत्नी को कतिपय राशि का भुगतान किया गया था और वाद परिसर के विक्रय के लिए समझौता हुआ था। आगे प्रतीत होता है कि अन्य तथ्य जिन्हें लिखित कथन में सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है, वर्ष 1998 से संबंधित हैं और चूँकि वे तथ्य इस प्रकार प्रतिवादी के जानकारी के भीतर थे, फिर भी प्रतिवादी लिखित कथन में उन तथ्यों का प्रकथन करने में विफल रहा, इन्हें अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। याची यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि वे तथ्य प्रतिवादी की जानकारी के अंतर्गत नहीं थे और इसलिए, उन तथ्यों का अभिवचन लिखित कथन में नहीं किया जा सकता था।

6. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. संशोधन से संबंधित विधि सुनिश्चित है। सामान्यत: न्यायालय संशोधन इप्सित करने वाले आवेदन को विनिश्चित करते हुए उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएँगे किंतु यह भी सत्य है कि यदि वाद के पक्ष द्वारा संशोधन इप्सित किया गया है जो वाद की प्रकृति को परिवर्तित कर देगा अथवा जो अनुचित है, ऐसा संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, मैं पाता हूँ कि बेदखली वाद जिसे दिनांक 25.8.2003 को दाखिल किया गया था 11 वर्ष बीतने के बाद भी लंबित है। संशोधन आवेदन दिनांक 9.5.2013 को दाखिल किया गया था अर्थात् वाद दाखिल करने के 10 वर्ष से भी अधिक बाद। वाद मार्च, 2003 से जुलाई, 2003 तक भुगतान के व्यतिक्रम के आधार पर दाखिल किया गया था। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में सम्मिलित किए जाने के लिए इप्सित तथ्य पश्चातवर्ती घटनाक्रम अथवा तथ्य प्रतीत होते हैं जो प्रतिवादी की जानकारी के भीतर थे। यह भी अभिलेख पर है कि इस बीच मूल वादी की मृत्यु हो गयी है। प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी साक्षर है। घटनाओं के विवरण से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 8.8.2013 को संशोधन आवेदन की खारिजी के बाद इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के बजाए याची ने दिनांक 8.8.2013 के आदेश की वापसी इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल किया जिसे दिनांक 12.11.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह कथन करते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इसे विलंबित चरण पर दाखिल किया गया है, किंतु मेरा मत है कि भले ही विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण विधि के संवीक्षण पर खरे नहीं उतर सकते हैं, याची द्वारा दाखिल याचिका सही रूप से खारिज की गयी है। मैं वर्तमान रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 2494 वर्ष 2014 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkkVV] U;k;efr

अमरनाथ महली

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 375 of 2004. Decided on 13th August, 2014.

सनहा पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 1994 से उद्भूत सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लोहरदग्गा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 23 जनवरी, 2004 और दिनांक 24 जनवरी, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—हत्या–दोषसिद्धि–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–अपीलार्थी को स्वयं अपने निवास स्थान पर पाया गया था जब मृतक शोर कर रहा था–अभियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति और एकमात्र परिस्थिति ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध करने में विफल रहा है–अंतिम बार साथ देखा जाना दांडिक विधिशास्त्र के अधीन पर्याप्त नहीं है–''अंतिम बार साथ देखे गए'' के समय की निकटता के अंतर्गत हत्या होनी ही चाहिए–अभिलेख पर मौजूद अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए, जहाँ तक मृत्यु के समय का संबंध है, घोर असंगता है–अभियोजन ''अंतिम बार देखे गए'' सिद्धांत और मृत्यु के समय की निकटता के आधार पर अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है–अपीलार्थी विगत लगभग 12 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में बना हुआ है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 11 से 14)

निर्णयज विधि.–(2009)5 SCC 740; (2012) 7 SCC 646; (2013) 9 SCC 283—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s S.K. Murari, Rohit, For the Appellant; Mr. Sudhanshu Shekhar Choudhary, For the State.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.–यह अपील सनहा पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 1994 से उद्भूत सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लोहरदग्गा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 23 जनवरी, 2004 और दिनांक 24 जनवरी, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 के मूल अभियुक्त सं॰ 1 अर्थात् अमरनाथ महली द्वारा दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी अर्थात् अमरनाथ महली को किसी सुकरा ओराँव की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन भी दंडित किया गया है और पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। किंतु, दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

मामले के तथ्यः

2. अभियोजन के मामले के तथ्य निम्नलिखित हैंः

दिनांक 25.4.1994 को प्रातः 11.55 बजे सूचक विश्वा ओराँव (अ॰ सा॰ 13) ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया कि दिनांक 24.4.1994 (रविवार) की संध्या में सूचक का भाई सुकरा ओराँव अर्रु बाजार से अपने घर लौटा था। कुछ समय बाद ग्राम परही का अमरनाथ महली (अभियुक्त) सूचक के भाई सुकरा ओराँव के पास आया और उसे नदी के किनारे तक छोड़ने के लिए कहा किंतु तत्पश्चात सूचक का भाई अपने घर नहीं लौटा था, अतः सूचक ने सोचा कि उसका भाई कहीं और अतिथि के रूप में रुक गया होगा क्योंकि पहले भी अनेक बार उसका भाई अमरनाथ महली को नदी किनारे तक छोड़ने गया था। आज प्रातः सूचक ने पशु चराते गाँव के लड़कों से सूचना पाया कि सुकरा ओराँव का मृत शरीर गाँव के पश्चिमी भाग में पड़ा है और तब सूचक घटना स्थल पर गया और पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी हथियार से उसके भाई की हत्या कर दी गयी थी।

अभियोजन गवाहों का विवरण:

अभियोजन द्वारा कुल 14 गवाहों का परीक्षण किया गया था:

अ॰ सा॰ 1	सांझो देवी	वह **मृतक सुकरा ओराँव की पत्नी** है और उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तिथि पर सायं 7 बजे उसका पति अमरनाथ महली के साथ गया था और सुबह में उसके पति का मृत शरीर सोमा पाहन के टैंक में पाया गया था।
अ॰ सा॰ 2	सुखराम ओराँव	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतक सुकरा ओराँव को अमरनाथ महली के साथ सायं 7 बजे देखा था और वे दोनों गा रहे थे और कुछ समय बाद उसने सुकरा ओराँव की चीख सुनी थी।
अ॰ सा॰ 3	बिशु ओराँव	पेश किया गया गवाह
अ॰ सा॰ 4	जगरनाथ ओराँव	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर सायं 7 बजे सुखराम ओराँव उसके घर आया और उसको सूचित किया कि उसने मृतक सुकरा ओराँव की चीख सुनी और तत्पश्चात वे सुकरा ओराँव की तलाश में गए किंतु वे उसे नहीं पा सके थे और सुबह में उसने सुकरा ओराँव का मृत शरीर सोमा पाहन के तालाब में पाया।
अ॰ सा॰ 5	डॉ॰ सुनील मिंज	**वह डॉक्टर है जिसने सुकरा ओराँव के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 6	शिव चरण ओराँव	**उसने प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित रक्तरंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची में अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है और प्रदर्श 2/1 के रूप में चिन्हित टांगी की अभिग्रहण सूची में भी अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 7	बिरिया महतो	उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके सामने किसी चीज को जब्त नहीं किया था किंतु तीन पन्नों पर उसका हस्ताक्षर लिया गया था। **उसने प्रदर्शों 2/2 एवं 2/3 के रूप में चिन्हित दो अभिग्रहण सूची में अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 8	गुल्लु ओराँव	उसने पैरा 2 में अभिसाक्ष्य दिया है कि अमरनाथ महली ने उसको बताया कि सुकुरा ओराँव ने उसे पीटा था और उसने इसका प्रतिशोध लिया है।
अ॰ सा॰ 9	बिरी ओराँव	उसने प्रदर्श 2/4 के रूप में चिन्हित रक्तरंजित टांगी की अभिग्रहण सूची में अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।
अ॰ सा॰ 10	जोगिया ओराँव	उसने प्रदर्श 2/5 के रूप में चिन्हित टांगी की अभिग्रहण सूची में अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।
अ॰ सा॰ 11	जितबहन ओराँव	वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है।

अ॰ सा॰ 12	सोमरा भगत	वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है।
अ॰ सा॰ 13	विश्वा ओराँव	वह इस मामले का सूचक और मृतक सुकरा ओराँव का भाई है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक सुकरा ओराँव अमरनाथ महली के साथ गया था और सुबह में सुकरा ओराँव का मृत शरीर पाया गया था।
अ॰ सा॰ 14	जितेन्द्र दूबे (एस॰ आई॰)	**वह इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है। उसने प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित पुलिस के समक्ष सूचक का बयान सिद्ध किया है और प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित दिनांक 25.4.1994 के रक्त रंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है। उसने प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित दिनांक 7.5.1994 के साईकिल की अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है।**

अपीलार्थी की ओर से तर्क:

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य में मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार हैं और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन का मामला ''अंतिम बार साथ देखे गए'' के सिद्धांत पर आधारित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 3 में कथन किया है कि जब वह अपने पति सुकरा ओराँव की तलाश में गयी थी, दिनांक 24 अप्रिल, 1994 की रात के दौरान यह अपीलार्थी घर पर पाया गया था। इसी प्रकार अन्य अभियोजन गवाहों ने भी कथन किया है कि यह अपीलार्थी दिनांक 24 अप्रिल, 1994 की रात्रि के दौरान अपने घर पर था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अभियोजन का मामला यह है कि रात्रि के दौरान हत्या की गयी थी जबकि अ॰ सा॰ 1 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 3 के मुताबिक इस अपीलार्थी को और मृतक को भी अंतिम बार एक साथ के बजाय अलग-अलग देखा गया था। इसी प्रकार से, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 13 के अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 7 के मुताबिक, जो इस मामले का सूचक और मृतक का भाई है, उसने इस अपीलार्थी को मृतक के साथ नहीं देखा है। इस प्रकार, अनेक गवाहों ने कथन किया है कि यह अपीलार्थी और मृतक रात्रि के दौरान साथ नहीं थे। इसके अतिरिक्त, सूचक अ॰ सा॰ 13 अ॰ सा॰ 1 और अ॰ सा॰ 8 के माध्यम से अभियोजन का मामला यह है कि हत्या दिनांक 24 अप्रिल, 1994 की रात्रि के दौरान हुई है और दिनांक 24 अप्रिल, 1994 के सायंकाल के दौरान यह अपीलार्थी और मृतक सुकरा ओराँव साथ थे, किंतु अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ सुनील मिंज जिन्होंने दिनांक 25 अप्रिल, 1994 को सायं 4.30 बजे मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है, द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य को और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 1) को देखते हुए हत्या का समय शव परीक्षण के 30-34 घंटा पहले बताया गया है। इस प्रकार, यदि इस समय का मेल घटना के साथ कराया जाता है, हत्या दिनांक 24 अप्रिल 1994 को प्रातः लगभग 10.30 बजे की गयी होगी। समस्त अभियोजन गवाहों ने विवरण दिया है कि दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को सायंकाल के दौरान इस अपीलार्थी और मृतक को अंतिम बार साथ देखा गया था जबकि चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक हत्या दिनांक 24 अप्रिल, 1994 की शाम के काफी पहले अर्थात् दिनांक 24 अप्रिल 1994

को प्रातः लगभग 10.30 बजे कर दी गयी थी। इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों में अत्यन्त विरोधाभास है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और, इसलिए, सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लोहरदग्गा द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त एवं अभिखंडित किए जाने योग्य है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि उपहतियों की प्रकृति को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि एक से अधिक हथियार का उपयोग किया गया है और दो अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् भुखला ओराँव एवं सुखदेव ओराँव भी थे जिन्हें सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वस्तुतः वर्तमान अपीलार्थी का मामला अ॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 3, अ॰ सा॰ 13 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 7 और अन्य अभियोजन गवाहों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों को देखते हुए बेहतर आधार पर टिका है कि सायंकाल के दौरान वे साथ थे जबकि मृतक की पत्नी कहती है कि रात्रि के दौरान वे अलग थे और मृतक की पत्नी के मुताबिक उन्हें साथ नहीं देखा गया था। अभियोजन कथा के मुताबिक हत्या दिनांक 24/25.4.1994 की रात्रि में हुई थी जबकि अ॰ सा॰ 5 द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक हत्या पहले ही दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को प्रातः लगभग 10.30 बजे की गयी थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और, इसलिए, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यह अपीलार्थी विगत लगभग 12 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में बना हुआ है।

<u>राज्य की ओर से तर्कः–</u>

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलती नहीं किया गया है। अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे सुकरा ओराँव की हत्या का अपराध सिद्ध किया है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी की गयी है और इसी कड़ी की प्रत्येक परिस्थिति को युक्तियुक्त संदेहों के परे पृथक रूप से सिद्ध किया गया है।

7. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि घटना दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को हुई है; प्राथमिकी दिनांक 25 अप्रिल, 1994 को लोहरदग्गा जिला के अंतर्गत सनहा पुलिस थाना में दर्ज की गयी थी और यह अपीलार्थी प्राथमिकी में नामित है। अ॰ सा॰ 1 सांझो देवी जो मृतक सुकरा ओराँव की पत्नी है ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्टतः कथन किया है कि यह अपीलार्थी मृतक के घर आया था और वे दोनों साथ गए थे। मृतक के हाथ में साइकिल भी थी और तत्पश्चात मृतक को नहीं पाया गया था और हत्या सायंकाल में की गयी थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि उसके प्रति परीक्षण के दौरान इस अपीलार्थी के पक्ष में कुछ भी नहीं आ रहा है और इस प्रकार अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत को सिद्ध किया है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 8 और अ॰ सा॰ 13 द्वारा दिया गया है जो इस तथ्य के गवाह है कि इस अपीलार्थी को दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को सायंकाल के दौरान अंतिम बार मृतक के साथ देखा

गया था। उन्होंने **रमेश भाई चंदू भाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य, (2009)5 SCC 740, श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2012)7 SCC 646;** और **रविराला लक्ष्मैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2013)9 SCC 283** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है और पूर्वोक्त निर्णयों के आधार पर निवेदन किया है कि ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जब तुरन्त तत्पश्चात घटना हुई है और अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को इस अपीलार्थी एवं मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने का तथ्य सिद्ध किया है और घटना तत्पश्चात हुई है। अभिलेख पर जब्त वस्तु के साक्ष्य के संपुष्टकारी भाग भी मौजूद है जिसे अ॰ सा॰ 6 द्वारा सिद्ध किया गया है जिसने प्रदर्श 2 के रूप में हथियार (कुल्हाड़ी) जिसकी मदद से अपराध किया गया था की अधिग्रहण सूची को भी सिद्ध किया है। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 7 और अ॰ सा॰ 9 भी अभिग्रहण सूची सिद्ध कर रहे हैं। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 14 ने घटनास्थल, फर्द बयान और अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है। यह निवेदन किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए आधा दर्जन कटे जख्म एवं ऑक्सीपीटल क्षेत्र का फ्रैक्चर भी है। इस प्रकार, इस अपीलार्थी द्वारा निर्मम हत्या की गयी है और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्यों के आधार पर उसे मृतक की हत्या करने के अपराध के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है और इसके लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है, अत:, इस न्यायालय द्वारा इस अपील को ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

कारण:

8. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि घटना दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को हुई थी। अ॰ सा॰ 13 विश्वा ओराँव जो मृतक का भाई है ने दिनांक 25 अप्रिल, 1994 को पुलिस को सूचना दिया है कि पिछले दिन अर्थात् दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को सायंकाल के दौरान यह अपीलार्थी मृतक के घर आया था। यह अपीलार्थी और मृतक अच्छे मित्र थे। सामान्यत: वे साथ मदिरा सेवन भी करते थे और सामान्यत: दोनों दोस्त विशेष नदी तक साथ जाया करते थे। दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को भी यह हुआ था; वे सायंकाल के दौरान नदी तक साथ गए थे और तत्पश्चात हत्या की गयी थी। इस प्रकार, सूचक अ॰ सा॰ 13 द्वारा दिनांक 25 अप्रिल, 1994 को लोहरदग्गा जिला के अंतर्गत सनहा पुलिस थाना में पुलिस को दी गयी इस सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी; अन्वेषण किया गया था; अनेक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे; आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ इसे सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 के रूप में संख्यांकित किया गया था और तत्पश्चात अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 14 द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा की गयी सुकरा ओराँव की हत्या का अपराध सिद्ध किया गया है और, इसलिए, इस अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। इस अपीलार्थी ने साक्ष्य विनष्ट करने का प्रयास भी किया है और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन भी आरोप है और उसे पाँच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंड दिया गया है। किंतु, दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है। सत्र विचारण केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोहरदग्गा द्वारा पारित दोषसिद्धि के इस निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील दाखिल की गयी है।

9. इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 4 और अ॰ सा॰ 13 ''अंतिम बार साथ देखे गए'' के गवाह हैं। अभियोजन का मामला इस ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत पर आधारित है। घटना का चश्मदीद गवाह बिल्कुल नहीं है।

10. अ॰ सा॰ 1 सांझो देवी जो मृतक सुकरा ओराँव की पत्नी है के अभिसाक्ष्य को देखते हुए वह मृतक की निकट संबंधी है और, इसलिए, पूरी चौकसी के साथ उसके अभिसाक्ष्य का परीक्षण करना होगा। अ॰ सा॰ 1 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 3 को देखते हुए, उसने स्पष्टत: कथन किया है कि जब उसका पति सायंकाल के बाद नहीं लौटा था, वह रात्रि के दौरान अपने पति की तलाश में अपीलार्थी के घर गयी थी और इस अपीलार्थी को उसके निवास स्थान पर पाया गया था। इस प्रकार, यह गवाह कहती है कि रात्रि के दौरान इस अपीलार्थी और मृतक को साथ नहीं पाया गया था।

11. अ॰ सा॰ 2 सुखराम ओराँव के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, उसके अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 1 में कथन किया गया है कि उसने मृतक सुकरा ओराँव की चीख सुनी थी और वह एक घंटा बाद दस-बारह लोगों के साथ वहाँ गया था। इस गवाह द्वारा दी गयी कहानी अनधिसंभाव्य है। जब कोई ''बचाओ-बचाओ'' चिल्ला रहा है, सामान्यत: गाँव वाले तुरन्त दौड़ेंगे। अ॰ सा॰ 2 इतना व्यस्त व्यक्ति नहीं है कि वह एक घंटा बाद घटनास्थल पर जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि जब वह इस अपीलार्थी के घर पहुँचा, इस अपीलार्थी को उसके घर पर पाया गया था। इस प्रकार, यह प्रकट है कि यह अपीलार्थी अपने घर पर था और अन्य व्यक्तियों ने भी उसे अपने घर पर देखा था जो अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 1 के मुताबिक है।

12. इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 13 जो मुख्य अभियोजन गवाह है के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 6 और 10 दर्ज कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस गवाह ने पुलिस के समक्ष कभी नहीं कहा है कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष इस तथ्य; जिसका कथन उसने पहली बार न्यायालय के समक्ष किया है जबकि इस गवाह ने अन्वेषण के दौरान न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का कथन नहीं किया है, के बारे में उसका बयान दर्ज किया जा रहा था और यदि उक्त तथ्य का कथन पहली बार किया गया है और जो मामले की जड़ को प्रभावित करता है, तब दांडिक विधिशास्त्र के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के परन्तुक के मुताबिक यह तात्विक सुधार के रूप में जाना जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

13. अ॰ सा॰ 4 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 1 को भी देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी को स्वयं उसके अपने निवास स्थान पर पाया गया था जब मृतक ''बचाओ-बचाओ'' चिल्ला रहा था। इस प्रकार, अभियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति और ''अंतिम बार साथ देखे गए'' परिस्थिति को सिद्ध करने में विफल रहा है। दांडिक विधि शास्त्र के अधीन केवल ''अंतिम बार साथ देखे गए'' पर्याप्त नहीं है।'' अंतिम बार साथ देखे गए'' के समय की निकटता के अंतर्गत हत्या की जानी होगी। अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ सुनील मिंज द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक मृत्यु का समय मृतक के शरीर के शव परीक्षण से 30-34 घंटा है। शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया है। मृतक के शरीर का शव परीक्षण दिनांक 25 अप्रिल, 1994 को सायं 4.30 बजे किया गया था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाह्य उपहितयों को पाया गया था:-

ckå migfr;kW

(1) eLVk;M çkl l d Bhd uhp xnu d ck, Hkkx ij 3" x 1" x 2" dk dVk t[eA

(2) migfr l0 (1) d yxHkx 3" uhp xnu d ck, Hkkx ij yxHkx 2" x 1" x 3" dk dVu dk t[e(xnu d ck, Hkkx ij leLr egRoi.k CyM oly dVk gvkA

(3) nk, efMcy ij yxHkx 2" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA nk, efMcy dk ÝDpjA

(4) nk, dku d VftDl rd tkrk nk, t[e ij yxHkx 3" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[e(nk, ,fDlfy;jh vfLFk dk Vlh ik;k x;k FkkA

(5) nk, dèk d tkM ij yxHkx 3" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA cu d eLrd d chp g;ejl d Åijh Hkkx dk ÝDpj ik;k x;k FkkA nk, Dyfody yVjy vr vkj Ldiyk d Åijh Hkkx dk ÝDpj n[kk x;k FkkA

(6) vkDlhihVy vfLFk {k= d eè; ij yxHkx 3" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA t[e d lcèk e vkDlhihVy vfLFk dk QDpj n[kk x;k FkkA

(7) vkDlhihVy vfLFk d ck, Hkkx ij yxHkx 3" x 1"x vfLFk rd xgjk dVu dk t[e] migfr l0 (5) d 2" ik'oA

mDr leLr migfr;k eR; io çÑfr dh Fkh vkj dM ,o rt inkFk }kjk dkfjr dh x;h FkhA eR; d le; l chrk le; 30-34 ?kVk FkkA

MkDVj d er e] eR; vk?kkr ,o gejt d dkj.k gb FkhA

इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक, मृत्यु का समय 30-34 घंटा था और मृत्यु आघात एवं हेमरेज के कारण हुई थी और यदि समय का मिलान हत्या का समय के साथ किया जाता है, यह दिनांक 24 अप्रिल, 1994 के प्रातः लगभग 10.30 बजे होगा जबकि सूचक अ॰ सा॰ 13 जो मृतक का भाई है के अनुसार और अ॰ सा॰ 1 जो मृतक की पत्नी है के अभिसाक्ष्य के मुताबिक यह अपीलार्थी दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को सायंकाल के दौरान मृतक के घर आया था और तत्पश्चात के साथ गए थे और, तत्पश्चात, हत्या हुई थी। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक दिनांक 24 अप्रिल, 1994 की सुबह 10.30 बजे हत्या होनी चाहिए, जबकि गवाह कह रहे हैं कि दिनांक 24 अप्रिल, 1994 के सायंकाल के दौरान उन्हें (अपीलार्थी एवं मृतक) को साथ पाया गया था। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और अ॰ सा॰ 5 द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए, जहाँ तक मृत्यु के समय का संबंध है, घोर असंगति है क्योंकि गवाह संपूर्ण घटना का विवरण दे रहे हैं जो दिनांक 24 अप्रिल, 1994 के दौरान हुई थी जबकि चिकित्सीय साक्ष्य के मुताबिक हत्या पहले ही दिनांक 24 अप्रिल, 1994 को प्रातः 10.30 बजे की जा चुकी थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

14. इस प्रकार, अभियोजन ''अंतिम बार साथ देखे गए'' सिद्धांत और मृत्यु की निकटता के आधार पर अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। यह अपीलार्थी विगत लगभग 12 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में बना हुआ है। चूँकि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा हत्या के अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है, हम सनहा पी॰ एस॰ केस सं॰ 14 वर्ष 1994 से उद्‌भूत होने वाले सत्र विचारण

केस सं॰ 625 वर्ष 1994 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लोहरदग्गा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 23 जनवरी, 2004 और दिनांक 24 जनवरी, 2004 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश तथा दंडादेश को एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं। अपीलार्थी अर्थात् अमरनाथ महली को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और उसे न्यायिक अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य अपराध में उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तद्नुसार, यह अपील दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 375 वर्ष 2004 अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मो॰ सद्रुल एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2035 of 2013. Decided on 28th August, 2014.

बिहार काश्तकारी जोत (अभिलेखों का रख-रखाव) अधिनियम, 1973—धारा 14—नामांतरण—इनकार—मामला संपत्ति में दावेदार के अभिधान, अधिकार एवं हित का न्याय निर्णयण अंतर्ग्रस्त करता है—किंतु, प्राधिकारी किसी कारण के बिना नामांतरण का आवेदन विनिश्चित करने से इनकार नहीं कर सकते हैं—निर्देशों के साथ याचिका निपटायी गयी।

(पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.—M/s M.K. Habib, Md. Manzoor Ahmed, For the Petitioners; Mr. V.K. Prasad, For the Respondents.

आदेश

जय राज सिंह देव के पक्ष में जमाबन्दी सृजित नहीं करने में अंचलाधिकारी, गम्हरिया की ओर से निष्क्रियता से व्यथित होकर याचीगण जो जय राज सिंह देव के नियत एटार्नी है ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि जय राज सिंह देव भूपेन्द्र नारायण सिंह देव, जिसने सरायकेला संपदा के शासक राजा आदित्य प्रताप सिंह दवे से दिनांक 16.11.1962 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से तीन बीघा माप वाले खाता सं॰ 24 (पुराना), भूखंड सं॰ 1/A एवं 7/A (पुराना) से संबंधित भूमि प्राप्त किया था, का पुत्र है। राजा आदित्य प्रताप सिंह देव के तीन पुत्र थे। जय राज सिंह देव भूपेन्द्र नारायण सिंह देव का पुत्र होने के नाते सरायकेला के राजा का पौत्र है। आरंभ में, भूपेन्द्र नारायण सिंह देव ने नामांतरण केस सं॰ 33 वर्ष 1966-67 के तहत अपने नाम में जमाबंदी के लिए आवेदन दिया किंतु अंचलाधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इस बीच, बिहार काश्तकारी जोत (अभिलेखों का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 प्रवर्तन में आया। सरायकेला के राजा से खरीदे गए 20 बीघा भूमि के संबंध में अनेक कार्यवाही आरंभ की गयी थी और उपन्यायाधीश I, सरायकेला के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 48 वर्ष 1998 दाखिल किया गया था। दिनांक 24.3.2001 के निर्णय के तहत उक्त वाद डिक्री किया गया था जिसमें विद्वान उप न्यायाधीश I ने निम्नलिखित दर्ज किया:—

^^bl d vfrfjDr] vkokl ckM d milfpo vkj e[; uxj ;ktukdkj u 0;oLFkkiu vfèkdkjh d le{k fookfnr Hkfe dk jktk dh futh lifÙk d :i e Lohdkj fd;k Fkk ftl ljk;dyk d jktk u vrfjr fd;k FkkA mu rF;k dk iku d ckn 0;oLFkkiu vfèkdkjh] flgHke u mDr rukt ekey e ljk;dyk d jktk

*l [kjhnkjk dk vfHkèkku ,o dCtk Lohdkj fd;k vkj [kjhnkjk d uke e jktLo vfHky[k e çfof"V dju dk vkn'k fn;kA vr% ;g lLi"V g fd tehUnkjh fufgr fd, tku d ckn dn ljdkj }kjk ljk;dyk d jktk dk vkfnR;ij e jktk d ifjokj d vkoklh; ç;ktu l 30 ch?kk Hkfe nh x;h Fkh vkj ljk;dyk d jktk u bl Lohdkj fd;k vkj ,l0 Mh0 vk0 ljk;dyk u vrr% fookfnr Hk[kM l0 102 d 2 ,dM] 51 fMlfey lfgr 30 ch?kk Hkfe dk lhekfdr fd;k vkj fnukd 30.4.56 d Hkkjr ljdkj i=kd l0 16/3/55 i"B 111 d rgr 30 ch?kk Hkfe nh x;h Fkh vkj jktk mu 30 ch?kk Hkfe ij dkfct g,A***

3. जयराज सिंह देव के पिता की मृत्यु वर्ष 1992 में हो गयी और इस प्रकार वह उत्तराधिकारी बना और उसके दादा, सरायकेला के राजा द्वारा उसके पिता को दान दी गयी संपूर्ण भूमि विरासत में पाया। याचीगण अनेक तिथियों पर अंचलाधिकारी के पास गए और स्मरण पत्र दिया किंतु, तीन बीघा भूमि से गठित भूमि की जमाबंदी के संबंध में, जो मौजा आदित्यपुर, जिला सरायकेला खरसावाँ के नए खाता सं॰ 256, भूखंड सं॰ 243, 245, 246, 253, 255, 256 एवं 257 है आदेश पारित नहीं किया गया है।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 5 की ओर से प्रतिशपथ पत्र यह कथन करते हुए दाखिल किया गया है कि विलय के समय पर सरायकेला के राजा की निजी संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संपत्ति का विनिर्दिष्ट विवरण रिट याचिका में नहीं दिया गया है। इससे इनकार किया गया है कि सरायकेला के राजा के तीन पुत्र थे बल्कि उनके चार पुत्र थे अर्थात् तिकायत नृपेन्द्र नारायण सिंह देव, पतायत भूपेन्द्र नारायण सिंह देव, शुभेन्द्र नारायण सिंह देव और सुधेन्द्र नारायण सिंह देव। आगे यह कथन किया गया है कि दावेदार ने वर्ष 1966-67 के बाद मामले में कोई कदम नहीं उठाया था और यदि दावेदार प्रत्यर्थीगण की ओर से निष्क्रियता के कारण व्यथित था, उसे उच्चतर प्राधिकारी के पास जाना चाहिए था अथवा वाद दाखिल करना चाहिए था जो उसने नहीं किया है। इन आधारों पर रिट याचिका में प्रार्थना का प्रतिरोध किया गया है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि राज्य-प्रत्यर्थीगण मामले में कार्रवाई नहीं करने में न्यायोचित नहीं थे। याचीगण जो जय राज सिंह के अटॉर्नी नियुक्त किए गए हैं, राज्य-प्रत्यर्थीगण की निष्क्रियता से व्यथित होकर इस न्यायालय के पास आये थे। आगे यह निवेदन किया गया है कि राज्य प्रत्यर्थीगण प्रश्नगत संपत्ति में जमाबंदी सृजित करने के लिए आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं।

7. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ प्रसाद ने निवेदन किया है कि याचीगण को नए अधिनियम के निबंधनानुसार आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है और चूँकि ऐसा आवेदन दाखिल नहीं किया गया है, अंचलाधिकारी ने सही प्रकार से इसका संज्ञान नहीं लिया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दावेदार की ओर से निष्क्रियता वर्तमान रिट याचिका में की गयी प्रार्थना संदेहास्पद बनाती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सरायकेला के भूतपूर्व राजा की निजी संपत्ति के रूप में भूमि के 30 बीघा का सीमांकन दावेदार द्वारा इप्सित किए गए नामांतरण से बिल्कुल भिन्न विवाद्यक है।

8. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया है।

9. जैसा ऊपर गौर किया गया है, अभिधान वाद सं॰ 48 वर्ष 1998 में 20 बीघा भूमि, जिसे सरायकेला के राजा से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया था, के अभिधान एवं कब्जा के संबंध में निष्कर्ष

दर्ज किया गया था। जय राज सिंह देव के दावा के आधार पर कि लगभग तीन एकड़ भूमि उसके पिता अर्थात् भूपेन्द्र नारायण सिंह देव के नाम में दिनांक 16.11.1962 को रजिस्टर्ड दान विलेख के तहत अंतरित की गयी थी, जय राज सिंह देव के नियत एटार्नी याचीगण जयराज सिंह देव के नाम में जमाबंदी सृजित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आए हैं। ऐसा निर्देश रिट न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामला प्रश्नगत संपत्ति में दावेदार के अधिकार, अभिधान एवं हित का न्याय निर्णयन अंतर्ग्रस्त करता है। किंतु, प्राधिकारी किसी कारण के बिना नामांतरण का आवेदन विनिश्चित करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दावेदार अर्थात् जयराज सिंह देव की ओर से याचीगण द्वारा पहले ही आवेदन दिया गया है किंतु, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामले के अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता है कि नए अधिनियम के प्रावधान के अधीन ऐसा कोई आवेदन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया है। चाहे जो भी हो, याचीगण समुचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि ऐसा आवेदन दाखिल किया जाता है, मामले में आवश्यक जाँच करने के बाद प्राधिकारी ऐसा आवेदन दाखिल किए जाने से छह माह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप समुचित आदेश पारित करेंगे।

10. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है। परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 631 वर्ष 2014 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ç'kkr dekj] U;k;efr

यतीन्द्र कुमार दास एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Writ Petition (Criminal) No. 126 of 1210. Decided on 19th September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341, 323, 354, 448/34—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धाराएँ 3 (1) (x)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 197—गृह अतिचार एवं शील भंग करने का प्रयास–याचीगण वरिष्ठ वन अधिकारी हैं और वे प्रत्यर्थी को पहले से नहीं जानते थे और उनकी उससे दुश्मनी नहीं थी–उनके पास केवल प्रत्यर्थी को गाली देने एवं उस पर प्रहार करने की दृष्टि से माहिलाँग जाने का अवसर नहीं था–प्राथमिकी में याचीगण के विरुद्ध किया गया अभिकथन बेतुका एवं अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है और कोई विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि याचीगण ने वर्तमान अपराध किया है–याचीगण सरकारी आदेश द्वारा हटाए जाने योग्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के मुताबिक उन्हें केवल सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद अभियोजित किया जा सकता है–सरकार ने याचीगण को अभियोजित नहीं करने एवं मंजूरी प्रदान करने से इनकार करने का निर्णय लिया है–अभिकथित घटना याचीगण के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में हुई थी–याचीगण को अभियोजित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताबिक सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है–न्यायिक दंडाधिकारी ने मंजूरी आदेश की अनुपस्थिति में याची के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया–संज्ञान

आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 का उल्लंघनकारी होने के नाते अवैध है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 12 से 15, 18 से 23)

निर्णयज विधि.–1992 (1) Suppl. SCC 335—Applied; (2001) 6 SCC 704; (2007) 1 SCC 1; (2010) 9 SCC 171; (2012)11 SCC 252; reported in 1987 PLJR 650—Referred; (1998) 5 SCC 749—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s R. Krishna, R.R. Tiwary V.K. Tiwary, For the Petitioners; Sri Deepak Kr. Prasad, For the State; Sri Rahul Kumar, For the Resp. No.4.

प्रशान्त कुमार, न्यायमूर्ति.–यह रिट आवेदन एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ पी॰ एस॰ केस सं॰ 30/09, जी॰ आर॰ 2277/09 के तत्सम, में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 354, 448/34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन दिनांक 6.6.2009 की प्राथमिकी के आधार पर आरंभ की गयी संपूर्ण कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। तब याचीगण ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23.1.2010 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उन्होंने याचीगण के विरुद्ध गैर–जमानती वारन्ट जारी किया।

यह प्रतीत होता है कि याचीगण ने अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 4362 वर्ष 2014 दाखिल किया और प्रार्थना किया कि पूर्वोक्त मामले में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 17.6.2014 के संज्ञान लेने वाले आदेश (परिशिष्ट 19) के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का समुचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना जोड़ कर रिट आवेदन संशोधित किया जाना।

2. पक्षों के परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने के पहले मैं संक्षेप में मामले के तथ्यों का कथन करना समुचित पाता हूँ:–

प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ राँची पी॰ एस॰ केस सं॰ 30/09 (जी॰ आर॰ सं॰ 2277/09 के तत्सम) के तहत उसमें यह अभिकथित करते हुए प्राथमिकी दाखिल किया था कि दिनांक 3.6.2009 को प्रातः 7.30-8.00 बजे के बीच कुछ व्यक्ति अनिल केमिकल्स के परिसर में मार्शल जीप एवं कार में आए और प्रहरी पर प्रहार करना शुरू किया। आगे यह कथन किया गया है कि सूचक को व्यक्तियों जो प्रहरी पर प्रहार कर रहे थे के बारे में जानकारी हुई कि वे यतीन्द्र कुमार दास, डी॰ एफ॰ ओ॰, पूर्वी वन डिविजन (याची सं॰ 1) और फतेश बहादुर सिंह, वन संरक्षक राँची अंचल (याची सं॰ 2) थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि पूर्वोक्त व्यक्तियों ने नागेन्द्र के बारे में पूछा और जब सूचक ने उत्तर दिया कि नागेन्द्र वहाँ नहीं रहता था, उन्होंने उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम रंजीत पासवान प्रकट किया, वे गुस्सा गए और यह कहते हुए कि ''मारो साले को, ये लतखोर जात का है,'' उस पर प्रहार करने लगे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि याची सं॰ 1 घर के अंदर घुसा और सूचक की पत्नी को हरिजन बोल कर उसका अपमान किया। यह भी कथन किया गया है कि याचीगण ने सूचक की पत्नी का शीलभंग किया। यह कथन किया गया है कि हल्ला सुनने के बाद अनेक व्यक्ति आए और तब याची घटनास्थल से चले गए और जाते समय उन्होंने याची की जाति का नाम लेकर उसको गाली दिया। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 354, 448/34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन वर्तमान प्राथमिकी संस्थित की गयी।

3. आरंभ में, ए॰ विजय लक्ष्मी, अपर आरक्षी अधीक्षक, हटिया ने मामले का अन्वेषण किया। बाद में डी॰ एस॰ पी॰, हटिया ने अन्वेषण किया। यह प्रतीत होता है कि उप आरक्षी अधीक्षक ने याचीगण के

विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में तलब दाखिल किया, जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 23.1.2010 के आदेश के तहत जारी किया गया था। यह कथन किया गया है कि गिरफ्तारी वारन्ट जारी किए जाने के बाद मामला समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था और केवल तब याचीगण को जानकारी हुई कि उन्हें वर्तमान मामले में आलिप्त किया गया है।

4. याचीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें मेसर्स सरिता वानियर इंडस्ट्रीज, माहीलाँग के स्वत्वधारी, जिसके विरुद्ध वन विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था, के कहने पर प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा वर्तमान मामले में आलिप्त किया गया है। यह कथन किया गया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने सूचना पाया था कि दिनांक 3.6.2009 को रात्रि लगभग 1.30 बजे नागेन्द्र यादव और अन्य ट्रक पर लकड़ी के कुंदों को ढो रहे थे। उन्होंने उक्त ट्रक का पीछा किया और इसे जब्त कर लिया। आगे यह कथन किया गया है कि जब अधिकारी लकड़ी के कुंदों से लदे ट्रक को ओरमांझी स्थित वन विभाग के कार्यालय में ला रहे थे, उन पर नागेन्द्र यादव, राजू एवं दस अन्य द्वारा हमला किया गया था। यह कथन किया गया है कि वन अधिकारी अर्थात् राकेश कुमार सिंह पर बुरी तरह प्रहार किया गया था और उनके द्वारा उसके सरकारी वाहन (जिप्सी) को नुकसान पहुँचाया गया था। तत्पश्चात् मामला सिकिदिरी पुलिस थाना को रिपोर्ट किया गया था और तद्नुसार नागेन्द्र यादव, राजू एवं अन्य के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 323, 307, 353, 379, 427 और आयुध अधिनियम की धारा 27 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन सिकिदिरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/09 संस्थित किया गया था। यह कथन किया गया है कि याचीगण को जानकारी हुई कि जब्त लकड़ी के कुंदों को मेसर्स सरिता वानियर इंडस्ट्रीज, माहीलाँग के परिसर में उतारा गया था और तब वे अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 3.6.2009 को प्रातः 8.30 बजे सरिता वानियर इंडस्ट्रीज के परिसर में गए और लकड़ी के कुंदों और उक्त उद्योग के रजिस्टरों को जब्त किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया। उक्त अभिग्रहण सूची की प्रति राज किशोर यादव को सौंपी गयी थी जो घटनास्थल पर उपस्थित था। यह कथन किया गया है कि पूर्वोक्त अभिग्रहण सूची दिनांक 3.6.2009 के मेमो सं॰ 50 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को अग्रसारित की गयी थी। आगे यह कथन किया गया है कि उक्त सरिता वानियर इंडस्ट्रीज और अनिल केमिकल्स केवल एक प्रवेश द्वारा वाले एक ही परिसर में अवस्थित है। आगे यह कथन किया गया है कि दोनों उद्योगों के स्वामी राजदेव यादव और दिलीप कुमार अग्रवाल है। यह कथन किया गया है कि अभिग्रहण के बाद राजदेव यादव, दिलीप कुमार अग्रवाल, राज किशोर यादव और नागेन्द्र यादव को परिशिष्ट 3 के तहत वन मामले में अभियुक्त बनाया गया है। यह कथन किया गया है कि पूर्वोक्त वन मामले के कारण सरिता वानियर इंडस्ट्रीज और अनिल केमिकल्स के स्वत्वधारीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 जो उनके कर्मचारी हैं, को निजी दुश्मनी के कारण उनसे प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु के साथ याचीगण के विरुद्ध वर्तमान झूठा मामला दाखिल करने के लिए कहा था। तद्नुसार, दावा किए गए अनुतोष के लिए वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया गया है जैसा कथन ऊपर किया गया है।

5. यह प्रतीत होता है कि इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया था कि अन्वेषण अधिकारी ने याचीगण को अभियोजित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था क्योंकि वे सरकारी सेवक हैं। पूर्वोक्त सूचना की दृष्टि में इस न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक तथा मंजूरी देनेवाले प्राधिकारी से इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात, दिनांक 13.4.2014 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तब जे॰ एम॰, प्रथम श्रेणी, राँची ने दिनांक 17.6.2014 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया था। यह प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार ने दिनांक 20.6.2014 के मेमो सं॰ 2851 के तहत याचीगण को अभियोजित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने मंजूरी आदेश की अनुपस्थिति में याचीगण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया।

तद्नुसार, याचीगण ने दिनांक 17.6.2014 के आदेश, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची ने याचीगण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया, के अभिखंडन के लिए अतिरिक्त प्रार्थना करते हुए रिट आवेदन के संशोधन के लिए अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 4362/2014 दाखिल किया।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर॰ कृष्णा द्वारा निवेदन किया गया है कि याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही असद्भावपूर्ण है और उनके विरुद्ध प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु की दृष्टि से संस्थित किया गया है क्योंकि उन्होंने सरिता वानियर इंडस्ट्रीज माहीलाँग के स्वत्वधारी के विरुद्ध वन मामला संस्थित किया है। यह निवेदन किया गया है कि सरिता वानियर इंडस्ट्रीज एवं अनिल केमिकल्स राजदेव यादव एवं दिलीप कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाले सिस्टर प्रतिष्ठान हैं। यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी सं॰ 4 अनिल केमिकल्स का कर्मचारी है। इस प्रकार उसे याचीगण को गलत रूप से आलिप्त करने के लिए राजदेव यादव एवं दिलीप कुमार अग्रवाल को खड़ा किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण वन विभाग के क्लास 1 अधिकारी हैं। प्रासंगिक समय पर याची सं॰ 1 को डी॰ एफ॰ ओ॰ (पूर्व), वन डिविजन, राँची के रूप में पदस्थापित किया गया था जबकि याची सं॰ 2 वन संरक्षक, क्षेत्रीय अंचल, राँची है। उनकी प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विरुद्ध दुश्मनी नहीं थी और न ही वे उसे पहले से व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उक्त परिस्थिति के अधीन उनके पास प्रत्यर्थी सं॰ 4 और उसके परिवार के सदस्यों पर प्रहार करने और उनको गाली देने के लिए राँची से माहीलाँग जाने का अवसर नहीं था। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी में किए गए अभिकथन इतने बेतुके एवं अनधिसंभाव्य हैं कि कोई विवेकशील व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि याचीगण ने वर्तमान अपराध किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से दोनों याचीगण सरकारी सेवक हैं जो राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने योग्य हैं, इस प्रकार उन्हें राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार ने याचीगण को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं दिया है। उक्त परिस्थिति के अधीन, संज्ञान आदेश और परिणामस्वरुप संपूर्ण दांडिक कार्यवाही विधि में दोषपूर्ण है और, इसलिए, अभिखंडित किए जाने की दायी है। इस संबंध में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 (1) Suppl. SCC 335,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार ने निवेदन किया कि यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि यदि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनाया जाता है, तब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के प्रावधानों का सहारा लेकर दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है।

8. यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याचीगण के विरुद्ध समस्त अपराध बनते हैं। इस प्रकार, इस न्यायालय के पास वर्तमान दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं है। उन्होंने तब निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 और/अथवा उसकी पत्नी सिकिदिरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/09 में अथवा अधिग्रहण के बाद दर्ज वन मामले में अभियुक्त नहीं है। इस प्रकार, उनकी याचीगण से उनको झूठा फँसाने के लिए दुश्मनी अथवा हित नहीं है। तब यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान अपराध याचीगण के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिला को गाली देने, उस पर प्रहार करना और उसका शील भंग करना याचीगण के आधिकारिक कर्तव्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अत:, याचीगण को अभियोजित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के अधीन पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अनेक निर्णयों पर अर्थात् **पी॰ के॰ प्रधान बनाम सिक्किम राज्य, (2001)6 SCC 704; प्रकाश सिंह बादल एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2007)1 SCC 1; विरेन्दर प्रसाद सिंह बनाम राजेश भारद्वाज**

उवं अन्य, (2010)9 SCC 171 और **ओम कुमार धनकर बाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य, (2012)11 SCC 25**2 पर विश्वास किया है।

9. प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि **रमेश कुमार रवि बनाम बिहार राज्य,** 1987 PLJR 650, में माननीय पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय की दृष्टि में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पारित दांडिक न्यायालय का आदेश उत्प्रेषण रिट जारी करके अभिखंडित नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश को केवल अपील द्वारा अथवा विधि के अधीन प्रावधानित प्रावधान द्वारा चुनौती दी जा सकती है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि याचीगण द्वारा दाखिल संशोधन याचिका अभिखंडित किए जाने की दायी है क्योंकि संज्ञान आदेश को रिट अधिकारिता में चुनौती नहीं दिया जा सकता है।

10. श्री दीपक कुमार प्रसाद, जी॰ पी॰ III के जी॰ सी॰ ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार द्वारा किए गए निवेदनों को अपनाया है और निवेदन किया है कि वर्तमान रिट आवेदन खारिज किए जाने की दायी है।

11. निवेदनों को सुनने पर, मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

स्वीकृत रूप से, इस मामले के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 13.6.2014 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और उक्त आरोप-पत्र के आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची ने दिनांक 17.6.2014 के आदेश के तहत संज्ञान लिया। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से दाखिल यह कथन करने वाले पूरक प्रतिशपथ पत्र से आगे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने याचीगण के अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं दिया है। चूँकि पूर्वोक्त घटनाक्रम इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान हुआ और याचीगण ने संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती देते हुए रिट आवेदन के संशोधन के लिए आवेदन दाखिल किया, मैं अंतर्वर्ती आवेदन (आई॰ ए॰ सं॰ 4362/2014) को अनुज्ञात करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उक्त अंतर्वर्ती आवेदन इस रिट आवेदन के भाग के रूप में माना जाएगा।

12. परिशिष्ट 2 के परिशीलन से मैं पाता हूँ कि सिकिदिरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/09 दिनांक 3.6.2009 में नागेन्द्र यादव, राजू एवं दस अन्य को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 323, 307, 353, 379, 427; आयुध अधिनियम की धारा 27 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन दोषारोपित किया गया है। उक्त प्राथमिकी में यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तगण ने वन अधिकारियों को बीच रास्ते में रोका था जब वे लकड़ी के कुंदों से लदे ट्रक को वन विभाग के कार्यालय में ला रहे थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि उन्होंने वन अधिकारियों पर प्रहार किया और उनके वाहन (जिप्सी) को नुकसान पहुँचाया और तब जब्त लकड़ी के कुंदों को ले गए। परिशिष्ट 3 श्रृंखला से आगे प्रतीत होता है कि याचीगण जो वरिष्ठ वन अधिकारी हैं को जानकारी हुई कि अभियुक्तगण ने सरिता वानियर इंडस्ट्रीज माहीलाँग के परिसर में लकड़ी के कुंदों को उतारा था। उक्त सूचना पर उन्होंने पूर्वोक्त सरिता वानियर इंडस्ट्रीज के परिसर पर छापा मारा और लकड़ी के कुंदों को जब्त किया और अधिग्रहण सूची तैयार किया। तत्पश्चात, सरिता वानियर इंडस्ट्रीज, माहीलाँग और अनिल केमिकल्स के स्वत्वधारियों अर्थात् राजदेव यादव और दिलीप कुमार अग्रवाल को अभियुक्त बनाया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि सरिता वानियर इंडस्ट्रीज, माहीलाँग और अनिल केमिकल्स एक ही परिसर में स्थित हैं। परिशिष्ट 7 दर्शाता है कि अनिल केमिकल्स इंटरप्राइजेज का स्वामी दिलीप कुमार अग्रवाल है जबकि परिशिष्ट 8 से यह प्रतीत होता है कि सरिता वानियर इंडस्ट्रीज, माहीलाँग राजदेव यादव और दिलीप कुमार अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व में हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ राँची पी॰ एस॰ केस सं॰ 30/09 का सूचक रंजीत पासवान स्वीकार करता है कि वह अनिल केमिकल्स का कर्मचारी है। उक्त परिस्थिति के अधीन, यह प्रतीत होता है कि सिकिदिरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/09 और भारतीय वन

अधिनियम के अधीन मामले के संस्थापन के बाद सरिता वानियर इंडस्ट्रीज के स्वत्वधारी ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 को याचीगण के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए खड़ा किया है क्योंकि याचीगण छापा मारने के लिए सरिता वानियर इंडस्ट्रीज और अनिल केमिकल्स के संयुक्त परिसर में गए थे। यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 याचीगण को पहले से नहीं जानता था। आगे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला सिकिदिरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/09 को दर्ज करने के तीन दिन बाद दिनांक 6.6.2009 को दर्ज किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि याचीगण ने अभिग्रहण सूची को दिनांक 3.6.2009 को ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में भेजा और विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से सॉ मिल्स के स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उक्त परिस्थिति के अधीन, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 जो अभियुक्त राजदेव यादव और दिलीप कुमार अग्रवाल का कर्मचारी है को याचीगण के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए इस मामले को दाखिल करने के लिए खड़ा किया गया है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले (ऊपर)** में पैराग्राफ 102 पर निम्नलिखित सात मापदंडों को अधिकथित किया है जिन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्विष्ट शक्ति के प्रयोग में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है:–

"(1) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk mud vfdr eY; ij fy;k tkrk g vkj mudh li.krk e Lohdkj fd;k tkrk g] o çFke n"V;k dkb vijkèk xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(2) tgk çkFkfedh d lkFk lyXu çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku vkj vU; lkefx;k lfgrk dh èkkjk 155(2) d dk;{k= d vrxr nMkfèkdkjh d vkn'k d vèkhu d flok, lfgrk dh èkkjk 156(1) d vèkhu ifyl vfèkdkfj;k }kjk fd, x, vUo"k.k dk U;k;kfpr Bgjkr g, lK; vijkèk çdV ugh djr gA

(3) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, v[kfMr vfHkdFku vkj bud leFku e lxfgr fd, x, lk{; fdlh vijkèk dh dkfjrk çdV ugh djr g vkj vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(4) tgk çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku lK; vijkèk xfBr ugh djr g cfYd doy vlK; vijkèk xfBr djr g] nMkfèkdkjh d vkn'k d fcuk ifyl vfèkdkjh dk vUo"k.k dju dh vuefr ugh g tlk lfgrk dh èkkjk 155(2) d vèkhu vuè;kr fd;k x;k gA

(5) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku bru crd vkj vrfufgr :i l vufèklHkk0; g fd dkb food'khy 0;fDr bl U;k;kfpr fu"d"k ij ugh vk ldrk g fd vfHk;Dr d fo#) dk;okgh d fy, i;kIr vkèkkj gA

(6) tgk dk;okgh d lLFkkiu ,o bldk tkjh j[ku d çfr vkj@vFkok tgk 0;fFkr i{k dh f'kdk;r dk çHkkodkjh çfrrk"k.k çkoèkkfur dju okyh lfgrk vFkok lcfèkr vfèkfu;e e fofufn"V çkoèkku g] lfgrk vFkok lcfèkr vfèkfu;e (ftld vèkhu nkfMd dk;okgh lfLFkr dh x;h g) d çkoèkkuk e l fdlh e çfr"Bkfir vfHk0;Dr fofèkd otuk gA

*(7) tgk nkfMd dk;okgh Li"V :i l vlnHkkoi.k g vkj@vFkok tgk dk;okgh vfHk;Dr l çfr'kkèk yu vkj futh n'euh d dkj.k mldk vieku dju d nf"V d vrjLFk gr d lkFk }"kiod lfLFkr dh x;h gA***

14. ऊपर के पैराग्राफ में मेरे द्वारा पहुँचे गए निष्कर्षों की दृष्टि में वर्तमान मामला **भजन लाल मामले** के मापदंड सं॰ 7 की चारदीवारी के अंतर्गत आता है।

15. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचीगण वरिष्ठ वन अधिकारी हैं और वे प्रत्यर्थी सं॰ 4 को पहले से नहीं जानते थे और उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उक्त परिस्थिति के अधीन, उनके पास केवल प्रत्यर्थी सं॰ 4 को गाली देने एवं उस पर प्रहार करने की दृष्टि से माहीलाँग जाने का अवसर नहीं है। इस प्रकार, प्राथमिकी में याचीगण के विरुद्ध किया गया अभिकथन बेतुका एवं अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है और कोई विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि याचीगण ने वर्तमान अपराध किया है। इस प्रकार, मेरी दृष्टि में, याचीगण का मामला **भजनलाल मामले (ऊपर)** के मापदंड सं॰ 5 द्वारा भी पूरी तरह आच्छादित है।

16. प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान का प्रतिवाद कि **रमेश कुमार रवि बनाम बिहार राज्य मामले (ऊपर)** में पटना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय की दृष्टि में संज्ञान लेने वाले आदेश को रिट अधिकारिता में चुनौती नहीं दी जा सकती है, विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

17. पेप्सी फूड्स लि॰ एवं एक अन्य बनाम विशेष न्यायिक दंडाधिकारी एवं अन्य, (1998)5 SCC 749, में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नाम पद्धति जिसमें याचिका दाखिल की गयी है प्रासंगिक नहीं है और वह न्यायालय को अपनी अधिकारिता जिसे यह अन्यथा रखता है का प्रयोग करने से अपवर्जित नहीं करती है। यदि किसी मामले में न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी भारत के संविधान के अुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का अवलंब नहीं ले सकता है, तब न्यायालय निश्चय ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन याचिका के रूप में इसे ग्रहण कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में माननीय पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण पीठ का निर्णय प्रत्यर्थी सं॰ 4 की मदद नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, **भजन लाल मामले (ऊपर)** सहित अनेक मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में दांडिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और/अथवा न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अभिखंडित की जा सकती है।

18. जैसा ऊपर गौर किया गया है, वर्तमान मामले में दोनों याचीगण वन अधिकारी हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि याचीगण को अभियोजित करने के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है क्योंकि अभियुक्तगण सरकारी सेवक हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रतिशपथ पत्र में यह कथन भी किया गया है कि उन्होंने मंजूरी आदेश के लिए आवेदन दिया था ताकि याचीगण को अभियोजित किया जा सके। दिनांक 31.7.2014 के पूरक प्रतिशपथ पत्र में झारखंड राज्य ने कथन किया कि दिनांक 20.6.2014 के मेमो सं॰ 2851 के तहत इसने याचीगण को अभियोजित नहीं करने का निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में, इसने याचीगण को अभियोजित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने से इनकार कर दिया।

19. जैसा ऊपर गौर किया गया है, याचीगण सरकारी आदेश से हटाए जाने योग्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं और, इसलिए, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के मुताबिक उन्हें केवल सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद अभियोजित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में सरकार ने याचीगण को अभियोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, दिनांक 17.6.2014 का आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 का उल्लंघनकारी होने के नाते संपोषित नहीं किया जा सकता है।

20. प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि संज्ञान का आदेश अभिखंडित करने के पहले न्यायालय के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में अपराध किया है। कृत्य एवं आधिकारिक कर्तव्य के बीच युक्तियुक्त संबंध होना

होगा। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी के परिशीलन से यह प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण/याचीगण अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में प्रत्यर्थी सं॰ 4 के घर गए थे और इसलिए यहाँ ऊपर निर्दिष्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों की दृष्टि में याचीगण को अभियोजित करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता का पूर्वोक्त निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. वर्तमान मामले में, परिशिष्ट-2 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि नागेन्द्र यादव वन मामले में अभियुक्त है। परिशिष्ट-3 श्रृंखला आगे दर्शाता है कि याचीगण सरिता वानियर इंडस्ट्रीज और अनिल केमिकल्स के संयुक्त परिसर में तलाशी लेने और छापा मारने गए थे। यह भी स्वीकृत अवस्था है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 अनिल केमिकल्स का कर्मचारी है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने प्राथमिकी में यह कथन भी किया है कि जब याचीगण परिसर पहुँचे, उन्होंने नागेन्द्र यादव के बारे में पूछा। उक्त परिस्थिति के अधीन, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 स्वीकार करता है कि याचीगण अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में सरिता वानियर इंडस्ट्रीज और अनिल केमिकल्स के संयुक्त परिसर में गए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभिकथित घटना याचीगण के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में हुई। इसलिए, मेरा दृष्टिकोण है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताबिक याचीगण को अभियोजित करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। चूँकि, इस मामले में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने मंजूरी आदेश की अनुपस्थिति में याचीगण के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया है, अतः, मेरा दृष्टिकोण है कि संज्ञान का आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 197 का उल्लंघनकारी होने के नाते अवैध है।

22. यहाँ ऊपर पहुँचे गए निष्कर्षों की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि दिनांक 6.6.2009 के एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ राँची पी॰ एस॰ केस सं॰ 30/09, जी॰ आर॰ सं॰ 2277/2009 के तत्सम, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अवैध है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

23. तद्नुसार, मैं इस रिट आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ और एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ राँची पी॰ एस॰ केस सं॰ 30/09, जी॰ आर॰ सं॰ 2277/2009 के तत्सम, की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही, जो न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित करता हूँ।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 5225 of 2014. Decided on 26th September, 2014.

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 8 (3)—खनिज रियायत नियमावली, 1960—नियम 24A (6)—खनन पट्टा का गैर-नवीकरण—नोआमुंडी खानों में लौह अयस्क का खनन रोकने का निर्देश—खानों के बंद होने के कारण याची कंपनी के उत्पादन का एकाएक गिरने का रिपोर्ट—झारखंड राज्य को खनन पट्टा का नवीकरण इप्सित करने वाले याची कंपनी के आवेदन पर तुरन्त निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.—M/s Binod Kanth, Gopal Jain, Nandini Gore, Indrajit Sinha, Ganesh Pathak, For the Petitioner; M/s Rajesh Shankar, Abhay Prakash, For the Resp.-State.

आदेश

माननीय खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका उल्लिखित किए जाने पर इसे आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

2. दिनांक 3/4.9.2014 के पत्र से व्यथित होकर, जिसके द्वारा याची कंपनी को खनन रोकने का निर्देश दिया गया है, यह वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची का प्रतिनिधित्व विद्वान वरीय अधिवक्ताओं श्री विनोद कंठ एवं श्री गोपाल जैन द्वारा किया गया है जिनकी सहायता अधिवक्ताओं सुश्री नंदिनी गोरे, श्री इंद्रजीत सिन्हा एवं श्री गणेश पाठक ने किया है। प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री अभय प्रकाश की सहायता से श्री राजेश शंकर, जी॰ ए॰ द्वारा किया गया है।

4. याची कंपनी के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नोआमुंडी खानों के संबंध में खनन पट्टा याची कंपनी को काफी पहले वर्ष 1922 में 30 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था जिसे वर्ष 1952 में नवीकृत किया गया था। बाद में, नोआमुंडी खानों के लिए खनन पट्टा वर्ष 1981 में पुनः नवीकृत किया गया था और यह वर्ष 2011 में आगे नवीकरण के लिए देय था। खनन पट्टा के अवसान के एक वर्ष से अधिक पहले याची कंपनी ने दिनांक 17.12.2009 को खनन पट्टा के नवीकरण के प्रदान के लिए आवेदन दिया था। इस बीच, भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट भी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गयी थी और राज्य सरकार ने स्वयं यह मत देते हुए कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) में अंतर्विष्ट शर्त याची कंपनी के मामले में शिथिल की जा सकती है, स्वयं अपनी संसूचना/अनुशंसा को अनदेखा करते हुए राज्य सरकार ने याची कंपनी को नोआमुंडी में लौह अयस्क का खनन तुरन्त रोकने का निर्देश देते हुए आक्षेपित पत्र जारी किया है। यह निवेदन किया गया है कि उक्त रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता थी। दिनांक 17.12.2009 का आवेदन दाखिल किए जाने के बाद पाँच वर्ष से अधिक तक राज्य सरकार द्वारा याची कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा का नवीकरण करने का निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 3/4.9.2014 की संसूचना जारी करने में प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई अवैध, मनमानी और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के विपरीत है।

5. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश शंकर ने निवेदन किया है कि **''गोवा फाउन्डेशन बनाम भारत संघ'', [डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 435 वर्ष 2012]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 24A (6) में संशोधन की दृष्टि में राज्य सरकार उन मामलों में, जिनमें अनुज्ञप्तिधारी द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती नवीकरण के डीम्ह विस्तारण के प्रावधान के लाभ का दावा कर रहे थे, आवश्यक आदेशों को पारित करने के कर्तव्य के अधीन थी।

6. उत्तर में, याची कंपनी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **''कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य'', (डब्ल्यू॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 114 वर्ष 2014)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 435 वर्ष 2012 में पारित आदेश पर विचार किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षित किया गया था कि राज्य सरकार को खनन पट्टा का नवीकरण इप्सित करने वाले आवेदनों पर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। याची कंपनी के लिए उपस्थित विद्वान

वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 को दिनांक 20.8.2014 की संसूचना और किसी अन्य सामग्री जिसे याची कंपनी प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है सहित अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों को विचार में लेना चाहिए।

7. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से यह प्रकट है कि यद्यपि याची कंपनी ने नोआमुंडी खानों के लिए खनन पट्टा का नवीकरण इप्सित करते हुए दिनांक 17.12.2009 को आवेदन दिया था, राज्य सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से निष्क्रियता याची कंपनी के खानों को बंद होने की ओर ले गयी जहाँ से याची कंपनी लगभग 60% लौह अयस्क प्राप्त करती है। यह निवेदन किया गया है कि याची कंपनी का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन है और दिनांक 3/4.9.2014 के आदेश का प्रभाव याची कंपनी के उत्पादन का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना है।

8. परस्पर विरोधी निवेदनों की दृष्टि में, मैं महसूस करता हूँ कि राज्य सरकार को खनन पट्टा का नवीकरण इप्सित करने वाले आवेदन पर तुरन्त निर्णय लेना चाहिए। दिनांक 20.8.2014 की संसूचना और किसी अन्य सामग्री जिसे याची कंपनी प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है सहित इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों पर विचार करके प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा तुरन्त निर्णय लिया जाए। तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं॰ 1 को दिनांक 6.10.2014 को अथवा इसके पहले नोआमुंडी खानों के लिए खनन पट्टा के नवीकरण के लिए याची कंपनी के आवेदन पर निर्णय लेने और इसे दिनांक 9.10.2014 को अथवा इसके पहले इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे समय का विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा और मामले को पहले से ही अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा। पक्षों को अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

9. ''अंतिम निस्तारण के लिए'' शीर्षक के अधीन मामले को दिनांक 9.10.2014 को रखा जाए।

10. इस आदेश की प्रति पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

कृष्णा सिंह

cuke

झारखंड राज्य

W.P. (Cr.) No. 104 of 2014. Decided on 19th September 2014.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 414—झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004—नियम 4, 12 एवं 54—सामान्य खंड अधिनियम, 1897—धारा 26—बालू का अवैध खनन–दोषसिद्धि–वैध परमिट अथवा दस्तावेज के बिना ट्रकों पर बालू का परिवहन किया गया था–याची खनन काम से संबंधित नहीं है और वह नियमावली के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अथवा परिवाहक नहीं है–चालकों जिन्हें बालू से लदे ट्रक वाहन के साथ पकड़ा गया था ने स्वीकार किया है कि वे ट्रक स्वामियों के अनुदेश पर दस्तावेज के बिना बालू का परिवहन करते थे–वर्तमान मामले में याची अथवा अभियुक्त के रूप में अभियोजित व्यक्ति दोनों अपराधों अर्थात् नियमावली, 2004 के नियम 54 और भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन दंडनीय

अपराध के लिए अभियोजित किए जाने के दायी नहीं है–संग्रहित तथ्य एवं साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन अपराध गठित करते हैं जो संज्ञेय अपराध है और पुलिस को मामला दर्ज करने से और मामले का अन्वेषण करने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–2012 (2) JCR 425 (Jhr.); W.P. (Cr.) No. 184 of 2010—Applied; 2013 JCR (2) 275 (Jhr.); 2009 (1) JCR 702 (Jhr.); 2009(4) JCR 303 (Jhr.); 2013 (1) JCR 535 (Jhr.); (2011) (1) SCC 534)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tewari, For the Petitioner; Mr. Vijayant Verma, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह रिट याचिका (दांडिक) भारतीय दंड संहिता की धारा 414 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 (इसमें इसके बाद संक्षेप में ''नियमावली 2004' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 4, 12 एवं 54 के अधीन दर्ज तातीसिल्वे पी॰ एस॰ केस सं॰ 5 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ केस सं॰ 468 वर्ष 2014 के तत्सम, से उद्भूत होने वाली प्राथमिकी एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

2. संक्षेप में, तथ्य ये हैं कि इस गुप्त सूचना को प्राप्त करने पर कि बालू का अवैध खनन एवं परिवहन चल रहा है, सूचक के नेतृत्व में पुलिस दल ने तातीसिल्वे पी॰ एस॰ के अंतर्गत बैंक मोड़ रोड पर निगरानी किया। वाहनों की जाँच के क्रम में रजिस्ट्रेशन सं॰ BR14-0092 और JHOIU-3374 वाले बालू से लदे ट्रकों को पकड़ा गया था। पूर्वोक्त ट्रकों के चालकों को बालू के परिवहन के विरुद्ध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था किंतु वे ऐसा करने में विफल रहे और स्वीकार किया कि ट्रकों के स्वामी के अनुदेश पर उन ट्रकों पर बालू का परिवहन किया जा रहा है। रिट याची BR 14-0092 ट्रक का स्वामी है। दोनों चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में भी विफल रहे और कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस ट्रक स्वामी के पास जमा किया गया है। चूँकि बालू के परिवहन के विरुद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, सूचक जो तांतीसिल्वे पुलिस थाना का प्रभारी-अधिकारी है ने अपना स्व-बयान दर्ज किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 414 और नियमावली, 2004 की धाराओं 4, 12 एवं 54 के अधीन दिनांक 24.1.2014 का राँची सदर ताती सिल्वे पी॰ एस॰ केस सं॰ 5 दर्ज किया और सब-इंस्पेक्टर बालेश्वर प्रसाद को अन्वेषण सौंपा गया था।

3. यह प्रतिवाद किया गया है कि नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अधीन दंडनीय मामला संस्थित करने का प्राधिकार पुलिस थाना के प्रभारी-अधिकारी को नहीं है। केवल उक्त नियमावली, 2004 के नियम 57 के अधीन उपदर्शित प्राधिकृत व्यक्ति पुलिस के समक्ष सूचना दर्ज करने के लिए अथवा संज्ञान लेने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष लिखित में परिवाद दाखिल करने के लिए सशक्त बनाया गया है। जहाँ विशेष विधि प्रयोज्य है, भारतीय दंड संहिता के सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, याची रजिस्ट्रेशन सं॰ BR14-0092 वाले ट्रक का स्वामी है और इसकी जब्ती के समय वह इसे ट्रक पर नहीं रखे हुए था। केवल इसलिए कि वह उक्त ट्रक का स्वामी है, उसे अभियुक्त बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **2013 JCR (2) 275 (Jhr.)1 2009 (1) JCR 702 (Jhr.); 2009 (4) JCR 303 (Jhr.); 2013 (1) JCR 535 (Jhr.)** में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके प्रतिवाद किया है कि अन्वेषण के क्रम में और पर्यवेक्षण नोट में घटना सत्य पायी गयी है। याची के ट्रक का उपयोग बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के लिए किया जा रहा है। यह निवेदन किया गया था कि याची अन्वेषण में सहयोग करने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के बजाए फरार है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **2012 (2) JCR**

425 (Jhr.) में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की कारिता रोकने का प्रत्येक अधिकार है। यदि यह पाया जाता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है, पुलिस को मामला संस्थित करने एवं मामले का अन्वेषण करने का प्रत्येक अधिकार है।

5. मैंने मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री एवं विधि के प्रासंगिक प्रावधानों का परिशीलन किया है। निश्चय ही नियमावली 2004 का नियम 57 पुलिस अधिकारी नियमावली, 2004 के नियम 54 के अधीन दंडनीय मामला संस्थित करने के लिए सशक्त नहीं है। जहाँ तक नियम 4 एवं 12 का संबंध है, कोई दंड प्रावधानित नहीं किया गया है बल्कि पुलिस ने यह उपदर्शित करने के प्रयोजन से इन धाराओं को अंत: स्थापित किया है कि नियम 4 एवं 12 का उल्लंघन किया गया है और उन नियमों का उल्लंघन नियमावली, 2004 के नियम 54 के अधीन दंडनीय अपराध गठित करता है।

6. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए। यह प्रकट और स्वीकृत स्थिति है कि वैध परमिट अथवा दस्तावेज के बिना उन ट्रकों पर बालू का परिवहन किया गया था। याची खनन काम से जुड़ा नहीं है और वह नियमावली के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अथवा परिवाहक नहीं है। चालकों जिन्हें बालू से लदे ट्रक के साथ पकड़ा गया था ने स्वीकार किया है कि वे ट्रकों के स्वामी के अनुदेश पर बालू का परिवहन करते थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि याची अथवा वर्तमान मामले में अभियुक्त के रूप में अभियोजित व्यक्ति दोनों अपराधों अर्थात् नियमावली, 2004 के नियम 54 और भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजित किए जाने के दायी नहीं हैं। इस संदर्भ में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 अत्यन्त स्पष्ट है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"26. **nk ;k vfèkd vfèkfu;fefr;k d vèkhu n.Muh; vijkèkk d ckj e micUèk**–& tgk fd dkb dk; ;k yki nk ;k vfèkd vfèkfu;fefr;k d vèkhu dkb vijkèk xfBr djrk g ogk vijkèkh mu nkuk vfèkfu;fefr;k d ;k mue l fdlh Hkh vèkhu vfHk;kftr vkj nf.Mr fd, tku d nkf;Ro d vèkhu gkxk fdUr mlh vijkèk d fy, nk ckj nf.Mr fd, tku d nkf;Ro d vèkhu ugh gkxkA***

यहाँ वर्तमान मामले में संग्रहित तथ्य एवं साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन अपराध गठित करते हैं जो संज्ञेय अपराध हैं और इसलिए, पुलिस को मामला दर्ज करने से और मामले को अन्वेषण करने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में उपलब्ध स्थिति और रिट याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर **मनोज अग्रवाल बनाम झारखंड राज्य, 2012 (2) JCR 425 (Jhr.)** में निर्णय और **डब्ल्यू॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 184 वर्ष 2010 (योगेन्द्र बरायक बनाम झारखंड राज्य)** में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.8.2014 के निर्णय में अच्छी तरह चर्चा की गयी है। **योगेन्द्र बरायक (ऊपर)** मामले में विस्तृत चर्चा की गयी है और **भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स मामले, 2011 (1) SCC 534** में निर्णय के निष्कर्षों पर विश्वास किया गया है। चूँकि रिट याची द्वारा उठाया गया विवाद्यक **मनोज अग्रवाल (ऊपर)** एवं **योगेन्द्र बरायक (ऊपर)** में दिए गए निर्णयों द्वारा पूरी तरह आच्छादित है, मैं इस याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और इसे खारिज किया जाता है। किंतु, यदि रिट याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, संज्ञान लेने वाला न्यायालय **मनोज अग्रवाल (ऊपर)** में निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर विचार करेगा।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

बाबूराम किस्कू एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1338 of 2005. Decided on 3rd September, 2014.

सत्र केस सं॰ 208 वर्ष 2002 में श्री अशोक कुमार चांद, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 21.7.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307—हत्या–हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि–डॉक्टर जिसने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया, का अभियोज द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है–यदि अ॰ सा॰ 3 के घटना स्थल से जाने के बाद अभियुक्तगण मृतक पर प्रहार करते रहे, डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर और भी अधिक उपहतियों को पाया होता जो वहाँ नहीं हैं–यह सुझाता है कि वे सही चित्र नहीं दे रहे हैं–यह संप्रेक्षण इस तथ्य से मजबूती पाता है कि अपीलार्थी और उसके पति ने अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के मुताबिक, सूचक द्वारा मामला दर्ज किए जाने के पहले मृतक के विरुद्ध मामला दर्ज किया था–अ॰ सा॰ 3 और अ॰ सा॰ 6 का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य कि इस अपीलार्थी ने भी मृतक पर प्रहार किया था, अन्वेषण अधिकारी द्वारा गौर किए गए इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि दाव के ऊपर खून का दाग नहीं था–अपीलार्थीगण संदेह का लाभ पाने योग्य हैं–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया एवं अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए गए। (पैराएँ 9 से 11)

अधिवक्तागण.–Mrs. Priya Shreshtha, For the Appellants; A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील सत्र केस सं॰ 208 वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 21.7.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी सं॰ 2 बहामुनि मुर्मू एवं उसके पति अर्थात् अपीलार्थी सं॰ 1 बाबू राम किस्कू (जिसकी मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी) को किसी कालिया उर्फ कैलाश यादव की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन और बिदेशी राय, कंचन यादव तथा बैद्यनाथ यादव की हत्या का प्रयास करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 11.4.2002 को सायं लगभग 4 बजे जब सूचक बैद्यनाथ यादव (अ॰ सा॰ 6) भोला महतो के घर के सामने बैठा था, उसने बच्चों को हल्ला करते सुना कि अपीलार्थी सं॰ 1 बाबू राम किस्कू कालिया उर्फ कैलाश यादव पर टांगी से प्रहार कर रहा है और अपीलार्थी सं॰ 2 बहामुनि मुर्मू, पत्नी बाबूराम किस्कू, दाव से प्रहार कर रहा है। हल्ला सुनने पर जब वह बाबूराम किस्कू के घर आया, उसने बाबूराम किस्कू को टांगी से कालिया उर्फ कैलाश यादव पर प्रहार करते देखा। यह देखने पर उसने कालिया उर्फ कैलाश यादव को बचाने का प्रयास किया किंतु बाबू राम किस्कू ने टांगी से उसकी पीठ पर प्रहार किया। इस पर वह वहाँ से भाग गया। बाद में, जब बिदेशी राय (अ॰ सा॰ 3) और कंचन यादव (परीक्षण नहीं किया गया) वहाँ आए, उन पर बाबूराम किस्कू द्वारा एवं अपीलार्थीगण सं॰ 2 बहामुनि किस्कू द्वारा भी प्रहार किया गया था।

3. तत्पश्चात, वैद्यनाथ यादव (अ॰ सा॰ 6) जरमुंडी पुलिस थाना आया जहाँ उसने अपना फर्दबयान (प्रदर्श 4) दिया जिसे किरण कुमार (अ॰ सा॰ 7) द्वारा दर्ज किया गया था जिसके आधार पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। स्वयं अ॰ सा॰ 7 ने मामले का अन्वेषण किया। अन्वेषण के क्रम में वह घटना स्थल अर्थात् अपीलार्थीगण के घर गया जहाँ मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और शव परीक्षण के लिए मृत शरीर भेजा जिसे डॉ॰ अनन्त कुमार झा (अ॰ सा॰ 4) द्वारा किया गया था जिन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया:–

1. ehfM;y lkbM ij 1 bp pkMkb d fLdu Vx d lkFk tMh ck, Qhej (fupyk Hkkx) d ÝDpj d lkFk tkM dk vkjikj dkVu oky ck, ikifyVy Qkl d Åij xgjk dVu dk t[eA

2. xnu d nk, Hkkx ij 3" x 1'/2"x 2" xgjk dVu dk t[e (xgjk)A phj QkM dju ij dkeu dkjVok;M vkVjh ,o vU; ulk dk Hkkjh ek=k e jDr d lkFk dVk ik;k x;k FkkA

3. Åijh gkB dk vkj&ikj dkVr g, pgj d Åij ck, vk[k d uhp 2½" x 1/2" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[e vkj ck, dku d uhp 2½" x 1" x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

4. nk, Ldiyj {k= d Åij 3" x 2"x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

5. Nkrh ij vud [kjkpA

डॉक्टर के अनुसार, मृत्यु उपहति सं॰ 1 एवं 2 के परिणामस्वरुप हेमरेज एवं आघात के कारण हुई थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–2 तैयार किया।

4. अन्वेषण अधिकारी ने अन्य गवाहों के बयानों को दर्ज किया और अन्वेषण पूरा होने पर आरोप–पत्र दाखिल किया, जिस पर इस अपीलार्थी एवं उसके पति बाबूराम किस्कू (जिसकी मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी) के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। मामला सुपुर्द किए जाने पर, इस अपीलार्थी एवं उसके पति का विचारण किया गया था जिसके दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 प्रमोद यादव और अ॰ सा॰ 2 रामू खीरहर अनुश्रुत गवाह हैं जबकि सह–ग्रामीण अ॰ सा॰ 3 बिदेशी राय चश्मदीद गवाह है। उसके अनुसार, उसने बाबू राम किस्कू को टांगी से मृतक पर प्रहार करते देखा था जबकि यह अपीलार्थी दाव से प्रहार कर रही थी। उसके अनुसार, उनके द्वारा उस पर भी प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरुप उसने उपहति पाया। एक अन्य चश्मदीद गवाह सूचक अ॰ सा॰ 6 है जिसने परिसाक्ष्य दिया है कि बच्चों द्वारा शोर किए जाने पर जब वह इस अपीलार्थी के घर आया, उसने बाबू राम किस्कू को टांगी से मृतक पर प्रहार करते देखा और यह अपीलार्थी दाव से प्रहार कर रही थी। उसने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह कालिया उर्फ कैलाश यादव को बचाने आया, उस पर भी बाबूराम किस्कू द्वारा उसके पेट पर बार–बार प्रहार किया गया था। अभियोजन न केवल अ॰ सा॰ 3 और अ॰ सा॰ 6 के उपहति रिपोर्ट को लाने में विफल रहा बल्कि डॉक्टर जिसने उनका परीक्षण किया था का परीक्षण करने में विफल रहा। किंतु किसी डॉ॰ मंजूनाथ झा, अ॰ सा॰ 5, का परीक्षण किया गया है जिसने कंचन यादव का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है किंतु अभियोजन द्वारा कंचन यादव का परीक्षण नहीं किया गया है।

5. न्यायालय ने अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 के परिसाक्ष्य पर विश्वास करने के बाद अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पति को न केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन बल्कि अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 6 और किसी कंचन यादव की हत्या का प्रयास करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन भी अपराध

का दोषी पाया यद्यपि अभियोजन अ॰ सा॰ 3 अथवा अ॰ सा॰ 6 के उपहति रिपोर्ट को अभिलेख पर लाने में विफल रहा था। कंचन यादव का उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर लाया गया था, किंतु गवाह के रूप में कंचन यादव का परीक्षण नहीं किया गया है। न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाने पर पूर्वोक्तानुसार दंडादेश का आदेश पारित किया।

6. अपीलार्थी ने दोषसिद्ध किए जाने पर कारा अपील दाखिल किया है।

7. श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, जिनको न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, ने निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं किंतु गवाहों का परिसाक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी है, और इसलिए न्यायालय को उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आगे यह निवेदन किया गया था कि पूर्वोक्त दोनों गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने दाव से मृतक पर प्रहार किया, किंतु अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार जब वह घटना स्थल पर गया उसने खून से सना दाव नहीं पाया था यद्यपि खून से सनी टांगी पायी गयी थी जो सुझाता है कि इस अपीलार्थी ने दाव से मृतक पर कोई उपहति कारित नहीं किया था। इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्य चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य पर संदेह सृजित करता है और इसलिए उनका परिसाक्ष्य, जहाँ तक यह इस अपीलार्थी से संबंधित है, अस्वीकार किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी को अ॰ सा॰ 3, 6 एवं कंचन यादव की हत्या करने के प्रयास के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, किंतु अभियोजन अ॰ सा॰ 3 और 6 के संबंध में किसी उपहति रिपोर्ट को नहीं लाया है और न ही किसी डॉक्टर का परीक्षण किया गया है। आगे, यह इंगित किया गया था कि यद्यपि अभियोजन ने डॉक्टर जिसने कंचन यादव का इलाज किया था का परीक्षण करके कंचन यादव का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है, किंतु कंचन यादव इस मामले में अभिसाक्ष्य देने को आगे कभी नहीं आया है। इन परिस्थितियों के अधीन, यह निवेदन किया गया था कि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में अवैधता किया।

8. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 3 एवं 6 के परिसाक्ष्यों की दृष्टि में न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में न्यायोचित प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि दो गवाह अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 यह परिसाक्ष्य देने के लिए आगे आए हैं कि इस अपीलार्थी और उसके पति बाबूराम किस्कू (मृत) ने अपने घर में मृतक कालिया उर्फ कैलाश यादव पर प्रहार किया था। उनके अनुसार, बाबूराम किस्कू ने टांगी से मृतक पर प्रहार किया जबकि इस अपीलार्थी ने मृतक पर दाव से प्रहार किया। यह गौर किया जाए कि अ॰ सा॰ 3 का परिसाक्ष्य सुझाता है कि वह अ॰ सा॰ 6 के पहले अपीलार्थी के घर में प्रवेश किया था। वह अ॰ सा॰ 6 की उपस्थिति पर मौन है जो उपदर्शित करता है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 3 घटना स्थल पर था, अ॰ सा॰ 6 वहाँ नहीं पहुँचा था और इसलिए अ॰ सा॰ 6 ने अपीलार्थी एवं उसके पति को मृतक पर प्रहार करते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि अ॰ सा॰ 6 ने स्वयं परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह भोला महतो के घर के सामने बैठा था, उसने बच्चों को यह कहते सुना कि अपीलार्थीगण मृतक पर प्रहार कर रहे हैं और केवल तब वह उनके घर आया और फिर भी वह अपीलार्थी एवं उसके पति को मृतक पर प्रहार करते देखने का दावा करता है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अ॰ सा॰ 3 जो पहले से वहाँ था ने परिसाक्ष्य दिया कि उसने इस अपीलार्थी एवं उसके पति को मृतक पर प्रहार करते देखा था। यदि अभियुक्तगण अ॰ सा॰ 3 के घटनास्थल से जाने

के बाद मृतक पर प्रहार करते रहे, डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर और भी कई उपहतियों को पाया होता जो वहाँ नहीं है। यह कम से कम यह सुझाता है कि वे सही चित्र नहीं दे रहे हैं। यह संप्रेक्षण इस तथ्य से मजबूत होता है कि अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के मुताबिक इस अपीलार्थी और उसके पति ने सूचक द्वारा मामला दर्ज किए जाने के पहले मृतक के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। आगे, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य कि अपीलार्थी ने मृतक पर प्रहार किया था, अन्वेषण अधिकारी द्वारा गौर किए गए इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि दाव के ऊपर खून का दाग नहीं था।

10. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि जैसा ऊपर कथन किया गया है, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह अपीलार्थी संदेह के लाभ के योग्य है जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप का संबंध है और जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह न्यायालय अवैधता करता प्रतीत होता है जैसा हमने पहले ही ऊपर गौर किया है कि अभियोजन ने न तो घायल अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 6 का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है और न ही कंचन यादव का परीक्षण किया गया है। तद्नुसार, सत्र केस सं॰ 208 वर्ष 2002 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है जहाँ तक अपीलार्थी सं॰ 2 का संबंध है। परिणामस्वरुप अपीलार्थी को एतद् द्वारा दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

11. इस प्रकार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

प्रकाश पांडे एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1592 of 2014. Decided on 17th September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 341 एवं 504/34 सह-पठित एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—जाति नाम देकर गाली–परिवादी ने इस तथ्य को छुपाते हुए इस मामले को दर्ज किया कि वह रसोईया के रूप में कार्यरत थी और उसे अनाज की चोरी के अभिकथन पर विद्यालय से हटाया गया था–यह दर्शाने वाली बी॰ डी॰ ओ॰ की जाँच रिपोर्ट कि परिवादी ने विद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध झूठा अभिकथन किया था–दांडिक मामला असद्भावपूर्ण आशय के साथ दाखिल किया गया है–प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Kumar Sinha, For the Petitioners; M/s Pramod Kr. Choudhary, For the State; Mr. Anup Kr. Agrawal, For the Informant.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 504/34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अभिकथित अपराध के लिए दर्ज बेरमो (गांधी नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 56 वर्ष 2014 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 342 वर्ष 2014 में प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए इस आवेदन को दाखिल किया है।

3. पुलिस मामला विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तेनूघाट, बेरमो के न्यायालय में दाखिल परिवाद याचिका सं॰ 541 वर्ष 2013 के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें उसने याचीगण जो 'राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, संडेबाजार, गांधीनगर, बोकारो जिला में अध्यापक हैं के विरुद्ध विद्यालय के अध्यापक कक्ष में, जब वह विद्यालय में अध्ययन कर रहे अपनी संतानों का परिणाम जानने वहाँ गयी थी, परिवादी और उसके पुत्र को उसकी जाति नाम से गाली देने का अभिकथन किया था।

4. यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज लाए गए हैं कि सूचक उक्त विद्यालय में रसोईया के रूप में कार्यरत थी और अनाज की चोरी करने के अभिकथन पर उसे सेवा से हटाया गया था, जिसके लिए उसे याचीगण में से एक द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। किंतु, परिवाद याचिका में इन तथ्यों का कथन नहीं किया गया है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि परिवादी को विद्यालय से हटाया गया था, याचीगण को असद्भावपूर्ण आशय से इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। उसने ऐसे अभिकथन भी किए थे जिनकी जाँच की गयी थी और उसके द्वारा किए गए अभिकथनों की जाँच पर इन्हें प्रखंड विकास अधिकारी, बेरमो द्वारा झूठा पाया गया था जिसे आवेदन के परिशिष्ट–5 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह संपूर्ण प्राथमिकी अभिखंडित किए जाने योग्य मामला है। यह निवेदन भी किया गया है कि परिवादी एवं उसके पुत्र को अध्यापक कक्ष में, जो सार्वजनिक स्थल नहीं है, उनकी जाति नाम से गाली देने का अभिकथन है और मामले के उस दृष्टिकोण में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (i) (x) के अधीन अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने और सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथन की दृष्टि में याचीगण के विरुद्ध स्पष्टत: अपराध बनता है। किंतु, यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी सूचक विद्यालय में रसोईया थी और उसे सेवा से हटाया गया था।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि परिवादी सूचक ने इस तथ्य को छुपाते हुए इस मामले को दर्ज किया है कि वह रसोईया के रूप में कार्यरत थी और उसे विद्यालय से हटाया गया था। याचीगण द्वारा इन तथ्यों को अभिलेख पर लाया गया है और तर्क के क्रम में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि परिवादी विद्यालय में रसोईया के रूप में कार्यरत थी और उसे सेवा से हटाया गया था। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज लाया गया है कि उसे अनाज की चोरी, जिसके लिए उसे याचीगण में से एक के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था, करने के अभिकथन पर उसे हटाया गया था। प्रखंड विकास अधिकारी, बेरमो की जाँच रिपोर्ट भी है जो दर्शाती है कि परिवादी ने विद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध झूठा अभिकथन किया था।

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मैं पाता हूँ कि असद्भावपूर्ण आशय से और इन याचीगण के विरुद्ध दुश्मनी होने के कारण परिवादी द्वारा वर्तमान दांडिक मामला दर्ज किया गया है और तद्नुसार, याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक मामला अभिखंडित करने के लिए यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के लिए सुयोग्य मामला है।

9. तद्नुसार, बेरमो (गांधी नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 56 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 342 वर्ष 2014 के तत्सम, में प्राथमिकी और उसकी संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

10. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

छितरमल अग्रवाल

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P No. 796 of 2010. Decided on 1st September, 2014.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धारा 138—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378 (4)—चेक का अनादर–धन रसीद की दृष्टि में, अभियुक्त द्वारा परिवादी को भुगतान किए जाने के लिए धन देय नहीं था–साक्ष्य, जिसे पूर्व दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, मौखिक रूप से दर्ज किया गया था और न कि साक्ष्य के सार के रूप में–यदि पश्चातवर्ती दंडाधिकारी ने पूर्व दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए ऐसे साक्ष्य पर कृत्य किया था, उसने कोई अवैधता नहीं किया था–दोषमुक्ति का आदेश मान्य ठहराया गया। (पैराएँ 10 से 13)

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra Kr. Pasari, For the Appellants; A.P.P., For the State; M/s Manish Kumar, For the Opp. Party No.2.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह याचिका परिवाद केस सं॰ 451 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 20.5.2010 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के अधीन दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को एन॰ आई॰ एक्ट की धारा 138 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

3. परिवादी का मामला यह है कि अभियुक्त, खुदरा डीलर, मेसर्स छिन्नमस्तिका इंटरप्राइजेज के नाम एवं शैली में व्यवसाय करने वाले अनाज एवं चीनी के थोक डीलर परिवादी की दुकान पर दिनांक 12.12.2005 को आया और उधार पर 71,995/- रुपयों के मूल्य वाली चीनी के चालीस बोरों को खरीदा और उसके बदले दिनांक 21.12.2005 को लिखा गया चेक परिवादी को दिया गया था। जमा किए जाने पर उक्त चेक का अनादर किया गया था और, इसलिए, अभियुक्त को दिनांक 12.5.2006 का कानूनी नोटिस भेजा गया था। किंतु उक्त कानूनी नोटिस का तामील नहीं किया जा सका था क्योंकि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 कारा में था।

4. किंतु, कारा से निर्मुक्त किए जाने के बाद अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 परिवादी से मिला उक्त चेक जिसका अनादर किया गया था वापस लिया और 71,995/- रुपयों की राशि के लिए दिनांक 1.7.2006 का नया चेक जारी किया। जब उक्त चेक जमा किया गया था, इसका पुनः अनादर कर दिया गया। पुनः कानूनी नोटिस भेजी गयी थी जिसका उत्तर उसमें यह कथन करते हुए दिया गया था कि परिवादी के भाई किसी भीकू अग्रवाल ने अभियुक्त से 1,00,000/- (एक लाख) रुपया लिया और कहा कि राशि

समायोजित करने के बाद वह 28,005/- रुपया की शेष राशि के लिए अनाज भेजेगा किंतु जब माल प्राप्त नहीं किया गया था, अभियुक्त परिवादी के पास गया और अनाज की आपूर्ति करने के लिए कहा, तब परिवादी ने तीन भाईयों के साथ अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को गाली दिया। इस पर अभियुक्तगण ने परिवादी के विरुद्ध मामला दर्ज किया।

5. इस पर परिवादी ने मामला दर्ज किया जिसे परिवाद मामला सं॰ 451 वर्ष 2006 के रूप में दर्ज किया गया था। परिवादी ने दो गवाहों का परीक्षण किया जब एक बचाव गवाह का परीक्षण किया गया था।

6. यह कथन किया जाए कि दो गवाहों सी॰ डब्ल्यू॰ I एवं सी॰ डब्ल्यू॰ II का साक्ष्य मनीष रंजन नामक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था जबकि बचाव गवाहों का साक्ष्य दिनेश मिश्रा नामक एक अन्य दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था जिन्होंने गवाहों के परीक्षण के बाद आदेश पारित किया जिसके द्वारा अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था।

7. उस आदेश से व्यथित होकर, इस आवेदन को दाखिल किया गया है। आक्षेपित आदेश का विरोध दो आधारों पर किया गया है; प्रथमत: कि साक्ष्य का एक भाग एक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया और निर्णय पारित किया जो बिल्कुल अवैध है क्योंकि संक्षिप्त कार्यवाही में केवल दंडाधिकारी जो संपूर्ण साक्ष्य दर्ज करता है निर्णय देने के लिए सक्षम है।

8. अन्य आधार जिस पर इस निर्णय एवं आदेश का विरोध किया जा रहा है यह है कि धन रसीद अर्थात् प्रदर्श C, जिसके आधार पर इस अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने राशि का भुगतान कर देने का दावा किया है, परिवादी के बड़े भाई सुरेश बंसल के नाम में जारी रसीद के ऊपर भीकू अग्रवाल का हस्ताक्षर सिद्ध करने में विफल रहा है और इसलिए बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श C के ऊपर हस्ताक्षर सिद्ध किए जाने की अनुपस्थिति में न्यायालय को प्रदर्श C को विचार में नहीं लेना चाहिए था जिसके द्वारा धन का वापस भुगतान कर देने का बचाव लिया गया है और इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार निवेदन करते हैं कि यह सत्य है कि संक्षिप्त कार्यवाही में दंडाधिकारी जो संपूर्ण साक्ष्य दर्ज करता है निर्णय देने के लिए सक्षम है किंतु यह सिद्धांत उस स्थिति में प्रयोज्य है जहाँ साक्ष्य सार में दर्ज किया गया है और न कि मौखिक रूप से किंतु यहाँ वर्तमान मामले में साक्ष्य मौखिक रूप से दर्ज किया गया है और, इसलिए, पश्चातवर्ती दंडाधिकारी पूर्व दंडाधिकारी द्वारा दर्ज साक्ष्य पर बिल्कुल कृत्य कर सकता है और उस स्थिति में निर्णय एवं आदेश किसी अवैधता से पीड़ित नहीं है।

10. आगे, यह निवेदन किया गया है कि परिवादी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के पहले से भी बचाव पक्ष का आरंभ से ही मामला था कि राशि जो अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवादी को भुगतान किए जाने के लिए देय थी का भुगतान परिवादी के भाई किसी भीकू अग्रवाल द्वारा किया जा चुका था। राशि, जिसे भीकू अग्रवाल को दिया गया था उस राशि की तुलना में अधिक था जो अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवादी को यह आश्वासन लेते हुए भुगतान किए जाने के लिए देय थी कि परिवादी 28,005/- रुपयों, जिसका अधिक भुगतान किया गया था, के मूल्य के अनाज की आपूर्ति करेगा। जब अनाज की आपूर्ति नहीं की गयी थी, परिवादी द्वारा इस मामले को दर्ज किए जाने के पहले अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवादी के विरुद्ध परिवाद मामला दर्ज किया गया था और धन रसीद,

जिसके अधीन याची ने अपना मामला स्थापित किया है, साक्ष्य में सिद्ध किया गया है और प्रदर्श C के रूप में चिन्हित किया गया था। न्यायालय ने उन दोनों तथ्यों को ध्यान में लेने पर पाया था कि अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवादी को भुगतान किए जाने के लिए धन देय नहीं था और, इसलिए, निर्णय पारित किया जिसके द्वारा अभियुक्त/विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को दोषमुक्त किया गया था।

11. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर हम अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ। जहाँ तक प्रथम बिंदु का संबंध है, स्वीकृत रूप से साक्ष्य जिसे पूर्व दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, मौखिक रूप से दर्ज किया गया था और न कि साक्ष्य के सार के रूप में और तद्द्वारा यदि पश्चातवर्ती दंडाधिकारी ने पूर्व दंडाधिकारी द्वारा दर्ज ऐसे साक्ष्य पर कृत्य किया है, उन्होंने कोई अवैधता नहीं की थी।

12. आगे, निर्णय का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने उस अभिवचन को स्वीकार किया था जिसे बचाव पक्ष द्वारा किया गया था और तद्द्वारा इसने विरोधी पक्षकार/अभियुक्त को दोषमुक्त करने में कोई अवैधता नहीं किया था।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, हम याचिका में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसलिए, यह याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुरेश शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5581 of 2006. Decided on 12th September, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन।

झारखंड पुलिस निर्देशिका–नियम 828 (C)—दंड–अनुशासनहीनता–छह माह की वेतन-वृद्धि का समपहरण–एस॰ पी॰ ने स्वयं जाँच किया था और अपचारी याची के कारण बताओ पर विचार किया था–एस॰ पी॰ द्वारा संचालित कार्यवाही नियम 828 (C) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुकूल थी–याची पर पहले भी दंड अधिरोपित किया गया था–आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra Nath, For the Petitioner; Miss. Bharti Kumari, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दिनांक 10 जनवरी, 2006 के आक्षेपित आदेश, मेमो सं॰ 216 वाले आरक्षी अधीक्षक द्वारा पारित परिशिष्ट-2, द्वारा विभागीय कार्यवाही सं॰ 133/2005 में छह माह की वेतनवृद्धि को वापस रोकने/समपहृत करने का दंड याची पर अधिरोपित किया गया है।

3. याची इससे इस आधार पर व्यथित है कि झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियम 828 (C) में अंतर्विष्ट प्रावधान का अनुसरण नहीं किया गया है। आरक्षी अधीक्षक ने दिनांक 1 फरवरी, 2005 को आरोप-पत्र, परिशिष्ट-1, जारी किया और याची द्वारा कारण बताओ उत्तर दाखिल किए जाने के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर की श्रेणी से अन्यून के अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से कोई साक्ष्य दर्ज किए बिना स्वयं दंड का आदेश देना चुना। नियम 828 (C) के मुताबिक याची को किसी गवाह का परीक्षण

करने का अवसर देने से इनकार किया गया है और कोई तात्विक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः नियम 828 (C) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। आरोप-पत्र, परिशिष्ट-1, के मुताबिक, याची-भदानीनगर में पदस्थापना के स्थान पर पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा था। वह अपने कर्तव्य के संबंध में सार्वजनिक रूप से भेद खोल रहा था और उसे दो माह की अवधि के भीतर चार दिन का बीमार होने का अवकाश एवं आठ दिन का अवकाश लेता हुआ पाया गया था। तत्पश्चात, अपना अवकाश पूरा करने पर वह पदग्रहण करने में विफल रहा। जब उसने दिनांक 9 नवंबर, 2005 को अपना पद ग्रहण किया, उसका व्यवहार कुछ असामान्य था और वह असंयत बात कर रहा था। अतः, अनुशासनहीनता, तत्परता की कमी, उपेक्षा एवं आदेशों की अवज्ञा के ऐसे आरोपों के लिए उसे निलंबन के अधीन किया गया था और कारण बताने के लिए कहा गया था। याची के कारण बताओ पर विचार करने पर प्रत्यर्थी आरक्षी अधीक्षक ने दो आरोपों के संबंध में उसका उत्तर संतोषजनक पाया किंतु शेष आरोपों के संबंध में उसका व्यवहार अनुशासनहीनता, उपेक्षा, परिश्रम की कमी एवं उदासीनता परिलक्षित करते हुए समुचित नहीं पाया गया था। इसलिए छह माह की वेतनवृद्धि के समपहरण का दंड उस पर अधिरोपित किया गया है जिसका भावी वेतन पुनरीक्षण पर प्रभाव नहीं होगा। अतः, वह किसी पूर्ण वेतन का हकदार नहीं होगा।

4. याची द्वारा दी गयी चुनौती के आधारों पर विचार करने के लिए झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियमों 824 एवं 828 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्दिष्ट करना बेहतर है। नियम 824 विभिन्न दंडों को प्रावधानित करता है जिसमें वेतनवृद्धि का समपहरण मुख्य दंड है। नियम 828 मुख्य दंड देने के लिए प्रक्रिया प्रावधानित करता है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^fu;e 828 : **e[; nMk dk vfèkjki.k**&(a) fu;e 824 }kjk vuK; nMk e l ml fu;e d Øekd (a) l (f) e vkbVek dk e[; nMk d :i e ekuk tk,xk vkj vèkh{kd dh J.kh l vU;u d vfèkdkjh }kjk vfèkjkfir fd;k tk,xkA*

(b) ykd lod tkp vfèkfu;e] 1850 d çkoèkkuk d çfr çfrdyrk d fcuk fdlh ifyl vfèkdkjh ij c[kkLrxh] gVk, tku] vfuok; lok fuofÙk vFkok inkoufr dk vkn'k ikfjr ugh fd;k tk,xkA (rF;k tk nkfMd U;k;ky; e nk"kflf) dh vkj y x, g ij vkèkkfjr vkn'k l fHkUu) tc rd ml fyf[kr e mu vkèkkjk dk lfpr ugh fd;k x;k g ftu ij dkjokb dju dk çLrko fn;k x;k g vkj Lo; dk cpko dju dk i;klr volj ugh fn;k x;k gA

(c) ,l ekey e ftle oruof) dk leigj.k i;klr nM d :i e çLrkfor g] bl dk;okgh d :i e vkipkfjd tkp d fcuk vfèkjkfir fd;k tk ldrk g fdr ,l çR;d ekey dk Li"V :i l dFku djuk gkxk% çFker% 0;frØeh d fo#) vkjki(rc çR;d vkjki d çfr ,d&,d djd mldk mÙkj] vkj vr e nM vfèkjkfir dju oky vfèkdkjh dk çR;d vkjki ij fu"d"kA ,l ekeyk e] vèkh{kd dk Lo; tkp dju dh vko';drk ugh g vkj u gh vipkjh dk mld le{k mifLFkr gku dk vfèkdkj gkxk fdr ml lk{; nt dju d fy, rukr vfèkdkjh d le{k mifLFkr gku vkj viuk cpko dju dk vfèkdkj gkxk(vkj ,lk vfèkdkjh] tk bLiDVj d J.kh d uhp dk ugh gkxk] çR;d vkjki ij Li"V fu"d"k ij vk,xk vkj vkn'kk d fy, vèkh{kd dk viuh vu'klk d lkFk vfHky[k çLrr djxA

(d) bu çkoèkkuk dk vulj.k ugh fd;k tk,xk tc jkT;iky vk'oLr g fd Hkkjrh; lfoèkku d vuPNn 311 (2) d vulkj jkT; dh lj{kk d fgr e ,lk

*djuk lHko ugh g vFkok li.k :i l bu çkoèkkuk dk vulj.k djuk lHko ugh g vkj ble dkb lng ugh g fd budk vulj.k ugh dju e vfHk;Dr lHkor% U;k; u ik,A tc dHkh Hkh ,l h lHkkouk mnHkr gkrh g] vfèkdkjh tk vipkjh dk gVku vFkok J.kh e ?kVku d fy, l{ke g] vkipkfjd :i l vkn'k nxk t lk jkT; iky }kjk fofuf'pr fd;k x;k g ft l vfre ekuk tk,xkA***

5. वर्तमान मामले में, नियम 828 (C) के प्रावधान प्रयोज्य हैं क्योंकि वे वेतनवृद्धि का समपहरण प्रावधानित करते हैं। यद्यपि नियम 828 सह-पठित नियम 824 के अधीन नियम 824 के क्रमांक (a) से (f) के अधीन अनुध्यात दंड मुख्य के रूप में माना जाता है किंतु नियम 828 (C) भिन्न प्रक्रिया प्रावधानित करता है यदि वेतनवृद्धि को समपहरण पर्याप्त दंड के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। वेतनवृद्धि के समपहरण का दंड अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही के रूप में किसी औपचारिक जाँच की आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसे प्रत्येक आरोप का कथन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए जिसके लिए व्यतिक्रमी को उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है और प्रत्येक आरोप पर विचार करने पर प्रत्येक आरोप के संबंध में निष्कर्ष दंड अधिरोपित करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात, उक्त उपनियम प्रावधानित करता है कि ऐसे मामलों में अधीक्षक को स्वयं जाँच करने की आवश्यकता नहीं है और न ही अपचारी को उसके समक्ष उपस्थित होने का अधिकार होगा किंतु उसे साक्ष्य दर्ज करने के लिए अपना बचाव करने के लिए तैनात अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार होगा जो तत्पश्चात स्पष्ट निष्कर्ष पर आएगा और आदेशों के लिए अधीक्षक को अपनी अनुशंसा के साथ अभिलेख प्रस्तुत करेगा। अत: ऐसे मामलों में सूक्ष्म सुभिन्नता की गयी है जहाँ अपचारी को उपस्थित होने का अधिकार नहीं होगा। अन्य मामलों में जहाँ इंस्पेक्टर की श्रेणी से अन्यून के अधिकारी को जाँच करने के लिए नियुक्त किया जाता है, अपचारी को उपस्थित होने का अधिकार होगा। सूक्ष्म सुभिन्नता निश्चित विधायी आशय एवं इसके पीछे के प्रयोजन लिए प्रतीत होती है। कॉंस्टेबल की श्रेणी के पुलिसकर्मियों के लिए दंडों के मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते और जिला का प्रमुख होने के नाते आरक्षी अधीक्षक पर प्रत्येक आरोप के लिए अपचारी के उत्तर पर विचार करने पर स्वयं जाँच करके और ऐसे प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष पर आने के तत्पश्चात ऐसा दंड अधिरोपित करने की शक्ति प्रदत्त की गयी है। ऐसी जाँच में अधीक्षक के पद को निश्चित पवित्रता दी गयी है जिसमें वेतनवृद्धि का समपहरण प्रस्तावित किया गया है। किंतु, ऐसे मामलों में जहाँ इंस्पेक्टर की श्रेणी से अन्यून के उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जाँच किया जाना है, जाँच की पवित्रता संरक्षित करने के लिए अपचारी को उपस्थित होने एवं अपना बचाव करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा प्रावधान अपचारी की उपस्थिति में निष्पक्षता की गारंटी के साथ अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संचालित जाँच को आवरण देने के लिए और संरक्षण देने के लिए सम्मिलित किया गया है।

6. वर्तमान मामले में, आरक्षी अधीक्षक ने स्वयं जाँच करना चुना और इसलिए अपचारी को जाँच में, जहाँ वेतनवृद्धि का समपहरण एकमात्र दंड है जिसे प्रस्तावित एवं अधिरोपित किया जाना था, उसके समक्ष उपस्थित होने का अधिकार रखता नहीं कहा जा सकता है। आरक्षी अधीक्षक ने अपचारी याची के कारण बताओ पर विचार किया और दो आरोपों के लिए उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया किंतु शेष आरोपों में अपचारी अनुशासनिक प्राधिकारी को संतुष्ट करने में विफल रहा। आरोप स्पष्टत: बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा श्रेणी में घटाए जाने जैसे अन्य मुख्य दंड के अधिरोपण के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर प्रतीत नहीं होते हैं। आरोप किसी गबन अथवा वित्तीय अनियमितता

की प्रकृति के नहीं हैं बल्कि वे अवकाश के बाद अनुशासनहीनता, उपेक्षा एवं कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने में विफलता की प्रकृति के थे। अत: छह माह की वेतनवृद्धि के समपहरण के दंड के अधिरोपण के लिए आरक्षी अधीक्षक द्वारा संचालित कार्यवाही नियम 828 (C) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुकूल थी और किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

7. ऐसी परिस्थिति में, याची दंड के आदेश में हस्तक्षेप का मामला बनाने में विफल रहा है। यद्यपि प्रत्यर्थीगण ने याची पर पहले भी अधिरोपित अन्य दंड और उसके करिअर के दौरान उस पर अधिरोपित निलंबन के आरोपों को भी अभिलेख पर लाए हैं किंतु वर्तमान मामले के प्रयोजन से वे प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है जिसका उत्तर अपचारी याची को देने की आवश्यकता है।

8. किंतु, कार्यवाही एवं उसके अधीन पारित आक्षेपित आदेश के संबंध में प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने पर हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया गया है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

सीताराम बारिक

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1107 of 2006. Decided on 13th August, 2014.

एस॰ टी॰ सं॰ 114 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 11.7.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 13.7.2006 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी की हत्या–आजीवन कारावास–अपीलार्थी को मृतका के मृत पाए जाने के तुरन्त बाद भागते हुए देखा गया था–साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन प्रावधान की दृष्टि में, अपीलार्थी को सिद्ध करना था कि किस प्रकार मृतका की मृत्यु हुई–अपीलार्थी ने ही हत्या की थी–अपील खारिज। (पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–M/s Shailesh, L.C.N. Sahdeo, For the Appellant; Mr. V.S. Sahay, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील जी॰ आर॰ सं॰ 455 वर्ष 2004 के संबंध में राजनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 2004 से उद्भूत सत्र विचारण सं॰ 114 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 11.7.2006/13.7.2006 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III, सरायकेला ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसको दोषसिद्ध किया और उसको आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

3. अभियोजन का मामला यह है कि सूचक अ॰ सा॰ 2 प्रफुल्लो बारिक की पुत्री मोगली बारिक

(मृतका) अपीलार्थी के साथ विवाह होने पर अपने ससुराल आयी और वहाँ एक वर्ष तक शांतिपूर्वक रही किंतु तत्पश्चात अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पहली पत्नी उसको क्रूरता के अध्यधीन करने लगे।

आगे, मामला यह है कि दिनांक 18.6.2004 को मृतका मोगली बारिक अपने पिता के घर आयी। चार दिनों के बाद, 22.6.2004 को अपीलार्थी भी वहाँ आया। रात्रि में वे दोनों एक कमरे में सोए जिसमें दरवाजा नहीं था। रात्रि में जब सूचक (अ॰ सा॰ 2), उसकी पत्नी कुन्नी बारिक (अ॰ सा॰ 1) और उसकी पुत्री रेवती बारिक (अ॰ सा॰ 5) ने कमरे से आती खिलखिलाने की आवाज सुनी जहाँ मोगली बारिक एवं उसका पति सो रहे थे। वे अपने कमरे से निकलकर वहाँ गए। उस प्रक्रिया में उन्होंने इस अपीलार्थी को साईकिल से भागते देखा। जब वे कमरा में गए, उन्होंने मोगली बारिक को मृत पाया। इस पर अ॰ सा॰ 2, प्रफुल्लो बारिक ने पुलिस को फर्दबयान दिया जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन राजनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 2004 के रूप में मामला दर्ज किया गया था।

4. अन्वेषण आरंभ करने पर अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया। तत्पश्चात, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ प्रणव कुमार (अ॰ सा॰ 6) द्वारा किया गया था जिन्होंने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

(i) xnu ij uk[ku d fu'kku]

(ii) nk;h dkguh ij migfr]

(iii) ck;h ukfldk l Qu]

(iv) nk;h ukfldk l cgrk [ku]

(v) ck, dku ij [ku dk èkCck]

(vi) gk;M gMMh dk ÝDpj@QQMk ldy ik;k x;kA

तद्नुसार, शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) तैयार किया गया था। डॉक्टर के मत के अनुसार, मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से कारित हुई थी।

5. अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया। अन्वेषण पूरा होने के बाद जब अन्वेषण अधिकारी ने आरोप-पत्र दाखिल किया, अपराध का संज्ञान लिया गया था। सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था।

6. विचारण के क्रम में अभियोजन ने नौ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से प्रफुल्लो बारिक (सूचक), कुन्नी बारिक, सूचक की पत्नी एवं रेवती बारिक, सूचक की पुत्री का परीक्षण क्रमश: अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया था। उनके अनुसार, मृतका का विवाह अपीलार्थी के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी जहाँ वह शांतिपूर्वक एक वर्ष रही। तत्पश्चात्, अपीलार्थी एवं उसकी पहली पत्नी उसे क्रूरता के अध्यधीन करने लगे। दिनांक 18.6.2004 को मृतका अपने मायका आयी जहाँ अपीलार्थी भी दिनांक 22.6.2004 को आया। रात्रि में वे साथ सोए। मध्य रात्रि में उन्होंने कमरा जहाँ अपीलार्थी एवं मृतका सोए थे से खिलखिलाने की आवाज सुनी। ऐसी आवाज सुनने पर जब वे उस कमरे की ओर जा रहे थे, उन्होंने अपीलार्थी को साईकिल से भागते हुए देखा। जब वे कमरा के अंदर गए, उन्होंने मृतका को मृत पाया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने उन तीन गवाहों के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाने पर दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया। इससे व्यथित होकर, इस अपील को दाखिल किया गया है।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से किसी ने, जिसने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया, इस अपीलार्थी को मृतका की हत्या करते नहीं देखा था। उस स्थिति में, इस अपीलार्थी पर मृतका की हत्या करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है विशेषत: कमरा जहाँ मृतका सोई हुई थी खुला था और कुछ गाँव वालों की मृतका के साथ दुश्मनी थी। आगे निवेदन यह है कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि घटना की रात्रि को यह अपीलार्थी गाँव आया था और मृतका के साथ रहा था और कि अपीलार्थी की निर्दोषिता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि अगले दिन ही इस अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया था, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में इन समस्त पहलूओं पर विचार नहीं किया था और तद्द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ए॰ पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि यह पुख्ता मामला है जहाँ अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी के अलावा और किसी और ने उसकी पत्नी की हत्या नहीं की थी क्योंकि पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं था, अत: दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि मृतका के पिता सूचक अ॰ सा॰ 2 प्रफुल्लो बारिक, मृतका की माता अ॰ सा॰ 1 और मृतका की बहन अ॰ सा॰ 5 ने परिसाक्ष्य दिया था कि मोगली बारिक अपीलार्थी के साथ विवाह होने पर उसके साथ रह रही थी। एक वर्ष तक वह शांतिपूर्वक रही किंतु तत्पश्चात अपीलार्थी एवं उसकी पहली पत्नी द्वारा उसे क्रूरता के अध्यधीन किया गया था। आगे उन्होंने परिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 18.6.2004 को वह अपने मायका आयी थी और चार दिन बाद अर्थात् दिनांक 22.6.2004 को अपीलार्थी भी वहाँ आया और रात्रि में मृतका के साथ कमरे में सोया। मध्य रात्रि में, सूचक अ॰ सा॰ 1, उसकी पत्नी कुन्नी बारिक अ॰ सा॰ 1 और सूचक की पुत्री रेवती बारिक अ॰ सा॰ 5 जो उक्त कमरा के बगल के कमरा में सो रहे थे ने उस कमरे से खिलखिलाने की आवाज सुनी। ऐसी आवाज सुनने पर जब वे उस कमरे में आए तो उन्होंने अपीलार्थी को साईकिल से भागते देखा और मोगली बारिक को मृत पाया। बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षण में कुछ भी निकालने में विफल रहा ताकि गवाहों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह हो सके। डॉक्टर अ॰ सा॰ 6 ने मृतका की मृत्यु मानव वध पाया है। इस प्रकार, अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि यह अपीलार्थी भाग रहा था और तुरन्त तत्पश्चात गवाहों ने मोगली बारिक को मृत पाया जिसे गला घोंट कर मारा गया पाया गया था।

11. अभियोजन मामले के मुताबिक, सात माह की संतान के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति अपीलार्थी एवं मृतका कमरा में थे जहाँ मोगली बारिक को गला घोंट कर मारा गया पाया गया था। इन परिस्थितियों के अधीन, यह इस अपीलार्थी की जानकारी में होना ही चाहिए कि किस प्रकार, मृतका की मृत्यु हुई। चूँकि यह अपीलार्थी की विशेष जानकारी में था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन प्रावधान की दृष्टि में अन्यथा अथवा किसी परिस्थिति जो उसके मामले को आपराधिक पहचान के किसी अपवाद में

लाती है को सिद्ध करने का भार अपीलार्थी पर था और अपीलार्थी भार का निर्वहन करने में विफल रहा है क्योंकि उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन बयान में अपनी निर्दोषिता के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है।

12. परिस्थितियों के अधीन इस निष्कर्ष से भिन्न कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि अपीलार्थी ने ही मृतका की हत्या की थी।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, हम निर्णय एवं आदेश, जिसके अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है, में कोई अवैधता नहीं पाते हैं। तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 114 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ III, सरायकेला द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

14. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

हजारीबाग खान बोर्ड

cuke

अजय कुमार एवं अन्य

W.P.(L) No. 4211 of 2011. Decided on 9th September, 2014.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33-C (2)—प्रयोज्यता–लाभ जिसे धारा 33-C(2) के अधीन प्रवर्तित किया जा सकता है, पूर्व विद्यमान अधिकार है अथवा पूर्व विद्यमान अधिकार से प्रवाहित होने वाला अधिकार है–प्रत्यर्थीगण को इस अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था जैसा धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन में दावा किया गया है–याची खान बोर्ड ने पूर्व विद्यमान अधिकार से प्रत्यर्थीगण को पूर्व विद्यमान लाभ स्वीकार किया है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 11 से 14)

निर्णयज विधि.–(2001)1 SCC 73; (2006) 10 SCC 211—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. P.R. Bhagat, For the Petitioner; M/s Indrajit Sinha, Raunak Sahay, For the Resp. Nos. 1 to 3.

आदेश

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा एम॰ जे॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 13.10.2010 के आदेश से व्यथित होकर याची खान बोर्ड वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

2. किसी अजय कुमार एवं 29 अन्य व्यक्तियों ने स्वयं का खान बोर्ड, हजारीबाग का कर्मकार होने का दावा करते हुए 18% वार्षिक ब्याज के साथ मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश विरोधी पक्षकार खान बोर्ड को इप्सित करते हुए श्रम न्यायालय में एम॰ जे॰ केस सं॰ 1 वर्ष 2009 दाखिल किया। कर्मकारों ने दावा किया कि उन्हें दैनिक मजदूरों के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और खान बोर्ड द्वारा दिनांक 27.8.2008 को उनकी सेवाएँ नियमित की गयी थी। चूँकि आवेदकों को अक्टूबर, 1996 से दिसंबर, 2006 तथा जनवरी, 2007 से दिसंबर, 2008 की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था, उन्होंने यह कथन करते हुए कि उनका दावा खान बोर्ड द्वारा सुमान्यता प्राप्त है एवं स्वीकार किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन दाखिल किया।

3. आवेदकों के दावा से इनकार करते हुए विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 4 की ओर से कारण बताओ उत्तर दाखिल किया गया था किंतु, यह स्वीकार किया गया था कि आवेदकगण अस्थायी आधार पर आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्यरत थे और दिनांक 27.8.2008 को उनकी सेवा नियमित की गयी थी। यह कथन किया गया है कि दैनिक मजदूर कर्मचारियों अथवा जिनकी सेवा नियमित की गयी थी को मजदूरी का भुगतान लेखा परीक्षा आपत्ति के कारण रोक दिया गया था। खान बोर्ड की वित्तीय मुश्किल का अभिवचन भी कारण बताओ में किया गया था।

4. विद्वान श्रम न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया और कर्मकारों द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया और विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 4 को दो माह की अवधि के भीतर आवेदकों को मान्यता प्राप्त मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

5. याची खान बोर्ड के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 33-C (2) के प्रावधान केवल तब आकृष्ट होते हैं जब अधिनिर्णय दिया गया है। वर्तमान मामले में, स्वीकृत रूप से, कोई अधिनिर्णय नहीं है, अत: श्रम न्यायालय को धारा 33-C (2) के अधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण खान बोर्ड के कर्मकार नहीं थे और खान बोर्ड उद्योग नहीं है जैसा औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

6. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थीगण खान बोर्ड, हजारीबाग में कार्यरत थे बल्कि विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 4 की ओर से दाखिल कारण बताओ में स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थीगण आकस्मिक मजदूरों के रूप में कार्यरत थे और दिनांक 27.8.2008 को उनकी सेवाएँ नियमित की गयी थी।

7. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन में अनेक पैराग्राफों को और श्रम न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 4 द्वारा दाखिल कारण बताओ उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक–कर्मकारों द्वारा किया गया मजदूरी के भुगतान का दावा विरोधी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है, अत: श्रम न्यायालय ने सही प्रकार से आवेदकों कर्मकारों को मजदूरी के भुगतान के लिए विरोधी पक्षकारों को निर्देश जारी किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची खान बोर्ड ने श्रम न्यायालय के समक्ष दाखिल कारण बताओ उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि आवेदकगण कर्मकार हैं और इसलिए याची को यह प्रतिवाद करने की छूट नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है और परिणामस्वरुप, श्रम न्यायालय को आवेदक कर्मकारों का आवेदन ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं थी।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया है।

9. धारा 33-C (2) के अधीन दाखिल आवेदन में आवेदकों ने स्वयं का कर्मकार होने का दावा किया है और आगे यह प्रकथन किया गया है कि उन्हें अक्टूबर, 1996 से दिसंबर, 2004 और जनवरी, 2007 से दिसंबर, 2008 तक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 4 द्वारा दाखिल कारण बताओ में, जैसा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही प्रकार से इंगित किया गया है, आवेदकों के आवेदन के पैराग्राफ सं॰ 1 एवं 4 में दिए गए बयान से विरोधी पक्षकारों द्वारा इनकार नहीं किया गया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह भी प्रतीत होता है कि आवश्यक निधि के आवंटन की प्रतीक्षा करते हुए याची खान बोर्ड आवेदक कर्मकारों की मजूदरी का भुगतान नहीं कर सका था।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि चूँकि प्रत्यर्थीगण के पक्ष में कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है, श्रम न्यायालय को धारा 33C(2) के अधीन दिनांक 13.10.2010 का आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, मैं पाता हूँ कि याची खान बोर्ड के साथ प्रत्यर्थीगण का नियोजन प्रत्यर्थीगण में खान बोर्ड से मजदूरी का दावा करने का पूर्व विद्यमान अधिकार प्रदत्त करता है।

11. **''स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रामचंद्र दूबे एवं अन्य, (2001)1 SCC 73,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 33-C (2) के अधीन श्रम न्यायालय की अधिकारिता पूर्व विद्यमान लाभ अथवा पूर्व विद्यमान अधिकार से प्रवाहित होते अधिकार की संगणना की जाती है।

12. **''यू॰ पी॰ राज्य पथ परिवहन निगम बनाम बिरेन्द्र भंडारी, (2006)10 SCC 211,** में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि ''लाभ जिसे धारा 33-C (2) के अधीन प्रवर्तित किया जा सकता है, पूर्व विद्यमान लाभ अथवा पूर्व विद्यमान अधिकार से प्रवाहित होता लाभ है।''

13. वर्तमान मामले में, जैसा यहाँ ऊपर गौर किया गया है, याची खान बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थीगण आकस्मिक मजदूरों के रूप में कार्यरत थे और दिनांक 27.8.2008 को उनकी सेवा नियमित की गयी थी, अत: प्रत्यर्थीगण के नियोजन के संबंध में विवाद नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि अवधि, जैसा धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन में दावा किया गया है, के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इन तथ्यों में, मेरा सुविचारित मत है कि याची खान बोर्ड ने पूर्व विद्यमान अधिकार से प्रवाहित होने वाला प्रत्यर्थीगण का पूर्व विद्यमान लाभ स्वीकार किया है। मैं याची के अधिवक्ता के निवेदन में सार नहीं पाता हूँ कि अधिनिर्णय की अनुपस्थिति में श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2010 का आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

14. परिणामस्वरुप, मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

मो॰ मंसूर अंसारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 2126 of 2014. Decided on 18th September, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—पुलिस थाना से ट्रक की निर्मुक्ति–इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि याची के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया है, वाहन की निर्मुक्ति के लिए याची के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए–ऐसी स्पष्टीकरण के साथ आवेदन निपटाया गया। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Praveen Shankar Dayal, For the Petitioner; M/s Pawan Kumar Choudhary, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2014 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.8.2014 के आदेश के उपांतरण के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-10Y

-4705 वाले उसके ट्रक की निर्मुक्ति के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन अवर न्यायालय को संबंधित पुलिस थाना से प्रश्नगत ट्रक के याची के स्वामित्व के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहते हुए इस न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था और यदि याची को प्रश्नगत ट्रक का रजिस्टर्ड स्वामी पाया जाता है, अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप एवं उक्त आदेश में किए गए संप्रेक्षण की दृष्टि में नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। किंतु उक्त आदेश में कथन किया गया था कि ''वस्तुत: ऐसा कोई आदेश केवल तब पारित किया जाएगा जब मामले का अन्वेषण पूरा कर लिया जाता है।''

3. उस आदेश के अनुसरण में, याची ने ट्रक की निर्मुक्ति के लिए अवर न्यायालय में अपना आवेदन दाखिल किया किंतु याची का आवेदन ग्रहण नहीं किया गया था और यह कथन करते हुए कि मामले का अन्वेषण पूरा नहीं किया गया था, अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.8.2014 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

4. दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 11.8.2014 के आदेश में इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया था कि याची दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2013 में दिनांक 3.12.2013 के आदेश द्वारा अपने पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की दृष्टि में याची अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था।

5. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि याची दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2013 में पारित अंतरिम आदेश की दृष्टि में अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, याची के विरुद्ध मामले का अन्वेषण लंबित रखा गया है और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र अभी तक दाखिल नहीं किया गया है जबकि अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है जैसा अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.7.2013 के आदेश से प्रकट होगा जिसे परिशिष्ट 3 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2014 में दिनांक 11.8.2014 के आदेश के उपांतरण के सुयोग्य मामला है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। इस तथ्य की दृष्टि में कि परिशिष्ट-3 में अंतर्विष्ट अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.7.2013 के आदेश से प्रकट है कि अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया गया है और इस तथ्य की दृष्टि में भी कि दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 11.8.2014 के आदेश में इस न्यायालय ने अवर न्यायालय में याची की अनुपस्थिति का औचित्य पाया था, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि याची के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया है, प्रश्नगत वाहन की निर्मुक्ति के लिए याची के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, यह निर्देश दिया जाता है कि निर्देश ''वस्तुत: ऐसा कोई आदेश केवल तब पारित किया जाएगा जब मामले का अन्वेषण पूरा कर लिया जाता है'' जैसा दांडिक विविध याचिका सं॰ 1489 वर्ष 2014 में दिनांक 11.8.2014 के आदेश में दिया गया है, इस तथ्य की दृष्टि में कि अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया गया है, अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाहन की निर्मुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के रास्ते में नहीं आएगा। यह कहना अनावश्यक है कि दिनांक 11.8.2014 के आदेश में किए गए संप्रेक्षण वही बने रहेंगे।

8. तद्नुसार, उक्त स्पष्टीकरण/उपांतरण के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम से संबंधित न्यायालय को यह आदेश संसूचित किया जाए।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य

cuke

जितेश अरोड़ा

Civil Review No. 96 of 2012. Decided on 1st May, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 114—पुनर्विलोकन–पुनर्विलोकित किए जाने के लिए इप्सित निर्णय याची सहित पक्षों की अनुपस्थिति में पारित किया गया था–याची अथवा उसके पिता के पहचान से संबंधित विवाद नहीं है–पुनर्विलोकन इप्सित करने के लिए किया गया अभिवचन अभिलेख पर किसी प्रकट गलती से पीड़ित नहीं है–पुनर्विलोकन याचिका खारिज। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Ananda Sen, For the Petitioners; Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Respondent.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4828 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 10.9.2012 का निर्णय, जिसका पुनर्विलोकन इप्सित किया गया है, का पठन निम्नलिखित है:–

*^^;kph dk fnukd 5/6.7.2012 d fu;fDr i=] fjV ;kfpdk dk ifjf'k"V&5, d rgr fu;fDr çLrkfor fd;k x;k Fkk ftle ;kph d firk dk uke ^^eg'k vjkMk** d :i e mfYyf[kr fd;k x;k FkkA ;kph dk bl vkèkkj ij inxg.k dju dh vuefr ugh nh x;h Fkh fd mld firk dk lgh uke ^^eg'k dekj vjkMk** gA*

;kph u viu firk dk 'kiFk i= nkf[ky fd;k g fd eg'k vjkMk mQ eg'k dekj vjkMk ,d vkj ogh 0;fDr gA ;kph d firk u lekpkj i=k e çdkf'kr djok;k fd eg'k vjkMk mQ eg'k dekj vjkMk ,d vkj ogh 0;fDr gA

;kph d fo}ku vfèkoDrk dk luu ij vkj vfHky[k dk ifj'khyu dju ij ejk er g fd gkbij&VfDudy vkèkkj ij fd ;kph d firk dk uke vkjHk e ^eg'k vjkMk d :i e mfYyf[kr fd;k x;k Fkk tcfd mld firk dk lgh uke ^eg'k dekj vjkMk* g] ;kph dk inxg.k nu l budkj ugh fd;k tkuk pkfg,A ;kph vFkok mld firk d igpku d ckj e fookn ugh çrhr gkrk gA ;kph vFkok mld firk d igpku l lcfèkr fookn dh vuifLFkfr e gkbikFkfVdy ,o rduhdh vkèkkjk ij inxg.k nu l budkj fcYdy vU;k;kfpr ,o euekuk gA*

*vr%] çR;Fkhx.k dk vkx fdlh foyc d fcuk] fdlh Hkh fLFkfr e] mud le{k çekf.kr çfr dh çLrfr dh frfFk l 90 fnuk d Hkhrj] ;kph dk inxg.k nu d fun'k d lkFk fjV ;kfpdk vuKkr dh tkrh gA**

3. प्रत्यर्थीगण सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ ने यह कथन करते हुए इस पुनर्विलोकन याचिका को दाखिल किया है कि वर्तमान प्रत्यर्थी/रिट याची को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर दिए बिना पहली बार में ही रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी। दिनांक 10.9.2012 के निर्णय का पठन उपदर्शित करता है कि वर्तमान याची सहित पक्षों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश

ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि प्रत्यर्थीगण रिट याची को नियुक्ति पत्र देने के बावजूद उसे इस हाइपर-टेक्निकल आधार पर पदग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं कि याची के पिता का नाम आरंभ में 'महेश अरोड़ा' उल्लिखित किया गया था जबकि उसके पिता का सही नाम 'महेश कुमार अरोड़ा' है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी संप्रेक्षित किया कि याची अथवा उसके पिता के पहचान के बारे में विवाद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण को अनुबंधित समय के भीतर याची को पदग्रहण देने का निर्देश देते हुए रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी क्योंकि याची अथवा उसके पिता के पहचान से संबंधित कोई विवाद प्रतीत नहीं होता था। साथ ही, रिट याचिका में अंतर्विष्ट परिशिष्ट का परिशीलन यह भी प्रकट करता है कि निर्णय पारित करते हुए इस प्रभाव का संप्रेक्षण करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए अभिलेख पर पहले से ही प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद थे। वर्तमान याचीगण ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है कि याची अथवा उसके पिता के पहचान से संबंधित विवाद है। निवेदन के क्रम में, अभिवचन किया गया है कि संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने पिता के नाम की शुद्धि के संबंध में समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना रिट याची के लिए आवश्यक था।

4. चाहे जो भी हो, यह स्वयं में याची अथवा उसके पिता की पहचान को विवादित करने का कारण भी नहीं है क्योंकि कोई अन्य साक्ष्य दर्शाया नहीं गया है कि याची अथवा पक्षों के निवेदनों पर विचार किए जाने पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था। यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन इप्सित करने के लिए किया गया अभिवचन संपोषणीय नहीं है क्योंकि पुनर्विलोकन के अधीन निर्णय अभिलेख पर मौजूद किसी प्रकट गलती से पीड़ित नहीं है अथवा न्याय के हित में ऐसा कोई पुनर्विलोकन आवश्यक है।

5. तद्नुसार, पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

ईश्वर महतो एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 867 of 2013. Decided on 2nd September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 364, 302, 201 एवं 120B—अपहरण एवं हत्या–दोषसिद्धि–मृत शरीर की खोज की ओर ले जाने वाली संस्वीकृति से संबंधित अभियोजन मामले का भाग झूठा हो जाता है–किंतु, अन्य सामग्रियाँ इस निष्कर्ष की ओर कभी नहीं ले जाती है कि अपीलार्थी का अभिकथित अपराध में कोई हाथ नहीं था–अपील लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 2 एवं 3)

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tiwari, Nagmani Tiwari, For the Appellant; A.P.P., For the State.

आदेश

जमानत के मामले पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी निवेदन करते हैं कि इन अपीलार्थीगण अर्थात् ईश्वर महतो एवं तुलसी महतो को जितेन्द्र महतो के साथ भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं

364, 302, 201 एवं 120B के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन का मामला यह है कि मृतक भरत मिश्रा दिनांक 14.4.2012 को कुछ काम से घर से गया था और कामों में से एक जिसे उसने अपनी पत्नी को प्रकट किया था, जितेन्द्र महतो, सह–अभियुक्त, से मिलना था जिसके साथ मृतक का कुछ विवाद था। वह घर वापस कभी नहीं लौटा और तत्पश्चात यह संदेह करते हुए कि उसके पति की हत्या कर दी गयी है, सूचक द्वारा मामला दर्ज किया गया था। अन्वेषण के क्रम में, यह पाया गया था कि सह–अभियुक्त जितेन्द्र महतो के बड़ा भाई तुलसी महतो ने खिरोदर हजाम के नाम में सिम खरीदा था और उस सिम से मृतक को अंतिम कॉल किया गया था और इसलिए भरत मिश्रा की हत्या में इस तुलसी महतो का हाथ होने का संदेह किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि ईश्वर महतो, जो जितेन्द्र महतो का साला/बहनोई है, को अभियुक्त बनाया गया था क्योंकि उसने उक्त सिम/मोबाइल का नंबर सुरक्षित रखा था जो खिरोदर हजाम के नाम में था। अभियोजन का मामला यह भी है कि इन दोनों अपीलार्थीगण द्वारा किया गया प्रकटीकरण भरत मिश्रा के मृत शरीर की बरामदगी की ओर ले गया था किंतु यह प्रतिपादना मृतक के बड़े भाई अ॰ सा॰ 25 के साक्ष्य से झूठी हो जाती है जिसने परिसाक्ष्य दिया था कि प्रात: 6.05-6.30 बजे उसे जानकारी हुई कि मृतक का मृत शरीर बरामद किया गया है जबकि अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के मुताबिक इन दोनों अपीलार्थीगण का इकबालिया बयान 7.05-7.30 बजे दर्ज किया गया था और इन परिस्थितियों के अधीन खोज की ओर ले जाने वाली संस्वीकृति से संबंधित अभियोजन कथा का भाग झूठा बन जाता है और जहाँ तक उक्त कथित अन्य सामग्रियों का संबंध है, वे कभी भी इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाते हैं कि अपीलार्थीगण का अभिकथित अपराध में हाथ नहीं था।

3. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर उक्त नामित अपीलार्थीगण को दुगदा पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 2012 (जी॰ आर॰ सं॰ 403 वर्ष 2012) से उद्‌भूत एस॰ टी॰ सं॰ 275 वर्ष 2012 के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश, बोकारो की संतुष्टि 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र तथा दस–दस हजार के दो प्रतिभूति के साथ प्रस्तुत करने पर अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

राजेन्द्र सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1908 of 2014. Decided on 18th September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 414, 467, 468 एवं 471/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—कूटरचना एवं कोयला की चोरी–संज्ञान–न तो जब्त दस्तावेजों को कूटरचित पाया गया था और न ही कोयला चुराया गया पाया गया था–याची जो केवल ट्रक का चालक है, उसी अनुतोष का हकदार है जैसा अन्य सह–अभियुक्तगण को अनुज्ञात किया गया है–आक्षेपित आदेश एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Sidharth Roy, For the Petitioner; None, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। राज्य के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. याची ने नवाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 46 वर्ष 2011 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 552 वर्ष 2011 में विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 7.2.2012 के आदेश के अभिखंडन के लिए इस आवेदन को दाखिल किया है जिसके द्वारा याची एवं अन्य सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414, 467, 468 एवं 471/34 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है। याची ने उक्त मामले में अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि कोयला से लदा एक ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और याची को ट्रक का चालक होने के नाते पकड़ा गया था। यह अभिकथित करते हुए कि कोयला के संबंध में याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित थे, पुलिस ने याची, ट्रक स्वामी एवं कोयला स्वामी के विरुद्ध मामला संस्थित किया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कोयला से संबंधित दस्तावेजों को वास्तविक पाए जाने पर कोयला स्वामी के पक्ष में कोयला निर्मुक्त किया गया था और बाद में उसके विरुद्ध दांडिक मामला भी अभिखंडित कर दिया गया था क्योंकि कोयला चुराया गया नहीं पाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि ट्रक स्वामी ने भी अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए दांडिक विविध याचिका सं॰ 1581 वर्ष 2013 दाखिल किया था जिसे दिनांक 5.8.2013 के आदेश द्वारा इस तथ्य की दृष्टि में अनुज्ञात किया गया था कि दस्तावेजों को वास्तविक कोयला चुराया गया नहीं पाए जाने पर कोयला स्वामी के विरुद्ध दांडिक मामला अभिखंडित कर दिया गया था। इस प्रकार, ट्रक स्वामी के विरुद्ध भी मामला अभिखंडित कर दिया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह याची जो केवल ट्रक चालक है के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है।

5. दांडिक विविध याचिका सं॰ 1581 वर्ष 2013 जिसे इस आवेदन के परिशिष्ट 4 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह प्रकट है कि किसी गणेश कुमार अग्रवाल उर्फ गणेश कुमार जो कोयला स्वामी था के विरुद्ध संज्ञान एवं दांडिक कार्यवाही अभिखंडित कर दी गयी है क्योंकि पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेज कूटरचित नहीं पाए गए थे और जब्त कोयला भी चुराया गया नहीं पाया गया था। तद्नुसार, ट्रक स्वामी पनमति देवी के विरुद्ध दांडिक अभियोजन भी इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था।

6. मामले के उस दृष्टिकोण में मैं पाता हूँ कि इस याची के विरुद्ध भी, जो केवल ट्रक चालक है मामला जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि न तो जब्त दस्तावेजों को कूटरचित पाया गया था और न ही कोयला चुराया गया पाया गया था और याची भी उसी अनुतोष का हकदार है जिसे अन्य अभियुक्तगण को दिया गया है।

7. तद्नुसार, नवाडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 46 वर्ष 2011 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 552 वर्ष 2011 में विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 7.2.2012 का आक्षेपित आदेश और उक्त मामले में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही भी एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

8. याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम से यह आदेश संबंधित न्यायालय को संसूचित किया जाए।

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

गुजर गोप उर्फ गुजर यादव एवं एक अन्य (568 में)

हरि गोप उर्फ हरि यादव एवं एक अन्य (571 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 568 with 571 of 2013. Decided on 2nd September, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 304B एवं 302—दहेज मृत्यु–दोषसिद्धि–अपीलार्थीगण अभिवचन कर रहे हैं कि इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है कि मृतका के शरीर पर कारित उपहतियाँ अपीलार्थीगण द्वारा कारित की गयी थी–मांग करने का भी अपीलार्थीगण के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है–अपीलार्थीगण को जमानत पर निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 2 से 5)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Rajesh Kumar, For the Appellants; A.P.P., For the State.

आदेश

दांडिक अपील सं॰ 568 वर्ष 2013 अपीलार्थीगण अर्थात् गुजर गोप उर्फ गुजर यादव एवं सुरेश गोप उर्फ सुरेश यादव द्वारा दाखिल की गयी है जबकि दांडिक अपील सं॰ 571 वर्ष 2013 अपीलार्थीगण अर्थात् हरि गोप उर्फ हरि यादव एवं पनवा देवी द्वारा दाखिल की गयी है जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन एवं धारा 302 के अधीन भी अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

2. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ कश्यप निवेदन करते हैं कि गुजर गोप उर्फ गुजर यादव और सुरेश गोप उर्फ सुरेश यादव जो मृतका के पति के बड़े भाई हैं और हरि गोप उर्फ हरि यादव एवं पनवा देवी जो क्रमशः मृतका के ससुर एवं सास हैं को भारतीय दंड संहिता के पूर्वोक्त दो अपराधों के लिए इस अभिकथन पर दोषसिद्ध किया गया है कि उन्होंने दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका की हत्या की है किंतु इन समस्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध मांग के संबंध में विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है बल्कि मांग रखने का विनिर्दिष्ट अभिकथन पति केदार यादव के विरुद्ध है और कि मोटर साईकिल की मांग दहेज मांग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी जैसा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिभाषित किया गया है क्योंकि मोटरसाईकिल की मांग विवाह के संबंध में नहीं थी और कि यद्यपि अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है किंतु कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि ये अपीलार्थीगण किस तरीके से मृतका की हत्या की कारिता के लिए जिम्मेदार थे और इन परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थीगण जमानत दिए जाने योग्य हैं।

3. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस प्रभाव का साक्ष्य है कि ये अपीलार्थीगण मृतका पर अपने माता-पिता से मोटरसाइकिल पाने के लिए दबाव डाल रहे थे और कि मृतका को घर में मृत पाया गया था जिस पर अनेक उपहतियाँ कारित की गयी थी और ऐसी दशा में कोई भी अपीलार्थीगण जमानत दिए जाने योग्य नहीं है।

4. इस पर, अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस प्रभाव

का साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि मृतका के शरीर पर उपहतियाँ इन अपीलार्थीगण द्वारा कारित की गयी थी और तद्द्वारा धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि दोषपूर्ण है। साथ ही, धारा 304B के अधीन दोषसिद्धि भी बिल्कुल दोषपूर्ण है क्योंकि इन अपीलार्थीगण के विरुद्ध मांग रखने का साक्ष्य नहीं है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर, अपील लंबित रहने के दौरान, उक्त नामित अपीलार्थीगण को एस॰ टी॰ सं॰ 24 वर्ष 1996 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, बेरमो, तेनुघाट की संतुष्टि हेतु 20,000/- (बीस हजार) रुपयों का जमानत बंध पत्र इतनी ही राशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

शंभु संजय कुमार उर्फ शंभु एस॰ कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. M.P.No. 1064 of 2014. Decided on 15th May, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 317 (2)—अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन का अस्वीकरण और जमानत बंध पत्र रद्द करने के बाद गैर-जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाना—निजी उपस्थिति के लिए मामला स्थगित किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया—आक्षेपित आदेश धारा 317 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुकूल पारित नहीं किया गया—आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 2 से 4)

अधिवक्तागण.—Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याचीगण परिवाद केस सं॰ 1722 वर्ष 2006 में विचारण का सामना कर रहे थे। उस मामले में दिनांक 5.4.2013 को अर्थात् मामले में नियत तिथि पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए याचीगण को अनुमति देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और साथ ही जमानत बंधपत्र रद्द करने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश धारा 317 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुकूल पारित किया गया प्रतीत नहीं होता है जिसका पठन निम्नलिखित है:—

> *"317(2). ;fn ,l fdlh ekey e vfHk;Dr dk ifrfufèkRo lyhMj }kjk ugh fd;k tk jgk g vFkok ;fn U;k;kèkh'k ;k eftLVV dk ;g fopkj g fd vfHk;Dr dh o;fDrd gkftjh vko';d g rk] ;fn og Bhd le> rk] mu dkj.kk l] tk mld }kjk y[kc) fd, tk,x] og ;k rk ,lh tkp ;k fopkj.k dj ldrk g ;k vkn'k n ldrk g fd ,l vfHk;Dr dk ekeyk vyx l fy;k tk, ;k fopkfjr fd;k tk,A**"*

2. उक्त प्रावधान के पठन पर, यह पाया जाएगा कि यदि अभियुक्त नियत तिथि पर उपस्थित नहीं है जिसकी उपस्थिति न्यायालय के अनुसार आवश्यक है, यह निजी उपस्थिति के लिए मामला स्थगित कर सकता है। किंतु यहाँ वर्तमान मामले में न्यायालय ने उनकी निजी उपस्थिति के लिए मामला स्थगित किए बिना जमानत बंधपत्र रद्द कर दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया।

3. इस प्रकार, आक्षेपित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 में अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुकूल पारित किया गया कभी नहीं प्रतीत होता है और इसलिए, परिवाद केस सं॰ 1722 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 5.4.2013 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

4. याचीगण को आज की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अवर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

5. पूर्वोक्त निर्देश के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

दिनेश्वर पांडे

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 36 of 2014. Decided on 17th July, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 73—गिरफ्तारी वारन्ट–यह अभिकथित करते हुए कि वह फरार दोषसिद्ध अथवा उद्घोषित अपराधी था अथवा गिरफ्तारी से बच रहा था, याची के विरुद्ध तलब नहीं किया गया था–याची के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त।

(पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; A.P.P., For the State; M/s A.K. Sinha, Navin Kumar, For the O.P. No.2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा सूचक विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता भी सुने गए।

2. याची विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.12.2013 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा याची के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आई॰ ओ॰ के तलब पर गैर-जमानती वारन्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। तलब अभिलेख पर लाया गया है जो दर्शाता है कि वारन्ट के लिए तलब केवल इस तथ्य के कारण किया गया था कि अन्वेषण के दौरान, याची की मामले में अंतर्ग्रस्तता पायी गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 की दृष्टि में आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आक्षेपित आदेश के कोरे परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब पर याची के विरुद्ध वारन्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। तलब जिसे परिशिष्ट-2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, यह भी दर्शाता है कि वारन्ट की प्रार्थना केवल इस तथ्य की दृष्टि में की गयी थी कि अन्वेषण के दौरान मामले में याची की अंतर्ग्रस्तता पायी गयी थी। द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 प्रावधानित करती

है कि दंडाधिकारी किसी फरार दोषसिद्ध अथवा उद्घोषित अपराधी अथवा किसी व्यक्ति जो गैर जमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है की गिरफ्तारी के लिए अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर सकता है। तलब स्पष्टत: दर्शाता है कि तलब इनमें से किसी आधार पर नहीं किया गया है बल्कि केवल यह कथन करते हुए तलब किया गया है कि अन्वेषण के दौरान याची के विरुद्ध कुछ सामग्री पायी गयी है। इस तथ्य की दृष्टि में कि यह अभिकथित करते हुए कि याची फरार दोषसिद्ध अथवा उद्घोषित अपराधी था अथवा गिरफ्तारी से बच रहा था, याची के विरुद्ध तलब नहीं किया गया था, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची के विरुद्ध वारन्ट जारी करने वाला आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. तद्नुसार, बिस्टुपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 150 वर्ष 2011, में जी॰ आर॰ सं॰ 1957 वर्ष 2011 के तत्सम, में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.12.2013 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि आई॰ ओ॰ को और अवर न्यायालय को इस आदेश के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुरुप आगे अग्रसर होने की छूट होगी।

8. तद्नुसार, उक्त संप्रेक्षण के साथ इस दांडिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

रिंकी कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3469 of 2011. Decided on 10th September, 2014.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–सहायिका के पद से–याची के चयन जिसे निष्पक्ष तरीके से किया गया था में नियमों अथवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है–जैसा डी॰ डी॰ सी॰ द्वारा निर्देश दिया गया है, याची की नियुक्ति की समाप्ति के प्रश्न पर और इसी केंद्र के लिए नयी सहायिका का चयन करने के प्रश्न पर भी निर्णय लेने के लिए आम सभा को पुन: आहूत करने का आधार नहीं बनाया गया है–सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–M/s Binod Kumar Dubey, Suresh Kr. Sinha, For the Petitioner; Mr. Shadab bin haque, For the State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए। यद्यपि प्राइवेट प्रत्यर्थी पर वैध रूप से नोटिस तामील किया गया था, वह मामले का प्रतिवाद करने के लिए उपस्थित नहीं हुई है। रिट याचिका सुनी जा रही है और याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद रिट याचिका विनिश्चित की गयी है।

2. याची को दिनांक 14.5.2010 को की गयी आम सभा के आधार पर प्रखंड एवं जिला चतरा के अधीन ग्राम करनी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी, ईटखोरी, चतरा द्वारा उसी दिन अनंतिम नियुक्ति पत्र, परिशिष्ट-2 जारी किया गया था। आम सभा में अनेक गाँववाले उपस्थित हुए थे। आम सभा के कार्यवृत्त को रिट याचिका के परिशिष्ट-1

के रूप में संलग्न किया गया है। याची के पास द्वितीय श्रेणी के साथ इंटरमीडिएट की उच्चतर अर्हता थी और दिनांक 3.2.1989 को जन्म होने के कारण वह आयु सीमा के अंतर्गत थी। यद्यपि कुछ गाँववालों ने प्रस्ताव दिया कि एक अन्य आवेदक अर्थात् सुनीता कुमारी, जो प्राइवेट प्रत्यर्थी है, का चयन किया जाए किंतु कार्यवृत्त में उपदर्शित किया गया है कि चयन कमिटी के सदस्यों ने मत दिया कि यदि शेष आवेदकगण अपने आवेदनों को वापस लेते हैं, केवल तब चयन के लिए उक्त आवेदक पर विचार किया जा सकता था। किंतु वर्तमान याची सहित कोई भी अपना आवेदन वापस लेने आगे नहीं आया और तत्पश्चात आम सभा ने सहायिका के पद के लिए याची के चयन की अनुशंसा की। अर्नतिम नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के बाद याची को सी॰ डी॰ पी॰ ओ॰, ईटखोरी द्वारा दिनांक 5.8.2010 के मेमो सं॰ 160 वाला चयन पत्र जारी किया गया था जिसके अधीन उसे अपने समस्त प्रमाणपत्रों के साथ सी॰ डी॰ पी॰ ओ॰ के समक्ष पदग्रहण रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, याची उक्त केंद्र के लिए सहायिका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही। आरंभ में, वह उक्त पद के लिए मानदेय के भुगतान के लिए इस न्यायालय के पास आयी किंतु रिट आवेदन लंबित रहने के दौरान जिला कल्याण अधिकारी, चतरा द्वारा जारी दिनांक 30.3.2012 के मेमो सं॰ 190 वाले परिशिष्ट–11 पर आक्षेपित आदेश द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी। इसे तत्पश्चात अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल करके चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 19.8.2013 को अनुज्ञात किया गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश निम्नलिखित कारणों से विधि में दोषपूर्ण है: (i) कि इसे विकास उपायुक्त, चतरा के निर्देश पर जारी किया गया है जो विधि की दृष्टि में समुचित नहीं है; (ii) प्रखंड विकास अधिकारी, ईटखोरी के दिनांक 10.1.2011 के पत्र (परिशिष्ट–7) को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन किया गया है कि नयी आम सभा बुलाने का सुझाव दिया गया था क्योंकि नव–निर्वाचित 'मुखिया' एवं कुछ गाँववाले सहायिका के पद के लिए गरीब महिला सुनीता कुमारी, प्राईवेट प्रत्यर्थी सं॰ 8, के चयन के पक्ष में थे। केवल तत्पश्चात याची के चयन को निष्प्रभावी करने के लिए आम सभा की गयी थी; (iii) आक्षेपित आदेश द्वारा उसकी नियुक्ति समाप्त किए जाने के पहले याची को कोई अवसर अथवा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। परिशिष्ट–10 के मुताबिक, बाद में आहूत आम सभा द्वारा प्राईवेट प्रत्यर्थी का चयन किया गया था और दिनांक 22.12.2011 को उपायुक्त चतरा द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। उक्त आदेश भी संशोधित रिट याचिका में चुनौती के अधीन है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना केवल नवनिर्वाचित 'मुखिया' एवं कुछ गाँववालों की सनक पर और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना याची की नियुक्ति पूर्णत: मनमाने एवं अवैध तरीके से समाप्त की गयी है।

4. प्रत्यर्थी राज्य ने अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है और आई॰ ए॰ सं॰ 1288 वर्ष 2013, जिसके अधीन सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती इप्सित की गयी थी, का उत्तर दिया है। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याची के चयन के संबंध में गाँववालों से अनेक परिवादों को प्राप्त किया गया था। ऐसे परिवादों को प्रत्यर्थी राज्य के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त परिवाद और प्रत्यर्थी सं॰ 8 के अभ्यावेदन के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उक्त अभ्यावेदन में याची के विरुद्ध एकमात्र अभिकथन यह था कि वह खुशहाल परिवार से आती है और कि गाँव में उसका घर था। प्राइवेट प्रत्यर्थी गरीब परिवार से आती थी और संतानें उस पर आश्रित थे। अत: गाँववालों के मत में, उसे उक्त केंद्र के लिए सहायिका के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए था। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसे उसी प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है और जो दिनांक 6.10.2010

का है, के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उक्त अधिकारी ने गाँववालों से और बाल विकास कार्यालय के कर्मचारियों से जाँच करने के बाद याची के चयन में नियम अथवा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं पाया था जिसे निष्पक्ष तरीके से संचालित किया गया बताया जाता है। उन्होंने संप्रेक्षित किया कि किसी चयन के ऊपर विवाद उठाना भिन्न मामला है किंतु चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं थी। तत्पश्चात, प्रखंड विकास अधिकारी, ईटखोरी और जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, चतरा के बीच हुए पत्र व्यवहार के कारण विकास उपायुक्त, चतरा ने याची की सेवा समाप्ति और उक्त केंद्र के लिए नयी सहायिका के चयन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए नयी आम सभा करने का निर्देश दिया। जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, चतरा के दिनांक 13.5.2011 की संसूचना (परिशिष्ट–8) का परिशीलन उपदर्शित करता है कि याची की सेवा समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए और नयी सहायिका की नियुक्ति के लिए नया निर्णय लेने के लिए नयी आम सभा बुलायी गयी थी।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र के विभिन्न परिशिष्टों को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि याची का चयन सामाजिक कल्याण विभाग के दिनांक 2.6.2006 के परिपत्र के उल्लंघन में था जिसके अधीन आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की नियुक्ति/चयन किया जाना है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त परिपत्र प्रस्तुत किया गया है। किंतु इसका परिशीलन उपदर्शित नहीं करता है कि चयन प्रक्रिया में, जैसा उक्त परिपत्र के अधीन अनुध्यात किया गया है, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। स्वीकृत रूप से, याची द्वितीय श्रेणी के साथ इंटरमीडियट की उच्चतर अर्हता वाली उम्मीदवार थी और विहित आयु सीमा के अंतर्गत थी। वह उसी गाँव के लाभार्थी क्षेत्र से आती है। दिनांक 14.5.2010 को सम्यक रूप से गठित आम सभा द्वारा निर्णय लिया गया था। अत:, केवल इसलिए कि नवनिर्वाचित 'मुखिया' एवं कुछ गाँववाले प्राईवेट प्रत्यर्थी का चयन सहायिका के रूप में करना चाहते थे, अनेक परिवाद/अभ्यावेदन दिए गए थे, जिस पर प्रत्यर्थी राज्य ने याची की नियुक्ति की समाप्ति एवं नयी सहायिका के चयन पर निर्णय लेने के लिए आम सभा को मामला निर्दिष्ट करना चुना है। ऐसा रास्ता विधि की दृष्टि में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि याची के विरुद्ध कतिपय अभिकथन थे, जिनकी जाँच की जा रही थी, इनका खंडन करने के लिए उसे अवसर कभी नहीं दिया गया था। किंतु अभिकथन को देखते ही, जैसा परिवादों/अभ्यावेदनों में परिलक्षित होता है, यह प्रतीत होता है कि दिनांक 2.6.2006 के परिपत्र के अधीन अनुबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है। संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा याची की नियुक्ति समाप्त की गयी है, विधि में और तथ्यों पर भी दूषित हो गयी प्रतीत होती है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 393 वर्ष 2013, कंचन देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 24.7.2014 के निर्णय और **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6261 वर्ष 2011, कुंती देवी बनाम झारखंड राज्य,** में पारित इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.9.2013 के निर्णय पर यह निवेदन करने के लिए विश्वास किया है कि विकास उपायुक्त का निर्देश उसमें अधिकथित विधि के विरोध में है।

7. चाहे जो भी हो, समस्त प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश पूर्णत: अन्यायोचित एवं मनमाना है और उन विचारों पर आधारित है जो बिल्कुल

प्रासंगिक नहीं हैं। याची की नियुक्ति की समाप्ति और उसी केंद्र के लिए नयी सहायिका के चयन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आम सभा बुलाने, जैसा विकास उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है, के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। अतः, दिनांक 30.3.2012 के परिशिष्ट 11 में अंतर्विष्ट याची की नियुक्ति की समाप्ति का आक्षेपित आदेश और दिनांक 17.1.2012 के परिशिष्ट 10 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 का चयन विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, उन्हें अभिखंडित किया जाता है।

8. पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn] U;k;efr

दिनेश कुमार सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य, निगरानी के माध्यम से

Cr.M.P. No. 37 of 2014. Decided on 15th May, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 420, 109, 120B एवं 201 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएँ 13 (1) (d) एवं 13 (2)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भूमि विक्रय के क्रम में अपराध किया गया–अंतरक, जो सदैव संपत्तियों का अपना होने का दावा कर रहा है, को विभिन्न व्यक्तियों जिनके नामों में याची द्वारा भूमि नामांतरित की गयी थी को विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि अंतरित करके कूट रचना का अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है–धारा 120B के मदद से याची द्वारा कूटरचना को अपराध करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है–पी॰ सी॰ अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी ताथ्यिक तथ्य की अनुपस्थिति में याची को पी॰ सी॰ अधिनियम के अधीन अपराध करता नहीं कहा जा सकता है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित।

(पैराएँ 16 से 20)

निर्णयज विधि.–2009 (4) JLJR (SC) 75—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन दिनांक 22.6.2013 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची ने याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 420, 109, 120B, 201 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (d) सह-पठित धारा 13 (2) के अधीन भी दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है, सहित विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000 को उद्भूत करने वाले निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000 की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने के पहले अभियोजन मामले पर गौर करने की आवश्यकता है।

4. अभियोजन का मामला यह है कि खाता सं॰ 60, भूखंड सं॰ 1051 एवं 549 से संबंधित मौजा कामरे की 12.15 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार कैलाश नाथ भारती एवं बैजनाथ दयाल भारती की थी जिन्होंने दिनांक 16.4.1948 को कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह को भूमि का छप्परबंदी बंदोबस्ती किया। बाद में, उक्त कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह ने दिनांक 7.4.1961 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती बामेश्वरी देवी को भूमि बेच दिया। तत्पश्चात, तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा उसके नाम में भूमि नामांतरित की गयी थी और उसके नाम में जमाबंदी खोली गयी थी। समय के क्रम में, उक्त भूमि वर्ष 1988 में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से अब्दुल हफीज को बेची गयी थी। 12.05 एकड़ माप वाले उक्त भूमि में से 4.05 एकड़ मापवाले भूमि के टुकड़े को दिनांक 16.8.1988 को नीलांचल गृह निर्माण समिति, कमरे को बेचा गया था। तत्कालीन सी॰ ओ॰, काँके ने ताथ्यिक अवस्था का यह सत्यापन किए बिना कि उक्त भूमि गैर मजरुआ मालिक भूमि थी, दिनांक 28.8.1990 को नामांतरण मामला सं॰ 324 (R)-27/90-91 के तहत समिति द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध उक्त समिति का नाम नामांतरित किया।

5. आगे यह अभिकथित किया गया है कि शेष भूमि श्रीमती गीता सिंह को बेची गयी थी जिसका नाम भी नामांतरण मामला सं॰ 648 (R) वर्ष 1990-91 के तहत उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध तत्कालीन सी॰ ओ॰ द्वारा नामांतरित किया गया था और उसके नाम में जमाबंदी खोली गयी थी। बाद में, जब नीलांचल गृह निर्माण समिति के सचिव ने याची सहित 18 व्यक्तियों को भूमि बेचा, 18 व्यक्तियों के नामों को वर्ष 1991 एवं 1992-93 में उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था।

6. उक्त अभिकथन पर, याची सहित अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध इस आधार पर मामला दर्ज किया गया था कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ मालिक भूमि के रूप में दर्ज की गयी थी और इसकी प्रकृति 'परती पत्थल' थी जिसे दिनांक 16.4.1948 को तत्कालीन भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा अन्य व्यक्तियों को बंदोबस्त किया गया था यद्यपि भू-सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन दिनांक 1.1.1946 के बाद भूमि अंतरित करने पर प्रतिषेध था। उसके बावजूद, इस याची ने और अन्य अंचलाधिकारियों ने भी अपनी आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग करके उनके द्वारा बंदोबस्त की गयी भूमि के विरुद्ध अंतरितियों का नाम नामांतरित किया यद्यपि उन्हें बिहार भू-सुधार अधिनियम की धारा 4H के अधीन कार्यवाही आरंभ करना चाहिए था।

7. ऐसे अभिकथन पर, निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000 विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000 के तत्सम, के रूप में मामला दर्ज किया गया था। आरोप-पत्र दाखिल किए जाने पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 477A, 423, 424, 402, 109, 120B, 201 के अधीन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन भी दिनांक 22.6.2013 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

8. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे नीरज राय निवेदन करते हैं कि यह स्वयं अभियोजन का मामला है कि जब भूतपूर्व जमीन्दार ने भूमि जिसे गैर मजरुआ किया, उसका नाम तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा नामांतरित किया गया था। बाद में, उक्त कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह ने दिनांक 7.4.1961 को श्रीमती बामेश्वरी देवी को भूमि बेचा, उसका नाम उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था और जमाबंदी सृजित की गयी थी और किराया रसीदों को जारी किया गया था। जब श्रीमती बामेश्वरी देवी ने अब्दुल अजीज को भूमि बेचा, उसने नीलांचल गृह निर्माण समिति को भूमि बेच दिया जिसका नाम तत्कालीन सी॰ ओ॰ द्वारा इसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था। बाद में, समिति के सचिव ने याची सहित 18 व्यक्तियों को भूमि बेचा और तद्द्वारा याची को कूटरचना, दुर्विनियोग अथवा छल का अपराध करता नहीं कहा जा सकता है।

9. आगे यह निवेदन किया गया था कि सी॰ ओ॰ के पदग्रहण करने के काफी पहले बामेश्वरी देवी के नाम में भूमि दर्ज की गयी थी और किराया रसीद जारी किए गए थे, किस प्रकार सी॰ ओ॰ को बामेश्वरी देवी के नाम में भूमि नामांतरित करने एवं किराया रसीद जारी करने में अन्य अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र करता कहा जा सकता है।

10. आगे यह निवेदन किया गया था कि याची ने यह ध्यान में लेने के बाद कि भूमि तत्कालीन अंतरितियों के नाम में दर्ज की गयी थी, समिति के सचिव से भूमि खरीदा और अपना नाम नामांतरित करवाया और तद्द्वारा याची को कोई अपराध जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है करता नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है विशेषत: जब सी॰ ओ॰ के विरुद्ध संज्ञान लेने वाले आदेश को इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।

11. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश निवेदन करते हैं कि यह सत्य है कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार के नाम में दर्ज की गयी थी जिसे किसी के पक्ष में भूमि अंतरित अथवा बंदोबस्त करने का प्रत्येक अधिकार था किंतु बिहार भू-सुधार अधिनियम के अधीन उसे केवल दिनांक 1.1.1946 तक भूमि अंतरित करना चाहिए था जबकि वर्तमान मामले में भूतपूर्व जमीन्दार ने आरंभ में दिनांक 16.4.1948 को भूमि बंदोबस्त किया था जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में था एवं इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उक्त अंतरण बिहार भू-सुधार अधिनियम के प्रावधान को विफल करने के लिए किया गया था। उसके बावजूद, तत्कालीन अंचलाधिकारी ने उन व्यक्तियों के नाम में जमाबंदी खोला जिनको भूतपूर्व जमीन्दार ने भूमि बंदोबस्त किया था। इसी प्रकार से, तत्कालीन सी॰ ओ॰ ने नीलांचल गृह निर्माण समिति के नाम में और याची सहित 180 व्यक्तियों के नाम में जमाबंदी खोला जिन्होंने नीलांचल गृह निर्माण समिति से भूमि खरीदा था यद्यपि उसे बिहार भू-सुधार अधिनियम की धारा 4H के अधीन कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में, याची को निश्चय ही अपराध करता कहा जा सकता है जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है।

12. इन परिस्थितियों में, प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या प्राथमिकी में किए गए अभिकथन छल, कूटरचना, दुर्विनियोग का अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध गठित करते हैं?

13. ऊपर पहले ही गौर किया गया है कि भूतपूर्व जमीन्दार ने कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह को भूमि बंदोबस्त किया था जिसने बाद में बामेश्वरी देवी को भूमि बेचा जिसका नाम उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि के विरुद्ध नामांतरित किया गया था और जमाबंदी खोली गयी थी और किराया रसीद जारी किया गया था। बाद में, उसने किसी अब्दुल अजीज को भूमि बेचा जिसने नीलांचल गृह निर्माण समिति को भूमि बेचा जिसका नाम तत्कालीन सी॰ ओ॰ द्वारा नामांतरित किया गया था जिसने याची सहित अन्य व्यक्तियों का नाम भी नामांतरित किया जिन्होंने नीलांचल गृह निर्माण समिति से भूमि खरीदा था।

14. इन अभिकथनों को सत्य मानने पर भी शायद ही कोई पाएगा कि छल का अपराध बनता है।

15. इस संबंध में, मैं **मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य,** [2009 (4) JLJR (SC) 75], मामले में निर्णय को निर्दिष्ट कर सकता हूँ जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 470 में अंतर्विष्ट प्रावधान एवं कूट रचना से संबंधित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*^^èkkjk 467 ,o 471 d vèkhu vijkèk dh ijkHkk0; 'kr dVjpuk gA dVjpuk dh ijkHkk0; 'kr >Bk nLrkot (vFkok >Bk byDVkfud fjdkM vFkok mldk Hkkx) cukuk gA ;g ekeyk fdlh >B byDVkfud fjdkM l lcfèkr ugh gA vr%] ç'u ;g gfd D;k çFke vfHk;Dr dk lifÙk (Hky gh ;g ekuk tkrk g fd ;g mldh ugh Fkh) dk cpu dk rkRi; j[kr g, nk foØ; foy[kk d fu"iknu ,o jftLV'ku e vU; vfHk;Drx.k d lkFk njfHklfèk e >Bk nLrkot cukrk vkj fu"ikfnr djrk gvk dgk tk ldrk gA***

16. यह कथन किया जाए कि अंतरक, जो सदैव संपत्ति अपना होने का दावा कर रहा है, को विभिन्न व्यक्तियों, जिनके नाम में याची द्वारा भूमि नामांतरित की गयी थी, को विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि अंतरित करके कूट रचना का अपराध करता नहीं कहा जा सकता है और तद्द्वारा धारा 120B की मदद से याची द्वारा कूट रचना का अपराध किए जाने का प्रश्न कभी नहीं उद्भूत होता है।

17. मामले में आगे जाते हुए, शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धाराओं 423 एवं 424 के अधीन अपराध बनता है जब यह प्रतिफल का झूठा विवरण अंतर्विष्ट करने वाले अंतरण विलेख के गैर ईमानदार अथवा कपटपूर्ण निष्पादन का मामला नहीं है और न ही यह संपत्ति के गैर ईमानदार रूप से अथवा कपटपूर्वक हटाए जाने से अथवा छुपाने का मामला है।

18. इसी प्रकार से, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याची यह पाने पर कि अंतरकों का नाम पहले ही रजिस्टर II में दर्ज किया गया है, समिति से भूमि खरीदा और अपना नाम नामांतरित करवाया, याची को छल का अपराध करता हुआ कभी नहीं कहा जा सकता है जैसा धारा 420 के अधीन दंडनीय भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अधीन परिभाषित किया गया है।

19. आगे, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध गठित करने वाले किसी ताथ्यिक तथ्य की अनुपस्थिति में याची को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

20. इन परिस्थितियों के अधीन, संज्ञान लेने वाले दिनांक 22.6.2013 के आदेश सहित निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2000 (विशेष केस सं॰ 14 वर्ष 2000) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है जहाँ तक याची का संबंध है।

परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

बबिता देवी उर्फ बबली देवी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1087 of 2013. Decided on 1st September, 2014.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 112—संतान की पितृत्वता–डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा–तलाक अपील एवं भरण-पोषण कार्यवाही न्यायालय में लंबित है–एफ॰ एस॰ एल॰, राँची का रिपोर्ट याची के विरुद्ध है–एक अन्य डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए रक्त नमूनों को सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, हैदराबाद भेजने की याची की प्रार्थना अनुज्ञात नहीं की जा सकती है क्योंकि यह अंतहीन प्रक्रिया के तुल्य होगा–प्रक्रिया की अंतिमता होनी ही चाहिए–आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mrs. Vandana Singh, For the Petitioners; A.P.P., For the State.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण एम॰ पी॰ केस सं॰ 68 वर्ष 2004 में विद्वान प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 28.1.2013 से व्यथित हैं जिसके द्वारा याची सं॰ 2 और ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के रक्त नमूनों को एक अन्य डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, हैदराबाद भेजने के लिए याची सं॰ 1 द्वारा दाखिल आवेदन अवर न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद था और याची सं॰ 1 के पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन वैवाहिक वाद सं॰ 385 वर्ष 2005 दाखिल किया गया था जो दिनांक 15.12.2004 के निर्णय के तहत विवाह की अकृतता की डिक्री में समाप्त हुआ। उक्त निर्णय के विरुद्ध याची सं॰ 1 ने एफ॰ ए॰ सं॰ 16 वर्ष 2005 दाखिल किया जो याचीगण के अनुसार ग्रहण किया गया है और इस न्यायालय में अभी भी लंबित है। इस बीच, याची सं॰ 1 ने कुटुंब न्यायालय, राँची में अपने पति से भरण–पोषण का दावा करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन आवेदन भी दाखिल किया है जिसमें याची सं॰ 1 ने दावा किया कि संतान (याची सं॰ 2) का जन्म उनके बीच विवाह से हुआ था। एक भिन्न परिवाद मामला सं॰ 1147 वर्ष 2002 में दर्ज याची सं॰ 1 के पूर्व बयान, जिसमें उसने परिसाक्ष्य दिया था कि ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के साथ विवाह के बाद वह दांपत्य गृह गयी जहाँ उसका पहला पति संजय कुमार गुप्ता आया और उसका अपनी पत्नी होने का दावा किया और वहाँ से उसे संजय कुमार गुप्ता द्वारा अपने घर ले जाया गया था जहाँ वे पति–पत्नी की तरह साथ रहने लगे और कि उसने संजय कुमार गुप्ता से गर्भ धारण किया था, को विचार में लेते हुए संतान एवं ओ॰ पी॰ सं॰ 2 की डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन कुटुंब न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था। तत्पश्चात, याची ने इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 27 वर्ष 2010 दाखिल किया और इस न्यायालय ने दिनांक 25.4.2011 के आदेश द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला, राँची में संतान (याची सं॰ 2) और ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए निर्देश दिया। यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा की गयी थी और तत्पश्चात यह कथन करते हुए कि यह मौनानुकूल परीक्षा थी जिसे ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के साथ दुरभिसंधि में प्राप्त किया गया था, डी॰ एन॰ ए॰ रिपोर्ट के परिणाम को याची ने चुनौती दिया और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, हैदराबाद में नयी डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के लिए प्रार्थना किया जिस प्रार्थना को अवर न्यायालय द्वारा एम॰ पी॰ केस सं॰ 68 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 28.1.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध है क्योंकि एफ॰ एस॰ एल॰, राँची से ओ॰ पी॰ सं॰ 2 द्वारा अपने पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त किया गया है और तद्नुसार, उक्त रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, हैदराबाद में नया डी॰ एन॰ ए॰ टेस्ट करवाने का आदेश दिया जाए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि डी॰ एन॰ ए॰ टेस्ट के लिए याची की प्रार्थना पहले ही अनुज्ञात की गयी थी जिसे किया गया था और रिपोर्ट याची के विरुद्ध है। यह निवेदन किया गया है कि केवल इसलिए कि रिपोर्ट याचीगण के विरुद्ध है, नए सिरे से परीक्षा नहीं की जा सकती है। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि एफ॰ एस॰ एल॰, राँची में डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा करने के लिए याचीगण की प्रार्थना पहले इस न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की गयी थी। यह प्रतीत होता है कि एफ॰ एस॰ एल॰, राँची की रिपोर्ट याची के विरुद्ध है जिस कारण याची ने यह कथन करते हुए कि यह मौनानुकूल था जिसे ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के साथ दुरभिसंधि में प्राप्त किया गया था, याची डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षा के परिणाम पर आपत्ति करने लगी यद्यपि उसके अभिकथन का प्रमाण नहीं था। याची की प्रार्थना अनुज्ञात नहीं की जा सकती है क्योंकि यह अंतहीन प्रक्रिया के तुल्य होगा क्योंकि पश्चातवर्ती डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षाओं के रिपोर्टों को एक या दूसरे पक्ष द्वारा सदैव चुनौती दिया जा सकता है जिसके विरुद्ध रिपोर्ट आ सकता है। प्रक्रिया की अंतिमता होनी ही चाहिए।

7. मैं नए डी॰ एन॰ ए॰ टेस्ट के लिए याचीगण की प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ। इस आवेदन में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh e[; U;k;kèkh'k] vferko dekj xlrk] U;k;efr

रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

cuke

वीर सिंह एवं अन्य

L.P.A. No. 351 of 2007. Decided on 8th August, 2014.

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981–नियम 7–वेतनमान–RIADA में विकास पदाधिकारी का पद–प्रत्यर्थी-याची ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि RIADA में विकास पदाधिकारी तथा उद्योग विभाग में उप निदेशक के पद समतुल्य पद हैं–इन दोनों पदों में भर्त्ती की प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न है–कर्मचारीगण के वेतनमान के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार अनुमोदन प्राधिकार है–एल॰ पी॰ ए॰ आंशिक रूप से अनुज्ञात। (पैराएँ 12 से 17)

निर्णयज विधि.–2007 (2) JCR 243 (Jhr); 2007 (3) JLJR 641; (2007) 2 SCC 491; (2006) 1 SCC 479—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s C.A. Bardhan, R.K. Singh, For the Appellant; Mr. Sunil Singh, For the State; M/s Saurav Arun, D.K. Dubey, Ajit Kumar, For the Respondents.

अमिताव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) संख्या 6068 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 12.9.2007 के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील निर्दिष्ट है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-याची का रिट आवेदन अनुज्ञात कर दिया था।

2. प्रत्यर्थी-याची ने पूर्वोक्त रिट दाखिल किया था ऐसा कथित करते हुए कि उसे वर्ष 1979 में प्रकाशित RIADA के विज्ञापन के अनुसार 24.9.1979 को 1060-1582 रुपये के वेतनमान में विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। यह कि विकास पदाधिकारी का पद सदैव उद्योग विभाग में उप निदेशक के पद के समतुल्य माना गया था तथा वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा में उप-निदेशक के पद के लिए अनुमोदित वेतनमान विकास पदाधिकारी को दिया गया था तथा चतुर्थ

वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुशंसा के अनुसार उप-निदेशक का वेतनमान 3000-4500 रुपये के वेतनमान में संशोधित किया गया था जिसके परिणामत: उप निदेशक या समतुल्य पद के धारकों द्वारा असंतोष किया गया था एवं मामला विसंगति निराकरण समिति को निर्दिष्ट किया गया था जिसके उपरान्त उप-निदेशक का वेतनमान 3700-5000 रुपये के वेतनमान में निर्धारित किया गया था एवं दिनांक 8.2.1996 के संकल्प के निबंधनों में वित्त विभाग द्वारा विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गयी थी। यह कथित किया गया है कि यद्यपि 3000-4500 रुपये के वेतनमान में विकास पदाधिकारी का वेतनमान संशोधित करने वाली चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट अपीलार्थीगण द्वारा स्वीकार की गयी है परन्तु वित्त विभाग द्वारा यथा स्वीकृत विसंगति पुनरीक्षण समिति द्वारा सुझाया गया वेतनमान का पुनरीक्षण अपीलार्थीगण द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था जिसके उपरान्त प्रत्यर्थी/याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 7.2.1997 के पत्र द्वारा उद्योग विभाग को अनुशंसा के साथ सचिव, RIADA द्वारा अग्रसारित किया गया था। यह कथित किया गया है कि अपीलार्थी/प्रत्यर्थी सं॰ 4 के निदेशक मंडल ने संकल्प सं॰ 60A-द्वारा संकल्प लिया था कि कर्मचारीगण को षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारीगण पर प्रयोज्य पुनरीक्षण के मुताबिक लाभ, भत्ते एवं वेतन प्रदान किये जाने होंगे ऐसा संकल्प करते हुए कि अपीलार्थी के कर्मचारीगण को षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान के पुनरीक्षण के लाभ प्रदान किये जाने चाहिए तथा 22.11.1999 को बोर्ड की 60वीं बैठक द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, संकल्प की दृष्टि में, प्रत्यर्थी/याची 1.1.1996 से षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुसार संशोधित वेतनमान का लाभ तथा 1.4.1997 से भुगतान किये जाने वाले मौद्रिक लाभों को प्राप्त करने का हकदार था।

3. प्रत्यर्थी-याची ने वित्त विभाग द्वारा यथा अपनायी गयी विसंगति निराकरण समिति की अनुशंसा के निबंधनों में सम्यक् वेतन का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को एक निर्देश के लिए CWJC सं॰ 341 वर्ष 2000(R) दाखिल किया था। यह कि उक्त रिट दिनांक 3.4.2002 के आदेश द्वारा याची को सचिव, वित्त के पास जाने का निर्देश देते हुए निस्तारित कर दिया गया था एवं याची ने सचिव, वित्त के समक्ष दिनांक 17.5.2002 का एक अभ्यावेदन दाखिल किया था जिसपर ज्ञाप सं॰ 5023 दिनांक 5.8.2002 द्वारा सचिव, वित्त ने एक निर्णय संसूचित किया था ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए कि बोर्ड/निगम/प्राधिकार स्वायत्त निकाय हैं तथा अपने कर्मचारीगण की मांग को पूरा करने का भार अपीलार्थी प्राधिकार पर है तथा यह चिन्ता करना RIADA का कार्य था कि वह किस प्रकार आवश्यक धन की व्यवस्था करता है। सचिव, वित्त के पत्र की दृष्टि में, प्रत्यर्थी/याची ने दिनांक 12.8.2002 के पत्र द्वारा सचिव, वित्त के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए अपीलार्थीगण से आग्रह किया था परन्तु अपीलार्थीगण मामले पर कोई निर्णय लिये बिना निष्क्रिय बने रहे थे।

4. इस प्रकार, व्यथित होकर पूर्वोक्त रिट दाखिल किया गया था जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश द्वारा रिट आवेदन अनुज्ञात कर दिया था ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रत्यर्थी/याची 1.3.1989 के प्रभाव से पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान के अंतर तथा 1.4.1997 के प्रभाव से षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति के लाभों का हकदार है तथा अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को मामले में छह सप्ताहों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।

5. अपीलार्थी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे थे कि षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन या षष्ट्म वेतन

पुनरीक्षण के संबंध में रिट याची को लाभ प्रदान करने के संबंध में रिट आवेदन में कोई आग्रह नहीं किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संक्षेप में 'RIADA') एक स्वायत्त निकाय है तथा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन पुनरीक्षण स्वत: RIADA के कर्मचारीगण पर प्रयोज्य नहीं होता है; कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के उपरान्त पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर प्रत्यर्थी–याची का वेतनमान निर्धारित किया गया था तथा उसका वेतनमान 3000–4500/- रुपये निर्धारित किया गया था। यह आग्रह किया गया है कि माननीय न्यायाधीश इसे समझने में विफल रहे थे कि षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण के लाभ रिट याची को प्रदान करने के लिए अनुतोष प्रदान किया जाना RIADA के मामले में प्रयोज्य बनाया गया है, अगर सरकार को ऐसा समाधान होता है कि इसके पास अपनी ही प्रतिबद्धता द्वारा संसाधनों को उत्पन्न करने की क्षमता या योग्यता है, बजाय इन आधारों पर सरकार से मात्र यह मांग करते हुए कि सरकार इस निकाय का स्वामी/अंशधारक है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि प्रत्यर्थी–याची विकास पदाधिकारी का पद धारण किये हुए था तथा विकास पदाधिकारी का पद उप–निदेशक, उद्योग के पद के समतुल्य नहीं है क्योंकि विकास पदाधिकारी का पद रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अधीन है, जो एक स्वायत्त निकाय है, जबकि उप–निदेशक, उद्योग का पद सरकार के अधीन है तथा प्रत्यर्थी–याची का यह तर्क दोषपूर्ण है कि उसे सदैव उप–निदेशक, उद्योग का वेतनमान प्रदान किया गया था; कि उप–निदेशक, उद्योग को पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की वेतन विसंगति निराकरण समिति के अनुशंसाओं पर 3700–5000/- रुपये का वेतनमान प्रदान किया गया था क्योंकि उप–निदेशक, उद्योग ने विसंगति निराकरण समिति के समक्ष अपनी अभ्यापत्ति दाखिल की थी जिसके उपरान्त विसंगति निराकरण समिति ने उप–निदेशक, उद्योग के वेतन के पुनरीक्षण की अनुशंसा की थी तथा प्रत्यर्थी–याची का वेतनमान 3000–4500/- रुपये के वेतनमान में बना रहा था तथा 3700–5000/- रुपये में नहीं; कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्यर्थी–याची का वेतनमान राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा संशोधित एवं क्रियान्वित किया गया था जिसके उपरान्त, उसका वेतनमान 3000–4500/- रुपये निर्धारित किया गया था तथा विद्वान एकल न्यायाधीश को अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि प्रत्यर्थी–याची वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने वेतनमान के वर्धन का हकदार नहीं है जिसने केवल उप–निदेशक, उद्योग के वेतनमान को 3000–4500/- रुपये से बढ़ाकर 3700–5000.- रुपये करने की अनुशंसा की थी तथा विकास पदाधिकारी के वेतनमान के संबंध में अनुशंसा नहीं की गयी थी; कि उप–निदेशक, उद्योग का पद एक राजपत्रित पद है तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्त्ती की जाती है जबकि विकास पदाधिकारी का पद एक राजपत्रित पद नहीं है तथा झारखंड सरकार के एक स्वायत्त निकाय RIADA द्वारा विकास पदाधिकारी के पद पर भर्त्ती की जाती है; कि उप–निदेशक, उद्योग के दायित्व की प्रकृति RIADA के विकास पदाधिकारी के दायित्व के प्रकृति के समरूप नहीं है तथा किसी भी प्रकार से उन्हें समतुलय पद नहीं कहा जा सकता है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि प्रत्यर्थी–याची ने अपने वेतनमान के संबंध में वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन नहीं किया था, तद्नुसार, प्रत्यर्थी–याची के संशोधित वेतनमान के संबंध में कोई निर्देश नहीं किया गया था तथा अब प्रत्यर्थी–याची अपना वेतनमान

स्वत: वर्द्धित किया जाना चाहता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि RIADA के दिनांक 3.6.2003 के संकल्प के अनुसार, RIADA के वित्तीय वर्ष 2003–2004 के बजट को अनुमोदित करने का संकल्प लिया गया था तथा यह भी संकल्प लिया गया था कि चूँकि वित्त विभाग के पत्र सं॰ 660 दिनांक 8.2.1999 के अनुमोदित वेतन के लाभ प्राधिकार के कर्मचारीगण को प्रदान नहीं किये गये हैं, इस प्रकार, एक निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक कर्मचारीगण पिछले पारिश्रमिक का दावा नहीं करेंगे तथा उनके लिखित आश्वासन पर, वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए 1.4.2003 से संशोधित वेतनमान के आधार पर भुगतान करने का संकल्प लिया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है तथा विद्वान एकल न्यायाधीश इसे समझने में विफल रहे थे कि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्राधिकार वेतनमानों को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं।

7. प्रत्यर्थी–याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का तर्क इस अपील के पैराओं 3 एवं 4 में किये गये अपीलार्थीगण के निवेदनों का विरोधात्मक है। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एक ओर अपीलार्थी ने कथित किया है कि RIADA एक स्वायत्त निकाय है तथा सरकारी कर्मचारीगण के संबंध में वेतन पुनरीक्षण स्वत: इसके कर्मचारीगण पर प्रयोज्य नहीं हो जाता है तथा इसे प्रयोज्य बनाया जाता है जब अपीलार्थी सरकार को उसकी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने की अपनी क्षमता एवं योग्यता के बारे में समाधान करा देता है इस आधार पर सरकार से मात्र मांग करने के बजाय कि सरकार इस निकाय की स्वामी/अंशधारक है तथा दूसरी ओर अपीलार्थीगण ने अभिवाक् लिया है कि मामला अभी भी सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिए लंबित है तथा इस दौरान अपीलार्थी–RIADA ने 1.4.2003 से षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है, जो अपीलार्थीगण के सद्भाव के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है।

विद्वान अधिवक्ता ने **2007(2)JCR 243 (झारखंड)** में रिपोर्ट किये गये **शिव कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य; 2007(3) JLJR 641** में रिपोर्ट किये गये **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम शिव कुमार सिंह एवं एक अन्य** के मामले में हुए निर्णयों पर भरोसा किया है तथा निवेदन किया है कि बाद वाले निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस॰ एल॰ पी॰–एस॰ एल॰ पी॰ संख्या 2029 वर्ष 2007–दाखिल किया गया था, जिसे 2.11.2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था; कि पूर्वोक्त निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नगर निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि जैसे सांविधिक निकाय में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा बोर्ड के निर्णय को प्रभावी बनाया जाय। विद्वान अधिवक्ता ने **2007(2) SCC 491** में रिपोर्ट किये गये **पंजाब जल आपूर्ति एवं जलनिकासी बोर्ड बनाम रंजोत सिंह एवं अन्य** के मामले तथा **2006(1) SCC 479** में रिपोर्ट किये गये **यू॰ पी॰ राज्य पीतल निगम लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम उदय नारायण पांडे** के मामले में हुए निर्णयों पर भी भरोसा किया है अपने ही तर्कों को सिद्ध करने के लिए कि RIADA एक सांविधिक निकाय है तथा यह सरकार के अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने शपथपत्र के परिशिष्ट A की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है तथा निवेदन किया है कि बोर्ड की साठवीं बैठक में, यह संकल्प लिया गया था कि प्राधिकार के कर्मचारीगण/पदाधिकारीगण को भी राज्य सरकार के कर्मचारीगण तथा पदाधिकारीगण के समान वेतन पुनरीक्षण के लाभ प्रदान किये जायेंगे। यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त संकल्प 67वीं बैठक में निष्प्रभावी नहीं बनाया गया था, न ही कोई ऐसा संदर्भ किया गया था कि 60वीं बैठक का संकल्प वापस ले लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B को भी निर्दिष्ट

किया है जो प्रत्यर्थी–याची के वेतनमान में विसंगति से संबंधित सूचना की ईप्सा करते हुए सचिव, उद्योग विभाग द्वारा उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव को संबोधित एक पत्र है।

9. प्रत्यर्थी/याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है तथा रिट याचिका में यथा प्रकथित तथ्यों को दोहराया है कि वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार वेतन के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए प्रत्यर्थी/याची के विकास पदाधिकारी के पद को सदैव उद्योग विभाग में उप–निदेशक के पद के समतुल्य माना गया था। यह कि पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा की दृष्टि में, अपीलार्थी के निदेशक मंडल ने अपने मंडल की 60वीं बैठक में अपने कर्मचारीगण के संबंध में पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक संकल्प अपनाया था तथा तद्नुसार प्रत्यर्थी/याची को 3000–4500/- रुपये के वेतनमान का भुगतान किया गया था जो उप–निदेशक, उद्योग विभाग एवं अन्य समतुल्य पदों के लिए अनुशंसित वेतनमान था। यह कि वेतन विसंगति निराकरण समिति ने उप–निदेशक तथा अन्य समतुल्य पदों के वेतनमान का पुनरीक्षण करके 3500–5000/- रुपया करने की अनुशंसा की थी परन्तु वेतन विसंगति समिति की अनुशंसा प्रत्यर्थी/याची के मामले पर क्रियान्वित नहीं की गयी थी इस तथ्य के बावजूद कि वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के लिए उसे सदैव उप–निदेशक, उद्योग विभाग के समतुल्य माना गया था। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी/याची ने अपीलार्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिन्होंने ज्ञाप सं॰ 304 दिनांक 7.2.1997 द्वारा मामला सचिव, उद्योग विभाग को अनुशंसित कर दिया था कि अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी/याची के मामले पर स्वयं अपनी ओर से विचार करने का निर्देश देने वाले सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार के पत्र के बावजूद ऐसा किया था क्योंकि RIADA एक स्वायत्त निकाय था तथा अपने तौर पर उसे अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करना था तथा कठिनाई की दशा में RIADA अपने मूल विभाग के पास जा सकता था। 1.1.1996 के प्रभाव से षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने तथा 1.4.1997 के प्रभाव से मौद्रिक लाभों का भुगतान करने के निदेशक मंडल के संकल्प के बावजूद, इसे याची के पक्ष में क्रियान्वित नहीं किया गया था यद्यपि प्रत्यर्थी/याची उक्त अवधि के दौरान सेवा में था एवं 28.2.2001 को सेवानिवृत्त हुआ था। यह कि बोर्ड की 60वीं बैठक के संकल्प पर विचार नहीं किया गया था तथा बोर्ड की 67वीं बैठक द्वारा 1.4.2003 के प्रभाव से तदर्थ आधार पर षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट क्रियान्वित करने का संकल्प लिया गया था तथा इसको लेकर कोई औचित्य नहीं था कि प्रबंध निदेशक किस प्रकार एकपक्षीय रूप से निदेशक मंडल के निर्णय के प्रतिकूल कोई निर्णय ले सकते थे एवं 1.4.2003 की तिथि का चयन करने में क्या तर्क था तथा अपीलार्थी का यह तर्क कि वेतन के पुनरीक्षण की अनुशंसाएँ राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही क्रियान्वित की जा सकती हैं, थोड़ा विरोधात्मक है एवं त्यक्त किये जाने योग्य है।

10. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों की सुनवाई करने के उपरान्त, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 विनियम विरचित करने की प्राधिकार की शक्ति से संबंधित है परन्तु राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ। धारा 7 प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियों के संबंध में है। धारा 7 का खण्ड (d) राज्य सरकार द्वारा सम्यक अनुमोदन अनिवार्य बनाता है, धारा 8 प्राधिकार के आकलित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शाते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट तैयार करने का प्रावधान करती है तथा इसे राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार कोई निर्देश निर्गत कर सकती है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981

का नियम 7 बिहार सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना विहित करती है। नियम 7(iii) एवं (iv) निम्नवत् पठित है:–

^^7(iii) dkb 0; ;] ft l dk ctV e ikoèkku ugh fd ;k x ;k g ;k tk vfèkfu ;e dh èkkjk 8 dh mièkkjk (1) d vèkhu fuxr fcgkj l jdkj d fd l h fun'k d fo :) g] jkT; l jdkj dh io vuefr d fcuk mixr ugh fd ;k tk,xkA**

7(iv) ikfèkdkj }kjk iLrr ctV vfèkfu ;e dh èkkjk 8(1) d ikoèkku d vèkhu vko' ;d fun'k ndj jkT; l jdkj }kjk mikrfjr fd ;k tk l drk gA**

उपरोक्त यथा प्रगणित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 के प्रावधानों सह–पठित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981 की दृष्टि में, यह प्रकट है कि वित्तीय संव्यवहार एवं क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास संबंधी योजनाओं के मामले में भी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पर सरकार का नियंत्रण सर्वव्यापी है। प्रत्यर्थी–याची द्वारा इसपर विवाद नहीं किया गया है कि उप–निदेशक, उद्योग के लिए यथा निर्धारित 3700–5000/– रुपये के वेतनमान में प्रत्यर्थी–याची का वेतन निर्धारित करने के लिए उसने सचिव, RIADA के समक्ष अपना अभ्यावेदन दाखिल किया था तथा सचिव, RIADA ने दिनांक 7.2.1997 के पत्र द्वारा उद्योग विभाग को अभ्यावेदन अग्रसारित कर दिया था।

11. जैसा कि उल्लिखित किया गया है, प्रत्यर्थी–याची ने निवेदन किया है कि निदेशक मंडल ने संकल्प संख्या 60A-द्वारा संकल्प लिया था कि कर्मचारीगण को पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के निबंधनों में राज्य सरकार के कर्मचारीगण पर प्रयोज्य वेतन पुनरीक्षण के अनुसार लाभों, भत्तों एवं वेतन का भुगतान करना होगा तथा उक्त संकल्प द्वारा, कर्मचारीगण को संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान किये जाने चाहिए तथा बोर्ड की दिनांक 22.11.1999 की 60वीं बैठक द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था तथा षष्ठ्म वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार याची 1.4.1997 से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का हकदार था तथा इसका कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है कि 60वीं बैठक के संकल्प को निर्दिष्ट किये बिना अपीलार्थीगण ने दिनांक 3.6.2003 की बोर्ड के 67वीं बैठक द्वारा 1.4.2003 से वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 660 दिनांक 8.2.1996 के निबंधनों में वेतनमान क्रियान्वित करने तथा उसका भुगतान करने का निर्णय क्यों लिया था।

12. क्रम सं॰ 14 पर मौजूद दिनांक 3.6.2003 की 67वीं बैठक के संकल्प के परिशीलन पर, यह प्रकट है कि वर्ष 2003–2004 के लिए RIADA का बजट स्वीकार किया गया था तथा बजट पर चर्चा के अनुक्रम में यह निर्णय किया गया था कि प्राधिकार के कर्मचारीगण को वित्त विभाग के पत्र सं॰ 660 दिनांक 8.2.1999 के निबंधनों में अबतक लाभ प्रदान नहीं किया गया है तथा चर्चाओं पर, यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं किये जाने तक, कर्मचारीगण के लिखित आश्वासन पर कि वह राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक बकायों का दावा नहीं करेंगे, वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 660 दिनांक 8.2.1999 के निबंधनों में 1.4.2003 से संशोधित वेतनमान पर भुगतान करने की अनुशंसा की गयी थी। यह संकल्प प्रदर्शित करता है कि 60वीं बैठक का यह संकल्प जिसके द्वारा 1.4.1997 के प्रभाव से कर्मचारीगण को पांचवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ प्रदान करने का संकल्प लिया गया था, सरकार के समक्ष लंबित था तथा वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए 1.4.2003 से भुगतान करने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 660 दिनांक 8.2.1999 के निबंधनों में भुगतान करने का संकल्प लिया गया था।

13. अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों से यह ध्यान में आता है कि अनुमोदन के लिए बजट राज्य सरकार को भेजा जाना होता है। प्रत्यर्थी–याची ने यह दर्शाने के लिए कि उसके साथ भेदभाव किया गया है, अभिलेख पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं लाया है जहां किसी कर्मचारी को 60वीं बैठक के संकल्प के निबंधनों में लाभ प्रदान किये गये थे। अधिनियम के प्रावधान तथा नियमावली अनुध्यात करते हैं कि प्राधिकार द्वारा धन उत्पन्न किये जाने हैं तथा राज्य सरकार द्वारा भी कोष आवंटित किये जाते हैं एवं राज्य सरकार वह प्राधिकार है जो बजटीय तथा अन्य वित्तीय व्ययों को अनुमोदित करती है तथा इसके कारण ही बोर्ड की 60वीं बैठक का संकल्प अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया था तथा यह सरकार के यहां लंबित था जिसके उपरान्त 67वीं बैठक के संकल्प में वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए बजटीय प्रावधान किये गये थे तथा अधिनियम एवं नियमावली के निबंधनों में इसे सरकार के अनुमोदन के लिए रखा जाना था।

14. इसे ध्यान में लेने के उपरान्त कि राज्य सरकार नियंत्रक प्राधिकार है तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय मामलों का अनुमोदन किया जाना होता है, तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय लागू नहीं होते हैं क्योंकि हमारे ध्यान में ऐसे कोई नियम या विनियम नहीं लाये गये हैं यह दर्शाने के लिए कि RIADA अपने संकल्प के आधार पर भुगतान करता रहा है। इसके प्रतिकूल बोर्ड की 60वीं बैठक का संकल्प, जिसने 1.4.1997 से मौद्रिक लाभ प्रदान किये थे, क्रियान्वित नहीं किया गया है जो बोर्ड की 67वीं बैठक के संकल्प से स्पष्ट है तथा प्रत्यर्थी–याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है।

प्रत्यर्थी–याची ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि RIADA में विकास पदाधिकारी तथा उद्योग विभाग में उप–निदेशक का पद समतुल्य पद है। प्रत्यर्थी–याची ने स्वीकार किया है कि उसे RIADA द्वारा निर्गत विज्ञापन के निबंधनों में 1979 में विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने स्पष्टत: कथित किया है कि उप–निदेशक, उद्योग की लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्त्ती की जाती है। यह स्पष्ट है कि इन दोनों पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया पूर्णत: भिन्न है तथा ऐसे किसी संकल्प, अधिनियम के नियम या प्रावधानों की अनुपस्थिति में कि विकास पदाधिकारी उप–निदेशक के पद के समतुल्य पद धारण करते हैं, प्रत्यर्थी–याची का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. इसे भी निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी–याची ने अपना वेतन संशोधित करने के लिए वेतन विसंगति निराकरण समिति के यहां कोई अभ्यापत्ति या विरोध दाखिल नहीं किया था जैसा कि उप–निदेशक, उद्योग के लिए किया गया था। उपरोक्त की गयी चर्चाओं से यह प्रकट है कि उप–निदेशक, उद्योग के वेतनमान में याची का वेतनमान संशोधित करने के लिए, जैसा कि वेतन विसंगति निराकरण समिति द्वारा सुझाया गया था, याची का अभ्यावेदन सचिव, RIADA द्वारा उद्योग विभाग को भेज दिया गया है एवं बोर्ड की 60वीं बैठक के संकल्प के निबंधनों में 1.4.1997 से प्रदान किये जाने वाले मौद्रिक लाभ भी सरकार को भेज दिये गये हैं। स्वीकार्यत:, राज्य सरकार कर्मचारीगण के वेतनमान तथा वेतन पुनरीक्षण एवं वेतन के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुमोदन प्राधिकार है तथा मामला राज्य सरकार के यहां लंबित है एवं प्राधिकार के यहां नहीं।

दिये गये तथ्यों तथा परिस्थितियों में रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.9.2007 का आक्षेपित आदेश टिकने योग्य नहीं है एवं इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

16. राज्य सरकार, अर्थात, सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार एवं सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताहों के भीतर दिनांक 7.2.1997 के पत्र के माध्यम से सचिव, RIADA द्वारा भेजे गये प्रत्यर्थी-याची के अभ्यावेदन तथा प्राधिकार द्वारा भेजे गये बोर्ड की 60वीं बैठक के संकल्प के संबंध में विधि तथा सुसंगत नियमों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

17. उक्त निर्देश के साथ लेटर्स पेटेंट अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî ilkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

नरेन्द्र साही एवं एक अन्य (दोनों में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. Rev. Nos. 929 of 2007 with Cr. M.P. No. 1492 of 2007. Decided on 9th September, 2014.

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940–धारा 3(b)–औषधि–खाद्य सामग्री के सिवाय मानव में या पशुओं में किसी रोग या दोष के निदान, उपचार, अल्पीकरण या निवारण के लिए मानव या पशुओं के बाहरी या आंतरिक इस्तेमाल के लिए सभी दवाओं या पदार्थों को सम्मिलित करने हेतु औषधि की परिभाषा पर्याप्त रूप से व्यापक है–A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल औषधि है। (पैराएँ 10 से 17)

निर्णयज विधि.–AIR 2002 Kerala 357; W.P. (Cr.) No. 126 of 2011—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s P.P.N. Roy, P. Kilpadhy, M.K. Roy, For the Petitioners; Mr. S.S. Choudhary, For the State; Mr. Abhijeet Kr. Singh, For the O.P. No.2.

आदेश

जब औषधि निरीक्षक, गिरीडीह ने मेसर्स कल्याण मेडिकल एजेंसी, गिरीडीह नामक एक थोक विक्रेता औषधि दुकान का निरीक्षण किया था, उसे याची सं॰ 1 द्वारा विनिर्मित तथा याची सं॰ 2 द्वारा विपणन की जाने वाली A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल नामक एक औषधि मिली थी जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आहार सम्पूरक के तौर पर बेचा जा रहा था यद्यपि प्रत्येक कैप्सूल में सक्रिय घटक औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 की अनुसूची V के अधीन यथा विहित चिकित्सीय परिधि के भीतर थे। यह भी पाया गया था कि उक्त कैप्सूलों के लेबल पर औषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या उल्लिखित नहीं की गयी थी यद्यपि कैप्सूल औषधि थे तथा विशिष्ट चिकित्सीय परिधि में विटामिन के तौर पर आहार संबंधी सम्पूरक नहीं थे जैसा कि विटामिन की कमी का उपचार करने के लिए विशिष्ट खुराक में किसी चिकित्सक द्वारा विहित किया जाता है तथा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अधीन निर्गत की जानेवाली एक अनुज्ञप्ति के अंतर्गत उक्त कैप्सूलों को विनिर्मित किये जाने, उनका विपणन किये जाने तथा बेचे जाने की आवश्यकता थी।

उक्त अभिकथन पर, एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे परिवाद केस सं॰ 185 वर्ष 2005 के तौर पर दर्ज किया गया था। उक्त परिवाद के दाखिले पर, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 27 सह-पठित धारा 18(a)(VI), 18(b) एवं 18(c) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए याचीगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था तथा समन निर्गत किये गये थे। समन के जवाब में, याचीगण

हाजिर हुए थे तथा उन्हें जमानत प्रदान कर दी गयी थी। तदुपरि, आरोप के पहले साक्ष्य के लिए मामला निर्धारित किया गया था। जब परिवादी कई अवसरों पर आरोप के पहले अपनी परीक्षा के लिए एक भी साक्षी उपलब्ध करने में विफल रहा था, न्यायालय ने दिनांक 5.4.2007 के अपने आदेश द्वारा मामला बंद कर दिया था तथा आदेश पारित करने के लिए 10.4.2007 को मामला निर्धारित कर दिया था। उसी दिन, अर्थात, 5.4.2007 को दो गवाह हाजिर हुए थे परन्तु उन्हें परीक्षित नहीं किया गया था क्योंकि आदेश पारित करने के लिए 10.4.2007 की तिथि निर्धारित करते हुए आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। 10.4.2007 को, दिनांक 5.4.2007 के आदेश को वापस लेने के लिए तथा गवाहों की परीक्षा करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन परिवादी के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन पर 30.5.2007 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन वह आदेश, जिसे 5.4.2007 को पारित किया गया था, वापस ले लिया गया था एवं आरोप विरचित करने के लिए 29.6.2007 को मामला निर्धारित करने का आदेश दिया गया था। तत्पश्चात्, याचीगण की ओर से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया था उसमें यह कथित करते हुए कि पहले न्यायालय ने रिपोर्ट मंगवाई थी परन्तु इसे न्यायालय को नहीं भेजा गया था तथा, इस प्रकार, यहां पर यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि जो उत्पाद जब्त किया गया है, वह एक औषधि है तथा एक आहार संबंधी सम्पूरक नहीं है। वह आवेदन दिनांक 4.9.2007 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था तथा आरोप विरचित करने के लिए मामला अगली तिथि को निर्धारित किया गया था।

उस आदेश से व्यथित होकर दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 929 वर्ष 2007 दाखिल किया गया था। साथ ही साथ दिनांक 30.5.2007 के आदेश, जिसके अधीन आरोपों को विरचित करने का निर्देश दिया गया था, समेत समूचे परिवाद मामले को अभिखंडित करने के लिए एक दांडिक विविध याचिका सं॰ 1492 वर्ष 2007 दाखिल की गयी थी।

2. जब विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला सुनवाई के लिए आया था, CWJC सं॰ 4065 वर्ष 2006 में दिनांक 4.2.2009 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर एक अभिवाक् लिया गया था कि उसी कंपनी, जिसने A to Z गोल्ड कैप्सूल का विनिर्माण किया है, द्वारा विनिर्मित A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक औषधि नहीं है, अपितु एक आहार सम्पूरक है।

दूसरी ओर, विपक्षी सं॰ 2 के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता **AIR 2002 केरल 357** में रिपोर्ट किये गये एक निर्णय पर भरोसा करके निवेदन करते हैं कि माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि विटामिन के कैप्सूल औषधि होते हैं तथा एक आहार सम्पूरक नहीं।

3. पूर्वोक्त परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पाते हुए कि दो भिन्न उच्च न्यायालयों ने दो भिन्न दृष्टिकोण लिये हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, खंडपीठ के समक्ष मामला निर्दिष्ट कर दिया है। इसी कारण से ये दोनों मामले इस न्यायालय के समक्ष आये थे।

4. याचीगण के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ राय निवेदन करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने CWJC सं॰ 4065 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 4.2.2009 के अपने आदेश द्वारा पहले ही निर्णीत कर लिया है कि A to Z विटामिन कैप्सूल कभी भी एक औषधि नहीं थे, बल्कि, यह एक खाद्य सम्पूरक हैं। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार के अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा दी गयी राय के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण लिया है तथा ऐसी परिस्थिति में उसी कंपनी, जो A to Z कैप्सूलों का विनिर्माण करती है, द्वारा विनिर्मित A to Z गोल्ड कैप्सूलों को आसानी से एक खाद्य सम्पूरक के तौर पर अभिनिर्धारित किया जा सकता है तथा, अतएव, इसके विनिर्माण, विपणन या विक्रय के लिए किसी औषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। उस परिस्थिति में, समूचा परिवाद मामला अपास्त किये जाने योग्य है।

यह भी निवेदन किया गया था कि परिवाद के दाखिले पर, न्यायालय ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया था। याचीगण के हाजिर होने के उपरान्त आरोप के पहले गवाहों के परीक्षा के लिए मामला निर्धारित किया गया था। आरोप के पहले गवाहों की परीक्षा के लिए उन्हें पेश करने के कई अवसर परिवादी को प्रदान किये जाने पर जब गवाह हाजिर नहीं हुए थे, मामला बंद कर दिया गया था। परन्तु न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन एक आवेदन के दाखिले पर मामला दोबारा खोल दिया था, जो उसके पिछले आदेश के पुनर्विलोकन/वापस लेने के समतुल्य है जो शक्ति दांडिक न्यायालय के पास नहीं है।

इस संबंध में यह भी निवेदन किया गया था कि न्यायालय ने न केवल दिनांक 30.5.2007 के अपने आदेश द्वारा मामला पुन: खोल दिया था बल्कि मामले को पुलिस रिपोर्ट से उद्भूत मामला मानते हुए आरोप विरचित करने के लिए एक आदेश भी पारित किया था, जो बिल्कुल अवैधानिक है तथा, अतएव, दिनांक 30.5.2007 का आदेश, जो दांडिक विविध याचिका सं॰ 1492 वर्ष 2007 में चुनौती के अधीन है, पूर्णत: अवैधानिक है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह भी निवेदन किया गया था कि न्यायालय ने जमानत के आवेदन की सुनवाई के समय सक्षम प्राधिकार से एक रिपोर्ट मंगवाई थी यह पता लगाने के लिए कि जो उत्पाद जब्त किया गया है, वह एक औषधि है या एक खाद्य सम्पूरक है, परन्तु वह रिपोर्ट कभी भी प्रस्तुत नहीं की गयी थी तथा, अतएव, निर्मुक्ति के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया था परन्तु उसे कोई ठोस कारण बताये बिना अस्वीकार कर दिया गया था तथा, अतएव, दिनांक 4.9.2007 का वह आदेश भी अपास्त किये जाने योग्य है।

6. इसके विरूद्ध, राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जो घटक A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हैं, वह औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 की अनुसूची V के अधीन यथा विहित चिकित्सीय परिधि के भीतर हैं तथा इस प्रकार जब कोई औषधि को एक चिकित्सीय परिधि के तौर पर इस्तेमाल किये जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 3(b)(i) में यथा अंतर्विष्ट प्रावधान के निबंधनों में एक औषधि होती है तथा खाद्य सम्पूरक नहीं तथा, अतएव, इसके विनिर्माण, विपणन एवं विक्रय के लिए याचीगण को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक था, परन्तु स्वीकार्यत: याचीगण के पास औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी तथा, तद्द्वारा, याचीगण का उचित रूप से अभियोजन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदनों के समर्थन में **कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य (AIR 2002 केरल 357)** के मामले में दिये गये एक निर्णय तथा **इंटर कॉर्प बायोटेक लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य [WP(Cr.) सं॰ 126 वर्ष 2011]** के मामले में भी दिये गये इस न्यायालय के एक निर्णय को निर्दिष्ट किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अगर औषधि का घटक एक औषधि की परिभाषा के भीतर आता है, तब एक खाद्य सम्पूरक के तौर पर इसका इस्तेमाल कराने का विनिर्माता का आशय कदाचित ही कोई मायने रखता है।

7. इस प्रकार, जो प्रश्न निर्णीत किया जाना है वह इसको लेकर है कि क्या याचीगण द्वारा विनिर्मित A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो चिकित्सीय दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, औषधि की परिभाषा के भीतर आते हैं या नहीं?

8. इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, अधिनियम की धारा 3(b) में यथा अंतर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में लिये जाने की आवश्यकता है, जो औषधियों को निम्नवत् परिभाषित करती है:–

èkkjk 3(b)–^vk"kf/k** e lfEefyr g

(i) ePNjk tl dhVk dk nj Hkxku d mí'; d fy, ekuo 'kjhj ij yxkb tku okyh lkefx;k ler ekuo e ;k i'kvk e fdlh jkx ;k nk"k d funku]

mipkj] vYihdj.k ;k bud fy, vk'kf;r :i l bLreky dh tkuoky lHkh inkFk ;k ekuo ;k i'kvk d ckgjh ;k vkrfjd bLreky d fy, lHkh nok;(

(ii) ekuo 'kjhj d fdlh idkj dh ljpuk dk iHkkfor dju d fy, vk'kf;r ;k (vermin) dhVk tk ekuo e ;k i'kvk e C;kfèk dkfjr djr g] dk u"V dju d fy, bLreky fd; tku gr vk'kf;r ,lk inkFk ([kk| l brj)] ftUg le; le; ij jkti= e vfèklpuk }kjk dUn ljdkj }kjk fofufn"V fd;k tk,(

(iii) [kkyh ftyfVu dlly k ler fdlh vk"kfèk d ?kVdk d rkj ij bLreky d fy, vk'kf;r lHkh inkFk(rFkk

*(iv) ekuo ;k i'kvk e C;kfèk ;k nk"k d funku] mipkj] vYihdj.k ;k fuokj.k e vkrfjd ;k ckgjh bLreky d fy, vk'kf;r ,lh ;fDr;k] ftUg ckM d lkFk e=.kk dju d mijkUr jkti= e vfèklpuk d ekè;e l dUn ljdkj }kjk le; le; ij fofufn"V fd;k tk,A***

9. औषधि की परिभाषा दर्शाती है कि यह मानव एवं पशुओं में भी दोषों के इलाज, अल्पीकरण या निवारण के लिए प्रयुक्त औषधियों एवं पदार्थों को भी अपनी परिधि के भीतर लेती है। खंड (i) के अधीन मच्छर जैसे कीटों को दूर करने के उद्देश्य के लिए मानव शरीर पर लगाई जानेवाली सामग्री समेत मानव में या पशुओं में किसी रोग या दोष के निदान, उपचार, अल्पीकरण या इनके लिए आशयित रूप से इस्तेमाल की जानेवाले सभी पदार्थ या मानव या पशुओं के बाहरी या आंतरिक इस्तेमाल के लिए सभी दवायें औषधियां हैं।

10. यह भी उल्लिखित करना सुसंगत है कि खंड (i) के अधीन मच्छरों जैसे कीटों को दूर भगाने के उद्देश्य के लिए मानव शरीर पर लगाई जाने वाली सामग्री भी एक औषधि है, खंड (ii) के अधीन मानव शरीर के किसी प्रकार की संरचना को प्रभावित करने के लिए आशयित या (vermin) कीटों जो मानव में या पशुओं में ब्याधि कारित करते हैं, को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किये जाने हेतु आशयित खाद्य सामग्री से इतर पदार्थ, जिन्हें समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भी औषधि है। खंड (iii) के अधीन खाली जिलेटिन कैप्सूलों समेत किसी औषधि के घटकों के तौर पर इस्तेमाल किये जाने के लिए आशयित सभी पदार्थ औषधि हैं तथा खंड (iv) के अनुसार मानव या पशुओं में ब्याधि या दोष के निदान, उपचार, अल्पीकरण या निवारण में आंतरिक या बाहरी इस्तेमाल के लिए आशयित ऐसी युक्तियां, जिन्हें बोर्ड के साथ मंत्रणा करने के उपरान्त राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, भी औषधि हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि खाद्य सामग्री के सिवाय मानव में या पशुओं में किसी रोग या दोष के निदान, उपचार, अल्पीकरण या निवारण के लिए मानव या पशुओं के बाहरी या आंतरिक इस्तेमाल के लिए सभी दवाओं या पदार्थों को सम्मिलित करने हेतु औषधि की परिभाषा पर्याप्त रूप से व्यापक है।

11. अधिनियम में खाद्य पद परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, हम पाते हैं कि जिन पदार्थों का खाद्य एवं औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अधिनियम के अध्यायों III एवं IV के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के नियम 43 के अनुसार, अनुसूची D में विनिर्दिष्ट औषधियां उसमें विनिर्दिष्ट शर्त्तों की सीमा तक तथा उनके अध्यधीन अधिनियम के अध्याय III के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों से मुक्त होंगी। जो एक मद अनुसूची D के अधीन मुक्त है, मद सं॰ 5 है जो निम्नवत् पठित है:–

*^^fuEukfdr inkFkk dk [kk| lkexh ,o vk"kfèk;k d rkj ij Hkh bLreky fd;k tkrk g((I) lHkh l?kf.kr nèk ;k ikmMj nèk pkg 'k) :i l skimmed gk ;k foVkfeu rFkk [kuht rRok l ;Dr ekYV;Dr gk] (II) QjDl] vkV] yDVkt rFkk ,lh lHkh vU; le:i lkefx;k tk foVkehuk ;k vU;Fkk l ;Dr gk flok; mud tk vkU=rj bLreky d fy, gA***

12. इसी प्रकार, नियम 123 उपबंधित करता है कि अनुसूची K में विनिर्दिष्ट औषधियां उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्त्तों की सीमा तक तथा उनके अध्यधीन अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों से मुक्त होंगी। अनुसूची K का मद सं॰ 10 संघणित या पाउडर दूध, फेरेक्स, ओट एवं अन्य समरूप अन्न संबंधी सामग्रियों से संबंधित है चाहे विटामिनों से या अन्यथा से युक्त हों सिवाय उनके जो आन्त्रेतर इस्तेमाल के लिए हैं। यह भी कथित किया जाता है कि नियम 123, जो अनुसूची K में विनिर्दिष्ट औषधियों के बारे में कथित करता है, अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधान तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों से उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्त्तों की सीमा तक तथा उनके अध्यधीन मुक्त होगा। औषधियों की कोटि तथा निर्दिष्ट की गयी छूट की सीमा एवं शर्त्तों से भी संबंधित उक्त अनुसूची की मद सं॰ 1 निम्नवत् पठित है:–

औषधियों की कोटि	छूटों की सीमा एवं शर्त्तें
1. औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 3 के खंड (b)(i) के अंतर्गत आने वाली औषधियां, जो औषधीय इस्तेमाल के लिए आशयित नहीं।	अधिनियम के अध्याय IV के सभी प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, इन शर्त्तों के अध्यधीन कि औषधि को औषधीय इस्तेमाल के लिए या औषधियों के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए नहीं बेचा जा रहा है तथा प्रत्येक आधान पर स्पष्ट रूप से ''चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए नहीं'' शब्द चिन्हांकित किये गये हों।

13. ये सारी चीजें स्पष्टत: इंगित करती हैं कि छूट न होने के कारण ये मदें अधिनियम के अध्याय III एवं IV के अधीन तथा नियमावली के अधीन अनुज्ञप्तिकरण तथा अन्य प्रक्रियाओं के अध्यधीन की गयी होती। परन्तु प्रश्नाधीन औषधियों को अधिनियम में औषधि की परिभाषा के आधार पर एक खाद्य सम्पूरक नहीं माना जा सकता है एक ऐसे पदार्थ के तौर पर जिसे मानव में या पशुओं में ब्याधि के अल्पीकरण या निवारण के लिए लिया जाता है जो एक औषधि तथा एक दवा होता है। यह अच्छी तरह ज्ञात है कि मानव शरीर में विटामिन की कमियों के परिणामत: कतिपय बीमारियां होती हैं। ऐसे मामलों में, चिकित्सक एक विशिष्ट खुराक में इन विटामीन कैप्सूलों का लिया जाना विहित करते हैं जो ऐसी बिमारियों के अल्पीकरण या निवारण के लिए होता है। इतना ही नहीं, प्रावधान के निबंधनों में, जैसा कि अनुसूची 5 में यथा विहित औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के नियम 124B के अधीन है, के निबंधनों में रोगनिरोधक इस्तेमाल के लिए तथा उपचार संबंधी इस्तेमाल के लिए भी विटामिनों का मानक बरकरार रखा जाना होता है। अनुसूची V रोग निरोधक इस्तेमाल के लिए तथा उपचार संबंधी इस्तेमाल के लिए भी विटामिनों के इकाई के मानक अधिकथित नहीं करती है। राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि इकाई (आई॰ यू॰), जिसे कुछ विटामिनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, उतनी ही है, जितना उपचार संबंधी इस्तेमाल के लिए रखे जाने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा है, तब A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल प्रावधान के निबंधनों में औषधि है जैसा कि अधिनियम की धारा 3(b)(i) के अधीन है।

14. याचीगण द्वारा लिये गये पक्ष के साथ निष्पक्षता बरतते हुए, हम पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिसमें A to Z कैप्सूल को एक खाद्य सम्पूरक पाया गया है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायाधीश ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं जिसमें यह अभिमत दिया गया था कि A to Z कैप्सूल एक खाद्य सम्पूरक है।

15. तथापि, ऊपर यथा चर्चा किये गये कई प्रावधानों पर विचार करके, अगर प्रश्नाधीन उत्पाद अधिनियम की धारा 3(b)(i) के अधीन यथा प्रदत्त औषधि की परिभाषा के भीतर आता है, किसी की राय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी।

17. इस प्रकार, हम ऐसा अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं कर पाते हैं कि A to Z गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल औषधि है। इस प्रकार, प्रस्तुत किये गये प्रश्न का हां में जवाब दिया जाता है।

18. मामले में और आगे बढ़ते हुए, यह कथित किया जाता है कि मामला परिवाद पर उद्भूत हुआ है तथा एक पुलिस रिपोर्ट पर नहीं तथा, अतएव, जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है, वह पुलिस रिपोर्ट से इतर संस्थित मामलों से संबंधित मामले से निपटने वाले अध्याय 19 की कोटि B में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दी गयी प्रक्रिया है। परन्तु, न्यायालय ने दिनांक 30.5.2007 का आदेश पारित करके दोषपूर्ण रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मामले को एक पुलिस रिपोर्ट से उद्भूत मामला माना जाय तथा, तद्द्वारा, न्यायालय ने आरोप के पहले गवाहों की परीक्षा के बिना आरोप विरचित करने के लिए दोषपूर्ण रूप से मामला निर्धारित कर दिया था।

19. तद्नुसार, दिनांक 30.5.2007 का आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। न्यायालय मामले को पुलिस रिपोर्ट से इतर उद्भूत मामला मानते हुए कार्यवाही करेगा तथा, अतएव, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 244 से 250 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने की आवश्यकता है।

20. इस प्रकार, यह दोनों आवेदन निस्तारित किये जाते हैं।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

सुबास कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 2441 of 2014. Decided on 13th August, 2014.

बिहार कारखाना नियमावली, 1950–नियम 2A–सक्षमता प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण–नियमावली, 1950 सक्षमता प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण के पहले व्यक्ति की वैयक्तिक सुनवाई अनुध्यात नहीं करती है–सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले आदेश में यह अंतर्निहित है कि सक्षम व्यक्तियों के लिए कारखाना अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है–कारण पृच्छा नोटिस नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. H.C. Prasad, For the Petitioners; Mr. Saket Upadhyay, For the Respondents.

आदेश

याचीगण ने दिनांक 22.4.2014 के आदेश के अभिखंडन की ईप्सा करते हुए इस न्यायालय का आश्रय लिया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचीगण को 1.1.2013 एवं 31.12.2015 तक की अवधि के लिए दिनांक 31.12.2012 के आदेश द्वारा सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। याचीगण दिनांक 22.4.2014 के आदेश के निर्गमण द्वारा व्यथित हैं जिसके द्वारा दिनांक 31.12.2012 के सक्षमता प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण कर दिया गया है।

3. पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया।

4. याचीगण के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना तथा कोई तर्कसंगत कारण प्रकट किए बिना, झारखंड के प्रधान निरीक्षक, कारखाना द्वारा दिनांक 31.12.2012 का सक्षमता प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण कर दिया गया है जो विधि की संवीक्षा पर टिक नहीं सकता है। दिनांक 31.12.2012 के आदेश (परिशिष्ट 5) को निर्दिष्ट करते हुए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त पत्र में प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की शर्त्तें प्रगणित की गयी हैं, तथापि, दिनांक 22.4.2014 का आदेश ऐसा प्रकट नहीं करता है कि याचीगण ने दिनांक 31.12.2012 के आदेश में उल्लिखित किसी शर्त्त का उल्लंघन किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 22.4.2014 का आदेश इस अभिकथन पर निर्गत किया गया है कि याचीगण ने अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं जबकि, यह अभिलेख का एक मामला है कि 24.1.2014 को परिशिष्ट 9/A तथा परिशिष्ट 9/B के माध्यम से, याचीगण द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत की गयी थी तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखंड, रांची के कार्यालय में सम्यक् रूप से स्वीकार की गयी थीं। विद्वान अधिवक्ता ने परिशिष्ट 9/C की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया है जिसमें याचीगण को प्रदत्त कार्यों के विवरण विस्तार से दिये गये हैं। इन आधारों पर, यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 22.4.2014 का आदेश मनमाना है तथा यह अभिखंडित किये जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थी-राज्य के लिए उपस्थित होने वाले ए॰ ए॰ जी॰ के जे॰ सी॰ श्री साकेत उपाध्याय ने निवेदन किया है कि दिनांक 22.4.2014 का आदेश निर्गत करने के पहले, याचीगण को दिनांक 5.2.2014 की एक कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी थी तथा चूँकि याचीगण का जवाब संतोषजनक नहीं था, दिनांक 31.12.2012 के आदेश के माध्यम से प्रदत्त सक्षमता प्रमाण पत्र का दिनांक 22.4.2014 के आदेश द्वारा प्रतिसंहरण कर दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि याचीगण को एक कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी थी, दिनांक 22.4.2014 का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले याचीगण को वैयक्तिक सुनवाई प्रदान करने की विधि में कोई आवश्यकता नहीं है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से, यह प्रकट होता है कि याचीगण को दिनांक 31.12.2012 के आदेश से सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था तथा प्रमाण पत्र की शर्त्तों में से एक शर्त्त यह है, ''कारखाना अधिनियम तथा झारखंड कारखाना नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जांच परीक्षण तथा निरीक्षण किये जायेंगे''। याचीगण को दिनांक 5.2.2014 की कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी थी ऐसा कथित करते हुए कि पिछले कई वर्षों से वह प्रधान कारखाना निरीक्षक के कार्यालय में परीक्षण रिपोर्टें पेश नहीं कर रहे थे। प्रमाण पत्र की शर्त्तों का याचीगण द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। याचीगण ने दिनांक 24.2.2014 के अपने उत्तर के माध्यम से दिनांक 5.2.2014 के पत्र का जवाब दिया था जो मात्र निम्नवत् कथित करता है:-

> *^^Ni;k fnukd 5.2.2014 d viu i= dk fufn"V dj ftld eke;e l e> viuh l{kerk d ckj e Li"Vhdj.k nu dk fun'k fn;k x;k gA egk'k;] 1.1.2013 dk e> l{kerk inku dh x;h Fkh rFkk [kM e vuikyu dh tkuokyh 'kÙk ej }kjk igy gh miyCèk djkb tk pdh gA***

7. बिहार कारखाना नियमावली, 1950, जिसे झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया था, का नियम 2(a) यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

> *^^4. ièkku fujh{kd] vxj mld ikl ,lk fo'okl dju dk dkj.k g fd l{ke 0;fDr u&*
>
> *(a) l{kerk iek.k i= e vuc) fdlh 'kÙk dk mYy?ku fd;k g(*

(b) bl vfèkfu;e ;k bld vèkhu cukb x;h fu;ekoyh d vk'k; d vlxr ,d ijh{k.k] tkp rFkk fujh{k.k fd;k g ;k ,l <x l dk; fd;k g] ;k bl idkj dk; dju l foyki fd;k g tk fd vfèkfu;e ;k mld vèkhu cukb x;h fu;ekoyh d vrxr vif{kr g(

*(c) fyf[kr e nt fd; tku oky fdlh vU; dkj.k l] l{ke 0;fDr dk lu tku dk ,d volj inku dju d mijkUr l{kerk iek.k i= dk ifrlgj.k dj ldrk gA***

8. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का नियम सक्षमता प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण के पहले किसी व्यक्ति को निजी तौर पर सुने जाने को अनुध्यात नहीं करता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि 31.12.2012 में यथा अनुबद्ध शर्त्त, जिसके द्वारा याचीगण को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, का याचीगण द्वारा उल्लंघन किया जाना नहीं दर्शाया गया है, भ्रामक है। सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले आदेश में यह अंतर्निहित है कि सक्षम व्यक्तियों के लिए कारखाना अधिनियम के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। मैं याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता हूँ कि याचीगण को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। याचीगण को दिनांक 5.2.2014 की कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी थी तथा याचीगण ने 24.2.2014 को कारण पृच्छा नोटिस का उत्तर दिया है तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन है।

9. मैं वर्तमान रिट याचिका में कोई गुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. परिणामस्वरूप, आई॰ ए॰ संख्या 2884 वर्ष 2014 भी निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुमन्ती कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 3889 of 2013. Decided on 19th August, 2014.

सेवा विधि–नियुक्ति–कॉन्स्टेबल का पद–याची का दावा एक युक्तिसंगत समय के भीतर नहीं रखा गया है तथा विलम्ब एवं चूकों द्वारा वर्जित है–उच्च न्यायालय ने पिछले अवसर पर नियुक्ति के ऐसे विलम्ब से आये दावे को अनुज्ञात नहीं किया था–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–2014 (2) JCR 30 (Jhr); 2014 (1) JCR 55 (Jhr); (2001) 5 SCC 419; 2014(3) JLJR 346—Referred; (2011) 3 SCC 436—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Binod Kr. Dubey, For the Petitioners; Mrs. Nehala Sharmin, For the Respondents.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह याची प्रत्यर्थी-राज्य प्राधिकारों द्वारा निर्गत विज्ञापन सं॰ 1/04 के अधीन कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार थी। उसने हजारीबाग जिला के लिए तथा अन्य जिलों के लिए भी आवेदन किया था। याची को शारीरिक तथा लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था एवं उसका नाम मेधा

सूची में आया था, तत्पश्चात्, जिसपर आरक्षी केन्द्र, हजारीबाग ने मूल प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए, चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होने हेतु उसे चयन पत्र निर्गत किया गया था। तथापि, परिशिष्ट 3 के माध्यम से 5.3.2007 को याची का मामला इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि उसने विज्ञापन के शर्त्तों के उल्लंघन में दो से अधिक जिलों के लिए आवेदन किया था। अतएव, उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी गयी थी। 5.3.2007 को उक्त आक्षेपित पत्र के निर्गत होने के उपरान्त, याची ने **एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 263 वर्ष 2012** में **आरक्षी अधीक्षक, कोडरमा बनाम हेमराज प्रसाद मेहता** के मामले में पारित दिनांक 6.3.2013 के निर्णय (परिशिष्ट 2) तथा **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ संख्या 2281 वर्ष 2008** में **कोमाली गोप बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 6.5.2011 के निर्णय (परिशिष्ट 5), **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ संख्या 4684 वर्ष 2008** में **गुलाब प्रसाद डांगी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले (परिशिष्ट 6) तथा **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ संख्या 500 वर्ष 2013** में **शम्भू कुमार रवि बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में दिनांक 17.7.2013 के निर्णय (परिशिष्ट 7), जो सभी वर्ष 2004 के इसी विज्ञापन से संबंधित थे, पर भी भरोसा करते हुए उक्त पत्र के अभिखंडन तथा उक्त पद पर उसे नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थीगण को एक निर्देश देने की भी ईप्सा करते हुए जुलाई, 2013 में वर्तमान रिट आवेदन में इस न्यायालय का आश्रय लिया था। याची ने एक अभिवाक् लिया है कि किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के अस्वीकरण के लिए ऐसे आधार को इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में स्वीकार नहीं किया गया था तथा इसके उपरान्त ही याची ने समरूप अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दाखिल किया है क्योंकि अन्यथा उसके साथ भेद-भाव किया जायेगा।

3. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने मार्च, 2007 में उसकी उम्मीदवारी के अस्वीकरण की तिथि से छह वर्षों के एक लम्बे विलम्ब के उपरान्त इस न्यायालय का आश्रय लिया है। विज्ञापन वर्ष 2004 का है तथा राज्य ने अगस्त, 2010 में ही चयन प्रक्रिया बंद करने का एक सचेत निर्णय लिया है। उसने **2014(2) JCR 30 झारखंड** में रिपोर्ट किये गये **चन्द्र शेखर चौबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा समरूप मामले में दिये गये तथा **2014(1) JCR 55 झारखंड** में रिपोर्ट किये गये **सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में भी दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है यह निवेदन करने के लिए कि लम्बे विलम्ब के उपरान्त ऐसे व्यक्तियों का दावा स्वीकार नहीं किया गया था, विशेषकर उसमें इंगित इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि दिनांक 18.8.2010 के ही पत्र के माध्यम से आरक्षी महानिदेशक, झारखंड के सचेत निर्णय द्वारा विज्ञापन संख्या 1/04 बंद कर दिया गया था। **2001(5) SCC 419** में रिपोर्ट किये गये **के॰ जी॰ अशोक एवं अन्य बनाम केरल लोक सेवा आयोग एवं अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय पर भी भरोसा किया गया है जहां एक विशिष्ट जिले के लिए आवेदन करने के निर्बंधन की ऐसी शर्त्त बरकरार रखी गयी थी तथा एक अयोग्यता संबंधी कारक के तौर पर उस आधार पर उम्मीदवार के अस्वीकरण को भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी गयी थी क्योंकि उसने विज्ञापन में अधिकथित शर्त्तों का उल्लंघन किया था जहां एक ही जिले के लिए आवेदन करना अपेक्षित था।

4. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार करके तथा अलग-अलग अधिवक्ताओं द्वारा भरोसा किये गये निवेदनों समेत अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत सामग्रियों का अवलोकन करने के उपरान्त, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान याची का मामला याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये मामलों से भिन्न है क्योंकि प्रस्तुत मामले में याची ने 5.3.2007 को अपनी उम्मीदवारी के अस्वीकृत किये जाने के काफी बाद वर्ष 2013 में इस न्यायालय का आश्रय लिया है तथा **कोमली गोप, गुलाब प्रसाद डांगी** जैसे अन्य व्यक्तियों के मामलों **(ऊपर)** में एवं **एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 263 वर्ष 2012** में **आरक्षी अधीक्षक, कोडरमा बनाम हेमराज प्रसाद मेहता के मामले (ऊपर)** में भी ऐसे निर्णय सुनाये जाने के

उपरान्त चतुर होकर ऐसा किया है। यह प्रतीत होता है कि डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ संख्या 500 वर्ष 2013 के सिवाय याची द्वारा भरोसा किये गये निर्णय काफी पहले वर्ष 2008 में दाखिल किये गये थे, जबकि याची ने मार्च, 2007 में ही अपने दावे के अस्वीकरण के उपरान्त कभी भी इस न्यायालय का आश्रय नहीं लिया था। अतएव, याची का दावा एक युक्तिसंगत समय के भीतर नहीं रखा गया है तथा विलम्ब एवं चूकों द्वारा वर्जित है। **(2011) 3 SCC 436** में रिपोर्ट किये गये **उड़ीसा राज्य एवं एक अन्य बनाम ममता मोहन्ती** के मामले में पैरा 54 में यथा अंतर्विष्ट विलम्ब तथा चूकों के प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अभिमत इसमें नीचे उत्कथित किया जा रहा है:–

> *^^(ijk 54) bl U;k;ky; u yxkrkj bl rd dk vLohdkj fd;k g fd foyEc ,o pdk dh mi{kk djr g, fdlh ;kfpdk ij fopkj fd;k tkuk pkfg, vxj ;kph ,d le:i ekey e U;k;ky; }kjk inÙk vurk"k dh tkudkjh gku d mijkUr U;k;ky; d ikl vkrk g D;kfd ;g foyEc rFkk pdk dk ,d mi;Dr Li"Vhdj.k iLrr ugh dj ldrk gA ,d okn xgjh funk l tkx ugh ldrk g rFkk mu ekeyk e fu.k; l cy feyu dk nkok ugh dj ldrk g tgk fdlh rRij 0;fDr u ,d ;fDrlxr le; d Hkhrj U;k;ky; dk vkJ; fy;k FkkA*
>
> *nkok ugh fd;k x;k vurk"k inku ugh fd;k tk ldrk gA***

5. प्रत्यर्थी–राज्य द्वारा निर्गत विज्ञापन सं॰ 1/2010 के अधीन कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक जिला में आवेदन करने के समरूप मुद्दे पर 2014(3) JLJR 346 में रिपोर्ट किये गये **झारखंड राज्य बनाम श्री अनिल कुमार मेहता एवं अन्य** के मामले में 27.6.2014 को हाल ही में दिये गये एक निर्णय में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी–राज्य के पक्ष को बरकरार रखा था कि ऐसे उम्मीदवार, जिसने एक से अधिक जिले के लिए आवेदन किया था, का चयन उक्त विज्ञापन के अधीन अनुबद्धता के विरूद्ध है।

6. जहां तक **डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ संख्या 500 वर्ष 2013** में **शम्भू कुमार रवि के मामले (ऊपर)** में दिये गये निर्णय का संबंध है, उक्त निर्णय का परिशीलन इंगित करता है कि उक्त याची का मामला वर्तमान याची के समान काफी पहले मार्च, 2007 में ही अस्वीकार नहीं किया गया था। दूसरी ओर, **चन्द्र शेखर चौबे के मामले (ऊपर)** तथा **सुनिल कुमार के मामले (ऊपर)** में प्रत्यर्थी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये निर्णयों के परिशीलन से, यह प्रकट है कि इस न्यायालय ने पिछले अवसर पर विज्ञापन सं॰ 1/04 के अधीन नियुक्ति के लिए विलम्ब से किये गये ऐसे दावे को अनुज्ञात नहीं किया था, विशेषकर तब जब उक्त विज्ञापन के अधीन समूची चयन प्रक्रिया आरक्षी महानिदेशक, झारखंड द्वारा निर्गत दिनांक 18.8.2010 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी के सचेत निर्णय द्वारा बंद कर दी गयी थी।

7. अतएव, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय मामले के साथ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो विलम्ब तथा चूकों द्वारा भी वर्जित है। तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

प्रदीप कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4512 of 2009. Decided on 28th August, 2014.

बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984—उचित मूल्य दुकान के लिए खुदरा व्यापार अनुज्ञप्ति का रद्दकरण–कालाबाजारी एवं अनेक अन्य अनियमितताओं का अभिकथन–याची को नोटिस जारी नहीं किया गया–अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश रहस्यमय आदेश है जो याची द्वारा किए गए प्रतिवादों के प्रति विवेक का इस्तेमाल उपदर्शित नहीं करता है–आक्षेपित आदेश अपास्त किए गए और नए सिरे से विचार किए जाने के लिए मामला एस॰ डी॰ ओ॰ के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 9 से 11)

निर्णयज विधि.–AIR 1965 SC 917—Relied.

अधिवक्तागण.–Mrs. Ritu Kumar, For the Petitioner; Mr. Shadab Bin Haque, For the Respondents.

आदेश

सब डिविजनल अधिकारी, चास द्वारा पारित दिनांक 15.10.2008 के आदेश जिसके द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन जारी खुदरा व्यापार अनुज्ञप्ति सं॰ 15/BRA/97 रद्द कर दिया गया था और दिनांक 11.8.2009 के आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल विविध अपील सं॰ 125 वर्ष 2008 खारिज कर दिया गया है से व्यथित होकर याची वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं:

याची को वर्ष 1997 में उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए खुदरा अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया था और तब से इसे अध्यपेक्षित फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाता था। ध्यान में लिए गए निम्नलिखित अनियमितताओं के लिए कारण बताना उसके लिए आवश्यक बनाते हुए याची को दिनांक 25.7.2008 का नोटिस जारी किया गया था:–

(i) fujh{k.k d le; ij ndku cn ik;h x;h FkhA

(ii) vuKfIr uke] vuKfIr l[;k] LFkku vrfo"V dju okyk ukfVl ckM ik;k x;k Fkk fdr vfèkd lpuk d çn'ku d fy, LFkku ugh NkMk x;k Fkk] vr% ;g çrhr gkrk g fd ndku d ckgj fdjklu ry dk LVkd] ek=k] fcØh nj çnf'kr dHkh ugh fd;k x;k gA

(iii) igy Hkh fujh{k.k dju dk ç;kl fd;k x;k Fkk fdr ndku [kyh gb dHkh ugh ik;h x;h FkhA

(iv) ykHkkfFk;k dh lph çnf'kr dh x;h ugh ik;h x;h FkhA

(v) ndku >kiMh e g ft ldh lpuk dkMèkkjdk dk ugh gA

(vi) dN dkMèkkjdk u vfHkdfFkr fd;k fd fdjklu ry forfjr ugh fd;k x;k gA

(vii) fnukd 12.7.2008 dk 400 yhVj fdjklu ry mBk;k x;k fdr pfd ndku cn iMh jgh] bl fu'p; gh dkykckt kj e cpk x;k gkxkA

3. सब-डिविजनल अधिकारी ने मत दिया कि ऊपर ध्यान में ली गयी अनियमितताओं की दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि याची कालाबाजार में किरासन तेल बेच रहा था और तद्नुसार, उसे वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर एवं इकाई रजिस्टर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस बीच, याची की अनुज्ञप्ति निलंबित की गयी थी किंतु अनुज्ञप्ति निलंबित करने के पहले याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। याची ने विनिर्दिष्ट अभिवचन करते हुए दिनांक 4.8.2008 को अपना उत्तर दाखिल किया कि वह बुखार से पीड़ित था और यही कारण था कि दुकान दिनांक 20.7.2008 को बंद थी। दिनांक 4.8.2008 के उत्तर के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्टॉक रजिस्टर, इकाई रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर, आदि की प्रतियाँ भी दाखिल की गयी थी। याची को आगे शपथ

पत्र और समेकित कारण बताओ दाखिल करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि दिनांक 4.8.2008 का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से किए गए सत्यापन की दृष्टि में अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए याची को दिनांक 28.8.2008 का एक अन्य नोटिस भी जारी किया गया था। दिनांक 20.9.2008 को याची ने निम्नलिखित कथन करते हुए उत्तर दाखिल किया:–

(i) fnukd 25.7.08 d dkj.k crkvk d ifod ukfVl (ifjf'k"V 1) d vuqj.k e dkj.k crkvk dk mÙkj (ifjf'k"V 3) fnukd 4.8.08 dk nkf[ky fd;k x;k FkkA

(ii) LVkd] foØ;] bdkb jftLVj d Nk;k çfrfyfi d leFku e igy gh fnukd 26.8.08 dk 'kiFk i= nkf[ky fd;k x;k gA

(iii) ç[kM vkifr vfèkdkjh] ch0 ,l0 flVh }kjk 13 dkM èkkjdk l lpkfyr vfHkdfFkr tkp Hkked gA dkMèkkjdk u fyf[kr e fn;k g fd o fu;fer :i l fdjklu ry ik jg gA

(iv) tgk rd nk dkM èkkjdk dk vrj.k dk lcèk g] ;kph dk lpuk ugh Fkh fd tc dHkh Hkh dkM çLrr fd;k tkrk g] ;kph dk fdjklu ry dh vkifr djuh gkxhA

(v) nk LFkkuk ij ri'oj 'kek eg'oj 'kek ekuoh; xyrh gA

(vi) ,l0 ,u0 pØorh dh i?uh u fyf[kr e fn;k g fd og ;kph dh ndku l fdjklu ry ikrh gA

(vii) gLrk{kj e fHkUurk bl rF; d dkj.k g fd fMyhojh yu okyk 0;fDr bl ij gLrk{kj djrk g tl k og pkgrk g vkj ;gh gLrk{kj e fHkUurk dk dkj.k gA

(viii) tc dHkh Hkh@tk dkb Hkh fun'k fn;k x;k Fkk] bldk vuikyu fd;k x;k FkkA

4. दिनांक 15.10.2008 के पत्र के तहत याची को जारी अनुज्ञप्ति सं॰ 15/BRA/97 रद्द कर दी गयी थी। दिनांक 15.10.2008 के आदेश से व्यथित होकर याची ने एकीकरण आदेश के खंड 23 के अधीन उपायुक्त के समक्ष अपील दाखिल किया और इसे विविध अपील सं॰ 125 वर्ष 2008 के रूप में दर्ज किया गया था। दिनांक 11.8.2009 के आदेश के तहत अपील भी खारिज कर दी गयी थी, अत:, याची इस न्यायालय के पास आया है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि पहले वर्ष 2004 में याची की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी थी किंतु विविध अपील सं॰ 3 वर्ष 2004 में दिनांक 15.12.2004 के आदेश के तहत रद्दकरण का आदेश अपास्त कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, कारण बताओ, सब-डिविजनल अधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट और याची के विरुद्ध पूर्व अभिकथनों के परिशीलन के बाद अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में याची द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताएँ पायी गयी थी और इसलिए, अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के पहले नोटिस जारी किया गया था।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रीतू कुमार ने निवेदन किया है कि सब-डिविजनल अधिकारी, चास द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2008 को जारी कारण बताओ नोटिस के परे जाता है जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है। दिनांक 25.7.2008 का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि याची की उचित मूल्य दुकान दिनांक 20.7.2008 को बंद पायी गयी थी जब सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। दिनांक 25.7.2008 के नोटिस में उल्लिखित अभिकथित अनियमितताएँ प्रकटत: तुच्छ थी क्योंकि याची वर्ष 1997 से उचित मूल्य दुकान चला रहा था और कभी भी कोई परिवाद/आपत्ति नहीं की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय आदेश रहस्यमय आदेश है, अत: यह अभिखंडित किए जाने का दायी है।

7. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में अपनाया गया दृष्टिकोण दोहराया है और निवेदन किया है कि याची आदतवश व्यतिक्रमी है। सत्यापन पर तेरह कार्डधारकों ने अभिकथित किया था कि उन्होंने याची की दुकान से कोई आपूर्ति कभी नहीं प्राप्त किया था। चूँकि उचित मूल्य दुकान चलाने में अनेक अनियमितताएँ पायी गयी थी, अनुज्ञप्ति रद्द की गयी थी। याची के उत्तर पर समुचित रूप से विचार किया गया था और इस न्यायालय द्वारा मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों, का परिशीलन किया है।

9. यह अभिलेख पर है कि यद्यपि दिनांक 25.7.2008 की नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 19.7.2008 को और पूर्व अवसरों पर भी याची द्वारा चलायी जा रही उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी थी, इस संबंध में याची को कोई नोटिस कभी जारी नहीं किया गया था और न ही यह तथ्य कभी भी याची के ध्यान में लाया गया था। न तो याची को किसी दस्तावेज की आपूर्ति की गयी थी और न ही याची द्वारा 19.7.2008 को अथवा पूर्व अवसरों पर किए गए निरीक्षण को उपदर्शित करते हुए कोई दस्तावेज अभिलेख पर लाया गया है। दिनांक 25.7.2008 का नोटिस जारी किया गया है क्योंकि याची की उचित मूल्य दुकान दिनांक 20.7.2008 को बंद पायी गयी थी जब सब डिविजनल अधिकारी, चास द्वारा निरीक्षण किया गया था। याची ने यह कथन करते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल किया है कि वह दिनांक 18.7.2008 से 22.7.2008 के बीच की अवधि के बीच बुखार से पीड़ित था। याची द्वारा दाखिल चिकित्सा प्रमाण पत्र कूटरचित अथवा अविश्वसनीय नहीं पाया गया है। प्रत्यर्थीगण का मामला यह नहीं है कि याची ने झूठा अभिवचन किया। याची ने विस्तृत उत्तर दाखिल किया है, किंतु यह प्रतीत नहीं होता है कि याची द्वारा दाखिल उत्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया है। यह तथ्य है कि याची को वर्ष 1997 में उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया था और वर्ष 2004 में जब अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, विविध अपील सं॰ 3 वर्ष 2004 में पारित आदेश द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। यह सुनिश्चित है कि एक दिन की अनुपस्थिति के लिए अनुज्ञप्ति समाप्त करने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। **''मेसर्स हिंद कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग कं॰ लि॰ बनाम उनके कर्मकार, AIR 1965 SC 917,** में जहाँ कर्तव्य से एक दिन की उसकी अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया–

> *7. .....;g lkpuk vlHko g fd dkbZ vU; ;fDr;Dr fu;kDrk u bl rjhd l viu li.k LFkk;h LVkQ ij c[kkLrxh dk vR;fèkd nM vfèkjkfir fd;k gkrkA---- vr% dy feykdj] ;fi ge iu% tkj nr g fd vfèkdj.k dk vR;Ur vlkèkkj.k ifjfLFkfr;k d flok, nM d çdkj vFkok dBkjrk e gLr{ki ugh djuk pkfg,] ge lkpr g fd bl ekey e gLr{ki U;k;kfpr Fkk D;kfd nM u doy dBkj vkj vuuikfrd Fkk cfYd , lk Fkk tk gekj fopkj e fdlh ;fDr&;Dr fu;kDrk u vfèkjkfir ugh fd;k gkrkA***

10. उपायुक्त–सह–जिला समाहर्ता, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 11.8.2009 के आदेश का परिशीलन उपदर्शित करता है कि केवल इस आधार पर कि एस॰ डी॰ ओ॰, चास ने याची द्वारा दाखिल कारण बताओ पर विचार किया है, अपील खारिज कर दिया गया है। मेरा मत है कि अपील की सुनवाई करते हुए अपीलीय प्राधिकारी को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिवचन पर विचार करने और अपील में उठाए गए विवाद्यकों पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा

पारित आदेश रहस्यमय आदेश है जो याची द्वारा किए गए प्रतिवादों के प्रति विवेक का इस्तेमाल उपदर्शित नहीं करता है और इसलिए, अपीलीय आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है।

11. उक्त चर्चा की दृष्टि में, दिनांक 15.10.2008 और दिनांक 11.8.2009 के आदेशों को अभिखंडित किया जाता है और याची के मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला सब-डिविजनल अधिकारी, चास के पास वापस भेजा जाता है। इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर छह सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा निर्णय लिया जाए।

12. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

मंगरु केराई

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 446 of 2000 (R). Decided on 4th September, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 166/1994, में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 13.9.1996 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 16.9.1996 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि–चिकित्सीय साक्ष्य मृतक का मानववध मृत्यु स्थापित करते हैं–अभिसाक्ष्य में अतिशयोक्ति करना अथवा अलंकरण करना गवाह की प्रवृति होती है–सूचक देहाती महिला है और उसने दूर से घटना देखा था–उसने प्रति-परीक्षण परीक्षा का सामना किया है और प्रहार के बिंदु पर उसके साक्ष्य में सूराख करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है–एकमात्र वार के कारण मृतक की मृत्यु हो गयी–वार दोबारा नहीं किया गया था और अपीलार्थी अभियुक्त ने क्रूर तरीके से कृत्य नहीं किया था–यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास है अथवा अपीलार्थी और मृतक के बीच पूर्व दुश्मनी थी–स्थापित तथ्य एवं परिस्थितियाँ स्थापित नहीं करते हैं कि मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए कोई पूर्व चिंतन अथवा पूर्व नियोजित योजना थी–अपीलार्थी पर मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय का लांछन नहीं लगाया जा सकता है–किंतु, उसे यह जानकारी होने से विमुक्त नहीं किया जा सकता है कि उपहति की मृत्यु कारित होने की संभावना थी–अपीलार्थी किसी घातक हथियार से लैस नहीं था और वारों को दोहराया नहीं गया था–यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसका आपराधिक इतिहास था अथवा मृतक के साथ पूर्व दुश्मनी थी अथवा उसने प्रहार के क्रम में क्रूर तरीके से कृत्य किया था–अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध के तुल्य है जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दंडनीय है–दंडादेश भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया क्योंकि वह एक दशक से अधिक तक अभिरक्षा में बना रहा है। (पैराएँ 11 से 16)

निर्णयज विधि.–1990 SCC (Criminal 713); 1990 (Supp.) SCC 291; (2009) 15 SCC 635; (2013) 12 SCC 110—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. Ravi Prakash, For the Appellant; M/s Anita Sinha, For the State.

अमिताव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–वर्तमान अपील सत्र विचारण सं॰ 166/1994 में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 13.9.1996 और दिनांक 16.9.1996 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता/संक्षेप में 'भा॰ दं॰ सं॰') की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला मृतक कुरपू केराई की पत्नी सुतरी कुई के फर्दबयान पर आधारित है जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक 1.3.1994 को सांय लगभग 5.30 बजे उसका पति (मृतक) भैंस चराकर लौट रहा था और उस समय पर मंगरू केराई ने खटिया की पट्टी से लैस होकर घसिया अंगरिया के खेत जो सूचक के घर से 100 गज की दूरी पर अवस्थित है में उसके पति के सामने आया। यह अभिकथित किया गया है कि मंगरु केराई ने उसके पति से कहा कि वह उससे बदला लेगा क्योंकि उसके पति ने पहले उस पर प्रहार किया था और उसकी हत्या करने की धमकी भी दी थी; कि उसके पति ने अभियुक्त को शांत करने का प्रयास किया जिस पर मंगरु केराई ने खटिया की पट्टी से उसके मस्तक पर वार किया जिस कारण उसका पति गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी; कि उसके हल्ला करने पर घटना के गवाह रउतू अंगरिया और जेमा कुई वहाँ आए जिसके बाद उन्होंने मुखिया एवं मुंडा को घटना के बारे में सूचित किया जिन्होंने पुलिस को सूचना भेजा। यह कथन किया गया है कि चूँकि उसके पति एवं अभियुक्त के बीच पहले झगड़ा हुआ था, अभियुक्त मंगरु केराई ने उसके पति की हत्या कर दी।

दिनांक 2.3.1994 के फर्दबयान के आधार पर गोयलकेरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 7/1994 दर्ज किया गया था और अन्वेषण पूरा करने के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था।

अपीलार्थी अभियुक्त ने आरोप के प्रति निर्दोष होने का अभिवचन किया और विचारण का सामना किया।

3. यह प्रतीत होता है कि अभियोजन ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया है अर्थात् अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ मथुरा प्रसाद सिंह जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 के रूप में दर्ज किया गया; अ॰ सा॰ 2 सुतरी कुई जो सूचक है और मृतक की पत्नी है; अ॰ सा॰ 3 जेमा कुई; अ॰ सा॰ 4 रउतु अंगरिया और अ॰ सा॰ 5 राना राम बदन सिंह जिसने फर्दबयान (प्रदर्श 2); औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 3) और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) सिद्ध किया।

अभियोजन साक्ष्य बंद होने पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था और बचाव में पूरा इनकार किया गया है।

अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करते हुए विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का अन्य बातों के साथ इस आधार पर विरोध किया है कि फर्दबयान सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि सूचक अ॰ सा॰ 2 ने परिसाक्ष्य दिया है कि उसने दो भाषा (स्थानीय भाषा) में घटना का विवरण दिया था और मुखिया ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था जिसे दरोगा द्वारा दर्ज किया गया था किंतु उक्त मुखिया का परीक्षण इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए नहीं किया गया है कि उसने दरोगा के लिए हिंदी में विवरण का अनुवाद किया था; कि सूचक अ॰ सा॰ 2 ने अपने फर्दबयान में कथन किया है कि घटना उसके घर से 100 गज की दूरी पर हुई और उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी द्वारा चार-पाँच वार किया गया था जिसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है जहाँ डॉक्टर (अ॰ सा॰ 1) ने मृतक पर केवल एक उपहति पाया और यह इस तथ्य

का उपदर्शक है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं है। कि प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि अभियुक्त उसके पति का सगा भाई है जो दर्शाता है कि उसने संपत्ति हड़पने के लिए अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया है; कि अ॰ सा॰ 3 सूचक से संबंधित है क्योंकि अ॰ सा॰ 3 ने स्वीकार किया है कि सूचक उसे 'चाची' कहती है और उसने कथन किया है कि उसका घर सूचक के घर से 100 गज की दूरी पर है; कि अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया है कि सूचक एवं अ॰ सा॰ 3 ने हड़िया (देसी शराब) का सेवन किया था और तत्पश्चात वे बाहर गए और हल्ला किया जो अ॰ सा॰ 2 एवं 3 के परिसाक्ष्य का विरोध करता है क्योंकि अ॰ सा॰ 3 ने कथन नहीं किया है कि अ॰ सा॰ 2 उसके साथ हड़िया (देशी शराब) का सेवन कर रही थी। यह प्रतिवाद भी किया गया है कि किसी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 4 अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं और उनके परिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है, अत: आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का विरोध करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अ॰ सा॰ 2 ने उसके बयान का समर्थन किया है जैसा फर्दबयान में दिया गया है और अ॰ सा॰ 3 एवं 4 ने भी अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य का समर्थन किया है; कि चिकित्सीय साक्ष्य संपुष्ट करता है कि मृतक की मृत्यु मस्तक पर प्रहार के कारण हुई; कि डॉक्टर ने मत दिया था कि उपहति प्रकृति के सामान्य, क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी; और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपराध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के तीसरे खंड के अधीन आच्छादित है। यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी को हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के लिए जैसा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के अधीन परिभाषित किया गया है, सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के आलोक में अ॰ सा॰ 1 डॉक्टर मथुरा प्रसाद सिंह, जिन्होंने शव-परीक्षण संचालित किया और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया, के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना प्रासंगिक है:-

"(i) eLrd d Åijh nk, Hkkx ij 1" x 3/4" x ,d [kjkpA

(ii) ck, dku d ihN eLrd d ck, fgLl ij 1½" x ¼" dk gekVkekA ck, dku ,o ukfld l [ku cg jgk FkkA

चीर-फाड़ करने पर डॉक्टर ने पाया कि बायाँ पेराइटल अस्थि फ्रैक्चर्ड था, मस्तिष्क के बाएँ हिस्से पर सब-ड्यूरल हेमाटोमा उपस्थित था। ब्रेन मैटर तंग था। पसली सलामत थी, फेफड़ा तंग था और हृदय रक्त से भरा था।

डॉक्टर के मत में मृतक की मृत्यु मस्तक उपहति एवं हेमरेज तथा आघात के कारण हुई थी और पाया कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की मानववध मृत्यु हुई।

7. अ॰ सा॰ 2 सूचक ने परिसाक्ष्य दिया है कि वह अपने घर के निकट थी और उसने अपीलार्थी अभियुक्त को खटिया की पट्टी से अपने पति के दाएँ कनपटी एवं मस्तक पर प्रहार करते देखा था; कि उसने शोर किया जिस पर अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 वहाँ आए और उसने मुंडा एवं मुखिया को भी सूचित किया। इसी प्रकार, अ॰ सा॰ 3 ने भी कथन किया है कि यह माघ उत्सव का दिन था और वह हड़िया (देशी शराब) पीने जा रही थी और रास्ते में उसने अपीलार्थी को खटिया की पट्टी से मृतक पर प्रहार

करते देखा जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी और उसने मृतक के मस्तक पर उपहति देखा था; कि घटना मृतक के घर के सामने हुई थी; कि अ॰ सा॰ 4 ने परिसाक्ष्य दिया है कि अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 ने उसके घर में हड़िया का सेवन किया और जब वे जा रहे थे, उन्होंने हल्ला किया और वह घसिया अंगरिया के खेत में गया जहाँ उसने अपीलार्थी को भागते देखा; कि उन्होंने मुंडा एवं मुखिया को सूचित किया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए मुखिया का परीक्षण नहीं किया गया है कि उसने दो भाषा में दिए गए अ॰ सा॰ 2 को बयान का अनुवाद पुलिस के लिए हिंदी में किया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 2 ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह मुखिया के पास गयी थी जिसने पुलिस को सूचित किया था और पुलिस अगले दिन आयी थी और मुखिया द्वारा अनुवाद किए जाने पर उसका बयान दर्ज किया था जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा भी संपुष्ट किया गया है जिसने कथन किया है कि मुर्गी अंगरिया ने सूचक के बयान का अनुवाद हो भाषा से हिंदी में किया था और उसने बयान दर्ज किया था जिसके बाद इसे सूचक को समझाया गया था और मुर्गी अंगरिया ने गवाह के रूप में इस पर हस्ताक्षर किया था और यह तथ्य फर्दबयान में मुर्गी अंगरिया के हस्ताक्षर के पृष्ठांकन से सिद्ध किया गया है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है।

9. कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि सूचक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि उसने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने चार-पाँच बार प्रहार किया था किंतु चिकित्सीय साक्ष्य में केवल एक उपहति पायी गयी है, भी इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिसाक्ष्य में अतिशयोक्ति अथवा अलंकरण करना गवाह की प्रवृति होती है और वह देहाती महिला है और उसने दूर से घटना देखा था। इसके अतिरिक्त, वह प्रति परीक्षण की परीक्षा में अडिग रही है और प्रहार के बिंदु पर उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है। अ॰ सा॰ 3 ने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 5 में विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि अ॰ सा॰ 3 और अ॰ सा॰ 2 के घर के बीच कोई आबादी या घर नहीं है; कि वस्तुत: अ॰ सा॰ 3 ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि जब वह अ॰ सा॰ 2 के घर जाने के रास्ते पर थी, उसने घटना देखा; कि शोर किए जाने पर कोई वहाँ नहीं आया। अ॰ सा॰ 2 ने परिसाक्ष्य दिया है कि शोर के कारण अ॰ सा॰ 3 एवं 4 घटनास्थल पर आए थे और अ॰ सा॰ 3 एवं 4 का परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य के साथ संगत है और वस्तुत: अ॰ सा॰ 3 एवं 4 हितबद्ध गवाह नहीं बल्कि स्वाभाविक गवाह हैं जो अ॰ सा॰ 2 द्वारा शोर किए जाने पर घटनास्थल पर आए थे।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि संपत्ति हड़पने के आशय से अपीलार्थी को झूठा फँसाया गया है क्योंकि अपीलार्थी मृतक का सगा भाई है। विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिवाद भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रति परीक्षण में अ॰ सा॰ 2 ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसके मृतक पति एवं अपीलार्थी के बीच झगड़ा-लड़ाई नहीं था और वे अलग रहते थे।

इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रकटत: स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 2 सूचक के परिसाक्ष्य को प्रति परीक्षण में हिलाया नहीं गया है। यद्यपि उसने अपीलार्थी द्वारा किए गए पाँच-छह प्रहार के बारे में कथन किया है जिसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है किंतु ऐसी दुर्बलता अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को विनष्ट/अतिलंघन नहीं करती है।

11. जैसा ऊपर गौर किया गया है, चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट है कि मृतक की मृत्यु एकमात्र वार के कारण हुई है। स्वीकृत रूप से, अपीलार्थी ने खटिया की पट्टी से प्रहार किया था। यह भी गौर

किया गया है कि वार दोहराया नहीं गया था और अपीलार्थी अभियुक्त ने क्रूर तरीके से कृत्य नहीं किया था और यह दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास है अथवा अपीलार्थी एवं मृतक के बीच पूर्व दुश्मनी थी। इस संबंध में **हेमराज बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), 1990 SCC (Criminal 713): 1990 (Supp) SCC 291,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट करना प्रासंगिक होगा जिसके पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^ç'u ;g g fd D;k vihykFkh dk erd dh eR; dkfjr dju d vk'k; l ml migfr fo'k"k dk dkfjr djrk dgk tk,xkA tl k LFkkfir rF;k ,o ifjfLFkfr;k dh li.krk n'kkrh g fd ?kVuk lokfèkd vçR;kf'kr :i l vpkud g, >xM e vkj fdl h io fpru d fcuk gb Fkh ft ld nkjku vihykFkh u ,dek= migfr dkfjr fd;k Fkk] ml ij erd dh gR;k dkfjr dju dk vk'k; vFkok ml fo'k"k ?kkrd migfr dk dkfjr dju dk vk'k; j[ku dk ykNu ugh yxk;k tk ldrk Fkk] fdr ml ij ;g tkudkjh gku dk ykNu yxk;k tk ldrk Fkk fd og ,l h migfr dkfjr dju okyk Fkk ft ld eR; dkfjr dju dh lHkkouk FkhA fdl h ldkjkRed çek.k dh vuifLFkfr e fd vihykFkh u eR; dkfjr dju d vk'k; l erd dh eR; dkfjr fd;k vFkok vk'k; iod ml fo'k"k migfr dk dkfjr fd;k tk çÑfr d lkekU; Øe e eR; dkfjr dju d fy, i;kIr Fkh] HkkO n0 l0 dh èkkjk 300 dk [kM I vFkok [kM III vkÑ"V ugh gkxkA***

12. पूर्वोल्लिखित मामले में डॉक्टर ने मत दिया था कि उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी किंतु मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि उपांतरित किया और अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

13. गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009)15 SCC 635, मामले में जहाँ मृत्यु एकमात्र वार का परिणाम थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित दंडादेश पारित करते हुए विचार में लिए जाने के आवश्यक कारकों को संगणित किया है। **चेन्दा बनाम चंदा राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013)12 SCC 110,** मामले में भी इन कारकों पर विचार किया गया था और अधिमूल्यन किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 299 के प्रावधान और धारा 300 के तृतीय खंड पर चर्चा किया और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता को भी ध्यान में लिया और उक्त निर्णय के पैरा 14 में मृतक पर उपहतियों को ध्यान में लिया:–

"1. vfLFk rd xgjk 4" x 3" vkdkj dk eLrd ij dVu dh migfrA

2. eLrd ,o ukd rFkk nkuk vk[kk ij ¶ykVM l tuA

3. dVycku d nkuk fgLl k ij] cy vi [kkiMh e vkj ukd dh gMMh ij Hkh ÝDpj FkkA

4. [kkiMh d ck, ijkbVy ,o vkDlhihVy gfMM;k ij Hkh ÝDpj ik;k x;k Fkk] [kkiMh e dy ikp ÝDpj FkA

*5. mDr ekey e MkDVj u er fn;k fd ,l h migfr vijkèk d gfFk;kj l ,d okj }kjk dkfjr dh tk ldrh g vkj fd migfr çÑfr d lkekU; Øe e eR; dkfjr dju d fy, i;kIr FkhA***

14. पूर्वोल्लिखित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने पर कि अपीलार्थी ने केवल एक वार किया था और घटना क्षणिक आवेश में किसी पूर्वचिंतन के बिना हुई थी और अपीलार्थी

के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आपराधिक इतिहास अथवा क्रूरता का कोई कृत्य नहीं था, अतः अपीलार्थी के आचरण को दृष्टि में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन से दंड को धारा 304 भाग II में परिवर्तित कर दिया।

15. जैसा ऊपर गौर किया गया है, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने एक मात्र वार किया था और ऐसा कृत्य स्थापित तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह स्थापित नहीं करता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए कोई पूर्व चिंतन अथवा पूर्वकल्पित योजना थी। दी गयी परिस्थितियों में अपीलार्थी पर मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखने का लांछन नहीं लगाया जा सकता है, किंतु उसे यह जानकारी रखने से विमुक्त नहीं किया जा सकता है कि उपहति की मृत्यु कारित होने की संभावना थी। अ॰ सा॰ 2, एवं 4 के साक्ष्य में कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थी ने मृत्यु कारित करने के आशय से मृतक का मृत्यु कारित किया। अपीलार्थी किसी घातक हथियार से लैस नहीं था और न ही वार दोहराया गया था। यह दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है कि उसका आपराधिक इतिहास था अथवा उसने प्रहार के क्रम में क्रूर तरीके से कृत्य किया। इस प्रकार, परिस्थितियों की संपूर्णता में और पूर्वोल्लिखित निर्णयों के निर्णयाधार को विचार में लेते हुए हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दंडनीय हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध के तुल्य है।

16. तद्नुसार, हम अपीलार्थी की भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त करते हैं और दोषसिद्धि को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध में परिवर्तित करते हैं और उसको भुगत ली गयी अवधि का दंडादेश देते हैं क्योंकि वह एक दशक से अधिक समय से अभिरक्षा में बना हुआ है। उक्त नामित अपीलार्थी को अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश एतद्द्वारा दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

17. तद्नुसार, ऊपर गौर की गयी सीमा तक दोषसिद्धि एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

शेख अनवर उर्फ एस॰ के॰ अनवर

cuke

झारखंड राज्य

A.B.A. No. 3883 of 2013. Decided on 22nd August, 2014.

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406/420/468/471—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 438—न्यास का दांडिक भंग, छल एवं कूट रचना–अग्रिम जमानत–न्याय से अभियुक्त के भागने की संभावना न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा इससे इनकार करने के लिए महत्वपूर्ण विचार है–अभियुक्त जिसके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है को अग्रिम जमानत नहीं प्रदान करने की आज्ञा स्वयं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 में अंतर्निहित है–मात्र इसलिए कि दंडाधिकारी ने अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं किया है जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आवश्यक है, आदेश अधिकारिता विहीन नहीं हो जाता है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 14, 16, 17, 18, 26 एवं 27)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—उच्च न्यायालय अभियुक्त जिसके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं कर सकता है। (पैरा 23)

निर्णयज विधि.—(2012) 8 SCC 730; (2014) 2 SCC 171; AIR 1962 SC 1621; (2012) 12 SCC 406; (2011) 14 SCC 770; (2013) 5 SCC 427—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; Mr. T.N. Verma, For the State; Mr. Kripa Shankar Nanda, For the Informant.

आदेश

पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

2. आवेदक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420/468/471 के अधीन दर्ज रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 69 वर्ष 2013 के संबंध में अग्रिम जमानत का प्रदान इप्सित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य जैसा परिवाद मामले जिसे दिनांक 7.9.2012 को दाखिल किया गया था में प्रकट किया गया है ये हैं कि दिनांक 14.6.2011 को आवेदक द्वारा परिवादी को भूमि के टुकड़ा के विक्रय के लिए प्रस्ताव दिया गया था और उसके प्रतिफल के रूप में दो भिन्न तिथियों अर्थात् दिनांक 3.7.2011 और दिनांक 7.7.2011 को परिवादी द्वारा दस लाख रुपया का भुगतान किया गया था। यह कथन किया गया है कि दिनांक 15.7.2011 को आवेदक ने प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करने का वादा किया किंतु, दिनांक 14.8.2011 को उसने विक्रय विलेख निष्पादित करने के अनुरोध से इनकार कर दिया। परिवादी ने दिनांक 31.8.2011; 6.3.2012, 20.7.2012 और 12.11.2012 को कानूनी नोटिस जारी किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि उसको किए गए 10 लाख रुपयों के भुगतान को स्वीकार करते हुए आवेदक ने जून, 2012 में परिवादी को 10,000/- रुपयों की राशि वापस कर दिया। परिवाद याचिका दाखिल की गयी थी और इसे पुलिस को निर्दिष्ट किया गया था जिसने दिनांक 15.4.2013 को प्राथमिकी दर्ज किया। दिनांक 30.8.2013 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया बताया जाता है। दिनांक 9.9.2013 को अपराध का संज्ञान लिया गया था और अभियुक्तगण की उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था। उसके पहले, दिनांक 13.6.2013 को आवेदक के विरुद्ध पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसे निष्पादित नहीं किया जा सका था और तत्पश्चात, दिनांक 15.7.2013 को अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया। बाद में दिनांक 23.8.2013 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 83 के अधीन आदेशिका आदेशित की गयी थी।

4. आरंभ में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ और सूचक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **''लबेश बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰)'', (2012)8 SCC 730,** और **''मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा, (2014)2 SCC 171,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास करते हुए वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन की पोषणीयता पर आरंभिक आपत्ति किया। यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में आवेदक जिसके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है, अग्रिम जमानत के प्रदान का हकदार नहीं है।

5. आवेदक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 12.7.2013 के आदेश का कोरा परिशीलन उपदर्शित करेगा कि यह विधि की आवश्यकता संतुष्ट नहीं करता है जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन अधिकथित किया गया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 73 को निर्दिष्ट करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के

पहले अवर न्यायालय को इस निष्कर्ष पर आना ही होगा कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के अतिरिक्त फरार था अथवा स्वयं को छुपा रहा है ताकि गिरफ्तारी वारंट निष्पादित नहीं किया जा सके और केवल यदि ये अधिकारिता कारी तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका आदेशित की जा सकती है। **''उज्जम बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'', AIR 1962 SC 1621,** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन किया गया है कि चूँकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का आदेश देते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकारिता के तथ्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, यह अवैध आदेश होगा और इस प्रकार अकृत होगा जिसको ध्यान में नहीं लिया जा सकता है और यह न्यायालय इसे अनदेखा कर सकता है। **''अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य'', (2012)12 SCC 406, "पंजाब राज्य बनाम दविन्दर पाल सिंह भुल्लर एवं अन्य'', (2011)14 SCC 770, ''राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम बनाम सुभाष सिंदी सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी'', जयपुर एवं अन्य'', (2013)5 SCC 427,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 12.7.2013 का आदेश विधि की दृष्टि में अकृत होने के नाते, भले ही आवेदक द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिया गया है, यह आवेदक की ओर से दाखिल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन ग्रहण करने के लिए वर्जना नहीं हो सकता है।'' **सुरिन्दर सिंह उर्फ शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2005)7 SCC 387,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दांडिक मामले में जारी मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्यत: निर्देशात्मक हैं और उनको संपूर्ण विधि अधिकथित करता हुआ नहीं कहा जा सकता है जहाँ तक जमानत के प्रदान अथवा इससे इनकार का संबंध है।

6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ''लवेश'' एवं ''प्रदीप शर्मा'' मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है और न्यायिक अनुशासन आवश्यक बनाता है कि पूर्वोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के अधीन आवेदन में उच्च न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले आदेश की वैधता का परीक्षण करने की छूट नहीं है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **''लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰)'' (ऊपर)** में निर्णय के पैराग्राफ 12 पर विश्वास किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ''सामान्यत: जब अभियुक्त ''फरार'' है और ''उद्घोषित अपराधी'' के रूप में घोषित किया जाता है, अग्रिम जमानत प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं है।'' पैराग्राफ 12 में प्रयुक्त शब्द ''सामान्यत:'' पर जोर देते हुए, जिसे **''प्रदीप शर्मा'' (ऊपर)** में निर्णय के पैराग्राफ 16 में ध्यान में लिया गया है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी किए जाने को अग्रिम जमानत आवेदन ग्रहण नहीं करने के लिए संपूर्ण वर्जना के रूप में नहीं लिया जा सकता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **''ए॰ आर॰ अंतुले बनाम आर॰ एस॰ नायक'', AIR 1988 SC 1531,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी निर्दिष्ट किया है और प्रतिवाद किया है कि न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित अवैध आदेश को उसी न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जा सकता है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद पर आने के पहले यह गौर करने योग्य कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में संहिता, 1973 की धारा 438 के समरुप प्रावधान नहीं था। अपने 41वें एवं 48वें रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग की अनुशंसा की दृष्टि में अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को सक्षम बनाते हुए यंत्र विकसित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 में धारा 438 पुर:स्थापित करने के उद्देश्य एवं कारण का वक्तव्य तथा विधायी इतिहास स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के अधीन प्रावधान असाधारण प्रावधान के रूप में पुर: स्थापित किया गया है।

9. ''श्री बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य'', (1976)4 SCC 572, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^ ^vfxe tekur çnku dju dh ;g 'kfDr dN&dN vlkèkkj.k pfj= dh g vkj doy vkiokfnd ekeyk e tgk ;g çrhr gkrk g fd 0;fDr dk >Bk vkfylr fd;k tk ldrk Fkk] vFkok mld fo#) rPN ekeyk vkjHk fd;k tk ldrk Fkk] vFkok ^^;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;fDr;Dr vkèkkj g fd vijkèk d vfHk;kfxr 0;fDr dh Qjkj gku vFkok tekur ij jgr g, viuh Lor=rk dk vU;Fkk n#i;kx dju dh lHkkouk ugh g**] , lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tkuk gA***

10. ''श्री गुरबक्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य'', (1980)2 SCC 565, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि ''अग्रिम जमानत'' पर अभियुक्त को निर्मुक्त करने की शक्ति ''असाधारण'' चरित्र की है।

11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 की संवैधानिकता को मान्य ठहराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अभियोगित व्यक्ति को अग्रिम जमानत के प्रावधान की प्रयोज्यता से इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 21 के उल्लंघनकारी के रूप में माना नहीं जा सकता है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 आवश्यकत: सांविधिक अधिकार है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आवश्यक अवयव के रूप में माना नहीं जा सकता है। (**मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम रामकृष्ण बलोठिया एवं एक अन्य, (1995)3 SCC 221)।**

12. इस चरण पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के प्रावधान को ध्यान में लेना महत्वपूर्ण है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"438. **fxj¶rkjh dh vk'kdk dju oky 0;fDr dh tekur etj dju d fy, fun'k-**&[(1) tc fdlh 0;fDr d ikl ;g fo'okl dju dk dkj.k g fd ml xj&tekurh vijkèk dju d vkjki ij fxj¶rkj fd;k tk ldrk g] rk og bl èkkjk d vrxr mPp U;k;ky; ;k l= U;k;ky; dk ,lk fun'k tkjh dju d fy; vkonu n ldrk g fd ,lh fxj¶rkjh dh n'kk e ml tekur ij NkM fn;k tk; vkj U;k;ky; vU; lHkh ckrk d lkFk&lkFk fuEu ckrk dk è;ku e j[kdj]&*

(i) vkjki dh çÑfr ,o xHkhjrk(

(ii) çkFkh dk iooÙk ftle ;g rF; Hkh lfEefyr g fd dHkh mlu io e fdlh lK; vijkèk d fo"k; e U;k;ky; }kjk nk"k fl) gku ij dkjkokl dk nM] Hkkxk g ;k ugh(

(iii) çkFkh d U;k; l Hkkx tku dh lHkkouk(vkj

(iv) çkFkh dk fxj¶rkj djd ml pkV igpku ;k ij'kku dju d mí'; l rk vkjki ugh yxk;k x;k] ;k rk çkFkuki= dk rRdky fujLr dj ldrk g ;k vfxe tekur çnku dju gr ,d vrfje vkn'k ikfjr dj ldrk gA

....."

13. ''शोभन सिंह खनका बनाम झारखंड राज्य,'' (2012)4 SCC 684, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत के दावा पर विचार करते हुए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना होगा:–

"(i) vfHk;kx dh çÑfr ,o xHkhjrk(

(ii) bl rF; fd D;k og igy fdlh lK; vijkèk d lcèk e U;k;ky; }kjk nk"kflf) ij dkjkokl Hkxrk g] lfgr vkond dk iooÙk(

(iii) U;k; l vkond d Hkkxu dh lHkkouk(vkj

*(iv) tgk vfHk;kx mldk bl çdkj fxj¶rkj djokdj vkond dk pkV igpkus vFkok vieku djus d mí'; l yxk;k x;k gA***

14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्याय से अभियुक्त के भागने की संभावना न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के प्रदान अथवा इससे इनकार के लिए महत्वपूर्ण विचार है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 और **''शोभन सिंह खनका''** और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कोरे पठन से यह प्रकट है कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है को अग्रिम जमानत नहीं प्रदान करने की आज्ञा स्वयं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 में अंतर्निहित है।

15. ''मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा'', में **''लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰)** में पैराग्राफ 12 को ध्यान में लेने के बाद, जिसमें यद्यपि शब्द ''सामान्यत:'' का उपयोग किया गया है, ''प्रदीप शर्मा'' में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया है कि जब एक बार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी कर दी गयी है, अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं किया जा सकता है।

16. दिनांक 12.7.2013 का आदेश जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है, का विरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर किया गया है कि उक्त आदेश केवल इस आधार पर जारी किया गया था कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा है जबकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के पहले न्यायालय को अपनी संतुष्टि दर्ज करना ही होगा कि गिरफ्तारी वारंट निष्पादित नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि ये अधिकारिता के तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं, दिनांक 12.7.2013 का आदेश अधिकारिताविहीन है और इस प्रकार अकृत है। यह प्रतिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। अधिकारिता का तथ्य वह तथ्य है जिसके अस्तित्व अथवा गैर-अस्तित्व पर न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकार द्वारा अधिकारिता धारण करने के लिए धारण अथवा इनकार निर्भर करता है। यह विवादित नहीं है कि विद्वान दंडाधिकारी जिन्होंने दिनांक 12.7.2013 का आदेश पारित किया के पास विषय वस्तु के ऊपर अधिकारिता थी और दिनांक 12.7.2013 के आदेश को अभियुक्त द्वारा दाखिल आवेदन पर समुचित कार्यवाही में न्यायिक संवीक्षण के अध्यधीन किया जा सकता है। मात्र इसलिए कि विद्वान दंडाधिकारी ने अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं किया है जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आवश्यक है, आदेश अधिकारिताविहीन नहीं बन जाता है।

17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद कि आदेश जो अकृत है को न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जा सकता है को निर्दिष्ट करते हुए मेरा मत है कि आदेश जिसका विरोध अकृत के रूप में इप्सित किया गया है न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है यदि उक्त आदेश प्रत्यक्षत: विवाद्यक में है। इसी प्रकार से, आदेश जिसे कार्यवाही के पक्ष द्वारा अकृत बताया गया है को न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है जब तक न्यायालय उक्त आदेश की वैधता के न्यायनिर्णयण पर इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि यह अकृत है।

18. ''इट्टीयावीरा माथिया बनाम वार्के वार्के एवं एक अन्य'', AIR 1964 SC 907, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ विषय वस्तु एवं पक्ष पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय डिक्री पारित करता है, इसे अकृत के रूप में नहीं माना जा सकता है और पश्चातवर्ती वाद में अनदेखा नहीं किया जा सकता है भले ही वाद समय द्वारा वर्जित था। यह भी सुनिश्चित है कि आदेश जो अकृत है

की वैधता को किसी चरण पर और निष्पादन अथवा सांपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है। **''भवरलाल भंडारी बनाम यूनिवर्सल हेवी मकेनिकल लिफ्टिंग इंटरप्राइजेज'', (1999)1 SCC 558,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वासुदेव धनजी भाई मोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान'', (1970)1 SCC 670,** में संप्रेक्षण दोहराया है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"6. fMØh fu"ikfnr dju okyk U;k;ky; fMØh l ij ugh tk ldrk g% i{kk vFkok mud çfrfufèk;k d chp bl fMØh dk mld Lojkulkj yuk gkxk vkj ;g ,lh dkb vkifÙk xg.k ugh dj ldrk g fd fMØh fofèk e vFkok rF;k ij xyr FkhA tc rd vihy vFkok iujh{k.k e lefpr dk;okgh }kjk bl vikLr ugh fd;k tkrk g] fMØh Hky gh ;g xyr gk vHkh Hkh i{kk d chp ckè;dkjh gA**

19. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **''पंजाब राज्य बनाम दविन्दर पाल सिंह भुल्लर एवं अन्य,'' (2011)14 SCC 770,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षण पर विश्वास किया है। पैराग्राफ सं॰ 105 एवं 106 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षण से मैं पाता हूँ कि आरंभिक आदेश जिसके अनुसरण में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी को चुनौती दी गयी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अकृत के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था।

20. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **''राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम बनाम सुभाष सिंधी सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी, जयपुर एवं अन्य,'' (2013)5 SCC 427,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षण पर भी विश्वास किया है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"18. 'kCn ^^'kU;** dk mi;kx vulefFku d v;kX; d vFk e fd;k x;k gA pht ftl vfo|eku ik;k x;k g vkj bl vikLr dju dh vko';drk ugh g ;|fi ,lk djuk dHkh&dHkkj lfoèkkfud gA bl vfHk[kfMr dju d fy, vkn'k dh vko';drk ugh gkxhA ;g fdlh 'kkj&'kjkc d fcuk Lor% 'kU; ,o vÑr gk tk,xkA lrrrk vkn'k Hkh vÑr gkx D;kfd dkb vÑrrk tkjh ugh j[k ldrk gA**

21. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि **''राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम''** में उक्त संप्रेक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी ताथ्यिक पृष्ठभूमि में किया गया है जहाँ पश्चातवर्ती खरीदारों, सोसाइटी, द्वारा अर्जन को दी गयी चुनौती में मूल खातेदारों में से कोई भी सोसाइटी से नहीं जुड़ा था। इस सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना कि भूमि के संबंध में धारा 4 की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात खरीदार अर्जन कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता है और केवल मुआवजा का दावा कर सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में विक्रय संव्यवहार सरकार के प्रति शून्य है, की दृष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि धारा 4 अधिसूचना के पश्चात सृजित विल्लंगम शून्य होगा और इस प्रकार इसे अपास्त करने की आवश्यकता नहीं थी। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य मामले भी प्रासंगिक नहीं हैं और तथ्यों पर सुभिन्न किए जाने योग्य हैं।

22. आवेदक का प्रतिवाद यह है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के प्रदान के लिए याचिका सुनते हुए उच्च न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन जारी आदेशिका की वैधता पर विचार कर सकता है और यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट करता है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने वाला आदेश असंपोषणीय है, न्यायालय पूर्वोक्त मामलों

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि अनदेखा करते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर सकता है।

23. मेरे मत में, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 के अधीन आवेदन पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित है कि यदि विनिर्दिष्ट विषय पर विचार करने वाला संहिता में विनिर्दिष्ट प्रावधान है, न्यायालयों द्वारा संहिता के अन्य प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए न्यायालय के पास जाने की छूट है किंतु उच्च न्यायालय को **''मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा''** और **''लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को अनदेखा करते हुए अभियुक्त जिसके विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है को अग्रिम जमानत प्रदान करने की छूट नहीं है।

24. ''लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰)'' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मैं पाता हूँ कि यद्यपि पैराग्राफ 12 में शब्द ''सामान्यत:'' का उपयोग किया गया है, उसी पैराग्राफ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *^^--------ge nkgjkr g fd tc 0;fDr ftld fo#) okjUV tkjh fd;k x;k Fkk vkj tk okjUV d fu"iknu l cpu d fy, Qjkj g vFkok Lo; dk Nik jgk g vkj ftl lfgrk dh èkkjk 82 d fucèkukulkj mn?kkf"kr vijkèkh d :i e ?kkf"kr fd;k x;k g] og vfxe tekur d vurk"k dk gdnkj ugh gA**

25. ''प्रदीप शर्मा'' मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि में उक्त अवस्था को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया है:–

> *^^mDr fu.k; l Li"V g fd ;fn fdlh dk lfgrk dh èkkjk 82 d fucèkukulkj Qjkj@mn?kkf"kr vijkèkh d :i e ?kkf"kr fd;k tkrk g] og vfxe tekur d vurk"k dk gdnkj ugh gA**

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त उद्घोषणाओं की दृष्टि में मुझे मामले में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की छूट नहीं है।'' **बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम अनूप मुखर्जी, (2012)13 SCC 33,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 141 को अनदेखा नहीं कर सकता है जो स्पष्टत: कथन करता है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है **''फजलूनबी बनाम के॰ खादर वालि एवं एक अन्य, (1980)4 SCC 125,** में माननीय न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"7. .....lokPp U;k;ky; dh ogr ihB d flok, Hkkjr e dkb U;k;kèkh'k U;kf;d vu'kklu l çLFkku fd, fcuk lokPp U;k;ky; d fu.k; d fu.k;kèkkj dk de] nj fdukj ugh dj ldrk g vFkok bll vckè; ugh gk ldrk g-----------**

27. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत के प्रदान का हकदार नहीं है और तद्नुसार वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferko dekj xlrk] U;k;efr

आशा देवी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

L.P.A. No. 214 of 2014. Decided on 24th July, 2014.

सेवा विधि–सेवा निवृत्ति लाभ–मृतक कर्मचारी की दो पत्नियों के बीच प्रभाजन–पहली पत्नी के ज्येष्ठ पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी गयी थी–पहली पत्नी को मासिक 600/- रुपयों का भरण-पोषण का भुगतान किया जा रहा था और वह उसको बेची गयी भूमि की कृषि आय का उपभोग भी कर रही थी–अपीलार्थी दूसरी पत्नी पर अविवाहित पुत्रियों के लालन पालन और निकट भविष्य में उनके विवाह के खर्च को देने का भार है–सेवा निवृत्ति लाभों के प्रभाजन के लिए निर्देश जारी किए गए। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–2009(79) AIC 524 [Pat. H.C.]—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Sudhanshu Kr. Dev., For the Appellants; Mr. Prashant Pallav, Forthe Pvt. Resp. No.5; Mr. Om Prakash Tiwari, For the J.S.E.B.

अमिताव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3538 वर्ष 2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी दिनांक 15.5.2014 के निर्णय/आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा पूर्वोक्त रिट आवेदन उसमें दिए गए कतिपय निर्देशों के साथ निपटाया गया था।

2. पूर्वोक्त रिट आवेदन में अपीलार्थीगण का मामला यह था कि अपीलार्थी (आशा देवी) का विवाह दिनांक 12.4.1991 को राम खेलावन पहलवान (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ हुआ था और दिनांक 7.2.2012 को केंद्रीय विद्युत भंडार, देवघर में सुरक्षा प्रहरी के पद पर काम करते हुए स्व॰ रामखेलावन पहलवान की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी और वह प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 की सेवा में था; कि उसके स्वर्गीय पति का ब्रेन हेमरेज हुआ था और वह दिनांक 7.2.2012 को अपनी मृत्यु तक चिकित्सीय इलाज के अधीन था; कि अपीलार्थी ने उसकी देखभाल एवं सेवा की थी और उसके इलाज के व्यय के लिए धन उधार लिया था; कि मृतक अपने पीछे अपीलार्थी, पुत्री प्रियंका कुमारी और दो अवयस्क पुत्रों अर्थात् संतोष कुमार एवं सूरज कुमार (क्रमशः अपीलार्थी सं॰ 2 से 4) को छोड़ गया; कि उसके स्वर्गीय पति ने उसके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित किया था जिसके लिए प्रोबेट केस सं॰ 5 वर्ष 2012 दाखिल किया गया था और जो अवर न्यायालय में लंबित है जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 को क्रमशः प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 अर्थात् स्व॰ राम खेलावन पहलवान की पहली पत्नी जानकी देवी और स्व॰ रामखेलावन पहलवान के पुत्र चौधरी चरण यादव के रूप में अभियोजित किया गया था; कि स्व॰ रामखेलावन पहलवान की विवाहित पुत्री प्रत्यर्थी सं॰ 3 फूल कुमारी देवी उपस्थित हुई है।

कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 जो पहली पत्नी है और प्रत्यर्थी सं॰ 6 पुत्र और उसकी पुत्री फूल कुमारी देवी ने अपीलार्थी के साथ विवाह के पहले अपने स्वर्गीय पति का अधित्यजन कर दिया था; कि अपीलार्थी सं॰ 2 वयस्क हो चुकी है किंतु अभी तक अविवाहित है; कि मृतक की पहली पत्नी जानकी देवी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण मामला दाखिल किया था, जिसमें उसको 800/- रुपया प्रतिमाह का भरण-पोषण अनुज्ञात किया गया था जिसके विरुद्ध उसके स्वर्गीय पति ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 802 वर्ष 2009 दाखिल किया था जिसमें दिनांक 4.4.2011 के आदेश द्वारा भरण-पोषण राशि 600/

- रुपया प्रतिमाह पर नियत की गयी थी और उक्त पुनरीक्षण में, यह स्वीकार किया गया है कि उसके स्वर्गीय पति की सेवा-सुश्रुषा वर्तमान अपीलार्थी द्वारा की जा रही है।

यह प्रकथन किया गया है कि पहले जानकी देवी ने दिनांक 11.12.2012 को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7446 वर्ष 2012 दाखिल किया था किंतु पूर्वोक्त रिट में अपीलार्थीगण को पक्ष नहीं बनाया गया था और उक्त रिट में आदेश पारित किए जाने के बाद अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल किया था जिसे अपीलार्थी को शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित फोरम के समक्ष जाने की स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दिया गया था। यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी सं॰ 2 (प्रियंका कुमारी) ने दिनांक 20.5.2013 को कार्यपालक अभियन्ता केंद्रीय विद्युत भंडार, डाबर ग्राम, देवघर के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था और अपीलार्थी सं॰ 1 और 2 ने भी मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 के समक्ष दिनांक 17.6.2013 को आवेदन दाखिल किया था, किंतु प्रत्यर्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, जिस पर अपीलार्थीगण ने पूर्वोक्त रिट आवेदन दाखिल किया जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ इस आधार पर आक्षेपित आदेश का विरोध किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार नहीं किया था कि रजिस्टर्ड वसीयत के लिए पक्षों के बीच प्रोबेट मामला लंबित था, जिसका प्रत्यर्थीगण द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए था; कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए और अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी सं॰ 6 की नियुक्ति के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7446 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 8.1.2013 के आदेश के अनुसरण में पारित दिनांक 17.8.2013 के मेमो सं॰ 4662 में अंतर्विष्ट आदेश के अभिखंडन के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5423 वर्ष 2013 भी दाखिल किया था; कि विद्वान एकल न्यायाधीश को विचार करना चाहिए था कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर प्रोबेट मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे; कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 अर्थात् याची सं॰ 2 ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5423 वर्ष 2013, दाखिल किया था और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उस पर विचार किया जा रहा था और प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 के पास आय का नियत स्रोत था जबकि अपीलार्थी सं॰ 1, जिसकी अविवाहित पुत्री थी और दो अवयस्क संतानें थी, को पारिवारिक पेंशन + 5 लाख रुपया + कुल सेवानिवृत्ति लाभों का 50% दिनांक 20.3.2014 को अपीलार्थी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र की दृष्टि में प्रदान किया जाना चाहिए था; कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ध्यान में नहीं लिया था कि यदि प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ संवितरित किया जाता है, तब अपीलार्थी को अपूरणीय हानि होगी और वह सड़क पर भीख मांगेगी और दरिद्रता का जीवन बिताएगी और पूरक शपथ पत्र में अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रस्ताव की दृष्टि में आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया है कि मृतक की पहली पत्नी जानकी देवी और प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने अपने स्वर्गीय पति-पिता का अधित्यजन कर दिया था और अपीलार्थीगण ने मृतक की सेवा-सुश्रुषा की थी जब वह मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ था और अपीलार्थी को अपने अवयस्क संतानों की देखभाल करनी थी और अपनी अविवाहित पुत्री के विवाह का खर्च भी उठाना था; तद्नुसार, यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए और अपीलार्थीगण को संपूर्ण पारिवारिक पेंशन दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे॰ एस॰ ई॰ बी॰) ने परिपत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिस पर सेवानिवृत्ति लाभ के संवितरण के लिए विश्वास किया गया था।

5. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे॰ एस॰ ई॰ बी॰) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि परिपत्र जिसे दिनांक 3.10.1964 के मेमो सं॰ Pen-103/64-9505 द्वारा प्रसारित किया गया था के मुताबिक यह कथन किया गया है कि यदि अधिकारी अपने पीछे एक से अधिक विधवा छोड़ जाता

है, उनको बराबर हिस्सों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा और तद्नुसार, आक्षेपित आदेश द्वारा पहली पत्नी जानकी देवी और दूसरी पत्नी अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी आशा देवी में से प्रत्येक को 50% देकर उक्त सेवानिवृत्ति देयों एवं पारिवारिक पेंशन प्रभाजित किया गया था। कि पहली पत्नी के ज्येष्ठ पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है क्योंकि वह **राजकिशोर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2009 (79)AIC 524 (Pat.HC.)** मामले में निर्णय के निबंधनानुसार वरीयतम विधिक उत्तराधिकारी है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 जानकी देवी अर्थात् मृतक की पहली पत्नी ने अपने पति का अभित्यजन कभी नहीं किया था बल्कि यह उसके मृतक पति द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 5 के परित्याग का मामला है। कि उसको भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया जा रहा था, तद्नुसार उसने भरण-पोषण मामला दाखिल किया था, क्योंकि उसको अपने पुत्र एवं पुत्री की देखभाल करनी थी; कि वस्तुत: प्रत्यर्थी सं॰ 5 की पुत्री का विवाह संपन्न करने के लिए 1.20½ एकड़ भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, जो विक्रय विलेख का निष्पादन स्पष्ट करता है जैसा परिशिष्ट 3 में दांडिक पुनरीक्षण आवेदन में उल्लिखित है; कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के परिपत्र की दृष्टि में रखते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और यह विधि के अनुरुप है, अत: इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को सुनने पर यह गौर किया जाना है कि पक्षों के बीच विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए मामले की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा प्रयास भी किए गए थे और सेवानिवृत्ति देयों के संवितरण के लिए सहमति योग्य एवं स्वीकार्य निबंधनों पर आने के लिए समय दिया गया था किंतु दुर्भाग्यवश पक्षगण मैत्रीपूर्ण समाधान नहीं कर सके थे।

दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 802 वर्ष 2009 में पारित आदेश को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि मृतक ने 1.20½ एकड़ भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित किया था और अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं॰ 5 दोनों का मृतक पति पक्षाघात से पीड़ित था और नि:शक्त व्यक्ति था और प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने अभिसाक्ष्य दिया था कि वह भूमि पर काबिज थी और उस पर खेती कर रही थी जो दांडिक पुनरीक्षण के परिवर्णन में उल्लिखित है; कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने स्वीकार किया था कि उसका पति नि:शक्त व्यक्ति था और अपीलार्थी आशा देवी उसकी सेवा-सुश्रुषा कर रही थी और प्रत्यर्थी सं॰ 5 प्रत्यर्थी सं॰ 6 और अपने दामाद के साथ घर के हिस्से के अधिभोग में थी और यह तथ्य उसके द्वारा खंडित नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 को 600/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा था और वह उसको बेची गयी भूमि पर खेती करके कृषि आय भी पा रही थी।

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5423 वर्ष 2013 में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में दिनांक 3.10.1964 के मेमो सं॰ Pen-103/64-9505 द्वारा प्रसारित पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के खंड (7) के उपखंड (iii) के नोट (9) के प्रति निर्देश किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *^^tgk vfèkdkjh viu ihN ,d l vfèkd foèkok NkM tkrk g] mudk cjkcj fgLlk e i'ku dk Hkxrku fd;k tk,xkA foèkok dh eR; ij i'ku dk fgLlk mld ik= vo;Ld lrku dk Hkxr; cu tk,xkA ;fn viuh eR; d le; ij foèkok dk dkb ik= vo;Ld lrku ugh g] i'ku d mld fgLl dk Hkxrku cn dj fn;k tk,xkA***

इस प्रकार, परिपत्र की दृष्टि में विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपदान, जी॰ पी॰ एफ॰, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ तथा पारिवारिक पेंशन को अपीलार्थी आशा देवी और प्रत्यर्थी सं॰ 5 जानकी देवी के बीच समान रूप

से प्रभाजित करने और पहली पत्नी प्रत्यर्थी सं॰ 5 जानकी देवी और दूसरी पत्नी अपीलार्थी आशा देवी में से प्रत्येक को 50% का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

8. यह विवादित नहीं है कि मृतक पति की पहली पत्नी जानकी देवी को 1.20½ एकड़ भूमि दी गयी है जैसा मृतक रामखेलावन पहलवान द्वारा दाखिल दांडिक पुनरीक्षण में ऊपर गौर किए गए परिवर्णन के मुताबिक है और उसको भरण-पोषण के रूप में धन का भुगतान भी किया जा रहा था। वह उक्त भूमि की आय का उपभोग भी कर रही है और अपनी पुत्री का विवाह भी संपन्न किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 6 अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र चौधरी चरण यादव की अनुकंपा नियुक्ति पर पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश में पारित आदेश के निबंधनानुसार प्रत्यर्थीगण द्वारा विचार किया जा रहा है। यह प्रकट है कि अपीलार्थी आशा देवी पर अपनी अविवाहित पुत्री के लालन-पालन एवं निकट भविष्य में उसके विवाह का खर्च उठाने की जिम्मेदारी है। उसे अपने अवयस्क संतानों की आवश्यकता एवं शिक्षा के लिए भी खर्च करना है। उसके पास आय का नियत स्रोत नहीं है और उस पर अनेक दायित्व हैं।

9. तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए और न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए हम प्रत्यर्थी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे॰ एस॰ ई॰ बी॰) को निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश देना समुचित समझते हैं:–

(i) bl vkn'k dh çfr dh çkflr dh frfFk l vkB llrkg d Hkhrj Hkxr; lkfofèkd C;kt d lkFk igyh iRuh tkudh noh vkj nljh iRuh vk'kk noh çR;d dk minku] thO ihO ,QO ,o eR;&lg&lokfuofÙk ykHkk dk 50%:

(ii) tkudh noh dk Hkxr; minku] thO ihO ,QO ,o vU; eR;&lg&lok fuofÙk ykHkk ,o vU; jkf'k;k d 50% l tO ,lO bO chO }kjk 5 yk[k #i;k dh jkf'k dkVh@çHkkftr dh tk,xh vkj nljh iRuh vFkkr vihykFkh vk'kk noh dk bldk Hkxrku fd;k tk,xk rkfd og viuh vfookfgr i=h d fookg 0;; ,o viuh i=h ,o vo;Ld lrkuk dh f'k{k.k vko';drk ijh dj ldA

(iii) bl vkn'k dh çfr dh çkflr dh frfFk l vkB llrkg d Hkhrj nkuk ifRu;k dk Hkxr; çR;d dk ikfjokfjd i'ku dk 50%;

(iv) bl vkn'k dh çfr dh çkflr dh frfFk l rhu ekg dh vofèk d Hkhrj ;Fkk lHko 'kh?k fu;ek d vu#i igyh iRuh d i= vFkkr pkèkjh pj.k ;kno dh vudik fu;fDr ij fopkj fd;k tk,xkA

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्देश एवं संप्रेक्षण अवर न्यायालय में लंबित प्रोबेट मामले में पक्षों के हित को प्रभावित नहीं करेंगे। पूर्वोक्त निर्देश के साथ, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3538 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 15.5.2014 के आदेश को उक्त गौर की गयी सीमा तक उपांतरित किया जाता है और तद्नुसार, अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

सीता सोरेन (4266 में)

राजेन्द्र मंडल (3275 में)

cuke

भारत संघ, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से (दोनों में)

B.A. Nos. 4266 with 3275 of 2014. Decided on 11th September, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 439—जमानत–याची को मुख्यतः दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए गवाहों के बयान पर अभियुक्त बनाया गया है–धन की बरामदगी नहीं की गयी है–कोई संपुष्टकारी सामग्री नहीं है–कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया है–मुख्य अभियुक्त को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है–शर्तों के साथ जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 13 से 15)

अधिवक्तागण.–M/s Jitendra Singh, A.K. Das, For the Petitioners; Mr. Mokhtar Khan, For the CBI.

आदेश

चूँकि ये दोनों आवेदन एक ही मामले से उद्भूत होते हैं, उन्हें इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 171E, 188, 120B/34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 8, 12, 13 (2) सह–पठित 13 (1) (d) और 15 के अधीन अपराधों के लिए RC2 (S)/2012-AHD-R के संबंध में अभियुक्त बनाया गया है।

4. पहले, एस॰ आई॰ राजदेव सिंह के स्व–कथन के आधार पर नामकुम पी॰ एस॰ केस सं॰ 58 वर्ष 2012 संस्थित किया गया था जो दर्शाता है कि दिनांक 30.3.2012 को राज्य सभा के लिए चुनाव था और आयकर विभाग को सूचित किया गया था कि राज्य सभा की सीटों पर चुनाव के लिए विधायकों को खरीदने के लिए काफी नगद जमशेदपुर से राँची लाया जा रहा था। उक्त सूचना पर, किसी इन्नोवा वाहन को, जो जमशेदपुर से आ रहा था, पुलिस द्वारा बीच रास्ते में पकड़ा गया था और उक्त इन्नोवा वाहन से पुलिस द्वारा 2 करोड़ 15 लाख रुपया बरामद किया गया था। व्यक्ति जो इन्नोवा वाहन पर सवार था ने स्वयं का नाम सुधांशु त्रिपाठी प्रकट किया और उसने मेसर्स साह स्पाँज एन्ड पावर लि॰ का सहायक प्रबंधक होने का दावा किया जिसने सूचित किया कि उक्त नगद उक्त कंपनी के निदेशक द्वारा राँची के फोर्ड आइकन शोरुम में देने के लिए दिया गया था। यह अभिकथित करते हुए कि बरामद धन का उपयोग चुनाव में मतों को खरीदने के लिए किया जाना था, पुलिस मामला संस्थित किया गया था और अन्वेषण आरंभ किया गया था। उक्त पुलिस मामला में याचीगण को अभियुक्त नहीं बनाया गया था।

5. बाद में, इस न्यायालय में जनहित याचिकाएँ दाखिल की गयी थी और डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1801 एवं 1802 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 5.4.2012 के आदेश द्वारा उक्त नामकुम पी॰ एस॰ केस सं॰ 58 वर्ष 2012 का अन्वेषण सी॰ बी॰ आई॰ को सौंपा गया था और इस प्रकार वर्तमान मामला सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा संस्थित किया गया था। बाद में, अन्वेषण के बाद सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा आरोप–पत्र दाखिल किया गया है जिसमें दोनों याचीगण को अभियुक्त बनाया गया है।

6. जहाँ तक इन याचीगण का संबंध है, सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा दाखिल आरोप–पत्र में, जिसे परिशिष्ट 2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है, कथन किया गया है कि अन्वेषण ने प्रकट किया कि झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य थे और मुख्य राजनीतिक दलों, जिन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा था, में से किसी के पास अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के लिए निर्णायक बहुमत नहीं था। इस प्रकार, राजनीतिक स्थिति ने चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रेरित किया। अन्वेषण ने आगे प्रकट किया कि एक राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे॰ एम॰ एम॰) के दस सदस्यों ने

दिनांक 19 मार्च, 2012 को याची सीता सोरेन सहित स्वतंत्र उम्मीदवार आर॰ के॰ अग्रवाल का नाम प्रस्तावित किया जबकि उक्त दल ने स्वयं अपने दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री संजीव कुमार को भी खड़ा किया था। अन्वेषण ने आगे प्रकट किया कि सीता सोरेन ने अपने दो सहायकों अर्थात् विकास कुमार एवं जयकांत कुमार को दिनांक 18 मार्च, 2012 को होटल रेडिसन ब्लू में आर॰ के॰ अग्रवाल से मुलाकात करने का निर्देश दिया था। वे दोनों होटल में आर॰ के॰ अग्रवाल से मिले जहाँ आर॰ के॰ अग्रवाल ने विकास कुमार के मोबाइल फोन पर दूरभाष वार्तालाप के क्रम में सीता सोरेन को उससे 30 लाख रुपया प्राप्त करने के लिए कहा जिस पर सीता सोरेन ने उसका नाम प्रस्तावित करने के लिए अग्रिम के रूप में 50 लाख रुपया का भुगतान करने के लिए कहा और विकास कुमार को 30 लाख रुपयों की राशि प्राप्त नहीं करने का निर्देश दिया। दिनांक 18 मार्च, 2012 की शाम में सीता सोरेन ने पुनः अपने सहायकों को श्री नलिन सोरेन के घर पर बैग लेने के लिए कहा जहाँ बैग दिया और प्राप्त किया गया था। श्री हेमन्त सोरेन के अलावा जे॰ एम॰ एम॰ दल के अधिकांश विधायक भी वहाँ उपस्थित थे। तत्पश्चात, सीता सोरेन ने अपने घर वापस जाने के रास्ते में उक्त बैग याची राजेन्द्र मंडल को एयरपोर्ट रोड पर दिया। अन्वेषण ने आगे प्रकट किया कि सीता सोरेन ने पुनः दिनांक 29 मार्च, 2012 की शाम में होटल रेडिसन ब्लू में आर॰ के॰ अग्रवाल से 1 करोड़ रु॰ प्राप्त किया था तथा बैग उसके आवास पर लाया गया था। दिनांक 30 मार्च, 2012 की सुबह उक्त बैग सीता सोरेन के पिता द्वारा वाहन में उसके निवास स्थान से जमशेदपुर के रास्ते भुवनेश्वर लाया गया था। गवाहों ने यह भी प्रकट किया कि उन्होंने चुनाव प्रत्यादिष्ट किए जाने के बाद अनेक अवसरों पर आर॰ के॰ अग्रवाल को सीता सोरेन के घर पर देखा था। अन्वेषण के दौरान यह भी पाया गया था कि आर॰ के॰ अग्रवाल ने गवाहों से अपना 1.5 करोड़ रुपया सीता सोरेन से वापस लेने का अनुरोध किया था क्योंकि उसने उसके पक्ष में मत नहीं दिया था जिस पर सीता सोरेन ने आर॰ के॰ अग्रवाल से बात करने से इनकार कर दिया था और धन वापस देने से भी इनकार कर दिया था। अन्वेषण के दौरान, यह पाया गया था कि सीता सोरेन ने अपनी पुत्रियों की स्कूल फीस में विपुल खर्च किया था। आरोप-पत्र में यह निष्कर्षित किया गया था कि आर॰ के॰ अग्रवाल ने अपना नाम प्रस्तावित करवाने के लिए और उससे मत पाने के लिए सीता सोरेन को घूस दिया था। इस प्रकार, सीता सोरेन ने आर॰ के॰ अग्रवाल से उसका नाम प्रस्तावित करने के लिए 50 लाख रुपया और उसके पक्ष में मतदान के लिए एक करोड़ रुपया का अवैध परितोषण कपटपूर्वक एवं गैर-ईमानदार रूप से प्राप्त किया। आर॰ के॰ अग्रवाल के संबंधी से 2.15 करोड़ रुपयों की बरामदगी की खबर स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा दिखाए जाने के बाद सीता सोरेन ने अन्य की तरह आर॰ के॰ अग्रवाल के पक्ष में मतदान नहीं किया था। अन्वेषण ने यह भी प्रकट किया कि झारखंड विधान सभा के 10 सदस्यों ने एक अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार पवन कुमार धूत का नाम प्रस्तावित किया। यह कथन किया जा सकता है कि यह अभिकथन भी है कि इस पवन कुमार धूत ने याची राजेन्द्र मंडल के माध्यम से सीता सोरेन को 2.5 करोड़ रुपया का भुगतान किया था।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि मुख्य अभियुक्त आर॰ के॰ अग्रवाल, है जिसके संबंधी से 2.15 करोड़ रुपया बरामद किया गया था और पुलिस मामला संस्थित किया गया था और जिसके विरुद्ध विधायकों को घूस देने का अभिकथन भी है, को पहले ही एस॰ एल॰ ए॰ (दांडिक) सं॰ 7046 वर्ष 2013 में दिनांक 5.5.2014 के आदेश द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाते हुए जमानत प्रदान किया गया है कि विचारण पूरा करने में काफी वक्त लगेगा और उक्त याची दिनांक 14.5.2013 से अभिरक्षा में था। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बैंक संव्यवहारों के दस्तावेजों को यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर लाया है कि याची सीता सोरेन की पुत्रियों की फीस का भुगतान बैंक संव्यवहारों के माध्यम

से स्वयं उसके अपने खाता से अथवा उसके पिता जो आई॰ ओ॰ सी॰ एल॰ का सेवानिवृत्त कर्मचारी है के खाता से किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि इन याचीगण के विरुद्ध जो भी अभिकथन हैं, उन्हें गवाहों द्वारा किया गया है जिनकी याची सीता सोरेन से कुछ दुश्मनी थी और उन्हें याची सीता सोरेन की सेवा से हटाया भी गया था जिस कारण उन्होंने इन याचीगण के विरुद्ध बेबुनियाद अभिकथन किया है। यह निवेदन भी किया गया है कि याची राजेन्द्र मंडल से अथवा याची सीता सोरेन या उसके किसी संबंधी से किसी धन की बरामदगी नहीं की गयी है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए कि याची सीता सोरेन दिनांक 25.2.2014 से अभिरक्षा में है, जबकि याची राजेन्द्र मंडल दिनांक 10.3.2014 से अभिरक्षा में है, याचीगण को जमानत देने की प्रार्थना की है।

8. दूसरी ओर, सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और इस न्यायालय का ध्यान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए तीन गवाहों के बयानों की ओर आकृष्ट किया है जिसके आधार पर उनके अनुसार याचीगण के विरुद्ध अभिकथन सिद्ध किए गए हैं। पहला बयान जयकांत कुमार का है जिसमें उसने कथन किया है कि वह वर्ष 1990 में सीता सोरेन के संपर्क में आया और उसके लिए काम करता था। इस गवाह ने कथन किया है कि राज्य सभा की दो सीटों का चुनाव किया जाना था और दिनांक 17.3.2012 को यह सूचित करते हुए कि आर॰ के॰ अग्रवाल राज्य सभा का उम्मीदवार था और इसी संध्या को नलिन सोरेन के घर पर बैठक की जाएगी, नलिन सोरेन ने फोन कॉल किया था। सीता सोरेन नलिन सोरेन के घर पहुँची जहाँ यह गवाह भी याची सीता सोरेन के अन्य परिचारकों के साथ गया था किंतु उन्हें गेट के बाहर रहने के लिए कहा गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि उक्त बैठक में श्री हेमंत सोरेन के सिवाए जे॰ एम॰ एम॰ दल के 17 विधायक उपस्थित थे। बैठक से बाहर आने के बाद गवाह को सूचित किया गया था कि बैठक में आर॰ के॰ अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया गया था जिसके लिए बैठक में उपस्थित विधायकों को धन दिया जाना था। दिनांक 18.3.2012 को सीता सोरेन ने इस गवाह और विकास सिंह को होटल रेडिसन ब्लू जाने के लिए कहा जहाँ आर॰ के॰ अग्रवाल रुका हुआ था जिस पर वे होटल गए और आर॰ के॰ अग्रवाल से मिले जिसने उनको चुनाव में उसका पक्ष लेने वाले समस्त विधायकों को 1.5 करोड़ रुपयों का भुगतान करने के करार के बारे में सूचित किया। चूँकि स्वयं अपने मोबाइल से आर॰ के॰ अग्रवाल सीता सोरेन से संपर्क करने में विफल रहा उसने विकास कुमार के मोबाइल से सीता सोरेन से बात किया और उसने कहा कि फिलहाल उसके पास केवल 30 लाख रुपया है जिसे देने के लिए वह तैयार था किंतु सीता सोरेन ने उत्तर दिया कि वह केवल 50 लाख रुपया स्वीकार करेगी। स्वयं दिनांक 18.3.2012 को सीता सोरेन स्वयं रात्रि लगभग 11 बजे मथुरा महतो के घर गयी। उक्त घर से बाहर आने के बाद वह एयरपोर्ट रोड गयी जहाँ उसने याची राजेन्द्र मंडल को धन से भरा बैग सौंपा और तत्पश्चात वह अपने आधिकारिक निवास स्थान चली गयी। पुनः दिनांक 30.3.2012 को (सिक् दिनांक 29.3.2012 होना चाहिए) याची सीता सोरेन आर॰ के॰ अग्रवाल से मिलने होटल रेडिसन ब्लू गयी जहाँ आर॰ के॰ अग्रवाल ने एक करोड़ रुपयों से भरा बैग दिया। पुनः दिनांक 30.3.2012 को यह गवाह सुबह में सीता सोरेन के घर गया जहाँ एक करोड़ रुपयों से भरा बैग याची सीता सोरेन के पिता के कार में रखा हुआ था जो इसे भुवनेश्वर ले गया। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि दिनांक 30.3.2012 को याची राजेन्द्र मंडल अन्य व्यक्तियों के साथ याची सीता सोरेन के घर आया और उसने सूचित किया कि उसने अन्य उम्मीदवार पवन कुमार धूत से 2.50 करोड़ रुपया लिया था।

9. दूसरा बयान विकास कुमार का है जो सीता सोरेन का एक अन्य परिचारक है। इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 16.3.2012 को नलिन सोरेन के घर में बैठक थी जिसमें श्री हेमन्त सोरेन के सिवाए जे॰ एम॰ एम॰ दल के समस्त 17 विधायक उपस्थित थे। उक्त बैठक की अध्यक्षता साइमन

मरांडी और नलिन सोरेन द्वारा की जा रही थी जिन्होंने आर॰ के॰ अग्रवाल का परिचय करवाया और समस्त विधायकों से उसे मत देने का अनुरोध किया। बैठक में यह सहमति हुई थी कि आर॰ के॰ अग्रवाल द्वारा समस्त विधायकों को डेढ़ करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाएगा। इस बीच, एक अन्य उम्मीदवार पवन धूत का एजेन्ट भी आया और उसने पहले उम्मीदवार की तुलना में एक करोड़ रुपया अधिक देने का प्रस्ताव दिया। इस गवाह ने कथन किया है कि मथुरा महतो एवं उक्त एजेन्ट के बीच बैठक हुई थी जिसमें उसने मथुरा महतो को पाँच करोड़ रुपया और प्रत्येक विधायक जो उसके पक्ष में मत देंगे को 2.5 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव दिया। पुनः दिनांक 17.3.2012 को जे॰ एम॰ एम॰ दल के समस्त 17 विधायक नलिन सोरेन के घर पर मिले और बैठक की अध्यक्षता मथुरा महतो और नलिन सोरेन द्वारा की गयी थी जिसमें सदस्यगण पवन धूत को भी मत देने के लिए सहमत हुए। दिनांक 18.3.2012 को याची सीता सोरेन एवं आर॰ के॰ अग्रवाल के बीच बात हुई जिसने उसको 50 लाख रुपया देने का प्रस्ताव दिया। इस पर सीता सोरेन ने जयकांत कुमार और इस गवाह को धन लेने के लिए आर॰ के॰ अग्रवाल के पास जाने को कहा। वे होटल रेडिसन ब्लू गए और आर॰ के॰ अग्रवाल से मिले जहाँ आर॰ के॰ अग्रवाल द्वारा यह सूचित किया गया था कि वह चुनाव में उसका पक्ष लेने पर जे॰ एम॰ एम॰ दल के प्रत्येक विधायक को एक करोड़ पचास लाख रुपया देने के लिए सहमत हुआ था। इस गवाह ने भी आर॰ के॰ अग्रवाल और सीता सोरेन के बीच हुई बात का कथन किया है जिसमें उसने आरंभ में 30 लाख रुपया देने का प्रस्ताव दिया था जिसे सीता सोरेन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कथन किया है कि दिनांक 18.3.2012 को जे॰ एम॰ एम॰ के समस्त विधायक नलिन सोरेन के घर पर मिले जहाँ उन सबों को सीता सोरेन सहित 50 लाख रुपयों का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात, वह एयर पोर्ट रोड गयी जहाँ याची राजेन्द्र मंडल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और 50 लाख रुपयों से भरा बैग राजेन्द्र मंडल को दिया गया था और तत्पश्चात वह अपने घर वापस चली गयी। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि दिनांक 29.3.2012 को जे॰ एम॰ एम॰ दल के समस्त विधायक नलिन सोरेन के घर मिले जहाँ उनमें से प्रत्येक को एक करोड़ रुपया दिया गया था; उनमें से कुछ को नलिन सोरेन के घर पर धन दिया गया था और कुछ को होटल रेडिसन ब्लू में धन दिया गया था। याची सीता सोरेन को होटल रेडिसन ब्लू में धन दिया गया था जिसे उसके घर लाया गया था और अगले दिन उक्त बैग सीता सोरेन के पिता के वाहन में रखा गया था जो इसे भुवनेश्वर ले गया।

10. तीसरा बयान गवाह बादल चंद्र महतो का है जो सीता सोरेन का ड्राइवर था और उसने भी आर॰ के॰ अग्रवाल एवं सीता सोरेन के बीच हुए धन संव्यवहार का समर्थन किया है। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसको बैग सौंपा गया था जिसे उसने कार में रखा किंतु वह देख नहीं पाया था कि बैग में क्या था किंतु बाद में उसे पता चला कि इसमें धन था। तत्पश्चात, वे एयरपोर्ट रोड आए जहाँ कार में रखा बैग याची राजेन्द्र मंडल को दिया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि दिनांक 29.2.2012 को रात में वे होटल गए जहाँ एक व्यक्ति ने उसको एक बैग दिया और उसको इसे गाड़ी में रखने के लिए कहा। याची सीता सोरेन भी कार में थी। सीता सोरेन ने इस गवाह को कार में बैग रखने के लिए कहा। सुबह में, याची सीता सोरेन के निर्देश पर उसने बैग को उसके पिता के कार में रखा और तत्पश्चात उसे अपने घर जाने के लिए कहा गया था और बाद में उसे सेवा से हटा दिया गया था।

11. सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने किसी प्रमोद कुमार पांडे उर्फ मंटू पांडे के बयान पर भी विश्वास किया है जिसने भी सी॰ बी॰ आई॰ के मामले का समर्थन किया है और उसने कथन भी किया है कि जब आर॰ के॰ अग्रवाल ने अपना धन वापस मांगा, उससे बात नहीं की गयी थी।

12. इन बयानों पर विश्वास करते हुए सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आर॰ के॰ अग्रवाल और याची सीता सोरेन के बीच 1.50 करोड़ रुपए के संव्यवहार का अत्यन्त

सकारात्मक साक्ष्य है। यह निवेदन भी किया गया है कि इन गवाहों ने कथन किया है कि उक्त राशि में से याची सीता सोरेन द्वारा 50 लाख रुपया याची राजेन्द्र मंडल को दिया गया था और एक गवाह ने यह कथन भी किया है कि याची राजेन्द्र मंडल ने अन्य उम्मीदवार पवन धूत से चुनाव में उसका पक्ष लेने के लिए 2.50 करोड़ रुपया प्राप्त किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोनों याचीगण के विरूद्ध इन सकारात्मक साक्ष्य की दृष्टि में उनके विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि याची द्वारा समस्त गवाहों को हटा दिया गया है और याची सीता सोरेन द्वारा उनके विरुद्ध दांडिक मामले भी दर्ज किए गए है जिनमें अन्वेषण के बाद पुलिस ने फाइनल फॉर्म दाखिल किया है, याचीगण द्वारा सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा संग्रहित साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की संभावना है। यह निवेदन भी किया गया है कि याची द्वारा एक गवाह का अपहरण करने का प्रयास किया गया था जिसके लिए याची के विरुद्ध पृथक मामला दाखिल किया गया था, किंतु उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याची को अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि याचीगण को मुख्यत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। गवाहों में से एक जयकांत कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 17.3.2012 को नलिन सोरेन के घर में बैठक हुई थी, जिसमें जे॰ एम॰ एम॰ के 17 विधायक उपस्थित थे और आर॰ के॰ अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने का निर्णय किया गया था जिसके लिए उनको धन दिया गया था। इस गवाह ने पुन: कथन किया है कि दिनांक 18.3.2012 को मथुरा महतो के घर में याची सीता सोरेन को पहली किश्त दी गयी थी। समरुप बयान विकास सिंह का है जिसने भी कथन किया है कि दिनांक 16.3.2012 को नलिन सोरेन के घर में बैठक की गयी थी जिसमें जे॰ एम॰ एम॰ दल के समस्त 17 विधायक उपस्थित थे और साइमन मरांडी और नलिन सोरेन द्वारा उक्त बैठक की अध्यक्षता की गयी थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि आर॰ के॰ अग्रवाल का पक्ष लेने के लिए समस्त सदस्यों को 1.50 करोड़ रुपया दिया जाएगा। पुन: इस गवाह ने कथन किया है कि एक अन्य उम्मीदवार द्वारा मथुरा महतो को पाँच करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव दिया गया था जिसने प्रत्येक विधायक को 2.5 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव दिया यदि वे उसका पक्ष लेंगे। इस गवाह ने पुन: कथन किया कि दिनांक 17.3.2012 को नलिन सोरेन के घर में पुन: बैठक हुई थी जिसमें जे॰ एम॰ एम॰ दल के समस्त 17 विधायक उपस्थित थे और मथुरा महतो तथा नलिन सोरेन द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी थी जिसमें अन्य उम्मीदवार पवन कुमार धूत का प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया गया था और समस्त 17 विधायकों को आर॰ के॰ अग्रवाल द्वारा 1.5 करोड़ रुपया दिया गया था। जब न्यायालय द्वारा सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता से प्रश्न पूछा गया था कि क्या विधायकों अर्थात् नलिन सोरेन, मथुरा महतो, साइमन मरांडी और जे॰ एम॰ एम॰ दल के अन्य विधायकों जिनके विरुद्ध इन गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि उन्हें भी 1.50 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया था, को अभियुक्त बनाया गया है या नहीं, विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उन्हें इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि इनमें से कुछ विधायक वर्तमान सरकार में भी मंत्री के पदों पर हैं। किंतु विद्वान अधिवक्ता ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इन विधायकों को इस तथ्य की दृष्टि में अभियुक्त नहीं बनाया गया है कि उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं है कि वस्तुत: उनको धन दिया गया था और निवेदन किया है कि गवाहों ने कथन किया है कि याचीगण को धन से भरे बैग दिए गए थे और याची राजेन्द्र मंडल ने 2.5 करोड़ रुपया स्वीकार करने का कथन भी किया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तथ्य की दृष्टि में कि इन विधायकों एवं मंत्रियों के विरुद्ध ऐसा साक्ष्य नहीं है, उन्हें इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। किंतु विद्वान अधिवक्ता यह दर्शाने के लिए कुछ भी इंगित नहीं कर सके थे कि जे॰ एम॰ एम॰ दल के उन विधायकों की गैर-अंतर्ग्रस्तता की ओर इंगित करते हुए अन्वेषण के दौरान कौन सी सामग्री संग्रहित की गयी थी।

14. सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन इस न्यायालय को अस्वीकार्य है। यदि केवल इन तीन गवाहों के बयानों के आधार पर याचीगण सीता सोरेन एवं राजेन्द्र मंडल को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है जिन्होंने केवल यह कथन किया है कि उनको धन दिया गया था; वस्तुत: इन गवाहों ने स्पष्टत: कथन भी किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के समस्त 17 विधायकों को धन दिया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में यह बिल्कुल अस्वीकार्य निवेदन है कि जे॰ एम॰ एम॰ दल के उन विधायकों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं है। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में याची के विरुद्ध बिल्कुल यही साक्ष्य है जो जे॰ एम॰ एम॰ दल के अन्य विधायकों के विरुद्ध इस तथ्य की दृष्टि में उपलब्ध है कि स्वीकृत रूप से धन बरामद नहीं किया गया है और इन गवाहों के बयानों को संपुष्ट करने वाली अन्य सामग्री नहीं है। इन याचीगण के विरुद्ध इन गवाहों का केवल बयान है जो जे॰ एम॰ एम॰ दल के अन्य सोलह विधायकों के विरुद्ध भी है, न ज्यादा न कम। कोई स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं दिया गया है कि सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा क्यों दोहरा मापदंड अपनाया गया है जिसकी उम्मीद देश की सर्वाधिक विश्वसनीय अन्वेषण एजेन्सी से नहीं की जाती है। वस्तुत: सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा दाखिल आरोप-पत्र दर्शाता है कि अन्वेषण अन्य विधायकों की अंतर्ग्रस्तता भी प्रकट करता है। मैं यह भी पाता हूँ कि मुख्य अभियुक्त आर॰ के॰ अग्रवाल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मैं याचीगण को जमानत पर निर्मुक्त करने का इच्छुक हूँ।

15. तद्नुसार, दोनों याचीगण सीता सोरेन एवं राजेन्द्र मंडल को RC2 (S)/2012 AHD-R के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰, राँची की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ प्रत्येक द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रुपया का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

16. यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचीगण के पास पासपोर्ट है, वे अवर न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। यदि याचीगण के पास पासपोर्ट नहीं है, वे इस प्रभाव का शपथ पत्र दाखिल करेंगे। याचीगण को विचारण के दौरान गवाहों से स्वयं को अलग रखने का निर्देश भी दिया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि याचीगण गवाहों के संपर्क में हैं, सी॰ बी॰ आई॰ याचीगण की जमानत के रद्दकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी। याचीगण को मामले के विचारण में सहयोग करने का निर्देश भी दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

जीता ओराँव (941 में)

मोंगो ओराँव उर्फ भोगो ओराँव (143 में)

छोटू उर्फ सुनील कच्छप (220 में)

लोधी ओराँव (442 में)

मादी कच्छप (58 में)

सरजू ओराँव (462 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Criminal Appeal (DB) Nos. 941, 143, 220 of 2004 with 442, 58 of 2006 and 462 of 2005. Decided on 4th September, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 223 वर्ष 2002 में श्री डी॰ पी॰ सिंह, न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 8.12.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धाराएँ 4 एवं 5—दो व्यक्तियों की हत्या–दोषसिद्धि–चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अभियोजन मामला संपुष्ट किया गया–संपूर्ण घटना एक बार में हुई–सूचक का परिसाक्ष्य जिसे मुख्य परीक्षण में दिया गया था, गवाहों के पूर्व विवरण से संपुष्टि पाने पर सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है–सूचक का परिसाक्ष्य आगे चिकित्सीय साक्ष्य से और शव परीक्षण रिपोर्ट से भी संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित उपहति पाया था–सूचक का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है और सूचक को पूर्णतः विश्वसनीय कहा जा सकता है–दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में विचारण न्यायालय पूर्णतः न्यायोचित है–अपीलें खारिज की गयी। (पैराएँ 12 से 19)

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathy, A.S. Dayal, R.P. Gupta, Abhishek Chanda, Supriya Dayal, For the Appellants; M/s Tapas Roy, Amresh Kumar, Ravi Prakash, Anita Sinha, Manoj Kumar, S. Mahto, For the State.

न्यायालय द्वारा.–एक ही आक्षेपित निर्णय से उद्‌भूत होने वाली पूर्वोक्त समस्त छह अपीलों को साथ सुना गया था और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. ये अपीलें सत्र विचारण सं॰ 223 वर्ष 2002 में तत्कालीन न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 8 दिसंबर, 2003 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन समस्त अपीलार्थीगण को दो व्यक्तियों अर्थात् झुगु उर्फ बुधवा और बौली देवी की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4/5 के अधीन भी अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5 के अधीन अपराध के लिए क्रमशः छह माह एवं तीन माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। दोनों दंडादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 24.6.2001 को दोपहर लगभग 1-1.30 बजे जब सूचक रीना देवी (अ॰ सा॰ 4) अपने ससुर झुगु उर्फ बुधवा ओराँव एवं अपनी सास बेली देवी के साथ अपने घर पर थी, ये समस्त अपीलार्थीगण अर्थात् जीता ओराँव, मोंगो ओराँव उर्फ भोगो ओराँव, छोटू उर्फ सुनील कच्छप, लोधी ओराँव, मादी कच्छप, सरजू ओराँव और कोई बिफल ओराँव (जीता ओराँव का बहनोई/साला) सूचक के घर के अंदर आए और यह कहते हुए उसकी सास पर प्रहार करने लगे कि वह डायन है। उसने अपनी सास को बचाने का प्रयास किया किंतु कुछ अभियुक्तगण ने उसे पकड़ लिया। इस बीच, जब उसके ससुर ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, अभियुक्तगण ने लाठी से उसके मस्तक पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप वह बेहोश हो गया। तत्पश्चात, वे पुनः उसकी सास पर प्रहार करने लगे और जब वह गिर गयी, अपीलार्थी जीता ओराँव, उसके बहनोई/साला विफल (अपीलार्थी नहीं) और मादी कच्छप ने उसको पकड़ लिया और 'दौली' से उसका गर्दन काट दिया। तत्पश्चात,

अपीलार्थीगण सूचक को धमकी देते हुए घटनास्थल से चले गए। जब सूचक ने दोनों व्यक्तियों को मरा पाया, उसने अपने पति भाजू उर्फ आशिन कच्छप (अ॰ सा॰ 1) को सूचित किया जिसने पुलिस को सूचित किया।

सूचना पाने पर, सदर पुलिस थाना का प्रभारी–अधिकारी विपिन कुमार सिंह (अ॰ सा॰ 8) दोपहर लगभग 3.30 बजे घटनास्थल पर आया और सूचक रीना देवी (अ॰ सा॰ 4) का फर्दबयान (प्रदर्श 2) दर्ज किया जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 2/1) दर्ज की गयी थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4/5 के अधीन भी सदर पी॰ एस॰ केस सं॰ 78 वर्ष 2001 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उसने स्वयं अन्वेषण किया। उसने मृतकों के मृत शरीरों का मृत्यु समीक्षा किया। तब मृत शरीरों को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था।

4. मृत शरीरों को प्राप्त करने पर डॉ॰ आर॰ पी॰ साहू (अ॰ सा॰ 9) ने दोनों मृतकों का शव परीक्षण किया। झुगु उर्फ बुधवा के मृत शरीर का शव परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया:–

(1) fonh.k t[e%

(A) nk;h dkguh d ihN 1cm x 1cm x dkey fV'k(

(B) vMj ykbu gMMh d Ød ÝDpj d lkFk eLrd d nk, ifj,Vy {k= ij 7cm x 1 cm x [kky rd xgjkA

(C) nk;h ckg d ik'o Hkkx ij 6cm x 3cm rd dkey fV'k

(2) Nkrh d ihN ij folfjr dkV; tu vkj 10cm x 2cm l 4cm x 2cm rd d vrj oky vkB dh l[;k e jy Vd [kjkp

(3) nk, dkguh ,o leh iLFk {k= e 6cm x 3cm dk [kjkpA

(4) vkrfjd ijh{k.k ij Øfu;y dfoVh e [ku ,o [ku d FkDdk d lkFk nk, VE ijkifjVy gMMh d Ød ÝDpj d lkFk 6 x 4cm nk, ifjVy ,o VEikjy LdkYi dk dV; tu ik;k x;k FkkA

दोनों फेफड़ों, लिवर एवं स्प्लीन के विदीर्णता के साथ बाएँ हिस्से की तीसरी से सातवीं पसली का तथा दाएँ हिस्से के तीसरे से आठवीं पसली का फ्रैक्चर पाया गया था। थोरेसिक एवं सबडोमिनल कैविटी में रक्त एवं रक्त के थक्कों को उपस्थित पाया गया था।

5. डॉक्टर के मत के अनुसार, समस्त उपहतियाँ लाठी एवं छड़ी जैसे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी और पूर्वोक्त उपहतियों के कारण मृतक की मृत्यु हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 3 के रूप में सिद्ध किया गया है।

6. उसी दिन पर अर्थात् दिनांक 25.6.2001 को डॉक्टर ने बैली देवी के मृत शरीर का भी शव परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

(1) fonh.k t[e%

(A) vMj ykbu vfLFk d ÝDpj d lkFk ck, vxckg ij 1/2cm x 1/2cm dk vfLFk rd xgjk]

dVu dk t[e

(A) 5cm x 2cm x dkey fV'k] 6cm x dkey fV'k] nk;k vxckg lkeuA

(B) 4cm x 1cm x dkey fV'k nk; dèk d lkeu

(C) xnu d lkeu oky Hkkx ij 8cm x 4cm x vfLFk rd xgjkA lk¶V fV'k] CyM oly ,o Vfp;k] blkQxl vkj Likbuy dkM d lkFk 4 ,o 5 lokbdy ojVhck ik;k x;k FkkA dVu dk t[e d fujh{k.k ij U;ure rhu okjk dk minf'kr djr nk fV'k Vx FkA

vkrfjd ijh{k.k ij nk,] Fkkjkfld ,o ,cMkfeuy dfoVh e jDr ,o FkDdk dh mifLFkfr d lkFk nk,] QQMk ,o yhoj dh fonh.krk d lkFk nk,] Hkkx ij lkrok ,o vkBok ily hA

7. डॉक्टर के मत के अनुसार, समस्त उपहतियाँ मृत्युपूर्व प्रकृति की थी। कटने के जख्म तेज धार वाले हथियार द्वारा और शेष जख्म कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित किए गए थे। पूर्वोक्त उपहति के कारण मृत्यु कारित हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3/1 के रूप में सिद्ध किया गया है।

8. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के क्रम में गवाहों के बयान को दर्ज किया। अन्वेषण पूरा करने के बाद समस्त अपीलार्थीगण एवं किसी विफल जिसे फरार बताया गया है के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिस पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने पर आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति अपीलार्थीगण ने निर्दोष होने का अभिवचन किया एवं उनका विचारण किया गया था।

9. विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया जिनमें से अ॰ सा॰ 4 सूचक है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने विवरण का समर्थन किया है जैसा फर्दबयान में दिया गया था। मृतक के पुत्र और अ॰ सा॰ 4 के पति अ॰ सा॰ 1 आशिन कच्छप और मृतक की पुत्री हिंदिया देवी अ॰ सा॰ 2 ने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया और परिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थीगण ने लाठी एवं पत्थर से प्रहार करके उसके माता-पिता की हत्या कर दी। उन्होंने आगे परिसाक्ष्य दिया कि जब उनके पिता ने उनकी माता को बचाने का प्रयास किया, अभियुक्तगण ने उस पर लाठी से प्रहार किया जिस कारण वह गिर गया और तब अभियुक्त विफल (अपीलार्थी नहीं) ने दौली से उनकी माता का गर्दन काट दिया और जीता ने उसका हाथ काट दिया जिसे मादी पकड़े हुए था।

अ॰ सा॰ 1 ने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पत्नी रीना (अ॰ सा॰ 4) ने उसे बताया था कि अभियुक्तगण ने पत्थर एवं बोल्डर से प्रहार करके उसके पिता की हत्या की थी। शेष गवाहों अ॰ सा॰ 3 मादी ओराँव, अ॰ सा॰ 5 चंदा तिर्के (मृतक की बहू), अ॰ सा॰ 6 मदन ओराँव सूचक का चाचा और अ॰ सा॰ 7 सओम कच्छप मृतक का पुत्र अनुश्रुत गवाह हैं। किंतु अ॰ सा॰ 5 ने परिसाक्ष्य दिया है कि वह घटनास्थल पर आयी थी और समस्त अभियुक्तगण को उपस्थित देखा था।

न्यायालय ने गवाहों के परिसाक्ष्यों पर विश्वास करके अपीलार्थीगण को दोनों मृतकों की हत्या का और डायन प्रथा निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का भी दोषी पाया। तद्नुसार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया गया था।

***8.** उक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से छह अपीलें दाखिल की गयी है।

***9.** अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने घटना देखने का दावा किया किंतु वे सूचक अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य

Ed.—*Sic.*—Paras 8 & 9 being Repeated in the Original Judgment?

के मुताबिक चश्मदीद गवाह कभी नहीं हो सकते थे। इस संबंध में यह निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य और फर्दबयान में दिए गए उसके बयान के मुताबिक वह घर में अकेली थी जब अभियुक्तगण आए थे और अभिकथित रूप से सूचक के सास-ससुर पर प्रहार किया था। केवल जब अ॰ सा॰ 4 ने अपने पति अ॰ सा॰ 1 को सूचित किया, वह आया किंतु अ॰ सा॰ 1 ने परिसाक्ष्य दिया है कि पहली घटना प्रातः 11.30 बजे हुई थी जब वह घर में था और अभियुक्तगण आए और उसके माता-पिता पर प्रहार किया और चले गए। तत्पश्चात, पुनः दोपहर 1.30 बजे अभियुक्तगण आए और हत्या का अपराध किया। इसी पंक्ति पर, अ॰ सा॰ 4 ने अपने प्रति परीक्षण में परिसाक्ष्य दिया है कि पहली घटना प्रातः 11.30 बजे हुई थी जब अभियुक्तगण उसके घर में आए और सास-ससुर पर प्रहार किया और चले गए। बाद में वे आए और तब हत्या किया जो अभियोजन का मामला कभी नहीं था जैसा फर्दबयान में बताया गया था और इसलिए, गवाहों अ॰ सा॰ 1, 2 अथवा 4 भी विश्वास करने योग्य नहीं है और, इसलिए, उनका परिसाक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आगे, यह निवेदन किया गया था कि अभियुक्तगण जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें झूठा आलिप्त किया गया है। उनकी निर्दोषिता इस तथ्य से स्पष्ट होगी कि इन तीनों व्यक्तियों अर्थात् मादी, लोदी एवं छोटू ओराँव को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। यदि उन तीनों अपीलार्थीगण ने अपराध किया होता, वे घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होते जब पुलिस वहाँ आयी थी और यह तथ्य अपीलार्थीगण की निर्दोषिता सिद्ध करता है और इन परिस्थितियों के अधीन उन्हें गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया प्रतीत होता है और, इसलिए, वे दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

10. अन्य अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं श्री दयाल एवं श्री आर॰ पी॰ गुप्ता ने पहले किए गए निवेदनों को अपना कर निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 4 पूर्णतः विश्वसनीय कभी नहीं प्रतीत होती है क्योंकि फर्दबयान में उसने घटना का समय दोपहर 1.30 बजे दिया है जबकि अपने अभिसाक्ष्य में उसने कहा है कि पहली घटना प्रातः 11.30 बजे हुई और दूसरी घटना दोपहर 1.30 बजे हुई और इन परिस्थितियों के अधीन, न्यायालय को एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए था और, तद्द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

11. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थीगण ने ही दोनों व्यक्तियों की हत्या की और, इसलिए, आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

12. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि जैसा अ॰ सा॰ 4 द्वारा अपने फर्दबयान में विवरण दिया गया है, अभियोजन का मामला यह है कि जब वह अपने घर में थी, अपीलार्थीगण एवं कोई बिफल ओराँव (फरार), जीता ओराँव का साला/बहनोई घर के अंदर आए और यह कहते हुए कि वह जादू-टोना करती है, उसकी सास पर प्रहार करने लगे। जब उसका ससुर उसकी सास को बचाने आया, उस पर भी लाठी से प्रहार किया गया था और जब वह गिर गया, अभियुक्तगण ने उसकी सास पर प्रहार किया जो गिर गयी और तब तीन अभियुक्तों ने उसकी सास का गर्दन काट दिया। तत्पश्चात, जब अभियुक्तगण चले गए, अ॰ सा॰ 4 ने अपने पति को सूचित किया। किंतु उसके पति अ॰ सा॰ 1 ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया क्योंकि उसने न्यायालय के समक्ष विवरण दिया कि उसने अभियुक्तगण को अपने माता-पिता की हत्या करते देखा था।

13. अ॰ सा॰ 2 का दावा भी समरुप है जो मृतक की पुत्री है और दूसरे गाँव में रहती है किंतु यह निकट में स्थित है क्योंकि अ॰ सा॰ 2 के अनुसार उसे अपने ससुराल से मायका आने में लगभग 10 मिनट लगता है। किंतु अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार, न तो अ॰ सा॰ 1 और न ही अ॰ सा॰ 2 घर में उपस्थित थे। अ॰ सा॰ 4 का ऐसा साक्ष्य प्राथमिकी में दिए गए उसके पूर्व विवरण से संपुष्टि पाता है जिसमें उसने यह कथन भी किया था कि वह घर में अकेली थी जब घटना हुई थी। अ॰ सा॰ 4 ने यह परिसाक्ष्य भी दिया है कि उसका पति जो गाँव में था घटना के बारे में जानने के बाद घर आया। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 2 हिंदिया देवी के साक्ष्य के मुताबिक वह अपने ससुराल में थी और केवल हल्ला सुनने के बाद वह अपने माएके आयी। अ॰ सा॰ 2 के अनुसार, अपने ससुराल से माएका आने में 10 मिनट लगता है। मामले के उस दृष्टिकोण में भी वह चश्मदीद गवाह नहीं हो सकती थी। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 1 अथवा अ॰ सा॰ 2 चश्मदीद गवाह नहीं है।

14. अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य पर आते हुए, उसने स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह अपने सास-ससुर के साथ अपने घर में थी, अपीलार्थीगण आए और यह कहते हुए उसकी सास पर प्रहार करने लगे कि वह जादू-टोना करती है। जब उसका ससुर उसे बचाने आया, उस पर भी लाठी से प्रहार किया गया था और तब वह बेहोश हो गया। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने उसकी सास पर प्रहार किया और जब वह गिर गयी, तीन व्यक्तियों अर्थात् मादी ओराँव, जीता ओराँव एवं बिफल ओराँव (अपीलार्थी नहीं) ने उसकी सास का गर्दन काट दिया।

15. इस प्रकार, उसके मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पूरी घटना एक बार में हुईं। किंतु, उसने अपने प्रतिपरीक्षण में परिसाक्ष्य दिया है कि प्रात: 11.30 बजे अभियुक्तगण आए थे और प्रहार किया था और चले गए थे किंतु पुन: वापस आए और तब उसके सास-ससुर की हत्या कर दी। किंतु उस परिसाक्ष्य को फर्दबयान में दिए गए उसके पूर्व बयान की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शायद वह अतिशयोक्ति प्रतीत होता है जिसे अपने पति अ॰ सा॰ 1 के अभिसाक्ष्य का समर्थन करने की दृष्टि से किया जा सकता है किंतु उसे उसके पूर्व बयान की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किंतु परिसाक्ष्य, जिसे मुख्य परीक्षण में दिया गया है, गवाहों के पूर्व विवरण से संपुष्टि पाता है, सत्य स्वीकार किया जा सकता है।

16. अ॰ सा॰ 4 का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है, जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक झुगु उर्फ बुधवा के शरीर पर कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित उपहति पाया था और बैली देवी के शव परीक्षण रिपोर्ट से भी जिसके द्वारा डॉक्टर ने न केवल कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित उपहति पाया था बल्कि तेज धार वाले हथियार द्वारा उसकी गर्दन इस तरीके से कटा पाया था जो सुझाता है कि तीन वार किए गए थे जो अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य से संपुष्टि पाता है जिसमें उसने परिसाक्ष्य दिया है कि तीन व्यक्तियों ने गर्दन काटा था। किंतु, अपीलार्थी जीता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दयाल के अनुसार, यद्यपि अ॰ सा॰ 4 ने पहली बार में अपने परिसाक्ष्य में कहा है कि तीन व्यक्तियों ने गर्दन काटा था किंतु तुरन्त तत्पश्चात अ॰ सा॰ 4 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है कि बिफल ने गर्दन काटा था जबकि मादी ने उसे पकड़ रखा था और तद्द्वारा मृतक का गर्दन काटने में अपीलार्थी जीता द्वारा कोई भूमिका निभायी नहीं गयी है, किंतु यदि हम संपूर्णता में परिसाक्ष्य का पठन करेंगे और शव परीक्षण रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए इस गवाह का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य कि गर्दन काटने के लिए तीन वार किए गए थे, बिल्कुल सही प्रतीत होता है।

17. इन परिस्थितियों के अधीन, अ॰ सा॰ 4 का परिसाक्ष्य त्यक्त करने के लिए कोई कारण नहीं है बल्कि अ॰ सा॰ 4 का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है और, इसलिए, अ॰ सा॰ 4 को विश्वसनीय कहा जा सकता है।

18. मामले के उस दृष्टिकोण में विचारण न्यायालय पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित है और, इसलिए, इसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

19. तद्नुसार, हम किसी भी अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और, इसलिए, इन अपीलों को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। दांडिक अपील सं॰ 941/2004 के अपीलार्थी जीता ओराँव के सिवाए, जो कारा में हैं, समस्त अपीलार्थीगण का जमानत बंध पत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और उन्हें दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

योगेन्द्र बरायक

cuke

झारखंड राज्य

W.P. (Cr.) No. 184 of 2010. Decided on 25th August, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 419, 420, 467, 468, 409 एवं 120B—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धाराएँ 22 एवं 40—खनन चलानों की जब्ती—संज्ञान—प्राथमिकी में किए गए अभिकथन प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध आकृष्ट करने वाले अपराध गठित करते हैं—अन्वेषण के दौरान याची की सह-अपराधिता प्रकाश में आयी और तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 409 और 120B और खनन अधिनियम की धारा 40 के अधीन संज्ञान लिया गया था—खनन अधिनियम की धारा 40 के अधीन संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22, जो झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 57 के तत्सम है, के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताविक वर्जित है—खान अधिनियम की धारा 40 के अधीन लिया गया संज्ञान अभिखंडित किया गया किंतु भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध विधि के अनुरुप अग्रसर होंगे। (पैराएँ 11 से 13)

निर्णयज विधि.—2009(2) JCR 339 (Jhr); 2009(57) BLJR 945—Referred; (2011) 1 SCC 534—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Sumit Gadodia, For the Appellants; Mr. J. Rahman, For the Respondent.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका पाकुड़ (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 124/2008, जी॰ आर॰ सं॰ 369/2008 के तत्सम, के तहत याची के विरुद्ध आरंभ किए गए संपूर्ण दांडिक अभियोजन और विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 13.11.2009 के आदेश, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 409, 120B और खान अधिनियम की धारा 40 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 14.6.2008 को सायं लगभग 6.30 बजे सूचक जो पाकुड़ (एम॰) पुलिस थाना का प्रभारी-अधिकारी हुआ करता है अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पाकुड़ (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 83/2008 के संबंध में अभीष्ट अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के लिए अग्रसर हुआ था। जब सूचक पाकुड़-धूलियन रोड पर ग्राम चंचकी के निकट पहुँचा, उसने कुछ व्यक्तियों को सड़क पर उपस्थित पाया और इसके हैंडल पर लटकाए बैग के साथ मोटरसाइकिल पार्क की गयी थी। लादेन शेख उर्फ एजाजुल शेख जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने बैग में रखे गए 20 खनन चालानों को बरामद किया जिसके लिए लादेन शेख ने संस्वीकृत किया कि स्टोन चिप्स के परिवहन के विरुद्ध इसे जारी करने के लिए उसके द्वारा खनन चालानों को खरीदा गया था। खनन चालानों को विजय कुमार राम के पक्ष में जारी किया गया था जिसकी खानें काफी दिनों पहले से ही बंद पड़ी थी।

सूचक ने घटना स्थल पर अपना स्व कथन दर्ज किया, जब्त किए गए खनन चालानों के विरुद्ध अभिग्रहण सूची तैयार किया और दिनांक 14.6.2008 का पाकुड़ (एम॰) पुलिस थाना केस सं॰ 124/2008 दर्ज किया।

4. अन्वेषण के क्रम में, वर्तमान याची की अंतर्ग्रस्तता का पता चला क्योंकि वह सहायक खनन अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और वह व्यक्ति है जिसने उन चालानों को जारी किया था जिन्हें भरा नहीं गया था। पुलिस ने साक्ष्य संग्रहित करने के बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया है।

5. याची ने मुख्यत: निम्नलिखित आधारों पर प्राथमिकी के संस्थापन को चुनौती दिया है:

(a) कि खनन चालान कूटरचित नहीं थे और आवश्यक रॉयल्टी प्राप्त करने के बाद सम्यक रूप से जारी किए गए थे।

(b) कि पुलिस के पास बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली की धारा 40 के अधीन दंडनीय मामले को दर्ज करने अथवा इसका अन्वेषण करने का प्राधिकार नहीं है और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने को वर्जित करती है। विद्वान अधिवक्ता ने धारा 22 को निर्दिष्ट किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"22. **vijkèkk dk lKku-**&dkb U;k;ky; dn ljdkj vFkok jkT; ljdkj }kjk bl fufeÙk çkfèkÑr 0;fDr }kjk fyf[kr e fd, x, ifjokn d flok, bl vfèkfu;e vFkok bld vèkhu cuk, x, fdlh fu;e d vèkhu nMuh; fdlh vijkèk dk lKku ugh yxkA*

(c) कि विशेष अधिनियम से संबंधित अपराध विशेष अधिनियम के अनुसार मार्गदर्शित होंगे और इनका विचारण किया जाएगा और सामान्य दंड विधि अर्थात् भारतीय दंड संहिता की कोई भूमिका नहीं होगी।

(d) कि पुलिस विभाग के उच्चतर अधिकारियों ने भी अन्वेषण अधिकारी को मामले में समुचित अन्वेषण करने का अनुदेश दिया था किंतु इसका अनुसरण नहीं किया गया था और लापरवाह अन्वेषण पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

(e) कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गयी थी किंतु उसे विमुक्त किया गया है और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सत्य नहीं पाया गया है किंतु तब भी मंजूरी प्रदान की गयी है और संज्ञान लिया गया है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने (i) **अरुण कुमार घोष एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2009 (2) JCR 339 (Jhr.)** (पैरा 8); (ii) **श्याम लाल साहू, सुरेन्द्र गोप एवं जगरनाथ साहू, बनाम**

झारखंड राज्य एवं अजय प्रसाद, प्रभारी अधिकारी, 2009 (57) BJJR 945, (पैरा 8, 11, 12) और (iii) **भारत का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान बनाम विमल कुमार सुराना एवं एक अन्य, (2011)1 SCC 534** मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि खनन अधिनियम के अधीन दंडनीय विशेष अपराध के लिए पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित दांडिक अभियोजन पोषणीय नहीं है और पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है और, इसलिए, प्राथमिकी और संज्ञान लेने वाला आदेश तथा दिनांक 14.6.2008 के पाकुड़ (एम॰) पुलिस थाना केस सं॰ 124/2008 से उद्भूत संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अपास्त किए जाने की दायी है।

7. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया है और मेरा ध्यान उनके द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र की ओर आकृष्ट किया है। यह प्रतिवाद किया गया था कि याची, जो सहायक खनन अधिकारी के रूप में पदस्थापित था, खनन के अवैध व्यापार में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के साथ दुरभिसंधि में अपराध को बढ़ा एवं दुष्प्रेरित कर रहा था। खनन चालानों को ऐसी खान के विरुद्ध जारी किया गया था जो वर्षों से बंद पड़ी थी और यह याची को अच्छी तरह मालूम था। छल एवं कूटरचना के प्रयोजन से, याची एवं अन्य अभियुक्तगण के बीच षड्यंत्र था और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के अधीन दंडनीय छल एवं कूट रचना का अपराध परिभाषित नहीं किया गया है। चूँकि भारतीय दंड संहिता के अधीन संज्ञेय अपराध बनाया गया था, पुलिस को मामला दर्ज करने एवं अन्वेषण करने का पूरा अधिकार था। इस रिट याचिका में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने का दायी है।

8. मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों एवं विधि के प्रासंगिक प्रावधानों का परिशीलन किया है। अंतर्ग्रस्त विवाद्यक पर मत देने के पहले इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 (इसमें इसके बाद नियमावली, 2004 के रूप में निर्दिष्ट) अब प्रासंगिक प्रवर्तनीय विधि है और नियमावली की धारा 54 (1) बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40 (1) से निकाली गयी है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22, झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 57 के तत्सम है जो प्रावधानित करती है कि जब तक सक्षम अधिकारी, खान उपनिदेशक, खान अपर निदेशक, खान निदेशक अथवा इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में परिवाद अथवा प्राथमिकी प्रस्तुत अथवा दर्ज नहीं किया जाता है, कोई न्यायालय इन नियमावली के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

9. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए कि कुछ अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें विजय कुमार राम, मौजा फतेहपुर, पाकुड़ के नाम में बने खान के पक्ष में अभिकथित रूप से जारी रिक्त खनन चालानों पर काबिज पाया गया था। अन्वेषण के दौरान यह पता चला था कि स्टोन चिप्स के अवैध व्यापार को आशयपूर्वक बढ़ावा देने के लिए खनन चालानों को ऐसे खदान के विरुद्ध जारी किया गया था जो पाँच वर्षों से अधिक समय से बंद पड़ी थी। यह भी पता चला था कि याची सहायक खनन अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और वह वही व्यक्ति था जिसने उन चालानों को जारी किया था जिन्हें उस व्यक्ति जो उन चालानों को रखने के लिए प्राधिकृत नहीं था के कब्जा से बरामद किया गया था। अभियुक्त जिसे घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था ने संस्वीकृत किया कि वह अवैध रूप से निकाले गए स्टोन चिप्स के परिवहन के विरुद्ध उन चालानों को जारी किया करता था।

मैं जो कहना चाहता हूँ, उसका अर्थ यह है कि वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्यों कि याची ने उन चालानों को जारी किया था को विवादित नहीं किया गया है किंतु उसने पाकुड़ (एम॰) पी॰

एस॰ केस सं॰ 124/2008, जी॰ आर॰ सं॰ 369/2008 के तत्सम, के संबंध में प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही तथा उसके विरुद्ध लिए गए संज्ञान को अभिखंडित करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

10. याची ने मुख्यत: इस बिंदु पर विश्वास किया है कि चालान जिन्हें बरामद किया गया था कूटरचित नहीं है बल्कि उन्हें आवश्यक रॉयल्टी वसूल करने के बाद सम्यक रूप से जारी किया गया था। पाकुड़ (एम॰) पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने अपने द्वारा दर्ज स्व-बयान के आधार पर गलत रूप से मामला दर्ज किया है और उसने अधिकारिता के बिना मामले में अन्वेषण किया था और आरोप-पत्र दाखिल किया था। चूँकि इसपर विशेष अधिनियम है, नियमावली में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों को भी निर्दिष्ट किया है जिसके द्वारा दांडिक अभियोजन इस आधार पर अभिखंडित कर दिया गया था कि पुलिस को मामले में अन्वेषण करने का प्राधिकार नहीं है और पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। आरक्षी अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र (पैरा-12) उपदर्शित करता है कि अपराध में याची की सह-अपराधिता का पता चला था और तत्पश्चात उसे पूर्वोक्त मामले में अभियुक्त बनाया गया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि याची विजय कुमार राम, मौजा फतेहपुर के नाम में बंद पड़े खानों के विरुद्ध चालान जारी किया करता था। सूचना सत्यापित करने के लिए अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मंगायी गयी थी और दिनांक 12.7.2008 का पत्र 222/Ra स्पष्टत: कहता है कि मौजा फतेहपुर के 83 बीघा 3 कट्ठा 15 धूर से गठित भूखंड सं॰ 228/भाग के ऊपर खुदाई का काम विगत पाँच वर्षों से बंद पड़ा है। इस प्रकार, आरक्षी अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा दिया गया बयान और केस डायरी में अन्वेषण अधिकारी द्वारा संग्रहित साक्ष्य स्पष्टत: सुझाता है कि याची अन्य अभियुक्तगण के साथ गठजोड़ किए था और उनको सुविधा प्रदान कर रहा था और षडयंत्र के अधीन अपराध दुष्प्रेरित कर रहा था। याची ने चालान वापसी का परीक्षण किए बिना आशयपूर्वक विजय कुमार के नाम में बंद पड़े खानों के विरुद्ध चालान जारी कर रहा था और इस प्रकार जारी किए गए चालानों को स्टोन चिप्स एवं अन्य खनिजों की तस्करी में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को सौंपा गया था।

प्रथम दृष्टया अन्वेषण अधिकारी द्वारा संग्रहित साक्ष्य छल एवं कूटरचना के अपराध में अन्य अभियुक्तगण के साथ याची की अंतर्ग्रस्तता उपदर्शित करता है। यह कहना अनावश्यक है कि झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 में छल एवं कूटरचना परिभाषित नहीं किया गया है।

11. अब मामले जिसमें विशेष अधिनियम के अधीन अपराध अभिकथित रूप से किया गया है के संस्थापन एवं अन्वेषण की वैधता पर आते हुए। प्राथमिकी में किए गए प्रतिवाद से प्रकट है कि कुछ अभियुक्तों को पकड़ा गया था और याची द्वारा जारी खनन चालानों पर काबिज पाया गया था और वे गिरफ्तार व्यक्ति उन चालानों को रखने के लिए प्राधिकृत नहीं थे और वह भी बैग में रखे गए गुच्छों में जब वे अभियुक्त सड़क पर खड़े थे। अन्वेषण के दौरान इस प्रभाव का साक्ष्य संग्रहित किया गया था कि उन चालानों को याची द्वारा छल एवं कूटरचना के अपराध को दुष्प्रेरित करने के लिए आशयपूर्वक जारी किया गया था। चूँकि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 120B के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराधों के अवयव आकृष्ट होते थे, पुलिस को विधि के अनुसार मामला दर्ज करने एवं मामले में अन्वेषण करने का प्रत्येक अधिकार था।

12. वर्तमान मामले में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि नियम 57 प्रावधानित करता है कि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में परिवाद अथवा प्राथमिकी प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कोई न्यायालय नियमावली की धारा 54 (1), बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली के पूर्व नियम 40 (1) के तत्सम,

के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा किंतु किसी अन्य अपराध के लिए नहीं जो भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करता है। यह दृष्टिकोण **भारत के चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान, (2011)1 SCC 534,** में निर्णय के पैराग्राफ 18 में उपलब्ध है। उस मामले में चार्टर्ड एकाउंटेन्ट अधिनियम 1949 की धाराओं 24, 24A, 25 एवं 26 के अधीन दंडनीय अपराध आकृष्ट होते थे और निर्बंधन भी उपलब्ध थे कि केवल परिवाद पर संज्ञान लिया जा सकता है। माननीय न्यायाधीशों ने आगे अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है और समरूप विवाद्यक से संबंधित उदाहरण पैराग्राफों 22, 23 और 24 में दिया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"22. fook|d ,d vU; dk.k l Hkh fopkj fd, tku ;kX; gA ;fn dkb 0;fDr vU; 0;fDr gku dk cgkuk djd] vFkok ,d vU; d fy, fdlh dk tkuc>dj çfrLFkkfir djd vFkok ;g vH;kofnr djd fd og vFkok dkb vU; 0;fDr] tk og vFkok ,lk vU; 0;fDr oLrq% g] dk NkMdj dkb vkj 0;fDr g ¼èkkjk 416 HkkO n0 lO½ Ny djrk g] rc ml çfr#i.k }kjk Ny d vfHkdFku d lkFk vkjkfir fd;k tk ldrk g vkj èkkjk 419 d vèkhu ,lh vofèk tk rhu o"kk rd d fy, c< ldrh g d lkFk vFkok ml dVjpuk d vijkèk ¼èkkjk 463½ d fy, vfHk;kftr fd;k tk ldrk g vkj rc ml èkkjk 465 d vèkhu dkjkokl tk nk o"kk rd c< ldrk g d lkFk vFkok tekuk d lkFk vFkok nkuk d lkFk nfMr fd;k tk ldrk gA ;fn ;g vk'kf;r dju d mí'; l fd ml d }kjk dV jfpr nLrkotk dk mi;kx Ny d mí'; d fy, fd;k tk,xk] dkb 0;fDr dVjpuk djrk g] rc ml dkjkokl ft ldh vofèk lkr o"kk rd c< ldrh g vkj tekuk d lkFk nfMr fd;k tk ldrk g ¼èkkjk 468½A ;fn dkb 0;fDr bl vk'k; l fd bldk mi;kx fdlh Ny dk dju d fy, fd;k tk,xk tk èkkjk 467 d vèkhu nMuh; gkxk] Nfo cuku d fy, dkb lhy] lyV vFkok vU; midj.k fufer djrk g vFkok dVÑr djrk g vFkok ,l vk'k; d lkFk bl dVÑr tkur g, ,lk dkb lhy] lyV vFkok vU; midj.k viu dC tk e j[krk g] rc og vkthou dkjkokl d lkFk vFkok dkjkokl tk 7o"kk rd c< ldrk g d lkFk nfMr fd, tku dk nk;h gkxkA og tekuk dk Hkh nk;h gkxkA

23. vfèkfu;e d vè;k; vII e vrfo"V çkoèkku u rk çfr#i.k }kjk Ny vFkok dVjpuk vFkok lhy] vkfn d dVdj.k dk ifjHkkf"kr djr g vkj u gh ,l vijkèkk d fy, nM çkoèkkfur djr gA ;fn ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g fd vfèkfu;e dh èkkjk 24 d mYy?ku e dk; dju oky vFkok èkkjkvk 24A vkj 26 dh mièkkjk (1) dk mYy?ku dju oky 0;fDr dk doy vfèkfu;e d vèkhu nfMr fd;k tk ldrk g ;|fi ml dk ÑR; HkkO n0 lO d vèkhu ifjHkkf"kr ,d vFkok vfèkd vijkèkk d led{k Hkh g vkj og Hkh èkkjk 28 d vu#i fd, x, ifjokn ij] rc vè;k; vII d çkoèkku HknHkkoi.k gk tk,x vkj mUg vuPNn 14 d mYy?ku d vkèkkj ij dkV fn;k tk ldrk gA

*24. lfuf'pr fofèk fd ;fn fdlh lofèk d nk lHko vFk g] rc og vFk tk bl rdi.k vkj vloèkkfudrk d vkjki l mUeDr cukrk g dh ryuk e ml l] tk folxfr vFkok crdiu dh vkj y tkrh g vkj lofèk dk vloèkkfudrk d vkØe.k d çfr lHk| cukrh g] l cpk tkuk pkfg,A bld vfrfjDr] U;k;ky; vfèkfu;e d çkoèkkuk dh 0;k[;k bl rjhd l ugh dj ldrk g tk èkkjkvk 416, 463, 464, 468 vkj 471 e ifjHkkf"kr vijkèkk d ihfMr dk çkFkfedh vFkok n0 ç0 lO d çk lfxd çkoèkkuk d vèkhu ifjokn nkf[ky djd nk"kdrk dk vfHk;kftr dju d ml d vfèkdkj l ml ofpr djxkA***

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 जिसे माननीय न्यायाधीशों द्वारा **भारत के चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान (ऊपर)** में निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"26. **nk ;k vfèkd vfèkfu;fefr;k d vèkhu n.Muh; vijkèkk d ckj e micUèk**–& tgk fd dkb dk; ;k yki nk ;k vfèkd vfèkfu;fefr;k d vèkhu dkb vijkèk xfBr djrk g ogk vijkèkh mu nkuk vfèkfu;fefr;k d ;k mue l fdlh Hkh vèkhu vfHk;kftr vkj nf.Mr fd, tku d nkf;Ro d vèkhu gkxk fdUr mlh vijkèk d fy, nk ckj nf.Mr fd, tku d nkf;Ro d vèkhu ugh gkxkA**"*

13. संक्षेप में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्राथमिकी में किए गए प्रतिवाद प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध को आकृष्ट करने वाले अपराध गठित करते हैं। याची की सह–अपराधिता अन्वेषण के दौरान प्रकाश में आयी और तद्नुसार, अन्वेषण अधिकारी द्वारा उस प्रभाव का साक्ष्य संग्रहित किया गया था और अंत में आरोप–पत्र दाखिल किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 409 एवं 120B और खनन अधिनियम की धारा 40 के अधीन संज्ञान लिया गया था। खनन अधिनियम की धारा 40 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22, जो झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 57 के तत्सम है, के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताविक वर्जित है। आगे यह उपदर्शित किया गया है कि नियमावली, 2004 की धारा 57 के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज लिखित में परिवाद अथवा प्राथमिकी के माध्यम से आरंभ किया जा सकता है और उक्त नियम 57 के अधीन अभियोजन आरंभ करने के लिए पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी सशक्त नहीं है। इन परिस्थितियों में, खनन अधिनियम की धारा 40 के अधीन लिया गया संज्ञान एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है किंतु जहाँ तक भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, विधि के अनुरुप अग्रसर हुआ जाएगा। इस न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण **भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान (ऊपर)** मामले में निर्णय के पैराग्राफ 46 में माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निष्कर्ष से समर्थन पाता है। विचारण न्यायालय परस्पर अपराधों के लिए परस्पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिन्हें वह मामला अभिलेख एवं केस डायरी पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर आकृष्ट होता पाता है। दिनांक 23.8.2012 के आदेश द्वारा आरोप की विरचना के विरुद्ध प्रदान किया गया अंतरिम स्थगन रिक्त किया जाता है।

उक्त चर्चा एवं संप्रेक्षणों के साथ याची का मामला उसके द्वारा विश्वास किए गए निष्कर्ष से सुभिन्न किया जाता है। रिट याचिका अंशतः अनुज्ञात की जाती है और तद्नुसार निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

बाबूधन मुर्मू (1746 में)

रूपलाल मुर्मू एवं एक अन्य (1916 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 1746 with 1916 of 2014. Decided on 3rd September, 2014.

सत्र मामला सं॰ 187/2002/329 वर्ष 2002 में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 307/34—हत्या–हत्या का प्रयास–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है–अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि जो भी घटना हुई, यह किसी पूर्व चिंतन के बिना और अचानक झगड़े में हुई–ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थीगण ने क्रूर एवं असामान्य तरीके से कृत्य किया–मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत आता है और किया गया आपराधिक मानव वध हत्या के तुल्य नहीं है–अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडादेशित किया जाता है–भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 8 से 12)

अधिवक्तागण.–M/s P.K. Verma, Lakhan Sharma, For the Appellant; Mr. S.S. Choudhary (in both), For the State.

न्यायालय द्वारा.–ये दोनों अपीलें सत्र मामला सं॰ 187 वर्ष 2002/329 वर्ष 2002 में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने ठाकुर मुर्मू एवं गिधि हंसदा की हत्या करने का दोषी अपीलार्थीगण को पाने पर उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन और ठुठु मुर्मू की हत्या का प्रयास करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन भी दोषसिद्ध किया और उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 1000/- रुपयों का जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान ने व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त सरल कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए तीन माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि किसी ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) ने दिनांक 18.8.2002 को प्रातः 10 बजे ग्राम प्रधान धेना टुडू (अ॰ सा॰ 5) के घर में ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और उसके पुत्र अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू के बीच विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाया था उक्त पंचायती में, यह निर्णय किया गया था कि अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू जिसने अनाज उगाया था अनाज की कटाई करेगा और तत्पश्चात भूमि चार भागों में बाँटी जाएगी। उक्त पंचायती में, ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) के ऊपर 101/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। जब पंचायती सायं लगभग 7 बजे समाप्त हुई, कोई सुखु मुर्मू (अ॰ सा॰ 1) जो एक अन्य गाँव से पंचायती में भाग लेने आया था, घर जाने के लिए निकला। ठाकुर मुर्मू (मृतक), ठुठू मुर्मू (अ॰ सा॰ 8), गिधी हंसदा (मृतक), अपीलार्थी ठुठु मुर्मू की पत्नी और लुथुरा, हदसा भी सुखु मुर्मू के साथ उसे उसके गाँव पहुँचाने के लिए निकले। उस क्रम में जब वे रात्रि लगभग 8 बजे शिबु मुर्मू के घर के निकट पहुँचे, उनकी मुलाकात अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू (ठुठु मुर्मू का पुत्र), अपीलार्थी बाबूधर

मुर्मू और बरका मुर्मू से हुई जो उन्हें गाली देने लगे। इसका परिणाम उनके बीच हाथापाई में हुआ। उस क्रम में, समस्त तीनों व्यक्ति सूचक के पिता, चाचा एवं चाची अर्थात् ठाकुर मुर्मू, ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और गिधी हंसदा पर प्रहार करने लगे। अपने पिता एवं अन्य को उनके द्वारा पीटा जाता देखने पर सूचक अरबिन्द मुर्मू (अ॰ सा॰ 7) ने उनको बचाने का प्रयास किया किंतु बरका मुर्मू ने उसको पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया और उसका गला घोंटने का प्रयास किया। उस क्रम में, उसने बरका मुर्मू को चाकू मारा और भाग गया किंतु अभियुक्तगण को अपने पिता, चाचा एवं चाची पर प्रहार करते देखा जिसके परिणामस्वरुप उन्होंने उपहतियाँ पायी और जमीन पर गिर गए। इस पर, वे सूचक अरविन्द मुर्मू (अ॰ सा॰ 7) को खोजने लगे किंतु वह वहाँ से भाग गया। जब अभियुक्तगण घटनास्थल से चले गए, सूचक वहाँ आया और अपने पिता ठाकुर मुर्मू को मृत पाया जबकि उसने अपने चाचा ठुठु मुर्मू और अपनी चाची गिधी हंसदा को गंभीर रूप से घायल पाया।

अगले दिन अर्थात् दिनांक 19.8.2002 को रात्रि लगभग 10 बजे सूचक अरविन्द मुर्मू (अ॰ सा॰ 7), पुत्र ठाकुर मुर्मू (मृतक), ने जामा पुलिस थाना के समक्ष अपना फर्दबयान (प्रदर्श 5) दिया जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 6) जामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2000 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/307/325/326/341/34 के अधीन दर्ज की गयी थी। मामले के संस्थापन पर किसी शिव कुमार सिंह अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 11) ने अन्वेषण किया। वह घटनास्थल पर आया और ठाकुर मूर्मू को मृत पाया, जबकि ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और गिधी हंसदा गंभीर रूप से घायल थे। उसने तुरन्त उनको सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा। उस पर, अन्वेषण अधिकारी ने ठाकुर मुर्मू के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 7) तैयार किया। तत्पश्चात, अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा। डॉ॰ देवाशीष रक्षित अ॰ सा॰ 2 ने ठाकुर मुर्मू के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:–

i. 3" x 1/2" x 1/4" vkdkj okyk BMMh d nk,¡ fgLl d Åij fonh.k t[eA

ii. flj dh [kky d vkDlhihVy {k= d Åij folfjr ltuA

foPNnu dju ij ltu {k= d uhp lcD;Vfu;l gejt ik;k x;kA vkx foPNnu dju ij vkDlhihVy vfLFk dk ÝDpj ik;k x;k FkkA [kkiMh vkx [kky tku ij Øfu;e dfoVh d vnj jDr dk lxg.k ik;k x;k Fkk vkj cu eVj ,o ehukt l fonh.k ik;k x;k FkkA

iii. Nkrh d ck,¡ fgLl ij 1" x 1/2" vkdkj dk [kjkpA FkkjDl d foPNnu ij ck,¡ ikpo ,o NB ilfy;k dk ÝDpj ik;k x;k FkkA ck;k QQMk fonh.k ik;k x;k FkkA Fkkjfld dfoVh d vnj jDr dk lxg ik;k x;k FkkA

डॉक्टर के मत के अनुसार, मृत्यु उपहति सं॰ 2 एवं 3 के परिणामस्वरुप हेमरेज एवं आघात के कारण हुई। आगे, यह मत दिया गया है कि उपहति लोहे की छड़ एवं लाठी जैसे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया गया है।

इस बीच, मामले का अन्वेषण एक अन्य अन्वेषण अधिकारी सतीश चंद्र दास (अ॰ सा॰ 12) द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था। जिसे जानकारी हुई कि घायल गिधी हंसदा की मृत्यु दिनांक 21.8.2002 को अस्पताल में हो गयी है और वह अस्पताल आया और गिधी हंसदा के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-7/1) तैयार किया। तत्पश्चात, अन्वेषण अधिकारी ने शव परीक्षण के लिए मृत शरीर भेजा। डॉ॰ निर्मल कुमार सिंह अ॰ सा॰ 10 ने गिधी हंसदा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:–

i. vkD lhihVy {k= d ck, fgLl d Åij 9cm x 1cm x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA

ii. eLrd d VEikjy {k= d Åij 3cm x 1/2cm x Ropk rd xgjk dVu dk t[eA

iii. eLrd d ck, ifjVy {k= d Åij 4cm x 1cm x vfLFk rd xgjk fonh.k t[e@foPNnu ij vnj dh vfLFk dk VdMk e ÝDpM ik;k x;k FkkA vkx foPNnu dju ij cu d uhp ,o eEcu dk cu dfoVh d bn&fxn d {k= e jDr lxg.k d lkFk fonh.k ik;k x;k FkkA

iv. nk, dkguh tkM d ihN d Åij 1cm x 1/2cm dk [kjkpA

v. ck, ij d fupy fgLl dh folfjr ltu ,o foÑrkA vkx foPNnu dju ij fVfc;k ,o fQcyk nkuk vfLFk;k dk ÝDpM ik;k x;k FkkA

डॉक्टर के अनुसार, उपहति सं॰ 1 एवं 2 तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी, जबकि शेष उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। डॉक्टर के मत में, मृत्यु उक्त उपहतियों के कारण हुए आघात एवं हेमरेज के कारण हुई। उपहति सं॰ 3 स्वाभाविक क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध किया गया है।

उक्त डॉक्टर अ॰ सा॰ 10 ने दिनांक 19.8.2002 को ठुठु मुर्मू का भी परीक्षण किया था और ठुठु मुर्मू के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

i. flj dh [kky d nk, fgLl ij 3cm x 1cm x Ropk rd xgjk dVu rd t[eA

ii. Hkkg d Åij vxeLrd d ck, fgLl ij 5cm x 1/2cm x Ropk rd xgjk fonh.k t[e)

iii. Nkrh d ck, fgLl ij 3cm x 1/4cm dk [kjkpA

iv. nk, ,o ck, ij d Åij folfjr ltu ,o nnA

v. Nkrh d nk, fgLl d Åij folfjr ltuA

डॉक्टर के अनुसार, उपहति सं॰ 1 की प्रकृति सामान्य थी जो तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी जबकि उपहति सं॰ 2, 3, 4 भी सामान्य थी किंतु कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। उपहति सं॰ 5 को कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित और गंभीर पाया गया था। उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 3 के रूप में सिद्ध की गयी थी।

3. अन्वेषण पूरा करने पर, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था। जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, आरोप विरचित किए गए थे जिसके प्रति अपीलार्थीगण ने निर्दोष होने का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 सुखु मुर्मू चश्मदीद गवाह है जो पंचायती में भाग लेने आया था। उसके अनुसार, जब पंचायती समाप्त हुई, छोटू मुर्मू (परीक्षण नहीं किया गया), ठाकुर मुर्मू (मृतक), लुथरा हंसदा (अ॰ सा॰ 4), ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और ठुठु मुर्मू की पत्नी गिधी हंसदा (मृतक) उसे उसके घर छोड़ने के लिए उसके गाँव ले जा रहे थे। जब वे नुनुआ मुर्मू (अ॰ सा॰ 6) के घर के निकट पहुँचे, अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू, अपीलार्थी बाबूधर मुर्मू और बरका मुर्मू ने उन्हें रोका और लोहे की छड़ तथा लाठी से ठाकुर मुर्मू, ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और गिधी हंसदा पर प्रहार करने लगे। इस बीच, वह वहाँ से भाग गया। अ॰ सा॰ 3 सतीश मुर्मू अनुश्रुत गवाह है जबकि अ॰ सा॰ 4 लुथरा मुर्मू ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने

अभियुक्तगण एवं अभियोजन पक्ष को एक–दूसरे के साथ लड़ते देखा, वह घटनास्थल से चला गया। अ॰ सा॰ 5 धेना टुडु वह व्यक्ति है जिसके घर में पंचायती की गयी थी। उसके अनुसार, उसने घटना नहीं देखा था। अ॰ सा॰ 6 नुनुआ मुर्मू मृत्यु समीक्षा का गवाह है जिसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। अरविन्द मुर्मू सूचक का परीक्षण अ॰ सा॰ 7 के रूप में किया गया था। उसके अनुसार, जब वह हल्ला सुनकर घटना स्थल पर आया, उसने ठुठु मुर्मू और गिधी हंसदा को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। आगे, उसने परिसाक्ष्य दिया है कि उसके पिता ठाकुर मुर्मू ने बरका मुर्मू के ऊपर चाकू का वार किया था और तब इन अपीलार्थीगण द्वारा लाठी एवं लोहे की छड़ से उसके पिता पर प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 8 ठुठु मुर्मू ने परिसाक्ष्य दिया है कि पंचायती प्रधान धेना टुडु (अ॰ सा॰ 5) के घर में हुई थी। पंचायती समाप्त होने के बाद पंच अपने घर चले गए। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया है कि झगड़ा हुआ था किंतु वह नहीं कह सकता है कि किसने मृतक पर प्रहार किया था। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 9 मालोथी हंसदा चश्मदीद गवाह है जिसने परिसाक्ष्य दिया कि पंचायती समाप्त होने के बाद ठाकुर मुर्मू (मृतक), ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8), गिधी हंसदा (मृतक) और लुथुरा हंसदा (अ॰ सा॰ 4) सुखु मुर्मू (अ॰ सा॰ 1) को उसके गाँव ले जा रहे थे। हल्ला सुनने पर, जब वह घटनास्थल पर आयी, उसने अपीलार्थीगण को लाठी एवं लोहे की छड़ से ठाकुर मुर्मू, ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और गिधी हंसदा पर प्रहार करते देखा जिसके परिणामस्वरुप ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8) और गिधी हंसदा बेहोश हो गए जबकि ठाकुर मुर्मू की मृत्यु हो गयी।

5. अभियोजन मामला बंद होने के बाद इन अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्तगण से उनके विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली परिस्थितियों के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछा गया था जिससे उन्होंने इनकार किया।

6. विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों विशेषत: अ॰ सा॰ 1 एवं 7 तथा अ॰ सा॰ 9 का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट किया गया पाने पर पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया।

उक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर, बाबूधन मुर्मू ने दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1746 वर्ष 2004 दाखिल किया। बाद में, बाबूधन मुर्मू अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू के साथ भी जुड़ा जब कारा अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1916 वर्ष 2004 दाखिल किया गया था। तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि बाबूधन मुर्मू ने दो दांडिक अपीलों को दाखिल किया है जिन्हें पोषणीय अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसलिए दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1916 वर्ष 2004 केवल अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू तक सीमित रहेगी।

7. दोनों अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ के॰ वर्मा और श्री लखन शर्मा ने निवेदन किया कि केवल दो गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 एवं 9 को घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया है किंतु उनके परिसाक्ष्य एक–दूसरे के साथ संगत नहीं हैं और, इसलिए, विचारण न्यायालय को उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। चूँकि गवाहों के परिसाक्ष्य प्रहार के बिंदु पर और एक अन्य बिंदु पर भी संगत नहीं है, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

8. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰ एस॰ चौधरी निवेदन करते हैं कि न केवल अ॰ सा॰ 1 एवं 9 ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है बल्कि अ॰ सा॰ 7 सूचक भी अभियोजन मामले का समर्थन करता प्रतीत होता है। उन्होंने स्पष्टत: अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण ने लोहे की छड़ एवं लाठी से ठाकुर मुर्मू एवं गिधी हंसदा पर प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरुप उनकी

मृत्यु हो गयी। चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला यह है, जैसा चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 और 9 के परिसाक्ष्य से सामने आया है, कि ठाकुर मुर्मू ने अपने और अपने पुत्र (अपीलार्थी रूपलाल मुर्मू) के बीच विवाद सुलझाने के लिए ग्राम प्रधान धेना टुडु के घर में पंचायती बुलाया था। पंचायती समाप्त होने के बाद ठाकुर मुर्मू (मृतक), ठुठु मुर्मू (अ॰ सा॰ 8), गिधी हंसदा (मृतक) और लुथुरा हंसदा अ॰ सा॰ 1 सुखु मुर्मू जिसने पंचायती में भाग लिया था को उसके घर पहुँचाने जा रहे थे। उस क्रम में जब वे शिबु मुर्मू के घर के निकट आए, दोनों अपीलार्थीगण एवं बरका मुर्मू उनसे मिले। उनको देखने पर अपीलार्थीगण ने उनको गाली देना शुरू किया जिसका परिणाम उनके बीच हाथापाई में हुआ। उस क्रम में, बचाव मामला के मुताबिक, बरका मुर्मू जो इन अपीलार्थीगण के साथ था की हत्या चाकू मार कर की गयी थी। दूसरी ओर, इन दोनों अपीलार्थीगण ने ठाकुर मुर्मू, गिधी हंसदा और ठुठु मुर्मू की मृत्यु तुरन्त घटनास्थल पर हो गयी जबकि ठुठु मुर्मू एवं गिधी हंसदा को घोर उपहति आयी जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। दिनांक 21.8.2002 को गिधी हंसदा ने उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। चश्मदीद गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 और 9 का परिसाक्ष्य एक-दूसरे के साथ बिल्कुल संगत प्रतीत होता है। आगे, उनका साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है क्योंकि डॉक्टर के अनुसार मृतक द्वारा पायी गयी उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी किंतु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अभियोजन का मामला धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है?

10. इस संबंध में यह गौर किया जाए कि स्वयं अभियोजन का मामला यह है, जो अ॰ सा॰ 4, 8 एवं 9 के साक्ष्य से स्पष्ट है, कि अपीलार्थीगण और बरका मुर्मू अभियोजन पक्ष के सामने आए, झगड़ा हुआ था। उस क्रम में चाकू मार कर बरका मुर्मू की हत्या कर दी गयी थी जबकि अपीलार्थीगण ने ठाकुर मुर्मू और गिधी हंसदा पर लाठी एवं लोहे की छड़ से प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरुप उनकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि जो भी घटना हुई, वह किसी पूर्व चिंतन के बिना हुई और वह भी अचानक हुए झगड़े में और साथ ही यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थीगण ने क्रूर एवं असामान्य तरीके से कृत्य किया। इस प्रकार मामला धारा 300 के अपवाद 4 के मापदंड के अंतर्गत आता है और किया गया आपराधिक मानववध हत्या के तुल्य नहीं है।

11. इन परिस्थितियों के अधीन, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया। उस स्थिति में, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश का संबंध है, इसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

12. परिणामस्वरुप, उक्त कथित दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश के उपांतरण के साथ इन दोनों अपीलों को खारिज किया जाता है।